वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2010-2011

विश्वसनीय.
मैत्रीपूर्ण
Faithful.
Friendly

सिंडिकेटबैंक
SyndicateBank

भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

सिंडिकेटबैंक
SyndicateBank
विश्वसनीय, मैत्रीपूर्ण
Faithful, Friendly
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

प्रधान कार्यालय: मणिपाल – 576 104
Head Office: Manipal – 576 104

विषय सूची CONTENTS

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2010 – 2011

	पृष्ठ Page
• अध्यक्ष का वक्तव्य Chairman's Statement	3
• सूचना Notice	10
• निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	16
• नैगम अभिशासन पर रिपोर्ट Report on Corporate Governance	60
• बासेल – II प्रकटीकरण – मार्च 2011 Basel II Disclosures – March 2011	96
• लेखा–परीक्षकों का प्रतिवेदन Auditors' Report	106
• तुलन–पत्र Balance Sheet	108
• लाभ व हानि लेखा P & L Account	109
• लेखों की अनुसूचियाँ Schedules to Accounts	110
• महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ Significant Accounting Policies	116
• लेखा संबंधी टिप्पणियाँ Notes on Accounts	121
• नकदी प्रवाह विवरण Cash Flow Statement	135
• समेकित तुलन–पत्र Consolidated Balance Sheet	137
• सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड SyndBank Services Limited	168
• ईसीएस संबंधी परिपत्र Circular regarding ECS	184
• प्रॉक्सी फार्म Proxy Form	187
• फार्म 2बी Form 2B	189
• उपस्थिति पर्ची Attendance Slip	191
• नैगम अभिशासन में पर्यावरण संरक्षण : बिना कागज के Green Initiative in Corporate Governance: Go Paperless	194
• लाभांश अधिदेश पत्र Dividend Mandate Form	195
• शिकायत पंजीकरण फार्म Grievance Registration Form	197
• ई.सी.एस. केन्द्रों की सूची List of E.C.S. Centres	198

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS

बसंत सेठ *अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक*	**Basant Seth** *Chairman & Managing Director*
वी के नागर, *कार्यपालक निदेशक*	**V K Nagar,** *Executive Director*
रवि चटर्जी, *कार्यपालक निदेशक*	**Ravi Chatterjee,** *Executive Director*
एच प्रदीप राव, *निदेशक*	**H Pradeep Rao,** *Director*
ए एस राव, *निदेशक*	**A S Rao,** *Director*
नरेन्द्र एल दवे, *निदेशक*	**Narendra L Dave,** *Director*
दिनकर एस पूंजा, *निदेशक*	**Dinkar S Punja,** *Director*
रमेश एल अडिगे, *निदेशक*	**Ramesh L Adige,** *Director*
एम् भास्कर राव, *निदेशक*	**M Bhaskara Rao,** *Director*
एआर नागप्पन, *निदेशक*	**AR Nagappan,** *Director*
भूपिन्दर सिंह सूरी, *निदेशक*	**Bhupinder Singh Suri,** *Director*

लेखा–परीक्षक	Auditors
मेसर्स एन सी मित्रा एण्ड कंपनी	M/s N C Mitra & Co.
मेसर्स प्रकाश चंद्र जैन एण्ड कंपनी	M/s Prakash Chandra Jain & Co.
मेसर्स जैन एण्ड एसोसिएट्स	M/s Jain & Associates
मेसर्स एस सोनी एसोसिएट्स	M/s S Sonny Associates
मेसर्स आर. वेन्दर गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स	M/s R. Vender Gupta & Associates
मेसर्स ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कंपनी	M/s Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट **मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर (प्रा) लिमिटेड** **यूनिट: सिंडिकेटबैंक** **प्लॉट सं.17 से 24** **विट्ठलराव नगर, माधापुर** **हैदराबाद – 500 081** **दूरभाष: 04044655000 विस्तार: 116 या 040 44655116 (सीधा)** **फैक्स: 040 23420814**	Registrars & Share Transfer Agents M/s Karvy Computershare (P) Ltd. Unit: SyndicateBank Plot No. 17 to 24 Vithalrao Nagar, Madhapur Hyderabad – 500 081 Ph.: 040 44655000-Extn: 116 or 040 44655116 (D) Fax: 040 23420814

अध्यक्ष का वक्तव्य

प्रिय शेयरधारकों,

आपके बैंक की इस बारहवीं वार्षिक आम बैठक में निदेशक मंडल की ओर से आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है।

राजकोषीय वर्ष 2010-11 के दौरान आपके बैंक के निष्पादन की विशिष्टताओं को प्रस्तुत करने से पहले मैं संक्षेप में आपके समक्ष इस वर्ष वैश्विक एवं देशी व्यापक आर्थिक परिदृश्य को प्रस्तुत करना चाहता हूँ क्योंकि इनका बैंक के निष्पादन पर जबर्दस्त असर पड़ता है।

विश्व की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आई गिरावट के कारण इस वर्ष का वित्तीय वातावरण अत्यंत कठिनाई भरा रहा है। कई विकसित देशों के आधिपत्यवाले ऋणों में आई हलचल के कारण अर्थव्यवस्थाएं काफी सुस्त रही हैं। विश्व के विकास के मार्ग में व्याप्त अनिश्चितताओं से दीर्घावधिवाले निवेशों में बाधा पड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (आइ एम एफ) द्वारा प्रकाशित आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2010 में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में 5.00 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और अनुमान है कि वर्ष 2011 में इसमें 4.4 प्रतिशत की कम दर से वृद्धि होगी।

उपर्युक्त के विपरीत, तुलनात्मक दृष्टि से उभरती हुई एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का निष्पादन बेहतर रहा है, जिसमें वर्ष 2010 के दौरान 7.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई । फिर भी, अंतिम उत्पादन अंतराल तथा उच्च पूंजी के आगमन के कारण इन अर्थव्यवस्थाओं को बड़ा झटका लगा है। इन अर्थव्यवस्थाओं को उच्च पूंजी आगमन एवं अंतिम पूंजी अंतराल रूपी गंभीर समस्या से जूझना पड़ रहा है। इन अर्थव्यवस्थाओं में बाह्य बेशी बड़ी मात्रा में हैं, इन्हें एक तरफ मुद्रा स्फीति के दबावों के कारण विनिमय दर अधिमूल्यन को संभालने में समस्या आ रही है, वहीं दूसरी तरफ, ऋण की धीमी माँग को उठाने की भी समस्या है।

भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर प्रगति के उच्च पथ पर अग्रसर है। इसने वर्ष 2010-11 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में 8.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, इसका कारण आर्थिक गतिविधियों में तेजी तथा कृषि और अनुषंगी क्षेत्रों में जबर्दस्त विस्तार है। वर्ष 2010-11 के दौरान कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों में क्रमश: 5.4 प्रतिशत, 8.2 प्रतिशत एवं 9.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि वर्ष 2009-10 के दौरान यह वृद्धि क्रमश: 0.4 प्रतिशत, 8.3 प्रतिशत एवं 9.7 प्रतिशत की ही हुई थी। पूरे वर्ष 2010 के दौरान, कड़ी चलनिधि का असर औसत एक दिन के उधार दरों पर बरकरार रहा है, पर, अब धीरे-धीरे मुद्रा बाजार सामान्य पटरी पर आने लगा है। नीति निर्माताओं के लिए मुद्रास्फीति अभी भी बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशियों में वर्षानुवर्ष की दृष्टि से वर्ष के दौरान (25 मार्च 2011 तक) 15.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो बढ़कर ₹ 52,04,703 करोड़ हो गई है। दूसरी तरफ, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया ऋणों में 21.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 25 मार्च 2011 तक बढ़कर ₹ 39,38,659 करोड़ हो गई है। वर्ष के दौरान (25 मार्च 2011 तक) मुद्रा आपूर्ति में 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है जबकि वर्ष 2009-10 के दौरान 17.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है जबकि पिछले राजकोषीय वर्ष में यह वृद्धि 18.7 प्रतिशत की थी।

CHAIRMAN'S STATEMENT

Dear Shareholders,

It is my proud privilege to welcome all of you on behalf of the Board of Directors to this the Twelfth Annual General Meeting of your Bank.

Before I present the highlights of your Bank's performance during the Fiscal Year 2010-11, it would not be out of place to share with you briefly the details of the macro-economic environment–global as well as domestic–that prevailed during the year as this had a strong bearing on the Bank's performance.

The year was marked by a fairly tough financial environment due to slowdown in some of the major economies of the world. The economic activities in many developed counties remained sluggish due to sovereign debt turmoil. The lingering uncertainties around global growth hampered long-term investment prospects. As per the data released by International Monetary Fund (IMF), World GDP grew by 5.0 per cent in 2010 and is projected to grow at a lower rate of 4.4 per cent in 2011.

In contrast, emerging and developing market economies performed comparatively well by registering growth of 7.3 per cent during 2010, but they suffered from the problem of overheating in the face of closing output gap and high capital inflows. As these economies built up large external surpluses, managing exchange rate appreciation was a critical challenge due to the conflicting demands of reining in inflationary pressures, on the one hand and reviving the subdued credit demand, on the other.

India's economy continued on its high growth trajectory, by registering GDP growth at 8.6 per cent in 2010-11, on the back of spurt in economic activities and robust expansion in agriculture and allied sectors. Agriculture, Industry and Services sectors grew by 5.4%, 8.2 per cent and 9.4 percent respectively in 2010-11 as against 0.4%, 8.3 percent and 9.7 per cent recorded in 2009-10. Tight liquidity conditions continued to drive average overnight borrowing rates throughout the year 2010, but of late, the money market is slowly and steadily getting back to normalcy. Inflation continued to remain a major concern for the policy makers.

Aggregate deposits of SCBs grew y-o-y by 15.8 per cent to ₹ 52,04,703 crore during the year (Up to March 25, 2011). On the other hand, outstanding credit of SCBs swelled by 21.4 per cent to ₹ 39,38,659 crore as at March 25, 2011. Money supply grew by 16.0 per cent during the year (Up to March 25, 2011) as against 17.1 per cent registered during 2009-10. Scheduled Commercial Banks' (SCB) investments in government and other approved securities registered a growth of 8.3 per cent as against 18.7 percent in the previous fiscal.

बैंक के निष्पादन की विशिष्टताएँ निम्नलिखित हैं:

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक का वित्तीय निष्पादन

क) वैश्विक कारोबार में 17.01 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो 2009-10 के ₹ 2,08,476 करोड़ से बढ़कर 2010-11 में ₹ 2,43,946 करोड़ हो गया । वर्ष 2010-11 के दौरान जमाराशियाँ 15.87 प्रतिशत बढ़ी हैं और वे ₹ 1,35,596 करोड़ हो गई हैं जबकि अग्रिमों में 18.48 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है और वे ₹ 1,08,350 करोड़ हो गई हैं ।

ख) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में वर्ष 2010-11 के दौरान 11.92 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो समायोजित निवल बैंक ऋण का 46.22 प्रतिशत बनता है जबकि अनिवार्य आवश्यकता 40 प्रतिशत की ही है । कृषि को दिए गए ऋण में 12.26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो समायोजित निवल बैंक का 18.62 प्रतिशत हिस्सा है जबकि अनिवार्य आवश्यकता 18 प्रतिशत की है।

ग) कुल आय में वर्ष 2010-11 के दौरान 10.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो 2009-10 के ₹ 11,214.64 करोड़ से बढ़कर ₹ 12,365.98 करोड़ हो गयी है।

घ) बैंक के परिचालन लाभ में 46.82 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो वर्ष 2010-11 के दौरान बढ़कर ₹ 2,750 करोड़ हो गई है। वर्ष 2009-10 के दौरान यह ₹ 1,873 करोड़ थी। निवल लाभ में वर्ष 2010-11 के दौरान 28.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो ₹ 1,048 करोड़ हो गई है जबकि वर्ष 2009-10 के दौरान ₹ 813 करोड़ थी।

ङ) वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने ₹ 902.06 करोड़ की वसूली की है। 2010-11 के अंत में सकल अनर्जक आस्तियाँ ₹ 2,598.97 करोड़ थी जो कुल अग्रिमों का 2.40 प्रतिशत हैं।

च) वर्ष 2010-11 के दौरान निवल अनर्जक आस्तियाँ निवल अग्रिमों का 0.97 प्रतिशत थी जबकि वर्ष 2009-10 के दौरान इनकी प्रतिशतता 1.07 प्रतिशत थी।

छ) वित्तीय वर्ष 2010-11 के अंत में बैंक का ऋण जमा अनुपात 79.91 प्रतिशत था जबकि पिछले वर्ष यह 78.15 प्रतिशत था।

ज) प्रोविजन कवरेज अनुपात 31-03-2010 के 73.31 प्रतिशत की तुलना में सुधरकर 31-03-2011 को 77.18 प्रतिशत हो गया है।

झ) प्रति शेयर बही मूल्य पिछले वर्ष के ₹ 107.80 से बढ़कर इस वर्ष ₹ 122.99 हो गया है।

ञ) बैंक ने बासल II का अनुपालन किया है। ऋण से जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात 31-03-2010 के 12.70 प्रतिशत की तुलना में 31-03-2011 को 13.04 प्रतिशत हो गया है।

ट) बैंक के निवल ब्याज आय में पर्याप्त वृद्धि हुई है जो 2009-10 के ₹ 2740 करोड़ से बढ़कर 2010-11 में ₹ 4383 करोड़ हो गई है।

ठ) बैंक की निवल ब्याज मार्जिन (निम) में सुधार हुआ है जो 31-3-2010 के 2.35 प्रतिशत की तुलना में 31-3-2011 को 3.40 प्रतिशत हो गई है।

ड) बैंक के आस्तियों के प्रतिलाभ में सुधार हुआ है जो 2009-10 के 0.62 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 को 0.76 प्रतिशत हो गया है।

ढ) बैंक की निवल मालियत (पुनर्मूल्यन आरक्षित को छोड़कर) 31 मार्च, 2010 के ₹ 5,222.86 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2011 को ₹ 6,656.94 करोड़ हो गई है।

ण) बोर्ड ने 31 मार्च 2010-11 के लिए 37 प्रतिशत लाभांश प्रदान करने की संस्तुति की है।

शाखा जाल

31-3-2011 की स्थिति के अनुसार बैंक के कुल शाखाओं की संख्या 2494 (लंदन शाखा को शामिल करके) है। देशी शाखाओं में से 803 ग्रामीण, 589 अर्धशहरी, 551 शहरी और 550 मेट्रो तथा पोर्ट टाउन शाखाएं हैं।

The financial highlights of the Bank's performance are outlined below:

FINANCIAL PERFORMANCE DURING 2010-11

a. Global Business grew by 17.01 per cent from ₹ 2,08,476 crore in 2009-10 to ₹ 2,43,946 crore in 2010-11. Deposits grew by 15.87 per cent to ₹ 1,35,596 crore whereas advances registered a growth of 18.48 per cent to ₹ 1,08,350 crore during the year 2010-11.

b. Priority Sector Advances registered a growth of 11.92 per cent during 2010-11 and constituted 46.22 per cent of the Adjusted Net Bank Credit against the mandatory requirement of 40 per cent. Credit to Agriculture increased by 12.26 per cent and constituted 18.62 per cent of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) as against the mandatory requirement of 18 per cent.

c. Total income rose to ₹ 12,365.98 crore in 2010-11 from ₹ 11,214.64 crore in 2009-10 registering a growth of 10.27 per cent.

d. Operating Profit of the Bank grew by 46.82 per cent to ₹ 2,750 crore in 2010-11 up from ₹ 1,873 crore in 2009-10. Net Profit, grew by 28.91 per cent to ₹ 1,048 crore in 2010-11 up from ₹ 813 crore for 2009-10.

e. The Bank made a recovery of ₹ 902.06 crore under NPA during 2010-11. The Gross NPA stood at ₹ 2,598.97 crore as at the end of the year 2010-11 which was 2.40 per cent of the Gross advances.

f. The Net NPA constituted 0.97 per cent of the net advances at the end of the financial year 2010-11, as against 1.07 per cent in 2009-10.

g. The Credit Deposit (CD) ratio of the Bank at the end of the financial year 2010-11 stood at 79.91 per cent as against 78.15 per cent for the previous year.

h. Provision Coverage Ratio improved from 73.31 per cent as at 31-03-2010 to 77.18 per cent as at 31-03-2011.

i. Book value per share improved to ₹122.99 from ₹107.80 last year.

j. The Bank is Basel II compliant. The Credit to Risk-Weighted Assets Ratio (CRAR) was 13.04 per cent as at 31-03-2011, compared to 12.70 per cent as at 31-03-2010.

k. Net interest income (NII) of the Bank improved from ₹2740 crore in 2009-10 to ₹4383 crore in 2010-11.

l. The Bank's Net Interest Margin (NIM) improved to 3.40 per cent as at 31.03.2011 from 2.35 per cent as at 31.03.2010.

m. The Bank's Return on Assets (ROA) improved from 0.62 per cent in 2009-10 to 0.76 per cent in 2010-11.

n. The Net Worth of the Bank (excluding revaluation reserves) increased to ₹6,656.94 crore as at March 31, 2011 compared to ₹ 5,222.86 crore as at March 31, 2010.

o. The Board of Directors have recommended a dividend of 37 per cent for the year ended 31st March 2010-11.

BRANCH NETWORK

The total network of branches stood at 2494 branches (including London Branch) as at 31.03.2011. The domestic branch network consisted of 803 Rural, 589 Semi urban, 551 urban and 550 metro & port town branches. Out of the total network of branches 708 branches are in

कुल शाखाओं में से 708 शाखाएं कम बैंकवाले जिलों में और 670 शाखाएं अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में हैं।

वर्ष 2010-11 के दौरान 188 सामान्य बैंकिंग शाखाएं खोली गई। इनमें से 154 शाखाएं टियर 3 – 6 केन्द्रों में है जिनमें से 131 शाखाएं भारत सरकार के वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के तहत खोली गई।

उपर्युक्त खोली गई नई शाखाओं में से 76 शाखाएं कम बैंकवाले जिलों में और 36 शाखाएं अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में खोली गई। सभी देशी शाखाएं सी बी एस नेटवर्क से जुड़ी हैं।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम

बैंक का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम 31 मार्च 2010 के ₹ 32,713 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2011 को ₹ 36,611.26 करोड़ हो गया है। इसका हिस्सा समायोजित निवल बैंक ऋण (ए.एन.बी.सी.) का 46.22 प्रतिशत बनता है जबकि अनिवार्य स्तर 40 प्रतिशत का ही है। बैंक सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न गरीबी उन्मूलन योजनाओं तथा अन्य रोजगार सृजन योजनाओं में सतत आधार पर भागीदारी कर रहा हैं। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अनु. जा./अनु. ज. जा. को दिए गए अग्रिम में वृद्धि हुई है, जो 31-3-2010 के ₹ 1407.81 करोड़ से बढ़कर 31-3-2011 को ₹ 1,957.84 करोड़ हो गया है और इसमें 39.07 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। अल्पसंख्यक समुदायों को दिए अग्रिम में वृद्धि हुई है, जो 31-3-2010 के ₹ 4399.14 करोड़ से बढ़कर 31-3-2011 को ₹ 5,569.30 करोड़ हो गया है और इस क्षेत्र में 26.60 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

व्यष्टि वित्त (माइक्रोफाइनॉन्स)

माइक्रो ऋण में वृद्धि हेतु बैंक निरंतर प्रयत्नशील है, फिलहाल, बैंक ने 205979 स्वयं सहायता समूहों को मार्च 2011 तक ₹ 2,165.43 करोड़ के ऋण उपलब्ध कराए हैं। कुल स्वयं सहायता समूहों में से महिला समूहों की संख्या 182359 है और कुल ऋण निवेश ₹ 1,868.10 करोड़ है।

शिक्षा ऋण

समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों को भारत में तकनीकी/प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में अध्ययन पूरा करने के लिए आपके बैंक ने भारतीय बैंक संघ द्वारा निरूपित मॉडल शिक्षा ऋण योजना को कार्यान्वित किया है जिसमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण के मामले में अधिस्थगन अवधि के दौरान सब्सिडी प्रदान करने की व्यवस्था है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति संवर्ग के सभी विद्यार्थी लागू ब्याज दर से 0.50 प्रतिशत रियायत के लिए पात्र हैं । सभी छात्राएं लागू ब्याज दर से 0.50 प्रतिशत रियायत के लिए पात्र हैं । अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति की छात्राएं लागू ब्याज दर से पुन: 0.25 प्रतिशत रियायत प्राप्त करने के लिए पात्र हैं ।

वित्तीय समावेशन पहल

मार्च 2012 से पहले तक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को पूरा करने के लिए बैंक को ऐसे 1493 गाँवों का आबंटन किया गया है, जिनकी जनसंख्या 2000 या उससे अधिक है। 31-3-2011 तक बैंक ने 135 गाँवों में शाखा जाल के द्वारा तथा 615 गाँवों में कारोबार प्रतिनिधि/ग्राहक सेवा प्रदाताओं के माध्यम से इस कार्यक्रम को पूरा किया है। बैंक को वित्तीय समावेशन पहल के लिए जो गाँव आबंटित किए गए हैं उसमें उसने 31-3-2011तक 3,72,740 सादा खाते खोले हैं तथा 24,000 से अधिक स्मार्ट कार्डों का वितरण किया है।

underbanked districts and 670 branches are in minority concentration districts.

During the year 2010-11, 188 General Banking branches were opened. Out of these, 154 branches were located in Tier 3-6 centres including 131 branches opened under the Financial Inclusion programme of the Govt. of India.

Out of the new branches opened as above, 76 Branches are in under-banked Districts and 36 Branches are in Minority Concentration Districts.

All the domestic branches are networked under CBS.

PRIORITY SECTOR ADVANCES

Priority Sector Advances of the Bank rose from ₹ 32,713 crore as at the end of March, 2010 to ₹ 36,611.26 crore as at the end of March, 2011 constituting 46.22 per cent of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against the mandatory level of 40 per cent. The Bank continued to participate in implementing the various poverty alleviation and employment generation schemes sponsored by the Government. The Advances to SC/ST beneficiaries under Priority Sector, rose from ₹1407.81 crore as at the end of March 2010 to ₹ 1,957.84 crore as at the end of March 2011, registering a growth of 39.07 per cent. Advances to Minorities rose from ₹4399.14 crore as at the end of March, 2010 to ₹ 5,569.30 crore as at the end of March 2011, registering a growth of 26.60 per cent.

MICROFINANCE

In its endeavour to increase the flow of micro credit, the Bank has so far credit linked 205979 SHGs with a credit exposure of ₹ 2,165.43 crore as at the end of March, 2011. Of the total SHGs, women groups numbered 182359 and accounted for credit exposure of ₹ 1,868.10 crore.

EDUCATION LOAN

In order to support meritorious students from Economically Weaker Sections of the society, your Bank is implementing the Model Education Loan Scheme formulated by Indian Banks' Association (IBA) and providing Interest Subsidy for the period of moratorium on education loans taken by students from Economically Weaker Sections for pursuing technical/professional courses in India. All students belonging to SC/ST Category are eligible for concession of 0.50 per cent on the applicable interest rate. All girl students are eligible for concession of 0.50 per cent on the applicable interest rate. Girl students under SC/ST category are eligible for a further concession of 0.25 per cent on the applicable interest rate.

FINANCIAL INCLUSION INITIATIVES

The Bank has been allotted 1493 villages having a population of 2000 and above for implementation of Financial Inclusion programme before March 2012. As on 31.03.2011 the Bank has covered 750 villages by opening Brick & Mortar branches in 135 villages and 615 villages by engaging Business Correspondents/Customer Service Providers. The Bank has opened 3,72,740 no-frill accounts in allotted FI villages and distributed over 24,000 smart cards as at 31.03.2011.

क्रेडिट कार्ड कारोबार

वीसा इंटरनेशनल के सहयोग से बैंक गोल्ड एवं क्लासिक कार्ड प्रदान करता है, जिनका उपयोग ए.टी.एम., बिक्री टर्मिनल केंद्रों, इंटरनेट, आइ.वी.आर., और मेल आर्डर के लिए किया जा सकता है। ये कार्ड विश्व भर में वैध हैं तथा पूरे विश्व में कहीं भी उनका उपयोग किया जा सकता है। बैंक ने 11-02-2011 से एकबारगी पासवर्ड (ओ. टी.पी.) की शुरुआत की है। यह एक अतिरिक्त सुरक्षा का रूप है जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनिवार्य किया है, इसमें कार्डधारक को टेलीफोन/मोबाइल के माध्यम से आइ.वी.आर. लेन-देन करने के लिए एकबारगी आठ अंकों का पासवर्ड जेनरेट करने की सुविधा उपलब्ध है। बैंक ने 31-03-2011 तक 70957 क्रेडिट कार्ड तथा 52.64 लाख डेबिट कार्ड निर्गत किए हैं।

ग्राहक सेवा पहल

बैंक की मान्यता है कि लाभप्रद बैंकिंग कारोबार के लिए ग्राहक संतुष्टि ही आधारशिला है। आपके बैंक ने ग्राहकों की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए कई स्थानों पर पूर्ण सुविधायुक्त तुरन्त शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की है। ग्राहक सेवा के महत्व को हर स्तर पर अंगीकार किया जाए इसे सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने शिकायतों की संख्या और औसत रूप से उनके निवारण हेतु लगाए गए समय के आधार पर हर तिमाही क्षेत्रीय कार्यालयों के दर-निर्धारण की पद्धति को अपनाया है। आपके बैंक ने जमा, ग्राहक शिकायतों के निवारण, चेक वसूली और सेवा में हुई कमी के लिए क्षतिपूर्ति के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति को अपनाया है। ये सभी ग्राहकों की सूचना के लिए बैंक की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किए गए हैं।

मानव संसाधन नीति

बैंक ने एक व्यापक और समेकित जनशक्ति योजना तैयार की है ताकि शाखाओं/कार्यालयों के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने परिवीक्षाधीन अधिकारियों, विशेषज्ञ अधिकारियों, परिवीक्षाधीन लिपिकों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों की भर्त्ती की है। बैंक ने वर्ष के दौरान स्टॉफ सदस्यों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का चयन किया है जिसमें कुछ चयनित वर्तमान की योजनाओं में मौद्रिक वृद्धि भी शामिल हैं। बैंक में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण बना रहा और इससे स्वस्थ कामकाजी माहौल को बल मिला। यूनियनों/एसोसिएशनों का व्यवहार अनुकूल और सकारात्मक रहा तथा उन्होंने बैंक की प्रगति तथा समृद्धि के लिए उठाए गए कदमों के अबाधित रूप से समर्थन प्रदान किया।

प्रशिक्षण एवं विकास

मानव पूंजी की संभाव्यताओं को साकार करने के लिए बैंक ने प्रशिक्षण और विकास की एक प्रगतिशील प्रणाली संरचित की है। यह कर्मचारी के व्यक्तित्व के अंदर अंतर्निहित संभाव्यताओं को विकसित करने पर जोर देती है तथा उनके कौशल को निरंतर आधार पर निखारती रहती है ताकि वे तीव्र गति से वृद्धिशील एवं जटिल कारोबारी मॉडल की जरूरतों का सामना करने के लिए स्वयं को उसके अनुरूप ढाल सकें। कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं विकास पर किए गए निवेश से कर्मचारियों को बैंक के बढ़े हुए कारोबार और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार करने में मदद मिली है। बैंक ने देशभर के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रभावशाली ढंग से वीडियों कॉन्फरेन्सिंग तथा ई-लर्निंग जैसे रियायती माध्यमों का उपयोग किया है।

वर्ष 2010-11 के दौरान प्रशिक्षण प्रणाली के माध्यम से बैंक ने अधिकारियों के लिए 255 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिन से 6139 अधिकारी तथा कामगार कर्मचारियों के लिए आयोजित 294 प्रशिक्षण कार्यक्रमों से 7678 कामगार कर्मचारी लाभान्वित हुए।

CREDIT CARD BUSINESS

The Bank in association with VISA International, offers Gold and Classic Credit Cards, which can be used at ATMs, Point of Sale terminals, Internet, IVR and for Mail Orders. The cards are valid globally and can be used throughout the world. The Bank introduced One Time Password (OTP), with effect from 11-02-2011. It is an additional security feature made mandatory by Reserve Bank of India, which enables the cardholder to generate the 8 digit One Time Password for doing IVR transactions through telephone / mobile. The Bank has issued 70957 Credit Cards and 52.64 lakh debit cards up to 31-03-2011.

CUSTOMER SERVICE INITIATIVES

The Bank believes that customer satisfaction is the cornerstone of profitable banking operations. Your Bank has a full-fledged grievance redressal mechanism operating at various levels for prompt redressal of customer complaints. In order to ensure that customer service becomes the driving force at all levels, the Bank has put in place a system of quarterly rating of Regions on the basis of number of complaints and average grievance redressal time. Your Bank also has Board approved policies on Deposits, Cheque Collection, Compensation payable for deficiencies in service etc. These are also displayed on the Bank's website for the information of the customers.

HR POLICIES

The Bank has drawn up a comprehensive and integrated Manpower plan to provide optimum staff at the Branches/ Offices. During the year 2010-11, the Bank has recruited Probationary Officers, Specialist Officers, Probationary Clerks and Sub-staff. The Bank has introduced several new staff welfare measures during the year besides enhancing the monetary ceiling under select existing schemes. The Industrial Relations in the Bank have been cordial and harmonious, fostering a healthy work environment. The Unions / Associations have been responsive and proactive and they have extended unstinted support for the measures aimed at the progress and prosperity of the Bank.

TRAINING AND DEVELOPMENT

Realizing the potentialities of human capital, the Bank has designed a progressive system of training and development. It emphasizes on developing individual potential of employees and harnessing their skills on continuous basis to meet the requirement of rapidly growing and complex business models. Investment in employees' training and development has enabled the Bank to improve the preparedness of the staff members to handle increased or new challenges. The Bank is, also, effectively using video conferencing and e-learning system as cost effective methods for imparting training to its employees across the country.

During the year, 2010-11, 255 programmes covering 6139 Officers and 294 programmes covering 7678 workmen employees were conducted by the Training System.

जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन बैंकों और वित्तीय संस्थानों के परिचालन का अभिन्न अंग है। जोखिम विश्लेषण से विभिन्न जोखिम घटकों जैसे, ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम और परिचालन जोखिम में निहित वित्तीय निर्णयों में संगठन की दृष्टि से सुरक्षा और सुस्थिति की पहचान तथा गणना करना सुसाध्य हो जाता है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, आपके बैंक ने अच्छी तरह से संरचित समुचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली बनाई है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति एक शीर्षस्थ समिति है जो संस्था की जोखिम प्रवृत्ति को परिभाषित करती है और बैंक के जोखिम प्रबंधन ढाँचे के निर्माण का कार्य सुनिश्चित करती है। यह बैंक की जोखिम प्रवृत्ति तथा आत्मसात्करण क्षमता को ध्यान में रखते हुए विवेकपूर्ण जोखिम नीतियों का निर्माण करती है। गत्यात्मक वित्तीय वातावरण और विनियामक के परिवर्तनशील नीतिगत ढाँचे को ध्यान में रखते हुए बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणाली को नियमित आधार पर स्तरोन्नत और कौशल युक्त करता जा रहा है।

आस्ति देयता प्रबंधन

आस्ति देयता प्रबंधन एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा सामना की जानेवाली ब्याज दर जोखिम और चलनिधि जोखिम का प्रबंधन किया जाता है। अल्प लागत वाली निधियों की कम होती जा रही उपलब्धता के कारण देयता प्रबंधन की ओर प्रबंधन सबसे अधिक ध्यान केन्द्रित कर रहा है। आपके बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति में शीर्ष प्रबंधन के कार्यपालक सदस्य हैं जो चलनिधि जोखिम, ब्याज दर जोखिम, अंतर/बेमेल जोखिम, आधार जोखिम, जोखिमों का पुनर्मूल्यनिर्धारण, विदेशी विनिमय जोखिम, ईक्विटी मूल्य जोखिम के प्रबंधन के लिए नियमित रूप से बैठकें करते हैं। बैंक के पास किसी भी प्रकार की आकस्मिकताओं से निपटने के लिए पूर्ण प्रलेखित आकस्मिकता नकदी निधीयन योजना है। बैंक अपनी आस्ति–देयता प्रबंधन प्रणाली को बाजार में हो रहे विकास तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए निदेशों के आलोक में स्तरोन्नत करने की प्रक्रिया में संलग्न है।

अत्यंत महत्वपूर्ण पहल

बैंक ने वित्तीय समावेशन से संबंधित अपने ग्राहकों के लिए टाटा ए आइ जी लाइफ इंश्योरेन्स कंपनी के साथ गठजोड़ व्यवस्था करके माइक्रो बीमा उत्पाद का शुभारंभ किया है। इस उत्पाद के तहत नाममात्र का प्रीमियम लेकर ग्राहक की स्वाभाविक या दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु, दोनों ही मामलों में बीमा सुरक्षा प्रदान की गई है।

मेसर्स सी सी एवेन्यू और बिलडेस्क के साथ पेमेंट गेटवे सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है। पेमेंट गेटवे के माध्यम से हमारे ग्राहकों को यह सुविधा मिली है कि वे इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा विभिन्न उत्पादों एवं सेवाओं का भुगतान ऑन लाइन कर सकते हैं।

बैंक ने मेसर्स पेमेट इंडिया प्राईवेट लिमिडेड के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग समाधान को कार्यान्वित किया है, इससे मोबाइल भुगतान और एम–कॉमर्स सुविधा प्राप्त होगी।

बैंक ने विजया बैंक के साथ मिलकर संयुक्त रूप से वित्तीय शिक्षण और ऋण परामर्श केन्द्र की स्थापना की है। मंगलूर, उडुपि तथा कुमटा (कारवार जिला) में स्थापित इन केन्द्रों ने कार्य करना भी आरंभ कर दिया है। अपने ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बैंक द्वारा प्रारंभ की गई कई पहलों में से ये कुछ महत्वपूर्ण पहल हैं, जिन्हें हाल के महीनों में बैंक ने उठाया है।

RISK MANAGEMENT

Risk Management is an integral part of operation of banks and FIs. Risk analysis helps in identifying and measuring various risk components viz. credit risk, market risk and operational risk inherent in financial decision making for safety and soundness of the organisation. Keeping in view the above, your Bank has put in place well structured and appropriate risk management system. Risk Management Committee (RMC) of the Board is the Apex Committee defining institution's risk appetite and ensures that the bank's risk management framework includes detailed policies that set specific prudential limits on the Bank's activities consistent with its risk appetite and absorption capacity. The Bank has been continuously upgrading and fine tuning its risk management systems in accordance with the dynamic financial environment and changing policy framework of the regulator.

ASSET LIABILITY MANAGEMENT

Asset-liability management is a strategic management tool to manage interest rate risk and liquidity risk faced by banks and FIs. With the declining availability of low cost funds, liability management has become the focus of bank management efforts. Your Bank's Asset Liability Management comprises of members of the top management who regularly meet to manage Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Gap/Mis-match Risk, Basis Risk, Repricing Risk, Forex Risk and Equity Price Risk. The Bank has a well-documented Contingency Liquidity Funding Plan for managing any contingency. The Bank is also in the process of upgrading the ALM system in line with the market developments and RBI directives.

KEY STRATEGIC INITIATIVES

The Bank has launched a micro-insurance product for its 'Financial Inclusion' customers under a tie-up arrangement with Tata AIG Life Insurance Company. Under this product, the customer is insured against both natural death and accidental death for a nominal premium.

Payment Gateway with M/s CCAvenue and with BillDesk has been successfully implemented. The payment gateway enables our customers to make payment for various products and services on-line via Internet banking.

The Bank has implemented Mobile Banking Solution through M/s Paymate India Pvt Ltd. for providing Mobile Payments and m-Commerce facilities.

The Bank has formed a TRUST jointly with Vijaya Bank for establishing Financial Literacy and Credit Counselling Centres. Already, three such centres have started functioning in Mangalore, Udupi and Kumta (Karwar District). These are just a few of the initiatives taken by the Bank in recent months to fulfill the expectations of our customers.

पुरस्कार और सम्मान

वर्ष के दौरान माइक्रो उद्यम के क्षेत्र में उधार देने के मामले में उत्कृष्ट निष्पादन हेतु बैंक को भारत की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक (प्रायोजक सिंडिकेट बैंक) को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को वित्तीयन के मामले में राज्य में उत्कृष्ट बैंक के रूप में चयनित किया गया।

नैगम सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर)

अपनी नैगम सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में बैंक ने ऐसे कार्यकलापों को अपनाया है, जिनका उद्देश्य आर्थिक कायापलट और पददलितों का उन्नयन है। बैंक ने विभिन्न सामाजिक कार्यों के लिए उदारतापूर्वक निधियाँ प्रदान की हैं। उदाहरण के लिए, सेवारत पुलिस कर्मियों और उनके परिवार का कल्याण, गरीब लोगों और उनके बच्चों को चिकित्सा सुविधाएं, नाममात्र का शुल्क लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को स्तरीय शिक्षा प्रदान करना, शारीरिक दृष्टि से अपंग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण/कैलिपर्स/व्हीलचेयर्स प्रदान करना, जनजातीय लोगों के लिए लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराना तथा आम लोगों के लिए स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना आदि शामिल हैं।

अगली मंज़िल

आगे का रास्ता गंभीर चुनौतियों से भरपूर है। ये गंभीर चुनौतियाँ वर्तमान के सहयोगियों और भविष्य में इस क्षेत्र में प्रवेश करनेवाली संस्थाओं, दोनों से ही है। आपका बैंक इन चुनौतियों का जोरदार ढंग से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और वह आनेवाले समय में दम-खम के साथ आगे बढ़ता जाएगा। बैंक ने वर्ष 2011-12 के लिए उद्योग की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए अपने कारोबारी लक्ष्य का निर्धारण किया है। कासा से बैंक का आधार मजबूत होता है, इसे ध्यान में रखते हुए बैंक ने इस क्षेत्र में 15 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा है। बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के मामले में सतत अग्रगामी की भूमिका निभाता रहेगा। देश में समावेशी विकास के लिए बैंक प्रतिबद्ध है। इसे ध्यान में रखते हुए बैंक ने 2011-12 के दौरान वित्तीय समावेशन के अंतर्गत बहुत संख्या में वित्तीय समावेशन खातों को खोलने का निर्णय लिया है। हमारे बैंक का सुविस्तुत शाखा जाल, ग्रामीण क्षेत्रों में उपस्थिति, उन्नत प्रौद्योगिकी समाधान और दमदार सेवाएं ऐसी ताकत हैं जो आनेवाले समय में हमारे ग्राहकों के लिए विश्वसनीय एवं मैत्रीपूर्ण वित्तीय भागीदार बनने की दिशा में पूर्णरूपेण सहयोगी बनेंगी।

आभार

मैं इस अवसर पर निदेशक मंडल के सदस्यों, भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक को उनके बहुमूल्य सहयोग एवं मार्गदर्शन के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। शेयरधारकों ने हममें जो आस्था एवं विश्वास व्यक्त किया है उसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ । मैं अपने सभी ग्राहकों को उनके निरंतर सहयोग तथा समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं इस संस्था को निष्पादन के मामले में बुलंदियों तक पहुंचाने वाले अपने स्टॉफ सदस्यों की प्रशंसा करता हूँ तथा उनकी प्रतिबद्धता, समर्पण एवं मूल्यवान योगदान को अभिलेखित करता हूँ ।

आपका

(बसंत सेठ)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मणिपाल
दिनांक : 27-05-2011

AWARDS & ACCOLADES

During the year, the Bank received the National Award for outstanding performance in lending to Micro Enterprises from her Excellency Smt. Pratibha Devisingh Patil, President of India.

Andhra Pragathi Grameena Bank (sponsored by SyndicateBank) was selected by the A.P. Govt. as the Best Bank in the State in the field of agriculture financing.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

As a part of its corporate social responsibility, the Bank has been undertaking activities aimed at economic transformation and uplift of the downtrodden. The Bank has donated funds liberally for varied social causes like the welfare of the serving policemen and their families, providing free medical facilities to the poor people and their children, providing education to the poor students in rural areas for a nominal fee, helping differently abled persons by providing artificial limbs/calipers/wheelchairs etc., providing gainful employment to the Tribals and setting up an integrated Health Care Centre for the common man.

THE ROAD AHEAD

The road ahead is full of challenges in the face of stiff competition among the existing players and possible entry of new players. Your Bank is fully equipped to meet these challenges and will confidently continue its onward march in the days ahead. Considering the importance of CASA in improving the bottom line, a growth of 15 per cent is planned during the next year. The Bank also intends to continue its proactive role in the area of Priority sector lending. The Bank is committed to promote inclusive growth in the country. To this end, it plans to open a number of Financial Inclusion branches in 2011-12. The strength of the Bank's large branch network, rural presence, state-of-the-art technology solutions and robust services will be fully leveraged in the days ahead to excel in our role of faithful and friendly financial partner to our customers.

ACKNOWLEDGEMENT

I take this opportunity to thank the members of the Board, the Government of India and the Reserve Bank of India for their valuable support and guidance. I thank all our shareholders for the confidence and faith they have reposed in us. I thank all our customers for their continued co-operation and support. I also place on record my appreciation of the dedicated and committed work put in by our staff members for taking this organization to greater heights of achievement and glory.

Finally, I thank all of you for attending this meeting.

With regards,

Yours sincerely

(Basant Seth)
Chairman & Managing Director

Place : Manipal
Date : 27-05-2011

वार्षिक आम बैठक/ANNUAL GENERAL MEETING

25 जून 2011–मणिपाल/25th June 2011–MANIPAL

घटनाओं का महत्वपूर्ण कैलेंडर/IMPORTANT CALENDAR OF EVENTS

वार्षिक रिपोर्ट भेजने की तारीख Mailing of Annual Reports	27-05-2011 से/to 28-05-2011
बहियों का समापन (दोनों दिवस शामिल हैं) Book Closure (Both days inclusive)	17-06-2011 से/to 25-06-2011
प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा नियुक्त प्रॉक्सी फार्म एवं संकल्प प्राप्त होने की अंतिम तिथि Last date for receipt of proxy forms and resolutions appointing authorized representatives	20-06-2011 (सोमवार/Monday)
वार्षिक आम बैठक की तारीख Date and time of Annual General Meeting	25-06-2011 (शनिवार) प्रात:11.30 बजे / (Saturday) 11.30 a.m.

पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट

मेसर्स. कार्वी कम्प्यूटर शेयर (प्रा.) लिमिटेड
यूनिट : सिंडिकेटबैंक
प्लाट सं. 17 से 24, विट्ठलराव नगर
माधापुर, हैदराबाद 500081
दूरभाष: 040 44655000 - विस्तार:116
या 040 44655116 (सीधा)
फैक्स सं.: 040 23420814

Registrars & Share Transfer Agents:

M/s Karvy Computershare (P) Ltd.
Unit: SyndicateBank
Plot No. 17 to 24, Vithal Rao Nagar
Madhapur, Hyderabad 500081
Phone No. 040 44655000 – Extn.:116
or 040 44655116 (D)
Fax No. 040 23420814

सिंडिकेटबैंक
SyndicateBank
विश्वसनीय. मैत्रीपूर्ण Faithful. Friendly
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

सूचना

सूचना दी जाती है कि सिंडिकेट बैंक के शेयरधारकों की बारहवीं वार्षिक आम बैठक शनिवार 25 जून 2011 को प्रात: 11.30 बजे से सिंडिकेट बैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल – 576 104, में निम्नलिखित कारोबार का संव्यवहार करने के लिए होगी:

1. 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार बैंक के तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के संबंध में लाभ व हानि लेखा, लेखे से संबंधित अवधि के दौरान बैंक के कार्यचालन और उसकी गतिविधियों पर निदेशकों के प्रतिवेदन और तुलन-पत्र तथा लेखों पर लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन पर चर्चा करने, उसका अनुमोदन करने और अंगीकार करने के लिए ।

2. वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए लाभांश की घोषणा करने के लिए।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

स्थान : मणिपाल
दिनांक : 27-05-2011

(बसंत सेठ)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सिंडिकेटबैंक
SyndicateBank
विश्वसनीय. मैत्रीपूर्ण
Faithful. Friendly
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Twelfth Annual General Meeting of the shareholders of SyndicateBank will be held at SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal - 576 104 (Karnataka State) on Saturday, the 25th June, 2011 at 11.30 a.m. to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt, the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2011 and the Profit & Loss Account of the Bank for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

2. To declare dividend for the Financial Year 2010-2011.

By Order of the Board of Directors

Place : MANIPAL
Date : 27-05-2011

(Basant Seth)
Chairman and Managing Director

नोट

(i) **प्रॉक्सी की नियुक्ति**

बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने हेतु पात्र शेयरधारक सदस्य को अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने तथा स्वयं को छोड़कर मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है । प्रॉक्सी बैंक का शेयरधारक हो यह आवश्यक नहीं है। प्रॉक्सी की सूचना प्रभावी होने हेतु प्रॉक्सी फार्म वार्षिक आम बैठक प्रारंभ होने से कम से कम **चार दिन** पहले अर्थात् सोमवार 20 जून 2011 को कार्य समय समाप्त होने के समय या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय, मणिपाल में अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए ।

(ii) **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**

कोई भी ऐसा व्यक्ति किसी कंपनी अथवा किसी निकाय कारपोरेट, जो कि शेयरधारक है, के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में उपस्थित होने अथवा मतदान करने का तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने विषयक संकल्प, जिस बैठक में वह पारित किया गया था उसके अध्यक्ष द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित न हो, की प्रति सिंडिकेटबैंक, प्रधान कार्यालय, मणिपाल में, वार्षिक आम बैठक की तारीख से **चार दिन** पहले अर्थात् सोमवार, 20 जून 2011 को कार्य समय समाप्त होने के समय या उससे पहले जमा नहीं करता/करती है।

(iii) **उपस्थिति पर्ची–सह–प्रवेश पत्र**

शेयरधारक सदस्यों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची–सह–प्रवेश पत्र इस नोटिस के साथ संलग्न है । शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और उसे बैठक स्थल पर सौंप दें । शेयरधारक के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थिति पर्ची –सह–प्रवेश पत्र पर 'प्रॉक्सी' अथवा ''प्राधिकृत प्रतिनिधि'' जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख करना चाहिए ।

(iv) **वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां**

शेयरधारक सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ वार्षिक आम बैठक के स्थान पर वितरित नहीं की जाएंगी इसलिए शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ अपने साथ लाएँ । वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ पंजीकृत पते पर ड़ाक द्वारा भेज दी गई है । वार्षिक रिपोर्ट बैंक के वेबसाइट www.syndicatebank.in पर भी उपलब्ध है।

(v) **लेखा विषयक सूचना**

शेयरधारक यदि खाते के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो उनसे अनुरोध है कि बैंक को लिखें और उनके द्वारा माँगी गई जानकारी बैंक को कम से कम वार्षिक आम बैठक से एक सप्ताह पहले मिल जानी चाहिए ताकि प्रबंधक वर्ग सूचना तैयार करके रख सके। वार्षिक आम बैठक के समय उसके जवाब दिए जायेंगे ।

NOTES

(i) APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The Proxy form, in order to be effective, must be received by the Bank at its Head Office at Manipal not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting i.e., on or before the closing hours of Monday, the 20th June 2011.

(ii) APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank at Manipal not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting, i.e., on or before the closing hours of Monday, the 20th June 2011.

(iii) ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy-holders/Authorised Representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy-holders/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-Cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.

(iv) COPIES OF ANNUAL REPORT

Shareholder Members are advised that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting and hence, the Members are requested to bring their copies of the Annual Report, which are mailed by the Bank to them at the registered addresses. Additionally, the Annual Report has been hosted on Bank's website www.syndicatebank.in

(v) INFORMATION ON THE ACCOUNTS

Shareholders seeking any information on the Accounts are requested to write to the Bank, which should reach the Bank atleast one week before the date of the Annual General Meeting to enable the Management to keep the information ready. Replies will be provided only at the Annual General Meeting.

(vi) **बही बंदी**

वार्षिक आम बैठक के सिलसिले में और अंतिम लाभांश 2010-11 की पात्रता निर्धारित करने के लिए शेयरधारकों की पंजी और बैंक की शेयर अंतरण पंजी शुक्रवार, 17 जून 2011 से शनिवार, 25 जून 2011 तक (दोनों दिन शामिल हैं) बंद रहेंगी।

(vii) **लाभांश का भुगतान**

निदेशक मंडल द्वारा यथा प्रस्तावित अंतिम लाभांश का भुगतान उन शेयरधारकों को जिनके पास फिजिकल फार्म में शेयर हैं और जिनके नाम बैंक के शेयरधारक/ सदस्यों के रजिस्टर में शनिवार, 25 जून 2011 तक दर्ज हैं और बेकागजीकृत रूप के शेयरों के मामले में गुरुवार, 16 जून 2011 को कारोबार की समाप्ति के समय की स्थिति के अनुसार डिपाजिटरी द्वारा उपलब्ध की गई हिताधिकारी स्वामियों की सूची के अनुसार लाभांश वारंट वार्षिक आम बैठक की तारीख से 30 दिन के अंदर डाक से भेजे जाएंगे/जमा कर दिए जाएंगे।

(viii) **लाभांश हेतु बैंक अधिदेश या इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ई सी एस)**

क) शेयरधारकों से अपेक्षित है कि वे जहाँ पर अपने लाभांश वारंटों को जमा कराना चाहते हों, उस बैंक का नाम, शाखा का नाम, स्थान एवं खाता संख्या का उल्लेख करें। ये सूचनाएं लाभांश वारंट के चेक हिस्से में शेयरधारक के नाम के साथ मुद्रित की जाएंगी ताकि लाभांश वारंट का कपटपूर्ण नकदीकरण कराने से बचा जा सके। इन विवरणों को प्रथम/एकमात्र धारक द्वारा फोलियो संख्या, धारित शेयरों की संख्या, धारिता संबंधी ब्यौरे आदि बताते हुए सीधे हैदराबाद स्थित रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ख) बैंक, विनिर्दिष्ट शहरों में रहनेवाले शेयरधारकों को ई.सी.एस. की सुविधा प्रदान कर रहा है। लाभांशों को जमा करवाने के लिए, शेयरधारक बैंक अधिदेश प्रणाली के बदले में इस सुविधा का भी उपयोग कर सकते हैं। विकल्प फार्म इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

ग) संप्रति ई.सी.एस. सुविधा, भा.रि.बैं. द्वारा अनुमोदित 81 केन्द्रों में प्रचलन में है। ई.सी.एस. केन्द्रों की सूची इस रिपोर्ट के साथ संलग्न की गयी है।

घ) बैंक के सभी शाखाओं को सी.बी.एस. (कोर बैंकिंग सोल्यूशन) के अंतर्गत लाया गया है । हमारे बैंक में खाता रखनेवाले निवेशकों से अनुरोध है कि वे अपनी 14 अंकोवाली बचत बैंक/चालू खाता/ओवरड्राफ्ट खाता संख्या प्रस्तुत करें ताकि लाभांश की रकम को सीधे खाते में जमा किया जा सके।

(ix) **अंतरण**

अंतरण विलेख के साथ शेयर प्रमाणपत्र अंतरण हेतु रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को भेजे जाने चाहिए। मई 2009 से सेबी ने शेयरों के अंतरण के प्रस्तुतीकरण के समय अंतरिती द्वारा ''पैन कार्ड'' के ब्यौरे (पैन कार्ड की अनुप्रमाणित प्रति) प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है।

(vi) BOOK CLOSURE

The Register of Shareholders and the Share Transfer Register of the Bank will remain closed from Friday, the 17th June 2011 to Saturday, the 25th June 2011 (both days inclusive), for the purpose of Annual General Meeting and for ascertaining the entitlement of dividend 2010-2011.

(vii) PAYMENT OF DIVIDEND

Payment of dividend to shareholders, as proposed by the Board of Directors, shall be paid to those shareholders holding shares in physical form, whose names appear on the Register of Members/ Shareholders of the Bank as on Saturday, the 25th June 2011 and in respect of shares held in dematerialised form, the dividend will be paid on the basis of beneficial ownership as per details to be furnished by the depositories as at the end of business hours on Thursday, the 16th June 2011. The dividend warrants shall be mailed / credited within 30 days from the date of Annual General Meeting.

(viii) BANK MANDATE FOR DIVIDEND OR ELECTRONIC CLEARING SERVICE (ECS)

a) The shareholders are required to furnish their Bank Account number, the name of the Bank and the Branch, where they would like to deposit the Dividend Warrants for encashment. These particulars will be printed on the cheque portion of Dividend Warrants, besides the name of the shareholders so as to avoid fraudulent encashment of warrants. These details should be furnished by the first/sole shareholder directly to the Registrar & Share Transfer Agent at Hyderabad, quoting the folio number, number of shares held, details of the holdings etc.

b) The Bank is also offering the facility of ECS for shareholders residing in specified cities. This facility could be used by the shareholder instead of Bank Mandate system for receiving the credit of dividend. Option Form is annexed to this Report.

c) The ECS facility is presently in operation at 81 Centres approved by RBI. List of ECS centres is annexed to this report.

d) All the branches of our Bank are in the Core Banking Solution (CBS) network. The investors, who maintain their accounts with our Bank, are requested to provide us their 14 digit Savings Bank/Current/Overdraft Account Number for direct credit of dividend to their accounts.

(ix) TRANSFERS

Share Certificates along with share transfer deeds should be forwarded to the Registrar and Share Transfer Agent for effecting transfer. Since May 2009, the SEBI has made submission of PAN Card details (attested copies of PAN Card) mandatory by the Transferee(s) at the time of submission for transfer of shares.

(x) **पते में परिवर्तन**

क) **कागज़ी फॉर्म में शेयर रखना**

कागज़ी फॉर्म में शेयर रखनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि अपना पंजीकृत पता, लाभांश अध्यादेश और बैंक, शाखा और बैंक खाता संख्या इत्यादि में परिवर्तन, यदि कोई हो, तो बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर सूचित करें:

मेसर्स कार्वी कंप्यूटर शेयर (प्राइवेट) लिमिटेड
यूनिट: सिंडिकेटबैंक
प्लाट सं. 17 से 24
विट्ठलराव नगर, माधापुर
हैदराबाद – 500 081
दूरभाष सं.: 040 44655000 एक्स्टेंशन 116
या 040 44655116 (डी)
फैक्स सं. 040 23420814

यदि पते में परिवर्तन के लिए अनुरोध किया जाता है तो अनुरोध-पत्र के साथ पते का सबूत किया जाना चाहिए जैसे दूरभाष बिल की अनुप्रमाणित प्रति, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि ।

ख) **इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर रखना**

इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म अर्थात् डी-मैट खाते में शेयर रखनेवाले हिताधिकारी स्वामी के मामले में बैंक केवल उनके डिपॉसिटरी सहभागी (डी.पी.) के पास उपलब्ध ब्यौरे जैसे कि पता, लाभांश अधिदेश और बैंक, शाखा, बैंक खाता संख्या इत्यादि को ही गणना में लेगा ।

इसलिए हिताधिकारी स्वामियों से यह सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डिपॉजिटरी सहभागी के पास अपना पता, बैंक संबंधी विवरण इत्यादि को विधिवत् अपलोड करवाएं ताकि वे तत्संबंधी संसूचना, वार्षिक रिपोर्ट, लाभांश इत्यादि को ठीक समय पर प्राप्त कर सकें ।

(xi) **बैंक के शेयरों का बेकागज़ी रूप में (डिमैट) अनिवार्य शेयर व्यापार**

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा दिए गए दिशा निदेशों के अनुसरण में सभी निवेशकों के लिए हमारे बैंक के शेयरों का बेकागज़ी रूप में व्यापार 26 जून 2000 से अनिवार्य कर दिया गया है।

बैंक ने नेशनल सेक्यूरिटीज़ डिपोज़िटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) और सेंट्रल डिपोज़िटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सी.डी.एस.एल.) से बैंक के शेयरों के बेकागज़ीकरण के लिए निर्गमकर्ता कंपनी के रूप में करार किया है।

बेकागज़ीकरण संबंधी अनुरोध संबंधित डिपोज़िटरी सहभागी के माध्यम से हमारे रजिस्ट्रार और शेयर ट्रॉन्सफर एजेन्ट को भेजे जाएं।

(x) CHANGE OF ADDRESS

a) Holding of shares in Physical Forms

Shareholders' holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered address, dividend mandate and the particulars of the Bank, Branch and Bank account number, etc., to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the following address:

M/s Karvy Computershare (P) Ltd.
Unit: SyndicateBank
Plot No. 17 to 24,
Vithal Rao Nagar, Madhapur
HYDERABAD – 500 081
Phone No. 040 44655000 – Extn; 116
or 040 44655116 (D)
Fax No. 040 23420814

Request for change of address should be submitted alongwith self attested copies of PAN Card and address proof, such as attested copies of Telephone Bill, Passport, Voter ID Card, Ration Card, Driving License etc.

b) Holding of shares in Electronic Form

In case of Beneficial owners holding shares in Electronic Form i.e. through a Demat account, the Bank will take into consideration only the details like address, dividend mandate and the particulars of the Bank, Branch and Bank account number etc., available with their Depository Participant (DP).

BENEFICIAL OWNERS ARE, THEREFORE, REQUESTED TO ENSURE THAT THE ADDRESS, BANK DETAILS, ETC., ARE DULY UPLOADED WITH THEIR DEPOSITORY PARTICIPANTS SO THAT THEY MAY RECEIVE THE COMMUNICATION, ANNUAL REPORTS, DIVIDEND ETC., IN TIME.

(xi) COMPULSORY TRADING OF SHARES OF THE BANK IN DEMATERIALISED (DEMAT) FORM

Pursuant to the directive given by SEBI, trading of our Bank Shares in Dematerialized form has been made compulsory for all investors with effect from June 26, 2000.

The Bank has entered into an agreement with National Securities Depository Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) as an issuer company for dematerialization of Bank's shares.

Request for dematerialization may be sent through respective Depository Participants to our Registrars and Share Transfer Agents.

(xii) **बैंक द्वारा प्रदान की जानेवाली डी.पी. सेवाएं**

हमारे बैंक निम्नलिखित डी.पी. सेवाएँ प्रदान करता है:

1. बेकागजीकरण
2. पुन: कागजीकरण
3. प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रानिक फॉर्म में रखना
4. सुपुर्दगी द्वारा व्यापार का निपटान–ऑन मार्केट, ऑफ मार्केट और इंटर डेपोजिटरी ।
5. प्रतिभूतियों की गिरवी/गिरवी मुक्त करना
6. डीमैट खातों को जब्त करना/मुक्त करना

डी.पी. सेवाएं युक्त शाखाओं के ब्यौरे हमारे बैंक के वेबसाइट www.syndicatebank.in पर उपलब्ध हैं ।

(xiii) **फोलियो का समेकन**

एक ही नाम पर तथा उसी क्रम में विभिन्न फोलियों में शेयरधारण करनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ऐसे शेयरधारण के ब्यौरे शेयर अंतरण एजेंटों को प्रस्तुत करें ताकि वे उन शेयर पूंजियों को एक ही पूंजी के अंतर्गत समेकित कर सकें। इससे बैंक, शेयरधारकों को और अधिक कारगर ढंग से सेवा दे पायेगा।

(xiv) **निवेशक संबंध केन्द्र**

शेयरधारकों को शीघ्र और दक्षतापूर्ण सेवा उपलब्ध कराने के लिए सिंडिकेटबैंक ने अपने नैगम कार्यालय, बेंगलूर में निवेशक संपर्क विभाग खोला है। शेयरधारक और निवेशक किसी भी सहायता के लिए इस केन्द्र से निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकते हैं:

कंपनी सचिव
निवेशक संबंध केन्द्र
सिंडिकेटबैंक, नैगम कार्यालय
II क्रॉस, गांधीनगर, बेंगलूर– 560 009 (कर्नाटक)
दूरभाष: 080 - 22283030 फैक्स: 080 - 22283030
ईमेल: inrc@syndicatebank.co.in (सामान्य)
निवेशक की शिकायत : syndinvest@syndicatebank.co.in

(xii) DP SERVICES OFFERED BY THE BANK

Our Bank provides following DP Services-

1. Dematerialization.
2. Rematerialisation.
3. Holding of securities in electronic form.
4. Settlement of trades by delivery - On market, off market and Inter-depository.
5. Pledge/Unpledge of securities.
6. Freezing/unfreezing of Demat Accounts.

Details of branches enabled for DP Services are available in our Bank's Website www.syndicatebank.in

(xiii) CONSOLIDATION OF FOLIOS

Shareholders holding shares in various folios with identical names and in same order are requested to furnish details of such holding to the Share Transfer Agents, to enable them to consolidate those holdings into a single holding. This will facilitate the Bank to service the shareholders more effectively.

(xiv) INVESTOR RELATIONS CENTRE

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, Syndicate Bank has set up an Investor Relations Centre at its Corporate Office, Bengaluru. Shareholders may contact this Centre at the under mentioned address for any assistance-

The Company Secretary
Investor Relations Centre
SyndicateBank - Corporate Office
2nd Cross Gandhinagar
Bengaluru - 560 009 (Karnataka)
Tel 080 - 22283030, Fax - 080 - 22283030
E-mail: inrc@syndicatebank.co.in (General)
Investor Grievances: syndinvest@syndicatebank.co.in

स्थान : मणिपाल
दिनांक : 27-05-2011

(बसंत सेठ)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Place : Manipal
Date : 27-05-2011

(Basant Seth)
Chairman and Managing Director

निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशक मंडल 31 मार्च 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, 31 मार्च 2011 की स्थिति का लेखा – परीक्षित तुलन पत्र और 31 मार्च 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष का लाभ व हानि लेखा विवरण सहर्ष प्रस्तुत करता है।

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

व्यापक आर्थिक परिदृश्य

वैश्विक अर्थव्यवस्था

वैश्विक वित्तीय बाजार में आई अशांति के कारण वर्ष 2010 के दौरान विश्व अर्थ व्यवस्था में अनिश्चतताओं का दौर रहा है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में व्याप्त बेरोजगारी और कमजोर मांग के कारण इनमें वृद्धि की रफ्तार बहुत धीमी रही है। मंदी को कम करने के लिए बेलआउट पैकेज और प्रोत्साहन मूलक योजनाओं का भी कोई अधिक असर नहीं पड़ा और ये अर्थव्यवस्थाएं वित्तीय संकट को झेलती रहीं । उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की इससे उबरने की आशा अभी इसलिए भी नहीं बंधी है क्योंकि उच्च आयवाले यूरोप के आधिपत्य वाले ऋणों को संभालना बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कई विकासशील देशों, जिनमें भारत शामिल है, इनके यहाँ खाद्य पदार्थों में दो अंकों के स्तर तक मुद्रास्फीति में उछाल आया है और उसने नीति निर्माताओं पर दबाव डाला है कि वे एक उल्लासमय व्यापक आर्थिक नीति का ढाँचा तैयार करें। पुन:, यूरो जोन में आई प्रणालीगत संकट के कारण मुद्रा अटकलबाजियों तथा विकसित देशों में उच्च एवं अस्थिर पूंजी प्रवाह के कारण अर्थव्यवस्था के सामान्य बनने में रुकावट आई है।

वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक – अप्रैल 2011 के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने प्राक्कलन किया है कि विश्व अर्थव्यवस्थाओं में वर्ष 2009 के 0.5 प्रतिशत संकुचन की तुलना में वर्ष 2010 के दौरान 5.0 प्रतिशत की वृद्धि होगी। वर्ष 2011 के दौरान विश्व अर्थव्यवस्था के उत्पादन में 4.4 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है। उभरती और विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने जबर्दस्त वृद्धि दर्ज की है, वर्ष 2009 के 2.7 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2010 के दौरान यह वृद्धि 7.3 प्रतिशत दर्ज की गई । वर्ष 2010 के दौरान वैश्विक आर्थिक वृद्धि के मामले में भारत और चीन की भूमिका महत्वपूर्ण रही है । यू.एस. तथा यूरोपियन यूनियन विकास के मामले में वर्ष 2010 के दौरान कुल 2.8 प्रतिशत और 1.8 प्रतिशत पीछे चल रहे हैं। वर्ष 2010 के दौरान उभरने वाली और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 6.5 प्रतिशत वृद्धि होने की उम्मीद है। इसके विपरीत वर्ष 2011 में विकसित अर्थव्यवस्थाओं में 2.4 प्रतिशत की धीमीगति से वृद्धि होने का अनुमान है।

विश्वभर में कीमतों में वृद्धि हो रही है तथा मुद्रास्फीति बढ़ती जा रही है। यह आशा बढ़ी है कि मुद्रास्फीति के बढ़ते हुए दबावों के कारण मौद्रिक नीति कड़ी होगी और विश्वभर की बैंकिंग प्रणाली में निधीयन जोखिम बढ़ेगा।

घरेलू अर्थव्यवस्था

भारतीय अर्थव्यवस्था ने उच्चतम वृद्धि दर को बरकरार रखा है, कृषि क्षेत्र में जबर्दस्त विस्तार और बढ़ती हुई घरेलू मांग के कारण राजकोषीय वर्ष 2010-11 की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद ने वृद्धि की रफ्तार पकड़ ली है। केन्द्रीय सांख्यिकीय संस्थान के अग्रिम प्राक्कलन के अनुसार उपादान लागत (2004-05) स्थिर मूल्य के बारे में अनुमान है कि राजकोषीय वर्ष – 2010-11 में 8.4 प्रतिशत बढ़ेगा जबकि तुलनात्मक दृष्टि से वर्ष 2009-10 (शीघ्र प्राक्कलन) के दौरान यह

DIRECTORS' REPORT

The Board of Directors is pleased to present the Bank's Annual Report along with the Audited Balance Sheet as on 31st March, 2011 and the Profit & Loss Account statement for the financial year ended 31st March, 2011.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

MACRO ECONOMIC OVERVIEW

Global economy

The year 2010 saw the world economy being subjected to significant uncertainties as a result of the global financial market turmoil. The growth in advanced economies remained sluggish as they were mired in persistent unemployment and weak demand. The bailout packages and stimulus plans which were aimed at dampening the recession could not help much in the recovery of these economies from the setback of financial crisis. The recovery in advanced economies remains particularly sensitive to the situation in high-income Europe where the sustainability of sovereign debt still remains a concern. Many developing countries, including India, have seen food inflation jump to double-digit levels putting pressure on policymakers to go for more resilient macroeconomic policy framework. Further, a systemic crisis led by currency speculation in the Euro zone and high and volatile capital flows in developing countries have affected restoration of normalcy.

In its World Economic Outlook-April 2011, the International Monetary Fund (IMF) has estimated World Output to grow at 5.0 per cent in 2010 as against the contraction of 0.5 per cent in 2009. World output is projected to grow by 4.4 per cent in 2011. The emerging and developing economies (EMEs) posted strong growth by registering GDP at 7.3 per cent in 2010 compared to 2.7 per cent in 2009. India and China were the main drivers of global growth during 2010. The growth in the US and the European Union lagged behind at 2.8 per cent and 1.8 per cent respectively during 2010. The emerging and developing market economies are poised to grow at 6.5 per cent in 2011. In contrast the advanced economies are projected to be heading for slower growth rate of 2.4 per cent in 2011.

The prices are rising and inflation has started to accelerate worldwide. The rising expectations about monetary policy tightening in the wake of growing inflationary pressures point to increased funding risks for banking systems across the globe.

Domestic Economy

The Indian economy continues to maintain high growth momentum as the real GDP picked up since the 2nd quarter of the fiscal 2010-11, due to robust expansion of the agriculture sector and domestic demand. As per the Advance Estimate (AE) of Central Statistical Organisation (CSO), the country's gross domestic product (GDP) at factor cost at constant (2004-05) prices was estimated to grow at 8.6 per cent during fiscal 2010-11, as compared to 8.0

8.0 प्रतिशत था। राजकोषीय वर्ष 2010-11 के दौरान कृषि में 5.4 प्रतिशत; उद्योग में 8.2 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र में 9.4 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है जबकि तुलनात्मक दृष्टि से इन क्षेत्रों में राजकोषीय वर्ष 2009-10 (शीघ्र प्राक्कलन) के दौरान कुल 0.4 प्रतिशत, 8.3 प्रतिशत और 9.7 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है।

छह मुख्य उद्योगों, जिनमें कच्चा तेल, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, कोयला, बिजली और तैयार (कार्बन) स्टील (26.8 प्रतिशत भार सहित) में अप्रैल–मार्च 2010-11 के दौरान 7.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि तुलनात्मक दृष्टि से अप्रैल–मार्च 2009-10 के दौरान यह 10.54 प्रतिशत थी।

25 मार्च 2011 को मुद्रा आपूर्ति ₹ 6496,747 करोड़ थी और वर्षानुवर्ष की दृष्टि से इसमें 16.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जबकि उसी अवधि के पिछले वर्ष के दौरान उसमें 17.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। इसका मुख्य कारण राजकोषीय वर्ष 2010-11 के दौरान जमाराशियों में हुई वृद्धि के धीमापन से रहा है। सरकार को निवल बैंक ऋण में वृद्धि वर्ष 2010-11 के दौरान पर्याप्त रूप से कम रही है, जो 16.2 प्रतिशत रही (25 मार्च 2011 तक) तुलनात्मक दृष्टि से यह 2009-10 के दौरान 30.4 प्रतिशत थी, उससे व्यापक मुद्रा की वृद्धि धीमी हुई है।

थोक मूल्य सूचकांक दर के अनुसार पिछले 12 महीनों (अप्रैल 2010 से मार्च 2011) के दौरान औसत मुद्रा स्फीति 9.4 प्रतिशत रही है जबकि 2009-10 की अनुरूपी अवधि के दौरान यह 3.6 प्रतिशत थी।

बैंकिंग परिदृश्य

सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशियां वर्ष दर वर्ष के हिसाब से 25 मार्च 2011 को 15.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 52,04,703 करोड़ रहीं जो कि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 17.2 प्रतिशत थीं। मार्च 25, 2011 की स्थिति में मांग जमाराशियों में 1.02 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है जबकि वर्ष के दौरान मियादी जमाराशियां 18.67 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 45,65,681 करोड़ तक पहुँच गईं।

सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की कुल अग्रिम 21.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 39,38,659 करोड़ तक पहुँचा जो कि इसी अवधि में पिछले वर्ष 16.9 प्रतिशत के स्तर पर था। गैर खाद्य ऋणों के अंतर्गत 25 मार्च 2011 को 21.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ कुल अग्रिम ₹ 38,74,376 करोड़ तक पहुँचा जो कि इसी अवधि के दौरान पिछले वर्ष 16.9 प्रतिशत था।

सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों का सरकारी एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश 8.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2010-11 के दौरान 25 मार्च 2011 तक ₹ 15,00,039 करोड़ तक पहुँचा जो कि इसी अवधि के दौरान पिछले वर्ष 18.7 प्रतिशत था।

बाह्य क्षेत्र

अप्रैल 2009 से मार्च 2010 के दौरान भारत से अमेरिका को किए गए निर्यात अमेरिकी डॉलर 1,78,751 मिलियन के मुकाबले अप्रैल 2010 से मार्च 2011 की अवधि के दौरान इसमें 37.55 प्रतिशत की वृद्धि के साथ यह अमेरिकी डॉलर 2,45,868 मिलियन तक पहुँच गया जबकि अप्रैल 2010 से मार्च 2011 की अवधि के दौरान समेकित आधार पर कुल आयात 21.61 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अमेरिकी डॉलर 3,50,695 मिलियन तक पहुँचा जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह अमेरिकी डॉलर 2,88,373 मिलियन के स्तर पर था।

per cent in 2009-10 (Quick Estimate). Agriculture grew by 5.4 per cent; industry by 8.2 per cent and services sector by 9.4 per cent during the fiscal 2010-11, compared to growth of 0.4 per cent, 8.3 per cent and 9.7 per cent respectively during the fiscal 2009-10 (Quick estimate).

The Index of six core industries comprising crude oil, petroleum refinery products, coal, electricity, cement & finished (carbon) steel (with a weight of 26.68 per cent) grew by 7.79 per cent during April-March 2010-11, as compared to growth rate of 10.54 per cent achieved during April-March 2009-10.

The Money supply stood at ₹64,96,747 crore as at March 25, 2011 registering a y-o-y growth of 16.0 per cent as compared to the growth rate of 17.1 per cent registered during the corresponding period of the previous year. This slow growth was largely associated with the deceleration in the growth of deposits during the fiscal 2010-11. The growth of net bank credit to government remained considerably low at 16.2 per cent in 2010-11(Up to March 25, 2011) as compared to 30.4 per cent in 2009-10, leading to a sluggish growth in broad money.

The average inflation measured in terms of Wholesale Price Index (WPI) rate, for the last 12 months (April 2010 to March 2011) stood at 9.4 per cent as compared to 3.6 per cent during the corresponding period in 2009-10.

Banking Scenario

Aggregate deposits of Scheduled Commercial Banks (SCBs) grew y-o-y by 15.8 per cent to ₹ 52,04,703 crore during the year (Up to March 25, 2011) as compared to 17.2 per cent registered during the corresponding period of the previous year. Demand deposits declined by 1.02 per cent during the year (as at March 25, 2011) whereas time deposits grew by 18.67 per cent to ₹ 45, 65,681 crore during the period.

Gross Bank Credit of Scheduled Commercial Banks (SCBs) increased by 21.4 per cent to ₹ 39,38,659 crore as compared to increase of 16.9 per cent during the corresponding period of the last year. The Non-Food credit stood at ₹ 38,74,376 crore as at March 25, 2011 recording a growth of 21.2 per cent as compared to an increase of 16.9 per cent during the corresponding period of the last year.

Scheduled Commercial Banks' (SCBs') investments in government and other approved securities grew by 8.3 per cent to ₹ 15,00,039 crore during 2010-11 (Up to March 25, 2011) as compared to growth of 18.7 per cent registered during corresponding period of the last year.

External sector

The cumulative value of Exports from India in US dollar terms increased by 37.55 per cent to USD 2,45,868 million during April-March, 2010-11 as compared to USD 1,78,751 million registered during April-March, 2009-10; whereas the cumulative value of imports during April-March, 2010-11, stood at USD 3,50,695 million, an increase of 21.61 per cent over USD 2,88,373 million registered during the previous year.

अप्रैल 2010 से मार्च 2011 के दौरान तेल का आयात 1,01,689 मिलियन अमेरिकी डॉलर था जो कि अप्रैल 2009 से मार्च 2010 की अवधि के दौरान 87,136 मिलियन अमेरिकी डॉलर में 21.61 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। अप्रैल 2010 से मार्च 2011 के दौरान व्यापार घाटा 1,04,827 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। अप्रैल 2010-11 के दौरान प्राक्कलित घाटा यू एस डी 1,04,827 मिलियन प्राक्कलित किया गया जो अप्रैल–मार्च 2009-10 के घाटे यू एस डी 1,09,621 मिलियन की तुलना में कम है ।

25 मार्च 2011 की स्थिति में विदेशी विनिमय कोष यू एस डी 303.5 बिलियन के स्तर को पार कर चुका है। मार्च 26, 2010 में यू एस डी 252.8 बिलियन के मुकाबले 25 मार्च 2011 की स्थिति में विदेशी मुद्रा आस्तियाँ यू एस डी 273.7 बिलियन रहीं।

मार्च 2010 की तुलना में मार्च 2011 के दौरान पाउंड स्टर्लिंग के मुकाबले रुपये का ह्रास 6.2 प्रतिशत, जापानी येन की तुलना में 9.57 प्रतिशत तथा यूरो मुद्रा के मुकाबले 1.94 प्रतिशत दर्ज किया गया जबकि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये का मूल्य 1.16 प्रतिशत बढ़ा ।

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2009-10 के दौरान यू एस डी 25.83 बिलियन से 24.78 प्रतिशत घटकर वर्ष 2010-11 के दौरान यू एस डी19.43 बिलियन हो गया।

आधार दर का शुभारंभ

आधार ब्याज दर प्रणाली ने भारतीय बैंकिंग उद्योग में विनियमन एवं पारदर्शिता के संदर्भ में एक नए युग की शुरुआत की है। आधार ब्याज दर ने वर्ष 2003 में शुरू की गई आधारभूत मूल उधार दर को प्रतिस्थापित कर दिया है। आधार ब्याज दर प्रणाली के शुभारंभ ने नीतियों के संचालन को और प्रभावी एवं सहज बना दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार 01 जुलाई 2010 से बैंक ने आधार ब्याज दर प्रणाली को अपनाया है।

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक के निष्पादन के मुख्य अंश

प्रदत्त पूंजी

31 मार्च 2010 की स्थिति में बैंक की प्राधिकृत शेयर पूंजी प्रतिशेयर ₹10 की दर से 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर के स्वरूप में ₹ 300 करोड़ थी और प्रदत्त पूंजी ₹ 573.29 करोड़ थी।

प्रारक्षित एवं आधिक्य

वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक की प्रारक्षित एवं आधिक्य निधि ₹ 5,105.08 करोड़ से बढ़कर ₹ 6477.55 करोड़ हो गई।

शुद्ध मालियत

बैंक की शुद्ध मालियत (प्रारक्षित निधियों के पुनर्मूल्यन को छोड़कर) 31 मार्च 2010 के ₹ 5,222.86 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2011 को ₹ 6,656.94 करोड़ हो गई है।

लाभांश

निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए 37 प्रतिशत अंतिम लाभांश का प्रस्ताव भारत सरकार के अनुमोदन की प्रत्याशा के साथ किया है। वर्ष 2010-11 के दौरान लाभांश कर सहित के बतौर ₹ 246.53 करोड़ राशि वितरित की जाएगी।

कुल कारोबार

बैंक ने 31 मार्च 2010 की स्थिति में दर्ज कुल कारोबार ₹ 2,08,476 करोड़ में 17.01 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 31 मार्च 2011 की स्थिति में कुल कारोबार ₹ 2,43,946 करोड़ दर्ज किया है। इसके साथ ही, बैंक

Oil imports during April-March, 2010-11, were valued at USD 1,01,689 million, which is 16.7 per cent higher than USD 87,136 million during April-March, 2009-10. The trade deficit during April-March, 2010-11 was estimated at USD 1,04,827 million which is lower as compared to deficit of USD 1,09,621 million recorded during April-March, 2009-10.

Foreign exchange reserves have crossed the level of USD 303.5 billion as at March 25, 2011. Foreign Currency Assets stood at USD 273.7 billion as at March 25, 2011 as compared to USD 252.8 billion as at March 26, 2010.

The rupee depreciated by 6.24 per cent against Pound Sterling, 9.57 per cent against Japanese yen, 1.94 per cent against Euro and appreciated by 1.16 per cent against US dollar in the month of March 2011 over March 2010.

Foreign Direct Investment (FDI) inflows into India declined by 24.78 per cent from USD 25.83 billion in 2009-10 to USD 19.43 billion in 2010-11.

Introduction of Base Rate

The introduction of the Base Rate system has heralded a new era of "regulation and transparency" in the Indian banking industry. The "Base Rate" has replaced the erstwhile "Benchmark Prime Lending Rate" (BPLR) which was introduced in 2003. With the introduction of the Base Rate System, policy transmission has become more effective and easy. The Bank has adopted the Base Rate system with effect from July 01, 2010 as per the directions of the Reserve Bank of India.

PERFORMANCE HIGHLIGHTS OF THE BANK DURING THE FINANCIAL YEAR 2010-11

Paid-up Capital

As at March 31, 2011 the authorized share capital of the Bank was ₹ 3,000 crore (300,00,00,000 equity shares of ₹ 10/- each) and the paid-up capital was ₹ 573.29 crore.

Reserves & Surplus

The Reserves and Surplus of the Bank increased to ₹ 6,477.55 crore in 2010-11 from ₹ 5,105.08 crore in 2009-10.

Net worth

The Net Worth of the Bank (excluding revaluation reserves) increased to ₹ 6,656.94 crore as at March 31, 2011 compared to ₹ 5,222.86 crore as at March 31, 2010.

Dividend

The Board of directors have proposed, subject to the approval of Govt. of India, a final dividend of 37 per cent for the year ended March 31, 2011. The total outgo in the form of dividend (inclusive of dividend Tax) during the year 2010-11 would amount to ₹ 246.53 crore.

Total Business

The Global Business of the Bank stood at ₹ 2,43,946 crore as at March 31, 2011 as against ₹ 2,08,476 crore as at March 31, 2010 registering a growth of 17.01 per cent;

ने वर्ष 2009-10 के दौरान घरेलू कारोबार में ₹ 1,92,288 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2010-11 के दौरान इसमें 16.66 प्रतिशत वृद्धि की है तथा यह ₹ 2,24,331 करोड़ तक पहुँच गया है।

जमाराशि में वृद्धि

15.87 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बैंक की सकल जमाराशियां 31 मार्च 2010 की स्थिति में ₹ 1,17,026 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2011 को ₹ 1,35,596 करोड़ दर्ज की गईं। इसी तरह, बैंक की घरेलू जमाराशियों में वर्ष 2009-10 की स्थिति में ₹ 1,09,689 करोड़ के स्थान पर 15.60 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई तथा वर्ष 2010-11 के दौरान ये ₹ 1,26,796 करोड़ तक पहुँच गईं।

कासा जमाराशियां

बैंक की कासा जमाराशियों में 31 मार्च 2010 की स्थिति में 15.87 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई तथा यह ₹ 36,551 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2011 को ₹ 41,945 करोड़ तक पहुँच गईं। कुल जमाराशियों के अनुपात में 31 मार्च 2011 की स्थिति में कासा जमाराशियाँ 31 प्रतिशत रहीं। कम लागत वाली जमाराशियों में विशेष ध्यान देने के फलस्वरूप जमाराशि लागत में वर्ष 2009-10 के 6.14 प्रतिशत की तुलना में कमी आई तथा यह 2010-11 के दौरान 5.43 प्रतिशत दर्ज की गई।

ऋण प्रसार

पिछले वर्ष की तुलना में 18.48 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च 2011 की स्थिति में बैंक का कुल अर्थात सार्वभौमिक अग्रिम ₹ 1,08,350 करोड़ दर्ज किया गया। घरेलू अग्रिम के क्षेत्र में भी 18.08 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 31 मार्च 2010 के दौरान ₹ 82,599 करोड़ के मुकाबले यह 31 मार्च 2011 की स्थिति में ₹ 97,535 करोड़ दर्ज किया गया।

वर्ष के दौरान बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों में निरंतर वृद्धि की है तथा विशेषत: कृषि, ग्रामीण गतिविधियों एवं छोटे/माध्यम उद्यमियों को ऋण प्रदान किए हैं। बैंक ने वाणिज्यिक स्तर पर जमीन/जायदाद से जुड़े क्षेत्रों एवं पूंजी बाजार को ऋण प्रदान करते समय पूरी सावधानी बरतते हुए जोखिम का समुचित आकलन करते हुए चयनित आधार पर कार्रवाई की है।

निष्पादन के प्रभावी आकलन करने की बैंक की अपनी सुव्यवस्थित प्रणाली है तथा औद्योगिक क्षेत्रों को परखते हुए विकासोन्मुखी क्षेत्रों को ऋण देने में वरीयता प्रदान की जाती है। पूरे देश की भौगोलिक स्थिति के अनुसार विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक का ऋण प्रभाग वैविध्यपूर्ण है।

वर्ष 2010-11 के दौरान वित्तीय निष्पादन

लाभप्रदता

31 मार्च 2010 को अर्जित परिचालनात्मक लाभ ₹ 1,873 करोड़ के मुकाबले 31 मार्च 2011 को बैंक का परिचालनात्मक लाभ ₹ 2,750 करोड़ दर्ज किया गया अर्थात 46.82 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके साथ ही बैंक के निवल लाभ में वर्ष 2009-10 की स्थिति में ₹ 813 करोड़ की तुलना में 28.91 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 31 मार्च 2011 को यह ₹ 1,048 करोड़ दर्ज किया गया।

आय और व्यय

पिछले वर्ष की स्थिति में अर्जित कुल आय ₹ 11,214.64 करोड़ की तुलना में 10.27 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 31 मार्च 2011 की स्थिति में यह आय ₹ 12,365.98 करोड़ दर्ज की गयी। जबकि व्यय के संदर्भ में 8.81 प्रतिशत की कम दर पर वृद्धि हुई तथा 31 मार्च 2010 की तुलना में यह ₹ 10,401.32 करोड़ के स्थान पर 31 मार्च 2011 को ₹ 11,318.03 करोड़ दर्ज किया गया।

ब्याजी आय में 13.97 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 31-3-2010 के ₹ 10,047.18 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2011 को यह ₹ 11,450.86

whereas domestic business grew by 16.66 per cent to ₹ 2,24,331 crore in 2010-11 from ₹ 1,92,288 crore in 2009-10.

Deposit Growth

Global Deposits of the Bank rose to ₹ 1,35,596 crore as at March 31, 2011 from ₹ 1,17,026 crore as at March 31, 2010 registering a growth of 15.87 per cent. The domestic deposits grew by 15.60 per cent to ₹ 1,26,796 crore in 2010-11 from ₹ 1,09,689 crore in 2009-10.

CASA Deposits

CASA deposits of the Bank grew by 14.76 per cent from ₹ 36,551 crore as at March 31, 2010 to ₹ 41,945 crore as at March 31, 2011. Percentage of CASA deposits to total deposits stood at 31 per cent as at March 31, 2011. The focus on low-cost deposits resulted in reduction in cost of deposits from 6.14 per cent in 2009-10 to 5.43 per cent in 2010-11.

Credit Expansion

Global advances of the Bank stood at ₹ 1,08,350 crore as at March 31, 2011 registering a growth of 18.48 per cent over the previous year. Domestic advances grew by 18.08 per cent from ₹ 82,599 crore as at March 31, 2010 to ₹ 97,535 crore as at March 31, 2011.

During the year, the Bank has continued its growth under Priority Sector lending, especially to agriculture, rural activities and lending to SMEs. The Bank has adopted a cautious approach while extending credit to commercial real estate and capital market, that too on a selective basis and after making a detailed risk assessment.

The Bank has a system of continuous assessment of performance and the outlook of various industries and lends to growth-oriented sectors. The Bank has continued to maintain diversified credit portfolio covering different sectors of the industry and geographical areas across the country.

FINANCIAL PERFORMANCE DURING 2010-11

Profitability

The Operating Profit of the Bank for the year ended March 31, 2011 stood at ₹ 2,750 crore compared to ₹ 1,873 crore as at March 31, 2010 registering a growth of 46.82 per cent. Net profit of the Bank, on the other hand, grew by 28.91 per cent from ₹ 813 crore in 2009-10 to ₹ 1,048 crore in 2010-11.

Income & Expenditure

The Bank's total income grew by 10.27 per cent to ₹ 12,365.98 crore as at March 31, 2011 from ₹ 11,214.64 crore in the previous year. On the contrary, total expenses grew at a lesser rate of 8.81 per cent to ₹ 11,318.03 crore as at March 31, 2011 from ₹ 10,401.32 crore in the previous year.

Interest income for the year 2010-11 improved by 13.97 per cent from ₹ 10,047.18 crore in 2009-10 to ₹ 11,450.86

करोड़ दर्ज किया गया। जबकि ब्याज के विस्तार में 31 मार्च 2010 की तुलना में 3.27 प्रतिशत की कमी हुई तथा यह ₹ 7,307.37 करोड़ के मुकाबले 31 मार्च 2011 को ₹ 7,068.10 करोड़ दर्ज किया गया।

महत्वपूर्ण निष्पादन अनुपात

क) अग्रिमों पर औसत अर्जन में 2009-10 के 9.40 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2010-11 के दौरान 9.52 प्रतिशत तक सुधार हुआ।

ख) जमाराशियों की लागत 2009-10 के 6.14 प्रतिशत से घटकर 2010-11 को 5.43 प्रतिशत हो गई।

ग) बैंक का निवल ब्याज मार्जिन (एन.आइ.एम.) वर्ष 2009-10 के 2.35 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 3.40 प्रतिशत हो गया है।

घ) आस्तियों पर प्रतिलाभ वर्ष 2009-10 के 0.62 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 0.76 प्रतिशत हो गया है।

ङ) पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बासल ॥ के अनुसार) वर्ष 2009-10 के 12.70 प्रतिशत से सुधार हुआ है, जो 2010-11 में 13.04 प्रतिशत हो गया है ।

च) बैंक का प्रति शेयर बही मूल्य 31मार्च 2010 के ₹ 107.80 से बढ़कर दि. 31 मार्च 2011 को ₹ 122.99 हो गया है।

छ) बैंक का प्रति शेयर अर्जन (ई.पी.एस.) 31 मार्च 2010 के ₹ 15.58 से बढ़कर दि. 31 मार्च 2011 को ₹ 20.03 हो गया है ।

ज) बैंक का प्रॉविज़न कवरेज अनुपात 31 मार्च 2010 के 73.31 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 2011 को 77.18 प्रतिशत हो गया है जो भा.रि.बैं. द्वारा निर्दिष्ट अधिदेशात्मक लक्ष्य 70 प्रतिशत से काफी अधिक है ।

झ) बैंक का ऋण जमा अनुपात 31मार्च 2010 को 78.15 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 2011 को 79.91 प्रतिशत हो गया है ।

ञ) निवल अग्रिमों के तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां वर्ष 2009-2010 के 1.07 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2010 - 2011 में 0.97 प्रतिशत हो गयी हैं ।

ट) प्रति कर्मचारी कारोबार 31 मार्च 2010 के ₹ 7.47 करोड से बढ़कर 31 मार्च 2011 में ₹ 8.75 करोड हो गया है।

ठ) प्रति कर्मचारी लाभ 31 मार्च 2010 के ₹ 3.18 लाख से बढ़कर 31 मार्च 2011 को ₹ 3.99 लाख हो गया है।

खुदरा बैंकिंग

हाल के वर्षों के दौरान खुदरा बैंकिंग में चूक की घटनाओं में वृद्धि पायी गयी हैं। बैंक ने जहाँ कहीं आवश्यकता है वहां मानदण्डों को कड़ा करके खुदरा ऋणों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं। इस संविभाग में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सम्यक् तत्परता युक्त दृष्टिकोण को अपनाया गया है।

बैंक ने अपनी ऋण नीतियों को पुनर्निर्धारित किया है और उत्पादों को बाजार की आवश्यकताओं के आधार पर परिवर्तनशील करते हुए उन्हें पुन: संरचित किया है, ताकि इस क्षेत्र की जरूरतों को पूरा किया जा सके ।

इस क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण विकास के लिए कुछ ब्रॉंड उत्पादों का चयन किया गया है जैसे, सिंडनिवास, सिंडविद्या, सिंडवाहन, सिंडस्वर्ण, सिंडरेंट, के मामले में बैंक ने बाजार की दृष्टि से अपना ध्यान केंद्रित किया है । वेतनभोगी कर्मचारियों को व्यक्तिगत ऋण देने के मामले में सावधानी पूर्वक पर्याप्त ध्यान दिया गया है ।

31 मार्च 2011 को समाप्त राजकोषीय वर्ष के दौरान खुदरा ऋण की प्रतिशतता में 31 मार्च 2010 को समाप्त राजकोषीय वर्ष की तुलना में

crore in 2010-11, whereas the interest expended declined by 3.27 per cent to ₹ 7,068.10 crore in 2010-11 from ₹ 7,307.37 crore expended in 2009-10.

Key Performance Ratios

a. The average yield on advances improved to 9.52 per cent in 2010-11 from 9.40 per cent in 2009-10.
b. The cost of deposits of the Bank declined to 5.43 per cent in 2010-11 compared to 6.14 per cent in 2009-10.
c. The Bank's Net Interest Margin (NIM) improved from 2.35 per cent in 2009-10 to 3.40 per cent in 2010-11.
d. The Return on Assets improved from 0.62 per cent in 2009-10 to 0.76 per cent in 2010-11.
e. Capital Adequacy ratio (as per Basel II) improved from 12.70 per cent in 2009-10 to 13.04 per cent in 2010-11.
f. The Book Value per share of the Bank improved to ₹122.99 as at March 31, 2011 from ₹107.80 as at March 31, 2010.
g. The Earning per share (EPS) of the Bank improved from ₹15.58 as at March 31, 2010 to ₹20.03 as at March 31, 2011.
h. The provision coverage ratio of the Bank improved from 73.31 per cent as at March 31, 2010 to 77.18 per cent as at March 31, 2011 which is well above the mandatory 70 per cent stipulated by RBI.
i. The Credit-Deposit Ratio of the Bank improved to 79.91 per cent as at March 31, 2011 from 78.15 per cent as at March 31, 2010.
j. Net NPA percentage to net advances declined from 1.07 per cent in 2009-10 to 0.97 per cent in 2010-11.
k. Business per employee improved from ₹7.47 crore as at March 31, 2010 to ₹8.75 crore as at March 31, 2011.
l. Profit per employee improved from ₹3.18 lakh as at March 31, 2010 to ₹3.99 lakh as at March 31, 2011.

RETAIL BANKING

Retail Banking, in recent years has seen an increasing incidence of default. Bank has taken adequate steps, wherever necessary, to improve the quality of retail lending by tightening the norms. A cautious approach is adopted by moderating the growth in this segment by focusing on due diligence.

The Bank has redesigned strategies and repositioned products falling in line with the market trends and has been customizing various products continuously to meet the ever changing market requirements thus enabling continuity in the growth of the portfolio.

To achieve qualitative growth under select branded products viz., SyndNivas, SyndVidya, SyndSwarna, SyndVahan and SyndRent, the Bank has adopted a focused lending approach coupled with marketing initiatives. A cautious approach is taken in giving personal loans with more emphasis on lending to salaried class.

During the fiscal year ended 31 March 2011, the growth in retail credit was 13.21 percent over the fiscal year ended

13.21 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दि. 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार बैंक के कुल बकाया घरेलू ऋण और अग्रिमों की राशि ₹22,663.05 करोड़ थी, जो सकल घरेलू अग्रिमों की कुल बकाया राशि का 23.22 प्रतिशत है।

31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार विभिन्न खुदरा ऋण योजनाओं के अंतर्गत बकाया राशियों के ब्यौरे निम्नवत् है: (₹ करोड़ में)

ब्यौरे	बकाया राशि	खुदरा ऋणों की प्रतिशतता
आवास ऋण – प्रत्यक्ष i) प्राथमिकता ii) गैर–प्राथमिकता	 7012.01 1108.00	 7.19% 1.14%
कुल	8120.01	8.33%
व्यक्तिगत ऋण	5326.08	5.46%
बंधक ऋण (सिंड मार्टगेज, प्रतिवर्ती बंधक और सिंड रेंट	1473.18	1.51%
व्यापारी ऋण (एस.एल.यू. सिंड व्यापार और सिंड एस.एम.सी. आर.)	3242.11	3.32%
शिक्षा ऋण	1902.85	1.95%
सिंड स्वर्ण	1934.55	1.98%
अन्य (सिंड पिग्मी)	664.27	0.68%
कुल	22663.05	23.24%

क) सिंड निवास:

दि. 31 मार्च 2011 को आवास ऋण ₹ 8,120.01 करोड़ रहा, जिसमें ग्राहक आधार 1,65.818 रहा।

मार्च 2011 के अंत तक आवास ऋण (प्राथमिकता क्षेत्र) के अंतर्गत बकाया अग्रिम ₹ 7,012.01 करोड़ रहा।

आवास ऋणों के संसाधन हेतु 12 केंद्रों में केन्द्रीकृत संसाधन केंद्र की स्थापना की गयी है और ऋण डेलिवरी प्रक्रिया में जबर्दस्त परिवर्तन लाने के लिए इसे अन्य चयनित केन्द्रों में भी स्थापित किया जाएगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत ऋण प्रस्तावों को कुशल अधिकारियों द्वारा शीघ्रता से संसाधित किया जाएगा। इससे ऋण संवितरण की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। प्रतिष्ठित भवन निर्माताओं की अनुमोदित परियोजनाओं पर आवास ऋण देने के मामले में विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।

ख) सिंड विद्या:

राजकोषीय वर्ष 2010-2011 के दौरान शिक्षा ऋण संविभाग में जबर्दस्त वृद्धि हुई है, जो दि. 31 मार्च 2010 के ₹ 1,459.72 करोड से बढ़कर 31 मार्च 2011 के अंत में ₹ 1,902.85 करोड हो गया है, जो 30.36 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

i) योजना के अंतर्गत प्रदान की गयी विशेष रियायते:

अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के सभी छात्र लागू ब्याज दर में 0.50 प्रतिशत की छूट के लिए पात्र हैं। सभी छात्राएं लागू ब्याज दर में 0.50 प्रतिशत की छूट के लिए पात्र हैं।

ii) बैंक शिक्षा ऋणों पर उसके चुकौती अवकाश/अधिस्थगन अवधि के दौरान साधारण ब्याज प्रभारित करता है।

iii) तीसरे पक्षकार की गारंटी निविष्ट करने/प्रतिभूति प्रदान करने के मामले में संपूर्ण परिवार को एक यूनिट समझने के बजाय प्रत्येक

31 March 2010. The Bank's total outstanding domestic retail loans and advances amounted to ₹22,663.05 crore as at March 31, 2011 constituting 23.22 percent of the total outstanding gross domestic advances.

Outstanding position under various retail credit schemes as at March 31, 2011 is furnished herebelow:

(₹ crore)

Description	Amount outstanding	Percent to total loans
Housing Loans - Direct i) Priority ii) Non priority	 7012.01 1108.00	 7.19% 1.14%
Total	8120.01	8.33%
Personal Loans	5326.08	5.46%
Mortgage Loans (SyndMortgage, Reverse Mortgage & SyndRent)	1473.18	1.51%
Trader Loans (SLUCC, SyndVyapar & SyndSMCR)	3242.11	3.32%
Educational Loans	1902.85	1.95%
SyndSwarna	1934.55	1.98%
Others	664.27	0.68%
Total	22663.05	23.24%

(a) SyndNivas :

The outstanding advances under Housing Loan stood at ₹8,120.01 crore as at March 31, 2011 with a clientele base of 1,65,818.

The outstanding advances under Housing loans (Priority Sector) stood at ₹7,012.01 crore as at the end of March 2011.

Centralised Processing Centres (CPC) for processing Housing Loans have been established in 11 centres and will be replicated in other identified centres also to bring about a drastic transformation in the loan delivery process. CPCs will ensure quick processing of loans by trained officers with greater accuracy resulting in ease of delivery. Focus is also given on sanction of HL to approved projects of reputed builders.

(b) SyndiVidya:

During the fiscal year 2010-11, the Education Loan portfolio witnessed an increase from ₹1,459.72 crore as at March 31, 2010 to ₹1,902.85 crore as at March 31, 2011 registering a growth of 30.36 per cent.

i) Special concessions are extended under the scheme:

All Students belonging to SC/ST category are eligible for concession of 0.50 per cent on the applicable rates of interest and all girl students are eligible for concession of 0.50 per cent on the applicable rates of interest.

ii) The Bank is charging simple interest during the Repayment holiday/moratorium period on Education loans.

iii) Each child is treated as a separate unit for stipulating 3rd party guarantee/providing security,

बच्चे को एक यूनिट माना जाएगा । (यानी तीसरे पक्षकार की गारंटी / प्रतिभूति प्रदान करने के उद्देश्य हेतु सभी बच्चों की सीमाओं को सम्मिलित करना)।

ग) सिंड वाहन:

विभिन्न आटो उत्पादकों के साथ की गयी गठजोड व्यवस्था से बैंक को पर्याप्त लाभ हुआ है। दि. 31-03-2011 को समाप्त वर्ष के दौरान इस तरह से इस वर्ष इस में 21.72 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई तथा वर्षांत तक इसकी कुल बकाया राशि ₹ 983.46 करोड़ थी।

घ) सिंड स्वर्ण:

31-3-2011 को स्वर्णाभूषण/सोना की जमानत पर दिए गए ऋणों के अंतर्गत बकाया राशि ₹ 1,934.55 करोड़ तक पहुँच गयी है। पिछले वर्ष 31-3-2010 को ₹ 1,461.70 करोड़ थी, जो 32.35 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है ।

ङ) सिंड रेंट:

हाल ही में, इस योजना को सरल बनाया गया है और अगले वित्तीय वर्ष के दौरान इस में जबर्दस्त वृद्धि होने की संभावना है। इस में निरंतर नकद प्रवाह तथा पर्याप्त प्रतिभूति को कवर किया गया है ।

राजकोष और अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

राजकोष

बैंक का घरेलू निवेश दि. 31 मार्च 2010 के 32,778.36 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2011 को ₹ 34,954.27 करोड़ रहा। निवेश संविभाग से प्राप्त कुल आय (व्यापार लाभ को छोड़कर) वित्तीय वर्ष 2009-10 के ₹ 2,335.49 करोड़ की तुलना में वर्ष 2010-11 के लिए ₹ 2,265.13 करोड़ रही। एस.एल.आर. प्रतिभूतियों पर बैंक का निवेश ₹ 30,345.92 करोड़ हो गया है, जो 31-03-2011 को बैंक के कुल निवेशों का 86.82 प्रतिशत बनता है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग

अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग, मुंबई बैंक का एकमात्र ''श्रेणी ए'' का कार्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग, मुंबई में स्थित बैंक के केंद्रीकृत डीलिंग रूम को नई दिल्ली और बेंगलूर में स्थित दो लिंक डीलिंग केंद्रों से समर्थन प्रदान किया जाता है। ओवरसीज़ काउंटर पार्टी बैंकों के साथ स्टेट-ऑफ-द-आर्ट वेब प्लेटफार्म का प्रयोग करके वेब आधारित व्यापार करनेवाला हमारा बैंक प्रथम बैंक है। बैंक की 87 नामोद्दिष्ट शाखाएं (श्रेणी ''बी'') हैं, जो स्वयंपूर्ण विदेशी विनिमय व्यवहारों को संभालती हैं और 373 नामोद्दिष्ट शाखाएं हैं, जो बैंक के एफ.सी.एन.आर. कारोबार को संभालती हैं। बैंक की सभी शाखाओं में एनआरई/एनआरओ जमाराशियाँ स्वीकार की जाती हैं।

अंतर बैंक विदेशी विनिमय लेन-देन का भुगतान यू.एस.डी./आइ.एन.आर. में करने के लिए क्लीयरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सी.सी.आइ. एल.) का बैंक एक सदस्य है। फॉरैक्स फॉरवर्ड सेगमेंट संबंधी अंतर-बैंक यूएसडी/आरएनआर संबंधी व्यापार सेगमेंट के लिए बैंक सीसीआईएल का सदस्य है। इसके अलावा, बैंक उन बैंकों में से पहला बैंक है, जो सी.सी. आई.एल. के द्वारा विभिन्न मुद्राओं में लेन-देन हेतु निरंतर संपर्क निपटान (सीएलएस) के साथ कार्य करते हैं। ये दोनों पहल भुगतान जोखिम के मामले से संबंध रखते हैं और भुगतान प्रक्रिया की कुशलता में सुधार लाते हैं। बैंक द्वारा केवल बिलकुल सादा व्युत्पन्न प्रदान किए जाते हैं और कोई जटिल व्युत्पन्न उत्पाद प्रदान नहीं किए जाते हैं। मौजूदा किसी भी व्युत्पन्न कारोबार के संबंध में बैंक के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है।

in place of treating the whole family as a unit (i.e., clubbing the limits of all the children together for the purpose of 3rd party guarantee/providing security).

(c) SyndVahan:

The tie-up arrangements entered into with various auto manufacturers enabled the Bank to increase the portfolio on select basis. The portfolio registered a growth of 21.72 % during the year ended 31.03.2011 with an outstanding of ₹983.46 crores at the year end.

(d) SyndSwarna:

The outstanding balnce under SyndSwarna loans against jewellery/gold reached ₹1,934.5 crore as at 31.03.2011 as against ₹1,461.70 crore as at 31.03.2010, registering an increase of 32.35 percent.

(e) SyndRent:

The Bank has modified the scheme to increase the loan portfolio under this segment considering assured cash flows and substantial security coverage.

TREASURY AND INTERNATIONAL OPERATIONS

Treasury

The domestic investments of the Bank were at ₹ 34,954.27crore as on March 31, 2011 as against ₹ 32,778.36 crore as on March 31, 2010. Total income from investment portfolio (excluding trading profits) for the FY 2010-11 was ₹ 2,265.13 crore against ₹ 2,335.49 crore for the FY 2009-10. Bank's investment in SLR securities amounted to ₹ 30,345.92 crore which formed 86.82 per cent of the Bank's aggregate investments as on March 31, 2011.

International Division

International Division, Mumbai is the "Category A" office of the Bank. The Bank's centralized dealing room at International Division, Mumbai is supported by the two Link Dealing centres at NEW DELHI and BANGALORE. The Bank is one of the first to undertake WEB-BASED trading with Overseas counter party banks by using state-of-the-art WEB PLATFORMS. The Bank is having 87 designated Branches (Category B) to handle full-fledged FX transactions and 373 nominated branches to handle the FCNR BUSINESS of the Bank. NRE/NRO deposits are accepted at all branches of the Bank.

The Bank is a member of CLEARING CORPORATION OF INDIA LTD.,(CCIL) for settlement of Inter Bank Forex Deals in USD/INR and for settlement of Inter Bank USD/INR deals in the Forex Forward Segment. Further, the Bank is one of the first Banks to participate in CONTINUOUS LINKED SETTLEMENT (CLS) for Cross Currency Deals by CCIL. These initiatives address the issue of settlement risk and improve the efficiency of settlement process. The Bank offers only plain vanilla derivatives. It does not offer complex derivative products. There is no litigation against the Bank in respect of existing derivative transactions.

मुद्रा–वायदे का व्यापार करने के लिए बैंक दो विनिमय कंपनियों अर्थात्, एमसीएक्स–एसएक्स और एनएसई का व्यापार–सह–समाशोधन सदस्य बन गया है। 31 मार्च, 2011 को बैंक का कुल फारेक्स टर्नओवर ₹ 4,33,099.84 करोड़ (मुद्रा वायदा सहित) था। बैंक का अंतर बैंक टर्नओवर 31 मार्च, 2011 को ₹ 3,74,736.09 करोड़ रहा।

निर्यात वित्त

निर्यात ऋण की बकाया राशि 31 मार्च, 2011 को ₹ 1,943.80 करोड़ हो गयी है। बैंक ने निर्यात क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए हैं। सिंडएक्सपोर्ट गोल्ड कार्ड योजना के तहत पात्र निर्यातकों को रियायती और अधिमान्यता शर्तों पर ऋण प्रदान किया जाता है और इसके दायरे को और बढ़ाया गया ताकि और अधिक निर्यातकों को उसमें शामिल किया जा सके । भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा के भीतर स्पर्धात्मक ब्याज दरों में रुपया निर्यात ऋण प्रदान किया गया। बैंक द्वारा कुछ निर्धारित क्षेत्रों में अपने ग्राहकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट रूपरेखा के अनुसार, ब्याज अनुदान योजना उपलब्ध कराके रियायती ब्याज दर का लाभ प्रदान किया गया।

श्रम प्रधान, प्रौद्योगिकी प्रधान और मूल्य वर्धित उत्पादों में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनेक निर्यात प्रोत्साहन योजनाएँ घोषित की गयी हैं। इसका लाभ उठाते हुए बैंक अपने कारोबार को बढ़ाने और निष्पादन में सुधार करने की दिशा में प्रयत्नशील है ।

विनिमय कंपनियाँ

1. बैंक द्वारा निम्नलिखित दो विनिमय गृहों का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया जाता है:
   - मेसर्स नेशनल एक्स्चेंज कंपनी, डब्ल्यू.एल.एल., दोहा कतार।
   - मेसर्स मुसंडम एक्स्चेंज कंपनी, सल्तनत ऑफ ओमॉन।
2. खाड़ी स्थित निम्नलिखित विनिमय गृहों के साथ बैंक ने रुपया आहरण व्यवस्था कायम की है:
   - मेसर्स वॉल स्ट्रीट एक्स्चेंज सेंटर, दुबई
   - मेसर्स रेधा अल अंसारी एक्स्चेंज ईएसटी, दुबई
   - मेसर्स हबीब एक्स्चेंज कं, शारजाह
   - मेसर्स अल रजौकी इंटरनेशनल एक्स्चेंज, दुबई
   - मेसर्स अल अंसारी एक्स्चेंज कं, आबु धाबी
   - मेसर्स नेशनल फाइनॉन्स एंड एक्स्चेंज कं, बहरीन
   - मेसर्स नेशनल एक्स्चेंज कं., कुवैत
   - मेसर्स जेन्ज एक्स्चेंज कं., बहरीन
   - मेसर्स फेडरल एक्स्चेंज कं., दुबई
   - मेसर्स अल फलाह एक्स्चेंज कंपनी, आबु धाबी
   - मेसर्स यूएई एक्स्चेंज सेंटर एलएलसी, आबु धाबी

बैंक के पास खाड़ी से भारत को बेहतर एवं किफायती निधि अंतरण के लिए 9 विनिमय गृहों के साथ त्वरित विप्रेषण व्यवस्था है।

समुद्रपारीय परिचालन

विदेश में बैंक की केवल एक शाखा युनाइटेड किंगडम के लंदन में है। यह कोष और विदेशी विनिमय डीलिंग परिचालनों के अलावा, मुद्रा बाजार परिचालनों में भी सक्रिय है। यह शाखा, भारतीय सिंडिकेशनों और ई.सी.बी. पर ध्यान केंद्रित करती है। इसके साथ भारतीय कार्पोरेट शामिल हैं जो वैश्विक बन रहे हैं, इससे शाखा को कारोबार का नया आयाम मिला है।

शाखा का कारोबार दि.31-03-2010 के जी.बी.पी. 2,719.737 मिलियन से बढ़कर दि. 31-03-2011 को जी.बी.पी. 3,078.698 मिलियन हो गया है।

The Bank has become Trading-cum-Clearing Member on three exchanges, i.e., MCX-SX, NSE and USE for undertaking trading in Currency Futures. The total Forex Turnover of the Bank during the year stood at ₹ 4,33,099.84 crore (including currency futures). The Inter-Bank turnover of the Bank stood at ₹ 3,74,736.09 crore as at March 2011.

Export Finance

Export credit outstanding stood at ₹ 1,943.80 crore as at March 31, 2011. The Bank has initiated various measures to increase the flow of credit to the export sector. The coverage under the SyndExport Gold Card Scheme, a unique scheme for eligible exporters offering concessional and preferential terms, was broadened to include more number of exporters. Rupee export credit is offered at very competitive interest rates. The benefits of interest rate subvention scheme, as designed by Reserve Bank of India, has been made available by the Bank to its customers in certain specified sectors, thus reducing effective cost of interest.

To enhance competitiveness of labour intensive, technology intensive and value added products, several export incentives have been announced by Government of India. Taking advantage of this, the Bank expects to extend its outreach and improve its performance.

Exchange Companies

1. The Bank is successfully managing two Exchange Houses viz.,
   - M/s. National Exchange Co., WLL, Doha, Qatar.
   - M/s. Musandam Exchange Co., Sultanate of Oman.
2. The Bank is also having fruitful Rupee Drawing Arrangement with the following Exchange Houses in the Gulf:
   - M/s. Wall Street Exchange Centre, Dubai
   - M/s. Redha Al Ansari Exchange Est., Dubai
   - M/s. Habib Exchange Co., Sharjah
   - M/s. Al Razouki International Exchange, Dubai
   - M/s. Al Ansari Exchange Co., Abu Dhabi
   - M/s. National Finance & Exchange Co., Bahrain
   - M/s. National Exchange Co., Kuwait
   - M/s. Zenj Exchange Co., Bahrain
   - M/s. Federal Exchange Company, Dubai
   - M/s. Al Falah Exchange Company, Abu Dhabi
   - M/s. UAE Exchange Centre LLC, Abu Dhabi

The Bank has speed remittance arrangements with 9 Exchange Houses for improved and cost-effective funds transfer to India from the Gulf countries.

Overseas Operations

The Bank's only overseas presence is in UNITED KINGDOM at LONDON. The Branch is active in money market operations, besides treasury and forex dealing operations. The Branch also focuses on Indian syndications and ECBs. With Indian Corporates going global, the branch finds new opportunities of business.

The total business of the branch stood at GBP 3,078.698 Million as at 31-03-2011 as against GBP 2,719.737 Million as at 31-03-2010.

आस्ति गुणवत्ता और अनर्जक आस्तियों का प्रबंधन

बैंक ने अनर्जक आस्तियों के प्रबंधन को सबसे अधिक महत्व दिया है। ''आय को बढ़ाना और अनर्जक आस्तियों को कम करना'' इस पर वर्ष 2010-11 में काफी जोर दिया गया। अनर्जक आस्तियों के प्रबंधन को प्राथमिकता दी गई और अनर्जक आस्तियों के स्तर को कम करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया, अनर्जक आस्तियों की नकद वसूली और वर्तमान अनर्जक आस्तियों के स्तरोन्नयन को महत्व दिया गया। वैश्विक अर्थव्यवस्था में आई गिरावट और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ने के बावजूद बैंक सकल अनर्जक आस्तियों के स्तर को कुल उद्योग की तुलना में युक्तियुक्त स्तर तक रखने में सफल रहा है।

बैंक की वसूली नीति का लक्ष्य अनर्जक आस्तियों के प्रबंधन पर केंद्रित है और किसी भी श्रेणी की अनर्जक आस्ति खातों का समाधान करने में क्षेत्र कार्यकर्ताओं को मदद करती है। वसूली नीति में देय राशियों की वसूली से संबंधित तौर-तरीका, छूट/अपलेखन से संबंधित मानदंड, प्रत्यायोजित अधिकार, वसूली का बाह्य नियोजन, रिपोर्टिंग और निगरानी इत्यादि शामिल हैं। देय राशियों के निपटान करने के मामले में मैट्रिक्स चार्ट का अनुपालन किया जाता है जिससे उक्त प्रक्रिया अभेदात्मक हो जाती है।

बैंक ने बड़े उधारकर्ताओं से भेंट करके उच्च मूल्यवाले अनर्जक आस्तियों का निपटान किया और नैगम कार्यालय स्तर पर एक बारगी निपटान योजना के तहत 112 मामलों का निपटान किया गया जिसकी प्रस्ताव राशि ₹ 126.90 करोड़ थी और उसमें वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 41.53 करोड़ की राशि की वसूली हुई। बैंक ने कृषि ऋण राहत योजना 2008, संदिग्ध और हानि आस्ति श्रेणी के अंतर्गत मार्च 2010 तक ₹ 50,000/- और उस से कम बही शेषवाले छोटे एन पी ए खातों के अतंर्गत पात्र किसानों और माइक्रो और लघु उधार श्रेणी के अधीन आनेवाले उधारकर्ताओं से संबंधित प्रस्तावों पर विचार करने हेतु विशेष ओ टी एस प्रस्ताव शुरू किया।

अनर्जक खातों की वसूली को बढ़ाने के लिए ''मिलना, बात करना, निपटान करना'' दृष्टिकोण को शाखाओं द्वारा प्रभावी ढंग से प्रयोग किया गया। वर्ष के दौरान शाखाओं द्वारा आयोजित ''सिंड अदालत'' में देय राशियों का निपटान करके अनेक छोटे-छोटे एन.पी.ए. खातों को कम कर दिया गया है। वर्ष के दौरान क्षेत्रीय/समूह स्तर पर कुल 2,813 सिंड अदालत आयोजित किए गए और ₹ 121.79 करोड़ की प्रस्ताव राशि के साथ ₹ 78.32 करोड़ वसूल करते हुए 12,901 ओ टी एस मामलों का निपटान किया गया है।

प्रतिभूतिकरण अधिनियम (सरफेसी) 2002 के उपबंधों का प्रभावी ढंग से प्रयोग किया गया। वर्ष के दौरान विशेष गहन वसूली अभियान आयोजित किए गए और यह सुनिश्चित किया गया कि सभी देय एन पी ए के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत सूचनाएं भेजी गयी हैं। बैंक ने नोटिस जारी करके और संपत्तियों को जब्त करवाकर वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 271.31 करोड़ की राशि वसूल की है। अधिक से अधिक प्रवर्तन एजेंसियों तथा अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं को सूची में शामिल करके शाखा स्तर के प्रयासों को समर्थन दिया जा रहा है।

वसूली को बढ़ाने के उद्देश्य से मई से जुलाई 2010 तक 'सिंड रिकवरी' 1000 प्लस तथा जनवरी से मार्च 2011 तक वसूली अभियान आयोजित किए गए।

अत्यधिक अनर्जक खातोंवाली शाखाओं की सहायता करने के लिए तथा खातों की विशेष निगरानी के लिए क्षेत्रीय स्तर पर स्थापित नवीन विशेष

ASSET QUALITY & MANAGEMENT OF NPAS

The Bank accorded topmost priority to the management of Non-Performing Assets (NPAs). "Optimise income & Reduce NPAs" was the theme during the year 2010-11. NPA level management was given priority with focus on reducing NPA level, maximizing cash recovery of NPAs and upgrading the existing NPAs. Despite, slowdown of global economy and its spillover imfact on Indian economy, the Bank was able to manage gross NPAs at reasonable level in comparison to the industry as a whole.

The Bank's Recovery Policy is oriented towards addressing the entire gamut of NPA management and enables the field functionaries to resolve any category of non-performing accounts. The recovery policy sets down the manner of recovery of dues, norms for permitting sacrifice, factors to be taken into account while considering waiver/ write-off, delegated powers, outsourcing of recovery, reporting and monitoring etc. The matrix chart being followed while settling the dues, makes the process of recovery non- discriminatory.

The Bank took up the resolution of high-value Non-Performing Assets by meeting large borrowers and 112 cases were settled under One Time Settlement Scheme at Corporate Office level with an offer amount of ₹ 126.90 crore, leading to recovery of ₹ 41.53 crore during 2010-11. The Bank has introduced/extended special OTS schemes for considering proposals relating to farmers eligible under Agricultural Debt Relief Scheme 2008, small NPA accounts under doubtful and loss assets category with book balance of ₹ 50,000/-& below as at March 2010 and borrowers under the category of Micro and Small Enterprises.

The "Meet, talk and settle" approach was effectively employed by branches to step up recovery in NPA accounts. The number of smaller NPA accounts was substantially reduced by settling the dues at "Synd Adalats" conducted by branches throughout the year. A total number of 2,813 Synd Adalats were conducted at regional/cluster level and 12,901 OTS cases were settled, by recovering a sum of ₹ 78.32 crore with an offer amount of ₹ 121.79 crore.

Provisions of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act–2002 were effectively utilized. Special SARFAESI Drive was organized during the year and it was ensured that notice under Section 13(2) of the Act was issued in the case of all the NPAs where it was due. The Bank was able to register a recovery of ₹ 271.31 crore during the year 2010-11 by issuing notices and taking possession/auctioning of properties. The efforts at the branch level were supplemented by empanelling more enforcement agencies and approved valuers.

Special intensive recovery drives were conducted during May–July 2010 and SyndRecovery 1000 plus, a campaign was run successfully from January to March 2011 for maximizing recovery.

The novel scheme of formation of Special Recovery Squads at Regional level for assisting the branches having

वसूली दल योजना को जारी रखा गया है और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा इसको सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है।

अनर्जक आस्तियों के अंतर्गत ₹ 902.06 करोड़ की राशि वसूल की गयी है जिसमें मूल धन के प्रति ₹ 659.79 करोड़ और अप्रभारित ब्याज की ₹ 237.53 करोड़ तथा बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण के प्रति ₹ 4.74 करोड़ की राशि शामिल है।

दि. 31-03-2011की स्थिति के अनुसार सकल एन पी ए और सकल एन पी ए अनुपात क्रमश: ₹ 2,598.97 करोड़ और 2.40 प्रतिशत है। दि. 31-03-2011 को निवल एन पी ए अनुपात 0.97 प्रतिशत है। बैंक ने अप्रत्याशित चूक के प्रावधान हेतु पर्याप्त राशि का प्रबंध किया है। दि. 31-03-2011 की स्थिति के अनुसार 77.18 प्रतिशत का प्रावधान कवरेज अनुपात भा.रि.बैं. द्वारा निर्दिष्ट कवरेज अनुपात से काफी अधिक है।

ऋण अनुप्रवर्तन और समीक्षा

बड़े उधार खातों को दिए गए ऋणों को नियमित आधार पर निगरानी करने और गुणवत्तायुक्त ऋण संविभाग को सुनिश्चित करने के लिए नैगम कार्यालय में एक अलग ऋण अनुप्रवर्तन कक्ष खोला गया है जो ऋणों की मंजूरी, पहचान, अनुवर्ती कार्रवाई तथा निगरानी करता है। बैंक ने अभिनिर्धारित खातों तथा पुन: संरचित खातों की निगरानी करने के लिए ही एक विशेष निगरानीवाला खाता विभाग खोला है ताकि खाते को अनर्जक बनने से रोकने के लिए समयोचित कार्रवाई की जा सके। इस संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई तथा निगरानी करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर भी एक अलग से कक्ष स्थापित किया गया है।

जोखिम प्रबंधन

जोखिम और अनिश्चितताएँ बैंकिंग कारोबार का अभिन्न अंग हैं और बैंक जोखिम एवं प्रतिलाभ के बीच समुचित तालमेल रखते हुए शेयर धारकों को श्रेष्ठ, मूल्यवान सेवा प्रदान करना चाहता है । वित्तीय मध्यस्थता की प्रक्रिया में बैंक तीव्र प्रतिस्पर्धा से प्रभावित है और विभिन्न प्रकार के वित्तीय और गैर वित्तीय जोखिमों का सामना करने के लिए मजबूर हो गया है । बैंक ने जोखिम रूपरेखा को पहचानने, आंकने और विशेषरूप से निगरानी के लिए जोखिम प्रबंधन की एक व्यापक प्रक्रिया को अपनाया है । बैंक की जोखिम प्रबंधन प्रणालियों, भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए कारगर बनाई गई हैं ।

जोखिम प्रबंधन संरचना

बैंक में जोखिम प्रबंधन से संबंधित कार्रवाई का प्रमुख दायित्व निदेशक मंडल का है । पूरे बैंक में जोखिमों के प्रबंधन के लिए एक समिति का गठन किया गया है जो जोखिमों पर ध्यान रखता है । जोखिम प्रबंधन समिति (आर.एम.सी.) मंडल की शीर्ष समिति है जो संगठन की जोखिम प्रवृत्ति का निरूपण करती है और यह सुनिश्चित करती है कि बैंक के जोखिम प्रबंधन ढांचे में बैंक की गतिविधियों पर निर्धारित सुदृढ–व्यापक विवेकसम्मत सीमाएं स्थापित करनेवाली विस्तृत नीतियाँ शामिल हैं जो बैंक की जोखिम सहने की क्षमता के समनुरूप है । बैंक की मंडल स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति को ऋण जोखिम के संबंध में ऋण जोखिम प्रबंधन समिति से (सी.आर.एम.सी.), आस्ति देयता प्रबंधन के संबंध में आस्ति देयता प्रबंधन समिति (ए.एल.सी.ओ.) से और परिचालनगत जोखिम के संबंध में चलनिधि जोखिम एवं परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओ.आर.एम.सी.) से सहयोग मिलता है । इन समितियों में बैंक के उच्च प्रबंधन तंत्र के लोग सदस्य हैं और वे पूरे बैंक में जोखिम से संबंधित समस्त नीतियों एवं प्रक्रियाओं को प्रभावी रूप से संप्रेषित करने के साथ साथ विभिन्न जोखिमों

high concentration of Non-Performing accounts as well as Special Monitoring Accounts was continued and as a result, the Regions were able to achieve remarkable success in this regard.

The recovery in NPAs amounted to ₹ 902.06 crore comprising recovery of ₹ 659.79 crore towards principal, ₹ 237.53 crore towards uncharged interest and ₹ 4.74 crore towards Bad debts written-off accounts.

The gross NPA level and gross NPA ratio as at 31-03-2011 is ₹ 2,598.97 crore and 2.40 per cent respectively. Net NPA ratio as at 31-03-2011 is 0.97 per cent. The Bank has maintained sufficient cushion towards provisioning requirements to cover up the unexpected defaults. The provision coverage ratio at 77.18 per cent as at 31-03-2011 is well above the RBI stipulation of 70 per cent coverage ratio.

CREDIT MONITORING AND REVIEW

With a view to monitor the Bank's exposure to large borrowal accounts on a regular basis and to ensure quality of the credit portfolio, a separate Credit Monitoring Cell has been formed at Corporate Office exclusively to attend to post-sanction follow-up and monitoring. The Bank has also put in place a Special Monitoring Accounts Department to exclusively monitor identified accounts including restructured accounts for taking timely action to avoid slippages. A separate Cell has been set up at the Regional Offices for similar follow-up and monitoring at their level.

RISK MANAGEMENT

Risks and uncertainties form an integral part of banking business which by very nature entails taking risk. Bank aims at delivering superior value to the shareholders' by targeting an appropriate trade-off between risk and return. The Bank has adopted a comprehensive process of risk management to identify measure and more importantly monitor the risk profile of the bank. Risk Management Systems of the Bank is attuned towards proactive action in the present for the future.

Risk Management Architecture:

The Board of Directors is primarily responsible for the risk management initiatives in the Bank. A Committee approach has been adopted for managing risks across the bank. Risk Management Committee (RMC) of the Board is the apex Committee defining institution's risk appetite and ensures that the bank's risk management framework includes detailed policies that set specific prudential limits on the bank's activities which are consistent with its risk taking appetite and absorption capacity. The RMC of the Board is ably assisted by Credit Risk Management Committee (CRMC) with respect to Credit Risk, Asset Liability Management Committee (ALCO) with respect to ALM and Liquidity Risk and Operational Risk Management Committee (ORMC) with respect to Operational Risk. These committees comprise members of Top Management Team of the Bank and they meet regularly to address the issues relating to assessment and appropriate

का निर्धारण एवं उनके समुचित प्रबंधन से संबंधित मुद्दों, उन जोखिमों को बैंक की पूंजीगत आरक्षित निधियों के साथ ताल-मेल रखने हेतु ऐसी प्रणालियों को विकसित करने तथा उनकी निगरानी करने और उनका बैंक की आंतरिक नीतियों के साथ अनुपालन किए जाने के संबंध में विचार विमर्श करने हेतु नियमित अंतराल पर बैठकें आयोजित करते हैं ।

नैगम कार्यालय का जोखिम प्रबंधन विभाग पूरे बैंक में विभिन्न जोखिम प्रबंधन पहल के समग्र कार्यान्वयन की निगरानी करता है ।

ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य जोखिमों को कम करना है और बैंक के ऋण निवेश को स्वीकार्य मानदंडों के अंतर्गत बनाए रखते हुए जोखिम समायोजित प्रतिलाभ दर को बढ़ाना है । भारतीय रिजर्व बैंक के नए पूँजी पर्याप्तता ढाँचे (एन.सी.ए.एफ.) के अंतर्गत अपेक्षित सी.आर.ए.आर. के लिए ऋण जोखिम भारिता परिसंपत्तियां प्राप्त करने हेतु बैंक ने 'मानकीकृत दृष्टिकोण' अपनाया है ।

बैंक ने सुस्पष्ट ऋण नीति एवं ऋण जोखिम नीति अपनाई है जिनका बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया है । माइक्रो एवं व्यापक आर्थिक विकास, विनियामक दिशानिदेश, सरकारी नीतियाँ और बैंक की निर्दिष्ट अपेक्षाओं पर ध्यान देने हेतु नीतियों की समीक्षा की जाती है और उनको अद्यतन बनाया जाता है ।

बैंक ने मंडल द्वारा अनुमोदित संरचित एवं मानकीकृत ऋण प्रक्रिया अपनाई है, जिसमें बासल ॥ अनुपालन ऋण दर निर्धारण/स्कोरिंग फ्रेमवर्क का समावेश है ताकि आस्ति संविभाग का दर निर्धारण हो सके। मंजूरी पूर्व दर-निर्धारण आबंटन और प्रारंभिक स्तर से अधिक जोखिम हेतु एक स्वतंत्र प्रणाली जोड़ी गई है ताकि मंजूरी और समीक्षा प्रक्रिया को अलग-अलग कर सके। ऋण जोखिम को कम करने के लिए नैगम/क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर ऋण समितियों का गठन किया गया है जो ऋण प्रस्तावों का सभी दृष्टिकोण से मूल्यांकन करती हैं और मंजूरीदाता प्राधिकारी को वांछित अनुशंसा करती हैं । ऋण संबंधी निर्णय और उनकी कीमत का निर्धारण उधारकर्ता के श्रेणी निर्धारण पर आधारित है ।

संविभाग जोखिम जो संकेंद्रित जोखिम के रूप में प्रकट/व्यक्त होता है उसे व्यक्तिगत उधारकर्ता/समूह को प्रदान करनेवाली ऋण सीमा की मात्रा में जोखिमों को सीमित रखते हुए उसकी आवधिक अंतरालों पर समीक्षा की जाती है। बैंक में पर्याप्त तथा बेजमानती ऋण जोखिमों की निगरानी हेतु एक प्रणाली निर्मित की गई है और संवेदनशील क्षेत्र अग्रिमों की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है ।

परिचालन जोखिम प्रबंधन:

प्रौद्योगिकी के प्रयोग में हुई जोरदार वृद्धि और वैश्विक वित्तीयन का जुड़ाव ऐसे दो प्रारंभिक परिवर्तन है, जो परिचालन जोखिम में बड़ी भूमिका निभाते है। आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणालियों का इस्तेमाल करके इन जोखिमों को कम किया जा सकता है । बैंक ने परिचालन जोखिम के पूंजीगत प्रभार के अभिकलन हेतु भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित मूल संकेतक दृष्टिकोण को अपनाया है ।

जन जोखिम, जो परिचालन जोखिम प्रबंधन का एक मुख्य घटक है इसे पर्याप्त प्रशिक्षण और प्रबंधन कार्यक्रमों में परिवर्तन तथा चयन करने से पूर्व भर्ती प्राक्रियाओं के दौरान कर्मचारियों की भली भांति जाँच करने के अलावा समुचित उत्तराधिकार योजना के माध्यम से कम किया जाता है।

management of various risk exposures, development of systems to monitor and relate them to bank's capital and reserve funds and compliance with internal policies, apart from effectively communicating all relevant policies and procedures through out the bank.

Risk Management Department at Corporate Office oversees the overall implementation of various risk management initiatives across the Bank.

Credit Risk Management:

The objective of credit risk management is to minimize the risks and maximize the bank's risk adjusted rate of return by assuming and maintaining the credit exposure within the acceptable parameters. The Bank has adopted standardized approach to arrive at credit risk weighted assets for computing CRAR, as required under the New Capital Adequacy Framework (NCAF) of RBI.

The Bank has a well articulated Credit and Credit Risk Policies, duly approved by the Board. The policies are regularly reviewed and updated to take care of micro and macro economic developments, regulatory guidelines, Government policies and Bank's specific requirements.

The Bank has a structured and standardized credit approval process which includes a Basel II compliant credit rating/scoring framework enabling it to ensure that the asset portfolio is rated. An independent system of pre-sanction rating allotment and confirmation for exposures beyond a threshold level has also been put in place thus, segregating the sanction and review process. To mitigate Credit Risk, Credit Committees have been constituted at Corporate/Regional Offices to evaluate credit proposals from all angles and make necessary recommendations to the sanctioning authority. Credit decisions and pricing are linked to borrower rating.

Portfolio risk which manifests as concentration risk is addressed by limiting the size of exposures to individual borrowers/group, fixing industry/sector-wise limits which are reviewed at periodic intervals. The Bank has also a system of monitoring its substantial and unsecured exposures and undertakes periodic review of sensitive sector advances.

Operational Risk Management:

Exponential growth in the use of technology and increase in global financial inter linkages are the two primary changes that contribute to operational risk. Internal control and internal audit systems are mainly used to mitigate these risks. The bank has adopted Basic Indicator approach as stipulated by RBI, for computing capital charge for operational risk.

People Risk representing the "soft factors" of operational risk management is being addressed by adequate training and change management programmes and proper succession planning apart from adequate recruitment procedures for screening employees before selection.

बैंक द्वारा बनाई गई योजनाओं तथा शुभारंभ किए गए उत्पादों की जोखिम दृष्टिकोण से जाँच की जाती है ।

बाजार जोखिम प्रबंधन

बैंक ने विवेकपूर्ण जोखिम सीमाएँ, प्रक्रियाएं, अधिकतम परिपक्वता अवधि, वी ए आर सीमाएं, धारण अवधि, स्टॉप–लॉस सीमाएं आदि जैसे जोखिमों को शामिल करते हुए बाजार जोखिम नीति अपनाई है । बैंक ने विकसित जोखिम प्रबंधन साधन, जैसे, जोखिम पर मूल्य अर्जन, सफल पूरक सीमाएँ, शुद्ध एक दिवसीय स्थिति सीमाएँ (एन.ओ.ओ.पी.) और संशोधित अवधि सीमाओं को बाजार जोखिम के प्रबंधन हेतु अपनाया है ।

बैंक के पास अपने देशी राजकीय तथा विदेशी राजकोष परिचालन हेतु विस्तृत निवेश नीति है । एक स्वतंत्र मिड ऑफिस पॉलिसी दिशानिदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है ।

बासल–II मानदंडों का कार्यान्वयन

बैंक दि. 31-03-2008 से बासेल–॥ मानदंडों का अनुपालन कर रहा है। भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता का नया ढाँचा, मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाते हुए, परिचालन जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण और बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण अपनाते हुए पिलर–। की अपेक्षा के अनुसार जोखिम भारिता परिसंपत्ति की तुलना की जाती है ।

बासेल–॥ ढाँचे के अनुपालन में, बैंक द्वारा सामना किए जानेवाले विभिन्न जोखिमों के संबंध में आंतरिक पूंजी निर्धारित करने के लिए बैंक ने अपनी आंतरिक पूँजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आई.सी.ए.ए.पी.) की नीति निरूपित की है । बैंक तिमाही आधार पर पिलर–॥ जोखिमों का निर्धारण, पूंजी के पूर्वानुमान के आधार पर करता है, जो पिछली तिमाही के वास्तविक कार्यकारी परिणामों पर निर्भर होता है । आई.सी.ए.ए.पी. का प्रमाणीकरण लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाता है । बैंक अपनी जोखिम प्रवृत्ति तथा जोखिम रूपरेखा को ध्यान में रखकर तथा नियंत्रकों की अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु आई. सी.ए.ए.पी. नीति की नियमित रूप से समीक्षा एवं आशोधन करता है ।

बैंक ने संभाव्य समस्यावाले क्षेत्रों के निर्धारण के लिए तथा बैंक के संविभाग पर प्रतिकूल प्रभाव डालनेवाले भारी परिवर्तनों को पहचानने के लिए मंडल द्वारा अनुमोदित स्ट्रेस टेस्टिंग नीति को अपनाया है । मूलभूत धारणाएं सम य–समय पर बदलने से स्ट्रेस टेस्ट की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है ताकि बाजार में घटनेवाली घटनाओं के प्रति संवेदनशील एवं उत्तरदायी बने रहें ।

बैंक ने मंडल द्वारा अनुमोदित प्रकटीकरण नीति अपनाई है और बासेल–॥ मानदंडों के पिलर–॥॥ के अधीन भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रकटीकरण मानदंड का अनुपालन करता है ।

आस्ति देयता प्रबंधन:

उच्च प्रबंधन तंत्र के लोग आस्ति देयता प्रबंधन के सदस्य हैं और वे तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम, अंतर/असंतुलन जोखिम, आधार जोखिम, पुनर्मूल्यन जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम तथा ईक्विटी मूल्य जोखिम आदि के प्रबंधन के लिए नियमित रूप से बैठकें आयोजित करते हैं ।

बैंक भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार वैश्विक आस्तियों एवं देयताओं पर अवधि अंतराल दृष्टिकोण को लागू करने हेतु प्रयासरत है ।

एफ.एस.ए. की चलनिधि व्यवस्था के अंतर्गत हमारी लंदन शाखा के लिए वित्तीय सेवा प्राधिकार, यू.के. साथ 'होल फर्म मोडिफिकेशन' दृष्टिकोण

The Schemes and Products launched by the Bank are duly vetted from the risk angle.

Market Risk Management:

The Bank has an integrated Market Risk Policy prescribing prudential risk limits, procedures, maximum maturity/ duration, VaR limits, holding period, stop loss limits, defeasance period. The Bank has adopted advanced risk management tools like Value at Risk, Earnings at Risk, Aggregate Gap limits, Net Overnight Open Position Limits (NOOP) and Modified Duration limits to manage market risk.

The Bank has also a detailed Investment Policy for its Domestic Treasury and Forex Treasury operations. An independent Mid Office ensures compliance with the policy guidelines.

Implementation of Basel II norms:

The Bank is Basel II norms compliant since March 31, 2008. The capital to risk weighted assets ratio is computed as per Pillar I requirements adhering to the new capital adequacy framework guidelines of RBI, adopting Standardized Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration Approach for Market Risk.

In compliance with the Pillar II guidelines, the Bank has formulated its Internal Capital Adequacy Assessment Policy (ICAAP) to assess capital in relation to various risks the bank is exposed to. Pillar II risks are assessed on a quarterly basis along with the projected capital requirement based on the actual working results of the previous quarter. The ICAAP is subjected to validation by auditors. The Bank has been regularly reviewing and modifying the ICAAP policy keeping in view the risk appetite and risk profile of the bank and to meet the requirements of regulator.

Bank has a Board approved Stress Testing Policy to assess areas of potential problems and to identify future changes that could have unfavourable effect on bank's portfolio. As the underlying assumptions keep changing from time to time, the stress test is reviewed periodically so as to be responsive and sensitive to the happenings in the market.

The Bank has put in place a Board approved Disclosure Policy adhering to the disclosure norms under Pillar III of Basel II as per RBI guidelines.

Asset Liability Management

The Asset Liability Management comprising of members of the top management regularly meet to manage Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Gap/mis-match Risk, Basis Risk, Re-pricing Risk, Forex Risk and Equity Price Risk. It includes products pricing for deposits as well as advances and the desired maturity profile of assets and liabilities.

The Bank is in the process of implementing the Duration Gap Approach on the global assets and liabilities as per RBI guidelines.

With the Financial Services Authority, UK approving "Whole Firm Modification" approach for our London Branch under

के लिए अनुमोदन मिलने पर बैंक ने लंदन शाखा तथा पूरे बैंक में चलनिधि की प्रभावी निगरानी हेतु एक व्यवस्था/तंत्र लागू किया है ।

बैंक ने किसी भी आकस्मिकता के प्रबंधन के लिए एक अच्छी आकस्मिक नकदी निधि योजना तैयार की है । बाजार में नकदी की कमी होने के बावजूद बैंक वर्ष के दौरान अनुकूलतम नकदी का प्रबंधन करने में सफल रहा है।

राष्ट्रीय प्राथमिकताएं

विभिन्न क्षेत्रों को ऋण देने में बैंक के अनुभव के आधार पर और गत्यात्मक आर्थिक विकास, सरकारी निदेश, राष्ट्रीय प्रमुखताएं और सामाजिक आर्थिक दायित्व को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार विशेष रूप से कृषि, मिड कार्पोरेट एवं एस एम ई तथा नए कारोबार की संभावनावाले क्षेत्रों में ग्रामीण उधार पर विशेष ध्यान दिया गया।

वर्ष के दौरान वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करने हेतु समाज के सभी वर्गों को शामिल करते हुए बैंक ने, धारणीय ऋण वृद्धि, आस्ति की गुणवत्ता में वृद्धि हासिल करने तथा अधिकतम उपार्जन सुनिश्चित करने और कुशल विविधीकृत ऋण संविभाग बनाए रखने के लिए विविध मानदंडों को अपनाया है।

बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के अंतर्गत उसकी स्थिति के समेकन तथा संपत्ति की गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए इस क्षेत्र के लिए ऋण देने में वृद्धि हासिल की है। कृषि, एस एम ई तथा अर्थव्यवस्था के अन्य उत्पादक क्षेत्रों को ऋण देने हेतु ध्यान केंन्द्रित किया गया। बैंक विभिन्न उद्यमों के निष्पादन एवं उनके दृष्टिकोण पर निगरानी रखता है और संभाव्य वृद्धि आधारित क्षेत्रों को ऋण प्रदान करता है।

बड़ी संख्या में प्राप्त होनेवाले ऋण आवेदनपत्रों के त्वरित निपटान एवं ऋण संबंधी निर्णय लेने की समयावधि को घटाने के उद्देश्य से बैंक ने, कृषि ऋण सहित विभिन्न प्राथमिकता क्षेत्र संविभागों के अंतर्गत भावी ग्राहकों को उनकी ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 'आनलाइन रिक्वेस्ट' सुविधा लागू की है। भावी ग्राहक, बैंक के वेबसाइट में उपलब्ध निर्धारित फार्मेट में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदकों को विशिष्ट संदर्भ संख्या सहित प्रणाली आधारित अभिस्वीकृति तत्काल उपलब्ध करायी जाएगी ताकि वे अपने आवेदनों की स्थिति की जानकारी ले सकें ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम

बैंक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम का स्तर मार्च 2011 को ₹ 36,611.26 करोड़ तक पहुँच गया जो 40 प्रतिशत के अनिवार्य लक्ष्य के प्रति निवल बैंक ऋण का 46.22 प्रतिशत बनता है। बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम के अंतर्गत 21.87 लाख से भी अधिक ग्राहकों को लाभ पहुँचाया है। अत्यंत लघु और लघु उद्यमों को प्रदान किए गए कुल ऋण ₹ 11,910.56 करोड़ हैं। इस पर विशेष ध्यान दिया गया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदायों, कमज़ोर वर्गों तथा महिला हिताधिकारियों की वास्तविक ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति जरूर हो। कमज़ोर वर्गों को दिए गए अग्रिमों का स्तर 31-03-2011 को ₹ 8,505.41 करोड़ तक पहुँच गया जो निवल बैंक उधार (ए.एन.बी.सी.) का 10.74 बनता है जो इस क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्य 10 प्रतिशत से अधिक है। महिला ग्राहकों को दिए गए अग्रिम दि. 31-03-2010, तक की स्थिति के अनुसार ₹ 5,467.38 करोड़ से बढ़कर दि. 31-03-2011 को ₹ 6,319.76 करोड़ हो गया, जो निवल बैंक ऋण का 7.98 प्रतिशत है, जबकि इसके लिए निर्धारित लक्ष्य 5 प्रतिशत है। वैसे, अल्पसंख्यकों को दिए गए ऋण दि. 31-03-2010,

the liquidity regime of FSA, the bank has put in place a mechanism for effective monitoring of liquidity at London Branch and for the bank as a whole.

The Bank has a well documented Contingency Liquidity Funding Plan for managing any contingency. The bank was able to manage its liquidity comfortably during the year.

NATIONAL PRIORITIES

Based on the Bank's experience in lending to different sectors and considering the dynamics of economic growth, Government directives, national priorities and socio-economic obligations, thrust was given during the year to Priority Sector lending especially lending to agriculture, mid-corporates & SMEs and rural lending where fresh business opportunities are emerging.

During the year, the Bank has adopted various strategies to achieve sustainable credit growth, improve asset quality, ensure higher earnings and maintain well-diversified credit portfolio, while covering all sections of the society to ensure financial inclusion.

The Bank has continued its growth under Priority sector lending with added thrust on consolidation of its position and focus on asset quality. The focus areas for credit were agriculture, SMEs and other productive sectors of the economy. The Bank continuously tracks the performance and outlook of various industries and lends to the potential growth oriented sectors.

For quick disposal of large number of credit applications and to reduce time taken in credit decisions, the Bank has introduced the "Online Request" facility to prospective clients covering their credit requirements under various Priority sector segments including agricultural loans. The prospective clients can submit their request for loan through the prescribed application form made available in the Bank's website. System generated acknowledgement with unique reference number is provided to the applicants immediately which can be used by them for tracking the status of their applications.

Priority Sector Advances

Priority Sector Advances of the Bank reached a level of ₹ 36,611.26 crore as at March 31, 2011 constituting 46.22 per cent of the Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against the mandatory level of 40 per cent. The Bank has covered more than 21.87 lakh customers under Priority Sector Advances. Lending to Micro & Small Enterprises stood at ₹ 11,910.56 crore. Special care was taken to ensure that the credit needs of SC/ST, minorities, weaker sections and women were fully met. Advances to weaker sections reached a level of ₹ 8,505.41 crore as at March 31, 2011 forming 10.74 per cent of the ANBC, surpassing the prescribed norm of 10 per cent. The advances to women customers increased from ₹ 5,467.38 crore as at March 31, 2010 to ₹ 6,319.76 crore as at March 31, 2011, forming 7.98 per cent of the ANBC against the mandatory norm of 5 per cent. Similarly, advances to minorities increased from

तक की स्थिति के अनुसार ₹ 4,399.12 करोड़ से बढ़कर दि. 31-03-2011 को ₹ 5,569.30 करोड़ हो गए जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण का 15.21 प्रतिशत है, जबकि इसके लिए निर्धारित लक्ष्य 15 प्रतिशत है।

कृषि एवं अनुषंगी क्रियाकलाप

मार्च 2011 को कृषि ऋण स्तर ₹ 14,745.99 करोड़ तक पहुंच गया जो अधिदेशात्मक 18 प्रतिशत के प्रति ए.एन.बी.सी. का 18.62 प्रतिशत है। बैंक ने 14.11 लाख से अधिक ग्राहकों को कृषि अग्रिम प्रदान किए। वर्ष के दौरान कृषि ऋण की विशेष योजना के अंतर्गत ₹ 10,044.77 करोड़ की राशि संवितरित की गयी जो पिछले वर्ष की ₹ 8,013.72 करोड़ से अधिक है। बैंक ने वर्ष के दौरान अपने 1,218 ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी शाखाओं के माध्यम से 1,52,953 किसानों को अपना नया ग्राहक बनाया है जिससे प्रति ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखा के लिए औसतन 126 नए किसान जुड़े हैं जो प्रति ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखा में कम से कम 100 नए किसानों को ग्राहक बनाने के लिए सरकार द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्य से अधिक है।

सिंडिकेट किसान क्रेडिट कार्ड योजना (एस.के.सी.सी.)

बैंक ने वर्ष 2010-11 के दौरान 3.57 लाख नए एस.के.सी.सी. कार्ड जारी किए हैं। इस प्रकार अब तक जारी किए गए सिंडिकेट किसान क्रेडिट कार्डों की संचयी कुल संख्या 22.08 लाख हो गयी है, जिनके अंतर्गत कुल ऋण सीमा ₹ 9,047 करोड़ है। वर्ष के दौरान सिंडिकेट किसान क्रेडिट कार्ड का निरीक्षण किया गया और निम्नांकित मूल्यवर्धित परिवर्धन जोड़े गए:

(क) वित्त की मात्रा में वृद्धि तथा किसानों की अधिक ऋण आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बड़ी सीमाओं को शामिल किया गया।

(ख) 'डेट स्वैप' सुविधा की शुरुआत की गयी

(ग) शाखा/क्षेत्रीय कार्यालयों ने एक लक्ष्य बनाकर ऋण कैंपों का आयोजन किया जिससे बैंक को मार्च 2010 की स्थिति की तुलना में खातों की संख्या तथा ऋण राशि में क्रमश: 20.73 प्रतिशत तथा 28.12 प्रतिशत वृद्धि हासिल करने में मदद मिली।

सिंडिकेट किसान समृद्धि क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत बैंक ने वर्ष के दौरान 1,881 कार्डों को जारी किया तथा ₹ 13.24 करोड़ की ऋण सीमा भी दी गई। यह कार्ड किसानों को आवश्यकता आधारित अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने के अतिरिक्त सुविधाजनक निवेश ऋण उपलब्ध कराता है।

सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं

बैंक ने सरकार द्वारा प्रायोजित गरीबी उन्मूलन एवं रोज़गार जनक योजनाओं के कार्यान्वयन में निरंतर सहभागिता की है। इन योजनाओं के अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा. और महिला हिताधिकारियों एवं अल्पसंख्यक हिताधिकारियों के चयन पर विशेष ज़ोर दिया गया। वर्ष के दौरान इन योजनाओं, अर्थात पी.एम.ई.जी.पी., एस.जी.एस.वाई. तथा एस.जे.एस.आर.वाई. के अंतर्गत संवितरित कुल राशि ₹ 60.84 करोड़ है जिससे 4,765 लोग लाभान्वित हुए। सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन करते समय अ.जा./अ.ज.जा./ओ.बी.सी. और अल्पसंख्यक समुदायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विशेष जोर दिया गया।

अ.जा./अ.ज.जा. को अग्रिम

अ.जा./अ.ज.जा. हिताधिकारियों को विभिन्न योजनाओं, खास तौर पर सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत शामिल करने की दृष्टि से इन योजनाओं का नियमित रूप से पुनरीक्षण किया गया है। बैंक ने अपनी विभिन्न योजनाओं के बारे में अ.जा./अ.ज.जा. को जानकारी देने के लिए विशेष प्रयास किए ताकि वे इन योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकें। अ.जा./अ.ज.जा.

₹ 4,399.12 crore as at March 31, 2010 to ₹ 5,569.30 crore as at March 31, 2011, forming 15.21 per cent of the Priority Sector Advances surpassing the mandatory requirement of 15 per cent.

Agriculture and allied activities

Credit to agriculture reached a level of ₹ 14,745.99 crore forming 18.62 per cent of the ANBC as at March 31, 2011 against the mandatory level of 18 per cent. The Bank has covered more than 14.11 lakh customers under agricultural advances. The disbursement under Special Plan for Agricultural Credit during the year amounted to ₹ 10,044.77 crore against the disbursement of ₹ 8,013.72 during the previous year. The Bank brought 1,52,953 new farmers into its fold during the year through 1,218 rural and semi-urban branches, registering an average of 126 new farmers per rural and semi-urban branch and surpassed the government's stipulation of each rural and semi-urban branch bringing at least 100 new farmers into the Bank's fold.

Syndicate Kisan Credit Card Scheme (SKCC)

The Bank has issued 3.57 lakh SKC Cards during the year 2010-11. The cumulative number of Syndicate Kisan Credit Cards so far issued is 22.08 lakh with a total credit limit of ₹ 9,047 crore. During the year, Syndicate Kisan Credit Card Scheme was revisited and the following value additions were introduced.

a) To take care of increase in scale of finance and higher requirement of the farmers, staggered limits were incorporated.

b) Debt Swap facility has also been introduced.

c) Branches/Regional Offices conducted credit camps in a mission mode which helped the Bank to increase the number of accounts and amount by 20.73 per cent and 28.12 per cent respectively over March, 2010 outstanding level.

Under the Syndicate Kisan Samrudhi Credit Scheme, the Bank has issued 1,881 cards with a credit limit of ₹ 13.24 crore during the year, which provide hassle-free investment credit in addition to need-based short-term credit to the farmer.

Government Sponsored Schemes

The Bank continued to participate in implementing poverty alleviation and employment generation schemes sponsored by the Government. Special emphasis was laid on selecting SC/ST, women and minority community beneficiaries under these schemes. The total amount disbursed under these schemes viz. PMEGP, SGSY, and SJSRY during the year was ₹ 60.84 crore benefiting 4,765 families. Special thrust was given on extending financial support to SC/ST/OBC and minorities, while implementing Govt. sponsored schemes.

Advances to SC/ST

The coverage of SC/ST beneficiaries under various schemes, especially under Govt. sponsored schemes is reviewed at regular intervals. The Bank has initiated special steps to create awareness about various schemes of the Bank among SC/STs to motivate them to avail of

को दिए गए अग्रिम दि. 31-03-2010 के ₹ 1,407.81 करोड़ से बढ़कर दि. 31-03-2011 को ₹ 1957.84 करोड़ हो गए, जो वर्ष 2010-11 के दौरान 39.07 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

अल्पसंख्यक समुदायों को अग्रिम

बैंक ने अल्पसंख्यक समुदायों के लाभ के लिए उपलब्ध विभिन्न ऋण उत्पादों का उनके बीच प्रचार करवाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों तथा अग्रणी जिला कार्यालयों के माध्यम से अनेक उपाय किए हैं। अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए अग्रिम दि. 31-03-2010 के ₹ 4,399.14 करोड़ से बढ़कर मार्च 2011 को ₹ 5,569.30 करोड़ हो गए, जिसमें वर्ष 2010-11 के दौरान 26.60 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई हैं। अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्ध कराना और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए प्रधान मंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्थिति और सच्चर समिति की सिफारिशें इत्यादि की जानकारी बैंक के वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई गयी हैं।वर्ष के दौरान बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की सुविधा के लिए विशेष ब्याज योजना की शुरुआत की है।

सिंडस्माल क्रेडिट

बैंक ने कम आमदनीवाले उद्यमियों को आवश्यकता आधारित ऋण प्रदान करने हेतु जून 2007 के दौरान ''सिंडस्माल क्रेडिट'' नामक एक नवोन्मेषी योजना शुरू की, जिसमें कुछ आंतरिक सुविधाएं शामिल की गयी हैं, जैसे दहलीज़ पर बैंकिंग, लचीली चुकौती तथा उपभोग एवं उच्च लागतवाले निजी ऋणों की चुकौती के लिए सीमा इत्यादि। वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने इस योजना के अंतर्गत 12,633 उद्यमियों को ₹ 182.18 करोड़ के ऋण संवितरित किए हैं। उक्त योजनाओं के अंतर्गत कुल बकाया राशि 37,245 खातों के अधीन ₹ 403.51 करोड़ हैं।

स्व सहायता समूहों को ऋण सुविधा से जोड़ना

वर्ष 2010-11 के दौरान 29066 स्व सहायता समूहों को ऋण सुविधा से जोड़ा गया तथा ₹ 564.39 करोड़ की ऋण सहायता प्रदान की गयी है। बैंक ने मार्च 2011 तक 2,05,979 के स्व सहायता समूहों को ₹ 2,165.43 करोड़ की ऋण सहायता मंजूर की है। इस योजना के तहत 1,82,359 महिला समूहों को ₹ 1,868.10 करोड़ के ऋण प्रदान किए गए। मार्च 2011 तक स्व.स.स.के अंतर्गत 1,03,113 खातों में कुल बकाया राशि ₹ 1,058.63 करोड़ थी। बैंक ने, स्व.स.स. ऋण से जुड़ी सभी महिला सदस्यों को भारतीय जीवन बीमा निगम की जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत बीमा रक्षा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है और प्रीमियम राशि पर भारत सरकार की वित्तीय सहायता प्राप्त है। बीमा रक्षा के अलावा, इस योजना में शिक्षा सहयोग योजना के अंतर्गत एक ऐड–ऑन सुविधा भी है, जिस पर कोई अतिरिक्त लागत नहीं है/ऐड–ऑन सुविधा के अधीन बीमाकृत व्यक्ति के दो बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

2010-11 के दौरान, 2,503 संयुक्त देयता समूहों को (जे एल जी) ₹ 35.00 करोड़ की ऋण सहायता प्रदान की गई।

किसानों को ब्याज अनुदान का लाभ प्रदान करने में हुई प्रगति

बैंक ने भारत सरकार की ब्याज अनुदान योजना के अधीन खरीफ 2010 और रबी 2010-11 के दौरान किसानों को 7.0 प्रतिशत की रियायती ब्याज दरपर 5.06 लाख किसानों को ₹3016 करोड़ के फसल उत्पादन ऋण प्रदान किए हैं। बैंक ने वर्ष 2010-11 के दौरान, ₹ 19.90 करोड़ के ब्याज अनुदान का लाभ प्रदान किया।

the benefits under these schemes. Advances to SC/ST beneficiaries under Priority Sector, rose from ₹ 1,407.81 crore as at March 31, 2010 to ₹ 1,957.84 crore as at March 31, 2011 registering a growth of 39.07 per cent during the year 2010-11.

Advances to Minorities

The Bank has taken various measures through Regional Offices and Lead District Offices for publicizing amongst minority communities the various credit products available for their benefit. The advances to Minorities rose from ₹ 4,399.14 crore as at March 31, 2010 to ₹ 5,569.30 crore as at March 31, 2011, registering a growth of 26.60 per cent during the year. The information pertaining to credit flow to Minority communities and status of implementation of Prime Minister's 15 point programme for Minorities and Sachar Committee recommendations are placed in the Bank's website. Special interest scheme was introduced by the Bank during the year for the benefit of minority community under Priority Sector lending.

SyndSmall Credit

The Bank has launched an innovative scheme called "SyndSmallCredit" during June 2007, to extend need-based credit to the entrepreneurs of small means, with inbuilt advantageous features viz. doorstep banking, ballooning repayment and limit for consumption & repayment of high-cost private debts. During 2010-11, the Bank has disbursed ₹ 182.18 crore to 12,633 entrepreneurs under this scheme. The outstanding under the scheme as at March, 2011 is ₹ 403.51 crore under 37,245 accounts.

Credit linkage of Self Help Groups

29066 new Self Help Groups were credit linked with a credit support of ₹ 564.39 crore during the year 2010-11. The Bank has credit linked 2,05,979 SHGs with a total credit exposure of ₹ 2,165.43 crore up to March 31, 2011 (cumulative) of which, number of women groups were 1,82,359 with a credit exposure of ₹ 1,868.10 crore. The outstanding advances to SHGs as at March 2011 was ₹ 1,058.63 crore under 1,03,113 accounts. The Bank is participating in the Jana Sree Bima Yojana of LIC of India to cover all the women members of SHGs credit linked to the Bank wherein the premium is subsidized by GOI. In addition to the insurance cover, the scheme entitles the insured to an add-on facility under Shiksha Sahayog Yojana at no additional cost. In terms of the add-on facility, two children of the insured are provided scholarships to pursue their studies.

During 2010-11, 2,503 Joint Liability Groups (JLGs) were credit linked with a credit support of ₹ 35.00 crore.

Progress in extending interest subvention benefit to the farmers

The Bank has extended crop production credit of ₹ 3,016 crore benefiting 5.06 lakh farmers at concessional interest rate of 7.00 per cent per annum under the interest subvention scheme of the Govt. of India during Kharif 2010 and Rabi 2010-11. The Bank has extended the interest subvention benefit to the tune of ₹ 19.90 crore during 2010-11.

सौर ऊर्जा का उपयोग :

बैंक सौर ऊर्जा के उन्नयन हेतु सक्रिय सहभागिता कर रहा है तथा जल तापन तथा सौर विद्युत प्रणाली के वित्तीयन से संबंधित योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। बैंक ने नए और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम एन आर ई) की योजना को कार्यान्वित करने के उददेश्य से आई आर ई डी ए के साथ एक सहमति ज्ञापन पर आपसी करार किया है, जिससे सौर जल तापन प्रणाली लगवाने के लिए 5 प्रतिशत की रियायती दर पर ऋण दिए जाएंगे जिसके लिए सरकार, जवाहरलाल नेहरु नेशनल सोलर मिशन (जे एन एन एस एम) के अंतर्गत 30 प्रतिशत की अपफ्रंट सब्सिडी प्रदान करती है। बैंक ने वर्ष 2010-2011 के दौरान ₹ 9.67 करोड़ राशि की 2,128 सौर जल तापन प्रणाली के लिए वित्तपोषण किया है। बैंक द्वारा 31-03-2011 तक कुल ₹ 97.92 करोड़ राशि की 34,864 यूनिट जल तापन प्रणालियों को वित्तपोषित किया गया है। बैंक ने मार्च 2011 तक ₹ 18.90 करोड़ की 10,341 यूनिट सौर विद्युत प्रणाली का वित्तपोषण किया है।

सौर ऊर्जा के विकास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका

बैंक द्वारा प्रायोजित तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जैसे गुड़गांव ग्रामीण बैंक (जी जी बी), कर्नाटक विकास बैंक (के वी जी बी) और प्रथमा बैंक, सौर विद्युत प्रणाली को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं।

इस संबंध में निष्पादन संबंधी विवरण निम्नवत् प्रस्तुत है :

(₹ करोडों में)

क्र. सं.	ब्यौरें	जी जी बी		के वी जी बी		पी बी	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2010-11 के दौरान	3,472	5.83	8,006	15.95	14,669	18.75
2	संचयी	9,562	15.68	28,145	50.62	29,124	36.34
3	कुल	13,034	21.51	36,151	66.57	43,793	55.09

सौर विद्युत प्रणाली को वित्तीय सहायता देने के लिए प्रथमा बैंक के उत्कृष्ट निष्पादन हेतु इसे वर्ष 2009 तथा वर्ष 2010 के लिए लगातार कौंसिल फॉर पॉवर युटिलिटिज द्वारा ''इंडिया पॉवर अवार्ड'' प्रदान किया गया। वर्ष 2009 में 'नवोन्मेषी वित्तीयन' के लिए तथा वर्ष 2010 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत के प्रयोग के लिए यह पुरस्कार प्राप्त हुआ।

कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना –2008

बैंक ने भारत सरकार/भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना–2008 को कार्यान्वित किया। ऋण माफी योजना के अंतर्गत ₹ 736.87 करोड़ की ऋण राशि माफ की गयी जिससे 2,93,068 छोटे/सीमांत किसान लाभान्वित हुए। ऋण राहत योजना के अंतर्गत 84,603 'अन्य किसानों' को राहत प्रदान की गई जिसमें अंतर्विष्ट रकम ₹ 182.24 करोड़ है। मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार 2,65,562 किसानों को ₹ 1,137.60 करोड़ तक नये ऋण मंजूर किए गए। भारत सरकार/भा.रि.बैं. ने ₹ 887.29 करोड़ की राशि की प्रतिपूर्ति की है। ₹ 31.82 करोड़ की शेषराशि जुलाई 2011 के दौरान प्राप्य है।

कॉफी ऋण राहत पैकेज 2010 (सी डी आर पी)

बैंक ने, भारत सरकार के निदेशानुसार, ऋणग्रस्त छोटे कॉफी उत्पादकों को कॉफी ऋण राहत पैकेज 2010 लागू किया है। इस पैकेज के अंतर्गत

Harnessing Solar Energy

The Bank is actively involved in promoting solar energy and implementing the schemes for financing Solar Water Heating Systems and Solar Lighting Systems. The Bank has signed an MOU with IREDA to implement MNRE's (Ministry of New and Renewable Energy) scheme for extending loans for installation of Solar Water Heating Systems at concessional rate of 5 per cent wherein the Govt. is providing 30 per cent upfront subsidy under Jawaharlal Nehru National Solar Mission (JNNSM). During 2010-11, the Bank has financed 2,128 Solar Water Heating Systems to the tune of ₹ 9.67crore. The cumulative number of Solar Water Heating Systems financed by the Bank is 34,864 units with cumulative disbursement to the tune of ₹ 97.92 crore up to the end of March 2011.

So far, the Bank has financed 10,341 units of Solar Home Lighting Systems with disbursement amounting to ₹ 18.90 crore up to the end of March 2011.

Role of RRBs in harnessing Solar Energy

Three Regional Rural Banks viz. Gurgaon Grameena Bank (GGB), Karnataka Vikas Grameena Bank (KVGB) and Prathama Bank (PB) sponsored by the Bank are also actively involved in financing Solar Lighting Systems. Their performance in this regard is furnished below:

(₹ crore)

Sl. No.	Particulars	GGB		KVGB		PB	
		Number	Amt.	Number	Amt.	Number	Amt.
1	During 2010-11	3,472	5.83	8,006	15.95	14,669	18.75
2	Cumulative	9,562	15.68	28,145	50.62	29,124	36.34
3	Total	13,034	21.51	36,151	66.57	43,793	55.09

In recognition of their performance in financing Solar Lighting Systems, Prathama Bank was awarded "India Power Award" for the years 2009 and 2010 consecutively by the Council for Power Utilities. For the year 2009, the award was given for "Innovative financing" and for the year 2010, it was given for "Innovative initiative in the use of New & Renewable Energy Sources".

Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme (ADWDRS)-2008

In terms of GOI/RBI guidelines, the Bank has implemented the Agriculture Debt Waiver & Debt Relief Scheme-2008. 2,93,068 Small/Marginal farmers were covered under the Debt Waiver scheme and an amount of ₹ 736.87 crore has been waived. Under the Debt Relief scheme, 84,603 'Other farmers' were provided with relief amounting to ₹ 182.24 crore. As per the guidelines, 2,65,562 farmers were provided with fresh credit to the extent of ₹ 1,137.60 crore. An amount of ₹ 887.29 crore has been received as reimbursement from GOI/RBI. Balance amount of ₹ 31.82 crore is receivable during July 2011.

Coffee Debt Relief Package 2010 (CDRP):

As per Govt. of India guidelines, the Bank has implemented Coffee Debt Relief Package 2010 for the debt-ridden small

₹ 20.56 करोड़ के ऋण माफ किए गए जिससे 5,473 छोटे कॉफी उत्पादक लाभान्वित हुए। छूट की कुल राशि में भारत सरकार और बैंक का हिस्सा क्रमश: ₹ 14.60 करोड़ तथा ₹ 5.96 करोड़ था।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

बैंक द्वारा प्रायोजित 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, जिनकी 1,419 शाखाएं 5 राज्यों के 31 जिलों में फैली हुई है। बैंक द्वारा प्रायोजित सभी क्षे.ग्रा.बैं. प्रमुख कारोबार मानदंडों के मामले में देश के 82 क्षे.ग्रा.बैं. की तुलना में शीर्षपंक्ति में विराजमान हैं। बैंक द्वारा प्रायोजित इन क्षे.ग्रा.बैं. का कुल कारोबार वर्ष के अंत में ₹ 32,895.93 करोड़ रहा जो वर्ष के दौरान 20.13 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है।

क्षे.ग्रा.बैं. की कुल जमाराशियों तथा अग्रिमों में वृद्धि होकर वे क्रमश: ₹ 18,458.88 करोड़ और ₹ 14,437.05 करोड़ के स्तर तक पहुंच गए जो क्रमश: 20.43 प्रतिशत और 19.76 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता हैं । इन क्षे.ग्रा.बैं. के कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम ₹ 12,384.07 करोड़ रहा जो 31 मार्च, 2011 के कुल अग्रिमों का 85.78 प्रतिशत बनता है। उनका कुल कृषि अग्रिम ₹ 9,553.06 करोड़ तक पहुंच गया जो कुल अग्रिमों का 66.17 प्रतिशत बनता है । कुल मिलाकर, क्षे.ग्रा.बैं. ने 5.58 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं जिनकी कुल बकाया राशि ₹ 4,584.10 करोड़ है । क्षे.ग्रा.बैं. ने वर्ष 2010-11 के लिए कुल ₹ 376.06 करोड़ के निवल लाभ अर्जित किए ।

भा.रि.बैं. द्वारा गठित क्षे.ग्रा.बैं. के प्रौद्योगिकी स्तरोन्नयन के संबंध में गठित समूह के सुझावों के अनुसार बैंक द्वारा प्रायोजित क्षे.ग्रा.बैं. ने वर्ष 2010-11 के दौरान सी.बी.एस. का कार्यान्वयन किया और 627 शाखाएँ और सात उपशाखाएं सी.बी.एस. नेटवर्क के साथ सफलतापूर्वक जुड़ गयी हैं। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की सभी शाखाओं को सी.बी.एस. प्लेटफॉर्म के अंतर्गत शामिल किया गया है ।

ग्रामीण विस्तार शिक्षा कार्यक्रम

बैंक हमेशा से कृषि क्षेत्र में, कृषि उत्पादकता में सुधार लाने की दृष्टि से प्रौद्योगिकी अपनाने में अग्रणी रहा है । वर्ष 2010-11 के दौरान हमारी शाखाओं द्वारा 523 ग्राम विस्तार शिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें 68,437 किसानों/गाँव के लोगों ने भाग लिया। इन कार्यक्रमों में संगोष्ठियाँ, जानवरों के स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, विशेषज्ञों के व्याख्यान, क्षेत्रों का दौरा, प्रदर्शनी, स्वनियोजन जानकारी कार्यक्रम, वन महोत्सव इत्यादि शामिल थे ।

सिंडिकेट ग्रामीण विकास न्यास (एस.आर.डी.टी.)

सिंडिकेट ग्रामीण विकास न्यास (एस.आर.डी.टी.) की स्थापना ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण गरीबों, खासकर, महिलाओं में ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए की गयी है । बैंक द्वारा 5 राज्यों में स्थापित 15 एस.आइ.आर.डी. के माध्यम से उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वर्ष 2010-11 के दौरान इन संस्थानों ने 309 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिससे 9,469 व्यक्ति लाभान्वित हुए, जिनमें से 6,065 महिलाएं थी और 2,168 अ.जा./अ.ज.जा. संवर्ग के थे। शुरू से अब तक प्रशिक्षित कुल अभ्यर्थियों की संख्या 72,376 है । नियोजन की दर 68 प्रतिशत है ।

coffee growers. Under the package, loans amounting to ₹ 20.56 crore were waived benefiting 5,473 small coffee growers. In the total amount of waiver, the shares of Govt. of India and the Bank were ₹ 14.60 crore and ₹ 5.96 crore respectively.

Regional Rural Banks

There are 5 Regional Rural Banks sponsored by the Bank, covering 31 districts in 5 states, with a network of 1,419 branches. All the RRBs sponsored by the Bank are in the top league of the 82 RRBs in the country, in respect of key business parameters. Total business of RRBs sponsored by the Bank stood at ₹ 32,895.93 crore, at the year end registering an annual growth of 20.13 per cent over the previous year.

The total deposits and advances of the RRBs reached a level of ₹ 18,458.88 crore and ₹ 14,437.05 crore respectively with an annual growth of 20.43 per cent and 19.76 per cent respectively. The total Priority Sector advances of these RRBs stood at ₹ 12,384.07 crore constituting 85.78 per cent of the total advances as at March 31, 2011. Their agricultural advances reached a level of ₹ 9,553.06 crore forming 66.17 per cent of the total advances. In all, the RRBs have issued 5.88 lakh Kisan Credit Cards to farmers with an outstanding credit of ₹ 4,584.10 crore. The RRBs have together earned a net profit of ₹ 376.06 crore for the year 2010-11.

As per the suggestions of the Working Group on Technology upgradation of RRBs constituted by RBI, the RRBs sponsored by the Bank have moved towards implementation of CBS during 2010-11 and have in all successfully migrated 627 branches and 7 ECs to the CBS network. All the branches of Karnataka Vikas Grameen Bank have been brought under the CBS platform.

Rural Extension Education Programmes

The Bank has been in the forefront in promoting adoption of new technology in the field of agriculture and rural ventures, enabling farmers & entrepreneurs to improve their productivity/production. 523 Rural Extension Education Programmes benefiting 68,437 farmers/ villagers were organized by the branches during the year 2010-11. These programmes included agricultural seminars, animal health check-up camps, expert lectures, field visits, demonstrations, self-employment awareness programmes, vanamahotsavas etc.

Syndicate Rural Development Trust (SRDT)

Syndicate Rural Development Trust (SRDT) was established to promote rural development and rural entrepreneurship among the rural poor, especially women. Training is imparted for the purpose through 15 Syndicate Institutes of Rural Entrepreneurship Development set up in five states. 5 of these Institutes were set up during 2010-11. These institutes have conducted 309 training programmes during the year 2010-11, benefiting 9,469 persons, of whom 6,065 were women and 2,168 were from SC/ST category. Total candidates trained since inception is 72,376. The settlement rate is 68 per cent.

ग्रामीण विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (रुडसेटी)

बैंक ने देशभर में 24 ग्रामीण विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (रुडसेटी) का सह-प्रायोजन किया है । इन संस्थानों ने वर्ष 2010-11 के दौरान 21,881 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया । इनमें से 12,820 महिलाएं थी और 6,136 अ.जा./अ.ज.जा. के थे । शुरू से अब तक प्रशिक्षित कुल अभ्यर्थियों की संख्या 2,60,116 है । नियोजन की दर 71 प्रतिशत है ।

रुडसेटी को भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा रोल मॉडेल के रूप में स्वीकार किया गया है जिसे देशभर में जिला स्तर पर लागू किया जाना है ।

अग्रणी जिला योजना

बैंक लक्षद्वीप द्वीपसमूह के संघ शासित क्षेत्र सहित देशभर के 25 जिलों में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी संभाल रहा है । इन 25 अग्रणी जिलों में बैंक ने जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों का आयोजन यानि डी.एल.आर.सी. और डी.सी.सी. का आयोजन नियमित रूप से किया है। भा.रि.बैं. द्वारा प्रवर्तित समय अनुसूची के अनुसार डी.सी.पी. 2011-12 को समयबद्ध रीति से पूरा किया गया । बैंक कर्नाटक राज्य और संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति का संयोजक है और बैंक ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वाह किया है । कर्नाटक के लिए एस.एल.बी.सी. और लक्षद्वीप केलिए यू.टी.एल.बी.सी. द्वारा अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन किया जाता है । बैंक ने लक्षद्वीप के निवासियों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के अंतर्गत इस वर्ष के दौरान एक विशेष ब्याज रियायत योजना की शुरुआत की है।

वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, जो निम्नलिखित माध्यमों के द्वारा लागों के जीवन में सुधार ला देती है :

(क) बैंकिंग सुविधाओं तक सहज पहुँच
(ख) उपयुक्त वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं की उपलब्धता
(ग) वित्तीय शिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम

31 मार्च 2012 के भीतर वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बैंक को 2000 और उस से अधिक जनसंख्यावालें 1,493 गाँवों को आबंटित किया गया है। इनमें से, 750 गाँवों को दि. 31-03-2011 के भीतर प्रथम चरण के कार्यान्वयन हेतु चयनित किया गया है । प्रथम चरण के अंतर्गत चयनित सभी 750 गाँवों में से 135 गाँवों में शाखाएं खोलकर और बाकी के 615 गाँवों में कारोबार प्रतिनिधियों को नियोजित करके किया गया है ।

उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु 5 प्रौद्योगिकी सेवा प्रदानकर्ताओं (टी.एस.पी.) का चयन किया गया है, जैसे, मेसर्स इंटेग्रा माइक्रो सिस्टम (प्रा) लिमिटेड, मेसर्स बर्टोनिक्स इण्डिया लिमिटेड, मेसर्स एच. सी. एल. लिमिटेड, मेसर्स इण्डियन ग्रामीण सर्विस और मेसर्स स्मार्ट चिप्स टेक्नॉलॉजी प्रोजेक्ट के पूर्ण होने में आदि से अंत तक सहयोग करेंगे। नोडल शाखाओं के समस्त शाखा प्रबंधकों को वित्तीय समावेशन हेतु प्रशिक्षित किया गया है ।

एफ आइ ग्राहकों के लिए तीन नये कस्टमाइज्ड एफ आइ उत्पाद शुरू किए गए हैं, जैसे एफ आइ-जी सी सी (सामान्य उद्देश्य क्रेडिट कार्ड),

Rural Development and Self Employment Training Institute (RUDSETI)

The Bank has co-sponsored 24 Rural Development and Self-Employment Training Institutes (RUDSETIs) across the country. These institutes have trained 21,881 candidates during the year 2010-11. Out of these trained candidates, 12,820 were women and 6,136 were from SC/ST category. Total number of candidates trained since inception is 2,60,116. The settlement rate is 71 per cent.

The RUDSETI model has been accepted by Govt. of India: Ministry of Rural Development, as a role model to be replicated across the country at the district level.

Lead District Scheme

The Bank has Lead Bank responsibilities in 25 districts including UT of Lakshadweep. As the Lead Bank in these 25 lead districts, the Bank conducted the meetings of the District Level Review Committee (DLRC) and District Consultative Committee (DCC) regularly. The planning process has been completed and District Credit Plan (DCP) 2011-12 has been launched as per the time schedule envisaged by RBI. The Bank is also the convenor of State Level Bankers' Committee (SLBC) in Karnataka and the Union Territory of Lakshadweep and has effectively discharged the responsibilities cast on it in that capacity. The SLBC for Karnataka and UTLBC for Lakshadweep are implementing the recommendations of the High Level Committee to review the Lead Bank Scheme. Special Interest Relaxation Scheme has been formulated by the Bank during the year for the inhabitants of Lakshadweep islands under Priority Sector lending.

Financial Inclusion

Financial Inclusion is a process which over a period of time, makes a qualitative difference to the lives of all those who are touched by the process through

a) Credible and easy access to banking facilities
b) Access to the suite of appropriate financial products and services and
c) Financial literacy and awareness programme

The Bank has been allotted 1,493 villages having a population of 2000 and above for implementation of FI Programme before March 31, 2012. Out of this, 750 villages were taken up for implementation before 31-03-2011 in the 1st phase. All the 750 villages selected in the 1st phase have been covered by opening Brick & Mortar branches in 135 villages and by engaging Business Correspondents in the remaining 615 villages.

5 Technology Service Providers (TSPs), namely, M/s. Integra Micro Systems Pvt. Ltd., M/s. Bartronics India Ltd., M/s. HCL Ltd., M/s. Indian Grameen Service and M/s. Smart Chips Technology have been selected for providing end-to-end solution for implementing the project. All the Branch Managers of Nodal Branches have been trained for Financial Inclusion.

Three new customized FI products viz., FI-GCC (General purpose Credit Card), FI-KCC (Kisan Credit Card), and

एफ आइ-के सी सी (किसान क्रेडिट कार्ड), और एफ आई-आर डी (आवर्ती जमा)।

बैंक ने मेसर्स टाटा ए आइ जी के सहयोग से एफ आइ ग्राहकों को ₹ 30/- प्रति वर्ष के प्रीमियम पर माइक्रो इन्श्योरेन्स उत्पाद प्रदान किया है। इस योजना के अंतर्गत 18-65 वर्षों की उम्रवाले व्यक्तियों को उनकी आकस्मिक और स्वाभाविक मृत्यु के मामले में ₹ 25,000/- तक जोखिम रक्षा उपलब्ध है ।

बैंक ने वित्तीय समावेशन पर आइ बी ए द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर के प्रचार अभियान - ''स्वाभिमान'' में सहभागिता की है ।

बैंक ने 750 एफ आइ ग्रामों में तीन लाख से भी अधिक ''सादा खाता'' (नो फ्रिल खाता) खोले हैं । अभी तक 24,000 से अधिक स्मार्ट कार्ड जारी किए गए हैं । शहरी वित्तीय समावेशन के अंतर्गत बेंगलूर शहर के दो केन्द्रों में बी सी के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की गयी है ।

बैंक ने स्कूल के बच्चों में वित्तीय साक्षरता के संबंध जागरूकता पैदा करने के लिए एफ आइ गाँवों में स्थित स्कूलों में ''सिंड एफ आइ क्विज़'' आयोजित किया ।

यू आइ डी ए आइ की ''आधार परियोजना'' के लिए बैंक को रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया गया है । बैंक उत्तर प्रदेश राज्य के जी.बी. नगर जिले के 22 ग्रामों में वित्तीय समावेशन और यू आइ डी ए आइ दोनों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा । अन्य राज्यों के एफ आइ ग्रामों में भी यू आइ डी ए आई का कार्यान्वयन किया जाएगा ।

वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्शदाता केंद्र (एफ.एल.सी.सी.):

बैंक ने विजया बैंक के सहयोग से ज्ञान ज्योति वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श दाता केंद्र का प्रवर्तन किया है जिसका मुख्यालय मणिपाल में है। यहाँ एफ.एल.सी.सी. खोलने तथा उनके कार्यों का प्रबंधन किया जाएगा । एफ.एल. सी.सी. की स्थापना बैंक के अग्रणी जिलों तथा तालुक मुख्यालयों में की जाएगी । इस न्यास ने 2010-11 के दौरान उडुपी, मंगलूर और कुमटा में तीन वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्शदाता केन्द्र खोले हैं ।

वित्तीय समावेशन संसाधन केंद्र (एफ.आइ.आर.सी.):

भा.रि.बैं. द्वारा परिकल्पित वित्तीय समावेशन संसाधन केंद्र का अर्थ है कि यह एक ऐसा ज्ञान का आधार बने जहाँ से आम जनता के अंदर बैंकों से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी प्रदान की जा सके । बैंक द्वारा 2010-11 के दौरान कुमटा और उडुपि में एफ.आइ.आर.सी. खोले गए हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के प्रचार–प्रसार के लिए एफ.आई.आर.सी. के उपयोग के लिए वाहनों की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ।

माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) क्षेत्र के लिए अग्रिम

भारत सरकार और भा.रि.बैं. द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को अधिक ऋण प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं । मार्च 2011 के अंत तक एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को ₹ 13,244.20 करोड़ का अग्रिम प्रदान किया गया जबकि मार्च 2010 के अंत में यह राशि ₹ 11,006.27 करोड़ थी और इसमें वर्ष 2010-11 के दौरान 20.33 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है । मार्च 2011 के अंत में माइक्रो और लघु उद्यमों को दिए गए अग्रिमों का स्तर ₹ 11,910.56 करोड़ तक पहुंच गया जिसमें 22.27 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जबकि अनिवार्य आवश्यकता 20 प्रतिशत की ही है । एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को ऋण

FI-RD (Recurring Deposit) have been introduced for FI customers.

The Bank in association with M/s Tata AIG has offered a Micro Insurance Product to FI customers, at a nominal premium of ₹ 30/- per year. The risk cover available is up to ₹ 25,000/- for both accidental & natural deaths for the persons in the age group of 18-65 years.

The Bank is participating in "SWABHIMAAN", a National level publicity campaign on Financial Inclusion organized by IBA.

The Bank has opened more than 3 lakhs 'No Frill Accounts' in 750 FI villages. More than 24,000 Smart cards have already been issued. Under Urban financial inclusion, two centres in Bangalore city have started extending Banking facilities through BCs.

The Bank has oragnised "SYND FI QUIZ" in the Schools located in FI villages to spread Financial Literacy among school children.

The Bank has been appointed as a Registrar for 'Aadhaar Project' of UIDAI. The Bank will start Financial Inclusion and UIDAI enrolment together in 22 villages of G.B. Nagar district of Uttar Pradesh. It is proposed to take up UIDAI implementation in FI villages in other States also.

Financial Literacy and Credit Counselling Centres (FLCC):

The Bank in association with Vijaya Bank has promoted "Jnana Jyothi Financial Literacy and Credit Counselling Trust" with its head quarters at Manipal for opening and managing the affairs of FLCCs to be established in the Lead Districts where the Bank is the Lead Bank and in Taluk Head Quarters. The Trust has opened 3 Financial Literacy and Credit Counseling Centres at Udupi, Mangalore and Kumta during 2010-11.

Financial Inclusion Resource Centre (FIRC):

Financial Inclusion Resource Centres, conceived by RBI, are meant to be repositories of knowledge for creating awareness of the services available from banks to the members of the public. The Bank has opened FIRCs at Kumta and Udupi during 2010-11. For the purpose of giving publicity to banking services in rural areas, the Bank has put into service mobile vans for use by the FIRCs.

ADVANCES TO MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISE (MSME) SECTOR

In tune with the guidelines issued by the Government of India and RBI, the Bank has taken steps for increased flow of credit to MSME sector. Total Advances to MSME sector stood at ₹ 13,244.20 crore as at the end of March 2011 as against ₹ 11,006.27 crore as at the end of March 2010 registering a growth of 20.33 per cent during the year 2010-11. Advances to Micro and Small Enterprises reached a level of ₹ 11,910.56 crore as at the end of March 2011, registering a growth of 22.27 per cent against the mandatory requirement of 20 per cent. MSME Help Desks /

की उपलब्धता पर निगरानी रखने हेतु प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एम.एस. एम.ई. हेल्प डेस्क/एम.एस.एम.ई. केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं ।

मध्यम उद्योगों के लिए कुल बकाया अग्रिमों में माइक्रो उद्यमों का हिस्सा 64.19 प्रतिशत है । जबकि मार्च 2011 तक 50 प्रतिशत, मार्च 2012 तक 55 प्रतिशत तथा मार्च 2013 तक 60 प्रतिशत का निर्धारित लक्ष्य है। माइक्रो उद्यमों के अंतर्गत खातों की कुल संख्या मार्च 2011 के अंत तक 4,59,884 हो गई है, जो मार्च 2010 के अंत तक 3,61,098 थी, इस प्रकार से बैंक ने इस क्षेत्र में 27.35 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की जबकि खातों में वृद्धि का अनिवार्य लक्ष्य 10 प्रतिशत का है ।

माइक्रो उद्यमों के वित्तीयन के मामले में श्रेष्ठ निष्पादन के उपलक्ष्य में बैंक को माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2009-10 के लिए राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार प्रदान किया गया ।

माइक्रो और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि योजना (सी.जी.एम.एस.ई.)

माइक्रो और लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) को मंजूर की गई संपार्श्विक जमानत रहित ऋण सुविधाओं के लिए गारंटी देने हेतु भारत सरकार और भा.ल.उ.वि.बैं. (सिडबी) द्वारा सी.जी.एम.एस.ई. योजना की शुरुआत की गई है । बैंक इस योजना को कार्यान्वित करने वाली उधारदाता संस्था का एक सदस्य है । भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार ₹ 10.00 लाख तक एम.एस.ई. को संपार्श्विक जमानत रहित ऋणों को प्रदान करना और सी.जी.एम.एस.ई. के अंतर्गत सभी पात्र ऋणों को व्याप्त करना अनिवार्य है । ₹ 100.00 लाख तक अत्यंत लघु और लघु उद्यमों को बिना किसी तीसरी पार्टी की गारंटी के संपार्श्विक जमानत रहित ऋण प्रदान करने और उन्हें सी.जी.एम.एस.ई. के अंतर्गत व्याप्त करने के लिए बैंक द्वारा सी.जी.एम.एस.ई. मार्गदर्शी सिद्धांतों का कार्यान्वयन किया गया है ।

सी.जी.एम.एस.ई. योजना के अंतर्गत व्याप्त किए गए तथा तीसरी पार्टी की गारंटी के बिना दिए गए माइक्रो और लघु उद्यमों की संख्या मार्च 2010 के ₹ 6,660 से बढ़कर मार्च 2011 के अंत में 12,971 हो गई । जो 94.70 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

राजभाषा का कार्यान्वयन

बैंक शुरू से ही हिंदी के प्रयोग और प्रोत्साहन को बढ़ावा देता आ रहा है, यह केवल इसीलिए नहीं कि ऐसा करना भारत सरकार की नीति का अनुपालन है बल्कि इसलिए भी कि वित्तीय समावेशन के मामले में यह भाषा आदर्श माध्यम है और इस क्षेत्र में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है । कर्मचारी सदस्यों के लिए हिंदी प्रशिक्षण के महत्व को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान 98 हिन्दी कार्यशालाएं, 173 हिन्दी डेस्क प्रशिक्षण कार्यक्रम, हिन्दी समन्वयकों के लिए 9 कार्यक्रम, कार्यपालकों के लिए 5 संगोष्ठियां, 5 रिफ्रेशर हिन्दी कार्यशालाएं और 10 कंप्यूटर हिन्दी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके माध्यम से 3147 कार्यपालकों/ अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।

सी.बी.एस. शाखाओं में हिंदी का प्रयोग करने के लिए स्क्रिप्ट मैजिक साफ्टवेयर का कार्पोरेट लाइसेन्स लिया गया । पहले चरण में, इसे सभी अधिसूचित (1647) शाखाओं में लोड किया जाएगा क्योंकि इन शाखाओं के कर्मचारियों को हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान/प्रवीणता प्राप्त ज्ञान है।

MSME Care Centers are established in each regional office to monitor the flow of credit to MSME sector.

The total outstanding advances to Micro Enterprises constitute 64.19 per cent of advances to Micro and Small Enterprises Sector against stipulated target of 50 per cent to be achieved by March 2011, 55 per cent to be achieved by March 2012 and 60 per cent to be achieved by March 2013. Total number of accounts under Micro Enterprises increased from 3,61,098 as at the end of March 2010 to 4,59,884 as at the end of March 2011 registering growth of 27.35 per cent during the year against the mandatory requirement of 10 per cent growth in number of accounts during the year under Micro enterprises.

The Bank has received the National Award for Excellence in Lending to Micro Enterprises for the year 2009-10 from the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, GOI, New Delhi in recognition of its performance in financing Micro Enterprises.

Credit guarantee Fund Scheme for Micro and Small Enterprises (CGMSE)

CGMSE scheme was introduced by the Govt. of India and SIDBI, to guarantee the collateral-free credit facilities sanctioned to micro and small enterprises (MSEs). The Bank is a Member Lending Institution (MLI) implementing the scheme. As per RBI guidelines, it is mandatory to grant collateral free loans to MSEs up to ₹ 10.00 lac and cover all eligible loans under CGMSE. The Bank has also implemented CGMSE guidelines to extend Collateral free loans without third party guarantee to Micro and Small Enterprises up to ₹ 100.00 lac and cover all of them under CGMSE.

The Collateral free loans without third party guarantee granted to Micro and Small Enterprises and covered under CGMSE scheme increased from 6660 as at the end of March 2010 to 12,971 as at the end of March 2011, registering a growth of 94.70 per cent.

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

The Bank has always had a strong and abiding commitment to the encouragement of greater use of Hindi in various forms, not only because the policy of the Government of India requires it but also because the language is an ideal and powerful medium of Financial Inclusion. Keeping in view the importance of training the staff members in Hindi, 98 Functional Hindi Workshops, 173 Hindi Desk Training Programmes, 9 Programmes for Hindi Co-ordinators, 5 Seminars for Executives, 5 Refresher Hindi Workshops and 10 computer Hindi Training Programmes were conducted during the year, in which 3,147 staff members including executives / officers were trained.

Corporate licence has been obtained for 'Script Magic' software, which is to be used in CBS Branches. In the first stage, this software is loaded in all the notified (1,647) branches, as the staff members of these branches have working knowledge/proficiency in Hindi.

क्षे.का. बल्लारी, क्षे.का. कारवार, और राउरकेला शाखा को संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट निष्पादन के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किए गए हैं । भारत सरकार, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय द्वारा क्षे.का. पणजी और क्षे.का. कण्णूर को क्रमश: द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं ।

बैंक की हिन्दी गृह पत्रिका 'जागृति' को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए आयोजित हिन्दी पत्रिका प्रतियोगिता में वर्ष 2009-10 के लिए चतुर्थ पुरस्कार प्राप्त हुआ है । बैंक को यह पुरस्कार अपने प्रकाशन के वर्ष से ही लगातार तीसरी बार (hat-trick) प्राप्त हुआ है ।

संयुक्त निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्तमंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजभाषा के कार्यान्वयन के संबंध में प्रधान कार्यालय, मणिपाल का निरीक्षण किया गया था । निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर बैंक के निष्पादन को 'उत्कृष्ट' दर्जा प्रदान किया गया है ।

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति ने 30-6-2010 को बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद का निरीक्षण किया । संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उपसमिति ने दि. 22-12-2010 को न.रा.भा.का.स. झाँसी के अध्यक्ष एवं कुछ सदस्य कार्यालयों के साथ राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में विचार-विमर्श किया, जिसमें हमारी झाँसी शाखा भी शामिल थी । दोनों समितियों ने राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में बैंक के निष्पादन की प्रशंसा की है ।

संगठन एवं सहायक सेवाएं

शाखाओं का विस्तार

वर्ष 2010-11 के दौरान 188 सामान्य बैंकिंग शाखाएं खोली गई। इनमें से 154 शाखाएं टियर 3-6 केन्द्रों में स्थित हैं और इनमें 131 शाखाएं भारत सरकार के वित्तीय समावेशन योजना के तहत खोली गई।

ऊपर जो नई शाखाएं खोली गई है, उनमें से

- कम बैंक वाले जिलों में 76 शाखाएं हैं ।
- अल्प संख्यक केंद्रित जिलों में 36 शाखाएं हैं ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नांकित कार्यालय खोले गए

- क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर
- आवास ऋण/खुदरा ऋण के प्रसंस्करण के लिए 6 केंद्रीय संसाधन केंद्र (गाजियाबाद, मेरठ, बेंगलूर, दिल्ली, अहमदाबाद एवं पुणे-प्रत्येक में एक-एक) खोले गए ।
- आर.टी.जी.एस., एन.ई.एफ.टी., एन.ई.सी.एस. और भा.रि.बैं. या अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा भविष्य में प्रारंभ की जानेवाली ई-निधियों की अंतरण सुविधा/अदायगी और निपटान प्रणाली को निभाने के लिए, मुंबई में इलेक्ट्रॉनिक अदायगी एवं निपटान कार्यालय खोले गये।
- 2 विस्तार पटल (एक भुवनेश्वर में और एक बेंगलूर में)

मणिपुर राज्य और दमन तथा दियू और दादर एवं नगर हवेली को छोड़कर सभी संघशासित क्षेत्रों में और देश के सभी राज्यों में बैंक की शाखाएं हैं।

बैंक की कुल शाखाओं की संख्या लंदन शाखा सहित 2494 हो गई हैं। इनमें से, देशी शाखाओं में से 803 ग्रामीण शाखाएं, 589 अर्ध-शहरी शाखाएं, 551 शहरी शाखाएं और 550 महानगरीय एवं पोर्ट टाउन शाखाएं हैं।

RO: Bellary, RO: Karwar & Rourkela Branch were awarded first prize by the TOLICs concerned for their performance. RO: Panaji and RO: Kannur were awarded 2nd and 3rd prize respectively by the Regional Implementation Office, Dept. of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India.

"Jagriti", the Bank's house magazine in Hindi received the 4th prize for the year 2009-10 in the Hindi magazine competition for PSBs conducted by the Reserve Bank of India. This was a hat trick for the Bank as it was winning the prize for the third time consecutively.

Head Office, Manipal was inspected by the Joint Director, Dept. of Financial Services, Ministry of Finance, Govt. of India with regard to implementation of Official Language. Based on the inspection, the performance of the Bank was rated as 'excellent'.

The Third Sub-Committee of the Committee of Parliament on Official Language inspected the Bank's Regional Office, Ghaziabad on 30.6.2010 and the Drafting & Evidence Sub-Committee of the Committee of Parliament on Official Language held discussions on 22.12.2010 on various issues pertaining to implementation of Hindi with the Chairman of TOLIC, Jhansi including the performance of our Jhansi branch in this regard. Both the committees appreciated the Bank's performance in the area of implementation of Official Language.

ORGANIZATION & SUPPORT SERVICES

Expansion of Branch Network

During the year 2010-11, 188 General Banking branches were opened. Out of these, 154 branches were located in Tier 3-6 centres including 131 branches opened under the Financial Inclusion programme of the Govt. of India.

Out of the new branches opened as above,

- 76 Branches are in under-banked Districts
- 36 Branches are in Minority Concentration Districts

In addition to the above, the following offices were opened:

- Regional Office, Jaipur
- 6 Central Processing Centres for processing Housing Loans/Retail Loans, (one each at Ghaziabad, Meerut, Bangalore, Delhi, Ahmedabad & Pune)
- Electronic Payments & Settlement Office at Mumbai to handle RTGS, NEFT, NECS and any other e-funds transfer facility/payment and settlement system that may be introduced in future by RBI or any other authority.
- 2 Extension counters (one each at Bhubaneshwar and Bangalore)

The Bank has branches in all the States except Manipur and in all the Union Territories except Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli.

The total number of branches of the Bank stood at 2494 including London branch. The domestic branch network consisted of 803 rural branches, 589 semi-urban branches, 551 urban branches and 550 metro & Port Town branches.

विभिन्न स्थानों पर बैंक के 17 विस्तार पटल हैं।

बैंक की विशिष्ट एस.एम.ई. शाखाओं की संख्या 29 है। क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या 38 है।

मार्च 31, 2011 को बैंक के ग्राहकों की संख्या 26.38 मिलियन रही जो पिछले राजकोषीय वर्ष के दौरान 24.50 मिलियन थी। इस प्रकार से बैंक ने 7.67% की वृद्धि दर्ज की है।

अवसंरचना सहायक सेवाएं

परिवेश एवं विजिबिलिटी

सभी शाखाओं/कार्यालयों को साफ-सुथरा एवं आकर्षक बनाया गया है, आंतरिक साज-सज्जा को भी मनमोहक स्वरूप प्रदान किया गया है क्योंकि इन सभी का कारोबार के विकास में महत्वपूर्ण असर पड़ता है।

प्रमुख परियोजनाएं

बैंक ने क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता और कोलकाता में एक शाखा के लिए अपने भवन के निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया है। बिजापुर में मुद्रा तिजोरी के निर्माण का कार्य पूर्ण हो रहा है। जो अन्य प्रोजेक्ट निर्माणाधीन हैं, कासरगोड में मुद्रा तिजोरी का निर्माण, कस्तूरपार्क, बोरिविली, मुंबई में बैंक की संपत्तियों का पुनर्विकास, वाशी, मुंबई में बैंक आवासीय फ्लैटों के नवीकरण का कार्य हो रहा है।

बैंक ने नैगम कार्यालय के निर्माण के लिए बेंगलूर में भूमि प्राप्त कर ली है।

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार स्वच्छ नोट नीति के तहत अपनी मुद्रा तिजोरियों/शाखाओं को नोट छंटाई मशीन, मुद्रा श्रिंक रैपिंग मशीन और आवश्यकता के आधार पर शाखाओं को क्वाइन वेंडिंग मशीनों की आपूर्ति की है ।

बैंक ने अपने लोगो को नए ढंग से संरचित करके उसे पुन: स्थापित किया है । सभी शाखाओं/कार्यालयों के सूचना पट्टों पर पुराने लोगो के स्थान पर नया लोगो लगाया गया है ।

सूचना प्रौद्योगिकी

बैंक की सभी शाखाएं कोर बैंकिंग सुविधा से युक्त हो गई हैं तथा इस मामले में शत प्रतिशत कार्यान्वयन का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। इस क्षेत्र भारतीय बैंकिंग उद्योग में बैंक अभी भी अग्रणी है । सरकारी और अन्य विनियामक अपेक्षाओं का पालन करते हुए बैंक निरंतर नवीनतम प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन हेतु प्रयासरत है ।

कोर बैंकिंग समाधान (सी.बी.एस.)

31-03-2011 को बैंक की सभी शाखाएं और कार्यालय सी.बी.एस. नेटवर्क के अंतर्गत आ गए हैं ।

ए.टी.एम. नेटवर्क:

भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय बैंक संघ के तत्वावधान में गठित नेशनल पेमेंट्स आफ इंडिया द्वारा परिचालित नेशनल फाइनॉन्शियल स्विच का सदस्य होने के कारण बैंक के ए.टी.एम. कार्डधारक देश भर में 54 सदस्य बैंकों के 62000+ ए.टी.एम. सुविधा का लाभ उठा सकते हैं ।

बैंक कैश ट्री ए.टी.एम. नेटवर्क के स्थापक सदस्यों में से एक है और इसमें

The Bank has 17 Extension counters at various locations.

The Bank has 29 specialized SME branches. The number of Regional Offices is now 38.

The Bank has a customer base of 26.38 million as at March 31, 2011 as against 24.50 million at the end of the previous fiscal, registering a growth of 7.67%.

INFRASTRUCTURE SUPPORT

Ambience and Visibility

Good ambience, neat & tidy business premises and attractive & comfortable interiors coupled with proper visibility have been ensured in all branches and offices since these factors substantially impact the business.

Major projects:

The Bank has completed construction of Bank owned Building for housing the Regional Office and a Branch at Kolkata. The construction of Currency Chest at Bijapur is nearing completion. The other projects, which are underway, are construction of Currency Chest at Kasargod, re-development of Bank's property at Kasturpark, Borivli, Mumbai and renovation of Bank's residential flats at Vashi, Mumbai.

The Bank has acquired land in Bangalore for construction of the Corporate Office building.

The Bank has procured and supplied to its various Currency Chests / Branches, Note Sorting Machines in line with the Clean Note Policy, Shrink Wrapping Machines to Currency Chests and Coin Vending Machines to needy Branches as per the guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI).

The Bank has repositioned its logo with a new design. Signboards of all the Branches and Offices are replaced with the repositioned logo.

INFORMATION TECHNOLOGY

The Bank, having achieved 100 per cent implementation of the Core Banking Solution across all its branches, continues to be in the forefront of the Indian banking industry in this regard. By conforming to Governmental as well as Regulatory requirements, the Bank is constantly striving to implement the latest that Information Technology has to offer.

Core Banking Solution (CBS)

As on 31-03-2011, all the Domestic Branches and Offices of the Bank are under CBS Network.

ATM Network

The Bank being a member of the National Financial Switch operated by National Payments Corporation of India under the aegis of Reserve Bank of India and Indian Banks' Association enables ATM Cardholders of the Bank to have access to over 62000+ ATMs of 54 Member Banks Nationwide.

The Bank is a founder member of CashTree ATM Network,

अब 14 सदस्य बैंक हैं । इन बैंकों के ग्राहक सारे देश में 10,800 + ए.टी. एम. की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं ।

दि. 31-03-2011 की स्थिति के अनुसार बैंक के पास 1220 ए.टी.एम. हैं, जिनका विस्तार देश के 652 केंद्रों में हैं। बैंक के ग्लोबल डेबिट सह ए.टी.एम. कार्ड के ग्राहकों की संख्या 52.64 लाख है । ए.टी.एम. कार्डों के माध्यम से हर महीने ₹ 990.86 करोड़ से अधिक की नकदी का वितरण किया जाता है ।

बैंक ''वीसा'' इंटरनेशनल का सदस्य है जो हमारे ए.टी.एम./डेबिट कार्ड धारकों को विश्वभर के 1.6 मिलीयन से भी अधिक ए.टी.एम. का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है । बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत ''वीसा (वी.बी.वी.) द्वारा सत्यापित'' नामक अतिरिक्त सुरक्षा उपाय को लागू किया है ।

इंटरनेट बैंकिंग:

इंटरनेट बैंकिंग के उपयोग में निरंतर उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है । इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करनेवालों की संख्या तथा प्रतिमाह हिट्स की संख्या मार्च 2010 के क्रमश: 5.08 लाख और 28.75 लाख से बढ़कर मार्च 2011 को क्रमश: 5.66 लाख और 36.28 लाख हो गई हैं ।

इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई मूल्यवर्धित सेवाएं, जैसे एन.ई.एफ.टी. के जरिए अन्य बैंकों में निधियों का अंतरण, रेलवे टिकट का आरक्षण, उपयोगिता बिलों का भुगतान, आयकर, निगम कर जैसे प्रत्यक्ष करों का भुगतान आदि से अधिकाधिक ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग की ओर आकर्षित हो रहे हैं और इससे प्रतिस्पर्धा में आगे रहने के लिए बल मिल रहा है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशानुसार, नेट बैंकिंग की शुरुआत करते ही इंटरनेट बैंकिंग के लिए लॉगइन स्क्रीन के पहले ही सेफ्टी टिप्स दिखाई पड़ते हैं। लॉगइन तथा ट्रांजैक्शन पासवर्ड और वर्चुअल की बोर्ड के लिए स्पेशल कैरेक्टर का प्रावधान किया गया है।

बैंक 2-फैक्टर अधिप्रमाणन की प्रक्रिया उपलब्ध कराने का प्रयत्न कर रहा है, जिससे टोकन आधारित सुविधा मिलेगी जो पास वर्ड के अतिरिक्त होगी और इंटरनेट के जरिए किए जाने वाले हर लेन-देन में उपलब्ध होगी।

एस.एम.एस. बैंकिंग:

इस सुविधा को प्राप्त करनेवालों की संख्या मार्च 2011 तक 2,68,506 तक हो गई है जो ग्राहकों के बीच इस सुपुर्दगी चैनल की बढ़ती हुई लोकप्रियता का द्योतक है ।

एन.ई.एफ.टी. और आर.टी.जी.एस. के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान – निपटान:

दि. 31-03-2011 की स्थिति के अनुसार बैंक की 2,389 शाखाओं में आर.टी.जी.एस. सुविधा और 2,462 शाखाओं में एन.ई.एफ.टी. सुविधा उपलब्ध कराई गयी है । इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से एन.ई.एफ.टी. के सीधे संसाधन (एस.टी.पी.) का कार्यान्वयन किया गया है । मार्च 2011 के दौरान एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से किए गए लेन-देनों की संख्या 3,89,606 तथा आर.टी.जी.एस. के माध्यम से किए गए लेन-देनों की संख्या 1,25,600 है, जिनमें शामिल रकम क्रमश: ₹ 2,020.59 करोड़ और ₹ 66,717 करोड़ है ।

बैंक ने सभी इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों के लिए मुंबई के पदनामित कार्यालय में ''इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और निपटान कार्यालय'' (ई.पी.एस.ओ.) नामक एक ग्राहक सुविधा-सेवा केन्द्र खोला है ।

पेमेंट गेटवे:

बैंक ने पेमेंट गेटवे प्रदान करने की अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना की

presently having 14 Member Banks. Customers of these Banks have access to 10,800+ ATMs across the country.

As at 31-03-2011, the Bank has 1220 ATMs spread across 652 centres in the country, cutting across different population categories. The Bank has a global Debit-cum-ATM Card-base of over 52.64 lakh, with the Cash Disbursal through ATMs exceeding ₹ 990.86 crore per month.

The Bank's membership of VISA International enables its ATM/Debit Cardholders to have access to over 1.6 million ATMs across the Globe. As a measure of additional security, 'Verified by Visa' (VbV) has been implemented by the Bank.

Internet Banking

Internet Banking usage has continued its phenomenal growth pattern. The number of Internet Banking Users and the Number of Hits per month increased to over 5.66 lakh and over 36.28 lakh in March, 2011 from 5.08 lakh and 28.75 lakh respectively in March, 2010.

The value added services offered by the Bank through Internet Banking, such as transfer of funds to other Banks through NEFT, Railway Ticket Reservation, Utility Bills Payment, Payment of Direct Taxes such as Income Tax, Corporation Tax etc., continue to attract more Users to the Internet Banking facility and also help the Bank to stay ahead of the competition.

As mandated by RBI, Safety Tips for safe Internet Banking are displayed before the Login Screen for Net Banking. Provision is made available for having special characters both in Login & Transaction Passwords and in the Virtual Key Board.

The Bank is in the process of providing 2-factor Authentication, which will facilitate token-based authorization, in addition to the Password, to all the transactions done through Internet Banking.

SMS Banking

The number of customers who have availed this facility has grown to 2,68,506 as at March, 2011 proving the popularity of this delivery channel among the customers.

Electronic Payment Settlement through NEFT & RTGS:

As at 31-03-2011, the Bank has 2,389 Branches enabled for RTGS and 2,462 Branches enabled for NEFT facility. Straight-through-Processing (STP) of NEFT through Internet Banking is implemented. During March 2011, 3,89,606 NEFT transactions involving an amount of ₹ 2,020.59 crore and 1,25,600 RTGS transactions involving an amount of ₹ 66,717 crore have taken place.

A Customer Facilitation Centre has been established at the Bank's newly designated office at Mumbai called "Electronic Payment & Settlement Office" (EPSO) for all electronic payments.

Payment Gateway:

The Bank has embarked upon an ambitious project of providing Payment Gateway services, whereby the Bank's

शुरुआत की है । इस योजना के अंतर्गत ग्राहक ऑन लाइन पर उत्पादों को खरीद सकते हैं/सेवाएँ उपलब्ध कर सकते हैं ।

मेसर्स एवेन्यू इण्डिया लिमिटेड (सी.सी.एवेन्यू) और मेसर्स इण्डिया आइडियाज़ कॉम लिमिटेड (बिल डेस्क) के पास बहुत बडा व्यापारी प्रतिष्ठान आधार है । मेसर्स सी.सी. एवेन्यू और मेसर्स बिल डेस्क के साथ पेमेंट गेटवे को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है । अब ग्राहकों को पेंमेंट गेटवे सेवाएं उन साइट से उपलब्ध होंगी जिनके नाम मेसर्स एवेन्यू इण्डिया लिमिटेड और मेसर्स इण्डिया आइडियाज़ कॉम लिमिटेड के पास पंजीकृत हैं ।

मेसर्स सी.सी. एवेन्यूज 1,857 साइट को कवर करता है, जिनमें आर्ट गैलरी, फ्लोरिस्ट, होटेल चेन, किताब, मैरेज ब्यूरो, स्टॉक ब्रोकर, ट्रॉवेल एजेंट, आभूषण इत्यादि शामिल हैं । मेसर्स बिल डेस्क 15 साइटों को कवर करता है जिनमें एल.आइ.सी. और अन्य बीमा कंपनियाँ, म्यूचुअल फंड, बी.एस.एन.एल. आदि जैसे महत्वपूर्ण साइट शामिल हैं ।

पेंमेंट गेटवे में ऑनलाइन लेन-देन के प्रत्यावर्तन को कार्यान्वित किया गया है। यानी, यदि व्यापारी, प्रस्तावों को स्वीकार करने में असमर्थ हो जाता है या ग्राहक द्वारा आदेश को रद्द किया जाता है तो ऐसे लेन-देनों को किसी मैनुअल हस्तक्षेप के बगैर पेमेंट गेटवे के माध्यम से प्रत्यावर्तित किया जाता है।

डाटा वेयरहाउस

एंड टु एंड एंटरप्राइस डाटा वेयरहाउस तथा बिजनेस इंटलिजेन्स सोल्यशन (ई.डी.डब्लू. बी.आइ.) की शुरुआत करने के लिए लागू की गयी महत्वाकांक्षी योजना प्रगति पर है। डाटा वेयरहाउस परियोजना के कार्यान्वयन से एक व्यापक सिंगल और मजबूत डाटाबेस स्थापित किया गया है, जिनका उपयोग एम.आइ.एस. उद्देश्य हेतु कोई भी सूचना प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। उक्त प्रणाली, सी.बी.एस. सहित सभी स्त्रोतों से आंकडों को इकट्ठा करती है, जैसे ए.टी.एम. स्विच, कार्ड परिचालन, इंटरनेट बैंकिंग परिचालन इत्यादि।

इ.डी.डब्ल्यू.बी.आई. परियोजना का पहला चरण जिसमें सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन (एस.आर.एस.) है, उसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। परियोजना का द्वितीय चरण यानी रिपोर्ट डेवलपमेंट का कार्यान्वयन प्रगति पर है। कस्टमर डाटा के द्वारा डि-डुप्लिकेशन कार्य भी प्रगति पर है। ग्राहक संबंध प्रबंधन (सी.आर.एम.) की योजना परियोजना के चरण-III में तैयार की गयी है, जिसकी शुरुआत वित्तीय वर्ष 2011-12 में होने की संभावना है।

बैंक ने डी.डब्ल्यू.बी.आइ. में अत्यंत विश्वसनीय एम.आइ.एस. तैयार करने हेतु ग्राहक के खातों के संबंध में अतिरिक्त ब्यौरे जुटाने के लिए ''डाटा एनरिचमेंट सिस्टम (डी.ई.एस.)'' को नियोजित किया है।

धन शोधन निवारक सोल्यूशन, जो एक अधिदेशात्मक सोल्यूशन है, उसे वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान कार्यान्वित कर दिया गया है और प्र.का. निरीक्षण विभाग में इसका उपयोग किया जा रहा है। इस प्रणाली से नकद लेन-देन रिपोर्ट (सी.टी.आर.) जनरेट की जाती है।

बैंक की आइ.एस. सुरक्षा नीति:

बैंक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित आइ.एस. सुरक्षा नीति है। आइ.एस. सुरक्षा प्रक्रियाओं को निरूपित किया गया है और उसका अनुमोदन किया गया है तथा क्षे.का./शाखाओं को ''नीड-टु-नो '' आधार पर उपलब्ध कराया गया है।

दीर्घावधि आइ.टी. योजना:

बैंक में एक दीर्घावधि आई.टी.योजना है, जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित करके अपनाया गया है। दीर्घावधि आइ.टी.योजना के अंतर्गत विभिन्न आइ.टी. पहल के कार्यान्वयन हेतु वर्षवार योजना तैयार की गयी है।

customers can purchase products / services on-line and make payment from their accounts with the Bank through the Payment Gateway via Internet Banking.

M/s Avenues India Ltd. (CCAvenue) and M/s Indiaideas.com Ltd. (BillDesk) have a large base of Merchant establishments registered with them. Payment Gateway with M/s CCAvenue and with M/s BillDesk has been successfully implemented. The Payment Gateway services are now available to our customers from Merchant Sites registered with M/s Avenues India Ltd. and M/s Indiaideas.com Ltd.

M/s CCAvenues covers 1,857 sites which include Art Gallery Sites, Florists, Hotel Chains, Books, Marriage Bureau, Stock Brokers, Travel Agents, Jewellery, etc. M/s BillDesk covers 15 sites at present including important sites like LIC and other Insurance Companies, Mutual Funds, BSNL etc.

Reversal of on-line transaction in Payment Gateway is implemented i.e., if the Merchant is unable to accept the proposal or the order is cancelled by the customer, the reverse flow of transaction through Payment Gateway is made on-line without any manual intervention.

Data Warehouse

The implementation of the ambitious project for the commissioning of an end-to-end Enterprise Data Warehouse and Business Intelligence Solution (EDWBI) is progressing well. By implementing Data Warehouse Project, a single database is established which can be queried to obtain information for MIS purpose. The system takes data from all Source Systems such as ATM Switch, Card Operations, Internet Banking Operations etc., in addition to CBS System.

Phase-I of the EDWBI project consisting of System Requirement Specifications (SRS) has been successfully completed. Implementation of Phase-II of the project i.e., Report Development is in progress. Data de-duplication of customer data is also in progress. Customer Relations Management (CRM) is planned in Phase-III of the Project, which is likely to commence in FY 2011-12.

The Bank has deployed 'Data Enrichment System' (DES) to capture the additional details of customer accounts to develop a dependable MIS in EDWBI.

One of the Mandatory Solutions i.e. Anti-Money Laundering Solution, has already been implemented and is in use at HO: Inspection Department. Cash Transactions Report (CTR) data is generated from the System.

IS Security Policy of the Bank

The Bank has a Board approved IS Security Policy in place. IS Security procedures have been formulated and approved and are provided to Regional Offices / Branches on a 'need-to-know' basis.

Long Term IT Plan:

The Bank has a Long Term IT Plan, which was approved and adopted by the Board and year-wise plan for implementation of various IT Initiatives has been formulated under the Long Term IT Plan.

आइ.एस.ओ. 27001 प्रमाणीकरण:

बी.एस.आई. मेनेजमेंट सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ब्रिटिश स्टैंडर्ड इनस्टिट्यूशन–यू के की सहायक संस्था) के माध्यम से बैंक की सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के मूल्यांकन के जरिए डाटा सेंटर–मुंबई, डिसास्टर रिकवरी सैट बेंगलूर तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बेंगलूर को आई.एस.ओ./आई.ई.सी. 27001:2005 सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। सर्टिफिकेशन की अनुवर्ती अधिदेशात्मक लेखा परीक्षा के दौरान इस वर्ष किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पायी गयी है तथा आई.एस.ओ: 27001 सर्टिफिकेशन जारी है।

मानव संसाधन विकास

बैंक ने शाखाओं/कार्यालयों को पर्याप्त स्टॉफ उपलब्ध कराने के लिए एक व्यापक और समेकित जनशक्ति योजना निरूपित की है। वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने परिवीक्षाधीन अधिकारियों, विशेषज्ञ अधिकारियों, परिवीक्षाधीन लिपिकों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों की भर्ती की है। वर्ष के दौरान बैंक ने अल्प संख्यक समुदाय के कल्याण हेतु प्रधान मंत्री के नये 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत अल्प संख्यक समुदाय के 149 अभ्यर्थियों की भर्ती की है। बैंक ने मानव संसाधन की एक सुसंगत एच.आर. नीति निरूपित की है। क्लासरूम प्रशिक्षण के बाद, परिवीक्षाधीन अधिकारियों/लिपिकों को शाखाओं में गहन व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नए भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए शाखाओं में सौहार्दपूर्ण वातावरण सुनिश्चित किया गया है ताकि परामर्शदाता सिद्धांत लागू करके वरिष्ठ कर्मचारियों के साथ वे कंधा से कंधा मिलाकर कार्य कर सकें।

अगले चार वर्षों में बड़ी संख्या में अधिवर्षिता के आधार पर सेवा विवृत्त होने वाले कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए उत्तराधिकार योजना की नई पहल शुरू की गयी है, जिसमें विभागीय कौशल प्रदान करने की आकस्मिक योजना निहित है। उत्तराधिकार योजना के तहत उच्च कार्य निष्पादनवालों की पहचान की गयी है। इन्हें अपने बैंक में और साथ ही साथ बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जो प्रसिद्ध संस्थाओं से जुड़े हैं, उनमें बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु नामित किया जा रहा है। बेहतर कार्य निष्पादन दिखानेवाले अधिकारियों/कार्यपालकों को विदेशों में आयोजित होनेवाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों/संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए नामित किया जा रहा है, ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग के क्षेत्र में हो रही अद्यतन विकास से अवगत हो सकें। फास्ट ट्रैक पदोन्नति की भी शुरुआत की गयी है ताकि महत्वपूर्ण पदों के लिए समय रहते सुयोग्य अधिकारियों का चयन हो सके। विशेषीकृत पदों के लिए सीधी भर्ती के द्वारा उन अभ्यर्थियों को लिया जा रहा है जिनके पास संबंधित विषय के बारे में अद्यतन जानकारी है।

विभिन्न संवर्ग में पदोन्नति प्रक्रिया कार्यान्वित की गई। 247 लिपिकों को अधिकारी संवर्ग के क.प्र.श्रे.वे. -I में पदोन्नत किया गया और 150 अधीनस्थ कर्मचारियों को लिपिक संवर्ग में पदोन्नत किया गया। अधिकारी/कार्यपालक संवर्ग के अंतर्गत सभी वेतन मानों में पदोन्नतियाँ की गयी।

बैंक ने एच.आर. में कई नई पहल की है, जैसे, पदोन्नतियों के लिए आन लॉइन परीक्षाएं आयोजित करना, वीडियो कॉन्फरेन्सिंग के माध्यम से साक्षात्कार आयोजित करना, स्टाफ पेंशन की ऑनलाइन जमा इत्यादि।

बैंक में कुल कर्मचारी 28,509 हैं, जिनमें से 11,512 अधिकारी, 11,074 लिपिक, 3,702 अधीनस्थ कर्मचारी और 2,221 अंशकालिक सफाई कर्मचारी हैं। बैंक सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार भर्ती/पदोन्नति में अजा/अजजा/शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों को आरक्षण/रियायत

ISO 27001 Certification

Data Centre – Mumbai, Disaster Recovery Site – Bangalore and Department of Information Technology – Bangalore had been accorded the ISO/IEC-27001: 2005 certification through an assessment of the Bank's Information Security Management System by BSI Management System India P. Ltd. (subsidiary of British Standards Institution – UK). Subsequent mandatory audit of the certification during this year has not revealed any deficiencies and the ISO:27001 certification continues.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

The Bank has drawn up a comprehensive and integrated Manpower plan to provide optimum staff at the Branches/Offices. During the year 2010-11, the Bank has recruited Probationary Officers, Specialist Officers, Probationary Clerks and Sub-Staff. In line with the Prime minister's New 15 Point Programme for the Welfare of Minorities amongst others, the Bank has recruited 149 candidates belonging to Minority Community during the year. The Bank has come out with a well-articulated HR Policy to build Human Capital. After the classroom training, the Probationary Officers/Clerks are being exposed to structured intensive on-the-job training at branches. Conducive atmosphere is ensured at the branches for the new recruits to move shoulder-to-shoulder with the seniors by adopting the Mentor concept.

Keeping in view the large-scale superannuations during the next four years, the Bank has taken up the initiatives for Succession Planning and to make contingency plans for the skill set backed departments. A pool of high performing officers have been identified for succession planning. They are being exposed to different facets of banking by nominating them to in-house as well as external training programmes in collaboration with reputed institutions. Some of the performing officers/executives are being nominated for training programmes/seminars organized abroad to expose them to the latest developments in International Banking. Fast track promotions have been introduced to ensure timely succession to the critical jobs. Lateral recruitment has been undertaken for specialized positions to induct candidates with latest domain knowledge.

The promotion exercise has been carried out in all cadres. As a result, 247 Clerks have been promoted to Officer Cadre in JMGS-I and 150 Attenders have been promoted to the Clerical Cadre. Promotions have also been held for the all the Scales within the Officer/Executive Cadre.

The Bank has taken many HR Initiatives like conducting online test for promotions, holding interviews through Video Conferencing, online credit of staff pensions etc., by leveraging technology.

The human capital of the Bank comprises 11,512 Officers, 11,074 Clerks, 3,702 Sub-Staff and 2,221 Part-time Sweepers, totaling 28,509. As per the Government guidelines, the Bank is extending reservation/concessions to SC/ST/Physically Challenged Candidates/Employees in

दे रहा है। बैंक, शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को समर्थक उपकरण/कृत्रिम अंग प्राप्त करने के लिए कर्मचारी कल्याण योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। बैंक ने वर्ष के दौरान कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है जो वर्तमान योजनाओं के अतिरिक्त हैं।

गाजियाबाद में बैंक के कार्यपालकों/अधिकारियों के लिए 100 फ्लैटों के निर्माण की एक महत्त्वाकांक्षी योजना प्रगति की ओर है। बैंक ने मुंबई के आवासीय फ्लैटों में बड़े नवीकरण का कार्य प्रारंभ किया है। बैंक ने कार्यपालकों/अधिकारियों के लिए 19 केन्द्रों में अतिरिक्त आवासीय परिसरों को उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कदम उठाए हैं। बेंगलूर में 50 फ्लैट तथा हैदराबाद में 35 फ्लैटों को अधिग्रहण करने की प्रक्रिया प्रगति की ओर है।

बैंक का औद्योगिक संबंध सुव्यवस्थित एवं स्नेहपूर्ण है और इससे बैंक में अच्छा कामकाजी वातावरण निर्मित हुआ है। कर्मचारी संघ/संस्थाएँ संवेदनशील और सकारात्मक हैं और बैंक की प्रगति और अभिवृद्धि में वे अपना संपूर्ण सहयोग दे रही हैं।

अजा/अजजा कक्ष: बैंक के अजा/अजजा कर्मचारियों से संबंधित मामलों की देखरेख करने के लिए एक महा प्रबंधक को मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। प्रधान कार्यालय का अजा/अजजा कक्ष महा प्रबंधक के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहा है। अजा/अजजा कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए सरकार के दिशानिदेशों के अनुसार उनके कल्याण संघ के प्रतिनिधियों के साथ त्रैमासिक आधार पर बैठकें आयोजित की जाती हैं।

प्रशिक्षण और विकास

शीर्ष स्तर पर, सिंडिकेट बैंक प्रबंधन संस्थान, मणिपाल तथा बेंगलूर, चेन्नई, दिल्ली, एर्णाकुलम हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई स्थित सात प्रशिक्षण केंन्द्र विभिन्न संवर्ग के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करके बैंक की प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

मणिपाल के सुरम्य स्थल पर 15 एकड़ के भूभाग पर स्थित सिंडिकेट बैंक प्रबंधन संस्थान, अत्याधुनिक और उच्च स्तर का प्रशिक्षण संस्थान है, जो प्रशिक्षणार्थियों को अध्ययन के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करता है।

वर्ष 2010-11 के दौरान प्रशिक्षण प्रणाली के माध्यम से अधिकारियों के लिए 255 कार्यक्रम तथा कामगार कर्मचारियों के लिए 294 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें क्रमश: 6139 अधिकारी और 7,678 कामगार कर्मचारी प्रशिक्षित हुएं। इस प्रकार 549 कार्यक्रमों के माध्यम से 13,817 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, 107 कार्यपालकों तथा 391 अधिकारियों को भारत में स्थित प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा संचालित बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिनियुक्त किया गया। पुन:, 17 कार्यपालकों/अधिकारियों को विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिनियुक्त किया गया।

वर्ष के दौरान अजा/अजजा श्रेणी के 3646 अधिकारियों/लिपिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। पुन:, भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अजा/अजजा श्रेणी के अधिकारियों और लिपिकों को पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा बैंक में अधिकारी/लिपिक के पद के लिए आवेदन करनेवाले अजा/अजजा के अभ्यर्थियों के लिए भर्ती –पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

कोर बैंकिंग प्रशिक्षण के अलावा, प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण (टी.एन.ए.) पर आधारित संगठनात्मक आवश्यकतावाले क्षेत्रों पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जैसे के.वाई.सी./ ए.एम.एल./ आर.टी.आइ. अधिनियम, जोखिम प्रबंधन, बासल–, II कार्पोरेट ऋण,

recruitment/promotions. The Bank is extending financial assistance to Physically Challenged Employees under Staff Welfare Schemes for acquiring supportive equipment/ prosthesis. The Bank has introduced several New Staff Welfare Schemes during the year besides enhancing the monetary ceiling under select existing schemes.

The prestigious project of construction of 100 flats in Ghaziabad for the Bank's executives/officers is in progress. The Bank has undertaken major renovation of residential flats in Mumbai. It has initiated necessary steps for acquiring additional residential accommodation for Executives and Officers at 19 centres. The process of acquiring 50 flats in Bangalore and 35 flats in Hyderabad is in progress.

The Industrial Relations in the Bank have been cordial and harmonious, fostering a healthy work environment. The Unions/Associations have been responsive and proactive to extend unstinted support for the progress and prosperity of the Bank.

SC/ST Cell*:* A General Manager is designated as Chief Liaison Officer to look after the issues concerning SC/ST employees of the Bank. SC/ST cell functioning in Head Office is under his administrative control. The Bank is holding Quarterly Meetings with the representatives of the SC/ST Welfare Association as per the government guidelines to redress their grievances.

TRAINING AND DEVELOPMENT

Syndicate Institute of Bank Management (SIBM), Manipal at the apex level and the 7 Training Centres at Bangalore, Chennai, Delhi, Ernakulam, Hyderabad, Kolkata & Mumbai cater to the training needs of the Bank by conducting various types of training programmes for different cadres of employees.

The facilities available at SIBM Manipal, which is spread over 15 acres of land marked by sylvan surroundings, are state-of-the-art and of high standard enabling a congenial learning atmosphere for the trainees.

During the year 2010-11, 255 programmes covering 6,139 Officers and 294 programmes covering 7,678 workmen employees were conducted by the Training System. Thus a total of 13,817 employees were trained through 549 programmes. In addition, 107 executives and 391 officers were deputed to external training programmes conducted by training institutes of repute in India. Further, 17 executives/officers were deputed to overseas training programmes.

During the year 3,646 Officers/ Clerks belonging to SC/ST category were imparted training. Further, as per the Government of India guidelines, pre-promotion training was imparted to SC/ST Officers & Clerks and pre-recruitment training was imparted to SC/ST candidates who had applied for the posts of officer/clerk in the Bank.

Apart from the core banking programmes based on the Training Needs Analysis (TNA), special programmes were also conducted to meet the organizational needs in areas like KYC/AML/RTI Act, Risk Management, Basel II, Corporate

कृषि उधार, ऋण प्रबंधन, वसूली प्रबंधन, एम.एस.एम.ई. उधार, मार्केटिंग, केन्द्रीकृत बैंकिंग सोल्यूशन और सॉफ्ट स्किल्स इत्यादि।

शाखाओं की कार्यपद्धति के अंतर्गत कुछ नाजुक क्षेत्रों के मामले में उनकी मदद करने के लिए देश भर की कुछ चयनित शाखाओं में प्रशिक्षण प्रणाली के माध्यम से कुछ ''अंतर-शाखा प्रशिक्षण''/''डोर-स्टेप प्रशिक्षण'' कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए निर्दिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत उनको विशिष्ट क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने पर जोर दिया गया, जैसे, जोखिम प्रबंधन, नैगम वित्त,कोष और फोरेक्स परिचालन, मार्केटिंग, वसूली इत्यादि ताकि उनको इन क्षेत्रों में बैंक के कारोबारी हितों के बारे में जानकारी हो सके। परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए कई पुनश्चर्या कार्यक्रम आयोजित किए गए ताकि उच्च प्रबंधन दल (टी.एम.टी.) के निदेशों के अनुसार ये अधिकारी उच्चतर जिम्मेदारियों को संभालने में सक्षम हो सकें ।

शाखाओं में बड़े अग्रिम संविभाग संभालनेवाले अधिकारियों के लिए मुंबई और दिल्ली में अल्पावधि कैप्सूल मोबाइल कार्यशाला आयोजित की गई, जहाँ उच्च मूल्य के ऋण प्रस्तावों की संख्या अधिक हैं । इन कार्यशालाओं को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य शाखा/क्षे. का. स्तर पर ज्ञान-अंतर की पहचान करने और सम्यक् तत्परता उपायों पर जोर दिलाने के साथ-साथ बड़े ऋणों के मामले अधिकारियों को सुग्राही बनाने से है ताकि उधार खातों में 'क्विक मोर्टैलिटी' से बच सकें।

बैंक की प्रशिक्षण प्रणाली के इतिहास में पहली बार एस.आइ.बी.एम. और सभी सात प्रशिक्षण केन्द्रों में एक-साथ वीडियो कॉन्फेरेंसिंग के माध्यम से सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया । उक्त कार्यक्रम में देश भर की विभिन्न शाखाओं में ऋण संविभाग संभालनेवाले वेतन मान I और III के अधिकारियों ने भाग लिया । इस कार्यक्रम का आयोजन देशभर में बैंक के प्रशिक्षण में एकरूपता लाने तथा प्रशिक्षण विषयों के मानकीकरण के उददे्श्य से किया गया है ।

एस.आइ.बी.एम. हमेशा से अपने दायरे को और व्यापक बनाने का प्रयास करता रहा है । वह क्षेत्र में स्थित अन्य प्रमुख शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों जैसे, टी.ए.पै प्रबंधन संस्थान (टैपमी), मणिपाल और क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, नाबार्ड, मंगलूर के साथ निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं। उपर्युक्त का ही प्रभाव है कि बैंक के अनुरोध पर टैपमी ने ''क्रियेटिंग हाइ परफार्मेन्स वर्क कल्चर इन बैंक ब्रांचेज'' विषय पर एस.आइ.बी.एम. में चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

वर्ष के दौरान एस.आइ.बी.एम. ने डॉ. ए. शिवतानु पिल्लै, जो ब्रहमोस एअरोस्पेस के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक और प्रबंध निदेशक हैं, उनके द्वारा ''राष्ट्र के विकास के लिए प्रौद्योगिकी'' विषय पर एक व्याख्यान आयोजित किया। मेसर्स ब्रहमोस एअरोस्पेस हमारे बैंक के एक प्रमुख ग्राहक हैं ।

एस.आइ.बी.एम. ने वित्तीय समावेशन/साक्षरता के क्षेत्र में पाठ्यक्रम/संदर्भ सामग्रियों को तैयार करने में भी अपना सहयोग प्रदान किया है और हमारे बैंक और विजया बैंक द्वारा गठित ज्ञान ज्योति वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श न्यास को अपना सहयोग प्रदान किया। बैंक द्वारा नियुक्त कारोबार प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने तथा उसके आयोजन में भी सहयोग प्रदान किया गया।

वर्ष के दौरान एस.आइ.बी.एम. ने विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारी महा विद्यालय, हैदराबाद के साथ

Credit, Agricultural Lending, Credit Management, Recovery Management, MSME Lending, Marketing, Centralized Banking Solution & Soft skills etc.

A few "In-branch training" / "Door step training" programmes were also conducted by the Training System in select branches across the country in order to support the branches in the critical areas of their functioning.

The training programmes meant for probationary officers focused on imparting specialized training to them in areas like Risk Management, Corporate Credit, Treasury & Forex Operations, Marketing, Recovery etc. to equip them to further the business interests of the Bank in these areas. Several refresher programmes for probationary officers were also conducted to prepare these officers for handling higher responsibilities.

Short capsule mobile workshops were conducted for the benefit of desk officers handling large advances portfolio at Mumbai and Delhi, where the strategic branches have concentration of high-value credit proposals. The main purpose of these workshops was to identify the knowledge gaps at the branch/RO level and to sensitize the officers about the issues involved in large credit with emphasis on the due diligence measures so as to avoid quick mortality in borrowal accounts.

For the first time in the history of the training system of the Bank, a common training programme was simultaneously held at SIBM and all the 7 Training Centres of the Bank optimally using the video conferencing facilities that are available at SIBM and the 7 TCs. The target group consisted of officers in scale 1 to 3 who are working at the credit desk in various branches across the country. This was done with the objective of standardizing training inputs and bringing uniformity in training in the Bank across the country.

SIBM has always endeavoured to broad base its reach. It has healthy working relationship with leading educational & training institutes in the region like T A Pai Management Institute (TAPMI), Manipal and Regional Training College, NABARD, Mangalore. In line with the aforesaid, at the invitation of the Bank, TAPMI conducted a four-day training programme on "Creating High Performance Work Culture in Bank Branches" at SIBM.

During the year, SIBM also organized a talk on 'Technology for Nation's Development' by Dr. A Shivathanu Pillai, renowned scientist & Managing Director of M/s Brahmos Aerospace, who are one of the leading customers of the Bank.

SIBM was closely associated with the preparation of course/ reference material in the areas of Financial Inclusion/ Literacy and worked in tandem with the Jnana Jyothi Financial Literacy & Credit Counselling Trust formed by the Bank with Vijaya Bank, to design and conduct training programmes for Business Correspondents appointed by the Bank.

During the year SIBM has tied up with the Staff college of State Bank of India, Hyderabad for conducting special training

गठजोड़ व्यवस्था की है तथा जोखिम प्रबंधन पर उन्नत क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बीमा और जोखिम प्रबंधन संस्थान हैदराबाद के साथ भी गठजोड़ व्यवस्था की है। एस.आइ.बी.एम. ने वर्तमान तथा नए भर्ती हुए अधिकारियों और लिपिकों के लिए आधारभूत बैंकिंग और कोर बैंकिंग सोल्यूशन प्लैटफार्म पर ई-लर्निंग मोड्यूल के कार्यान्वयन हेतु भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आइ.आइ.बी.एफ.) के साथ भी गठजोड़ व्यवस्था की है।

नैगम सामाजिक जिम्मेदारी

बैंक ने सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु आर्थिक परिवर्तन, गरीबों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के कार्य में सक्रिय रूप से सहभागिता की है। बैंक द्वारा नैगम सामाजिक जिम्मेदारी के क्षेत्र में उठाए गए कुछ कदम निम्नवत् है:

सेवा में रहनेवाले पुलिस और उसके परिवार का ध्यान रखना:

''पुलिस झंडा दिवस'' के अवसर पर बैंक ने कर्नाटक राज्य पुलिस हितकारी निधि को चन्दा प्रदान किया। उक्त निधि का उपयोग सेवारत पुलिस कर्मी तथा उनके परिवार के कल्याण के लिए किया जाता है।

निर्धन लोगों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करना:

बैंक ने निर्धन और जरूरतमंद लोगों को नि:शुल्क/रियायती दरों पर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए कर्नाटक इन्स्ट्रीट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स, हुबली को दान दिया है।

बैंक ने होसकोटे, बेंगलूर जिले में एकीकृत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के लिए मेसर्स सौक्या फाउंडेशन, बेंगलूर को भी दान दिया, जो गरीबों को नि:शुल्क सुविधा प्रदान करता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन छात्रों को स्तरीय शिक्षा प्रदान करना:

मलनाड प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी, होन्नावर द्वारा सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम पर एक स्कूल स्थापित किया जा रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब छात्रों को मामूली शुल्क पर स्तरीय शिक्षा प्रदान करेगा। बैंक ने उक्त स्कूल के निर्माण हेतु सोसाइटी को दान दिया है।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग, कैलिपर, व्हील चेयर इत्यादि उपलब्ध कराकर उनकी मदद करना:

अधिकतर विकलांग व्यक्ति गरीबी की वजह से और/या सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी न रखने की वजह से आधुनिक कृत्रिम अंग/कैलिपर खरीदने में असमर्थ हैं। मेसर्स भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर, जो एक गैर सरकारी संगठन है, उन्होंने एक उचित, आसान, औपचारिक तथा मरीज के लिए मददगार डेलिवरी सिस्टम तैयार की है, जिसके अंतर्गत जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग/कैलिपर और अन्य साधन नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। उनके सामाजिक कार्यकलापों को मदद् करने के लिए बैंक ने उक्त समिति को दान दिया है।

जनजातियों को लाभकारी नियोजन प्रदान करना:

कोरगा, एक अत्यंत पिछड़े और पारंपरिक जनजाति समुदाय के हैं, वे उडुपि जिले के आस-पास जंगली इलाकों में निवास करते हैं। जिला प्रशासन, उडुपि ने कोरगा समुदाय के लाभ के लिए एकीकृत जनजाति विकास परियोजना (आइ.टी.डी.पी.) के अंतर्गत एक स्वनियोजन योजना निरूपित की है, जिसके अंतर्गत वे हिताधिकारियों को ऑटोरिक्शा प्रदान करते हैं। बैंक ने उडुपि जिला प्रशासन की उक्त परियोजना को दान दिया है।

programmes on credit and with the Institute of Insurance & Risk Management, Hyderabad, for conducting training programmes on advanced areas in Risk Management. The SIBM has also tied up with Indian Institute of Banking & Finance (IIBF) for implementation of e-learning module on basics of banking and Core Banking Solutions platform for the benefit of newly recruited officers and clerks.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The Bank has been earnestly discharging its social responsibilities by undertaking activities aimed at economic transformation and uplift of the downtrodden. Some of the initiatives taken by the Bank as part of CSR are as follows:

Caring for the serving policemen and their families:

The Bank donated to the Karnataka State Police Benevolent Fund on the occasion of "Police Flag Day". The fund is meant for the welfare of the serving policemen and their families.

Providing free medical facilities to the poor people:

The Bank has donated to the Karnataka Institute of Medical Sciences, Hubli, for providing medical facilities free of cost / at concessional rates to the poor and needy.

The Bank has also donated to M/s Soukya Foundation, Bangalore, for setting up of an integrated Health Centre at Hoskote, Bangalore District, which will run free clinics for the poor.

Providing standard education to poor students in rural areas:

The Malnad Progressive Education Society, Honavar, is setting up a school with CBSE syllabus for providing standard education to the poor students in rural areas against nominal fees. The Bank has made a donation to the Society towards the construction of the School.

Helping differently abled persons by providing artificial limbs, calipers, wheelchairs etc.:

Most of the differently abled persons cannot afford to purchase modern artificial limbs/calipers, due to poverty and/or ignorance of the facilities available. M/s Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata Samiti, Jaipur, an NGO has evolved an appropriate, simple, informal and patient-friendly delivery system under which artificial limbs/calipers and other aids are provided to the needy free of cost. The Bank has donated to the above Samiti for supporting their social activities.

Providing gainful employment to the Tribals:

Koragas, a highly backward traditional Tribal Community, are the inhabitants of forests situated in and around Udupi District. The District Administration, Udupi has formulated a Self Employment Scheme under the Integrated Tribal Development Project (ITDP) for the benefit of the Koraga Community under which they propose to provide Auto-rickshaws to the beneficiaries. The Bank has donated to this project of the Udupi District Administration.

ग्राहक सेवा

आज के बैंकिंग परिवेश में, प्रतिस्पर्द्धियों का मुकाबला करने के लिए उत्पाद की वैभिन्य को जो महत्व दिया जा रहा था, वह समाप्त हो गया है। अब बैंक की सफलता के लिए एकमात्र उपाय उसकी डेलिवरी सिस्टम की गुणवत्ता पर निर्भर है, जिसमें मुख्यत: ग्राहक सेवा शामिल है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बैंक ने जमाराशियों, ग्राहक सेवा, ग्राहक शिकायत निवारण, चेक वसूली सेवा में पाई गयी विभिन्न कमियों के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करना इत्यादि पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियाँ अपनाई हैं। उक्त नीतियों को ग्राहकों की सुविधा हेतु बैंक के वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया गया है। इन नीतियों के साथ-साथ सभी स्तरों पर एक सुसंगत ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली भी लागू की गयी है।

डाक या ई-मेल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों, भले ही, वे सीधे प्रस्तुत की गई हों या भारतीय रिज़र्व बैंक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, वी.आइ.पी. इत्यादि के माध्यम से प्राप्त हुई हों, उनकी पावती तत्काल दी जाती है। प्राप्त शिकायतों पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उन्हें संबंधित कार्यालयों/शाखाओं को तत्काल अग्रेषित किया जाता है। शिकायतों के निवारण के बाद शिकायतकर्ता को इसकी सूचना दी जाती है और साथ ही, उसे यह भी जानकारी दी जाती है कि यदि वह बैंक द्वारा प्रस्तुत उत्तर से पूर्णत: संतुष्ट नहीं है तो वह संगठन के भीतर अपनी शिकायतों को उच्चतर प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकता/सकती है और उसे अपनी शिकायत के संबंध में वैकल्पिक उपाय ढूंढने के लिए जो अधिकार उपलब्ध हैं, उसकी भी जानकारी दी जाती है।

शिकायतों को दर्ज करने के लिए ग्राहकों को जो सामान्य उपाय उपलब्ध हैं उनके अलावा, बैंक के वेबसाइट के होम पेज में ''कस्टमर केअर'' के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई ऑनलाइन शिकायत फाइलिंग सुविधा का भी उपयोग किया जा सकता है। 'निर्दिष्ट फार्म' में शिकायत प्रस्तुत करने के तुरंत बाद सिस्टम द्वारा स्वयं पावती तैयार की जाती है। इसके अलावा, बैंक में 24 घंटे टॉल फ्री वॉयस मेल प्रणाली भी प्रचलन में है, जिसके माध्यम से ग्राहक किसी भी समय अपनी शिकायत। सुझाव दर्ज कर सकते हैं। इसमें 48 घंटे के भीतर शिकायतों का निवारण किया जाता है/जवाब दिया जाता है।

शिकायत निवारण प्रणाली को और प्रभावी बनाने के लिए बैंक ने शिकायतों को, उनकी गंभीरता/संवेदनशीलता के अनुसार वर्गीकृत करने की प्रणाली अपनाई है। तदनुसार, प्राप्त शिकायतों को अत्यंत संवेदनशील (एच एस), संवेदनशील (एस) और सामान्य (जी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है ताकि उन पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जा सके।

क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ग्राहक सेवा पर उचित ध्यान दिया जा रहा है, या नहीं, इसे सुनिश्चित करने के लिए बैंक दोहरा मापदण्ड यानि, ''प्राप्त शिकायतों की संख्या'' और ''शिकायतों के निवारण हेतु लिए गए औसत समय'' के अंतर्गत त्रैमासिक आधार पर क्षे.का. के निष्पादन का मूल्यांकन करता है। उसके बाद, उक्त दोनों मापदण्डों के अंतर्गत क्षे.का. द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर क्षे.का. का श्रेणीकरण किया जाता है।

बैंक, भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड का सदस्य है और ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता संहिता को अपनाया है, जो बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करनेवाले प्रत्येक ग्राहक को उचित और पारदर्शी सेवा प्रदान करने से संबंधित एक स्वैच्छिक संहिता है। उक्त संहिता को सभी शाखाओं में प्रदर्शित किया गया है और इसके लिए अच्छी प्रतिक्रिया भी मिली है, और कर्मचारियों को संहिता के अनुसार बैंक की प्रतिबद्धता का पालन करने की प्रेरणा भी मिलती है।

CUSTOMER SERVICE

In the banking scenario of today, product differentiation has ceased to be an important factor for gaining advantage over the competitors. What ultimately gives the winning edge to a bank is the quality of its delivery systems, which naturally includes customer service. In view of this, the Bank has put in place Board approved policies on deposits, customer service, customer grievance redressal, cheque collection, compensation for various deficiencies in service etc. These are also displayed on the Bank's website for the convenience of the customers. These are supplemented by a well-geared Customer Grievances Redressal System spanning all the levels.

The complaints received through mail or e-mail whether directly or through Reserve Bank of India; Ministry of Finance, GOI; VIPs etc., are immediately acknowledged. The complaints are referred to the offices/branches concerned immediately for initiating necessary redressal measures. After the redressal of the complaint, the complainant is suitably informed of the same along with the details of the avenues to escalate his/her complaint/grievance within the organization and his/her right to alternative remedy, if he/she is not fully satisfied with the response of the Bank to the complaint.

In addition to the normal avenues of filing complaint, the customers of the Bank can also make use of the on-line complaint filing facility provided under 'Customer Care' in the Home Page of the Bank's website. Once the complaint is submitted in the prescribed 'Complaint Form', the acknowledgement is automatically generated by the system. The Bank has also in place a 24 hour Toll Free Voice Mail System to enable customers to record their grievances / suggestions any time of the day. These are redressed / replied within 48 hours.

In order to make Grievance Redressal Mechanism more effective, the Bank has put in place a system of categorizing the complaints according to the gravity / sensitivity of the matter involved. Accordingly, the complaints received are categorized as "Highly Sensitive' (HS), 'Sensitive" (S) and "General" (G), so as to enable prioritorised handling.

To ensure that customer service receives due attention from the Regional Offices, the Bank evaluates the performance of Regions on a quarterly basis under the twin parameters of 'Number of complaints received' and 'Average grievances redressal time'. The Regions are then graded on the basis of their combined score under the two parameters.

The Bank is a member of the Banking Codes and Standard Boards of India and has adopted the Code of Bank's Commitment to Customers, which is a voluntary code for fair and transparent treatment of individual customers availing banking services. The display of the Code in all branches has gone a long way in adding to the comfort level of customers and in motivating the staff to adhere to the Bank's commitments as per the Code.

वर्ष के दौरान सीधे/बैंकिंग लोकपाल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की स्थिति निम्नवत्त है :

क) ग्राहक शिकायतें (बैंकिंग लोकपाल को संदर्भित शिकायतों से भिन्न)

1.	1-4-2010 तक की स्थिति के अनुसार लंबित शिकायतों की संख्या	205
2.	वर्ष 2010-11 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	3402
3.	वर्ष 2010-11 के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	3323
4.	31-03-2011 तक की स्थिति के अनुसार लंबित शिकायतों की संख्या	284

ख) वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल को संदर्भित मामले

1.	1-4-2010 तक की स्थिति के अनुसार लंबित/शिकायतों की संख्या	29
2.	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल को संदर्भित शिकायतों की संख्या	490
3.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	474
4.	31-03-2011 तक की स्थिति के अनुसार लंबित शिकायतों की संख्या	45

ग) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय

1.	दि.1-4-2010 को कार्यान्वित न किये गये अधिनिर्णयों की संख्या	1
2.	वर्ष के दौरान पारित अधिनिर्णयों की संख्या	18
3.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	18
4.	दि. 31-03-2011 को कार्यान्वित न किये गये अधिनिर्णयों की संख्या	1

वर्ष के दौरान ग्राहक सेवा के संबंध में उठाए गए कदम

वर्ष के दौरान बैंक ने ग्राहक सेवा के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक नीति को अपनाया, जो विशिष्ट क्षेत्रों के मामले में पहले ही प्रचलित नियमों के अतिरिक्त हैं, जैसे जमाराशि, ग्राहक शिकायत निवारण, चेकों की वसूली, सेवा में पायी गयी विभिन्न कमियों के लिए क्षतिपूर्ति इत्यादि।

बैंक की सभी शाखाओं द्वारा नवंबर–दिसंबर 2010 के दौरान ग्राहक पखवाडा आयोजित किया गया, और उस अवधि के दौरान ग्राहक बैठके आयोजित की गयी हैं। ग्राहक बैठकों का उपयोग ग्राहक के साथ विचार–विमर्श करने के लिए किया गया है ताकि ग्राहक सेवा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर उनकी राय/सुझाव प्राप्त किए जा सकें और उनको के.वाई.सी./ ए.एम.एल. को पालन करने की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी दी जा सकें और इस संबंध में बैंक के साथ सहयोग करने की आवश्यकताओं से भी अवगत कराया जा सके।

अपने ग्राहक को जानिए/धनशोधन निवारक

अपने ग्राहक को जानिए (के.वाई.सी.) मानदण्ड और धनशोधन निवारक उपायों पर बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति उपलब्ध है। खाता खोलते समय ग्राहकों की समुचित पहचान करने के लिए अपेक्षित कार्यविधियों का स्पष्ट उल्लेख इस नीति में किया गया है।

तथापि, खाता खोलते समय भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार के.वाइ.सी. मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए । फिर भी कड़ाई से अनुपालन के कारण पददलित लोग वित्तीय समावेशन की सुविधा से वंचित न रह जाएं, इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उनके मामलों में एक सरलीकृत प्रणाली अपनाने की सलाह दी है। ग्राहक पहचान प्रक्रियाओं के अलावा इस नीति में प्रत्येक ग्राहक के मामले में जोखिम प्रोफाइल तैयार करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, ताकि खाते की जोखिम श्रेणी

The status of complaints received directly / through offices of Banking Ombudsman (BO) during the year is furnished below:

A. Customer Complaints (other than BO Complaints):

1	No. of complaints pending as on 01-04-2010	205
2	No. of complaints received during the year 2010-11	3402
3	No. of complaints redressed during the year 2010-11	3323
4	No. of complaints pending as on 31-03-2011	284

B. Cases referred to Banking Ombudsman during the year:

1	No. of complaints pending as on 01-04-2010	29
2	No. of complaints referred to Banking Ombudsman during the year 2010-11	490
3	No. of complaints disposed of during the year 2010-11	474
4	No. of complaints pending as on 31-03-2011	45

Status of Awards passed by Banking Ombudsman:

1	No. of unimplemented Award as on 01-04-2010	1
2	No. of Awards passed during the year 2010-11	18
3	No. of Awards implemented during the year 2010-11	18
4	No.of unimplemented Awards as on 31-03-2011	1

Customer Service Initiatives taken during the year:

During the year, the Bank has put in place a comprehensive Board approved policy on Customer Service to supplement the policies already in place on specific areas like deposits, customer grievance redressal, cheque collection, compensation for various deficiencies in service etc.

All branches of the Bank have observed Customer Fortnight during November-December, 2010 and held Customer Meets during the period. The Customer Meets were utilized to interact with customers to seek their views/suggestions on various customer service related issues and to educate them on KYC / AML requirements and the need for them to co-operate with the Bank in this regard.

KNOW YOUR CUSTOMER / ANTI-MONEY LAUNDERING

The Bank has a Board approved Policy on Know Your Customer (KYC) norms and Anti-Money Laundering (AML) measures. The Policy clearly lays down the customer identification procedures to be adopted for proper identification of customers while opening accounts.

However, with a view to ensuring that strict adherence to KYC standards does not result in banking services being denied to the underprivileged segments of the society resulting in financial exclusion, relaxations in the form of simplified KYC norms have been put in place as per RBI guidelines with regard to opening of accounts. In addition to the customer identification procedures, the Policy also lays down the procedure for working out the risk profile

के अनुरूप निगरानी प्रणाली/प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें तथा धन शोधन, आतंकवाद को वित्तीयन इत्यादि पर रोक लग सके। ग्राहक की जोखिम श्रेणी के आधार पर उसके ग्राहक पहचान आंकडे को समय-समय पर अद्यतन बनाने की प्रणाली अपनाई गयी है।

ए.एम.एल. उपायों को और मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। बैंक ने संदिग्ध लेन-देनों की पहचान करने के लिए ऑनलाइन चेतावनी प्रणाली साफ्टवेयर का कार्यान्वयन किया है। सभी शाखाओं से संबंधित नकद लेन-देन रिपोर्ट नियमित रूप से एफ.आइ.यू.-इण्ड को प्रस्तुत की जा रही है। संदिग्ध लेन-देनों की भी पहचान की गयी है और एस.एफ.आइ.यू. इण्ड को रिपोर्ट की गयी है। बैंक जाली मुद्रा रिपोर्टों (सी.सी.आर.) और गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट (एन.पी.ओ.) को भी एफ.आइ.यू.इण्ड़ को प्रस्तुत करता है।

के.वाई.सी./ए.एम.एल. मानदण्डों के बेहतर अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने कदम उठाए हैं । सी.बी.एस. प्रणाली में नये खातों को तभी खोला जाएगा जब के.वाई.सी. मानदण्डों का 100 प्रतिशत अनुपालन हो जाए । खाता खोलने से पहले आतंकवादी व्यक्तियों/संस्थाओं की सूची समेकित रूप से सत्यापन करवाने हेतु सी.बी.एस. प्रणाली को लैस करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं ताकि ऐसे व्यक्तियों संस्थाओं के नामों पर कोई खाता न खोला जाए ।

के.वाई.सी., एम.एल. के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और इस संबंध में ग्राहकों द्वारा उन्हें सहयोग प्रदान करने की आवश्यकता के संबंध में देशभर के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए गए हैं और साथ ही, इस संबंध में बैंक के वेबसाइट पर भी सूचना प्रदर्शित की गयी है।

नकद प्रबंधन सेवाएं

बैंक अपने नैगम ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप दक्ष और वेब आधारित नवीनतम प्रौद्योगिकी युक्त सी.एम.एस. सोल्यूशन प्रदान करता है। बैंक द्वारा नकद प्रबंधन सेवाओं के अंतर्गत ग्राहकों को वसूली और भुगतान दोनों सेवाएं प्रदान की जाती है। बैंक में 2,400 से भी अधिक शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से 1,500 से भी अधिक शहरों को शामिल किया गया हैं जिससे देशभर में ग्राहकों को सी.एम.एस. सेवाएं प्रदान की जा सकें । वसूली के अंतर्गत नकदी वसूली, बल्क एन.ई.एफ.टी.सी. अधिदेश के माध्यम से ऑटो डेबिट सुविधा, ई.सी.एस. जमा और केन्द्रीकृत चेक डेबिट सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। भुगतान के अंतर्गत रिमोट चेक प्रिंटिंग, आर. टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. सुविधा और आंतरिक निधि अंतरण सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

सिंडअस्बा (अवरुद्ध रकम द्वारा समर्थित आवेदन पत्र)

बैंक ने अपने ग्राहकों को सार्वजनिक निर्गमों तथा अधिकार निर्गम में निवेश करने के लिए दि. 2-11-2010 से अवरुद्ध रकम हेतु सेबी के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार रकम द्वारा समर्थित आवेदन-पत्र (सिंडअस्बा) नामक एक सरल समाधान की शुरूआत की है । इस उद्देश्य हेतु, बैंक का सेबी के पास सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक (एस.सी.एस.बी.) के रूप में पंजीकृत करवाया गया है। वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत आइ.पी.ओ. के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु चेकों का उपयोग किया जाता है, इससे ग्राहक की निधियाँ शेयरों के आबंटन/बोली को अंतिम रूप देने तक बिना किसी अर्जन के अवरुद्ध रह जाती हैं। परंतु अस्बा के अंतर्गत ग्राहक की निधियाँ उनके खाते में आवेदन-पत्र के संसाधन होने तक ब्याज अर्जित करती रहेंगी क्योंकि आवेदन-राशि शेयरों के आबंटन होने तक खाते में ही रहती हैं। यह सुविधा अधिकार निर्गम और म्यूचुअल फंड के न्यू फंड ऑफर के लिए भी उपलब्ध

of each account to ensure that monitoring mechanism/ procedures commensurate with the risk category of the customer are in place to prevent money laundering, terrorist financing etc. A system of periodic updating of customer identification data has also been put in place based on the risk category in which a customer is placed.

Steps have been taken to strengthen the AML measures. The Bank has also implemented software to generate online alerts to identify suspicious transactions. Cash Transaction Reports covering all the branches were submitted regularly to Financial Intelligence Unit-India (FIU-Ind). Suspicious transactions were also identified and reported to FIU-Ind. The Bank has also been submitting Counterfeit Currency Reports (CCRs) and Non-Profit Organization Report (NPOs) to FIU-Ind as prescribed.

To ensure better compliance of KYC/AML norms, the Bank has initiated steps to ensure that new accounts are opened in the CBS system only after 100 per cent KYC compliance. Steps are also being taken to equip the CBS system to do an integrated verification with the list of Terrorist individuals/entities before opening an account in order to avoid opening of accounts in the names of such individuals/entities.

In order to spread awareness about KYC/AML and the need for customers to extend their co-operation in this regard, an advertisement to this effect was placed in leading newspapers across the country besides to placing it in the Bank's website.

CASH MANAGEMENT SERVICES

The Bank provides an efficient and tailor-made web-based state-of-the-art technology based CMS solution to suit the corporate customer's requirements. The Bank is offering both Collection and Payment services to the customers under the Cash Management Services. The Bank has coverage of more than 1,500 cities through its more than 2,400 networked Branches offering CMS services to clients across the country. Under Collections, Cash Collection, Bulk NEFT, Auto Debit facility through Mandates, ECS-credit and Centralized Cheque Debit Facilities are being offered. Remote Cheque Printing, RTGS/NEFT facility and Internal Fund Transfer facilities are being offered under Payments.

Synd ASBA (Application Supported by Blocked Amount)

The Bank introduced a new hassle-free solution to customers for investment in Public Issues and Rights Issue called Application Supported by Blocked Amount (Synd ASBA) from 02-11-2010, as per SEBI guidelines. For this purpose, the Bank has been registered with SEBI as Self-Certified Syndicate Bank (SCSB). Under the current system of applying for IPOs using cheques, customer funds are blocked unproductively as application money till the finalization of the allotment/Bid. However, under ASBA customer funds in account will continue to earn interest during the application-processing period, as Application Money remains blocked in the account till allotment. The Account will be debited only on successful allotment. This facility is also available for Rights Issue and New Fund Offers (NFO) of Mutual Funds. As of now, ASBA facility is available

होगी। फिलहाल, अस्बा सुविधा 80 पदनामित शाखाओं में उपलब्ध है और इसे धीरे–धीरे सभी शाखाओं में उपलब्ध कराया जाएगा।

नयी पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.)

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकारी (पी.एफ.आर.डी.ए.) ने सिंडिकेट बैंक को पॉइन्ट ऑफ प्रजेन्स (पी.ओ.पी.) के रूप में नियुक्त किया है। बैंक को पी.ओ.पी. के रूप में पंजीकरण और कारोबार के प्रारंभ के लिए प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिसका पंजीकरण कूट – 02809 है, जो दि. 18-12-2009 से 17-12-2014 तक वैध है। बैंक ने नई पेंशन योजना के अंतर्गत सदस्यों को सम्मिलित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इस उद्देश्य हेतु शाखाओं का चयन किया गया है ।

बीमा कारोबार

जीवन बीमा:

- ❖ बैंक ने भारत सरकार/भा.बैं.सं. के दिशा निदेशों के अनुसार आवास ऋण पैकेज के अंतर्गत आनेवाले आवास ऋण उधारकर्ताओं को नि:शुल्क बीमा रक्षा उपलब्ध कराने हेतु मेट लाइफ इन्श्योरेन्स कं. लि. से ग्रूप लाइफ इन्श्योरेन्स पालिसी ली है । योजना के अंतर्गत 15-12-2008 से 31-12-2009 तक स्वीकृत समस्त आवास ऋणों को बीमा सुरक्षा उपलब्ध होगी और वह बैंक की लागत पर होगी । उक्त योजना के अंतर्गत बैंक ने ₹ 834.23 करोड़ राशि बीमाकृत करके 12,490 उधारकर्ताओं को इसमें शामिल किया है।
- ❖ बैंक भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ मिलकर 'सिंड सुरक्षा' ग्रूप टर्म लाइफ इन्श्योरेन्स प्लान का भी विपणन कर रहा है । राजकोषीय वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने 15,399 खातों को शामिल किया है।
- ❖ राजकोषीय वर्ष 2010-11 के दौरान, बैंक के वित्तीय समावेशन योजना के तहत खाता खोलनेवालों के लिए बैंक ने नाममात्र प्रीमियम पर मेसर्स टाटा ए आई जी लाइफ इन्श्योरेन्स कंपनी के सहयोग से मैक्रो इन्श्योरेन्स कवर का शुभारंभ किया । इस योजना के अंतर्गत, बीमाकृत को बीमा सुरक्षा के साथ-साथ आकस्मिक मृत्यु रक्षा भी उपलब्ध होती है ।

सामान्य बीमा

- ❖ जून 2004 से बैंक ने सामान्य बीमा के वितरण हेतु युनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड के साथ नैगम एजेंसी व्यवस्था के अधीन गठजोड़ किया है ।
- ❖ विशेष उत्पाद जैसे सभी ग्राहकों के लिए 'सिंड आरोग्य', मेडिक्लेम सह–वैयक्तिक दुर्घटना रक्षा तथा आवास ऋण उधारकर्ताओं के लिए 'यूनिहोम केयर पालिसी', सिंड विद्या के उधारकर्ताओं के लिए 'यूनिस्टडी केयर पालिसी' का भी विपणन किया है ।

कार्ड कारोबार

क्रेडिट कार्ड उत्पाद:

1. बैंक ने वीसा इन्टरनेशनल के सहयोग से गोल्ड एवं क्लासिक क्रेडिट कार्डों का कारोबार शुरू किया है, जिनका प्रयोग ए टी एम, प्वाइंट-आफ-सेल्स टर्मिनल्स, इंटरनेट, आई वी आर तथा मेल आर्डरों के लिए किया जा सकता है । ये कार्ड पूरे विश्व भर में वैध हैं तथा विश्व में कहीं भी प्रयोग किए जा सकते हैं ।
2. इस वर्ष के दौरान बैंक ने दि. 11-02-2010 से एकबारगी पासवर्ड (ओ टी पी) की शुरुआत की है, यह अतिरिक्त सुरक्षा सुविधा भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशानुसार उपलब्ध कराई गई है। इससे कार्डधारक

at 80 designated branches and it will be extended to all branches in a phased manner.

New Pension System (NPS)

Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) has appointed Syndicate Bank as Point of Presence (POP). A certificate of Registration & Commencement of Business (dated 03-02-2010) has been issued to the Bank as a Point of Presence (POP) with registration code – 02809 which is valid from 18-12-2009 to 17-12-2014. The Bank has started enrolling members under the New Pension Scheme and has designated select branches for the purpose.

INSURANCE BUSINESS

Life Insurance:

- ❖ The Bank has taken Group Life Insurance Policy from MetLife India Assurance Co. Ltd. to provide free Life Insurance cover to housing loan borrowers under the special housing loan package as per Govt. of India/ IBA guidelines. All Housing loans sanctioned under the scheme from 15-12-2008 to 31-12-2009 are covered with Life Insurance at Bank's cost. Under the Scheme the Bank, has covered 12,490 borrowers for a total sum assured of ₹ 834.23 crore.
- ❖ The Bank is also marketing "SyndSuraksha" Group Term Life Insurance Plan in association with LIC of India. The Bank has covered 15,399 accounts during the fiscal 2010-11.
- ❖ During the fiscal 2010-11, the Bank launched Micro Insurance cover in association with M/s TATA AIG Life Insurance Company, for accounts opened under the Bank's Financial Inclusion Plan at a very nominal premium. Under the scheme, the insured is covered for normal as well as accidental death.

General Insurance:

- ❖ Since June 2004, the Bank has been in a tie-up with United India Insurance Company Limited (UIICo.) under a Corporate Agency arrangement for distributing their General insurance products.
- ❖ Special tailor-made products such as 'SyndArogya', a Mediclaim-cum-Personal Accident Cover for all customers, 'Unihome Care Policy' for Housing Loan borrowers and 'UniStudy Care Policy' for SyndVidya borrowers are also distributed by the Bank.

CARD BUSINESS

Credit Card Product:

1. The Bank in association with VISA International, offers Gold and Classic Credit Cards, which can be used at ATMs, Point-of-Sale terminals, Internet, IVR and for Mail Orders. The cards are valid globally and can be used throughout the world.
2. During the year, the Bank introduced One Time Password (OTP), with effect from 11-02-2010, an additional security feature made mandatory by Reserve Bank of India, which enables the cardholder to generate the

को दूरभाष या मोबाइल से आई वी आर लेन-देन करने के लिए आठ अंकों का एकबारगी पासवर्ड का निर्माण करने की सुविधा मिलती है ।

3. बैंक ने दि. 31-03-2011 तक 70,957 क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं।

डेबिट कार्ड उत्पाद:

1. बैंक ने वीसा के साथ मिलकर दि. 29-03-2003 को अपने ग्लोबल डेबिट-सह-ए.टी.एम. कार्ड का शुभारंभ किया और इसे बैंक की सभी शाखाओं के माध्यम से जारी किया जाता है।
2. बैंक ने नवंबर 2008 में एक नवीन इन्स्टैंट डेबिट कार्ड की शुरुआत की, जिसमें ग्राहक द्वारा खाता खोलने के तुरंत बाद या मौजूदा खातों के लिए कार्ड का अनुरोध करने पर शाखा स्तर पर ही डेबिट कार्ड जारी किए जाते हैं। सभी शाखाएं सॉफ्टवेयर के माध्यम से नए इन्स्टैंट डेबिट कार्ड, डूप्लीकेट कार्ड, नवीकरण कार्ड और एड ऑन कार्ड जारी कर सकती हैं तथा किसी भी सी बी एस डेस्क से डेबिट कार्ड को हॉट लिस्ट या अनब्लॉक कर सकते हैं और विफल ए टी एम लेन देन के दावे का रजिस्टर भी कर सकते हैं ।
3. इस वर्ष बैंक ने एकबारगी पासवर्ड का शुभारंभ किया जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिदेशित अतिरिक्त सुरक्षा सुविधा है । इससे कार्डधारक को दूरभाष या मोबाइल से आई वी आर लेन-देन करने के लिए आठ अंकों का एकबारगी पासवर्ड का निर्माण करने की सुविधा मिलती है ।
4. पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्ड आधार, बकाया राशि एवं अर्जित आय की तुलनात्मक स्थिति निम्नवत् है :

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11
डेबिट कार्ड जारीकर्ता शाखाएं	2224	2275	2382
जारी किए गए डेबिट कार्ड (लाख में)	30.16	48.63	52.64
लेन-देन की संख्या (लाख में)	434.38	694.82	821.08

उत्पाद विकास

सिंड राहत – मीयादी जमा योजना

जुलाई 2010 में बैंक ने 'सिंड राहत' नाम से एक विशेष मीयादी जमा योजना का शुभारंभ किया जिसके तहत सड़क दुर्घटना से पीड़ित लोगों को या उनके आश्रितों को मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण द्ववारा प्रदान की गई राशि को मीयादी जमा में डाला जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय के सुझावों के आधार पर और हिताधिकारियों के हितों की रक्षा करने हेतु इस योजना को निरूपित किया गया है। फिलहाल, यह योजना सिर्फ दिल्ली क्षेत्र की शाखाओं के लिए लागू है।

एस.के.सी.सी. के तहत परिवर्तनशील सीमाओं के निर्धारण की योजना

एस.के.सी.सी. उत्पादों को अधिक लचीला और किसानों के अनुकूल बनाने के लिए, एस.के.सी.सी. के तहत परिवर्तनशील सीमाओं का निर्धारण करने की योजना को आरंभ किया गया है। इससे, किसान जब और जैसी आवश्यकता होती है तब नए दस्तावेजों का प्रस्ताव किए बिना विकसित फसल पद्धति और अनेक उपायों को अपनाते समय आनेवाले खर्चों की पूर्ति के लिए उच्च ऋणसीमा को उपलब्ध कर सकते हैं।

8 digit One Time Password for doing IVR transactions through telephone/mobile.

3. The Bank has issued 70,957 Credit Cards up to 31-03-2011.

Debit Card Product:

1. The Bank launched its Global Debit-cum-ATM Card on 29-03-2003 in association with VISA and the same is issued through all branches of the Bank.
2. The Bank has launched the innovative Instant Debit Card in November 2008, which can be issued and delivered to the customer at the branch immediately when a new account is opened or request is submitted for existing accounts. Through the software, all the branches can issue new Instant Debit Cards, Duplicate Cards, Renewal Cards, and add-on cards and they can also hot list/unblock debit cards and register claims on account of failed ATM transactions from any CBS desk.
3. During the year, the Bank introduced One Time Password (OTP), an additional security feature made mandatory by Reserve Bank of India, which enables the Cardholder to generate the 8-digit One Time Password for doing IVR transactions through telephone/mobile.
4. The Comparative position of debit cards issued and transactions carried out through them for the last 3 years is furnished below:

Description	2008-09	2009-10	2010-11
Debit Cards issuing Branches	2224	2275	2382
Debit Card issued (in Lakh)	30.16	48.63	52.64
No. of transactions (in Lakh)	434.38	694.82	821.08

PRODUCT DEVELOPMENT

SYND RAHAT – TERM DEPOSIT SCHEME

In July 2010, the Bank formulated a special term deposit scheme under the name "Synd Rahat" for placing in term deposits compensation money awarded by Motor Accident Tribunals to victims of road accidents or their dependants. The scheme is formulated on the lines of the suggestions made by the Honourable High Court of Delhi and is intended to protect the interests of the beneficiaries. At present, the scheme is made applicable to branches in Delhi region only.

Scheme for fixation of staggered limits under SKCC

In order to make the SKCC product more flexible and farmer friendly, the scheme for fixation of staggered limits under SKCC has been introduced. With this, farmers are in a position to avail, as and when required, higher limit to meet the expenses on account of adoption of improved cropping pattern and package of practices without having to execute fresh documents.

लघु एवं सीमांत कृषकों, काश्तकारों, बंटाईदारों और मौखिक पट्टेदारों के लिए ऋण विनिमय सुविधा

उपर्युक्त वर्ग में आनेवाले लोगों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराने हेतु, एस.के.सी.सी. योजना के अंतर्गत ऋण की अदला–बदली के लिए योजना को आरंभ किया गया है। इससे, अब किसान गैर–संस्थागत ऋणदाताओं को जो अधिक ब्याज देते थे उस की बचत करके अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं।

सिंड ग्रीन हाउस योजना

उच्च तकनीकी कृषि परियोजनाओं हेतु ग्रीन हाउस तकनीकी को अपनाने वाले किसानों के लिए अल्पावधि ऋण और झंझट–रहित निवेश प्रदान करने हेतु 'सिंड ग्रीन हाउस' नाम से एक योजना का शुभारंभ किया गया है। उच्च तकनीकी कृषि परियोजनाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने और समझाने के लिए योजना के तहत उपलब्ध विभिन्न प्रतिमानों को किसानों के बीच परिचालित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत ली गई परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड पूंजी सब्सिडी प्रदान करता है।

सिंडकिसानस्वर्ण

किसानों को सुविधाजनक अल्पावधि एवं निवेश ऋण तुरंत मंजूर करने के लिए, उपर्युक्त नामवाली एक नई किसान हितैषी योजना शुरू की गई है। इसमें स्वर्णाभूषणों की जमानत पर ऋण दिया जाता है।

घरेलू खेती

जिनके पास लघु एवं बंटे हुए जोत क्षेत्र होते हैं, वे किसान बहुफसली कृषि करते हैं । ऐसे किसानों के ऋण की आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु और सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देने के लिए अलग से योजना बनाई गई जो घरेलू खेती को वित्तीयन करती है । किसानों को उनकी स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार चयन करने हेतु मार्गदर्शन देने के लिए इस योजना के तहत वित्तीयन के विभिन्न प्रतिमानों का निर्माण किया गया है ।

नई पहल

मोबाइल बैंकिंग

मोबाइल के माध्यम से भुगतान करने या एम-कॉमर्स सुविधा प्रदान कराने हेतु बैंक ने मेसर्स पेमेट इन्डिया प्रा.लि. के ज़रिए मोबाइल बैंकिंग सोल्यूशन का कार्यान्वियन किया है । इसके पहले चरण में, शेषराशि की पूछताछ, मिनी स्टेटमेंट (पिछले 10 लेन-देन) चेक बुक का अनुरोध, मोबाइल टॉप-अप और हमारे बैंक में जो खाते हैं उनमें निधियों का अंतरण जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं । अगले चरण में, यूटिलिटी बिलों का भुगतान करने की सुविधा को भी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया जा रहा है।

इंटरनेट मोबाइल भुगतान सेवाएं (आई एम पी एस)

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एन पी सी आई) द्वारा प्रस्तुत इंटरनेट मोबाइल भुगतान सेवाएं (आई एम पी एस) नामक एक नई भुगतान सेवा का शुभारंभ किया गया है । फिलहाल, एनईएफटी द्वारा लिए जानेवाले निधियों का अंतरण बैच आधारित प्रक्रिया से होता है और इसमें अंतरण तत्काल नहीं होता है । एन पी सी आई द्वारा प्रस्तुत आई एम पी एस के अंतर्गत हिताधिकारियों के खातों में तत्काल रूप से जमा हो जाता है । चूँकि, भारत के सभी बैंक एन पी सी आई के सदस्य है, इसलिए सभी बैंकों तक यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए सी.बी.एस.

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नीति नियम के तौर पर सीबीएस के दायरे में लाना चाहिए और संबंधित प्रायोजक बैंक को अपने क्षे.ग्रा.बैं. के लिए सीबीएस सेवा प्रदानकर्ता का

Debt Swap Facility to Small & Marginal farmers, Tenant Farmers, Sharecroppers and Oral Lessees

In order to help the people falling in the above categories to free themselves from the clutches of moneylenders, a debt swap facility has been introduced under the SKCC scheme. With this, farmers are now in a position to improve their financial position by saving on the exorbitant interest they were paying to the non-institutional lenders.

SyndGreenHouse Scheme

To provide hassle-free investment and short term credit to the farmers interested in adopting greenhouse technology for taking up hi-tech agricultural projects, a separate scheme under the name "SyndGreenHouse" has been introduced. Different models available under the scheme were circulated among farmers for easy understanding and to encourage them to take up hi-tech agriculture projects. National Horticulture Board (NHB) is providing capital subsidy for projects taken up under the scheme.

SyndKisanSwarna

In order to provide instant hassle-free short term and investment credit to the farmers, a new farmer-friendly scheme has been introduced under the above name to provide loans to farmers against gold ornaments.

Homestead Farming

Multi-cropping is commonly practiced by farmers who have small and fragmented holdings. In order to meet the credit requirement of such farmers and also as a part of encouragement to social forestry, a separate scheme for financing homestead farming was formulated. Different models for financing under the scheme were formulated so as to guide the farmers to select according to their requirements and local conditions.

NEW INITIATIVES

Mobile Banking

The Bank has implemented Mobile Banking Solution through M/s Paymate India Pvt. Ltd. for providing Mobile Payments and m-Commerce facilities. In the first phase, facilities such as Balance Enquiry, Mini Statement (Last 10 transactions), Cheque Book Request, Mobile Top-up and Fund transfer between accounts within the Bank are provided. It is proposed to offer Utility Bill Payment in the next phase.

Internet Mobile Payment Services (IMPS)

Internet Mobile Payment Services (IMPS), a new payment service offered by National Payment Corporation of India (NPCI) is launched. At present Funds Transfer through NEFT is a Batch-based process and is not instantaneous. Under IMPS provided by NPCI, the credit to the Beneficiary's account is instantaneous. As almost all Banks in India are members of NPCI, the reach will be to all Banks.

CBS for Regional Rural Banks

In line with the RBI directive that all RRBs should begin moving towards CBS as a matter of policy and that the respective sponsor bank may be given the option of selecting the service provider for their RRBs, the Bank is in

चयन करने का विकल्प दिया गया है। बैंक देशभर में फैली हुई 1,300 शाखाओं से युक्त अपने सभी 5 प्रायोजित क्षे.ग्रा.बैं. को सीबीएस के दायरे में लाने की योजना बना रहा है । इससे इन क्षे.ग्रा.बैं. के कार्य में एकरूपता आएगी और परिचालन आसान हो जाएगा ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर आर बी) के लिए कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सी.बी. एस.) को ए एस पी मॉडल के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है । दि. 31-03-2011 की स्थिति के अनुसार, क्षे.ग्रा.बैं. के 627 शाखाओं और 7 उप शाखाओं को सी.बी.एस. में परिवर्तित किया गया है । कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की सभी शाखाओं को सी.बी.एस. में परिवर्तित कर दिया गया है ।

नवीन एटीएम सुविधाओं को प्रदान करना

उत्तरी क्षेत्रों में 354 ए टी एम में द्विभाषी (हिंदी एवं अंग्रेजी) स्क्रीन लगाया जा रहा है ।

मात्र प्रादेशिक भाषाओं को जाननेवाले ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने के लिए ए टी एम में बहुभाषी स्क्रीन को उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव है। प्रारंभिक तौर पर, कन्नड़ और मलयालम भाषा में उसकी जाँच की गई है। संबंधित क्षेत्रों में इस प्रकार के ए टी एम स्क्रीन को लगाने की प्रक्रिया प्रगति पर है ।

लेंडिंग ऑटोमेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (एल.ए.पी.एस.)

बैंक ने लेंडिंग ऑटोमेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (एल.ए.पी.एस.)का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। उक्त प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

- ✓ भा.रि.बैं. की चूककर्ता सूची की अपलोडिंग और ऋण मंजूर करने से पहले नामों को आसानी से खोजना।
- ✓ उधारकर्ताओं के विवरण जैसे उम्र, ऋण पात्रता इत्यादि के आधार पर ऋण की श्रेणी निर्धारित करना।
- ✓ खुदरा ऋणों के लिए एल.ए.पी.एस. में जोखिम निर्धारण चार्ट को प्रस्तुत किया गया है ।
- ✓ सी.बी.एस. से ग्राहक के ब्यौरे निकालना और केवल अतिरिक्त विवरणों को अद्यतन करना आवश्यक है।
- ✓ मंजूरी पत्र, एम.सी.बी. नोट तैयार करती है और मंजूरीदाता प्राधिकारी तथा शाखा के बीच संवाद कायम करती है।
- ✓ ऋण दस्तावेजों का मुद्रण संबंधी प्रावधान।

बैंक ने 200 शाखाओं में इसका कार्यान्वयन कराने हेतु लाइसेंस प्राप्त किया है। रिटेल मोड्यूल को 7 सी.पी.सी. और 162 शाखाओं में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है। 500 अतिरिक्त एल.ए.पी.एस. सॉफ्टवेयर का लाइसेंस लेने की प्रक्रिया चल रही है। एल.ए.पी.एस. सॉफ्टवेयर के कॉर्पोरेट मॉड्यूल को अगले चरण में कार्यान्वित किया जाएगा।

ई–प्रोक्योरमेंट सेवाएं

ई–प्रोक्योरमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाईन खरीद–फरोख्त की जाती है। ये सेवाएं पारदर्शिता के साथ–साथ समय और धन की भी बचत कराती है, तथा सेवा प्रदान करने वाले अर्थात विक्रेता के लिए इसका परिचालन सुविधाजनक होता है ।

बैंक ने प्रति नीलामी प्रक्रिया की शुरुआत पहले से ही की है, और इसमें उक्त सेवा को 03-11-2010 से लागू किया गया । सभी अधिक मूल्यों वाली भविष्य की खरीदी को प्रति नीलामी प्रक्रिया द्वारा ही किया जाएगा ।

चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सी टी एस) का कार्यान्वयन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सभी शाखाओं में, जिनमें फरीदाबाद, चंडीगढ़ और गाज़ियाबाद क्षेत्र सम्मिलित हैं, चेक ट्रंकेशन प्रणाली

the process of bringing all the 5 sponsored RRBs with more than 1,300 branches spread all over India under CBS, which shall bring about uniformity in their functioning and ease of operations.

Core Banking Solution (CBS) for Regional Rural Banks (RRBs) is being implemented under ASP Model. As at 31-03-2011, migration of 627 Branches and 7 ECs of RRBs to CBS has been completed. All the branches of Karnataka Vikas Grameen Bank have been brought under the CBS platform.

Providing Innovative ATM Services

The process has been initiated for loading Bilingual screens (Hindi & English) in 354 ATMs in the Northern Regions.

It is also proposed to provide Multilingual screens in ATMs to facilitate the customers who know only the local language. To begin with, testing has been completed for Kannada and Malayalam languages. Loading the screens in ATMs in the respective Regions is in progress.

Lending Automation Processing System (LAPS)

The Bank has started implementing 'Lending Automation Processing System (LAPS)', the salient features of which are as under.

- ✓ RBI Defaulters list uploading and easy search for the names before sanctioning of loans.
- ✓ Risk rating of the loan can be set based on the borrower's characteristics like age, credit worthiness etc. Risk Rating Charts have been introduced in LAPS for Retail Loans.
- ✓ Fetches/extracts customer details from CBS and only additional details need to be updated.
- ✓ Generates the Notes/Sanction letter, and supports querying between the Sanctioning Authority and the Branch.
- ✓ Provision for printing Loan Documents.

The Bank has obtained licenses for implementing in 200 branches. The Retail Module of LAPS Software has been implemented successfully in 7 CPCs and 162 branches. Procurement of additional 500 licenses for Lending Automation Processing System (LAPS) software is under process. Corporate Module of LAPS Software will be taken up for implementation in the next phase.

E-Procurement Services:

e-Procurement is the process wherein the physical tendering activity is carried out on-line using the Internet. e-Procurement provides transparency, results in savings of time and money, shortening of procurement cycle and ease of operation to the implementing organization and to the vendors.

The Bank has already initiated Reverse Auction process and the same has been put in place from 3-11-2010. All future procurements of high value would be done through the reverse auction process only.

Cheque Truncation System (CTS) Implementation

Cheque Truncation System (CTS) has been implemented in National Capital Region (NCR) at New Delhi covering

(सी टी एस) का कार्यान्वयन किया गया है । भा. रि. बैंक के निदेशानुसार, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों के एम आइ सी आर चेक संसाधन केंद्रों (सी पी सी) को सम्मिलित करते हुए बैंक चेन्नई में सी टी एस परियोजना को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है। चेन्नई में कार्यान्वित सी टी एस प्रायोगिक आधार पर परिचालन करने हेतु तैयार हो गया है।

कस्टमर कियोस्क

व्यक्तिगत रूप से शाखाओं की मध्यस्थता के बिना भौतिक चेकों को जमा करने, चेक नंबर, तारीख, राशि इत्यादि के ब्यौरों को प्राप्त करने और रसीद के रूप में ग्राहक को चेक की स्कैन की गई प्रति जारी करने की सुविधा चेक डिपोजिटरी कियोस्क देता है । कियोस्क द्वारा जुटाए गए आंकडों को सिस्टम में अपलोड कर सकते हैं । इससे शाखा के कर्मचारियों को स्वीकृति करना, पावती देना, प्रविष्टि करना इत्यादि के मामले में सुविधा मिलती है ।

25 नामित स्थानों पर कस्टमर कियोस्क का परिचालन किया गया है जो ग्राहकों को कर्मचारियों के हस्तक्षेप के बिना चेकों को जमा करने और सिस्टम से रसीद की प्राप्ति करने में सुविधा प्रदान करेगा। जमा किए गए चेक का डाटा कस्टमर कियोस्क से सीधे सीबीएस में अपलोड किया जा सकता है।

फिशिंग को रोकने के लिए उठाए गए कदम

बैंक के वेबसाइट के होमपेज में, ग्राहकों से अनैतिक तत्वों द्वारा की जानेवाली फिशिंग के प्रति सावधानी बरतने हेतु और नेट के ज़रिए पासवर्ड या अन्य ब्यौरों को व्यक्त न करने की सलाह देते हुए चेतावनी संदेश निरंतर चलते रहते हैं । उसमें यह भी स्पष्ट किया जाता है कि बैंक ऐसे ब्यौरों को कभी भी मांगता नहीं है ।

होमपेज में **''फिशिंग से संबंधित महत्वपूर्ण चेतावनियाँ''** नाम से लिंक उपलब्ध है जिसमें साधारण रूप से फिशिंग करने के लिए प्रयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली के ब्यौरे और ग्राहकों द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी प्रस्तुत की गयी है। यह लिंक ई मेल पता भी उपलब्ध कराता है, जिसके माध्यम से बैंक से संपर्क किया जा सकता है, उस स्थिति में, जब वेब का कोई मेल का पेज, ग्राहक यूज़र आइ.डी. के बारे में, या उसके पास वर्ड के बारे में विस्तार से जानकारी चाहता है।

बैंक ने सुरक्षा कार्यों एवं सुरक्षा उपकरणों की 24 x 7 निगरानी और प्रबंधन करने के लिए मेसर्स पलाडियन नेटवर्क्स प्रा. लि. के साथ करार किया है ।

बैंक की वेबसाइट की निगरानी मेसर्स पलाडियन नेटवर्क्स प्रा.लि., जो व्यवस्थित सुरक्षा सेवा प्रदानकर्ता है, द्वारा 24 x 7 के आधार पर की जाती है।

हमारे इंटरनेट उपभोक्ताओं के लिए 2 फैक्टर ऑथन्टिकेशन सहित उपयुक्त चैलेंज रिस्पोन्स सिस्टम को अपनाने हेतु व्यापक समाधान का कार्यान्वयन किया गया है ।

भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रवर्तित परियोजनाएं

बैंक ने सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार निम्नलिखित परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया है:

ओ एल टी ए एस

बैंक ने प्रत्यक्ष कर संभालने के लिए नामोद्दिष्ट सभी 321 शाखाओं में ऑनलाइन कर लेखाकरण प्रणाली (ओ.एल.टी.ए.एस.) का कार्यान्वयन किया है ।

इंटरनेट के माध्यम से प्रत्यक्ष और परोक्ष करों का भुगतान

बैंक दि. 01-04-2008 से प्रत्यक्ष करों जैसे आय कर तथा प्रत्यक्ष कर

the Branches in Delhi, Faridabad, Chandigarh and Ghaziabad Regions. As per RBI directives, the Bank is in the process of implementing CTS Project in Chennai, covering MICR Cheque Processing Centres (CPCs) in Tamil Nadu, Karnataka and Kerala States. Implementation of CTS Project at Chennai is ready for Pilot Run.

Customer Kiosks

The Cheque Depository Kiosk facilitates deposit of physical cheques, capturing of the cheque details such as Cheque Number, Date, Amount etc. and issue of the scanned image of the cheque to the customer as a Receipt, all without the intervention of the Branch personnel. The data captured by the kiosk can be uploaded in the System thereby reducing the efforts of the branch personnel in receiving, acknowledging, entering of data etc.

Customer Kiosks have been made operational in 25 identified locations to facilitate the customers to deposit the cheques without the involvement of staff and obtain receipts from the system. The data on the cheque deposited can be uploaded directly to CBS from customer kiosk.

Measures taken for prevention of Phishing Attacks

In the Home Page of the Bank's website, a cautionary message is continuously scrolled asking customers to exercise caution against Phishing activity by unscrupulous elements and advising them not to disclose Password or other details through Net. It is also made clear therein that the Bank never asks for such details.

There is a link available on the Home Page titled **"Important Alert about Phishing"** which provides details of modus operandi normally adopted for Phishing and precautions to be exercised by customers. This link also provides the e-mail address at which the Bank should be contacted, in case, any mail or any page in the web asks for the details of the customer or his User ID or Password.

The Bank has outsourced the 24x7 monitoring & Management of the Security devices and the security events to M/s Paladion Networks P. Ltd.

The Bank's Website is also being monitored on 24x7 basis by M/s Paladion Networks P. Ltd., who are the Managed Security Services Provider.

A comprehensive solution is also being worked out to have a Challenge Response System in place for our Internet Users including 2-factor authentications.

GOVERNMENT/RBI INITIATED PROJECTS

The Bank has implemented the following projects in compliance with the guidelines of the Government/RBI:

OLTAS

The bank has implemented Online Tax Accounting System (OLTAS) at all the 321 branches designated to handle Direct Taxes.

Payment of Direct & Indirect Taxes through Internet

The Bank is offering the facility of e-payment of direct taxes

अदाकर्ताओं को निम्नलिखित श्रेणी के संबंध में ई-भुगतान करने की सुविधा प्रदान कर रहा है :

क) सभी कंपनियाँ

ख) सभी करदाता, जो आयकर की धारा 44 ए बी के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं । (खासकर, वे व्यक्ति जिनको कारोबार से कुल बिक्री या सकल प्राप्तियाँ पिछले वर्ष ₹ 40 लाख से अधिक है या व्यवसाय से जिनकी सकल प्राप्तियाँ पिछले वर्ष ₹ 10 लाख से अधिक हैं ।)

इजिएस्ट:

बैंक ने अन्य परोक्ष करों के संग्रहण के लिए 189 शाखाओं में इजिएस्ट योजना का कार्यान्वयन किया है । इस सुविधा की शुरुआत दिनांक 10-01-2006 से की गई है ।

ई.ए.एस.ई.आर.:

ई.ए.एस.ई.आर. (ई-रसीदों के लिए इलेक्ट्रॉनिक लेखाकरण प्रणाली) का कार्यान्वयन दिनांक 01-08-2008 से किया गया है । केंद्रीय उत्पाद कर के लिए केंद्रीय लेखा कार्यालय, चेन्नई को इ.एफ.पी.बी. (केंद्र बिंदु शाखा) के रूप में नामित किया गया है और सेवा कर के संबंध में केंद्रीय लेखा कार्यालय, मुबंई को ई-एफ.पी.बी. के रूप में नामित किया गया है ।

मूल्यवर्धित कर (वैट) का संग्रहण :

बैंक ने दिल्ली की 65 शाखाओं में मूल्यवर्धित कर संग्रहण प्रणाली की शुरुआत की है ताकि ऐसे संग्रहणों का लेखाकरण तथा उसकी इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग को सुकर बनाया जा सके ।

कर्नाटक और उ.प्र. राज्य सरकारों ने बैंक को अपने राज्यों में ई-वैट वसूल करने के लिए पदनामित किया है । इस उद्देश्य के लिए पांडिचेरी तथा महाराष्ट्र में बैंक को पदनामित करने की प्रक्रिया चल रही है ।

एक समान मुद्रा तिजोरी सॉफ्टवेयर

बैंक ने अपनी सभी मुद्रा तिजोरियों में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान किये गए सॉफ्टवेयर को कार्यान्वित किया है ।

स्पीड समाशोधन :

स्पीड समाशोधन प्रणाली के अंतर्गत हमारी शाखाओं पर सी.बी.एस. प्लैटफार्म के अंतर्गत आहरित, सरकारी चेकों को छोड़कर, अन्य सभी ट्रांजेक्शन कोडो वाले बाहरी लिखतों को उसी केंद्र में भुगतान के लिए पारित कर दिया जाता है, जहाँ चेक उगाही के लिए प्राप्त होते हैं । इस प्रणाली के माध्यम से, सी.बी.एस. शाखाओं पर आहरित बाहरी चेकों की उगाही के लिए लगनेवाला समय कम होकर 2-3 दिनों तक रह गया है । शीघ्र समाशोधन प्रणाली की शुरुआत पहले केंद्रीय लेखा कार्यालय, मुंबई में जून 2008 में आरंभ की गई थी । फिलहाल, त्वरित समाशोधन प्रणाली 66 केंद्रों पर कार्य कर रही है ।

मुद्रा प्रबंधन

स्वच्छ नोट नीति के कार्यान्वयन के लिए मुद्रा प्रबंधन से संबंधित उच्च स्तरीय दल की सिफारिशों के अनुसार बैंक ने निम्नलिखित कदम उठाए/प्रस्तावित किए हैं:

- नकदी संसाधन केंद्र स्थापित करने के लिए 100 शाखाओं की पहचान करना ।
- दि. 25-03-2010 को मणिपाल में नया मुद्रा-तिजोरी स्थापित किया गया ।
- नोट वापसी नियमों के अनुसार सभी शाखाओं में कटे-फटे/गंदे नोटों का आदान-प्रदान ।

such as Income Tax and Corporation Tax through Internet Banking w.e.f. 01-04-2008 for the following category of direct tax payers:

a) All Companies.

b) All tax payers who are covered under provision of Section 44AB of the Income Tax covering (mainly persons whose sales turnover or gross receipts from business exceeds ₹ 40 lakh in the previous year or whose gross receipts from profession exceeds ₹10 lakh in the previous year).

EASIEST

The Bank has implemented EASIEST, a project for collection of other indirect taxes, in 189 branches. The facility is enabled from 10-01-2006.

EASeR

EASeR (Electronic Accounting System for e-Receipts) is implemented from 01-08-2008. Central Accounts Office (CAO) Chennai is designated as e-FPB (Focal Point Branch) for Central Excise and CAO, Mumbai as e-FPB for service tax.

VAT Collection

The Bank has implemented collection of Value Added Tax (VAT) in 65 branches of Delhi to facilitate accounting and electronic reporting of such collections.

The Bank has been designated by Governments of Karnataka and U.P. for collection of e-VAT in the respective states. The process of designating our Bank for the purpose in Pondicherry and Maharashtra is underway.

Uniform Currency Chest Software

The Bank has implemented the software provided by the RBI, in all its Currency Chests.

Speed Clearing

Under Speed Clearing, outstation instruments covering all transaction codes, other than those relating to Govt. cheques drawn on the Bank branches under CBS platform are passed for payment at the centre where the cheques are received for collection. Through the system, the time required for collection of outstation cheques drawn on CBS branches is reduced to 2-3 days. Speed Clearing was first introduced in CAO: Mumbai in June 2008. At present, Speed Clearing is functioning at 66 Centres.

CURRENCY MANAGEMENT

As per the recommendations of the High-Level Group on Currency Management for implementation of the Clean Note Policy, the Bank has taken/proposed several measures like:

- Identification of 100 branches for setting up of cash processing centres.
- Establishment of new currency chest at Manipal on 25-03-2010.
- Exchange of cut/soiled notes at all branches as per Note Refund Rules.

- बिजापुर में जून 2011 में नयी मुद्रा-तिजोरी स्थापित करने का प्रस्ताव ।
- 15 शाखाओं में सिक्का वितरण मशीनें लगाई गई हैं:

भविष्य में, थैलियों में सिक्का वितरण करनेवाली, सिक्का वितरण मशीनों की आपूर्ति शाखाओं को की जाएंगी ।

स्वच्छ नोट नीति/पेंशन के भुगतान के कार्यान्वयन के लिए नई पहल : शाखाओं से रु. 50/- से कम मूल्यवर्ग वाले गंदे नोटों का सफाया करने के लिए विशेष अभियान चलाने की सलाह क्षेत्रीय कार्यालयों/मुद्रा तिजोरियों को दी गई है ।

बैंक के प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा आयोजित किए जानेवाले सभी कार्यक्रमों में अब स्वच्छ नोट नीति सहित मुद्रा प्रबंधन पर न्यूनतम आधे घंटे की अवधि का प्रशिक्षण सत्र कार्यक्रम का अंग बन गया है ।

बैंक की निकटतम शाखाओं और अन्य बैंकों की शाखाओं को भी तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की लागत पर अपने नोटों की छंटाई करवाने में सुविधा के लिए 32 नकद प्रसंस्करण केंद्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं ।

उन सभी केंद्रों में नकद प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए जाएंगे जहाँ नोट सार्टिंग मशीनें लगाई जानेवाली हैं ।

गंदे नोटों को नष्ट होने से बचाने के लिए सभी 42 मुद्रा तिजोरियों को श्रिंक रैपिंग मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं ।

अभिनव परिवर्तन के रूप में, आम जनता को कटे फटे और गंदे नोटों का विनिमय करने हेतु मुद्रा तिजोरियों की मूल शाखाओं में विशेष काउंटर खोलने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को सलाह दी गई है । ये सुविधा अन्य केंद्रों में चरणबद्ध रूप से उपलब्ध कराई जाएगी ।

शाखाओं को सलाह दी गई है कि वे स्वच्छ नोट नीति के अनुपालन संबंधी एक समुचित कंप्यूटर मुद्रित संदेश शाखा परिसर में प्रमुख स्थान पर और नकद काउंटरों के पास भी दर्शाएं और इसके महत्व से टेलर/खजांची और नकदी लेन-देन करनेवाले अन्य स्टाफ सदस्यों को अवगत कराने हेतु जागरूकता अभियान चलाएं ।

सभी प्रकार के लगभग 1,70,000 पेंशनों को संभालने के लिए प्रधान कार्यालय, मणिपाल में केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया गया है । बैंक द्वारा शीघ्र ही केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय नई दिल्ली से उनका अनुमोदन लेकर सी पी पी सी के माध्यम से पेंशन के भुगतान को परिचालनशील बनाया जाएगा ।

अनुपालन विभाग

तेज़ी से बदलते हुए आर्थिक परिवेश में, बैंकों के कार्यकलापों में पर्याप्त विस्तार हुआ है और जटिलताएं बढ़ी हैं तथा बैंक अधिक रूप से जटिल विनियामक वातावरण का सामना कर रहे हैं । बैंकों में आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के साथ-साथ अनुपालन कार्य अभिशासन का एक अनिवार्य अंग बन गया है । अनुपालन जोखिम के प्रबंधन के लिए उच्च प्रबंधन का ध्यान ज़रूरी है और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा लगातार पर्यवेक्षण की आवश्यकता है ।

यद्यपि, बैंक में अपने विभिन्न कार्यकलापों के लिए पहले से ही पद्धति और प्रक्रियाएँ मौजूद हैं, फिर भी, अनुपालन कार्य को अधिक प्रभावी बनाने हेतु और बैंक के अंदर एक स्वस्थ अनुपालन पद्धति विकसित करने के लिए 2008 में अलग से एक अनुपालन विभाग स्थापित किया गया। इस विभाग के प्रमुख, महा प्रबंधक स्तर के मुख्य अनुपालन अधिकारी हैं । विभिन्न कानूनों

- New currency chest at Bijapur proposed to be set up in June 2011.
- Coin vending machines have been installed at 15 branches.

Henceforth, coin vending machines, which dispense coins in pouches, will be supplied to branches.

New initiatives for implementation of Clean Note Policy/ Payment of pension

Regional Offices/Currency Chests have been advised to conduct special drives to mop up soiled notes in the denomination of below ₹ 50/- from branches.

Training session of minimum half an hour duration on Currency Management including Clean Note Policy is now a part of all programmes conducted by the Bank's training centres.

32 cash processing centres have already been established to enable nearby branches of the Bank and also branches of other banks and merchant establishments to get their notes sorted at a cost. CPC will be established at all the centers where Note Sorting Machines (NSMs) are proposed to be installed.

Shrink wrapping machines have been provided to all the 42 currency chests for protecting soiled notes from deterioration.

As an innovation, Regional Offices have been advised to open special counters at base branches of currency chests for exchange of cut and soiled notes to all members of the public. This will be extended to other centres in a phased manner.

Branches have been advised to run awareness campaign to impress upon the tellers/cashiers and other cash handling staff members the need to adhere to the Clean Note Policy by displaying a suitable computer printed message at a prominent place in the branch premises and also near cash counters.

Centralized Pension Processing Centre has been established at Head Office, Manipal to handle all types of pensions numbering about 1,70,000. The Bank is approaching the Central Pension Accounting Office, New Delhi shortly to seek their approval for operationalising the payment of pensions by CPPC.

COMPLIANCE DEPARTMENT

In the fast changing economic scenario, banks have greatly expanded the scope and complexity of their activities and face increasingly complex regulatory environment. Compliance function in banks is an integral part of governance along with the internal control and risk management process. Management of compliance risk requires attention of the top management and continuous supervision by the senior management.

Though the Bank already had in place systems and procedures for its various activities, a separate Compliance Department was set up in 2008 to make the compliance function more effective and to develop a healthy compliance culture within the Bank. The department is headed by a Chief Compliance Officer in the rank

के सभी सांविधिक प्रावधानों तथा अन्य विनियामक मार्गदर्शी सिद्धांतों, विभिन्न स्वायत्त निकायों द्वारा निर्धारित मानक तथा संहिताओं और बैंक की आंतरिक नीति एवं उचित कार्यप्रणाली संहिता के अनुपालन की निगरानी करते हेतु बैंक ने शीर्ष स्तर पर और क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी कार्यात्मक विभागों में भी अनुपालन अधिकारियों को पदनामित किया है ।

बैंक ने भा.रि.बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंकों द्वारा अनुपालन कार्यों के संबंध में एक अनुपालन नीति बनाई है ।

बैंक की उच्च अनुपालन मानक संबंधी प्रतिबद्धताओं को जारी रखते हुए, अनुपालन कार्य में सुधार करने हेतु उनकी आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

बैंक द्वारा अक्तूबर, 2005 से इस अधिनियम के संगत प्रावधानों का कार्यान्वयन किया जा रहा है । अधिनियम के तहत जिन सूचनाओं को प्रकट करना है, वे बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं ।

अधिनियम के अंतर्गत बैंक के लिए अपील प्राधिकारी और विभिन्न स्तरों पर जन सूचना अधिकारी (पी.आर.ओ.) और वैकल्पिक जन सूचना अधिकारी (ए.वी.आर.ओ.) पदनामित किए गए हैं । अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न स्तरों की भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों को बैंक ने स्पष्ट किया है ।

संसदीय समिति के निदेशों के अनुसार बैंक ने शीर्ष स्तर पर एक अनुप्रवर्तन समिति का गठन किया है, जो आर.टी.आई. अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करती है। वर्ष के दौरान, समिति द्वारा बैंक में आर.टी.आई. अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन की समीक्षा की गई ।

बैंक ने वर्ष के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों तथा अपीलों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटान किया है । अधिनियम के प्रारंभ होने से लेकर अब तक के.सू.आ. (सीआइसी) ने बैंक के किसी भी लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध कोई भी दंड नहीं लागाए हैं।

निरीक्षण और लेखा परीक्षा:

बैंक में एक सुस्थापित निरीक्षण विभाग है जो बैंक की प्रणालियों, नीतियों तथा प्रक्रियाओं के अनुपालन की जांच करता है । आंतरिक नियंत्रण के विभिन्न मुद्दों पर भा.रि.बैं., भारत सरकार, निदेशक मंडल तथा निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति से जो मार्गदर्शी सिद्धांत प्राप्त हुए हैं वे बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का भाग बन गए हैं । निरीक्षण विभाग अपने आठ प्रादेशिक निरीक्षणालयों के माध्यम से निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित आवधिकता के अनुसार शाखाओं/कार्यालयों का निरीक्षण करता है और आंतरिक नियंत्रण से संबंधित प्रणालियों तथा जोखिम प्रबंधन (के.वाई.सी./ए.एम.एल. इत्यादि से संबंधित विभिन्न पहलू) के अनुपालन की जांच करता है । बैंक में एक कारगार आंतरिक लेखा परीक्षा नीति है, जिसकी आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है ।

जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट (आर.बी.आइ.ए.) प्रबंधक वर्ग को एक अत्यंत व्यापक फीडबैक प्रदान करती है, जो परिचालन स्तर पर बैंक मानदंडों तथा भा.रि.बैं./सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के भी अनुपालन की स्थिति की जानकारी देती है । अतएव, यह नियंत्रण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है ।

सभी शाखाओं/कार्यालयों को आर.बी.आइ.ए. के अंतर्गत लाया गया है। जोखिम के स्तर का निर्धारण और उसके निदेश भा.रि.बैं. द्वारा निर्दिष्ट जोखिम मैट्रिक्स के अनुसार होंगे, जो प्रबंधक वर्ग को उन उच्च जोखिमवाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करते हैं जिन पर प्राथमिकता आधार पर ध्यान दिया जाना है ।

of General Manager. The Bank has also nominated Compliance Officers in all functional departments at apex level and Regional Offices to monitor observance of all statutory provisions contained in various legislations and other regulatory guidelines, standards and codes prescribed by various autonomous bodies and also Bank's internal policies and fair practices code.

The Bank has put in place a Compliance Policy in line with the RBI guidelines on Compliance Function in Banks.

Continuing with the Bank's commitment to high compliance standards, Compliance Function is reviewed periodically for making improvements.

RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

The Bank has implemented the relevant provisions of the Act with effect from October 2005. The information related to the Bank as stipulated under the Act is displayed on the Bank's website.

The Appellate Authority for the Bank under the Act and the Public Information Officers (PIOs) and Alternate Public Information Officers (APIOs) at various levels have been designated. The Bank has clearly spelt out the roles and responsibilities at different levels under the Act.

As directed by the Parliamentary Committee, the Bank has constituted a Monitoring Committee at Apex level to oversee the implementation of the RTI Act. During the year, the Committee has reviewed the effectiveness of implementation of the RTI Act in the Bank.

The Bank has disposed of all the applications and all appeals received during the year within the stipulated time. Since the inception of the Act, CIC has not imposed any penalty so far on PIOs of the Bank.

INSPECTION AND AUDIT

The Bank has a well-established Inspection Department that examines the adherence to the systems, policies and procedures of the Bank. The guidelines received on various issues of Internal Control from Reserve Bank of India, Government of India, Board and Audit Committee of the Board have become part of the Internal Control system for better risk management. Inspection department through its eight Regional Inspectorates carries out Inspection of Branches/Offices as per periodicity decided by the Audit Committee of the Board and examines adherence to the systems of internal control and risk management (including various aspects of KYC/AML etc). The Bank has a well-articulated Internal Audit Policy in place, which is reviewed periodically.

Risk Based Internal Audit Report (RBIA) is a most comprehensive feedback to the Management about the degree of compliance of the Bank's norms as also RBI/ Govt. guidelines at the operational level, and hence, the most important tool for exercising control.

All the Branches/Offices are covered under RBIA. Assessment of level of risk and its direction is as per Risk Matrix prescribed by Reserve Bank of India, which helps the Management in identifying areas of high risk requiring attention on priority basis.

आलोच्य अवधि के दौरान, बैंक ने जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा, ऋण लेखा परीक्षा, बैंक में उपलब्ध सी.बी.एस. प्रौद्योगिकी को मजबूत बनानेवाला एक वेब आधारित लेखा परीक्षा सॉफ्टवेयर इथिक सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए आइ.एस. लेखा परीक्षा करना प्रारंभ किया है । यह सॉफ्टवेयर ऑनलाइन पर वार्षिक लेखा-परीक्षा आयोजना की तैयारी, लेखा-परीक्षा चलाना, निरीक्षण में पाई गई विसंगतियों के परिशोधन का प्रस्तुतीकरण तथा समापन प्रमाण-पत्र जारी करने में सहायक होता है ।

वर्ष 2010-2011 में 1669 देशी शाखाओं की आर.बी.आइ.ए. की गयी है । नैगम कार्यालय/प्रधान कार्यायल के कार्यात्मक विभागों की भी आर.बी.आइ.ए. की गयी है । इसके अलावा, बैंक द्वारा विभिन्न अन्य प्रकार के निरीक्षण/लेखा परीक्षा भी की गयी, जैसे कार्यात्मक विभागों की पोर्टफोलियों लेखा परीक्षा ₹ एक करोड और उससे अधिक रकम के बड़े उधार खातों की लेखा परीक्षा; अनुपालन कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन लेखा परीक्षा, सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा, विशेष लेखा परीक्षा इत्यादि । वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग, कोष और निधि प्रबंधन सहित बैंक की 393 इकाइयों की समवर्ती लेखा परीक्षा की गयी । कारोबार के अर्थ में 59 प्रतिशत से अधिक जमाराशियों तथा 66 प्रतिशत अग्रिमों की समवर्ती लेखा परीक्षा करायी गयी जबकि इस संबंध में भा.रि.बैं. द्वारा निर्दिष्ट सीमा जमाराशियों के लिए 50 प्रतिशत तथा अग्रिमों के लिए 50 प्रतिशत है । इसके अलावा 'फोरेक्स' लेन-देन तथा घरेलू निवेशों की भी 100 प्रतिशत समवर्ती लेखा परीक्षा करवायी गयी ।

बैंक में, सी.बी.एस. प्रौद्योगिकी में सहायक दैनंदिन लेन-देन की निगरानी के लिए निरीक्षण विभाग से संबद्ध एक पूर्ण विकसित ऑफ-साइट निगरानी कक्ष स्थापित किया गया है । परोक्ष निगरानी सभी क्षेत्रीय कार्यालयों तथा प्रादेशिक निरीक्षणालयों में भी उपलब्ध है । परोक्ष निगरानी, आंतरिक नियंत्रण का एक अतिरिक्त साधन है, जो बैंकिंग कार्यों के संवेदनशील क्षेत्रों में समय पर चेतावनी की व्यवस्था उपलब्ध करा के जहाँ कहीं आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई करने में सहायक है ।

आंतरिक नियंत्रण और सतर्कता

प्रबंधन कार्यों का एक महत्वपूर्ण पहलू सतर्कता प्रशासन है, जिसका उद्देश्य संगठन की दक्षता एवं प्रभावशीलता में सुधार लाना है । जिन मामलों में धोखाधड़ी के या सतर्कता के पहलू में अनियमितताएं शामिल थी, उन सभी मामलों की सतर्कता विभाग द्वारा यथाशीघ्र जाँच पड़ताल की गई और अनुशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की गई । वर्ष 2010-11 के दौरान 294 सतर्कता मामलों का निपटान किया गया ।

25-10-2010 और 01-11-2010 के बीच बैंक में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन जोरदार ढंग से किया गया ।

प्रणालियों तथा कार्यविधियों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शाखाओं में निवारक सतर्कता अध्ययन आयोजित करके, एस.आइ.बी.एम. तथा बैंक के अन्य प्रशिक्षण केन्द्रों में निवारक सतर्कता प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके तथा बड़ी शाखाओं में निवारक सतर्कता समितियों के गठन के द्वारा निवारक सतर्कता पर बल दिया गया । आलोच्य वर्ष के दौरान 151 शाखाओं में निवारक सतर्कता अभ्यास किए गए और 81 शाखाओं के 120 खातों के मामलों में बैंक को दृष्टिबंधकित वस्तुओं का आकस्मिक सत्यापन किया गया ।

बैंक के बेंगलूर प्रशिक्षण केंद्र में दि. 17-01-2011 से 19-01-2011 तक उन अधिकारियों के लिए ''सतर्कता प्रशासन एवं अनुशासनिक कार्रवाई'' पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जो विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्मिक कक्ष/औद्योगिक संबंध कक्ष/प्र.का. के औद्योगिक संबंध विभाग में कार्यरत हैं । उक्त कार्यक्रम का आयोजन श्री आर.

During the period under review, the Bank has started conducting RBIA, Credit Audit and IS Audit using eTHIC software, a web based Audit Software leveraging CBS technology available in the Bank. The software enables online preparation of Annual Audit Plan, conducting Audit, submission of rectification to inspection observations and issuance of Closure Certificate.

In 2010-11, 1669 RBIAs of domestic branches were carried out. RBIA of functional departments at Corporate Office/ Head office were also conducted. In addition, various other inspections/audits such as Portfolio Audit of functional departments (expenditure portfolio), Credit Audit of large borrowal accounts of ₹ 1 crore and above, Compliance audit to ensure compliance functions, Information System Audits, Special Audits etc. too were conducted. The Concurrent Audit of the Bank covered 393 units including International Division, Treasury & Funds Management. In terms of business, the Concurrent Audit covered more than 59 per cent of deposits and 66 per cent of advances as against prescribed RBI norms of 50 per cent of deposits and 50 per cent of advances besides 100 per cent of forex dealings and domestic investments.

The Bank is having a full-fledged Off-site Monitoring Cell attached to Inspection Department for monitoring day-to-day transactions leveraging CBS technology. The Off-site Monitoring is replicated at all Regional Offices as also at Regional Inspectorates. The Off-site Monitoring is an additional tool of internal control to get early warning signals in sensitive areas of the Bank's functioning for taking corrective action wherever required.

INTERNAL CONTROL AND VIGILANCE

Vigilance administration is a crucial part of the Management function, aimed at improving the efficiency and effectiveness of the organization. Investigations are conducted by the Vigilance Department expeditiously and disciplinary proceedings are ensured wherever frauds or irregularities with vigilance angle are involved. During 2010-11, 294 vigilance cases were taken up and disposed of.

Vigilance Awareness Week was observed in the Bank from 25-10-2010 to 01-11-2010 to create awareness among all sections of employees.

Stress is being laid on Preventive Vigilance by initiating Preventive Vigilance studies at branches, conducting Training Programmes on Preventive Vigilance at SIBM & other Training Centres of the Bank and constitution of Preventive Vigilance Committees at the branches with a view to ensure strict adherence to systems and procedures. During the year under review, Preventive Vigilance exercises were conducted at 151 branches and surprise verification of goods hypothecated to Bank was conducted in 120 accounts covering 81 branches.

A 3-day training programme on "Vigilance Administration & Disciplinary Action" was organized at the Bank's Bangalore Training Centre from 17-01-2011 to 19-01-2011 specially for the benefit of officers working in Personnel Cell/Industrial Relations Cell at different Regional Offices/IR Department at HO: Manipal. The programme was conducted by

राधाकृष्णन, भूतपूर्व महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक और भूतपूर्व सीवीओ एवं मुख्य महा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किया गया ।

सुरक्षा

बैंक का सुरक्षा विभाग सभी शाखाओं तथा कार्यालयों को प्रभावी, कारगर तथा प्रगतिपरक बेहतर सुरक्षा समाधान प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है । इस विभाग को मई 2007 में आइ.एस.ओ. 9001:2000 प्रमाणन प्राप्त हुआ था जिस का मई 2010 में आइ.एस.ओ. 9001:2008 में स्तरोन्नयन किया गया । इस तरह इस विभाग ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में आइ.एस.ओ. 9001:2008 अनुवर्ती बनने वाला पहला सुरक्षा विभाग होने की विशिष्ट उपाधि हासिल की है ।

वार्षिक सुरक्षा कार्ययोजना के द्वारा सुरक्षा विषय पर मार्गदर्शी सिद्धांतों की जानकारी सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को कार्यान्वयन हेतु दी गई हैं । वर्ष के दौरान मुद्रा तिजोरी विशिष्ट आपदा प्रबंधन आयोजना की तैयारी और बायो-मैट्रिक एक्सेस प्रणाली स्थापित करने के लिए भा.रि.बैं. से प्राप्त अनुदेशों का कार्यान्वयन बैंक की सभी 42 मुद्रा तिजोरियों में किया गया है, जिसमें लक्षद्वीप समूह में स्थित 9 द्वीपों की मुद्रा तिजोरियाँ भी शामिल हैं ।

भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार सभी मुख्यभूमि की मुद्रा तिजोरियों तथा 2 द्वीपसमूह की मुद्रा तिजोरियों के संबंध में सुरक्षा लेखा-परीक्षा संचालित की गई है । सभी मुख्यभूमि मुद्रा तिजोरियों को सुरक्षा तथा निगरानी उपकरण, जैसे सीसीटीवी, आटोमेटिक टाइम लॉक, हॉटलाइन एवं ऑटो डायलर्स उपलब्ध कराए गए हैं । बैंक के सभी 48 कैश वैनों को ग्लोबल पोजिशनिंग रेडियो सिस्टम (जी पी आर एस) उपलब्ध कराए गए हैं ताकि मार्गस्थ विप्रेषण का तत्काल पता लगाया जा सके । शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने हेतु, 832 अभिनिर्धारित असुरक्षित शाखाओं में सी.सी.टी.वी. लगाए गए हैं । शाखा स्तर पर सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए, शाखाओं का जोखिम वर्गीकरण करने की पद्धति अपनाई गई है ताकि सभी शाखाओं में जोखिम वर्ग के अनुरूप पर्याप्त सुरक्षा अवसंरचना उपलब्ध हो सके ।

अपराध परिवेश तथा इसकी आशंका के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाती है और इसको नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है । बैंक के हित को ध्यान में रखते हुए समुचित निवारक और पूर्वोपाय किए गए हैं ।

पुरस्कार

- बैंक द्वारा माइक्रो उद्यम के वित्तीयन में किए गए श्रेष्ठ निष्पादन के लिए माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से बैंक को माइक्रो उद्यम के उधार में उत्कृष्ट निष्पादन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ । यह पुरस्कार भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल के करकमलों द्वारा प्रदान किया गया ।
- आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक (सिंडिकेट बैंक द्वारा प्रायोजित) को कृषि विकास के क्षेत्र में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से 'राज्य का श्रेष्ठ बैंक' पुरस्कार प्राप्त हुआ ।

अनुकूल गठजोड़:

वर्ष 2010-11 के दौरान, बैंक ने अपने कारोबार को बढ़ाने तथा ग्राहक आधार को सुविस्तृत करने के लिए रणनीति के एक अंश के रूप में निम्नलिखित अनुकूल गठजोड़ की हैं:

क) वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत समाविष्ट अपने ग्राहकों को

Sri R. Radhakrishnan, Ex-General Manager, RBI & Ex-CVO and Chief General Manager, SBI.

SECURITY

The Security Department of the Bank has been making constant efforts to provide effective, efficient and progressively better security solutions to all the branches and offices. The Department had obtained ISO 9001:2000 Certification in May 2007, which was upgraded to ISO 9001:2008 in May 2010. The Department has thus achieved the unique distinction of being the first Security Department among all the Public Sector Banks to become ISO 9001:2008 compliant.

The guidelines on security matters are disseminated to Regional Offices for implementation through Annual Security Action plan. RBI's instructions received during the year for preparation of Currency Chest specific Disaster Management Plan and installation of Bio-metric Access System has been implemented in all the 42 Currency Chests of the Bank, which includes 9 Island Currency Chests located in Lakshadweep Islands.

As per RBI guidelines Security Audit has been conducted in respect of all the mainland Currency Chests and 2 Island Currency Chests. All the mainland Currency Chests are provided with security and surveillance equipment like CCTVs, Automatic Time Lock, Hotlines & Auto dialers. All the 48 Cash Vans of the Bank have been provided with Global Positioning Radio System (GPRS) to facilitate real time tracking of remittance in transit.

To augment the security arrangements at branches, CCTV has been installed in 832 identified vulnerable branches. As part of the ongoing process of strengthening the security at branch level, the system of risk categorization of branches has been adopted so as to provide adequate security infrastructure commensurate with the risk category, at all branches.

Based on the crime scenario and threat perceptions, the security arrangements are reviewed and regularly updated. Suitable preventive and precautionary measures are put in place to safeguard the interests of the Bank.

ACCOLADES/AWARDS

- The Bank received the National Award for outstanding performance in lending to Micro Enterprises from the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, GOI, New Delhi in recognition of its performance in financing Micro Enterprises. The award was handed over by her Excellency, Smt. Pratibha Devisingh Patil, President of India.
- Andhra Pragathi Grameena Bank (sponsored by Syndicate Bank) received the Award for 'Best Bank in the State' from the Govt. of A.P. for its performance in the field of agricultural development.

STRATEGIC ALLIANCE

During the year 2010-11, the Bank entered into the following strategic alliances as part of its strategy to grow its business and broaden the customer base.

a) The Bank signed an MOU with Tata AIG Life Insurance

बीमा सुविधा प्रदान करने हेतु बैंक ने टाटा ए आइ जी लाइफ इंश्योरेंस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए । इस सुविधा के अंतर्गत, ये ग्राहक प्रति वर्ष रु. 30/- के नाममात्र प्रीमियम के भुगतान के प्रति रु. 25,000/- की जीवन बीमा के लिए पात्र होंगे, यदि वे 18-65 वर्ष के आयु वर्ग में हैं ।

ख) बैंक ने वित्तीय समावेशन परियोजना के कार्यान्वयन हेतु एण्ड-टु-एण्ड सोलूशन उपलब्ध कराने हेतु प्रौद्योगिकी सेवा प्रदानकर्ता (टी.एस.पी.) जैसे, मेसर्स इंटेग्रा माइक्रो सिस्टम्स प्रा.लि., मेसर्स बारट्रोनिक्स इंडिया लि., मेसर्स एच.सी.एल. लि., मेसर्स इंडियन ग्रामीण सर्विस और मेसर्स स्मार्ट चिप्स टेक्नोलॉजी के साथ गठजोड़ व्यवस्था की है ।

ग) वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए बैंक ने विजया बैंक के साथ संयुक्त रूप से एक न्यास स्थापित किया है । इस दिशा में इस न्यास ने कर्नाटक में मंगलूर, उडुपि तथा कारवा र जिलों में वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्र (एफ एल सी सी) स्थापित कर दिए हैं ।

घ) बैंक को पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकारी (पी एस आर डी ए) ने नई पेंशन प्रणाली (एन पी एस) के अंतर्गत 'पाइंट ऑफ प्रजेन्स' (पी ओ पी) के रूप में नियुक्त किया है। बैंक ने उक्त योजना के अंतर्गत सदस्यों को नामित करना शुरू कर दिया है ।

ङ) बैंक को यू आइ डी ए आइ की 'आधार परियोजना' के लिए रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया गया है ।

सिंडबैंक सर्विसेज लि.

सिंडबैंक सर्विसेज लि. की स्थापना कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन 25 जनवरी, 2006 को की गई थी, जो सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली कंपनी है, जिसकी प्राधिकृत पूंजी रु. 10 करोड़ और प्रदत्त पूंजी रु. 25 लाख है । इसका उद्देश्य बैंक को तथा बैंक के ग्राहकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं को बैक ऑफिस सेवाएं उपलब्ध कराना है ।

वर्ष 2010-11 के दौरान कंपनी द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप संपन्न किए गए:

1. नोटिस, एस.एम.एस. संदेशों तथा टेली कॉल के जरिए सिंडिकेट बैंक के अनियमित खुदरा उधार पोर्टफोलियो तथा अतिदेय क्रेडिट कार्ड खातों पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई ।
2. सिंडिकेट बैंक और उसके द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भेजे जाने वाले कंप्यूटर हार्डवेयरों की पोतलदानपूर्व जाँच ।
3. सिंडिकेट बैंक द्वारा प्रदान किए जानेवाले उत्पाद तथा सेवाओं के ब्यौरे देते हुए, बैंक के एच.एन.आइ. को मेलरों का प्रेषण, वर्ष के दौरान स्रोत पर कर की कटौती के लिए पात्र सिंडिकेटबैंक के ग्राहकों के पैन (पी ए एन) के ब्यौरे मांगते हुए पत्रों का प्रेषण और सिंड विद्या (शिक्षा ऋण) हिताधिकारियों को प्रतिक्रिया पत्र का प्रेषण ।
4. सिंडिकेट बैंक और प्रथमा बैंक को कार्ड वैयक्तिकरण सेवाएं ।
5. सी.एम.एस.सी., सिंडिकेट बैंक, मुंबई के ग्राहकों को देशी और अंतर्राष्ट्रीय एस.एम.एस. संदेश भेजना ।
6. प्रथमा बैंक के निष्क्रिय जमा खातों के डेटाबेस का रख-रखाव ।
7. सिंडिकेट बैंक के बेंगलूर क्षेत्र से संबंधित कर्नाटक राज्य के पेंशनों के संबंध में पेंशन डेटा को केंद्रीकृत करना ।
8. सिंडिकेट बैंक के बेंगलूर और मणिपाल क्षेत्र की शाखाओं की तिमाही टी.डी.एस. विवरणियों (फार्म 24 क्यू, 26 क्यू और 27 क्यू) की ई-फाइलिंग ।

to provide insurance solution to its customers covered under the Financial Inclusion programme. Under the arrangement, these customers will be eligible for life insurance cover of ₹ 25,000/- against payment of nominal premium of ₹ 30/- per year if they are in the age group of 18-65 years. Both accidental and natural death is covered under the scheme.

b) The Bank entered into tie-up arrangements with Technology Service Providers (TSPs), namely, M/s. Integra Micro Systems Pvt. Ltd., M/s. Bartronics India Ltd., M/s. HCL Ltd., M/s. Indian Grameen Service and M/s. Smart Chips Technology for providing end-to-end solution for implementation of the Financial Inclusion project.

c) The Bank has formed a trust jointly with Vijaya Bank to promote financial literacy. To this end, the trust has already set-up Financial Literacy and Credit Counselling Centres (FLCCs) in the districts of Mangalore, Udupi & Karwar in Karnataka.

d) The Bank has been appointed as 'Point of Presence' (POP) under the New Pension System (NPS) by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA). The Bank has since started enrolling members under the Scheme.

e) The Bank has been appointed as a Registrar for 'Aadhaar Project' of UIDAI.

SYNDBANK SERVICES LTD.

SyndBank Services Limited (SBSL) was incorporated under the Companies Act, 1956 on 25-01-2006, as a wholly owned subsidiary of SyndicateBank, with an authorized capital of ₹ 10 crore and paid up capital of ₹ 25 lakh to extend back-office services to SyndicateBank, its clients and other financial institutions.

The company has undertaken the following activities during the year 2010-11.

1. Follow-up of irregular retail loans and delinquent credit cards of Syndicate Bank by sending Notices & SMS messages and tele-calling.
2. Pre-shipment testing of computer hardware procured by SyndicateBank and RRBs sponsored by SyndicateBank.
3. Dispatch of mailers to HNIs of the Bank giving the details of the products and services being offered by SyndicateBank, Dispatch of letters seeking the PAN details of the customers of SyndicateBank liable for tax deduction at source during the year and dispatch of response sheets to SyndVidya (Education loan) beneficiaries.
4. Card personalization services to SyndicateBank and Prathama Bank.
5. Sending of domestic and international SMS messages to clients of CMSC, SyndicateBank, Mumbai.
6. Maintenance of database of the dormant deposit accounts of Prathama Bank.
7. Centralizing the pension data in respect of Karnataka State Pensions pertaining to the Bangalore Region of SyndicateBank.
8. E-filing of quarterly TDS returns (Form 24Q, 26Q and 27Q) of the branches of Bangalore and Manipal Regions of SyndicateBank.

9. मेसर्स स्पेन एक्रोस के साथ गठजोड़ द्वारा वेतनभोगी वर्ग की आय कर विवरणी की ई-फाइलिंग ।

सिंडबैंक सर्विसेज लि. जो एक लाभ अर्जित करने वाली कंपनी है, इसके राजस्व में लगातार वृद्धि हो रही है । सिंडबैंक सर्विसेज लि. के पिछले तीन वर्षों के निष्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(₹ लाखों में)

ब्यौरे	मार्च 09	मार्च 10	मार्च 11
प्राधिकृत पूंजी	1000	1000	1000
प्रदत्त पूंजी	25	25	25
प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष	108	203	286
अचल आस्तियाँ (निवल)	5	4	3
कुल आय	161	250	254
कर के पूर्व लाभ	102	143	124
कर के बाद लाभ	70	94	83

निदेशक मंडल में परिवर्तन

- श्री रवि चटर्जी ने दि. 01-09-2010 को मंडल में बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।
- श्री ए. एस. राव ने भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित सदस्य के रूप में मंडल में दि. 30-07-2010 को कार्यभार ग्रहण किया।
- श्री एच. प्रदीप राव ने भारत सरकार के नामित सदस्य के रूप में मंडल में दि. 10-05-2010 को कार्यभार ग्रहण किया।
- श्री नरेन्द्र एल. दवे ने बैंक के कामगार निदेशक के रूप में मंडल में दि. 31-08-2010 को कार्यभार ग्रहण किया।
- श्री दिनकर एस. पूंजा ने बैंक के अधिकारी निदेशक के रूप में मंडल में दि. 12-07-2010 को कार्यभार ग्रहण किया।
- श्री आर. रामचंद्रन कार्यपालक निदेशक ने आंध्रा बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक नियुक्त हो जाने के कारण मंडल का कार्य 01-09-2010 से त्याग दिया।
- श्री के. सीतारामु भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित सदस्य ने मंडल का कार्य दि. 30-07-2010 को त्याग दिया।

निदेशकों की जिम्मेदारी से संबंधित विवरण

दि. 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष से संबंधित वार्षिक लेखों को तैयार करते समय, निदेशक मंडल निम्नवत् पुष्टि करते हैं:

- कि वार्षिक लेखा तैयार करते समय प्रायोज्य लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है तथा महत्वपूर्ण मुद्दों यदि कोई हो, पर उचित स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं ।
- कि लेखाकरण नीतियों को भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार तैयार करके उनका निरंतर प्रयोग किया गया है।
- समुचित और विवेकपूर्ण निर्णय एवं प्राक्कलन किया गया है ताकि वह वित्तीय वर्ष के अंत को बैंक के कारोबार तथा 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष से संबंधित बैंक के लाभ व हानि पर एक सत्य एवं सही चित्र दर्शा सके।
- कि बैंक की आस्तियों की रक्षा करने तथा धोखाधड़ी और अन्य प्रकार की विसंगतियों को रोकने तथा पता लगाने के लिए उन्होंने भारत में बैंकों पर लागू होनेवाली विधि संबंधी उपबंधों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों का रख-रखाव करने हेतु उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है ।
- कि वार्षिक लेखों को ''निरंतर आधार'' पर तैयार किया है ।

9. E-filing of IT returns of salaried class through a tie-up with M/s. Span Across.

SBSL, a profit making company, is consistently improving its revenues. The details of its performance during the last three years are as under.

(₹ lakh)

Particulars	March 09	March 10	March 11
Authorized Capital	1000	1000	1000
Paid-Up Capital	25	25	25
Reserves & Surplus	108	203	286
Fixed Assets (Net)	5	4	3
Total Income	161	250	254
Profit Before Tax	102	143	124
Profit After Tax	70	94	83

CHANGES IN THE BOARD

Changes in the Board:

- Shri Ravi Chatterjee joined the Board as a Executive Director of the Bank w.e.f. 01.09.2010.
- Shri A S Rao joined the Board as RBI Nominee Director w.e.f. 30.07.2010.
- Shri H Pradeep Rao joined the Board as Government Nominee Director w.e.f. 10.05.2010.
- Shri Narendra L Dave joined the Board as Employee Director of the Bank w.e.f. 31.08.2010.
- Shri Dinkar S Punja, joined the Board as Officer employee Director of the Bank w.e.f. 12.07.2010.
- Shri R Ramachandran, Executive Director demitted the office on 01.09.2010 on being appointed as Chairman & Managing Director of Andhra Bank.
- Shri K Seetharamu, RBI Nominee Director demitted the office on 30.07.2010.

DIRECTORS RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors, in preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2011, confirm the following:

- That the applicable accounting standards have been followed in the preparation of annual accounts, alongwith proper explanation relating to material departures, if any;
- That the accounting policies, framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied;
- That reasonable and prudent judgments and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at the end of the financial year and of the profit or loss of the Bank for the year ended March 31, 2011;
- That proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- That the annual accounts have been prepared on a "going concern" basis.

आभार

निदेशक मंडल जनता, अपने मूल्यवान ग्राहकों, शेयरधारकों और कर्मचारी सदस्यों से प्राप्त निरंतर सहयोग और संरक्षण के लिए उनके योगदान को प्रसन्नतापूर्वक अभिलेखित करता है । निदेशक मंडल भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी तथा अन्य विनियामक प्राधिकारियों, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं, बैंकों तथा भारत में और भारत से बाहर के संपर्कियों के प्रति भी समय-समय पर दिए गए उनके बहुमूल्य एवं समय पर दिए गए मार्गदर्शन व समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता है ।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(बसंत सेठ)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मणिपाल
तारीख : 27-05-2011

ACKNOWLEDGEMENT

The Board wishes to place on record its sincere appreciation to the public, valuable customers, shareholders and staff members for their continued support and patronage. The Board is also indebted to the Ministry of Finance, Government of India; RBI; SEBI and other regulatory authorities, various Financial Institutions, Banks and Correspondents in India and abroad for their unflinching and valuable support and guidance from time to time.

For and on behalf of the Board of Directors.

(Basant Seth)
Chairman & Managing Director

Place: Manipal
Date: 27.05.2011

नैगम अभिशासन रिपोर्ट

1. शेयर बाजारों के साथ किए गए सूचीकरण करार के खण्ड सं. 49 के अधिदेश के अनुसार तथा नैगम अभिशासन पर डॉ. गांगूली समिति की रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों के अनुसार बैंक, नैगम अभिशासन के उच्च मानक को प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है।
2. बैंक का नैगम अभिशासन दर्शन उसके संचलन के संबंध में उसकी नैतिक कार्यप्रणाली के प्रति संपूर्ण प्रतिबद्धता तथा शेयरधारकों के मूल्य में वृद्धि करने के प्रयास के साथ जुड़ा हुआ है।
3. बैंक उच्च प्रकटीकरण मानकों तथा पारदर्शिता का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।
4. बैंक सभी क्षेत्रों में विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित मानदण्डों का निष्ठापूर्वक पालन कर रहा है।
5. बैंक ने अपने सभी कार्यक्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने नैगम दर्शन का मनसा, वाचा, कर्मणा अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु नैगम अभिशासन की एक प्रभावी एवं पारदर्शी प्रणाली बनाई है, जो व्यावसायिक निदेशक मंडल द्वारा संचालित है।
6. शानदार इतिहास की पृष्ठभूमि पर एक प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था के रूप में विश्वास हासिल करते हुए बैंक में लेखांकन एवं सामान्य अभिशासन में अत्यंत ऊंचे स्तर के नैतिक मानदंड अपनाए गए हैं।
7. बैंक अपने लिए संपत्ति और संसाधनों को जुटाने, उनका संरक्षण करने तथा उनकी वृद्धि करने के लिए और अपने निष्पादन को ठीक समय पर तथा पारदर्शी ढंग से रिपोर्ट करने के संबंध में अपने सभी निवेशकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करता है।
8. बैंक में एक सुपरिभाषित नीति संहिता है, जो निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन पर लागू होती है।

नैगम अभिशासन के मामले में नैगम कार्य मंत्रालय (एम.सी.ए.) द्वारा की गयी पर्यावण संक्षण पहल:

नैगम कार्य मंत्रालय (एम.सी.ए.) ने दो परिपत्र सं. 17/2011 और 18/2011 जारी किए हैं जिनमें उन्होंने दस्तावेजों और कंपनी अधिनियम की धारा 219 के अंतर्गत कंपनी के सदस्यों को तुलन-पत्र और लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की प्रतियों को एक डाक प्रमाणपत्र (यू.पी.सी.) के माध्यम से भेजने के बजाय उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजने के संबंध में स्पष्टीकरण दिया है।

परिपत्र सं 17/2011:

एम.सी.ए. ने स्पष्ट किया है कि यदि कंपनी दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज दिया होता तो उसके द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 53 का पालन किया गया होता बशर्ते कंपनी अपने सभी शेयरधारकों को अपने ई-मेल पते और उसमें समय-समय पर होनेवाले परिवर्तनों को कंपनी के पास अग्रिम रूप से पंजीकृत करवाकर ई-मेल के माध्यम से नोटिस/दस्तावेजों के प्रेषण के लिए अपने सदस्यों के ई-मेल पते प्राप्त किया हो। इन मामलों में जहाँ सदस्य ने अपने ई-मेल पते को कंपनी के पास पंजीकृत नहीं करवाया है तो दस्तावेज इत्यादि को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अनुसार किसी अन्य माध्यम से प्रेषित किया जाएगा।

यदि किसी सदस्य ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है तो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अंतर्गत प्रलेखों को अन्य माध्यम से भेजा जाएगा।

परिपत्र 18/2011:

एम.सी.ए. ने स्पष्ट किया है कि कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 (तुलन-पत्र इत्यादि को प्रेषण के संबंध में) की धारा 219 (1) का पालन किया गया होता, यदि वह अपने सदस्यों को तुलन-पत्र की प्रतियाँ इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा भेज दी हो, बशर्ते कंपनी ने निम्नलिखित को प्राप्त कर लिया हो:

क) सदस्यों से अपने ई-मेल पते तथा उसमें समय-समय पर होनेवाले परिवर्तनों को कंपनी या संबंधित निक्षेपागार के पास पंजीकृत करवाने के अवसर प्रदान करने के बाद नोटिस के साथ तुलन-पत्र, लाभ व हानि लेखा, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट और व्याख्यात्मक कथन इत्यादि को ई-मेल के माध्यम से भेजने के लिए सदस्यों के ई-मेल प्राप्त किए जाएं।

ख) इन दस्तावेजों के संपूर्ण पाठ को अधिदेशात्मक अवधि से पहले कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाए और इस संबंध में प्रमुख समाचार पत्रों स्थानीय और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में विज्ञापन जारी किया जाए कि उपर्युक्त दस्तावेजों की प्रतियाँ वेबसाइट पर और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध हैं। वेबसाइट को इस तरह तैयार किया जाए कि उसे आसानी से और शीघ्रता से खोलने की सुविधा हो।

ग) यदि किसी सदस्य ने तुलन-पत्र इत्यादि को ई-मेल के माध्यम से प्राप्त करने के लिए अपने ई-मेल पते को पंजीकृत नहीं करवाया है तो तुलन-पत्र इत्यादि को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 53 के उपबंधों के अनुसार किसी अन्य माध्यम से भेज जाए।

घ) यदि कोई सदस्य उपर्युक्त दस्तावेजों को कागजी रूप में प्राप्त करना चाहता है तो ऐसे मामले में उपर्युक्त दस्तावेजों की मुद्रित प्रतियाँ डाक द्वारा नि:शुल्क प्रेषित की जाए।

निदेशक मंडल:

निदेशक मंडल, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9(3) और राष्ट्रीकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970/198 के केन्द्र सरकार के राजपत्र अधिसूचना संदर्भ सं. एफ. 4/1/94 बी.ओ.आई. (1) दिनांक 3-4-1995 के अनुसार गठित किया गया है जिसका संशोधन वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 के जरिए किया गया है।

संप्रति, मंडल में केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त 3 निदेशक अर्थात अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा 2 कार्यपालक निदेशक, एक सरकार द्वारा नामित निदेशक, भा.रि.बैं. द्वारा नामित 1 निदेशक, केंद्रीय सरकार द्वारा नामित एक कामगार कर्मचारी निदेशक और एक अधिकारी कर्मचारी निदेशक, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित एक अन्य निदेशक तीन चयनित शेयरधारक निदेशक हैं। बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक को छोड़कर अन्य सभी निदेशक गैर-कार्यकारी निदेशक हैं। अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक मंडल की अध्यक्षता करते हैं। बैंक का सामान्य पर्यवेक्षण, निदेश, कारोबार एवं कार्यों का प्रबन्धन बैंक के निदेशक मंडल में निहित है।

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1) The Bank aims to attain high standard of Corporate Governance mandated by Clause 49 of the Listing Agreement entered into with Stock Exchanges and also as per the recommendations by Dr. Ganguly Committee Report on Corporate Governance.
2) The Bank's Corporate Governance philosophy is woven around its total commitment to ethical practices in the conduct of its business, while striving to enhance shareholders' value.
3) The Bank is committed to following high disclosure standards and transparency.
4) The Bank has been scrupulously ensuring compliance with norms laid down by regulatory authorities in all areas.
5) To ensure that the corporate philosophy of the Bank is practiced in spirit and letter in all the functional areas of the Bank for fulfilling the mission adopted, the Bank has an effective and transparent system of Corporate Governance driven by a professional Board.
6) Conscious of the trust enjoyed by it as a public Institution with a proud history, the Bank maintains high ethical standards in accounting and general governance.
7) The Bank recognizes its accountability to all stakeholders of the Bank for creating, protecting and enhancing wealth and resources for the Bank and reporting to them on its performance in a timely and transparent manner.
8) The Bank has laid down a well-defined Code of Conduct, which is applicable to all the members of the Board and Senior Management.

Green Initiatives in the Corporate Governance taken by Ministry of Corporate Affairs (MCA)

Ministry of Corporate Affairs (MCA) has issued two circulars 17 and 18/2011 giving clarification regarding service of documents by e-mode instead of Under Posting Certificate (UPC) and sending copies of Balance Sheets and Auditors Report, etc. to the members of the Company as required under Section 219 of the Companies Act, 1956, through electronic mode.

Circular 17/2011

MCA has clarified that a company would have complied with Section 53 of the Companies Act, 1956 (dealing with service of documents), if the service of document has been made through electronic mode provided the company has obtained e-mail addresses of its members for sending the notice/documents through e-mail by giving an advance opportunity to every shareholder to register their e-mail address and changes therein from time to time with the company.

In cases, where any member has not registered his/her e-mail address with the company, the service of document etc., will be effected by other modes of service as provided under Section 53 of the Companies Act, 1956.

Circular 18/2011

MCA has clarified that the company would be in compliance of Section 219(1) of the Companies Act, 1956 (dealing with dispatch of Balance Sheet, etc.), in case, a copy of Balance Sheet etc., is sent by electronic mail to its members subject to the fact that company has obtained –

(a) E-mail address of its members for sending the Notice with Balance Sheet, Profit & Loss Account, Auditor's Report, Directors' Report and Explanatory Statement, etc., through e-mail, after giving an advance opportunity to the members to register his/her e-mail address and changes therein from time to time with the company or with the concerned depository.
(b) Company's website displays full text of these documents well in advance prior to mandatory period and issue advertisement in prominent newspapers in both vernacular and English stating that the copies of aforesaid documents are available in the website and for inspection at the Registered Office of the Company during office hours. Website must be designed in a way so that documents can be opened easily and quickly.
(c) In cases where any member(s) has not registered his/her email address for receiving the Balance Sheet etc., through e-mail, the Balance Sheet etc., will be sent by other modes of services as provided under Section 53 of the Companies Act, 1956.
(d) In case any member insists for physical copies of above documents, the same should be sent to him/her physically, by post free of cost.

BOARD OF DIRECTORS

The Board of the Bank has been constituted under Section 9(3) of the Banking Companies {Acquisition & Transfer of Undertakings} Act, 1970/1980 & Nationalized Bank (Management & Miscellaneous Provision) Scheme, 1970/1980 and as per the Central Government Gazette Notification No. F 4/1/94-BO.I(1) dated 03-04-1995 as amended vide Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006.

Presently, the Board comprises 3 Whole Time Directors (the Chairman & Managing Director and two Executive Directors) appointed by Central Government, 1 Government Nominee Director, 1 RBI Nominee Director, 1 Workmen Employee Director and 1 Officer Employee Director nominated by Central Government, 1 other Director nominated by Central Government, and 3 elected Shareholder Directors. All the Directors of the Bank, except the Chairman & Managing Director and the Executive Directors, are non-Executive Directors. The Chairman & Managing Director presides over the Board. The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Bank are vested in the Board of Directors.

बैंक के निदेशक मंडल में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल किया गया है, जिन्होंने बैंकिंग और संगत क्षेत्रों में अपने विपुल और विभिन्न अनुभवों से बैंक की प्रगति के लिए महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है।

बैंक के निदेशक मंडल का वर्तमान संघटन एवं श्रेणी निम्नानुसार प्रस्तुत है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	शैक्षणिक योग्यता	निदेशक पद का संवर्ग		कार्यग्रहण की तारीख
1.	श्री बसंत सेठ	बी.एससी., सनदी लेखाकार, बैंक प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	खंड (ए)	31-08-2009
2.	श्री वी. के. नागर	बी.ई. (टेक्स्ट), एम.बी.ए., पी.जी. डिप्लोमा इन मार्केटिंग (सेल्स मेनेजमेंट)	कार्यपालक निदेशक	खंड (ए)	08-10-2008
3.	श्री रवि चटर्जी	बी.टेक. (इलेक्ट्रॉनिक्स)	कार्यपालक निदेशक	खंड (ए)	01-09-2010
4.	श्री एच. प्रदीप राव	एम.ए., एम.बी.ए., सी.आइ.ए. (प्रमाणित आंतरिक लेखा परीक्षक)	भारत सरकार नामित निदेशक (केन्द्र सरकार का प्राधिकारी)	खंड (बी)	10-05-2010
5.	श्री ए. एस. राव	बी.कॉम., एम.बी.ए., सी.ए. आइ.आइ.बी. भाग-I	भा.रि.बैं. के नामित निदेशक	खंड (सी)	30-07-2010
6.	श्री नरेंद्र दवे	बी.कॉम., एल.एल.बी. (सामान्य)	कामगार कर्मचारी निदेशक	खंड (ई)	31-08-2010
7.	श्री दिनकर एस. पूंजा	बी.एफ.एस.सी.	अधिकारी कर्मचारी निदेशक	खंड (एफ)	12-07-2010
8.	श्री रमेश एल. अडिगे	बी.ई. (ऑनर्स), एम.बी.ए. मार्केटिंग में विशेषज्ञता	भारत सरकार नामिती प्रावधान	खंड (एच)	10-07-2008
9.	श्री एम. भास्कर राव	बी.कॉम., एफ.सी.ए.	शेयरधारक निदेशक प्रावधान	खंड (आई)	27-06-2009
10.	श्री एआर नागप्पन	एम.एससी.	शेयरधारक निदेशक प्रावधान	खंड (आई)	27-06-2009
11.	श्री भूपिन्दर सिंह सूरी	डिप्लोमा इन ऑटोमोबाईल इंजीनियरिंग	शेयरधारक निदेशक प्रावधान	खंड (आई)	27-06-2009

उन निदेशकों के संक्षिप्त बयोडाटा नीचे दिए गए हैं जिन्होंने दि. 31-03-2010 के तुलन-पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद कार्य ग्रहण किया हैं और जिन्होंने दि. 31-03-2011 के तुलन-पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं ।

श्री रवि चटर्जी:

श्री रवि चटर्जी को दि. 01 सितंबर 2010 से सिंडिकेट बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है । बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त होने से पहले श्री रवि चटर्जी ने 'यूको बैंक' में तीस वर्षों से भी अधिक अवधि तक सेवा की है । उन्होंने दि. 07-03-1977 को 'यूको बैंक' में सेवाग्रहण किया और उन्होंने विभिन्न स्थानों जैसे उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अहमदाबाद, कोलकाता और सिंगापुर में विभिन्न पदों पर कार्य किया । कोलकाता में विभिन्न अवधि के दौरान कार्य करते समय वे उत्तर पूर्वी राज्यों, बिहार, झारखण्ड राज्यों में परिचालन का कार्य संभाल रहे थे और कोलकाता अंचल के परिचालन कार्य संभालने के साथ-साथ वे राजकोष परिचालन, अंतर्राष्ट्रीय कारोबार और एफ एक्स कारोबार के भी प्रभारी रहे । अहमदाबाद में कार्य करते समय वे राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों के कारोबार को भी संभाल रहे थे, उन्होंने अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है, इनमें एम.डी.आइ. गुडगाँव में एडवाँस्ड मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम और मैनेजमेंट इन्स्टीट्यूट ओवरसीज शामिल है ।

श्री एच. प्रदीप राव:

श्री एच. प्रदीप राव को दि. 10 मई 2010 से भारत सरकार द्वारा हमारे बैंक के निदेशक मंडल में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है ।

फिलहाल, श्री एच. प्रदीप राव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली में संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं । वे एम.बी.ए., एम.ए. और सी.आइ.ए. (प्रमाणित आंतरिक लेखा परीक्षक) उपाधि प्राप्त हैं । वे 1981 बैच के भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा सेवा (आइ.ए.और ए.एस.) के अधिकारी हैं । उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण पद पर कार्य किया है जैसे जम्मू व कश्मीर के महा लेखाकार, प्रधान निदेशक (रिपोर्ट, केन्द्रीय), भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली, निदेशक, बाह्य लेखा परीक्षक, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) जिनेवा, स्विट्जरलैंड, सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड और प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा, चेन्नई, प्रधान महा लेखाकार, पश्चिम बंगाल और लेखा परीक्षा के महानिदेशक (केन्द्रीय व्यय) नई दिल्ली । वे भारतीय सुरक्षा मुद्रण और टंकसाल निगम लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक भी है ।

श्री ए.एस.राव:

श्री ए. एस. राव को दि. 30 जुलाई 2010 से भारत सरकार द्वारा हमारे बैंक के निदेशक मंडल के निदेशक के रूप में नामित किया गया है । श्री ए.एस. राव दि. 26 अप्रैल 2010 से आंध्रप्रदेश, भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद में क्षेत्रीय निदेशक के पद पर कार्य कर रहे है । इस से पहले श्री राव गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई के प्रभारी मुख्य महा प्रबंधक के पद पर कार्य कर रहे थे । वर्ष 1988 से 1994 तक वे भा.रि.बैं., हैदराबाद कार्यालय में कार्यरत थे ।

The Board of the Bank consists of eminent personalities, who through their rich and varied experiences in Banking and other related fields have made significant contribution towards the progress of the bank.

The present composition and category of the Board of Directors of the Bank are furnished below:

Sl. No.	Name of the Director	Qualifications	Category of Directorship	Under sub-section Section 9 (3)	Date of assuming office
1.	Shri Basant Seth	B.Sc. PG Diploma in Bank Management, Chartered Accountant	Chairman & Managing Director	Clause (a)	31-08-2009
2.	Shri V. K. Nagar	B. Text., MBA PG Diploma in Marketing (Sales Management)	Executive Director	Clause (a)	08-10-2008
3.	Shri Ravi Chatterjee	B.Tech. (Electronics)	Executive Director	Clause (a)	01-09-2010
4.	Shri H. Pradeep Rao	MBA, MA, CIA (Certified Internal Auditor)	Govt Nominee Director (Official of Central Government)	Clause (b)	10-05-2010
5.	Shri A. S. Rao	B.Com., MBA CAIIB Part I	R.B.I. Nominee Director	Clause (c)	30-07-2010
6.	Shri Narendra Dave	B.Com., LL.B. (Gen)	Workmen Employee Director	Clause (e)	31-08-2010
7.	Shri Dinkar S. Punja	B.FSc.	Officer Employee Director	Clause (f)	12-07-2010
8.	Shri Ramesh L. Adige	MBA with specialization in Marketing BE (Hons)	GOI Nominee Director	Clause (h)	10-07-2008
9.	Shri M. Bhaskara Rao	B.Com., FCA	Shareholder Director	Clause (i)	27-06-2009
10.	Shri AR Nagappan	M.Sc.	Shareholder Director	Clause (i)	27-06-2009
11.	Shri Bhupinder Singh Suri	Diploma in Automobile Engg.	Shareholder Director	Clause (i)	27-06-2009

A brief biodata of Directors who joined the Board / were appointed after signing the Balance Sheet as on 31-03-2010 and who have signed the Balance Sheet as at 31-03-2011, is given below:

Shri Ravi Chatterjee:
Sri Ravi Chatterjee has been appointed as Executive Director of Syndicate Bank from 1st September 2010. Prior to taking over as Executive Director of the Bank, Sri Ravi Chatterjee served in UCO Bank for over three decades. He joined UCO Bank on 07-03-1977 and served in various capacities in different places like Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Ahmedabad, Kolkata and Singapore. While serving in Kolkata during different periods he was overseeing operations of North Eastern States, Bihar, Jharkhand and was also In-charge of Treasury Operations, International Operations and FX Business apart from the operations of Kolkata Zone. Similarly, while serving in Ahmedabad, he was overseeing the operations of Rajasthan, Madhya Pradesh and Gujarat. He attended several training programmes including advanced Management Development Programme at MDI Gurgaon and Management Institutes overseas.

Shri H. Pradeep Rao:
Shri H. Pradeep Rao has been appointed as Government Nominee Director on the Board of our Bank by the Government of India w.e.f. 10th May 2010.

Presently, Shri H. Pradeep Rao is the Joint Secretary and Financial Advisor to Goverment of India, Ministry of Finance, New Delhi. He is M.B.A., M.A. and C.I.A. (Certified Internal Auditor). He is an Indian Audit & Accounts Service (IA&AS) Officer of the 1981 batch. He has held key positions, including Accountant General of the State of Jammu & Kashmir, Principal Director (Reports, Central), Office of the Comptroller & Auditor General of India, New Delhi, Director of External Audit, World Health Organisation (WHO), Geneva, Switzerland, Member Audit Board and Principal Director of Commercial Audit, Chennai, Principal Accountant General West Bengal and Director General of Audit (Central Expenditure), New Delhi. He is also a Director on the Board of Security Printing & Minting Corporation of India Ltd.

Shri A. S. Rao:
Shri A. S. Rao has been nominated as Director on the Board of our Bank by the Government of India w.e.f. 30th July 2010. Shri A .S. Rao is the Regional Director for Andhra Pradesh, Reserve Bank of India (RBI), Hyderabad, w.e.f. April 26, 2010.

वर्ष 1975 में आंध्र विश्वविद्यालय से एम.बी.ए. उत्तीर्ण करने के बाद श्री राव, वर्ष 1981 के दौरान भा.रि.बैं. में ग्रेड 'बी' (सीधी भर्ती) अधिकारी के रूप में कार्यग्रहण करने से पहले वे ए.पी. इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में कार्य कर रहे थे । उनकी पहली तैनाती कोलकाता में थी । श्री राव को विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों जैसे कोलकाता, हैदराबाद, और बेंगलूर तथा विभिन्न केन्द्रीय कार्यालय के विभिन्न विभागों में कार्य करने का विपुल अनुभव है जैसे, ई.सी.डी./डी.बी.ओ.डी./डी.बी.एस.; आइ.डी.एम.डी. निर्गम विभाग इत्यादि । श्री राव को बैंकिंग पर्यवेक्षण–परिचालन और नीति में 16 वर्षों का भरपूर अनुभव है । उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान में बैंकिंग पर्यवेक्षण के क्षेत्र में भी कार्य किया है । वहाँ वे वर्ष 2003 से 2008 तक 5 वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे । उन्होंने भारत और विदेश में फोरेक्स निरीक्षण सहित अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, ग्रामीण वित्त, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर 'सार्क' कार्यक्रम, व्युत्पन्न पर पायलेट कार्यक्रम, पूंजी बाजार पर यूरोमनी कार्यक्रम इत्यादि में सहभागिता की है ।

श्री नरेन्द्र एल. दवे:

श्री नरेन्द्र एल. दवे को दि. 31 अगस्त 2010 से भारत सरकार द्वारा कामगार कर्मचारी निदेशक के रूप में नामित किया गया है ।

श्री दवे का जन्म मई 1955 में हुआ, उन्होंनें वाणिज्य में स्नातक उपाधि प्राप्त की है, साथ ही, उन्होंने एल.एल.बी. (सामान्य) उपाधि भी प्राप्त की है । उन्होंने दि. 08-06-1976 को बैंक में सेवाग्रहण किया और उन्होंने विभिन्न शाखाओं में कार्य किया है । फिलहाल, वे राजकोट (गुजरात) शाखा में कार्य कर रहे हैं । उन्होंने सिंडिकेट बैंक कर्मचारी संघ (एस.बी.ई.यू.), गुजरात बैंक कर्मचारी संघ (जी.बी.डब्ल्यू.यू.), राजकोट बैंक कर्मचारी क्रेडिट कोआपरेटिव सेसाइटी में विभिन्न पदों पर कार्य किया और वर्तमान में वे एस.बी.ई.यू. के सचिव और जी.बी.डब्ल्यू.यू. के संगठक सचिव है । वे राजकोट बैंकर्स क्लब के अध्यक्ष भी हैं ।

श्री दिनकर एस. पूंजा:

श्री दिनकर एस. पूंजा को दि. 12 जुलाई 2010 से भारत सरकार द्वारा बैंक के निदेशक मंडल में अधिकारी कर्मचारी निदेशक के रूप में नामित किया गया है । श्री पूंजा ने इस से पहले दि. 30 जून 2005 से 15 सितंबर 2009 तक इसी पद पर सेवा की है ।

श्री पूंजा ने अपने बैंकिंग जीवन की शुरुआत दि. 30 जून 1978 से परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में की थी और गोवा, मुंबई, कोलकाता इत्यादि सहित विभिन्न शाखाओं/कार्यालयों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है । फिलहाल वे प्रधान कार्यालय मणिपाल के सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग में मुख्य प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे हैं ।

श्री पूंजा का जन्म 1954 में हुआ, उन्होंने कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बेंगलूर से मत्स्यविज्ञान में स्नातक उपाधि प्राप्त की है । उन्होंने ट्रेड यूनियन कार्यकलापों को अपने विद्यार्थी जीवन से ही किया था और उसे सिंडिकेट बैंक में सेवाग्रहण करने के बाद भी जारी रखा । सिंडिकेट बैंक अधिकारी संघ (एस.बी.ओ.ए.) के एक सक्रिय सदस्य होते हुए, श्री पूंजा कोलकाता क्षेत्र में एस.बी.ओ.ए. के प्रथम संयुक्त सचिव बने और बाद में वे एस.बी.ओ.ए. के अध्यक्ष बन गए । श्री पूंजा ए.आइ.बी.ओ.सी. जो देश में बैंक अधिकारियों का शीर्ष संगठन है, उसके उप महा सचिव का पद भी संभाल रहे हैं ।

एस.बी.ओ.ए. के अध्यक्ष के रूप में तथा बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में दोहरी क्षमता में कार्य करने फलस्वरूप श्री पूंजा को बैंक के नीतिगत मामले में भी काफी अनुभव है ।

निदेशक मंडल की बैठकों का आयोजन:

निदेशक मंडल की बैठक राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के अनुसार सामान्यतः एक वर्ष में कम से कम 6 बार और एक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी । निदेशक मंडल ने वर्ष 2010-2011 के दौरान निम्नलिखित तारीखों में 11 बैठकें आयोजित कीं ।

04-05-2010	09-06-2010	25-06-2010	31-07-2010	15-09-2010
13-10-2010	29-10-2010	06-12-2010	01-02-2011	19-02-2011
19-03-2011				

निदेशक मंडल की बैठकों में मंडल के सदस्यों की उपस्थिति तथा गत आम बैठक, बैंक के मंडल की अन्य समितियों में उनकी सदस्यता तथा अन्य कंपनियों में निदेशकों के रूप में उनके सहयोग इत्यादि का पूर्ण ब्यौरा निम्नवत् है ।

क्र. सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति		निदेशक मंडल की अन्य समितियों की सदस्यता	अन्य कंपनियों में निदेशक पद*
		निदेशक मंडल की बैठकें	पिछली वा.आ.बै. 25-06-2010		
1.	श्री बसंत सेठ	11/11	उ	एमसीबी, आरएमसी, एससीएमएफएफसी, सीएससी, डीपीसी	1
2.	श्री वी. के. नागर	8/11	उ	एमसीबी, एसीबी, एसआइजीसी, आरएमसी, एससीएमएफएफसी, सीएससी, एसटीसी, आइटीसी, पीबीए	1
3.	श्री आर. रामचन्द्रन (दि. 01-09-2010 तक)	4/4	उ	–	–
4.	श्री रवि चटर्जी (दि. 01-09-2010 से)	7/7	–	एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, एससीएमएफएफसी, सीएससी, आइटीसी, एचआरसी,	1
5.	श्री एच. प्रदीप राव (दि. 10-05-2010 से)	6/10	उ	एसीबी, एससीएमएफएफसी, आरसी, आइटीसी, एनसी, डीपीसी	1

Prior to this, Shri Rao was Chief General Manager-in-Charge of Department of Non-Banking Supervision, Central Office, Mumbai. Earlier, he was attached to RBI, Hyderabad Office, during the years from 1988 to 1994.

After completing his M.B.A. from Andhra University in 1975, Shri Rao worked in A.P. Industrial Infrastructure Development Corporation before joining RBI in 1981 as Officer in Grade 'B' (Direct Recruit). His first posting was in Kolkata Office. Shri Rao has got varied experience having worked in various departments such as ECD, DBOD/DBS, IDMD, Issue Department, etc., at different regional offices like Kolkata, Hyderabad and Bangalore and in various Central Office Departments. He has got 16 years experience in Banking Supervision – Operations and Policy. He also had a stint with the Central Bank of Oman – in banking supervision area, where he was on deputation for 5 years from 2003 to 2008. He has also attended a number of training programmes both in India and abroad including Forex Inspection and Training Courses, Rural Finance, SAARC Programme on Banking Supervision, Pilot Programme on Derivatives, Euromoney Programme on Capital Markets, etc.

Shri Narendra L. Dave:
Shri Narendra L. Dave has been nominated as Workmen Employee Director on the Board by the Government of India w.e.f. 31st August, 2010.

Born in May, 1955, Shri Dave is Commerce Graduate and holds LL.B. (General) degree. He joined the Bank on 08-06-1976 and has worked in various branches. He is presently working at Rajkot branch (Gujarat). He has held various posts in Syndicate Bank Employees Union (SBEU), Gujarat Bank Workers Union (GBWU), Rajkot Bank Workers Credit Co-operative Society and Presently, he is the Secretary of SBEU and Organizing Secretary of GBWU. He also holds the position of Vice-President of Rajkot Bankers Recreation Club.

Shri Dinkar S. Punja:
Shri Dinkar S. Punja has been nominated as Officer Employee Director on the Board by the Government of India w.e.f. 12th July 2010. Sri Punja has served in the similar capacity earlier from 30th June, 2005 till 15th September, 2009.

Sri Punja started his banking career as Probationary Officer in the year 1978 and has worked in different capacities in various branches/offices, including Goa, Mumbai, Kolkata, etc. He is presently holding the position of Chief Manager in IT Division of the Bank at its Head Office at Manipal.

Born in August, 1954, Sri Punja holds a degree in Fishery Sciences from University of Agricultural Sciences, Bangalore. His association with the trade union activities commenced from student days and continued after joining Syndicate Bank. Being an active member of Syndicate Bank Officers Association (SBOA), Sri Punja became the first Joint Secretary of SBOA in Kolkata Region and rose to the position of President of SBOA. He also holds the position of Dy. General Secretary in AIBOC, the apex organisation of bank officers in the country and the largest supervisory organisation in the world.

Sri Punja has rich experience in policy matters of the Bank, in his dual capacity as President of the SBOA and as Director on the Board of the Bank.

CONDUCT OF BOARD MEETINGS:
Meetings of the Board shall ordinarily hold at least 6 times in a year and atleast once in a quarter in accordance with Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. During the year 2010-2011, the Board held 11 meetings on the following dates:

04-05-2010	09-06-2010	25-06-2010	31-07-2010	15-09-2010
13-10-2010	29-10-2010	06-12-2010	01-02-2011	19-02-2011
19-03-2011				

The particulars regarding the attendance of the Board members at the Board Meetings and last AGM, their membership in other Committees of the Board of the Bank and their association with other Companies as Directors are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance		Membership in other Committees of the Board	Directorship in other Companies*
		Board	Last AGM 25-06-2010		
1.	Shri Basant Seth	11/11	P	MCB, RMC, SCMFFC, CSC DPC	1
2.	Shri V. K. Nagar	8/11	P	MCB, ACB, SIGC, RMC, SCMFFC, CSC, STC, ITC,PBA	1
3.	Shri R Ramachandran (upto 01-09-2010)	4/4	P	–	–
4.	Shri Ravi Chatterjee (from 01-09-2010)	7/7	–	MCB, ACB, RMC, SCMFFC, CSC, ITC,HRC	1
5.	Shri H. Pradeep Rao (from 10-05-2010)	6/10	P	ACB, SCMFFC, RC, ITC, NC,DPC	1

क्र. सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति		निदेशक मंडल की अन्य समितियों की सदस्यता	अन्य कंपनियों में निदेशक पद*
		निदेशक मंडल की बैठकें	पिछली वा.आ.बै. 25-06-2010		
6.	श्री के. सीतारामु (दि. 30-07-2010 तक)	3/3	उ	–	–
7.	श्री ए. एस्. राव (दि. 30-07-2010 से)	6/7	–	एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, सीएससी, आरसी, एनसी, डीपीसी, पीबीए	–
8.	श्री नरेन्द्र दवे (दि. 31-08-2010 से)	7/7	–	सीएससी, एसआईजीसी, एचआरसी	–
9.	श्री दिनकर एस्. पूंजा (दि. 12-07-2010 से)	8/8	–	एमसीबी, आइटीसी	–
10.	श्री रमेश एल. अडिगे	10/11	उ	आरमसी, एनसी, एचआरसी, पीबीए	3
11.	श्री एम. भास्कर राव	10/11	उ	एमसीबी, एसीबी, एसआइजीसी, सीएससी, आरसी, पीबीए	1
12.	श्री एआर नागप्पन	10/11	उ	एमसीबी, एसीबी, एसटीसी, एचआरसी, आइटीसी एससीएमएफएफसी, पिबीए	1
13.	श्री भूपिंदर सिंह सूरी	10/11	उ	एमसीबी, सीएससी, एसटीसी, आरसी, एचआरसी, पीबीए	3

* कंपनी अधिनियम, 2000 की धारा 275 के अनुसार

उ – उपस्थित
अ – अनुपस्थित
एमसीबी – मंडल की प्रबंधन समिति
एसीबी – मंडल की लेखा परीक्षा समिति
डीपीसी – निदेशकों की पदोन्नति समिति
आरएमसी – जोखिम प्रबंधन समिति
एसआईजीसी – शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति
एनसी – नामांकन समिति
एससीएमएफएफसी – कपटपूर्ण मामलों की जांच एवं अनुवर्तन के लिए विशेष समिति
आरसी – पारिश्रमिक समिति
एसटीसी – शेयर अंतरण समिति
सीएससी – ग्राहक सेवा समिति
एचआरसी – मानव संसाधन समिति
आईटीसी – सूचना प्रौद्योगिकी समिति
पी. बी. ए. – समानांतर बैंकिंग कार्यकलाप

मंडल की प्रबंध समिति:

मंडल की प्रबंध समिति (एमसीबी) भारत सरकार की अधिसूचना सं.एफ.4/1/86/बी.ओ.आई (1) दिनांक 11-7-1986 के अनुसार स्थापित की गई और भारत सरकार द्वारा उनके परिपत्र सं.एफ.सं. 4/1/94 - बीओआई (i) दिनांक 10-11-1995 के जरिए सूचित किए गए अनुसार पुनःस्थापित की गई । आगे, भारत सरकार ने भा.रि.बैं. के साथ परामर्श करके योजना 1970 में संशोधन किया जिसे राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) (संशोधन) योजना, 2007 कहा गया और जिसे दि. 8-3-2007 के शुद्धिपत्र के साथ पढ़ा जाए। प्रबंध समिति ऋण प्रस्तावों को मंजूर करने, ऋणों का समझौता/निपटान, बट्टे खाते डाले गए प्रस्ताव, पूंजीगत और राजस्व व्ययों का अनुमोदन, अधिग्रहण और भवनों को किराये पर देना, दावा/अपील दायर करना, निवेश, अंशदान किया गया/सौंपा गया, के संबंध में सभी अधिकारों का प्रयोग करती है । वर्ष के दौरान समिति की निम्नलिखित 13 बैठकें आयोजित की गईं :

03-05-2010	08-06-2010	25-06-2010	30-07-2010	16-09-2010
12-10-2010	28-10-2010	05-12-2010	29-12-2010	31-01-2011
19-02-2011	18-03-2011	31-03-2011		

मंडल की प्रबंध समिति के सदस्य और उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकों में से उनकी उपस्थिति के संबंध में विवरण नीचे प्रस्तुत है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री बसंत सेठ	13/13
2.	श्री वी. के. नागर	9/13
3.	श्री आर. रामचन्द्रन (दि. 01-09-2010 तक)	4/4
4.	श्री रवि चटर्जी (दि. 01-09-2010 से)	9/9
5.	श्री के. सीतारामु (दि. 30-07-2010 तक)	4/4
6.	श्री ए. एस्. राव (दि. 30-07-2010 से)	8/9
7.	श्री दिनकर एस्. पूंजा (दि. 12-07-2010 से)	5/5
8.	श्री रमेश एल. अडिगे	8/8
9.	श्री एम. भास्कर राव	12/13
10.	श्री एआर नागप्पन	13/13
11.	श्री भूपिंदर सिंह सूरी	11/13

Sl. No.	Name of the Director	Attendance		Membership in other Committees of the Board	Directorship in other Companies*
		Board	Last AGM 25-06-2010		
6.	Shri K. Seetharamu (upto 30-07-2010)	3/3	P	–	–
7.	Shri A. S. Rao (from 30-07-2010)	6/7	–	MCB, ACB, RMC, CSC, RC, NC, DPC,PBA	–
8.	Shri Narendra Dave (from 31-08-2010)	7/7	–	CSC, SIGC, HRC	–
9.	Shri Dinkar S. Punja (from 12-07-2010)	8/8	–	MCB, ITC	–
10.	Shri Ramesh L. Adige	10/11	P	RMC, NC, HRC,PBA	3
11.	Shri M. Bhaskara Rao	10/11	P	MCB, ACB, SIGC, CSC, RC, PBA	1
12.	Shri AR Nagappan	10/11	P	MCB, ACB, STC, HRC,ITC,SCMFFC,PBA	1
13.	Shri Bhupinder Singh Suri	10/11	P	MCB, CSC, STC,RC, HRC, PBA	3

* As per Section 275 of Companies Act, 2000

P – Present
A – Absent
MCB – Management Committee of the Board
ACB – Audit Committee of the Board
DPC – Directors' Promotion Committee
RMC – Risk Management Committee
SIGC – Shareholders'/Investors' Grievance Committee
NC – Nomination Committee
SCMFFC – Special Committee for Monitoring & Follow up of Fraud Cases
RC – Remuneration Committee
STC – Share Transfer Committee
CSC – Customer Service Committee
HRC – Human Resource Committee
ITC – Information Technology Committee
PBA – Committee on Para Banking Activities

MANAGEMENT COMMITTEE OF THE BOARD:

The Management Committee of the Board (MCB) was constituted in terms of Govt. of India Notification No. F 4/1/86.BO.I (I) dated 11-07-1986 and was reconstituted as advised by Govt. of India vide their Notification No. F No. 4/1/94-BO.I (i) dated 10-11-1995. Further GOI after consultation with the RBI made the Scheme to amend the 'Scheme 1970' called Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) (Amendment) Scheme 2007, read with corrigendum dated 08-03-2007. The Management Committee exercises all the powers vested in the Board in respect of sanctioning of credit proposals, compromise settlement of loans, write off proposals, approval of capital and revenue expenditure, acquisition and hiring of premises, filing suits/appeals, investments, donations and any other matter referred to / delegated to the Committee by the Board.

The Committee met 13 times during the year on the following dates:

03-05-2010	08-06-2010	25-06-2010	30-07-2010	16-09-2010
12-10-2010	28-10-2010	05-12-2010	29-12-2010	31-01-2011
19-02-2011	18-03-2011	31-03-2011		

The particulars with regard to the members of the Management Committee of the Board and their attendance at the meetings are given below:

Sl.No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Basant Seth	13/13
2.	Shri V. K. Nagar	9/13
3.	Shri R. Ramachandran (upto 01-09-2010)	4/4
4.	Shri Ravi Chatterjee (from 01-09-2010)	9/9
5.	Shri K. Seetharamu (upto 30-07-2010)	4/4
6.	Shri A. S. Rao (from 30-07-2010)	8/9
7.	Shri Dinkar S. Punja (from 12-07-2010)	5/5
8.	Shri Ramesh L. Adige	8/8
9.	Shri M. Bhaskara Rao	12/13
10.	Shri AR Nagappan	13/13
11.	Shri Bhupinder Singh Suri	11/13

मंडल की लेखा–परीक्षा समिति:

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन किया गया, जो निर्देश देने एवं बैंक में कुल लेखा कार्य अर्थात् संगठन परिचालनीकरण और आंतरिक लेखा परीक्षा का गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक के भीतर निरीक्षण और बैंक की सांविधिक/बाहरी लेखा परीक्षा पर अनुप्रवर्तन तथा भा.रि.बैं. द्वारा निरीक्षण आदि कार्यों को करती है । मंडल की लेखा परीक्षा समिति बैंक की आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा कार्यप्रणाली की समीक्षा करती है । यह विशिष्ट और असाधारण रूप से बड़ी शाखाओं और असंतोषजनक श्रेणी निर्धारित शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की भी समीक्षा करती है ।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नलिखित 9 बैठकें आयोजित की गईं ।

04-05-2010	25-06-2010	31-07-2010	15-09-2010	13-10-2010
29-10-2010	06-12-2010	01-02-2011	18-03-2011	

मंडल की लेखा परीक्षा समिति के सदस्य और बैठकों में उनकी उपस्थिति के संबंध में विवरण नीचे प्रस्तुत है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री एम. भास्कर राव	8/9
2.	श्री वी. के. नागर	7/9
3.	श्री आर. रामचन्द्रन (दि. 01-09-2010 तक)	3/3
4.	श्री रवि चटर्जी (दि. 01-09-2010 से)	6/6
5.	श्री एच. प्रदीप राव (दि. 10-05-2010 से)	4/8
6.	श्री के. सीतारामु (दि. 30-07-2010 तक)	2/2
7.	श्री ए. एस. राव (दि. 30-07-2010 से)	6/6
8.	श्री एआर नागप्पन	8/9

जोखिम प्रबंधन समिति:

भा.रि.बैं. के निदेशानुसार, बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक में सही ढंग से जोखिम प्रबंधन पद्धति का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करने के लिए ''जोखिम प्रबंधन समिति'' का गठन किया है ।

वर्ष के दौरान समिति की 7 बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं :-

03-05-2010	08-06-2010	13-07-2010	16-09-2010
13-10-2010	28-10-2010	18-03-2011	

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण नीचे प्रस्तुत है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री बसंत सेठ	7/7
2.	श्री वी. के. नागर	6/7
3.	श्री आर. रामचन्द्रन (दि. 01-09-2010 तक)	3/3
4.	श्री रवि चटर्जी (दि. 01-09-2010 से)	4/4
5.	श्री के. सीतारामु (दि. 30-07-2010 तक)	3/3
6.	श्री ए. एस. राव (दि. 30-07-2010 से)	4/4
7.	श्री एआर नागप्पन	6/6
8.	श्री रमेश एल. अडिगे	3/3

धोखाधड़ी मामलों की मॉनीटरिंग एवं अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विशेष समिति:

भा.रि.बैं. के परिपत्र सं.डी.बी.एस.एफ.जी.वी.(एफ) सं.1004/23-04-01ए/2003-2004 दिनांक 14-01-2004 के अनुसार, बैंक के निदेशक मंडल ने ₹ 1 करोड़ तथा उससे अधिक राशि के ''कपटपूर्ण मामलों की मॉनीटरिंग एवं अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विशेष समिति'' का गठन किया।

वर्ष के दौरान समिति की 6 बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गई :

03-05-2010 24-06-2010 16-09-2010 05-12-2010 31-01-2011 18-03-2011

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति नीचे प्रस्तुत हैं।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री बसंत सेठ	6/6
2.	श्री वी. के. नागर	5/6
3.	श्री आर. रामचन्द्रन (दि. 01-09-2010 तक)	2/2
4.	श्री रवि चटर्जी (दि. 01-09-2010 से)	4/4
5.	श्री एच. प्रदीप राव (दि. 10-05-2010 से)	2/4
6.	श्री एम. भास्कर राव	3/4
7.	श्री भूपिंदर सिंह सूरी	1/2
8.	श्री एआर नागप्पन	2/2

AUDIT COMMITTEE OF THE BOARD:

The Audit Committee of the Board (ACB) was constituted as per the instructions/ guidelines issued by Reserve Bank of India to provide direction as also oversee the operation of the total audit function in the Bank, which include the organisation, operationalisation and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow up on the statutory/external audit of the Bank and inspection of RBI. The ACB reviews the internal inspection/audit function in the Bank. It also reviews the inspection report of specialized and exceptionally large branches and also branches with unsatisfactory ratings.

The Committee met 9 times during the year on the following dates:

04-05-2010	25-06-2010	31-07-2010	15-09-2010	13-10-2010
29-10-2010	06-12-2010	01-02-2011	18-03-2011	

The particulars with regard to the members of the Audit Committee of the Board and their attendance at the meetings are given below:

Sl.No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri M. Bhaskara Rao	8/9
2.	Shri V. K. Nagar	7/9
3.	Shri R. Ramachandran (upto 01-09-2010)	3/3
4.	Shri Ravi Chatterjee (from 01-09-2010)	6/6
5.	Shri H. Pradeep Rao (from 10-05-2010)	4/8
6.	Shri K. Seetharamu (upto 30-07-2010)	2/2
7.	Shri A. S. Rao (from 30-07-2010)	6/6
8.	Shri AR Nagappan	8/9

RISK MANAGEMENT COMMITTEE:

In terms of RBI direction, the Board of Directors of the Bank constituted "Risk Management Committee" of the Board for successful implementation of proper Risk Management Systems in the Bank.

During the year, the Committee held 7 meetings on the following dates:

03-05-2010	08-06-2010	13-07-2010	16-09-2010
13-10-2010	28-10-2010	18-03-2011	

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl.No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Basant Seth	7/7
2.	Shri V. K. Nagar	6/7
3.	Shri R. Ramachandran (upto 01-09-2010)	3/3
4.	Shri Ravi Chatterjee (from 01-09-2010)	4/4
5.	Shri K. Seetharamu (upto 30-07-2010)	3/3
6.	Shri A. S. Rao (from 30-07-2010)	4/4
7.	Shri AR Nagappan	6/6
8.	Shri Ramesh L. Adige	3/3

SPECIAL COMMITTEE FOR MONITORING AND FOLLOW UP OF FRAUD CASES:

In terms of RBI Circular No. DBS.FGV(F) No. 1004/23-04-01A/2003-2004 dated 14-01-2004, the Board of Directors of the Bank constituted "Special Committee for Monitoring and Follow up of Fraud Cases" involving amount of ₹ 1 crore and above.

During the year the Committee held 6 meetings on the following dates:

03-05-2010 24-06-2010 16-09-2010 05-12-2010 31-01-2011 18-03-2011

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meeting are given below:

Sl.No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Basant Seth	6/6
2.	Shri V. K. Nagar	5/6
3.	Shri R. Ramachandran (upto 01-09-2010)	2/2
4.	Shri Ravi Chatterjee (from 01-09-2010)	4/4
5.	Shri H. Pradeep Rao (from 10-05-2010)	2/4
6.	Shri M. Bhaskara Rao	3/4
7.	Shri Bhupinder Singh Suri	1/2
8.	Shri AR Nagappan	2/2

शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति:

सूचीकरण करार के खण्ड 49 के उप खण्ड VI सी के अनुसार बैंक के निदेशक मण्डल ने शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति विशिष्ट रूप से शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतें जैसा की शेयरों का अंतरण, तुलन-पत्र की अप्राप्ति, घोषित लाभांशों की अप्राप्ति आदि को दूर करने के लिए गठित की गई है।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नलिखित दो बैठकें आयोजित की गईं:

03-05-2010 05-12-2010

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री एम. भास्कर राव	1/1
2.	श्री एआर नागप्पन	1/1
3.	श्री वी. के. नागर	2/2
4.	श्री रमेश एल. अडिगे	1/1
5.	श्री भूपिन्दर सिंह सूरी	0/1

वर्ष 2010-11 के दौरान, बैंक के शेयरधारकों/निवेशकों से 2926 शिकायतें/प्रश्न प्राप्त हुए और वर्ष के दौरान प्राप्त सभी शिकायतों/प्रश्नों पर कार्रवाई की गयी है। उपर्युक्त में से कोई भी शिकायत एक महीने से अधिक अवधि तक लंबित नहीं है। दि. 31-03-2011 तक कोई भी शेयर अंतरण के लिए लंबित नहीं है।

अनुपालन अधिकारी:

सूचीकरण करार के खण्ड 47 के अनुसार श्री आर. रवि बैंक के कंपनी सचिव, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, स्टॉक एक्स्चेंजों के पास सूचीकरण करार, कंपनी के रजिस्ट्रार, नैगम कार्य मंत्रालय के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन के उद्देश्य से तथा शेयर अंतरण प्रक्रिया का अनुप्रवर्तन इत्यादि के संबंध में अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं।

ग्राहक सेवा समिति:

भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं. डी.ओ.डी.बी.ओ.डी. सं. एल.ई.जी. 96/09-07-007/2004-05, दि. 17-08-2004 के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक द्वारा प्रदान की जानेवाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सतत सुधार करने हेतु निदेशक मण्डल की ग्राहक सेवा समिति का गठन किया है। समिति में विशेषज्ञों तथा ग्राहकों के प्रतिनिधियों के रूप में आमंत्रित व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है। वर्ष के दौरान समिति की चार बैठकें निम्नलिखित तारीखों में आयोजित की गईं :

30-07-2010 28-10-2010 31-01-2011 18-03-2011

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री बसंत सेठ	4/4
2.	श्री वी. के. नागर	3/4
3.	श्री आर. रामचन्द्रन (दि. 01-09-2010 तक)	1/1
4.	श्री रवि चटर्जी (दि. 01-09-2010 से)	3/3
5.	श्री ए. एस. राव (दि. 30-07-2010 से)	3/3
6.	श्री रमेश एल. अडिगे	2/2
7.	श्री एआर नागप्पन	2/2
8.	श्री भूपिन्दर सिंह सूरी	3/4
9.	श्री नरेन्द्र एल. दवे	2/2
10.	श्री एम. भास्कर राव	2/2

पारिश्रमिक समिति:

भारत सरकार के पत्रांक एफ सं. 20/1/2005 – बी.ओ. 1 दिनांक 9-3-2007 में दी गई शर्तों के अनुसार निदेशक मंडल ने एक पारिश्रमिक समिति का गठन किया है जो भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निष्पादन मूल्यांकन हेतु गठित बोर्ड की एक उपसमिति है। वर्ष के दौरान समिति ने दो बैठकें आयोजित की :

09-06-2010 25-06-2010

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री एच. प्रदीप राव (दि. 10-05-2010 से)	2/2
2.	श्री के. सीतारामू	2/2
3.	श्री रमेश एल. अडिगे	2/2
4.	श्री एआर नागप्पन	2/2

सूचना प्रौद्योगिकी समिति:

यह समिति निदेशक मंडल की दि. 30-03-2007 को संपन्न बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार गठित बोर्ड की एक उप समिति है जो प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु समुचित अनुप्रवर्तन का कार्य करती है। वर्ष के दौरान समिति की 3 बैठकें निम्नलिखित तारीखों में आयोजित की गईं।

16-09-2010 13-10-2010 18-03-2011

SHAREHOLDERS'/INVESTORS' GRIEVANCE COMMITTEE:

In terms of sub-clause VI C of Clause 49 of the Listing Agreement, the Board of Directors of the Bank constituted "Shareholders'/Investors' Grievance Committee" of the Board, to specifically look into the redressal of shareholder and investor complaints like transfer of shares, non-receipt of balance sheet, non-receipt of declared dividends, etc.

During the year the Committee held 2 meetings on the following dates:

03-05-2010 05-12-2010

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri M. Bhaskara Rao	1/1
2.	Shri AR Nagappan	1/1
3.	Shri V. K. Nagar	2/2
4.	Shri Ramesh L. Adige	1/1
5.	Shri Bhupinder Singh Suri	0/1

During the year 2010-11, 2926 complaints/grievances/queries were received from the Shareholders / Investors of the Bank and all the complaints/ grievances/ queries received during the year have been resolved / attended to. None of the above complaints were pending for more than one month. There were no shares pending for transfer as at 31-03-2011.

COMPLIANCE OFFICER

In terms of Clause 47 of the Listing Agreement, Sri R. Ravi, Company Secretary of the Bank is functioning as the Compliance Officer for the purpose of complying with various provisions of Securities & Exchange Board of India, Listing Agreements with Stock Exchanges, Registrar of Companies, Ministry of Corporate Affairs and for monitoring the share transfer process etc.

CUSTOMER SERVICE COMMITTEE:

In terms of RBI letter DO.DBOD. No. Leg 96/09.07.007/2004-05 dated 17-08-2004, the Board of Directors constituted Customer Service Committee of the Board for bringing about ongoing improvement in the quality of customer service provided by the Bank. The Committee includes experts and representative of customers as invitees.

During the year, the Committee held 4 meetings on the following dates:

30-07-2010 28-10-2010 31-01-2011 18-03-2011

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Basant Seth	4/4
2.	Shri V. K. Nagar	3/4
3.	Shri R. Ramachandran (upto 01-09-2010)	1/1
4.	Shri Ravi Chatterjee (from 01-09-2010)	3/3
5.	Shri A. S. Rao (from 30-07-2010)	3/3
6.	Shri Ramesh L. Adige	2/2
7.	Shri AR Nagappan	2/2
8.	Shri Bhupinder Singh Suri	3/4
9.	Shri Narendra L. Dave	2/2
10.	Shri M. Bhaskara Rao	2/2

REMUNERATION COMMITTEE:

In terms of Government of India letter F.No. 20/1/2005-BO.1 dated 09-03-2007, Board of Directors constituted Remuneration Committee, a sub-committee of the Board, to evaluate the performance as per the Government of India guidelines.

During the year, the Committee held 2 meetings on the following dates:

09-06-2010 25-06-2010

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri H. Pradeep Rao (from 10-05-2010)	2/2
2.	Shri K. Seetharamu	2/2
3.	Shri Ramesh L. Adige	2/2
4.	Shri AR Nagappan	2/2

INFORMATION TECHNOLOGY COMMITTEE:

A sub-committee of the Board was constituted by the Board of Directors in the meeting held on 30-03-2007 to have in place a proper monitoring system to ensure that the projects are progressing according to the objectives. During the year, the committee held 3 meetings on the following dates:

16-09-2010 13-10-2010 18-03-2011

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति नीचे प्रस्तुत है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री वी. के. नागर	2/3
2.	श्री रवि चटर्जी (दि. 01-09-2010 से)	3/3
3.	श्री एच. प्रदीप राव (दि. 10-05-2010 से)	2/3
4.	श्री रमेश एल. अडिगे	2/2
5.	श्री एआर नागप्पन	3/3
6.	श्री दिनकर एस. पूंजा	1/1

नामांकन समिति:

भा.रि.बैं. के पत्र डी.बी.ओ.डी. सं.बी.सी. 47/29.39.001/2007-2008 दि. 01-11-2007 के अनुसार निदेशक मंडल ने बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980, 2006 में यथा संशोधित, की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत मौजूदा निदेशक के रूप में चयन किए जानेवाले व्यक्ति की ''उपयुक्त तथा उचित'' स्थिति का निर्धारण करने के लिए सम्यक् तत्परतावाली प्रक्रिया शुरू करने हेतु ''नामांकन समिति'' का गठन किया है।

भा.रि.बैं. ने निदेश दिया है कि ''उपयुक्त और उचित'' मानदंड को चयनित निदेशकों (शेयरधारक निदेशक) – वर्तमान और भावी दोनों पर लागू किया जाए ।

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति नीचे प्रस्तुत है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री एच. प्रदीप राव	1/1
2.	श्री ए. एस. राव	1/1
3.	श्री रमेश एल. अडिगे	1/1

वर्ष के दौरान समिति के बैठक दि. 16-09-2010 को आयोजित की गयी।

एच. आर. समिति:

बैंक में एच. आर. प्रणाली/प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए दि. 30-10-2009 को मंडल की एच. आर. समिति का गठन किया गया है।

समिति की दो बैठक दि. 09-06-2010 और 26-06-2010 को आयोजित की गयी।

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्नलिखित है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री आर. रामचन्द्रन (दि. 01-09-2010 तक)	2/2
2.	श्री के. सीतारामु (दि. 30-07-2010 तक)	2/2
3.	श्री रमेश एल. अडिगे	2/2
4.	श्री एम. भास्कर राव	2/2
5.	श्री एआर नागप्पन	2/2

समानांतर बैंकिंग कार्यकलापों की समिति

समानांतर बैंकिंग कार्यकलापों को बढ़ाने तथा बीमा और प्रतिभूतियों इत्यादि जैसे कारोबार शुरू करने की संभाव्यता का पता लगाने हेतु दि. 29-10-2010 को समानांतर बैंकिंग कार्यकलापों पर मंडल की एक उप समिति का गठन किया गया है ।

वर्ष के दौरान समिति की दो बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गयी :

10-03-2011 31-03-2011

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्नलिखित है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री वी. के. नागर	2/2
2.	श्री ए. एस. राव	2/2
3.	श्री रमेश एल. अडिगे	1/2
4.	श्री एम. भास्कर राव	2/2
5.	श्री एआर नागप्पन	2/2
6.	श्री भूपिन्दर सिंह सूरी	1/2

शेयर अंतरण समिति:

सिंडिकेट बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार बैंक द्वारा शेयर अंतरण समिति का गठन किया गया ।

उक्त समिति शेयरों का अंतरण, अनुलिपि शेयर प्रमाणपत्र जारी करना, शेयरों का हस्तांतरण और नामों को हटाना तथा शेयरों का पुन: कागज़ीकरण तथा उससे संबंधित अन्य मुद्दों की निगरानी करती हैं और उनका अनुमोदन करती हैं । वर्ष के दौरान समिति की 4 बैठकें निम्नलिखित तारीखों में आयोजित की गईं :

30-07-2010, 05-12-2010 and 31-03-2011

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri V. K. Nagar	2/3
2.	Shri Ravi Chatterjee (from 01-09-2010)	3/3
3.	Shri H. Pradeep Rao (from10-05-2010)	2/3
4.	Shri Ramesh L. Adige	2/2
5.	Shri AR Nagappan	3/3
6.	Shri Dinkar S. Punja	1/1

NOMINATION COMMITTEE:

In terms of the RBI letter DBOD No. BC No. 47/29.39.001/2007-08 dated 01-11-2007, the Board of Directors constituted "Nomination Committee" to undertake a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of existing/ the persons to be elected as a director under Sec. 9 (3)(i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, as amended in 2006.

RBI has directed that the "Fit and Proper" Criteria as of now, be made applicable to the elected directors (Shareholder directors)-both present and future.

The particulars with regard to the members of the committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri H. Pradeep Rao	1/1
2.	Shri A. S. Rao	1/1
3.	Shri Ramesh L. Adige	1/1

During the year, the Committee met once on 16-09-2010 .

H.R. COMMITTEE:

H.R. Committee of the Board was constituted on 30-10-2009 for the review of HR Systems/practices in the Bank.

The Committee met on 09-06-2010 and 26-06-2010

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri R. Ramachandran (upto 01-09-2010)	2/2
2.	Shri K. Seetharamu (upto 30-07-2010)	2/2
3.	Shri Ramesh L. Adige	2/2
4.	Shri M. Bhaskara Rao	2/2
5.	Shri AR Nagappan	2/2

Committee on Para-Banking Activities

A Sub-committee of the Board on Para Banking Activities was constituted on 29-10-2010 to increase the Para-Banking activities, including exploring the possibility of venturing into Insurance and Securities, etc.

During the year Committee held meetings on following dates:

10-03-2011 31-03-2011

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meeting are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri V. K. Nagar	2/2
2.	Shri A. S. Rao	2/2
3.	Shri Ramesh L. Adige	1/2
4.	Shri M Bhaskara Rao	2/2
5.	Shri AR Nagappan	2/2
6.	Shri Bhupinder Singh Suri	1/2

SHARE TRANSFER COMMITTEE:

In accordance with the Syndicate Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1998, the Board of Directors has constituted Share Transfer Committee.

The Committee monitors and approves share transfers, issue of duplicate share certificates, transmission, transposition and deletion of names and re-materialization of shares and matters relating thereto. During the year, the committee held 3 meetings on the following dates:

30-07-2010, 05-12-2010 and 31-03-2011

वर्ष के दौरान इस के अलावा शेयरों के अंतरण के अनुमोदन से संबंधित संकल्प को 10 बार परिचालन द्वारा पारित किया गया।

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति नीचे प्रस्तुत है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री वी. के. नागर	3/3
2.	श्री एम. भास्कर राव (दि. 26-12-2010 तक)	2/2
3.	श्री भूपिन्दर सिंह सूरी	3/3
4.	श्री एआर नागप्पन (दि. 27-12-2010 से)	1/1

बोर्ड में परिवर्तन:

- श्री रवि चटर्जी दि. 01-09-2010 से बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में बोर्ड में शामिल हुए।
- श्री ए. एस. राव दि. 30-07-2010 से भा.रि.बैं. के नामिति निदेशक के रूप में बोर्ड में शामिल हुए।
- श्री एच. प्रदीप राव दि. 10-05-2010 से सरकार के नामिति निदेशक के रूप में बोर्ड में शामिल हुए।
- श्री नरेंद्र एल. दवे दि. 31-08-2010 से बैंक के कामगार कर्मचारी के रूप में बोर्ड में शामिल हुए।
- श्री दिनकर एस. पूंजा दि. 12-07-2010 से बैंक के अधिकारी कर्मचारी निदेशक के रूप में बोर्ड में शामिल हुए।
- श्री आर. रामचंद्रन, कार्यपालक निदेशक को आंध्र बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने पर उन्होंने दि. 01-09-2010 को इस्तीफा दिया।
- श्री के. सीतारामु, भा.रि.बैं. के नामिति निदेशक ने दि. 30-07-2010 को इस्तीफा दिया।

निदेशकों का पारिश्रमिक:

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशक के पारिश्रमिक का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंक द्वारा बैठक शुल्क, बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा व्यय और विराम खर्च के अलावा किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक गैर-सरकारी निदेशकों को अदा नहीं किया जाता है।

बैठक शुल्क:

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्र एफ. सं. 26/2/2000/बी.ओ.आइ. दि. 15-02-2004 के अनुसार गैर सरकारी निदेशक प्रत्येक मंडल बैठक में उपस्थित होने के लिए ₹ 5,000/- तथा मंडल की किसी भी समिति में उपस्थित होने के लिए प्रति बैठक के लिए ₹ 2,500/- के बैठक शुल्क के लिए पात्र हैं।

(दि. 01-04-2010 से दि. 31-03-2011 तक की अवधि के दौरान निदेशकों को प्रदत्त बैठक शुल्क के विवरण:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	बैठक शुल्क ₹
1.	श्री के. सीतारामु	50,000
2.	श्री एच. प्रदीप राव	–
3.	श्री ए. एस. राव	–
4.	श्री नरेंद्र एल. दवे	40,000
5.	श्री दिनकर एस. पूंजा	55,000
6.	श्री रमेश एल. अडिगे	1,10,000
7.	श्री एम. भास्कर राव	1,32,500
8.	श्री एआर नागप्पन	1,52,500
9.	श्री भूपिन्दर सिंह सूरी	97,500
	कुल	**6,37,500**

आचार संहिता

मंडल ने अपने सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के लिए आचार संहिता का अनुमोदन किया। इसे बैंक के वेबसाइट अर्थात् www.syndicatebank.in. पर **''शेयरहोल्डर इन्फोरमेशन''** के अधीन लगाया गया है।

मंडल के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग ने संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित किया।

निवेशकों की शिकायत

निवेशकों को और भी बेहतर सेवा प्रदान करने तथा उनकी शिकायतों का शीघ्र निवारण करने के लिए हमारे बैंक ने एक **ई-मेल आइ.डी.** खोल रखा है - **"syndinvest@syndicatebank.co.in",** जिससे बैंक ऐसी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई कर सकेगा ।

Besides, resolutions approving the transfer of shares were passed by circulation on 10 occasions during the year.

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri V. K. Nagar	3/3
2.	Shri M. Bhaskara Rao (upto 26-12-2010)	2/2
3.	Shri Bhupinder Singh Suri	3/3
4.	Shri AR Nagappan (From 27-12-2010)	1/1

Changes in the Board:

- Shri Ravi Chatterjee joined the Board as a Executive Director of the Bank w.e.f. 01-09-2010.
- Shri A. S. Rao joined the Board as RBI Nominee Director w.e.f. 30-07-2010.
- Shri H. Pradeep Rao joined the Board as Government Nominee Director w.e.f. 10-05-2010.
- Shri Narendra L. Dave joined the Board as Employee Director of the Bank w.e.f. 31-08-2010.
- Shri Dinkar S. Punja, joined the Board as Officer employee Director of the Bank w.e.f. 12-07-2010.
- Shri R. Ramachandran, Executive Director demitted the office on 01-09-2010 on being appointed as Chairman & Managing Director of Andhra Bank.
- Shri K Seetharamu, RBI Nominee Director demitted the office on 30-07-2010.

REMUNERATION OF DIRECTORS:

The remuneration of the Chairman & Managing Director and the Executive Directors is fixed by the Central Government. As per the guidelines of Government of India, the Bank does not pay any remuneration to the non-official Directors of the Bank apart from sitting fees, travelling expenses and halting expenses for attending meetings.

SITTING FEES:

Non Official Directors are entitled to sitting fees of ₹ 5,000/- for attending every Board Meeting and ₹ 2,500/- per meeting for attending meetings of committees of the Board as per Government of India, Ministry of Finance letter F. No. 26/2/2000/ BO.I dated 15-02-2004.

Details of Sitting Fees paid to Directors during the period from 01-04-2010 to 31-03-2011

Sl. No.	Name of the Director	Sitting Fees ₹
1.	Shri K. Seetharamu	50,000
2.	Shri H. Pradeep Rao	-
3.	Shri A. S. Rao	-
4.	Shri Narendra L. Dave	40,000
5.	Shri Dinkar S. Punja	55,000
6.	Shri Ramesh L. Adige	1,10,000
7.	Shri M. Bhaskara Rao	1,32,500
8.	Shri AR Nagappan	1,52,500
9.	Shri Bhupinder Singh Suri	97,500
	Total	**6,37,500**

Code of Conduct

The Board has approved the Code of Conduct for all Board members and Senior Management of the Bank. The same is also placed on the Bank's website i.e., www.syndicatebank.in under **"shareholders information"**

All Board members and Senior Management Personnel have affirmed compliance with the code.

Investor Grievance

As part of the initiative to provide enhanced levels of service to the investors, our Bank has designated an **e-mail ID "syndinvest@syndicatebank.co.in"** exclusively for the purpose of addressing complaints, to enable the Bank to attend to such complaints on priority.

दि. 31-03-2011 की स्थिति के अनुसार गैर–कार्यपालक निदेशकों के शेयरधारण के विवरण

निदेशक का नाम	धारित शेयरों की संख्या
श्री एच. प्रदीप राव	शून्य
श्री ए. एस. राव	शून्य
श्री नरेंद्र एल. दवे	शून्य
श्री रमेश एल. अडिगे	शून्य
श्री दिनकर एस. पूंजा	1,204
श्री एम. भास्कर राव	200
श्री एआर नागप्पन	200
श्री भूपिन्दर सिंह सूरी	2,200

अधिदेशात्मक/गैर–अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का अनुपालन:

बैंक ने, सभी अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का पालन किया है ।

शेयर बाजार के साथ किए गए सूचीकरण करार के खंड सं. 49 के अनुसार अपेक्षित सभी अधिदेशात्मक आवश्यकताओं का पालन किया है।

गैर अधिदेशात्मक अपेक्षाओं के कार्यान्वयन की प्रमात्रा निम्न प्रस्तुत है:

आवश्यकताएँ	अनुपालन
बैंक से अपेक्षित है कि वे अपनी ओर से और शेयर धारकों की ओर से तयशुदा शर्तों के साथ, पेंशन के अधिकारों और प्रतिपूर्ति भुगतान सहित कार्यपालक निदेशक के लिए विशिष्ट पारिश्रमिक पैकेजों पर बैंक की नीति निर्धारित करने हेतु एक पारिश्रमिक समिति का गठन करें ।	भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार पारिश्रमिक पैकेज निर्धारित करने के लिए निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है।
चेतावनी नीति बैंक में अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधडी या बैंक की आचरण संहिता या नैतिक नीति का उल्लंघन के बारे में संबंधित प्रबंधन को रिपोर्ट करने हेतु बैंक कर्मचारियों के लिए एक प्रणाली लागू करें और कर्मचारियों को उत्पीडन से बचाव के प्रति पर्याप्त रक्षोपाय प्रदान करें।	बैंक समय–समय पर अपने परिपत्रों के माध्यम से यह दोहरा रहा है कि कर्मचारी सदस्य शिकायतों/सुझावों के रूप में संगठन के संदर्भ में महत्वपूर्ण सूचना को उचित माध्यम से संबोधित कर सकते हैं। अत्यावश्यक/आपत्काल के मामले में उसे सीधे समुचित प्राधिकारी को संबोधित किया जा सकता है। इस प्रकार कर्मचारी सदस्य विचलनों को लिखित रूप में और विधिवत हस्ताक्षर करके प्रबंधन के ध्यान में ला सकते है जिनको रोकना/परिशोधित करना संगठन के हित की दृष्टि में आवश्यक है।
डाक द्वारा मतदान	कारोबार लेनदेन के लिए डाक द्वारा मतदान करने के लिए कोई विशेष संकल्प की आवश्यकता नहीं है।
वित्तीय निष्पादन की अर्ध वार्षिक घोषणा तथा पिछले 6 महीने से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का सारांश प्रत्येक शेयरधारकों को प्रेषित किया जाए।	इन्हें बैंक के वेबसाइट में अपलोड किया गया है।
लेखा परीक्षा अर्हताएं – कंपनी अनर्हक वित्तीय विवरण प्रणाली अपना सकता है।	बैंक द्वारा इस आवश्यकताओं का पालन किया गया है।
बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण – कंपनी अपने बोर्ड सदस्यों को कंपनी के कारोबार मॉडेल तथा कारोबार की जोखिम प्रोफाइल के संबंध में प्रशिक्षण दे सकते हैं जिनके अंतर्गत मंडल के सदस्यों को अपने दायित्व तथा कर्तव्य के निर्वाह में सुविधा होगी।	बैंक अपने निदेशकों को भरपूर प्रशिक्षण प्रदान करता है ताकि वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सकें।
गैर कार्यपालक निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन किसी समकक्ष समूह द्वारा करवाया जाए, जिसमें सभी निदेशक शामिल हों और समकक्ष समूह के मूल्यांकन को गैर कार्यपालक निदेशकों की नियुक्ति की शर्तों को बढ़ाने/उसे जारी रखने की प्रणाली के रूप अपनाया जाए।	भारतीय रिज़र्व बैंक के दि.01-11-2007 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार शेयर धारक निदेशकों का वार्षिक आधार पर चयन करते समय और बैंक बोर्ड की नाम ांकन समिति द्वारा उपयुक्त और उचित स्थिति का पालन किया जाता है।

कंपनी की शेयर पूंजी

बैंक की प्राधिकृत पूंजी ₹ 3000 करोड़ है जो प्रत्येक ₹ 10 के 300 करोड़ ईक्विटी शेयरों के रूप में विभाजित है।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग ने अपने पत्र सं. एफ. सं. 11/7/2008– बी.ओ.ए. दि.15 फरवरी 2011 के माध्यम से सूचना दी है कि भारत सरकार के पक्ष में ईक्विटी का अधिमान्य आबंटन के द्वारा ₹ 633.00 करोड (रुपये छह सौ तैंतीस करोड मात्र) की पूंजी लगाने का निर्णय लिया गया है।

Details of shareholding of Non-executive Directors as on 31-03-2011

Name of the Director	Number of shares held
Shri H. Pradeep Rao	Nil
Shri A. S. Rao	Nil
Shri Narendra L. Dave	Nil
Shri Ramesh L. Adige	Nil
Shri Dinkar S. Punja	1,204
Shri M. Bhaskara Rao	200
Shri AR Nagappan	200
Shri Bhupinder Singh Suri	2,200

Compliance to mandatory / non-mandatory requirements

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in clause 49 of the Listing agreement entered into with the Stock Exchanges.

The extent of implementation of non-mandatory requirements is furnished as under:

Requirement	Compliance
The Bank should set up a remuneration committee to determine on their behalf and on behalf of the shareholders with agreed terms of reference , the Bank's policy on specific remuneration packages for executive directors including pension rights and any compensation payment	Remuneration Committee of the Board has been constituted to determine the remuneration package in terms of the Government of India guidelines
Whistle Blower Policy The Bank may establish a mechanism for employees to report to the management concerns about unethical behavior, actual or suspected fraud or violation of the Bank's code of conduct or ethics policy and provide for adequate safeguards against victimization of employees	The Bank has reiterated time and again through internal circulars that staff members can address genuine information of significant value to the organization in the form of complaints / suggestions/grievances through proper channel. In case of urgency/exigency, it can be addressed directly to the appropriate authority without any reservation or fear. Staff members can, thus effectively perform the role of a genuine "Whistle Blower' in bringing to the notice of the management, in writing duly signed, any deviation which is in the interest of the organization and needs to be checked/rectified.
Postal Ballot	The business transacted did not require any special resolution to be put through postal ballot.
A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant event in the last six months may be sent to each shareholder	It has been uploaded on the website of the Bank
Audit qualifications – Company may move towards a regime of unqualified financial statements	The Bank has complied with this requirement
Training of Board Members – Company may train its Board members in the business model of the company as well as the risk profile of the business parameters of the company, their responsibilities as directors, and the best ways to discharge them.	The Bank is providing ample training opportunities to its directors to enable them to discharge their duties effectively.
The performance evaluation of non-executive directors could be done by a peer group comprising the entire Board of Directors, excluding the director being evaluated; and Peer Group evaluation could be the mechanism to determine whether to exceed/continue the terms of appointment of non-executive directors	As per RBI guidelines dated 01.11.2007, a fit and proper status is being done by the Nomination Committee of the Board of the Bank at the time of election of the Shareholder Directors and on annual basis.

Share Capital of the Company

The Authorized Capital of the Bank is ₹ 3000 crore, divided into 300 crore of equity shares of ₹ 10/- each.

Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services vide letter F. No.*11/7/2008*- BOA dated 15th February, 2011 conveyed its decision to infuse ₹ 633.00 crore (Rupees six hundred thirty three crore only) by way of preferential allotment of Equity in favour of Government of India.

तदनुसार, मुंबई स्टॉक एक्स्चेंज लिमिटेड (बी.एस.ई.) और नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एन.एस.ई.) से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लेने के बाद सरकार से निधियों की प्राप्ति पर अधिमान्य आधार पर ₹ 123.35 प्रति शेयर की दर पर दि. 23-03-2011 को भारत सरकार के पक्ष में 5,13,17,389 (पांच करोड़ तेरह लाख सत्रह हज़ार तीन सौ नवासी) शेयर जारी किए गए और आबंटित किए गए।

दि. 31-03-2011 तक बैंक की प्रदत्त पूंजी बढ़कर ₹ 573.29 करोड़ हो गयी।

साधारण सभा की बैठकें:

i) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 क (2) के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक आम बैठक में उपस्थित शेयरधारकों को गत 31 मार्च तक के तुलन-पत्र, बैंक के लाभ व हानि खाते, लेखों द्वारा व्याप्त की गई अवधि के लिए बैंक के कार्यों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र तथा खातों के बारे में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने, अनुमोदन करने और अंगीकार करने का हक होगा।

पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकों के विवरण नीचे प्रस्तुत हैं।

आम बैठक का स्वरूप	दिनांक	समय	स्थान
नौवीं वार्षिक आम बैठक	23-06-2008	प्रात: 11.30 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल
दसवीं वार्षिक आम बैठक	26-06-2009	प्रात: 11.00 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल
ग्यारहवीं वार्षिक आम बैठक	25-06-2010	प्रात: 11.30 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल

दि. 26-06-2009 को संपन्न दसवीं वार्षिक आम बैठक में बेंगलूर स्टॉक एक्स्चेंज लि. से बैंक के ईक्विटी शेयरों के स्वैच्छिक डिलिस्टिंग के संबंध में विशेष संकल्प पारित किया गया। पोस्टल बैलट के माध्यम से कोई संकल्प पारित नहीं किया गया।

दि. 26-06-2009 को संपन्न शेयरधारकों की 10 वीं वार्षिक आम बैठक में श्री एम. भास्कर राव, श्री एआर नागप्पन और श्री भूपिन्दर सिंह सूरी को शेयरधारक निदेशक के रूप में पुन: चयनित किया गया।

ii) शेयरधारकों की असाधारण आम बैठकों (ई.जी.एम.) के ब्यौरे नीचे प्रस्तुत हैं:

दिन एवं दिनांक	समय	स्थान	उद्देश्य
मंगलवार, फरवरी 25, 2003	प्रात: 10.00 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल	4 शेयरधारक निदेशकों का चुनाव
शुक्रवार, जून 23, 2006	प्रात: 10.00 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल	3 शेयरधारक निदेशकों का चुनाव
शनिवार, मार्च 19, 2011	प्रात: 11.30 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल	भारत सरकार को अधिमान्य आधार पर ईक्विटी शेयरों का आबंटन

प्रकटीकरण:

बैंक का नियंत्रण बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 तथा राष्ट्रीकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण प्रावधान) योजना, 1970/1980 द्वारा किया जाता है। सेबी ने स्पष्ट किया है कि वे सूचीबद्ध संस्थाएँ जो कंपनियां नहीं है, परंतु वे अन्य संविधि के अंतर्गत निगमित निकाय (यानी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां इत्यादि) हैं तो सूचीकरण करार का खण्ड सं. 49 उस सीमा तक लागू नहीं होगा जब तक वे अपने संबंधित संविधि तथा संगत विनियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करते हैं।

- बैंक के संबंधित पार्टी लेन-देनों का प्रकटीकरण, दि. 31-03-2011 के तुलन-पत्र की लेखा संबंधी टिप्पणी में किया गया है ।
- बैंक ने अपनी अनुषंगी कंपनियों, निदेशकों, प्रबंधक वर्ग या उसके रिश्तेदारों के साथ कोई महत्वपूर्ण पार्टी लेन-देन नहीं किए हैं जो बैंक के हित की दृष्टि से संभाव्य विवाद उत्पन्न करता हो।
- बैंक ने जब से अपने शेयरों को सूचीबद्ध किया है तब से पूंजी बाजार से संबंधित सभी मामलों का पालन किया है।
- दि. 31 मार्च 2011 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में स्टॉक एक्स्चेंजों या ''सेबी'' या अन्य सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा बैंक पर न तो कोई दण्ड लगाया गया है और न ही किसी प्रकार की निन्दा की गयी है।
- समीक्षा अवधि के दौरान बैंक ने भारत सरकार को अधिमान्य आधार पर 5 ,13,17,389 ईक्विटी शेयर जारी करके अपनी ईक्विटी पूँजी में वृद्धि की हैं। निधियों को जुटाने का मुख्य उद्देश्य पूंजी पर्याप्तता अनुपात को मजबूत बनाने हेतु टायर। और टायर॥ पूंजी जुटाना तथा बैंक के दीर्घावधि संसाधनों में सुधार करना है और उसका उपयोग उक्त उद्देश्य के लिए किया गया है।

Accordingly, 5,13,17,389 (Five crore thirteen lacs seventeen thousand and three hundred eighty nine) equity shares were issued and allotted in favour of Government of India on 23-03-2011 @ ₹ 123.35 per share on preferential basis on receipt of funds from them and after obtaining necessary approvals from Bombay Stock Exchange Ltd., (BSE) and National Stock Exchange of India Ltd., (NSE).

The paid up capital of the Bank increased to ₹ 573.29 crore as on 31-03-2011.

GENERAL BODY MEETINGS:

i) In accordance with the provisions under Section 10A(2) of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, the shareholders of our Bank present at an Annual General Meeting shall be entitled to discuss, approve and adopt the Balance Sheet and Profit and Loss account of the Bank made up to the previous 31st day of March, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and accounts.

The details of the last three Annual General Meetings of the Bank are furnished here below.

Nature of General Meeting	Date	Time	Venue
Ninth Annual General Meeting	23-06-2008	11.30 a.m.	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, MANIPAL
Tenth Annual General Meeting	26-06-2009	11.00 a.m.	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, MANIPAL
Eleventh Annual General Meeting	25-06-2010	11.30 a.m.	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, MANIPAL

Special Resolution with regard to Voluntary Delisting of equity shares of the Bank from Bangalore Stock Exchange Ltd. was passed in the Tenth Annual General Meeting held on 26-06-2009. No resolutions have been passed through postal ballots.

At Tenth Annual General Meeting of the Shareholders held on 26-06-2009, Shri M Bhaskara Rao, Shri AR Nagappan and Shri Bhupinder Singh Suri were re-elected as shareholder directors.

ii) The details of Extraordinary General Meetings (EGM) of shareholders are as follows:

Day & Date	Time	Venue	Purpose
Tuesday February 25, 2003	10.00 a.m.	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal	Election of 4 shareholder directors
Friday June 23, 2006	10.00 a.m.	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal	Election of 3 shareholder directors
Saturday March 19, 2011	11.30 a m.	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal	Allotment of equity shares on preferential basis to Government of India

DISCLOSURES:

The Bank is governed under the Banking Regulations Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980. SEBI has clarified that for listed entities which are not companies, but body corporate (e-g. private and public sector banks, financial institutions, insurance companies, etc.) incorporated under other statutes, clause 49 of the listing agreement will apply only to the extent that it does not violate their respective statutes and guidelines issued by the relevant regulatory authorities.

- The related party transactions of the Bank are disclosed in the Notes on Accounts of the Balance Sheet as on 31-03-2011.
- There are no significant related party transactions of the Bank with its subsidiaries, director, management or their relatives, etc. that would have potential conflict with the interests of the Bank at large.
- The Bank has complied with all matters related to Capital Market since its listing of shares.
- There are no penalties or strictures imposed on the Bank by the Stock Exchanges or SEBI or any other Statutory Authority on any matter related to Capital Markets during the last 3 years ended 31st March, 2011.
- During the year under review, the Bank has increased its equity capital by way of Preferential issue of Equity shares of 5,13,17,389 equity shares to Government of India. The funds were raised with the primary objective of augmenting Tier I Capital for strengthening Capital Adequacy Ratio and for improving the long term resources of the Bank and the same were utilized for the said purpose.

- बैंक ने वार्षिक आम बैठक आयोजित की है और पात्र शेयरधारकों को सांविधिक समय सीमा के भीतर लाभांश का भुगतान कर दिया है।
- सूचीकरण करार के खण्ड 49 के अंतर्गत सी.ई.ओ. और सी.एफ.ओ. के प्रमाणपत्रों को बैंक के निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया गया है और जिसकी प्रति इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
- सूचीकरण करार के खण्ड 49 के अनुसार लेखा परीक्षकों से वर्ष 2010-2011 के लिए बैंक में नैगम अभिशासन से संबंधित प्रमाण–पत्र प्राप्त किया गया है, जिसकी प्रति इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

संप्रेषण माध्यम:

बैंक के परिचालन तथा वित्तीय निष्पादन से संबंधित जानकारी, बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से दी जाती है, जिसमें नैगम अभिशासन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, लेखा परीक्षित लेखे, नकदी उपलब्धता विवरण इत्यादि शामिल होते हैं । इसके अलावा, शेयरधारकों को बैंक के निष्पादन/वित्तीय परिणामों की सूचना समाचार पत्रों, बैंक के वेबसाइट (www.syndicatebank.in) तथा स्टॉक एक्स्चेंजों की सूचना के ज़रिए भी दी जाती है। इसके अतिरिक्त, बैंक के त्रैमासिक/अर्ध वार्षिक वित्तीय परिणामों को सामान्य तौर पर राष्ट्रीय अंग्रेज़ी समाचार पत्र जैसे, इकनॉमिक टाइम्स, बिजनेस लाइन, बिजनेस स्टैंडर्ड तथा स्थानीय समाचार पत्र, उदयवाणी में भी प्रकाशित किया जाता है ।

वर्ष के दौरान, बैंक के त्रैमासिक अर्ध–वार्षिक/वार्षिक परिणामों को अन्य समाचार पत्रों के अलावा निम्नलिखित समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया गया :

अवधि	समाचार पत्र का नाम		प्रकाशन की तारीख
	अंग्रेजी	कन्नड	
मार्च 2010 को समाप्त वर्ष	बिजनेस स्टेंडर्ड, मिंट	उदयवाणी	05-05-2010
जून 2010 को समाप्त तिमाही	बिजनेस स्टैंडर्ड	उदयवाणी	01-08-2010
सितंबर 2010 को समाप्त अर्ध–वर्ष	फाइनांशियल एक्सप्रेस, मिंट	उदयवाणी	30-10-2010
दिसंबर 2010 को समाप्त तिमाही	फाइनांशियल एक्सप्रेस, मिंट	उदयवाणी	02-02-2011

सूचीकरण करार के खण्ड 41 की शर्तों के अनुसार, वित्तीय परिणाम और संवेदनशील कीमत की जानकारी स्टॉक एक्स्चेंजों को प्रस्तुत की जाती है ।

शेयरधारकों के लिए सामान्य जानकारी:

1. **बारहवीं वार्षिक आम बैठक एवं वित्तीय कैलेण्डर:**

बैंक के शेयरधारकों की बारहवीं वार्षिक आम बैठक सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल – 576 104 में दिनांक 25 जून 2011 को प्रात: 11.30 बजे होगी और वर्ष 2011-2012 के लिए बैंक का वित्तीय कैलेण्डर निम्नानुसार है:

क्र.सं.	कार्यकलाप का स्वरूप	तारीख
1.	31-03-2011 के वार्षिक वित्तीय लेखों का बोर्ड की बैठक द्वारा अनुमोदन एवं अंतिम लाभांश की सिफारिश करना	12-05-2011
2.	वार्षिक रिपोर्टों का प्रेषण	27-05-2011 से 28-05-2011 तक
3.	लेखा बंदी	17-06-2011 से 25-06-2011 तक
4.	प्रॉक्सी फार्मों की प्राप्ति के लिए अंतिम तारीख	20-06-2011
5.	बारहवीं वार्षिक आम बैठक	25-06-2011
6.	प्रथम तीन तिमाहियों के लिए अ–लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों का प्रकाशन	तिमाही की समाप्ति से 45 दिनों के भीतर

2. **सूचीकरण**

बैंक के शेयरों का निम्नलिखित स्टॉक एक्स्चेंजों में सूचीकरण किया गया है ।

क्र.सं.	एक्स्चेंज का नाम	स्क्रिप कूट
क.	नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ''एक्स्चेंज प्लाज़ा'' बांद्रा–कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पू), मुंबई - 400 051	–
ख.	बंबई स्टॉक एक्स्चेंज लिमिटेड फिरोज जीजीभाई टॉवर्स दलाल स्ट्रीट मुंबई - 400 001	532276

राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड द्वारा बैंक के आबंटित आइ.एस.आइ.एन. कूट आइ.एन.ई 667ए 01018 है ।

- The Bank conducted the Annual General Meeting and paid dividend to the eligible shareholders within the statutory time frame.
- The Certificate of CEO and CFO under Clause 49 of the Listing Agreement has been submitted to the Board of Directors of the Bank and a copy is attached to this Report.
- In terms of Clause 49 of the Listing Agreement, a certificate has been obtained from the Auditors on Corporate Governance in the Bank for the year 2010-2011 and the same is annexed to this Report.

MEANS OF COMMUNICATION:

The information about the operations and financial performance of the Bank is mainly provided through the Annual Report of the Bank, which contains Report of the Board of Directors on Corporate Governance, the Directors' Report, Audited Accounts, Cash Flow Statements, etc. The shareholders are also intimated of the Bank's performance/ financial results on a regular basis through news papers and Website of the Bank (www.syndicatebank.in), besides Notice to Stock Exchanges. Further, the quarterly / half-yearly financial results are generally published in the National English newspapers like Economic Times, Business Line, Business Standard,etc., and in the Regional newspaper, Udayavani.

During the year, the quarterly/half yearly/annual results of the bank were published in the following newspapers in addition to other newspapers:

Period	Name of the Daily		Date of Publication
	English	Kannada	
Year ended March 2010	Business Standard, Mint	Udayavani	05-05-2010
Quarter ended June 2010	Business Standard	Udayavani	01-08-2010
Half year ended September 2010	Financial Express, Mint	Udayavani	30-10-2010
Quarter ended December 2010	Financial Express, Mint	Udayavani	02-02-2011

In terms of clause 41 of the Listing Agreement, the Financial Results and the price sensitive information(s) are furnished to stock exchanges.

GENERAL INFORMATION TO SHAREHOLDERS:

1. Twelfth Annual General Meeting and the Financial Calendar:

The Twelfth Annual General Meeting of the shareholders of the Bank will be held at SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal – 576 104, on Saturday, the 25th June, 2011 at 11.30 a.m. and Financial Calendar of the Bank for the year 2011-2012 is as follows:

Sl. No.	Nature of activity	Date
1.	Board Meeting to approve Annual Financial Accounts as at 31-03-2011 and recommending consideration of Dividend, etc.	12-05-2011
2.	Mailing of Annual Reports	27-05-2011 to 28-05-2011
3.	Book Closure	17-06-2011 to 25-06-2011
4.	Last date for receipt of Proxy Forms	20-06-2011
5.	Twelfth Annual General Meeting	25-06-2011
6.	Publication of un-audited financial results for the first 3 quarters	Within 45 days from the end of the quarter

2. Listing:

The shares of the Bank are listed at the following Stock Exchanges :

Sl. No.	Name of the Exchange	Scrip Code
a	National Stock Exchange of India Ltd. "Exchange Plaza" Bandra-Kurla Complex Bandra (E), Mumbai – 400 051	–
b	Bombay Stock Exchange Ltd., Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street MUMBAI – 400 001	532276

The ISIN Code allotted by National Securities Depositories Limited for the Bank is INE667A01018.

वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान नियत तारीखों के भीतर संबंधित स्टॉक एक्स्चेंजों को कर दिया गया है।

3. **शेयर बाजार आंकड़े:**

वित्तीय वर्ष 2010-2011 के दौरान बंबई स्टॉक एक्स्चेंज लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इण्डिया के साथ किये गए शेयर लेन-देन की प्रमात्रा एवं मासिक उच्च तथा कम भाव दर निम्नानुसार हैं :

वर्ष-मास	बंबई स्टॉक एक्स्चेंज लिमिटेड			नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड		
	उच्च (₹)	कम (₹)	लेन-देन की प्रमात्रा (सं)	उच्च (₹)	कम (₹)	लेन-देन की प्रमात्रा (सं)
अप्रैल - 2010	93.25	85.10	27,22,014	93.25	84.85	1,86,82,503
मई - 2010	92.65	85.20	19,16,562	92.35	85.05	1,28,19,804
जून - 2010	97.25	89.90	28,87,471	97.30	89.85	1,91,54,781
जुलाई - 2010	105.25	91.20	42,83,468	105.25	91.25	2,24,17,727
अगस्त - 2010	120.80	105.60	51,78,161	120.75	105.50	3,26,53,525
सितंबर - 2010	117.35	110.35	30,51,368	117.50	110.45	2,34,62,760
अक्तूबर - 2010	143.35	120.25	59,59,680	143.35	120.35	4,09,87,652
नवंबर - 2010	158.05	127.80	1,04,00,945	158.00	127.80	6,03,14,355
दिसंबर - 2010	142.30	115.75	48,55,502	142.60	115.70	2,83,93,236
जनवरी - 2011	127.70	98.50	70,87,349	127.85	98.15	4,56,07,965
फरवरी - 2011	115.65	101.30	53,24,600	115.70	101.25	3,07,25,978
मार्च - 2011	123.10	112.00	24,55,755	123.40	112.05	1,78,36,573

बीएसई सेन्सेक्स एवं निफ्टी की तुलना में बैंक के शेयर मूल्य का निष्पादन निम्नवत् हैं।

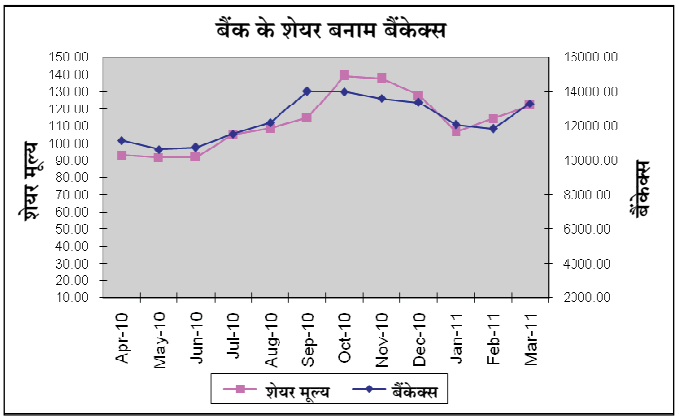

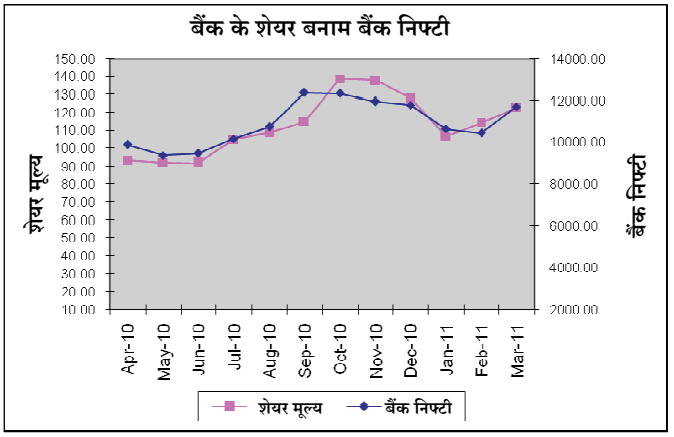

The Annual Listing fees upto 31-03.2012 have been paid to both the Stock exchanges within the prescribed due dates.

3. STOCK MARKET DATA

The monthly high & low quotations and the quantity of Shares traded on Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE) and National Stock Exchange of India Ltd.(NSE) during the Financial Year 2010-2011 is as follows:

Year-Month	BSE			NSE		
	High (Rs.)	Low (Rs.)	Traded Quantity (Nos)	High (Rs.)	Low (Rs.)	Traded Quantity (Nos)
2010 - April	93.25	85.10	27,22,014	93.25	84.85	1,86,82,503
2010 - May	92.65	85.20	19,16,562	92.35	85.05	1,28,19,804
2010 - June	97.25	89.90	28,87,471	97.30	89.85	1,91,54,781
2010 - July	105.25	91.20	42,83,468	105.25	91.25	2,24,17,727
2010 - Aug	120.80	105.60	51,78,161	120.75	105.50	3,26,53,525
2010 - Sept	117.35	110.35	30,51,368	117.50	110.45	2,34,62,760
2010 - Oct	143.35	120.25	59,59,680	143.35	120.35	4,09,87,652
2010 - Nov	158.05	127.80	1,04,00,945	158.00	127.80	6,03,14,355
2010 - Dec	142.30	115.75	48,55,502	142.60	115.70	2,83,93,236
2011 - Jan	127.70	98.50	70,87,349	127.85	98.15	4,56,07,965
2011 - Feb	115.65	101.30	53,24,600	115.70	101.25	3,07,25,978
2011 – Mar	123.10	112.00	24,55,755	123.40	112.05	1,78,36,573

Performance of the Bank's Share Price vis-à-vis BSE Sensex and Bank Nifty are as under:

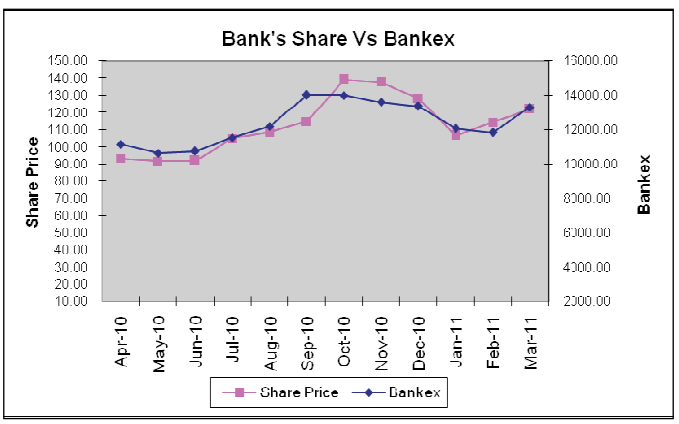

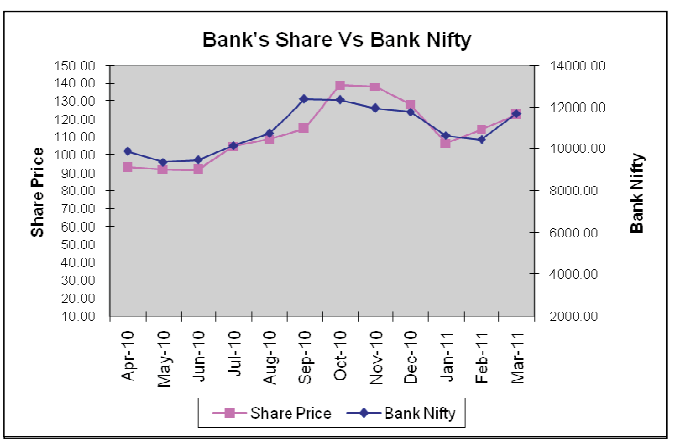

4. **शेयर अंतरण पद्धति एवं रजिस्ट्रार तथा अंतरण अभिकर्ता**

(क) **कागज़ी शेयर**

बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी कागज़ी शेयरों का अंतरण रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंटों के पास दर्ज करने की तारीख से एक महीने की अवधि के अंदर प्रभावी हैं । बैंक द्वारा जारीकृत शेयरों के प्रभावी अंतरण हेतु बोर्ड ने शेयर अंतरण समिति का गठन किया है जिसकी नियमित अन्तरालों में बैठक होती हैं ।

बैंक ने मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को अपने रजिस्ट्रार एवं अंतरण अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया है । रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ताओं के कार्यालय द्वारा शेयर अंतरण, लाभांश का भुगतान एवं सभी अन्य निवेशकों संबंधी कार्यकलाप देखे जाते हैं और संसाधित किए जाते हैं । शेयरधारक, अंतरण पत्र एवं कोई अन्य दस्तावेज, परिवाद तथा शिकायतें रजिस्ट्रार एवं अंतरण अभिकर्ताओं को नीचे दिए गए पते पर भेज सकते हैं :

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर (प्राइवेट) लिमिटेड
यूनिट : सिंडिकेटबैंक
प्लाट नंबर 17 से 24
विट्ठलराव नगर, माधापुर, हैदराबाद – 500 081
दूरभाष : 040 44655000-विस्तार 116 या 040 44655116 (सीधा)
फैक्स : 040-23420814

(ख) **बेकागज़ी शेयर**

बैंक के शेयरों का लेन-देन नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज आफ इण्डिया लिमिटेड के पास अनिवार्य रूप से आइ एस आइ एन कूट आइ एन ई 667A01018 और बंबई स्टॉक एक्स्चेंज लि. के पास स्क्रिप कूट सं. 532276 के अंतर्गत किया जाता है। राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) और केन्द्रीय निक्षेपागार सेवा लिमिटेड (सीएसडीएल) बैंक के शेयरों को बेकागज़ीकृत रूप में रखनेवाले निक्षेपागार हैं।

सेबी परिपत्र सं. डी एण्ड सी. सी./एफ.आइ.टी.टी.सी./सी.आइ.आर. 16 दि. 31-12-2002 के अनुसार बैंक ने दोनों निक्षेपागारों यानि एन.एस.डी.एल. और सी.डी.एस.एल. के साथ कुल स्वीकृत पूंजी तथा बैंक की कुल निर्गत और सूचीबद्ध पूंजी के समाधान के उद्देश्य हेतु और सेबी के निदेशों के अंतर्गत आनेवाले अन्य मामलों में एक व्यवसायी कंपनी सचिव यानि मेसर्स के. के. राव एण्ड एसोसिएट्स, हैदराबाद द्वारा त्रैमासिक आधार पर सचिवीय लेखा परीक्षा करवायी। इस संबंध में निर्गत रिपोर्ट को बैंक के निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया और बी.एस.ई. तथा एन.एस.ई. को अग्रेषित किया गया जहाँ पर बैंक के ईक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध किया गया है।

शेयर बाजारों के साथ किये गए सूचीकरण करार के खण्ड 47 (सी) के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ अंतरण, संप्रेषण, सब-डिविजन, समेकन, नवीकरण और ईक्विटी शेयरों का विनिमय के संबंध में व्यवसायी कंपनी सचिव यानी मेसर्स के. के. राव एण्ड एसोसिएट्स हैदराबाद से हर छह महीने में प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। उक्त प्रमाणपत्रों को निर्धारित समय के भीतर बी. एस. ई. और एन. एस. ई. को अग्रेषित किया गया है।

उक्त तारीख तक, बैंक के कुल शेयर होल्डिंग के 95.59% को बेकागजीकृत किया गया है और केन्द्र सरकार द्वारा 398285671 ईक्विटी शेयर के रूप में रखी गयी संपूर्ण शेयर पूंजी का हिस्सा कुल प्रदत्त पूंजी का 69.47% है जो बेकागजीकृत फार्म में है।

दि. 31-03-2011 की स्थिति के अनुसार शेयरधारकों द्वारा बेकागजी रूप में और कागज़ी रूप में रखे गए शेयरों के विवरण:

	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयर होल्डिंग की प्रतिशतता
क. कागजी रूप में	1,22,509	7,67,13,688*	13.38*
ख. बेकागजीकृत			
एन.एस्.डी.एल.	1,08,334	14,10,28,233	24.60
सी.डी.एस.एल.	29,291	35,55,43,750	62.02
कुल	**2,60,134**	**57,32,85,671**	**100.00**

* दि. 23-03-2011 को भारत सरकार को आबंटित 5,13,17,389 ईक्विटी शेयर शामिल हैं जिनको दि. 01-04-2011 को बेकागजीकृत किया गया है।

4. SHARE TRANSFER SYSTEM, REGISTRAR AND TRANSFER AGENTS

(a) Physical Shares

The Bank ensures that all transfers of physical shares are duly effected within a period of one month from the date of their lodgment with the Registrar and Share Transfer Agents. The Board has constituted Share Transfer Committee, which meets at regular intervals for effecting transfer of shares issued by the Bank.

The Bank has appointed M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd., Hyderabad as its Registrars and Share Transfer Agents. Share transfers, Dividend payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of the Registrars and Share Transfer Agents. Shareholders may lodge the transfer deeds and any other documents, grievances and complaints with the Registrars and Transfer agents at the following address:

M/s. Karvy ComputerShare (P) Ltd.
UNIT: SyndicateBank
Plot No. 17 to24,
Vithalrao Nagar, Madhapur,
HYDERABAD – 500 081
Phone No. 040 44655000 – Extn; 116 or 040 44655116 (D)
Fax No. 040 23420814

(b) Shares in demat form

The Bank's shares are traded compulsorily in demat mode under ISIN Code INE667A01018 with National Stock Exchange of India Ltd. and Scrip Code No.532276 with Bombay Stock Exchange Ltd. The National Securities Depository Ltd., (NSDL) and the Central Depository Services Ltd. (CDSL) are the depositories holding the Bank's share in demat mode.

In terms of SEBI's Circular No. D &CC/FITTC/CIR-16 dated 31-12-2002, a Secretarial Audit is conducted on a quarterly basis by a Practicing Company Secretary, viz. M/s. K K Rao and Associates, Hyderabad, for the purpose of reconciliation of the total admitted capital with both depositories i.e. NSDL and CDSL and the total Issued and Listed Capital of Syndicate Bank and in respect of other matters covered under the directions of SEBI. Report issued in this regard is placed before the Board of Directors of the Bank and forwarded within 30 days from the end of the quarter to BSE and NSE, where the equity shares of the Bank are listed.

As required under Clause 47(C) of the Listing Agreements entered into with the stock exchanges, a certificate is obtained every six months from a practicing Company Secretary viz. M/s. K K Rao and Associates, Hyderabad, every six months with regard to inter-alia, effecting transfer, transmission, sub-division, consolidation, renewal and exchange of equity shares within one month of the lodgement. The certificates are forwarded to BSE and NSE, within the prescribed time limits.

As on date, 95.59% of the total shareholding of the Bank has been dematerialized and the entire share capital held by the Central Government i.e., 39,82,85,671 equity shares constituting 69.47% of the total paid-up capital is in dematerialized form.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by the Shareholders as on 31.03.2011 are as under:

	No. of Shareholders	No. of Shares	Percentage of Shareholding
A. PHYSICAL	1,22,509	7,67,13,688*	13.38*
B. DEMAT			
• NSDL	1,08,334	14,10,28,233	24.60
• CDSL	29,291	35,55,43,750	62.02
TOTAL	**2,60,134**	**57,32,85,671**	**100.00**

* includes 5,13,17,389 equity shares allotted to Government of India on 23-03-2011, which were dematerialised on 01-04-2011.

5. **शेयरधारण का पैटर्न**

31-03-2011 को **सिंडिकेट बैंक** की शेयरधारण पैटर्न (ईक्विटी शेयर पूंजी) निम्नानुसार है:

क्र. सं.	श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारण का प्रतिशत
ए.	**प्रवर्तक का धारण**		
1	**प्रवर्तक**		
	भारत सरकार	398285671	69.47
	विदेशी प्रवर्तक	कुछ नहीं	
2	**सहमति से कार्य करनेवाले व्यक्ति**	कुछ नहीं	
	कुल	**398285671**	**69.47**

क्र. सं.	श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारण का प्रतिशत
बी.	**गैर–प्रवर्तक धारण**		
3	**संस्थागत निवेशक**		
क.	म्यूच्युअल फंड्स एवं यू.टी.आई.	1060313	0.19
ख.	बैंकों, वित्तीय संस्थाएँ, बीमा कंपनियाँ (केन्द्रीय/राज्य सरकारी संस्थाएँ/गैर–सरकारी संस्थाएँ)	69335177	12.09
ग.	एफ.आइ.आइ.	25220036	4.40
	उप–जोड़	**95615526**	**16.68**
4	**अन्य**		
क.	निजी नैगम निकाय	14446327	2.52
ख.	भारतीय जनता	62849881	10.96
ग.	एनआरआइ/ओसीबी	1073563	0.19
घ.	अन्य	1014703	0.18
	उप–जोड़	**79384474**	**13.85**
	गैर–प्रवर्तक धारण की जोड	**175000000**	**30.53**
	कुल जोड़	**573285671**	**100.00**

दि. 31-03-2011 को 1% से अधिक शेयर रखनेवाले बैंक के शेयरधारकों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

श्रेणी	शेयरधारकों के नाम	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारण का %
प्रायोजक	**भारत का राष्ट्रपति, भारत सरकार** निदेशक, वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) संसद मार्ग नई दिल्ली	**398285671**	**69.47**
बीमा कंपनियां	**भारतीय जीवन बीमा निगम**	**59738147**	**10.42**
	कुल	**458023818**	**79.89**

6. **शेयर वितरण पैटर्न**

क्र. सं.	नाममात्र मूल्य के शेयरधारण (रुपए)	शेयरधारकों की संख्या	कुल की प्रतिशतता	शेयरों की सं.	रकम (रुपए)	कुल की प्रतिशतता
1	500 **तक**	33251	12.78	9,42,412	94,24,120	0.16
2	501 - 1000	97205	37.37	95,93,762	9,59,37,620	1.67
3	1001 - 2000	57981	22.29	1,06,65,481	10,66,54,810	1.86
4	2001 - 3000	20137	7.74	56,88,263	5,68,82,630	0.99
5	3001 - 4000	29119	11.19	1,15,15,623	11,51,56,230	2.01
6	4001 - 5000	7559	2.91	36,01,764	3,60,17,640	0.63
7	5001 - 10000	10118	3.89	77,58,298	7,75,82,980	1.35
8	10001 -50000	4057	1.56	80,65,018	8,06,50,180	1.41
9	50001 -100000	318	0.12	23,24,098	2,32,40,980	0.41
10	100001 **और अधिक**	389	0.15	51,31,30,952	513,13,09,520	89.51
	कुल	**260134**	**100.00**	**57,32,85,671**	**573,28,56,710**	**100.00**

5. Shareholding Pattern

The shareholding pattern (equity share capital) as on 31-03-2011 is as follows:

Sl. No.	Category	No. of Shares held	Percentage of shareholding
A	**Promoter's Holding**		
1	Promoters		
	Government of India	398285671	69.47
	Foreign promoters	NIL	
2	Perosons acting in concert	NIL	
	Total	**398285671**	**69.47**

Sl. No.	Category	No. of Shares held	Percentage of shareholding
B	**Non–Promoter Holding**		
3	Institutional Investor		
a	Mutual Funds and UTI	1060313	0.19
b	Banks, Financial Institutions, Insurance Companies (Central/ State Govt. Institutions/Non-government Institutions)	69335177	12.09
c.	FII's	25220036	4.40
	Sub Total	**95615526**	**16.68**
4	Others		
a	Private Corporate Bodies	14446327	2.52
b	Indian Public	62849881	10.96
c	NRIs/OCBs	1073563	0.19
d	Any Others	1014703	0.18
	Sub Total	**79384474**	**13.85**
	Total Non-Promoters Holding	**175000000**	**30.53**
	Grand Total	**573285671**	**100.00**

Details of shareholding of more than 1% of the paid up share capital as on 31-03-2011

Category	Name of the Shareholder	No. of Shares	% of shareholding
Promoters	**President of India, Government of India** The Director, Ministry of Finance Department of Economic Affairs (Banking Division) Sansad Marg, New Delhi	**398285671**	**69.47**
Insurance Companies	**Life Insurance Corporation of India**	**59738147**	**10.42**
	Total	**458023818**	**79.89**

6. Distribution Pattern

Sl. No.	Shareholding of Nominal Value of (₹.)	No. of Shareholders	%age of Total	No. of Shares	Amount (₹.)	%age to Total
1	Upto 500	33251	12.78	9,42,412	94,24,120	0.16
2	501 - 1000	97205	37.37	95,93,762	9,59,37,620	1.67
3	1001 - 2000	57981	22.29	1,06,65,481	10,66,54,810	1.86
4	2001 - 3000	20137	7.74	56,88,263	5,68,82,630	0.99
5	3001 - 4000	29119	11.19	1,15,15,623	11,51,56,230	2.01
6	4001 - 5000	7559	2.91	36,01,764	3,60,17,640	0.63
7	5001 - 10000	10118	3.89	77,58,298	7,75,82,980	1.35
8	10001 -50000	4057	1.56	80,65,018	8,06,50,180	1.41
9	50001 -100000	318	0.12	23,24,098	2,32,40,980	0.41
10	100001 and above	389	0.15	51,31,30,952	513,13,09,520	89.51
	TOTAL	**260134**	**100.00**	**57,32,85,671**	**573,28,56,710**	**100.00**

7. **दि. 31-03-2011 तक शेयरधारकों का भौगोलिक फैलाव**

स्थान	कागजी			बेकागजी			कुल		
	शेयरधारकों की सं.	शेयरधारण की सं.	शेयरधारण की प्रतिशतता	शेयरधारकों की सं.	शेयरधारण की सं.	शेयरधारण की प्रतिशतता	शेयरधारकों की सं.	शेयरधारण की सं.	शेयरधारण की प्रतिशतता
दिल्ली	7915	53465190	9.32	10851	351522097	61.31	18766	404987287	70.64
जीओआई	–	51317389	8.95	1	346968282	60.52	1	398285671	69.47
अन्य	7915	2147801	0.37	10850	4553815	0.79	18765	6701616	1.17
बेंगलूर	11709	2483271	0.43	11946	2951691	0.51	23655	5434962	0.95
चेन्नई	3936	803600	0.14	6884	1828049	0.32	10820	2631649	0.46
हैदराबाद	4373	964600	0.17	5310	1739487	0.30	9683	2704087	0.47
कोलकाता	1626	413001	0.07	4294	8814403	1.54	5920	9227404	1.61
मंगलूर	1833	389725	0.07	2331	803339	0.14	4164	1193064	0.21
मुंबई	4734	1144112	0.20	16054	106792272	18.63	20788	107936384	18.83
उडुपि	1962	397700	0.07	1697	595482	0.10	3659	993182	0.17
अन्य स्थान	84421	16652489	2.90	78258	21525163	3.75	162679	38177652	6.66
कुल	**122509**	**76713688**	**13.38**	**137625**	**496571983**	**86.62**	**260134**	**573285671**	**100.00**

8. **स्थायी खाता संख्या (पैन)**

सेबी के निदेशों और सूचीकरण करार में किए गए संशोधन के अनुसार कागजी शेयरों के निम्नलिखित लेन-देनों के लिए अंतरिती/अंतरितियों द्वारा पैन कार्ड की साक्ष्यांकित प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है :

- शेयरों का अंतरण
- दिवंगत शेयरधारकों के नाम को हटाना
- विधिक वारिस के नाम पर शेयरों को अंतरित करना
- शेयरों का क्रम परिवर्तन – यदि नामों के क्रम में परिवर्तन हो ;
- पते में हुए परिवर्तन को नोट करने
- ई. सी. एस. अधिदेश नोट करने

9. **नामांकन सुविधा**

बैंक का प्रत्येक शेयरधारक किसी भी समय निर्धारित ढंग से किसी एक व्यक्ति को नामित कर सकता है, जिसे उसकी मृत्यु के पश्चात् बैंक में धारित शेयर प्रदान किए जा सकें । जहाँ शेयर एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारित हैं तो संयुक्त धारक मिलकर नियत तरीके से एक व्यक्ति को नामित करें जिसे सभी संयुक्त धारियों की मृत्यु के संदर्भ में बैंक शेयरों के सभी हक प्रदान किए जाएं।

तदनुसार, कागज़ी रूप से शेयरों को रखनेवाले शेयरधारी बैंक के साथ या रजिस्ट्रार और बैंक के अंतरण अभिकर्ताओं के साथ विधिवत् भरे गए फार्म 2बी (संलग्न) दायर करके नामांकन सुविधा प्राप्त कर सकते हैं । बेकागज़ीकरण धारणों के संदर्भ में नामांकन न्यासी साझेदार द्वारा नियत की गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

10. **अदावी लाभांश**

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम जो दि. 16-10-2006 से लागू हुआ, के अनुसार बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 में एक नयी धारा 10 बी. शामिल की गयी है, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं :

- यदि कोई शेयरधारक लाभांश घोषित करने की तारीख से 30 दिनों की अवधि समाप्ति के बाद 7 दिनों के भीतर लाभांश का नकदीकरण/दावा नहीं करता है तो बैंक के चालू खाते में पड़ी ऐसी रकम को ''वर्ष .... के लिए सिंडिकेट बैंक के अप्रदत्त लाभांश'' नामक एक पृथक खाते में अंतरित किया जाए।
- ''अप्रदत्त लाभांश खाते'' में अंतरित धन राशि जो ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त या अदावी रहती है तो, उक्त धनराशि को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी की उप धारा (1) के अंतर्गत निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को अंतरित किया जाए।

तदनुसार, पिछले वर्षों से संबंधित अप्रदत्त लाभांश को सिंडिकेट बैंक अप्रदत्त लाभांश खाते में जमा किया गया है। अतएव, ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए अप्रदत्त या अदावी रहनेवाली ऐसी धनराशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाएगा।

7. Geographical Spread of Shareholders as on 31-03-2011

	PHYSICAL			DEMAT			TOTAL		
Places	**No. of Share-holders**	**No. of shares**	**% holding**	**No. of share-holders**	**No. of shares**	**% holding**	**No. of share-holders**	**No. of shares**	**% holding**
Delhi	7915	53465190	9.32	10851	351522097	61.31	18766	404987287	70.64
- GOI	–	51317389	8.95	1	346968282	60.52	1	398285671	69.47
- Others	7915	2147801	0.37	10850	4553815	0.79	18765	6701616	1.17
Bangalore	11709	2483271	0.43	11946	2951691	0.51	23655	5434962	0.95
Chennai	3936	803600	0.14	6884	1828049	0.32	10820	2631649	0.46
Hyderabad	4373	964600	0.17	5310	1739487	0.30	9683	2704087	0.47
Kolkata	1626	413001	0.07	4294	8814403	1.54	5920	9227404	1.61
Mangalore	1833	389725	0.07	2331	803339	0.14	4164	1193064	0.21
Mumbai	4734	1144112	0.20	16054	106792272	18.63	20788	107936384	18.83
Udupi	1962	397700	0.07	1697	595482	0.10	3659	993182	0.17
Others	84421	16652489	2.90	78258	21525163	3.75	162679	38177652	6.66
TOTAL	**122509**	**76713688**	**13.38**	**137625**	**496571983**	**86.62**	**260134**	**573285671**	**100.00**

8. PERMANENT ACCOUNT NUMBER (PAN)

As per SEBI directive and amendment to the Listing Agreement, submission of attested copy of PAN card by the Transferee/s, is made mandatory for the following type of transactions of physical shares:

- Transfer of Shares
- Deletion of name of the deceased shareholder/s.
- Transmission of shares to the legal heir/s
- Transposition of shares – when there is a change in the order of names;
- For noting Change of Address
- For noting ECS Mandate

9. NOMINATION FACILITY

Every shareholder of the Bank may, at any time, nominate, in the prescribed manner, a person to whom his / her shares in the Bank shall vest in the event of his / her death. Where more than one person holds the shares jointly, the joint holders may together nominate, in the prescribed manner, a person to whom all the rights in the shares of the Bank shall vest, in the event of death of all the joint holders.

Accordingly, the shareholders holding the shares in physical form can avail the nomination facility by filing Form 2B (annexed) with the Bank or with the Registrars and Share Transfer Agents of the Bank. In case of dematerialised holdings, nomination may be done as per the procedure prescribed by Depository Participant.

10. UNCLAIMED DIVIDEND

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, which has come into force on 16-10-2006, has inserted a new Section 10 B in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, which provides as under:

- Within 7 days from the expiry of 30 days from the date of declaration, if any shareholder has not encashed / claimed the dividend, such amounts lying in the Bank Current Account, have to be transferred to a separate account styled "Unpaid Dividend of Syndicate Bank for the year ……."
- Any money transferred to the Unpaid Dividend Account, which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer, shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established under Sub-Section (1) of Section 205C of the Companies Act, 1956.

Accordingly, the unpaid dividend of previous years has been transferred to Unpaid Dividend accounts of Syndicate Bank and hence, such monies remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund.

The Details of Unpaid Dividend accounts of the Bank and the due date for transfer to IEPF are as under:

क्र. सं.	अदत्त लाभांश के ब्यौरे	चालू खाता सं.	धोषणा की तारीख	दि. 31-03-2011 तक की शेष राशि	आइ.ई.पी. एफ. को अंतरित करने हेतु निर्दिष्ट तारीख
1	लाभांश 1999-2000	0400.101.7950	25-05-2000	25,34,187	16-10-2013
2	लाभांश 2000-01	0400.101.8668	02-07-2001	51,51,932	16-10-2013
3	लाभांश 2001-02	3008.101.2122	30-05-2002	59,79,984	16-10-2013
4	लाभांश 2002-03	3008.101.2174	11-06-2003	78,12,181	16-10-2013
5	अंतरिम लाभांश 2003-04	3008.101.2214	10-12-2003	59,17,010	16-10-2013
6	अंतिम लाभांश 2003-04	3008.101.2239	11-06-2004	55,98,114	16-10-2013
7	अंतरिम लाभांश 2004-05	3008.101.4886	31-03-2005	35,22,148	16-10-2013
8	अंतिम लाभांश 2004-05	3008.101.4959	07-06-2005	71,62,176	16-10-2013
9	अंतरिम लाभांश 2005-2006	3008.101.5371	16-02-2006	75,57,852	16-10-2013
10	अंतिम लाभांश 2005-2006	3008.101.5739	20-07-2006	54,92,371	16-10-2013
11	अंतरिम लाभांश 2006-2007	3008.101.6093	20-12-2006	72,55,733	20-12-2013
12	अंतिम लाभांश 2006-2007	3008.101.6672	16-07-2007	74,73,907	16-07-2014
13	अंतरिम लाभांश 2007-2008	3008.101.7530	11-04-2008	93,80,930	11-04-2015
14	अंतिम लाभांश 2007-2008	3008.101.7839	18-07-2008	80,70,465	18-07-2015
15	अंतरिम लाभांश 2008-2009	3008.101.8078	29-04-2009	1,04,88,810	29-04-2016
16	अंतिम लाभांश 2008-2009	3008.101.8160	21-07-2009	1,09,67,817	21-07-2016
17	लाभांश 2009-2010	3008.101.8416	06-07-2010	2,14,92,738	06-07-2017

जिन शेयरधारकों ने बैंक के लाभांश वारंटों को न भुनाया हो, उनसे अनुरोध है कि वे सहायता के लिए बैंक के निवेशक संबंध केन्द्र, नैगम कार्यालय, बेंगलूर से संपर्क करें।

11. **बकाया जी.डी.आर./ए.डी.आर. या अन्य परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख और ईक्विटी पर संभाव्य प्रभाव:**

बैंक ने कोई जी.डी.आर./ए.डी.आर./वारंट या अन्य परिवर्तनीय लिखतों को जारी नहीं किया है।

12. **गैर – परिवर्तनीय बंध पत्र**

बैंक ने समय-समय पर वचन-पत्रों के रूप में गैर-परिवर्तनीय बंधपत्र जारी किए हैं। दि. 31-03-2011 की स्थिति के अनुसार बकाया रहनेवाले ऐसे बंधपत्रों के विवरण निम्नलिखित हैं:

श्रृंखला	आबंटन की तारीख	रकम करोड़ (रुपयों में)	अवधि (महीने में)	कूपन % (प्र.व.)	मोचन की तारीख
शृंखला V	26-03-2004	125.00	120	6.00	26-03-2014
शृंखला VI	29-09-2004	200.00	116	6.90% प्र.व.	29-05-2014
शृंखला VII	20-12-2004	100.00	120	7.50% प्र.व.	20-12-2014
शृंखला VIII	20-06-2005	500.00	118	7.40% प्र.व.	20-04-2015
शृंखला IX	15-12-2005	500.00	112	7.60% प्र.व.	15-04-2015
अपर टायर II श्रृंखला I	27-07-2006	619.60	180	9.35% प्र.व.	27-07-2021
अपर टायर II श्रृंखला II	28-02-2007	200.10	180	9.30% प्र.व.	28-02-2022
आइ.पी.डी.आई.* टायर I श्रृंखला I	25-03-2008	240.00	-	9.90% प्र.व.	बेमीयादी
लोवर टायर II श्रृंखला X	26-12-2008	300.00	120	8.60% प्र.व.	26-12-2018
आई.पी.डी.आई.* टायर I श्रृंखला II	12-01-2009	339.00	-	9.40% प्र.व.	बेमीयादी
लोवर टायर II श्रृंखला XI	15-06-2009	200.00	120	8.49% प्र.व.	15-06-2019
आइ.पी.डी.आइ. टायर I श्रृंखला III	29-06-2009	194.00	-	8.90% प्र.व.	बेमीयादी
	कुल	**3517.70**			

*आइ.पी.डी.आई.- नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत

नोट: यदि आबंटन की तारीख से 10 वें वर्ष के अंत तक मांग विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है तो 0.50% प्र.व. की निर्धारित कूपन-दर आगे की अवधि के लिए देय होगी।

13. **अदावी शेयर**

''सेबी'' द्वारा प्रवर्तित सूचीकरण करार के खण्ड 5 ए के अनुसार तथा उनके परिपत्र सं- सेबी/सी.एफ.डी./डी.आइ.एल./एल.ए./1/2009/24/04 दि. 24-04-2009 के अनुसार बैंक अदावी शेयरों को किसी एक निक्षेपागार सहभागी के पास जारीकर्ता द्वारा खोले गए डिमैट उचंत खाते में जमा किया जाए।

बैंक एफ.पी.ओ. के अदावी शेयरों के संबंध में एक एस्क्रो खाता रखता है। दि. 31-03-2011 की स्थिति के अनुसार उक्त खाते के ब्यौरे निम्नवत् हैं:

निक्षेपागार सहभागी का नाम	सिंडिकेट बैंक
डी.पी.आइ.डी./सी.एल.आइ.डी.	1305060000006734
नाम	सिंडिकेट बैंक - अदावी उचंत खाता-डी. मैट शेयर
निक्षेपागार सहभागी का पता	सिंडिकेट बैंक, बंजारा हिल्स, हैदराबाद - 500 034

The Details of Unpaid Dividend accounts of the Bank and the due date for transfer to IEPF are as under:

Sl. No.	Details of Unpaid Dividend	Current Account No.	Date of Declaration	Balance as on 31-03-2011 (₹.)	Due date of transfer to IEPF
1	Dividend 1999-2000	0400.101.7950	25-05-2000	25,34,187	16-10-2013
2	Dividend 2000-01	0400.101.8668	02-07-2001	51,51,932	16-10-2013
3	Dividend 2001-02	3008.101.2122	30-05-2002	59,79,984	16-10-2013
4	Dividend 2002-03	3008.101.2174	11-06-2003	78,12,181	16-10-2013
5	Interim Dividend 2003-04	3008.101.2214	10-12-2003	59,17,010	16-10-2013
6	Final Dividend 2003-04	3008.101.2239	11-06-2004	55,98,114	16-10-2013
7	Interim Dividend 2004-05	3008.101.4886	31-03-2005	35,22,148	16-10-2013
8	Final Dividend 2004-05	3008.101.4959	07-06-2005	71,62,176	16-10-2013
9	Interim Dividend 2005-2006	3008.101.5371	16-02-2006	75,57,852	16-10-2013
10	Final Dividend 2005-2006	3008.101.5739	20-07-2006	54,92,371	16-10-2013
11	Interim Dividend 2006-2007	3008.101.6093	20-12-2006	72,55,733	20-12-2013
12	Final Dividend 2006-2007	3008.101.6672	16-07-2007	74,73,907	16-07-2014
13	Interim Dividend 2007-2008	3008.101.7530	11-04-2008	93,80,930	11-04-2015
14	Final Dividend 2007-2008	3008.101.7839	18-07-2008	80,70,465	18-07-2015
15	Interim Dividend 2008-2009	3008.101.8078	29-04-2009	1,04,88,810	29-04-2016
16	Final Dividend 2008-2009	3008.101.8160	21-07-2009	1,09,67,817	21-07-2016
17	Dividend 2009-2010	3008.101.8416	06-07-2010	2,14,92,738	06-07-2017

Such of those shareholders, who have not encashed their Dividend Warrants, are requested to approach Investor Relations Centre of the Bank at Corporate Office, Bengaluru for assistance.

11. Outstanding GDRs/ADRs or any Convertible Instruments, Conversion Date and likely impact on Equity:
The Bank has not issued any GDRs/ ADRs / Warrants or any convertible instruments.

12. Non-Convertible bonds.
The Bank has raised non-convertible bonds in the nature of Promissory Notes from time to time. The details of such bonds outstanding as on 31-03-2011 are as follows:

Series	Date of Allotment	Size (₹ In crore)	Tenor (in months)	Coupon (% p.a.)	Redemption date
Series V	26-03-2004	125.00	120	6.00% p.a.	26-03-2014
Series VI	29-09-2004	200.00	116	6.90% p.a.	29-05-2014
Series VII	20-12-2004	100.00	120	7.50%p.a.	20-12-2014
Series VIII	20-06-2005	500.00	118	7.40% p.a.	20-04-2015
Series IX	15-12-2005	500.00	112	7.60% p.a.	15-04-2015
Upper Tier II Series I	27-07-2006	619.60	180	9.35% p.a.	27-07-2021
Upper Tier II Series II	28-02-2007	200.10	180	9.30% p.a.	28-02-2022
IPDI * Tier I Series I	25-03-2008	240.00	-	9.90% p.a.	Perpetual
Lower Tier II Series X	26-12-2008	300.00	120	8.60% p.a.	26-12-2018
IPDI* Tier I Series II	12-01-2009	339.00	-	9.40% p.a.	Perpetual
Lower Tier II Series XI	15-06-2009	200.00	120	8.49% p.a.	15-06-2019
IPDI Tier I Series III	29-06-2009	194.00	-	8.90%p.a.	Perpetual
	Total	**3517.70**			

* IPDI – Innovative Perpetual Debt Instruments.

Note: Step-up Coupon Rate of 0.50% p.a. is payable for further life, if Call Option is not exercised at the end of 10th year from the date of allotment.

13. Unclaimed Shares
In terms of Clause 5A of the Listing Agreement introduced by SEBI, vide their Circular no. SEBI/CFD/DIL/LA/1/2009/24/04 dated 24-04-2009, the unclaimed shares of the Bank in respect of Demat Shares shall be credited to a Demat Suspense account opened by the issuer with one of the depository participants.
The Bank is maintaining an Escrow account relating to Unclaimed Shares of FPO as per following details as on 31-03-2011:

Name of the Depository Participant	SyndicateBank
DPID /CLID	1305060000006734
Name	SyndicateBank –Unclaimed Suspense Account – Demat Shares
Address of the Depository Participant	SyndicateBank, Banjara Hills Branch, Hyderabad – 500 034

बैंक के अदावी शेयरों (डी. मैट.) के विवरण निम्नवत् है:

विवरण	मामलों की सं.	शेयरों की सं.
1. पिछले वर्ष के प्रारंभ में यानि दि. 01-04-2010 की स्थिति के अनुसार कुल शेयरधारकों की संख्या और उचंत खाते में बकाया शेयरों की संख्या	136	26,194
2. उन शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने वर्ष 2010-11 के दौरान उचंत खाते से शेयरों के निर्गम/रजिस्टर के लिए संपर्क किया है	13	2,937
3. उन शेयरधारकों की संख्या जिनको वर्ष 2010-11 के दौरान उचंत खाते से शेयरों को अंतरित किया गया है।	13	2,937
4. वर्ष के अंत में यानि दि. 31-03-2011 की स्थिति के अनुसार कुल शेयरधारकों की संख्या और उचंत खाते में बकाया शेयरों की संख्या	123	23,257

सेबी ने अपने परिपत्र सं. सी.आइ.आर./सी.एफ.डी./डी.आइ.एल./10/2010 दि. 16-12-2010 के माध्यम से ईक्विटी सूचीकरण करार के खण्ड 5 ए में निम्नलिखित को शामिल करके उसमें कुल संशोधन किया है।

सार्वजनिक निर्गम या अन्य किसी निर्गम के बाद कागज रूप में जारी किए गए शेयरों के मामले यदि वे अदत्त रहते हैं तो, जारीकर्ता कंपनियों से अपेक्षित है कि वे निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें।

(क) रजिस्ट्रार से अपेक्षित है कि वे आवेदन पत्र में तथा कैप्चर्ड डेपोसिटेरी डाटाबेस में दिए गए पते पर कम से कम तीन अनुस्मारक भेजे जिनमें सही ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए। यदि कोई जवाब प्राप्त नहीं होता है तो जारीकर्ता कंपनी को चाहिए कि वे सभी शेयरों को अदावी उचंत लेखे के नाम पर एक ही फोलियों में अंतरित करें।

(ख) जारीकर्ता कंपनी से अपेक्षित है कि वे अदावी उचंत लेखे में रखे गए शेयरों को किसी एक निक्षेपागार के पास बेकागजीकृत करें।

(ग) ऐसे शेयरों पर प्रतिभूतियों की शर्तों के अनुसार उपचय देनेवाले सभी नैगम लाभों को ऐसे अदावी उचंत लेखे में जमा किया जाए ।

(घ) ऐसे शेयरों के मताधिकार को तब तक रोके रखा जाए जब तक अधिकारवान मालिक शेयरों का दावा नहीं करते।

बैंक कागजी रूप में रखे गए अदावी शेयरों के संबंध में निम्नलिखित एस्क्रो खाता रखता है :

निक्षेपागार सहभागी का नाम	सिंडिकेट बैंक
डी.पी.आइ.डी./सी.एल.आइ.डी.	1305060000006721
नाम	सिंडिकेट बैंक – अदावी उचंत खाता–कागजी शेयर
निक्षेपागार सहभागी का पता	सिंडिकेट बैंक बंजारा हिल्स, हैदराबाद – 500 034

बैंक के अदावी शेयरों (कागजी रूप में) के विवरण निम्नवत् है :

विवरण	मामलों की सं.	शेयरों की सं.
शेयरधारकों की कुल संख्या और वर्ष के अंत में या उक्त दिनांक तक उचंत खाते में बकाया शेयरों की संख्या	592	1,19,350

'सेबी' के निदेशों के अनुसार निदेशकों को तीन अनुस्मारक भेजे गए। पुन:, उचंत खाते में रखे गए बकाया अदावी शेयरों मतदान के अधिकारों को तब तक रोक रखा जाएगा जब तक ऐसे शेयरों के अधिकारवान धारक शेयरों का दावा नहीं करता ।

इस प्रकार बैंक ने सूचीकरण करार के खण्ड 5ए का अनुपालन किया है।

सेबी विनियमन 2002 (भेदिया व्यापार) का अनुपालन

विनियमों के अनुसार बैंक ने प्रतिभूतियों के लेन देन हेतु पदनामित कर्मचारियों और निदेशकों के लिए भेदिया व्यापार को रोकने हेतु आधार संहिता निरूपित की है। इन विनियमों की शर्तों के अनुसार बैंक के पदनामित कर्मचारियों और निदेशकों से आवधिक सूचना प्राप्त करने के लिए विभिन्न फार्म तैयार किए गए हैं । पुन:, बैंक के निदेशकों और पदनामित कर्मचारियों दारा बैंक शेयरों के लेन–देन हेतु ट्रेडिंग विंडो को निम्नलिखित विवरण के अनुसार बंद कर दिया गया है:

ट्रेडिंग विंडो को बंद करने की तारीख	बंद करने का उद्देश्य
दि. 24-04-2010 से 05-05-2010 तक	31 मार्च 2010 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय परिणामों की घोषणा
दि. 21-07-2010 से 01-08-2010 तक	30 जून 2010 को समाप्त तिमाही के लिए त्रैमासिक वित्तीय परिणामों की घोषणा
दि. 19-10-2010 से 30-10-2010 तक	30 सितंबर 2010 को समाप्त तिमाही के लिए त्रैमासिक वित्तीय परिणामों की घोषणा
दि. 22-01-2011 से 02-02-2011 तक	31 दिसंबर 2010 को समाप्त तिमाही के लिए त्रैमासिक वित्तीय परिणामों की घोषणा

टेक ओवर कूट

बैंक ने सेबी (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और टेक ओवर) विनियमन 1997 में समय–समय पर यथा संबंधित उपबंधों का पालन किया।

The details of Unclaimed Shares of the Bank (Demat) are as under:

Particulars	No. of Cases	No. of Shares
1. Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account at the beginning of the previous year i.e., as on 01-04-2010	136	26,194
2. Number of shareholders who approached for issue / Register of shares from suspense account during the year 2010-2011	13	2,937
3. Number of shareholders to whom shares were transferred from suspense account during the year 2010-2011	13	2,937
4. Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account at the end of the year i.e., as on 31-03-2011	123	23,257

SEBI vide their Circular No. CIR/CFD/DIL/10/2010 dated 16-12-2010 has introduced certain amendments to Clause 5A of the Equity Listing Agreement, by inserting the following:

"For shares issued in physical form pursuant to a public issue or any other issue, which remain unclaimed, the issuer company agrees to comply with the following procedure:

(a) The registrar to the issue shall send at least three reminders at the address given in the application form as well as captured in depository's database asking for the correct particulars. If no response is received, the issuer company shall transfer all the shares into one folio in the name of "Unclaimed Suspense Account".
(b) The issuer company shall Dematerialise the Shares held in the Unclaimed Suspense Account with one of the Depository Participants.
(c) All corporate benefits in terms of securities accruing on such shares viz. bonus shares, split etc., shall also be credited to such Unclaimed Suspense Account.
(d) The voting rights on such shares shall remain frozen till the rightful owner claims the shares.

The Bank is maintaining an Escrow account relating to Unclaimed Shares issued in physical form as per following details as on date:

Name of the Depository Participant	SyndicateBank
DPID/CLID	1305060000006721
Name	SyndicateBank – Unclaimed Suspense Account – Physical Shares
Address of the Depository Participant	SyndicateBank, Banjara Hills Branch, Hyderabad – 500 034

The details of Unclaimed Shares of the Bank (Physical) are as under:

Particulars	No. of Cases	No. of Shares
Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account at the end of the year i.e. as on date	592	1,19,350

As per the directions of SEBI, three reminders have been sent to the investors. Further, the voting rights on the outstanding unclaimed shares lying in suspense account shall remain frozen, till the rightful owner of such shares claims the shares.

The Bank has, thus, complied with the provisions of Clause 5A of the Listing Agreement.

COMPLIANCE WITH SEBI (PROHIBITION OF INSIDER TRADING) REGULATIONS, 2002

In pursuance of the Regulations, the Bank has formulated Code of Conduct for Prevention of Insider Trading for Designated Employees and Directors for dealing in securities of the Bank. Various forms have been designed to receive periodical information from the Designated Employees and Directors of the Bank, as required in terms of these regulations. Further, the trading Window for dealing in shares of the Bank was closed for the Directors and Designated Employees of the Bank as per the following details:

Dates of closure of Trading Window	Purpose of closure
From 24-04-2010 to 05-05-2010	Declaration of Annual Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2010
From 21-07-2010 to 01-08-2010	Declaration of Quarterly Financial Results for the quarter ended 30th June, 2010
From 19-10-2010 to 30-10-2010	Declaration of Quarterly Financial Results for the quarter ended 30th September, 2010
From 22-01-2011 to 02-02-2011	Declaration of Quarterly Financial Results for the quarter ended 31st December, 2010.

Takeover Code

The Bank has complied with the provisions of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 1997, as amended, from time to time.

नैगम अभिशासन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

(सूचीकरण करार के खण्ड 49(vii) की शर्तों के अनुसार)

सेवा में,

बैंक के सभी शेयरधारक

हमने दि. 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए, सिंडिकेट बैंक द्वारा स्टॉक एक्स्चेंज के साथ किए गए सूचीकरण करारों के संगत खण्डों में यथानिर्दिष्ट नैगम अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है ।

नैगम अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधक वर्ग की जिम्मेदारी है । हमारी जाँच, नैगम अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गयी प्रक्रियाओं तथा उसके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी । यह न तो बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा है न ही उसकी राय की अभिव्यक्ति है।

बैंक द्वारा रखे गए अभिलेखों तथा दस्तावेजों और हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर यह हमारी राय है कि बैंक ने, स्टॉक एक्स्चेंज के साथ किए गए उपर्युक्त सूचीकरण करार में यथानिर्दिष्ट नैगम अभिशासन की निम्नलिखित शर्तों का पालन किया है ।

1. निदेशक मंडल – गठन और क्षतिपूर्ति, समिति में निदेशकों की सदस्यता, निदेशक मंडल की बैठक और आचार संहिता (प्रारूपण बैंक के वेबसाइट में प्रस्तुत करना)
2. लेखा परीक्षा समिति – गठन, अधिकार, बैठक, भूमिका सूचना की समीक्षा इत्यादि
3. सहायक कंपनियाँ
4. प्रकटीकरण
   - क) संगत पार्टी लेन-देन का आधार
   - ख) लेखाकरण प्रक्रिया
   - ग) जोखिम प्रबंधन
   - घ) सार्वजनिक निगम की प्राप्य राशियों की उपयोगिता
   - ङ) निदेशकों का पारिश्रमिक इत्यादि
   - च) प्रबंधन विचार विमर्श और विश्लेषण
   - छ) निदेशकों के बीच अपेक्षा संबंध
5. वित्तीय विवरणों की समीक्षा के संबंध में सी.ई.ओ./सी.एफ.ओ. का प्रमाणीकरण
6. वार्षिक रिपोर्ट में नैगम अभिशासन पर रिपोर्ट

हम यह कहना चाहते हैं कि शेयरधारकों तथा निवेशक शिकायत समिति द्वारा रखे गए अभिलेखों के अनुसार बैंक के विरुद्ध कोई भी निवेशक-शिकायत एक महीने से अधिक अवधि तक लंबित नहीं है ।

हम आगे कहना चाहते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो बैंक की भावी अर्थक्षमता का आश्वासन देता है न ही उसकी दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसके सहारे प्रबंधक वर्ग ने बैंक का कारोबार संभाला है ।

कृते **शेषाद्रि एण्ड एसोसियेट्स**
सनदी लेखाकार
ह/
(के. एस. कृष्ण राव)
साझेदार
सदस्यता सं. 022427

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 12-04-2011

निदेशक मंडल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी/मुख्य वित्तीय अधिकारी का प्रमाणीकरण

(सूचीकरण करार के खण्ड 49 (v) के अंतर्गत)

दिनांक : 07-05-2011

मैं प्रमाणित करता हूँ:

क. मैंने वर्ष 2010-2011 के वित्तीय विवरणों और नकदी उपलब्धता विवरण की समीक्षा की है और कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार:
   - इन विवरणों में कोई भी असत्य कथन शामिल नहीं है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ा नहीं गया है या इसमें ऐसा कोई कथन शामिल नहीं है जो भ्रामक हो;
   - ये विवरण बैंक के कारोबार की सच्ची और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं और उन्हें वर्तमान लेखा मानदण्डों, प्रायोज्य विधियों तथा विनियमों का अनुपालन करते हुए तैयार किया गया है ।

ख. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक द्वारा ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, अवैध या बैंक की आचरण संहिता का उल्लंघन करता हो।

ग. हम बैंक में आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और उसका निर्वहण करने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और कि हमने बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा या परिपालन की विसंगतियों, यदि कोई हो, जिसकी हम भली भांति जानकारी रखते हैं, और इन विसंगतियों का परिशोधन करने के लिए उठाए गए या उठाए जानेवाले कदमों को लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति के ध्यान में लाया है ।

घ. हमने लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित के संबंध में सूचना दी है:
   - वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक नियंत्रण के मामलों में वर्ष 2010-11 के दौरान किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन
   - वर्ष 2010-11 के दौरान लेखाकरण नीतियों में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन और उसका उल्लेख वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया गया है; और
   - हमारे ध्यान में लाए गए महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के मामले और उनमें प्रबंधक वर्ग या किसी कर्मचारी का शामिल होना, यदि कोई हो, जिसका महत्वपूर्ण प्रभाव वित्तीय रिपोर्ट में बैंक के आंतरिक नियंत्रण पर पड़ता है ।

ह/
(एस. के. अबरोल)
महा प्रबंधक (लेखा) और मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/
(बसंत सेठ)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: बेंगलूर

निदेशक मंडल के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक द्वारा बैंक की आचार संहिता के अनुपालन संबंधी घोषणा

एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है कि बैंक ने अपने मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के कर्मचारियों के लिए दि. 22-09-2005 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्दिष्ट आचार संहिता को अपनाया है जिसका कार्यान्वयन दि. 01-10-2005 से हुआ है और आचार संहिता को बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

उपर्युक्त का अनुसरण करते हुए, पुन: अब यह पुष्टि की जाती है कि मंडल के सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के कार्मिकों ने दि. 31-03-2011 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की उपर्युक्त आचार संहिता का पालन करने की पुष्टि की है।

ह/-
(बसंत सेठ)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 12-04-2011

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

(In terms of Clause 49 (vii) of the Listing Agreement)

To All the Shareholders of the Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Syndicate Bank for the year ended 31-3-2011 as stipulated in the relevant Clauses of the Listing Agreements of the said Bank with the Stock Exchanges.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to the procedures and implementation thereof adopted by the Bank for ensuring the compliance of conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion of the financial statements of the Bank.

On the basis of the records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given to us, in our opinion, the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreements with the Stock Exchanges detailed as under:

1) Board of Directors – composition, compensation, Membership of Directors in committees, Board Meetings and Code of Conduct (drafting and placing on the website of the Bank)
2) Audit Committee – Composition, Powers, meetings, role review of information, etc.
3) Subsidiary Companies
4) Disclosures:
   a) Basis of related party transactions
   b) Accounting treatment
   c) Risk Management
   d) Utilisation of public issue proceeds
   e) Remuneration of Directors
   f) Management Discussion and Analysis
   g) Relationships between directors inter-se, etc.
5) CEO/ CFO Certification with respect to review of financial statements
6) Report on Corporate Governance in Annual Report etc.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per records maintained by the shareholders and Investors' Grievance Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For SESHADRI & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Sd/-
(K. S. KRISHNA RAO)
Partner
Membership No. 022427

Place : Bangalore
Date : 12-04-2011

CEO/CFO CERTIFICATION TO THE BOARD

(Under Clause 49(V) of Listing Agreement)

Date: 07-05-2011

I/We Certify that –

a. I/We have reviewed the financial statements and the cash flow statement for the year 2010-2011 and that to the best of our knowledge and belief:
   - These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
   - These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations;
b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year 2010-2011 which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct;
c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of the internal control, if any, of which we are aware of and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
d. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee -
   - Significant changes in internal control over the financial reporting during the year 2010-2011;
   - Significant changes in accounting policies during the year 2010-11 and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
   - Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over the financial reporting.

Sd/-
CHIEF FINANCIAL OFFICER

Sd/-
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Place: BENGALURU

DECLARATION REGARDING COMPLIANCE WITH THE CODE OF CONDUCT OF THE BANK BY BOARD MEMBER AND SENIOR MANAGEMENT PERSONNEL

It is hereby confirmed that the Bank has on 22-09-2005 adopted the Code of Conduct for the Board Members and Senior Management Personnel as laid down by SEBI, for implementation with effect from 01-10-2005 and the said Code of Conduct is posted on the website of the Bank.

In pursuance of the above, it is now further confirmed that the Board Members and Senior Management Personnel have affirmed compliance with the aforesaid Code of Conduct of the Bank for the year ended 31-03-2011.

Sd/-
(Basant Seth)
Chairman & Managing Director

Place : Bangalore
Date : 12-04-2011

बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणाली को सर्वोत्तम कार्यप्रणाली और विनियामक निदेशों के अनुरूप निरंतर स्तरोन्नत और कारगर बना रहा है । बैंक के कारोबार की समग्र संवृद्धि और विकास में जोखिम प्रबंधन के महत्व को स्वीकारते हुए एक संपूर्ण जोखिम प्रबंधन ढाँचा तैयार किया गया है जिसके अंतर्गत जोखिमों की पहचान, निर्धारण, अनुप्रवर्तन, कम करने और उनपर नियंत्रण करने हेतु प्रभावी जोखिम अभिशासन ढांचा, प्रणालियां, नीतियां और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों में नये ढांचे के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न प्रकटीकरणों का उल्लेख किया गया है । निम्नलिखित प्रकटीकरण इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हैं:

लागू करने की व्याप्ति

क) समूह के उस शीर्ष बैंक का नाम जिसके लिए ढाँचा लागू होता है।	**सिंडिकेट बैंक**
ख) लेखाकरण और विनियमन प्रयोजनों के लिए समेकन के आधार में भिन्नताओं की रूपरेखा, समूह के भीतर के संघटनों के विवरण के साथ	लागू नहीं

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

ग) सभी सहायक संस्थाओं की पूँजी की सकल राशि की कमी जो समेकन में शामिल नहीं की गई है, अर्थात् जिनकी कटौती की गई है और ऐसी सहायक संस्थाओं के नाम	लागू नहीं
घ) बीमा संस्थाओं में बैंक के हितों की कुल रकम (उदा: चालू बही मूल्य) जो जोखिम भारित है और उनका नाम, उनके संस्थापन या निवेश का देश, इनमें स्वामित्व हित का अनुपात और यदि भिन्न है तो मतदान अधिकार का अनुपात। इसके अतिरिक्त, कटौती करने के बजाय इस उपाय को अपनाने से विनियामक पूँजी पर पड़नेवाले परिमाणात्मक प्रभाव भी दर्शाएं।	लागू नहीं

पूँजीगत ढाँचा

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

क) सभी पूँजीगत लिखतों की मुख्य विशेषताओं की शर्तों एवं नियमों से संबंधित संक्षिप्त सूचना, खासकर उन पूंजीगत लिखतों के मामले में जो टायर-I या टायर-II में शामिल करने हेतु पात्र हैं ।

बैंक के टायर-I पूँजी में शेयर पूँजी, निर्बंध प्रारक्षित निधियाँ और बैंक द्वारा अर्जित निवल लाभ से विनियोजित कुछ विशिष्ट प्रारक्षित निधियाँ आती हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदण्डों के अनुसार आइपीडीआइ को भी टायर I पूँजी के रूप में परिकलित किया गया है ।

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने ₹10/- अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों को ₹113.35 की प्रीमियम पर 5,13,17,389 इक्विटी शेयर आबंटित किए, जिनकी कुल राशि ₹632,99,99,9341है ।

टायर-II पूँजी में पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधियों की कुछ प्रतिशतता, जोखिम प्रावधान, जिन्हें टायर-II और अपर टायर-II बांड से नहीं घटाया गया है, शामिल हैं । इन बांडों की शर्तें एवं नियम और उन्हें पूँजी निधियों के रूप में संगणित करने के सिद्धांत भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियम के अनुसार हैं।

Bank is continuously upgrading and fine-tuning the Risk Management Systems in tune with best practices and regulatory directions. Recognizing the importance of risk management in the overall growth and development of bank's business, a holistic view of risk management framework has been designed by putting in place an effective risk governance structure, systems, policies and procedures for identification, assessment, monitoring, mitigation and control of risks.

The guidelines issued by Reserve Bank of India, prescribe a series of disclosures in connection with the implementation of the new framework. The following disclosures made are intended to achieve these objectives:

Scope of Application

a) Name of the top Bank in the group to which the framework applies	**Syndicate Bank**
b) An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and regulatory purposes, with brief description of the entities within the group	Not Applicable

Quantitative Disclosures

c) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e., that are deducted and the name(s) of such subsidiaries.	Not Applicable
d) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities. In addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction.	Not applicable

Capital Structure

Quantitative Disclosures

a) Summary information on the terms and conditions of the main features of all capital instruments, especially in the case of capital instruments eligible for inclusion in Tier I or in Upper Tier II.

The Tier I capital of the Bank mainly consists of Share Capital, Free Reserves and certain specific reserves appropriated from the net profit earned by the Bank. Innovative Perpetual Debt Instrument (IPDI) is also reckoned as Tier I Capital as per the RBI norms.

During the FY 2010-11 Bank has allotted 5,13,17,389 equity shares of face value ₹10/- each for cash at a premium of ₹113.35 aggregating to ₹632,99,99,934/-.

Tier II Capital consists of certain percentage of revaluation reserves, risk provision which are not netted off, Tier II and Upper Tier II Bonds. The terms and conditions of these bonds and the principles of reckoning them as capital funds are guided by RBI regulation.

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने लोवर टीयर–II बंधपत्र जुटाया है ।

(₹ करोडों में)

ख) निम्नलिखित के प्रकटीकरण के साथ टीयर–1 पूँजी की रकम	**7413.12**
• प्रदत्त शेयर पूँजी	573.29
• प्रारक्षित निधियाँ	6083.51
• नवोन्मेषी लिखतें	773.00
• अन्य पूँजी लिखतें	–
• टीयर I पूँजी, से कटौती की गई रकम, सहयोगी संस्थाओं में ईक्विटी निवेश	16.68
ग) टीयर–II पूँजी की कुल रकम (टीयर–II पूँजी से कटौती निवल)	**2974.63**
घ) ऋण पूँजी लिखतें, जो अपर टीयर– कटौती पूँजी में शामिल करने के लिए पात्र हैं	
बकाया कुल रकम	819.70
उसमें से चालू वर्ष के दौरान जुटाई गई रकम	-
पूँजी निधियों के रूप में गणना में ली जानेवाली पात्र रकम	819.70
ङ) गौण ऋण, जो लोवर टीयर–II पूँजी में शामिल करने	
के लिए पात्र है – बकाया कुल रकम	1925.00
उसमें से चालू वर्ष के दौरान जुटाई गई रकम	
पूँजी निधियों के रूप में गणना में ली जानेवाली पात्र रकम	1530.00
च) पूँजी से की गई अन्य कटौतियाँ, यदि कोई हों सहायक संस्थाओं में ईक्विटी निवेश (50%)	16.67
छ) कुल पात्र पूँजी	**10387.75**

पूँजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) वर्तमान और भविष्य के कार्यकलापों को समर्थन प्रदान करने हेतु अपनी पूँजी पर्याप्तता को निर्धारित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के संबंध में संक्षिप्त विचार विमर्श:

i) बैंक ने 17% की अनुमानित ऋण संवृद्धि के आधार पर 11.50% के सी.आर.ए.आर. का लक्ष्य रखा है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण अगले चार वर्षों के दौरान 8% के टायर1 सी.आर.ए.आर. के साथ 12% का सी.आर.ए.आर. रखने का लक्ष्य रखा गया है ।

ii) कारोबार ढांचा और अनुमानित संवृद्धि पर विचार करते हुए निम्नलिखित के संदर्भ में पूंजी का निर्धारण किया गया है:

पिलर I जोखिम, यानि:

1. ऋण जोखिम – मानकीकृत दृष्टिकोण
2. बाजार जोखिम – मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण
3. परिचालन जोखिम – मूल सूचक दृष्टिकोण और

पिलर II जोखिम, यानि:

4. संकेंद्रण जोखिम
5. चलनिधि जोखिम
6. बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम
7. अवशिष्ट जोखिम
8. प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम
9. रणनीति संबंधी जोखिम
10. अर्जन संबंधी जोखिम
11. पूंजीगत जोखिम

During the FY 2010-11 Bank has not raised any Lower Tier II Bonds.

(₹ in crs)

b) The amount of Tier I capital, with separate disclosure of	**7413.12**
• Paid-up share capital	573.29
• Reserves	6083.51
• Innovative instruments	773.00
• Other capital instruments	–
• Amounts deducted from Tier I capital, Equity investments in Associates (50%)	16.68
(c) The total amount of Tier II capital (net of deductions from Tier II capital)	**2974.63**
(d) Debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier II capital	
Total amount outstanding	819.70
Of which amount raised during the current year	–
Amount eligible to be reckoned as capital funds	819.70
(e) Subordinated debt eligible for inclusion in Lower Tier II capital	
Total amount outstanding	1925.00
Of which amount raised during the current year	
Amount eligible to be reckoned as capital funds	1530.00
(f) Other deductions from capital, if any Equity Investments in Associates (50%)	16.67
(g) Total eligible capital	**10387.75**

Capital Adequacy

Qualitative Disclosures

(a) A summary discussion of the bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities:

i) Bank has targeted a CRAR of 11.50% based on a projected credit growth of 17%. On account of International presence, maintenance of CRAR of 12% with Tier I CRAR of 8% is envisaged during the next four years.

ii) Considering the business profile and the projected growth, capital is assessed with reference to:

Pillar I Risks namely,

1. Credit Risk – Standardized approach
2. Market Risk – Standardized duration approach
3. Operational Risk – Basic Indicator Approach and

Pillar II Risks namely,

4. Concentration Risk
5. Liquidity Risk
6. Interest rate Risk in Banking book
7. Residual Risk
8. Reputation Risk
9. Strategic Risk
10. Earnings Risk
11. Capital Risk

iii) बैंक, ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम की धारित आस्ति में प्रत्याशित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पूंजी आवश्यकता का निर्धारण करता है। भावी कार्यकलापों से संबंधित पूंजी पर्याप्तता के मामले में बैंक ने निदेशक मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित आइ.सी.ए.ए.पी. प्रलेख (बासेल II ढांचे के पिलर 2 के अंतर्गत आवश्यकताओं से संबंधित भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार) के अनुसार अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए कारोबार योजना की आवधिक समीक्षा करके पूंजी आवश्यकता का निर्धारण किया है। इसके अतिरिक्त, टीयर I और टीयर II पूंजी जुटाने के लिए बैंक के लिए उपलब्ध हेडरूम भविष्य के कार्यकलापों के प्रति अतिरिक्त सी.आर.ए.आर. की पूर्ति हेतु पूंजी विन्यास के लिए अतिरिक्त समर्थन प्रदान करेगा।

बोर्ड को आवधिक रूप से कारोबार नीतियों और भविष्य की योजनाओं के आधार पर कारोबार आधारित पूँजी योजना और पूँजी अपेक्षाओं से अवगत कराया गया है।

बासेल-II ढांचे के अंतर्गत पूंजी के परिकलन के उद्देश्य से बैंक ने अपने सभी कारपोरेट आस्ति वर्ग और उन अन्य आस्ति वर्गों से खातावार ब्यौरे प्राप्त किए हैं जिनकी लेखा परीक्षा की गयी है ।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

ख) ऋण जोखिम के लिए पूंजी की अपेक्षाएं (₹ करोड़ों में)

संविभाग जो मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन हैं	6504.89
प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	कुछ नहीं

ग) बाजार जोखिम के लिए पूंजी की अपेक्षाएं:

मानकीकृत दृष्टिकोण (₹ करोड़ों में)

ब्याज दर जोखिम	170.31
विदेशी मुद्रा जोखिम	62.17
ईक्विटी जोखिम	240.58

घ) परिचालन जोखिम के लिए पूंजी की अपेक्षा

मूल सूचक दृष्टिकोण (₹ करोड़ों में)

मूल सूचक दृष्टिकोण के अनुसार पूँजी अपेक्षा	422.82

ङ) बैंक के लिए कुल पूँजी अनुपात

नये पूँजी पर्याप्तता ढाँचे के अनुसार जोखिमवाली आस्तियों की तुलना में कुल पूँजी का अनुपात	13.04
बासेल-II के अनुसार जोखिमवाली आस्तियों की तुलना में टायर-I पूँजी का अनुपात	9.31
बासेल-I मानदण्डों के अनुसार जोखिमवाली आस्तियों की तुलना में कुल पूँजी का अनुपात	11.20
बासेल-I के अनुसार जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में टायर-I पूँजी का अनुपात	7.98

अपेक्षित पूँजी पर विवेकसम्मत न्यूनतम सीमा (रु. करोड़ों में)

पुनरीक्षित ढाँचे के अनुसार आवश्यक न्यूनतम पूँजी	7168.29
ऋण और बाजार जोखिम के लिए बासेल-I ढाँचे के अनुसार आवश्यक न्यूनतम पूँजी (बासेल 1 का 90%)	7537.66
विवेकसम्मत न्यूनतम सीमा-उपरोक्त में से अधिकतम	7537.66

iii) The Bank assesses the capital requirement keeping in view the anticipated growth in weighted assets of credit risk, market risk and operational risk. As regards the adequacy of capital to support the future activities, the Bank has drawn an assessment of capital requirement through periodically review of the business plan with the trends in the economy, as a part of the ICAAP document (in line with RBI guidelines on requirements under Pillar 2 of Basel II framework), duly approved by the Board. The surplus CRAR shall act as a cushion to support the future activities. Moreover, the headroom available for the Bank for mobilizing Tier I and Tier II capital shall additionally support capital structure to meet the required CRAR against future activities.

The Board is periodically apprised of the capital driven business plan and capital requirement, based on business strategies and future plans.

For the purpose of computation of capital under Basel II framework, bank collects account-wise details of all its corporate asset class and data on other asset classes which are subjected to the audit process.

Quantitative Disclosures:

(b) Capital Requirements for Credit Risk

(₹. in crs)

Portfolios subjected to standardized approach	6504.89
Securitization Exposures	NIL

(c) Capital requirements for Market Risk: Standardized Duration Approach

(₹ in crs)

Interest rate risk	170.31
Equity position risk	62.17
Foreign exchange risk	240.58

(d) Capital Requirement for Operational Risk Basic Indicator Approach

(₹ in crs)

Capital Requirement as per Basic Indicator Approach	422.82

(e) Total Capital Ratio for the Bank

Total Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per New Capital Adequacy Framework	13.04
Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel – II	9.31
Total Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel – I norms	11.20
Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel – I	7.98

Prudential floor on capital required

(₹. in crs)

Minimum capital required as per the revised framework	7168.29
Minimum capital required as per Basel I framework for credit and market risk. (90% of Basel I)	7537.66
Prudential floor – Higher of the above	7537.66

ऋण जोखिम – सामान्य प्रकटीकरण

क) गुणात्मक प्रकटीकरण:

बैंक द्वारा आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण मानदंडों के लिए खातों के वर्गीकरण तथा लेखाकरण के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राप्त परिभाषा का अनुसरण किया जाता है:

इस परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित ऋण/अग्रिम अनर्जक आस्ति माना जाता है:

1. मीयादी ऋणों के मामले में जहाँ ब्याज और/या मूल राशि की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि से अतिदेय हो ।
2. ओवरड्राफ्ट/नकद ऋण के मामले में जहाँ खाता 90 दिन से अधिक अवधि से अनियमित हो ।
3. खरीदे गए तथा भुनाए गए बिलों के मामले में जहाँ बिल 90 दिन से अधिक अवधि से अतिदेय हो ।
4. अल्पावधि के लिए फसलों हेतु प्रदान किए गए ऋणों को तब अनर्जक आस्ति माना जाएगा, जब मूल राशि या उस पर देय ब्याज की किस्त दो फसली मौसमों से अतिदेय हो ।
5. लंबी अवधि के फसलों हेतु प्रदान किए गए ऋणों को तब अनर्जक आस्ति माना जाएगा, जब मूल राशि या उस पर देय ब्याज की किस्त एक फसली मौसम से अतिदेय हो ।
6. अन्य खातों के मामलों में, कोई भी प्राप्य राशि, जो 90 दिनों की अवधि से ज्यादा दिनों से अतिदेय हो ।

बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर विचार विमर्श:

सामान्य कारोबार के दौरान बैंकिंग कारोबार में जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से कुछ तो बैंकिंग कारोबार में स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई हैं और कुछ अप्रत्याशित आर्थिक एवं परिस्थितिजन्य कारणों से पैदा होती हैं । ऋण जोखिम प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य जोखिमों को कम करना और स्वीकार्य मानदण्डों के भीतर ऋ जोखिम को अपनाकर तथा रख रखाव करके बैंक की जोखिम समायोजित प्रतिलाभ की दर में वृद्धि करना है । इस प्रकार की जोखिमों तथा अनिश्चितताओं के प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए किसी बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली समग्र प्रक्रिया को ही जोखिम का प्रबंधन कहते हैं। जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के ज़रिए बैंक के पास जोखिमों के मूल्यांकन, अनुप्रवर्तन तथा नियंत्रण के वैज्ञानिक साधन एवं पद्धतियाँ उपलब्ध होती हैं । ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए बैंक के पास एक प्रभावी नियंत्रण प्रणाली उपलब्ध है । निदेशक मंडल की उप समिति के रूप में जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष प्रबंध निदेशक हैं । यह समिति ऋण जोखिम सहित विभिन्न प्रकार की जोखिमों के मामले में संयोजित जोखिम प्रबंधन की नीति और रणनीतियाँ बनाती है। एक और ऋण जोखिम प्रबंधन समिति है, यह शीर्ष स्तर की कार्यपालक समिति है, जो ऋण जोखिम नीति और रणनीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है ।

बैंक ने भा.रि.बैं. की नई पूंजी पर्याप्तता ढ़ाचे के अनुसार सी.आर.ए.आर. के परिकलन हेतु ऋण जोखिम भारित आस्तियों परिकलन के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है ।

बैंक ने सुविस्तृत ऋण और ऋण जोखिम नीतियां हैं, जो निदेशक मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित है। इन नीतियों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और व्यक्ति एवं समष्टि आर्थिक विकास, विनियामक मार्गदर्शी सिद्धांतों, सरकार की नीतियों और बैंक की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें अद्यतन बनाया जाता है।

बैंक में एक सुनियोजित और मानकीकृत ऋण अनुमोदन प्रक्रिया और श्रेणी निर्धारण मॉडेल है जो बासेल-II के अनुकूल है। साख श्रेणी निर्धारण/स्कोरिंग फ्रेमवर्क की मदद् से बैंक आस्ति संविभाग के श्रेणी निर्धारण को सुनिश्चित करता है। ₹10 करोड़ और उस से अधिक रकम के ऋणों के संबंध में पूर्व-मंजूरी श्रेणी निर्धारण आबंटित करने तथा उसके पुष्टीकरण के लिए एक स्वतंत्र प्रणाली भी तैयार की गयी है। ऋण मंजूरी और समीक्षा प्रक्रिया के कार्यों को अलग-अलग कर दिया गया है। ऋण जोखिम को कम करने के लिए नैगम कार्यलय/क्षे.का. में ऋण समितियाँ गठित

Credit Risk – General Disclosures

a) Qualitative Disclosures:

Bank follows RBI definition of default for classifying and accounting for income recognition, asset classification and provisioning norms:

Non-Performing asset is defined as a loan/advance where

1. Interest and/or Instalment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of term loan.
2. The account remains out of order for 90 days in respect of an overdraft/cash credit.
3. Bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted.
4. A loan granted for short duration crops is treated as NPA, if the instalment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons.
5. A loan granted for long duration crops is treated as NPA, if the instalment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season.
6. Any amount to be received remains overdue for a period of more than 90 days in respect of other accounts.

Discussion of the Bank's Credit Risk Management Policy:

The business of banking is exposed to Credit Risk in the normal course of business owing to various economic and environmental factors, some of them inherent to the banking business and others are unforeseen and unexpected. The objective of credit risk management is to minimize the risks and maximize the bank's risk adjusted rate of return by assuming and maintaining the credit exposure within the acceptable parameters. Risk management is the comprehensive process adopted by a bank to minimize adverse effects of such risks and uncertainties. Through the process of risk management the bank equips itself with tools and systems capable of assessing, monitoring and controlling risk exposures in a scientific manner. Bank has an effective governance structure for managing credit risk. Risk Management Committee, a sub-committee of the Board headed by the Chairman and Managing Director devises the policy and strategies for Integrated Risk Management containing various risk exposures of the bank including credit risk. The Credit Risk Management Committee, apex level executive committee responsible for implementation of the credit risk policies and strategies.

Bank has adopted standardized approach to arrive at credit risk weighted assets for computing CRAR, as required under the New Capital Adequacy Framework (NCAF) of RBI.

Bank has a well articulated Credit and Credit Risk Policies, duly approved by the Board. The policies are regularly reviewed and updated to take care of micro and macro economic developments, regulatory guidelines, Government policies and Bank's specific requirements.

Bank has a structured and standardized credit approval process and rating model which is Basel II compliant. The credit rating/scoring framework enables the Bank to ensure that the asset portfolio is rated. An independent system of pre-sanction rating allotment and confirmation covering exposures of ₹10 Crs. and above has also been put in place. The functions of Credit sanctions and review process

की गयी हैं, जो सभी दृष्टिकोण से ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन करेंगी और मंजूरी हेतु उसे संबंधित मंजूरीदाता प्राधिकारी को अग्रेषित करेंगी। ऋण निर्णय और कीमत निर्धारण को उधारकर्ता श्रेणी निर्धारण के साथ संबद्ध किया गया है।

बैंक पूंजीगत आबंटन को इष्टतम रखने के उद्देश्य से अपने कार्पोरेटों के ऋणों के श्रेणीनिर्धारण को किसी बाहरी श्रेणीनिर्धारण एजेंसी द्वारा करवाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

संविभाग जोखिम जिसे संक्रेद्रण जोखिम के रूप में प्रकट किया जाता है उसे प्रत्येक उधारकर्ता/समूह, उद्योगवार/क्षेत्रवार सीमाएं निर्धारित करके कम किया जाता है और आवधिक अंतरालों पर उसकी समीक्षा, की जाती है। बैंक में एक ऐसी प्रणाली है जो बड़े और बेजमानती ऋणों की निगरानी करती है और वह संवेदनशील क्षेत्रों को दिए गए अग्रिमों की समय-समय पर समीक्षा करते हैं।

बड़े उधार खातों को दिए गए ऋणों की नियमित रूप से निगरानी करने और ऋण संविभाग का गुणवत्ता को सुनिश्चित की दृष्टि से नैगम कार्यालय में एक अलग ऋण निगरानी कक्ष खोला गया है, जो मंजूरी पश्चात अनुवर्ती कार्रवाई और निगरानी कार्य संभालता है।

बैंक ने अभिनिर्धारित खातों तथा पुन: संरचित खातों की निगरानी के लिए एक विशेष निगरानी खाता विभाग खोला है, जो समयोचित कार्रवाई करता है और खाते एन.पी.ए. बनने से रोकता है। इसी प्रकार, प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई करने तथा निगरानी करने के लिए क्षे.का. स्तर पर भी कक्ष खोले गए हैं।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:

ख) कुल सकल ऋण प्रकटीकरण (₹ करोड़ों में)

निधि आधारित ऋण प्रकटीकरण	108350.05
गैर-निधि आधारित ऋण प्रकटीकरण	10139.18

ग) ऋण प्रकटीकरण का भौगोलिक वितरण (₹ करोड़ों में)

समुद्रपारीय:	
निधि आधारित ऋण प्रकटीकरण	10815.44
गैर-निधि आधारित ऋण प्रकटीकरण	57.36
घरेलू:	
निधि आधारित ऋण प्रकटीकरण	97534.61
गैर-निधि आधारित ऋण प्रकटीकरण	10081.82

घ) उद्योग वार प्रकटीकरण (निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित दोनों) (₹ करोड़ों में)

क्रम सं.	उद्योग	ऋण		निधि	कुल प्रकटीकरण
		निवेश आधारित	गैर निधि आधारित		
1.	संरचना	13210.50	1071.76	155.48	14437.74
2.	पेट्रोलियम	1675.53	352.66	30.00	2058.19
3.	सभी अभियांत्रिकी	1487.70	2335.20	64.04	3886.94
4.	लोहा और इस्पात	3486.94	305.64	27.78	3820.36
5.	रासायनिक रंग एवं पेंट	1078.29	607.44	93.36	1779.09
6.	निर्माण	991.35	1286.53	40.00	2317.88
7.	वस्त्र	1910.17	62.32	17.21	1989.70
8.	रत्न और आभूषण	623.00	148.24	0.00	771.24
9.	सिमेंट और सिमेंट उत्पाद	654.65	5.97	31.02	691.64

औद्योगिक क्षेत्र को प्रदत्त ऋणों में से बैंक द्वारा संरचना हेतु प्रदत्त ऋणों (निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित दोनों) का प्रतिशत बैंक द्वारा प्रदत्त सकल निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित ऋणों की तुलना में 12.87% है ।

have been segregated. To mitigate Credit Risk, Credit Committees have been constituted at Corporate/Regional Offices to evaluate credit proposals from all angles and recommend for sanction to the sanctioning authority. Credit decisions and pricing are linked to borrower rating.

Bank is also encouraging its corporates to get their exposures rated by external rating agencies, with a view to optimize capital allocation.

Portfolio risk which manifests as concentration risk is addressed by limiting the size of exposures to individual borrowers/group, fixing industry/sector-wise limits which are reviewed at periodic intervals. Bank has also a system of monitoring its substantial and unsecured exposures and undertakes periodic review of sensitive sector advances.

With a view to monitor bank's exposure to large borrowal accounts on regular basis and to ensure quality of the credit portfolio, a separate Credit Monitoring Cell has been formed at Corporate Office exclusively to attend to post sanction follow-up and monitoring.

Bank has also put in place a Special Monitoring Accounts Department to exclusively monitor identified accounts and those accounts restructured, to take timely action and avoid slippages. Similar Cells function at Regional Offices for effective follow-up and monitoring.

Quantitative Disclosures:

(b) Total Gross Credit Exposures

(₹ in crs)

Fund based credit exposures	108350.05
Non-fund based credit exposures	10139.18

(c) Geographic distribution of credit exposures

(₹ in crs)

Overseas:	
Fund based credit exposures	10815.44
Non-fund based credit exposures	57.36
Domestic:	
Fund based credit exposures	97534.61
Non-fund based credit exposures	10081.82

(d) Industry-wise distribution of exposures (Both fund based and non-fund based)

(₹ in crs)

Sl. No.	Industry	Credit		Investment	Total Exposure
		Fund Based	Non-Fund Based		
1.	Infrastructure	13210.50	1071.76	155.48	14437.74
2.	Petroleum	1675.53	352.66	30.00	2058.19
3.	All Engineering	1487.70	2335.20	64.04	3886.94
4.	Iron and Steel	3486.94	305.64	27.78	3820.36
5.	Chemicals Dyes & Paints	1078.29	607.44	93.36	1779.09
6.	Construction	991.35	1286.53	40.00	2317.88
7.	Textiles	1910.17	62.32	17.21	1989.70
8.	Gems and Jewellery	623.00	148.24	0.00	771.24
9.	Cement & Cement Products	654.65	5.97	31.02	691.64

Among industrial exposures, bank's exposure to infrastructure (fund based and non-fund based) is 12.87 **%** of gross fund based and non-fund based credit exposure of the bank.

ङ) आस्तियों के अवशिष्ट परिपक्वतावार विश्लेषण (e) Residual maturity-wise breakdown of assets

(₹ करोड़ में ₹ in Crs)

अवशिष्ट परिपक्वता Residual Maturity	1 दिन 1 day	2-7 दिन 2 to 7 days	8-14 दिन 8 to 14 days	15-28 दिन 15 to 28 days	29 दिनों से 3 महीने तक 29 days to 3 mths	3 महीने से अधिक और 6 महीने तक Over 3 mths to 6 mths	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक Over 6 mths to 1 year	1 वर्ष से 3 वर्ष तक Over 1 year to 3 years	3 वर्ष से 5 वर्ष तक Over 3 years to 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	कुल Total
i) ऋण और अग्रिम Loans & Advances	2689.09	3190.17	1883.86	1267.52	8943.33	6172.28	9507.35	43123.84	14067.90	15936.58	106781.92
ii) निवेश एवं प्रतिभूतियाँ Investments & Securities	0.00	1880.02	248.73	173.38	673.36	165.91	246.33	3166.78	4982.17	23530.94	35067.62
iii) जमाराशियाँ Deposits	935.80	5228.45	2223.09	3374.33	16614.38	16060.15	25517.42	60266.53	3972.32	1403.60	135596.08
iv) उधार राशियाँ Borrowings	2.11	156.08	0.00	0.00	543.86	2010.68	694.20	2351.73	1544.35	2112.69	9415.71
v) विदेशी मुद्रा अस्तियाँ Foreign Currency Assets	681.47	2425.99	1019.51	845.43	2352.66	1867.05	317.98	1011.63	1154.04	428.78	12104.54
vi) विदेशी मुद्रा देयताएँ Foreign Currency Liabilities	76.22	1921.10	771.03	1007.39	2741.17	2087.47	1442.66	831.85	1.72	0.00	10880.61

च) अनर्जक आस्तियों की राशि (₹ करोड़ों में)

अवमानक	1132.67
संदिग्ध 1	834.76
संदिग्ध 2	533.30
संदिग्ध 3	16.18
हानि आस्तियाँ	82.06

छ) निवल अनर्जक आस्तियाँ (₹ करोड़ों में)

31-03-2011 को निवल अनर्जक आस्तियाँ	1030.84

ज) अनर्जक आस्ति अनुपात (₹ करोड़ों में)

सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियाँ	2.40%
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियाँ	0.97%

झ) अनर्जक आस्तियों (सकल) में बदलाव (₹ करोड़ों में)

अथशेष	2006.82
परिवर्धन	1592.97
कटौती	1000.82
इति शेष	2598.97

ञ) अनर्जक आस्तियों के लिए रखे गए प्रावधानों में बदलाव

(₹ करोड़ों में)

अथ शेष	997.16
वर्ष के दौरान बनाए गए प्रावधान	905.92
बट्टे खाते डालना/ अधिक प्रावधान का प्रतिलेखन	401.75
इति शेष	1501.33

ट) अनर्जक निवेशों की रकम (₹ करोड़ों में)

अनर्जक निवेशों की रकम	14.96

(f) Amount of NPAs

(₹ in crs)

Substandard	1132.67
Doubtful 1	834.76
Doubtful 2	533.30
Doubtful 3	16.18
Loss Assets	82.06

(g) Net NPAs

(₹ in crs)

Net NPAs as on 31-03-2011	1030.84

(h) NPA Ratios:

Gross NPAs to Gross Advances	2.40%
Net NPAs to Net Advances	0.97%

(i) Movement of NPAs (Gross)

(₹ in crs)

Opening Balance	2006.82
Additions	1592.97
Reduction	1000.82
Closing Balance	2598.97

(j) Movement of Provisions for NPAs

(₹ in crs)

Opening Balance	997.16
Provisions made during the year	905.92
Write-off/Write-back of excess provisions	401.75
Closing Balance	1501.33

(k) Amount of non-performing investments:

(₹ in crs)

Amount of non-performing investments	14.96

ठ) **अनर्जक निवेशों के लिए रखे गए प्रावधान की राशि**

(रुपये करोड़ों में)

अनर्जक निवेशों के लिए रखे गए प्रावधान	14.96

ड) **निवेशों में होने वाले मूल्यह्रास हेतु रखे गए प्रावधानों में बदलाव**

(रुपये करोड़ों में)

अथ शेष	11.41
वर्ष के दौरान बनाए गए प्रावधान	3.69
बट्टा खाते डालना/ अधिक प्रावधान का प्रतिलेखन	0.14
इति शेष	14.96

मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन लाए गए निवेश संविभाग पर प्रकटीकरण

बैंक ने, मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्दिष्ट जोखिम भार लागू करते हुए अपने निवेश संविभाग पर ऋण जोखिम पूंजी का परिकलन किया है । भारतीय रिज़र्व बैंक ने, नैगम निवेश संविभाग के लिए अधिमान्य जोखिम भार लागू करने हेतु बाह्य श्रेणी निर्धारण की पहचान की है । बाहरी श्रेणी निर्धारण को लागू करने के उद्देश्य से, भा.रि.बैं. ने निम्नलिखित बाह्य साख श्रेणी निर्धारण एजेंसी की पहचान की है:

1. क्रिसिल
2. इक्रा
3. केयर
4. फिच (इंडिया)

सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध बाहरी श्रेणी निर्धारणों का उपयोग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित परिकलन प्रक्रिया के माध्यम से अधिमान्य जोखिम भार लागू करने हेतु किया जाएगा ।

* दीर्घावधि और अल्पावधि बैंक ऋण के श्रेणी निर्धारण का उपयोग क्रमश: बैंक के दीर्घावधि और अल्पावधि ऋणों के लिए किया जाता है।
* जहाँ जारीकर्ता का श्रेणी निर्धारण तय किया गया है, वहाँ उसी श्रेणी निर्धारण को बैंक के निवेश के लिए उपयोग किया जाएगा ।
* बाहरी सार्वजनिक श्रेणी निर्धारण का उपयोग तभी किया जाएगा जब हमारे निवेश अधिक होते हैं या बाहरी श्रेणी निर्धारण के कारण हाते हैं ।
* अल्पावधि श्रेणी निर्धारण निर्गम विशिष्ट होते हैं और उनका उपयोग दीर्घावधि निवेशों के परिकलन के लिए नहीं किया जाता है । फिर भी, जहाँ-कहीं गैर श्रेणी निर्धारित अल्पावधि निवेशों पर अल्पावधि श्रेणी निर्धारण लागू किया जाता है, वहाँ संगत अल्पावधि निवेशों पर ऐसा जोखिम भार लागू किया जाएगा जो काऊँटरपार्टी के श्रेणी निर्धारित अल्पावधि निवेशों के लिए लागू होनेवाले जोखिम भार से कम से कम एक स्तर ऊँचा होगा ।
* बाहरी एजेंसियों द्वारा निर्धारित बंध पत्र/डिबेंचर की अवधि को श्रेणी निर्धारण एजेंसियों द्वारा प्रतिसंदाय हेतु गणना में ली गयी कुल अवधि के अनुसार बैंक के निवेश के अवशिष्ट परिपक्वता के परिकलन के लिए गणना में लिया जाएगा ।

(l) Amount of provisions held for non-performing investments

(₹ in crs)

Provisions held for non-performing investments	14.96

(m) Movement of provisions for depreciation of investments

(₹ in crs)

Opening Balance	11.41
Provisions made during the year	3.69
Write-off/Write-back of excess provisions	0.14
Closing Balance	14.96

Disclosures on portfolios subjected to standardized approach

Bank has computed credit risk capital on all its portfolios by applying risk weights as prescribed by Reserve Bank of India for Standardised Approach. Reserve Bank of India has recognized external ratings for application of preferential risk weight for corporate exposures. For the purpose of application of external credit ratings, rating by the following recognized external credit rating agencies are used:

1. CRISIL
2. ICRA
3. CARE
4. FITCH (INDIA)

The external ratings available in the public domain were utilized for application of preferential risk weights through the mapping process defined by Reserve Bank of India:

- Long Term and Short Term Bank Loan ratings are used for Bank's Long and Short term exposures respectively.
- Where issuer rating is assigned, same is used for Bank's exposure.
- External public ratings are used only when our exposures are senior or pari-passu to the external ratings.
- Short term ratings are issue specific and are not used for mapping long term exposures. However, wherever short term ratings are applied to unrated short term exposures, the relevant short term exposure attracts a risk weight of atleast one level higher than the risk weight applicable to the rated short term of the counterparty.
- The tenor of the bond/debenture rated by external rating agencies is taken for mapping residual maturity with Bank's exposure as per the total period considered by the rating agencies for repayment.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:

मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम को कम करने के बाद की निवेश की रकम

(₹ रुपयों में)

जोखिम भार वर्ग	ऋण जोखिम को कम करने के बाद ऋण	ऋण जोखिम को कम करने के बाद बाहरी श्रेणी निर्धारित ऋण	गैर श्रेणी निर्धारित
अग्रिम			
100% से कम जोखिम भार	57003.84	24967.81	32036.03
100% जोखिम भार	22226.86	14621.97	7604.89
100% से अधिक जोखिम भार	7884.77	2956.37	4928.4
कटौती	–	–	–
निवेश			
100% से कम जोखिम भार	27687.58	–	27687.58
100% जोखिम भार	10.21	–	10.21
100% से अधिक जोखिम भार	44.60	–	44.60
कटौती	–	–	–

ऋण जोखिम को कम करना

उधारकताओं की ऋण जोखिम को कम करने के लिए बैंक की ऋण जोखिम नीति में निम्नलिखित संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ शामिल की गयी हैं ।

1. नकदी, जमाराशि सहित,
2. सोना
3. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी प्रतिभूति, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र
4. किसी ऐसी बीमा कंपनी की जीवन बीमा पालिसियाँ (घोषित अभ्यर्पण मूल्य सहित) जो आइ.आर.डी.ए. द्वारा नियंत्रित हो ।
5. नैगम ऋण प्रतिभूतियाँ
6. सूचीबद्ध कंपनियों की ईक्विटी
7. म्यूच्युअल फंड की यूनिटें
8. भूमि और भवन
9. कच्चा माल/बिक्री माल/उत्पाद और अन्य वस्तुएँ
10. बही ऋण और प्राप्य राशियां
11. चल संपत्तियाँ जैसे, मशीनें, वाहन इत्यादि
12. माल पर हक दस्तावेज

बासेल-II समझौते के अंतर्गत ऋण जोखिम हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण, संपार्श्विक प्रतिभूतियों, जैसे भू-संपत्ति, स्टॉक, मशीन इत्यादि को मान्यता नहीं दी जाती है । नये ढांचे में केवल नकदी प्रतिभूति को मान्यता दी जाएगी जिन्हें ''पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति'' कहा जाता है । बैंक ने बासेल-II के अंतर्गत ऋण जोखिम को कम करने के उद्देश्य से केवल निम्नलिखित पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों की पहचान की है।

1. बैंक की अपनी जमाराशियाँ सहित नकद
2. सोना
3. के.वी.पी. और एन.एस.सी. (अवरुद्धता अवधि के बिना)
4. जीवन बीमा पालिसी

Quantitative Disclosures:

Exposure amounts after risk mitigation subject to standardized approach

(₹ in crs)

Risk weight category	Exposure after Credit Risk Mitigation	Externally Rated Exposure after Credit Risk Mitigation	Unrated
Advances			
Below 100% Risk Weight	57003.84	24967.81	32036.03
100% Risk Weight	22226.86	14621.97	7604.89
More than 100% Risk Weight	7884.77	2956.37	4928.4
Deducted	–	–	–
Investments			
Below 100% Risk Weight	27687.58	–	27687.58
100% Risk Weight	10.21	–	10.21
More than 100% Risk Weight	44.60	–	44.60
Deducted	–	–	–

Credit Risk Mitigation

Bank's credit risk policy recognizes the following collaterals for mitigation of credit risk in borrowers:

1. Cash, including deposits
2. Gold
3. Securities issued by Central and State Governments, KVPs, NSCs
4. Life Insurance Policies with a declared surrender value of an insurance company which is regulated by IRDA.
5. Corporate Debt Securities
6. Equities of listed Corporates
7. Units of mutual funds
8. Land and Building
9. Raw materials/stock in trade/produce and other goods
10. Book debts and receivables
11. Movable assets such as machineries, automobiles etc.,
12. Documents of title to goods

Standardised Approach for Credit Risk under Basel II Accord does not recognize collaterals like landed property, Stock, machinery etc. The New Framework recognizes only cash collaterals, which are termed as "Eligible Financial Collaterals". The following eligible financial collaterals are recognized by the bank for credit risk mitigation purposes for Basel II:

1. Cash including bank's own deposits
2. Gold
3. KVPs & NSCs (without Lock in Period)
4. Life Insurance Policy

जोखिम भारित आस्तियों का परिकलन करने से पहले और बाजार के उतार-चढ़ाव की वजह से संपार्श्विक प्रतिभूतियों के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव के प्रति समायोजन करने के बाद संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य को निवेश के मूल्य के प्रति समायोजित करने के लिए अनुमति दी जाएगी। जमाराशियों द्वारा रक्षित निवेशों से भिन्न अन्य निवेशों के मामले में जहाँ परिपक्वता बेमेल है वहाँ जोखिम परिवर्तन पर विचार नहीं किया गया है ।

आभूषण ऋणों के मामले में बैंक मूल्यों की अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त मार्जिन रखता है । अत: प्रतिभूति का समायोजन करने के बाद भी, सोने के मूल्य पूरी ऋण राशि का समंजन करता है । के.वी.पी. और एन.एस.सी. के मामले में जोखिम को कम करने हेतु केवल उन संपार्श्विक प्रतिभूतियों की पहचान की जाएगी जिनकी तीन वर्ष की लॉक-इन अवधि पूरी हो चुकी हो ।

विनियामक मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंक ने ऋण संरक्षण के पहचान हेतु केवल निम्नलिखित पात्र गारंटीकर्ताओं की पहचान की है:

* केन्द्र सरकार
* राज्य सरकार
* सी.जी.टी.एस.आइ. और
* ई.सी.जी.सी.

गारंटीकृत अंश का परिकलन, गारंटर को भा.रि.बैं. द्वारा प्रदान किए गए जोखिम भार के आधार पर किया जाएगा ।

बैंक ने, पात्र संपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में अपनी ही जमाराशियों तथा एन.एस.सी./के.वी.पी. को लिया है । इसलिए संपार्श्विक प्रतिभूतियों के भीतर कोई बाजार या ऋण संकेद्रीकरण नहीं है।

मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रतिभूतिकरण का प्रकटीकरण

लागू नहीं, क्योंकि बैंक प्रतिभूतिकरण कार्यकलाप नहीं कर रहा है ।

व्यापार बही में बाज़ार जाखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण: एफ.आइ.एम.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण: (करोड़ रुपयों में)

ब्याज दर जोखिम	170.31
ईक्विटी स्थिति जोखिम	62.17
विदेशी विनिमय जोखिम	240.58

परिचालन जोखिम:

बैंक के पास एक सुविस्तृत अनुदेश पुस्तिका है जिसमें उसके कारोबार के संपूर्ण विवरण दिए गए हैं । बैंक के आंतरिक और बाहरी गतिविधियों से संबंधित जानकारी/सूचनाओं को परिपत्रों के माध्यम से समय-समय पर इन अनुदेश पुस्तिकाओं में शामिल किया जाता है । बैंक के सभी प्रमुख उत्पादों एवं सेवाओं के संबंध में शाखाओं को विस्तृत जांच सूचियाँ उपलब्ध कराई गयी है । बैंक ने परिचालन जोखिम को नियंत्रित करने/रोकने के लिए विभिन्न नीतियाँ अपनाई है। जिसमें आर.सि.एस.ए., के आर.आइ. और एल.डी.एम. पर अन्य नीतियां भी शामिल है। बैंक ने धोखाधड़ी को रोकने के लिए धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति अपनाई है तथा के.वाइ.सी. और ए.एम.एल. नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए के.वाई.सी. और ए.एम.एल. नीति अपनाई है । बैंक ने संवेदनशील लेन-देन पर नियमित आधार पर निगरानी रखने के लिए प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में परोक्ष निगरानी कक्ष स्थापित किए हैं, जो प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं ।

The value of the collateral is permitted to be offset against the value of the exposures before computing the Risk-Weighted Assets, after adjusting for possible future fluctuations in the value of collateral caused by market movements. In respect of exposures other than those covered by deposits, wherever there is maturity mismatch, risk mitigation has not been considered.

In case of jewel loans, bank is taking sufficient margin to take care of volatility in value. Hence, even after adjusting for haircut, value of gold will off-set the exposures. In case of KVPs & NSCs, only those which have completed three years (lock in period) have been recognized for mitigation.

In line with regulatory guidelines, Bank has recognized only the following eligible guarantors for recognition of credit protection:

- Central Government,
- State Government,
- CGTSI and
- ECGC.

The guaranteed portion is assigned the risk weight of the guarantor as prescribed by RBI.

As the bank has taken its own deposits and NSCs/KVPs as eligible collaterals, there are no market or credit concentrations within collaterals.

Securitization Disclosure for standardized approach

Not Applicable since bank does not undertake securitization activity

Market Risk in Trading Book

Qualitative Disclosures: FIM
Quantitative disclosures

(₹ in crs)

Interest rate risk	170.31
Equity position risk	62.17
Foreign exchange risk	240.58

Operational Risk

Bank has well laid down manual of instructions covering the entire gamut of its business. These manuals are periodically supplemented with circulars to update the information with developments internal and external to the bank. Detailed checklists are provided to branches on all major products and services. Bank has a well developed Operational risk management framework which includes operational management policy as parent policy and other policies on RCSA, KRI and LDM. In addition to this, bank has put in place Fraud Risk Management Policy, KYC and AML policies to prevent KYC and AML violations. Bank had created off-site monitoring cells at head office and regional offices to monitor sensitive transactions on a regular basis to serve as an early warning system.

बैंक ने प्राप्त अनुभव के आधार पर कारोबार निरंतरता योजना को संशोधित किया है । सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कारोबार निरंतरता के समाधान हेतु एक नियर साइट और एक फार साइट के रूप में विस्तृत 'डिसॉस्टर रिकवरी प्लान' अपनाया गया है । सूचना प्रणाली सुरक्षा के कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर उसकी छेद्यता और भेद्यता का परीक्षण किया जाता है ।

बैंक ने परिचालन जोखिम के अंतर्गत पूंजी का निर्धारण करने हेतु बुनियादी सूचक दृष्टिकोण अपनाया है । नये पूँजी पर्याप्तता मानदण्डों के अनुसार, बैंक के परिचालन जोखिम पूंजी प्रभार को भा.रि.बैं. की परिभाषा के अनुसार पिछले तीन वर्षों की तुलना में धनात्मक वार्षिक औसत सकल आय का 15% पर निर्धारित किया गया है ।

बैंक ओ.आर.एम.एस. के कार्यन्वयन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, इससे हाक्त के आंकड़ों की तत्काल रिपोर्टिंग,करोबार में रुकावट इत्यादि के मामले में मदद मिलेगा।

मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाने के लिए बैंक ने बिजिनेस लाइन मैपिंग शुरू की है। प्रारंभिक उपायों के रूप में विभिन्न कारोबार व्यवस्थाओं के संबंध में आय का निर्धारण कार्य प्रगति पर है ।

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) बैंक, जोखिम पर अर्जन (ई.ए.आर.) माड्यिूल के जरिए समय-समय पर आइ.आर.आर.बी.बी. की निगरानी करता है। इसके अलावा बैंक ने ई.ए.आर. हेतु एक वर्ष के लिए छूट सीमा के रूप में या पिछले वर्ष के एन.आइ.आइ. का 10% इनमें से जो भी कम हो। करोड़ ₹300 की सीमा निर्धारित की है। ई.ए.आर. का परिकलन करते समय यह माना गया है कि हर तीन/छह महीने में बैंक की आधार पर (जेस रेट) पी.एल.आर. में परिवर्तन होगा ।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

ख) मुद्रा के उतार-चढ़ाव (जहाँ पण्यावर्त कुल पण्यावर्त के 5% से अधिक है) के कारण आइ.आर.आर.बी.बी. के आंकने के लिए प्रबंधन की पद्धति के अनुसार ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी दर शॉक के लिए अर्जन और आर्थिक मूल्य (या प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त संगत उपाय) में वृद्धि (गिरावट) हेतु परिमाणात्मक प्रकटीकरण को अपनाया गया है ।

संपूर्ण तुलन-पत्र के लिए परिकलित ई.ए.आर. के अनुसार एक वर्ष का ई.ए.आर. ₹278.49 करोड़ है; जिसकी ब्याज दर में 1% का परिवर्तन हो सकता है । यह बैंक द्वारा निर्धारित ₹300 करोड़ या पिछले वर्ष के एन.आइ.आइ. का 10% इनमें से जो भी कम हो, की छूट सीमा के भीतर है ।

Bank has revised the Business Continuity plan on the basis of experience gained. A detailed disaster recovery plan has been put in place, one near site and one far site is maintained to address IT related business continuity. Information security is managed through information security policy. Periodical vulnerability and penetration testing are conducted to ensure integrity of the information system security.

Bank has adopted Basic Indicator approach to assess the capital under operational risk. In terms of new capital adequacy norms, Banks' operational risk capital charge has been assessed at 15% of positive annual average Gross Income over the previous three years as defined by RBI.

Bank is in the process of finalizing implementation of ORMS which will take care of issues like real time reporting of loss data, business disruption etc.

For facilitating moving towards The Standardized Approach, bank has undertaken the process of Business Line Mapping. As an initial measure, the mapping of income to various business lines is under process.

Interest rate risk in banking book

Qualitative disclosures

a) Bank is monitoring the IRRBB through Earning at Risk (EaR) module periodically. Bank has also fixed a limit of ₹300 cr. or 10% of previous years NII whichever is less as the tolerance limit for one year horizon for a 100 bps change in Rate. While calculating the EaR, it is assumed that Base rate/BPLR will be changed once in 3/6 months respectively.

Quantitative disclosures

b) The increase (decline) in earnings and economic value (or relevant measure used by management) for upward and downward rate shocks according to management's method for measuring IRRBB, broken down by currency (where the turnover is more than 5 per cent of the total turnover).

As per the EaR arrived for the entire Balance sheet, the same is at ₹278.49 crs for one year with an expected change in interest rate by 1%. This is within the tolerance of ₹300 crs or 10% of previous years NII whichever is less fixed by the bank.

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति,

1. हमने 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार सिंडिकेट बैंक के संलग्न तुलन-पत्र और उसके साथ संलग्न लाभ व हानि लेखा की लेखा-परीक्षा की है, जिसमें हमारे द्वारा 20 शाखाओं और 38 क्षेत्रीय कार्यालयों की लेखा-परीक्षा की गई है । 2093 शाखाओं की लेखा-परीक्षा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा और 1 विदेशी शाखा की लेखा-परीक्षा विदेशी लेखा-परीक्षक द्वारा की गई है । जिन शाखाओं की लेखा-परीक्षा हमने की है और जिन शाखाओं की लेखा-परीक्षा अन्य लेखा-परीक्षकों ने की है, उनका चयन बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किया गया है। तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखे में उन 380 शाखाओं की विवरणियां भी शामिल हैं, जिनकी लेखा-परीक्षा नहीं की गईं । इन अलेखापरीक्षित शाखाओं के लेखे में 0.42 प्रतिशत की अग्रिम राशि, 3.95 प्रतिशत जमाराशि, 0.28 प्रतिशत ब्याज-आय और 3.29 प्रतिशत ब्याज व्यय शामिल हैं। ये वित्तीय विवरण बैंक के प्रबंध तंत्र की जिम्मेदारी हैं । हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा-परीक्षा कार्य के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत प्रस्तुत करना है।
2. हमने अपना लेखा-परीक्षा कार्य भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा-परीक्षा मानकों के अनुसार किया है । इन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी लेखा-परीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं और निष्पादित करें कि हम समुचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जाएं कि वित्तीय विवरणों में विषय-वस्तु संबंधी कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है तथा कोई महत्वपूर्ण तथ्य छुपाया नहीं गया है । लेखा-परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में दिखाई गई राशियों और प्रकट की गई बातों के समर्थन में दिए गए साक्ष्य की परीक्षण के तौर पर जांच की जाती है । लेखा-परीक्षा के अंतर्गत प्रबंध-तंत्र द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों तथा प्रमुख आकलनों का निर्धारण तथा प्रस्तुत किए गए समग्र वित्तीय विवरण का मूल्यांकन भी किया जाता है । हमें विश्वास है कि हमारा लेखा-परीक्षा कार्य हमारे अभिमत के लिए उचित आधार है ।
3. तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के फार्म क्रमशः 'ए' और 'बी' में तैयार किए गए हैं।
4. हमारी राय को विशेषित किए बिना, हम वित्तीय विवरण के नोट सं. 9(iii) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, उनके दि. 9 फरवरी, 2011 के परिपत्र के माध्यम ए.एस. 15 के उपबंधों को लागू करने के संबंध में दी गयी छूट के अनुसरण में ₹581.52 करोड़ की सीमा तक बैंक की पेंशन और उपदान देयताओं के आस्थगन के बारे में उल्लेख किया गया है।
5. हम उपर्युक्त पैराग्राफ 1 में उपदर्शित लेखा-परीक्षा की मर्यादा के अधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 द्वारा यथा अपेक्षित तथा उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अध्यधीन रहते हुए हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क) हमने अपनी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा-परीक्षा हेतु सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं और उन्हें संतोषजनक पाया है।

AUDITORS' REPORT

To

The President of India,

1. We have audited the attached Balance Sheet of Syndicate Bank as at 31st March, 2011, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement annexed thereto for the year ended on that date in which are incorporated the returns of 20 branches and 38 Regional Offices audited by us, 2093 branches audited by branch auditors and 1 foreign branch audited by the overseas auditor. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns of 380 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 0.42 percent of advances, 3.95 percent of deposits, 0.28 percent of interest income and 3.29 percent of interest expenses. These financial statements are the responsibility of the Bank's Management. Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on our audit.
2. We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
3. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
4. Without qualifying our opinion, we draw attention to note no. 9(iii) to the financial statements, which describes deferment of Pension and Gratuity liability of the bank to the extent of ₹581.52 crores pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India vide Circular dated, February 9, 2011 to public sector banks from application of the provisions of AS 15.
5. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 above and as required by The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and subject also to the limitations of disclosure required therein; We report that:

   a) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory.

ख) बैंक के जो लेन-देन हमारी जानकारी में आए हैं, वे बैंक के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही हैं ।

ग) बैंक की शाखाओं और उसके कार्यालयों से प्राप्त विवरणियाँ, हमारी लेखा-परीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पाई गई हैं ।

6. हमारी राय और हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और बैंक की लेखा बहियों में दर्शाए गए अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि :

i. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों और लेखा संबंधी टिप्पणियों के साथ पठित तुलन-पत्र पूर्ण और सही है और उसमें समस्त आवश्यक जानकारी शामिल है तथा उसे इस प्रकार उचित रूप से तैयार किया गया है कि उसमें बैंक के 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार उसके कामकाज का सही और वास्तविक चित्र प्रदर्शित होता है।

ii. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों और उसकी टिप्पणियों के साथ पठित लाभ और हानि-लेखा उस लेखे से संबंधित लाभ को 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष का सही शेष दर्शाता है ।

iii. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के साथ पठित नकदी उपलब्धता विवरण 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह का सत्य और उचित विवरण दर्शाता है ।

कृते **मेसर्स एन. सी. मित्रा एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार
(पंजीकरण सं. 306027 ई)
गौरब मित्रा
साझेदार
सदस्यता सं.: 061661

कृते **मेसर्स जैन एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
(पंजीकरण सं. 0001361 एन)
एस सी पाठक
साझेदार
सदस्यता सं.: 010194

कृते **मेसर्स प्रकाश चन्द्र जैन एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार
(पंजीकरण सं. 002438 सी)
पी सी नलवाया
साझेदार
सदस्यता सं.: 033710

कृते **मेसर्स एस सोनी एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
(पंजीकरण सं.: 003935 एस)
एस सुन्दर
साझेदार
सदस्यता सं.: 023425

कृते **मेसर्स आर. वेन्दर गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
(पंजीकरण सं. 002614 एन)
राघवेन्दर गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं.: 081544

कृते **मेसर्स ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कं**
सनदी लेखाकार
(पंजीकरण सं. 000038 एन)
के एन गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं.: 009169

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 12-05-2011

b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.

c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purpose of our audit.

6. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and as shown by the books of the Bank, we report that :

I. The Balance Sheet read with Significant Accounting Policies and the Notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing the necessary particulars and is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the affairs of the Bank as at 31st March, 2011.

II. The Profit and Loss Account read with Significant Accounting Policies and the Notes thereon shows a true balance of Profit for the year ended 31st March, 2011.

III. The Cash Flow Statement read with Significant Accounting Policies and the Notes thereon gives a true and fair view of the cash flows for the year ended 31st March, 2011.

For N C Mitra & Co.
Chartered Accountants
(Regd. No.: 306027E)
Gourab Mitra
Partner
Membership No.: 061661

For Jain & Associates
Chartered Accountants
(Regd. No.: 001361N)
S C Pathak
Partner
Membership No.: 010194

For Prakash Chandra Jain & Co.
Chartered Accountants
(Regd. No.: 002438C)
P C Nalwaya
Partner
Membership No.: 033710

For S Sonny Associates
Chartered Accountants
(Regd. No.: 003935S)
S Sundar
Partner
Membership No.: 023425

For R. Vender Gupta & Associates
Chartered Accountants
(Regd. No.: 002614N)
Raghvender Gupta
Partner
Membership No.: 081544

For Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co.
Chartered Accountants
(Regd. No.: 000038N)
K N Gupta
Partner
Membership No.: 009169

Place : Bangalore
Date : 12-05-2011

31 मार्च, 2011 का तुलन–पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2011

(₹ हजारों में/₹ in thousands)

पूंजी और देयताएँ CAPITAL & LIABILITIES	अनुसूची सं. Schedule No.	As on दि. 31-03-2011 को	As on दि. 31-03-2010 को
पूंजी/CAPITAL	1	**573,28,57**	521,96,83
प्रारक्षित निधि और अधिशेष/Reserves and Surplus	2	**6477,55,47**	5105,08,13
जमाराशियाँ/Deposits	3	**135596,08,09**	117025,79,47
उधार/Borrowings	4	**9527,64,32**	12172,68,76
अन्य देयताएँ और प्रावधान/Other Liabilities and Provisions	5	**4364,22,31**	4225,41,68
योग/TOTAL		**156538,78,76**	139050,94,87
आस्तियाँ/ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और शेषराशियाँ Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**10443,11,63**	7189,12,35
बैंकों के पास शेषराशियाँ और माँग और अल्प सूचना पर देय राशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	**1522,53,43**	5544,72,94
निवेश/Investments	8	**35067,61,56**	33010,92,88
अग्रिम/Advances	9	**106781,92,02**	90406,35,95
अचल आस्तियाँ/Fixed Assets	10	**692,72,84**	701,43,34
अन्य आस्तियाँ/Other Assets	11	**2030,87,28**	2198,37,41
योग/TOTAL		**156538,78,76**	139050,94,87
आकस्मिक देयताएँ/Contingent Liabilities	12	**52397,70,30**	52747,32,56
वसूली के लिए बिल/Bills for Collection		**2236,76,10**	2097,70,40
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ/Significant Accounting Policies	17		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ/Notes on Accounts	18		

बसंत सेठ *अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक*	**वी. के. नागर** *कार्यपालक निदेशक*	**रवि चटर्जी** *कार्यपालक निदेशक*	**Basant Seth** *Chairman & Managing Director*	**V. K. Nagar** *Executive Director*	**Ravi Chatterjee** *Executive Director*
एच प्रदीप राव *निदेशक*	**ए एस राव** *निदेशक*	**रमेश एल अडिगे** *निदेशक*	**H Pradeep Rao** *Director*	**A S Rao** *Director*	**Ramesh L Adige** *Director*
एआर नागप्पन *निदेशक*	**बी. एस. सूरी** *निदेशक*	**डी एस पूँजा** *निदेशक*	**AR Nagappan** *Director*	**B. S. Suri** *Director*	**D S Punja** *Director*
नरेंद्र एल दवे *निदेशक*	**एस के अबरोल** *महा प्रबंधक (लेखा)*		**Narendra L Dave** *Director*	**S K Abrol** *General Manager (Accounts)*	

स्थान : बेंगलूर
तारीख : 12-05-2011

Place : Bangalore
Date : 12-05-2011

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2011

(₹ हजारों में/₹ in thousands)

		अनुसूची सं. Schedule No.	Year ended/ समाप्त वर्ष दि. 31-03-2011 को	Year ended/ समाप्त वर्ष दि. 31-03-2010 को
I.	**आय/INCOME**			
	अर्जित ब्याज/Interest Earned	13	**11450,85,89**	10047,17,62
	अन्य आय/Other Income	14	**915,11,70**	1167,46,00
	योग/TOTAL		**12365,97,59**	11214,63,62
II.	**व्यय/EXPENDITURE**			
	व्ययगत ब्याज/Interest Expended	15	**7068,09,61**	7307,36,63
	परिचालन व्यय/Operating Expenses	16	**2548,10,20**	2033,57,09
	प्रावधान और आकस्मिकताएँ/Provision and Contingencies		**1701,83,22**	1060,38,09
	योग/TOTAL		**11318,03,03**	10401,31,81
III.	**लाभ/हानि/PROFIT / LOSS**			
	वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/Net Profit for the year		**1047,94,56**	813,31,81
	आगे लाया गया लाभ/हानि(–)/Profit / Loss (–) brought forward		**0**	0
	योग/TOTAL		**1047,94,56**	813,31,81
IV.	**विनियोजन/APPROPRIATIONS**			
A	सांविधिक आरक्षित निधि को अंतरण/Transfer to Staturory Reserves		**261,98,64**	203,32,95
B	राजस्व आरक्षित निधि/Revenue Reserves		**429,43,30**	244,62,59
C	आरक्षित पूंजी/Capital Reserves		**0**	77,78,43
D	सामान्य आरक्षित/General Reserve		**0**	4,98,02
E	विशेष निधि आयकर अधिनियम धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत/Special Reserves u/s 36(1) (viii) of Income Tax Act		**110,00,00**	100,00,00
F	प्रस्तावित अंतिम लाभांश (₹ 34.41 करोड़ के लाभांश कर सहित, पिछले वर्ष, ₹ 26.01 करोड़)/Proposed Final Dividend (inclusive of Dividend Tax of ₹ 34.41 cr., previous year ₹ 26.01 cr.)		**246,52,62**	182,59,82
G	तुलन–पत्र को अग्रेनीत शेषराशि/Balance carried over to the Balance Sheet		**0**	0
	योग/TOTAL		**1047,94,56**	813,31,81
	प्रति शेयर अर्जन/Earnings per share (₹)		**20.03**	15.58
	महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां/Significant Accounting Policies	17		
	लेखा संबंधी टिप्पणियां/Notes on Accounts	18		

कृते मेसर्स एन. सी. मित्रा एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(पं. सं.: 306027ई)
(गौरब मित्रा)
साझेदार
सदस्यता सं.: 061661

कृते मेसर्स जैन एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(पं. सं.: 001361N)
(एस सी पाठक)
साझेदार
सदस्यता सं.: 010194

कृते मेसर्स प्रकाश चंद्र जैन एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(पं. सं.: 002438C)
(पी सी नलवाया)
साझेदार
सदस्यता सं.: 033710

कृते मेसर्स एस सोनी एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(पं. सं.: 003935एस)
(एस सुंदर)
साझेदार
सदस्यता सं.: 023425

कृते मेसर्स आर. वेन्दर गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(पं. सं.: 002614एन)
(राघवेंदर गुप्ता)
साझेदार
सदस्यता सं.: 081544

कृते मेसर्स ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(पं. सं.: 000038एन)
(के एन गुप्ता)
साझेदार
सदस्यता सं.: 009169

For N C Mitra & Co.
Chartered Accountants
(Regn. No.: 306027E)
(Gourab Mitra)
Partner
Membership No.: 061661

For Jain & Associates
Chartered Accountants
(Regn. No.: 001361N)
(S C Pathak)
Partner
Membership No.: 010194

For Prakash Chandra Jain & Co.
Chartered Accountants
(Regn. No.: 002438C)
(P C Nalwaya)
Partner
Membership No.: 033710

For S Sonny Associates
Chartered Accountants
(Regn. No.: 003935S)
(S Sundar)
Partner
Membership No. : 023425

For R. Vender Gupta & Associates
Chartered Accountants
(Regn No.: 002614N)
(Raghvender Gupta)
Partner
Membership No.: 081544

For Thakur Vaidyanath Aiyar & Co.
Chartered Accountants
(Regn No.: 000038N)
(K N Gupta)
Partner
Membership No.: 009169

अनुसूची – 1 : पूँजी
SCHEDULE – 1 : CAPITAL

(₹ हजारों में/₹ in thousands)

	As on दि. 31-3-2011 को	As on दि. 31-3-2010 को
प्राधिकृत पूँजी 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10 AUTHORISED CAPITAL: 300,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10 each	**3000,00,00**	3000,00,00
I. **निर्गत, अभिदत्त मांगी गई और प्रदत्त पूँजी** ISSUED, SUBSCRIBED, CALLED & PAID UP CAPITAL		
अथशेष/Opening Balance	**521,96,83**	521,96,83
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**51,31,74**	0
(केन्द्रीय सरकार को जारी किए गए प्रत्येक ₹ 10 के 5,13,17,389 ईक्विटी शेयर और पूंजी में वृद्धि करने के बाद केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित कुल शेयरों की सं. 39,82,85,671 हैं) (5,13,17,389 Equity Shares of ₹ 10/- each issued to the Central Government and after infusion the total number of shares held by Central Government is 39,82,85,671.)	**573,28,57**	521,96,83
II. बेमीयादी गैर–संचयी अधिमान्य शेयर (पी.एन.सी.पी.एस.) Perpetual Non-Cumulative Preference Share (PNCPS)	**0**	0
योग/TOTAL (I+II)	**573,28,57**	521,96,83

अनुसूची – 2 : आरक्षित निधि और अधिशेष
SCHEDULE – 2 : RESERVES AND SURPLUS

	As on दि. 31-3-2011 को		As on दि. 31-3-2010 को	
I. **सांविधिक आरक्षित निधि/Statutory Reserves**				
अथशेष/Opening Balance	**1482,98,05**		1279,65,10	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**261,98,64**	**1744,96,69**	203,32,95	1482,98,05
II. **आरक्षित पूंजी/Capital Reserves**				
अथशेष/Opening Balance	**132,79,54**		55,01,11	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**0**	**132,79,54**	77,78,43	132,79,54
III. **शेयर प्रीमियम/Share Premium**				
अथशेष/Opening Balance	**200,00,00**		200,00,00	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**581,68,26**	**781,682,6**	0	200,00,00
IV. **पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि/Revaluation Reserves**				
अथशेष/Opening Balance	**4041900**		414,95,02	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**0**		0	
	404,19,00		414,95,02	
वर्ष के दौरान कटौती/Deduction during the year	**10,29,35**	**393,89,65**	10,76,02	404,19,00
V. **सामान्य आरक्षित निधि/General Reserves**				
अथशेष/Opening Balance	**581,16,40**		576,18,38	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**0**	**581,16,40**	4,98,02	581,16,40
VI. **राजस्व और अन्य आरक्षित निधि** **Revenue and Other Reserves**				
अथशेष/Opening Balance	**2063,45,49**		1818,82,69	
जोडें : लाभ व हानि लेखे से शेष का अंतरण Add: Transfer of Balance from Profit & Loss Account	**429,43,30**		244,62,80	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती/Less: Deductions during the Year	**0**	**2492,88,79**	0	2063,45,49
VII. **विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि** **Foreign Currency Tanslation Reserve**				
अथशेष/Opening Balance	**49,65**		3,42,81	
जोडें/(घटाएं) : वर्ष के दौरान समायोजन Add/(Less): Adjustments during the year	**(33,51)**	**16,14**	(2,93,16)	49,65
VIII. **आय कर अधिनियम1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशिष्ट अधिशेष/Special Reserve u/s 36 (1)(viii) of the Income Tax Act, 1961**				
अथशेष/Opening Balance	**240,00,00**		140,00,00	
जोडें : वर्ष के दौरान परिवर्धन Add: Additions during the year	**110,00,00**	**350,00,00**	100,00,00	240,00,00
IX. **लाभ–हानि लेखे में शेष/Balance in Profit and Loss Account**		**0**		0
योग/TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		**6477,55,47**		5105,08,13

अनुसूची – 3 : जमाराशियाँ
SCHEDULE – 3 : DEPOSITS

(₹ हजारों में/₹ in thousands)

		As on दि. 31-03-2011 को	As on दि. 31-03-2010 को
क./A.I.	**मांग जमाराशियाँ/Demand Deposits**		
	i) बैंकों से/From Banks	**216,68,03**	472,22,65
	ii) अन्यों से/From Others	**10522,13,31**	9713,87,69
II.	**बचत बैंक जमाराशियाँ/Savings Bank Deposits**	**31206,55,29**	26364,68,25
III.	**सावधि जमाराशियाँ/Term Deposits**		
	i) बैंकों से/From Banks	**13593,52,96**	17042,98,73
	ii) अन्यों से/From Others	**80057,18,50**	63432,02,15
	योग/TOTAL (I+II+III)	**135596,08,09**	117025,79,47
ख./B.	i) भारत की शाखाओं में जमाराशियाँ/Deposits of Branches in India	**126796,25,05**	109688,40,60
	ii) भारत के बाहर की शाखाओं में जमाराशियाँ/Deposits of Branches outside India	**8799,83,04**	7337,38,87
	योग/TOTAL	**135596,08,09**	117025,79,47

अनुसूची – 4 : उधार
SCHEDULE – 4 : BORROWINGS

I.	**भारत में उधार/Borrowings in India**		
i.	भारतीय रिज़र्व बैंक/Reserve Bank of India	**0**	0
ii.	अन्य बैंक/Other Banks	**767,76,14**	2612,25,00
iii.	अन्य संस्थाएँ और एजेन्सियाँ/Other Institutions and Agencies	**3783,84,87**	4662,21,43
iv.	नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आइ.पी.डी.आइ.) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	**773,00,00**	773,00,00
v.	बंधपत्र/डिबेंचरों के रूप में जारी किए गए सम्मिश्र ऋण पूंजी लिखत Hybrid debt capital instruments issued as bonds / debentures	**0**	0
vi.	प्रतिदेय संचयी अधिमान्य शेयर (पी.सी.पी.एस.) Redeemable Cumulative Preference Shares (PCPS)	**0**	0
vii.	प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमान्य शेयर (पी.एन.सी.पी.एस.) Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS)	**0**	0
viii.	प्रतिदेय संचयी अधिमान्य शेयर (आर.सी.पी.एस.) Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)	**0**	0
ix.	गौण ऋण/Subordinated Debt	**2744,70,00**	2844,70,00
	योग/TOTAL	**8069,31,01**	10892,16,43
II.	**भारत के बाहर उधार/Borrowings outside India**	**1458,33,31**	1280,52,33
	योग/TOTAL (I + II)	**9527,64,32**	12172,68,76

अनुसूची – 5 : अन्य देयताएँ और प्रावधान
SCHEDULE – 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

I.	देय बिल/Bills Payable	**904,11,05**	1225,37,79
II.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/Inter-Office Adjustments (Net)	**130,39,21**	0
III.	उपचित ब्याज/Interest Accrued	**657,04,78**	577,02,76
IV.	मानक आस्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान/Contingent Provision against Standard Assets	**420,44,16**	395,89,14
V.	अन्य (प्रावधान सहित)/Others (including provisions)	**2252,23,11**	2027,11,99
	योग/TOTAL (I+II+III+IV+V)	**4364,22,31**	4225,41,68

अनुसूची – 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और शेषराशि
SCHEDULE – 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ हजारों में/₹ in thousands)

		As on दि. 31-03-2011 को	As on दि. 31-03-2010 को
I.	रोकड़ शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	**306,82,58**	**369,66,92**
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि Balances with Reserve Bank of India		
	चालू खाते में/In Current Account	**10136,29,05**	**6819,45,43**
	अन्य खातों में/In Other Accounts	**0**	**0**
	योग/TOTAL (I+II)	**10443,11,63**	**7189,12,35**

अनुसूची – 7 : बैंकों के पास शेषराशि और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि
SCHEDULE – 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

I.	**भारत में/In India**		
	i) बैंकों के पास शेषराशि/Balances with Banks		
	क)/a) चालू खातों में/in Current Accounts	**52,39,13**	134,53,19
	ख)/b) अन्य जमा खातों में/in other Deposit Accounts	**58,91,56**	57,76
	ii) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि/Money at Call and Short Notice		
	क)/a) बैंकों के पास/with banks	**119,66,25**	4841,73,32
	ख)/b) अन्य संस्थाओं के पास/with other institutions	**0**	0
	योग/TOTAL	**230,96,94**	4976,84,27
II.	**भारत के बाहर/Outside India**		
	क)/a) चालू खातों में/in Current Accounts	**50,65,05**	20,10,06
	ख)/b) अन्य जमा खातों में/in other Deposit Accounts	**1240,91,44**	547,78,61
	ग)/c) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि/Money at Call and Short Notice	**0**	0
	योग/Total	**1291,56,49**	567,88,67
	योग/TOTAL (I + II)	**1522,53,43**	5544,72,94

अनुसूची – 8 : निवेश
SCHEDULE – 8 : INVESTMENTS

I.	**भारत में निवेश (सकल)/Investments in India (Gross)**	**34954,24,64**	32778,73,81
	घटाएं: मूल्यह्रास/एन.पी.आई. के लिए प्रावधान/Less: Provision for depreciation / NPI	**17,68,31**	58,00,21
		34936,56,33	32720,73,60
	सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government securities	**30302,48,54**	28286,29,78
	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ/Other approved securities	**43,35,89**	69,06,92
	शेयर/Shares	**180,78,43**	147,95,86
	डिबेंचर और बंध पत्र/Debentures and Bonds	**1646,25,86**	1777,94,30
	अनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम/Subsidiaries and/or Associates	**33,59,83**	33,59,83
	अन्य/Others	**2730,07,78**	2405,86,91
	योग/ TOTAL	**34936,56,33**	32720,73,60
II.	**भारत के बाहर निवेश (सकल)/Investments outside India (Gross)**	**156,40,30**	314,95,87
	घटाएं: मूल्यह्रास के लिए प्रावधान/Less: Provision for depreciation	**25,35,07**	24,76,59
	शुद्ध निवेश/Net Investments	**131,05,23**	290,19,28
	योग/TOTAL (I+II)	**35067,61,56**	33010,92,88

अनुसूची – 9: अग्रिम
SCHEDULE – 9: ADVANCES

(₹ हजारों में/₹ in thousands)

			As on दि. 31-03-2011 को	As on दि. 31-03-2010 को
क./A.	i)	खरीदे और भुनाए गए बिल/Bills purchased and discounted	**1509,25,93**	1164,28,86
	ii)	ऋण, नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रदेय ऋण Loans, Cash credits, Overdrafts and Loans, repayable on demand	**54797,57,77**	47275,60,09
	iii)	मीयादी ऋण/Term Loans	**50475,08,32**	41966,47,00
		योग/Total	**106781,92,02**	90406,35,95
ख./B.	i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत/Secured by tangible assets	**66289,15,90**	58148,72,69
	ii)	बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित/Covered by Bank/Government Guarantees	**12657,22,76**	9403,26,33
	iii)	अरक्षित/Unsecured	**27835,53,36**	22854,36,93
		योग/Total	**106781,92,02**	90406,35,95
ग./C.	I)	**भारत में अग्रिम/Advances in India**		
		i) प्राथमिकता क्षेत्र/Priority Sector	**32175,89,10**	31085,62,74
		ii) सार्वजनिक क्षेत्र/Public Sector	**11045,68,37**	9158,10,84
		iii) बैंक/Banks	**4084,12,14**	1639,58,76
		iv) अन्य/Others	**48670,62,84**	39673,67,68
		योग/Total	**95976,32,45**	81557,00,02
	II)	**भारत के बाहर के अग्रिम/Advances outside of India**		
		i) बैंकों से देय/Due from Banks	**7482,08,76**	6012,28,82
		ii) अन्यों से देय/Due from others		
		क)/a) खरीदे गए और बट्टागत बिल/Bills purchased and Discounted	**181,13,49**	277,70,24
		ख)/b) सिंडिकेटेड ऋण/Syndicated Loans	**2482,81,30**	1987,71,14
		ग)/c) अन्य/Others	**659,56,02**	571,65,73
		योग/Total	**10805,59,57**	8849,35,93
		योग/TOTAL (ग I + ग II) (C.I + C. II)	**106781,92,02**	90406,35,95

अनुसूची – 10 : अचल आस्तियाँ
SCHEDULE – 10 : FIXED ASSETS

I.	**परिसर/Premises**		
	पिछले वर्ष के 31 मार्च के अनुसार लागत/पुनर्मूल्यन पर At cost/revaluation as on 31st March of preceding year	**546,98,71**	538,76,32
	जोड़े: वर्ष के दौरान परिवर्धन/Add: Additions during the year	**13,43,35**	10,84,85
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ/समायोजन/Less: Deductions/Adjustments during the year	**2,52,37**	2,62,46
		557,89,69	546,98,71
	घटाएं: अब तक मूल्यह्रास/Less: Depreciation to date	**73,23,20**	59,36,81
	योग/Total	**484,66,49**	487,61,90
II.	प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य/Capital work in progress	**15,69,09**	18,95,18
III.	**अन्य अचल आस्तियाँ/Other Fixed Assets**		
	पिछले वर्ष के मार्च 31की लागत पर/At cost as on 31st March of preceding year	**732,21,55**	686,23,44
	जोडिए: वर्ष के दौरान परिवर्धन/Add: Additions during the year	**68,46,31**	57,93,62
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ/Less: Deductions during the year	**10,80,48**	11,95,51
		789,87,38	732,21,55
	घटाएं: अब तक मूल्यह्रास/Less: Depreciation to date	**597,50,12**	537,35,29
	योग/Total	**192,37,26**	194,86,26
	योग/TOTAL (I+II+III)	**692,72,84**	701,43,34

अनुसूची – 11: अन्य आस्तियाँ
SCHEDULE – 11: OTHER ASSETS

(₹ हजारों में/₹ in thousands)

	As on दि. 31-03-2011 को	As on दि. 31-03-2010 को
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/Inter-Office Adjustments (Net)	**0**	110,37,68
II. उपचित ब्याज/Interest accrued	**626,29,32**	598,29,93
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधान घटाकर) Tax paid in advance/tax deducted at source (net of provisions)	**791,85,93**	598,43,15
IV. लेखन सामग्री व स्टांप/Stationery and Stamps	**10,07,49**	10,32,22
V. दावों की चुकौती में अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियाँ (मूल्यह्रास घटाकर) Non-banking assets acquired in satisfaction of claims (Net of Depreciation)	**3,79**	3,94
VI. अन्य/Others	**602,60,75**	880,90,49
योग/TOTAL (I+II+III+IV+V+VI)	**2030,87,28**	2198,37,41

अनुसूची – 12 : आकस्मिक देयताएँ
SCHEDULE – 12 : CONTINGENT LIABILITIES

I. बैंक के विरुद्ध किए गये दावे जो ऋणों के रूप में अभिस्वीकृत नहीं है Claims against the bank not acknowledged as debts	**78,35,07**	79,25,77
II. अंशत: प्रदत्त निवेशों के प्रति देयता/जोखिम निधि Liability for partly paid Investments/venture fund	**73,14,64**	34,11,06
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं से संबंधित देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	**39410,86,45**	42117,03,47
IV. ग्राहकों की ओर से दी गयी गारंटियाँ/Guarantee given on behalf of constituents		
क)/a) भारत में/In India	**6934,30,07**	6422,01,83
ख)/b) भारत के बाहर/Outside of India	**55,84**	4,17,68
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	**3212,97,53**	2895,53,29
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है Other items for which bank is contingently liable		
i) उन संविदाओं की अनुमानित रकम जिनको पूंजीगत लेखे में निष्पादित किया जाता है और जिन के लिए प्रावधान नहीं किया गया है/ Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital accounts not provided for	**17,29,47**	5,04,66
ii) अन्य/Others	**2670,21,23**	1190,14,80
योग/TOTAL (I+II+III+IV+V+VI)	**52397,70,30**	52747,32,56

अनुसूची – 13: अर्जित ब्याज
SCHEDULE – 13: INTEREST EARNED

	Year ended दि. 31-3-2011 को	Year ended दि. 31-3-2010 को
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा/Interest/Discount on Advances/Bills	**9197,23,65**	7697,22,23
II. निवेशों पर आय/Income on investments	**2268,49,47**	2348,90,17
घटाएँ: निवेशों के पुनर्मूल्यन में से हुई हानि/Less: Loss on revaluation of investments	**(60,77,42)**	(80,88,06)
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशियों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter bank funds	**10,72,41**	50,95,44
IV. अन्य/Others	**35,17,78**	30,97,84
योग/TOTAL	**11450,85,89**	10047,17,62

अनुसूची – 14 : अन्य आय
SCHEDULE – 14 : OTHER INCOME

(₹ हजारों में/₹ in thousands)

		Year ended दि. 31-03-2011 को	Year ended दि. 31-03-2010 को
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली/Commission, Exchange and Brokerage	**442,23,05**	363,00,48
II.	विनिधानों की बिक्री से प्राप्त लाभ/Profit on sale of investments	**35,23,89**	388,85,61
	घटाएँ: निवेशों की बिक्री से हुई हानि/Less: Loss on sale of investments	**–**	–
III.	जमीन, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ Profit on sale of land, buildings & other assets	**17,93**	23,33
	घटाएँ: जमीन, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से हुई हानि Less: Loss on sale of land, buildings & other assets	**(45,58)**	(25,71)
IV.	विनिमय लेनदेन पर लाभ/Profit on exchange transactions	**97,91,98**	68,42,39
	घटाएँ/Less: विनिमय लेनदेन पर हुई हानि/Loss on exchange transactions	**(2,43)**	(25,81)
V.	लाभांश इत्यादि के माध्यम से प्राप्त आय/Income earned by way of dividend	**5,40,51**	5,96,06
VI.	विविध आय/Miscellaneous Income	**334,62,35**	341,49,65
	योग/TOTAL	**915,11,70**	1167,46,00

अनुसूची – 15: व्ययगत ब्याज
SCHEDULE – 15: INTEREST EXPENDED

I.	जमाराशियों पर ब्याज/Interest on Deposits	**6193,29,85**	6780,82,13
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधार पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/Inter Bank borrowings	**111,28,69**	10,93,96
III.	अन्य/Others	**763,51,07**	515,60,54
	योग/TOTAL	**7068,09,61**	7307,36,63

अनुसूची – 16: परिचालन व्यय
SCHEDULE – 16 : OPERATING EXPENSES

I.	कर्मचारियों को संदाय और उनके लिए प्रावधान/Payments to and provisions for Employees	**1773,31,42**	1337,76,49
II.	किराया, कर और बिजली/Rent, Taxes and Lighting	**147,85,95**	133,59,59
III.	मुद्रण और लेखन सामग्री/Printing and Stationery	**14,12,16**	15,85,92
IV.	विज्ञापन और प्रचार/Advertisement and Publicity	**18,64,13**	17,37,03
V.	बैंक की संपत्तियों पर मूल्यह्रास/Depreciation on Bank's Property	**70,96,26**	88,17,48
VI.	निदेशकों का शुल्क, भत्ते और खर्च/Directors' Fees, Allowances and Expenses	**43,53**	74,14
VII.	लेखा परीक्षकों का शुल्क और खर्च (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors)	**20,38,59**	20,22,89
VIII.	विधि प्रभार/Law Charges	**7,68,06**	8,68,02
IX.	डाक व्यय, तार, दूरभाष आदि/Postage, Telegrams, Telephones etc.	**18,29,84**	18,92,45
X.	मरम्मत और अनुरक्षण/Repairs and Maintenance	**62,83,23**	48,57,39
XI.	बीमा/Insurance	**104,83,81**	105,11,91
XII.	अन्य व्यय/Other Expenditure*	**308,73,22**	238,53,78
	योग/TOTAL	**2548,10,20**	2033,57,09
	*पिग्मी एजेंटों का कमीशन शामिल है/Includes Pigmy Agents Commission	**51,77,15**	45,82,03

अनुसूची – 17
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ 2010-2011

1.0 लेखाकरण प्रथा

संलग्न वित्तीय विवरण 'लाभकारी कारोबार वाला संस्थान सिद्धांत' का पालन करते हुए सामान्यतः परंपरागत लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं और ये अन्यथा सूचित मामलों को छोड़कर सांविधिक उपबंधों भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा प्रचलित लेखाकरण नामकों और क्रियाविधियों के अनुसार है।

2.0 विदेशी मुद्रा संबंधी लेन–देन

2.1 भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों को अपनाया गया है ।

2.2 फॉरैक्स देयता युक्त सभी विदेशी मुद्रा लेन–देनों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा घोषित साप्ताहिक औसत दर (डब्ल्यू.ए.आर) लागू करते हुए अभिलेखित किया गया है. जबकि सभी फॉरैक्स आस्तियों को प्रचलित बाज़ार दरों पर अभिलेखित किया गया है।

2.3 सभी मौद्रिक आस्तियों और देयताओं को वर्ष के अंत में फेडाई अंतिम विनिमय दर पर रिपोर्ट किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को राजस्व के रूप में लिया गया है ।

2.4 बकाया वायदा विनिमय संविदाओं को, विनिर्दिष्ट परिपक्वता के लिए अधिसूचित विनिमय दरों तथा ''बीच की परिपक्वताओं'' वाले संविदाओं के लिए अंतर्वेशित दरों पर रिपोर्ट किया गया है ।

2.5 गारंटियों, साख पत्रों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों तथा अन्य दायित्वों से संबंधित आकस्मिक देयताओं को अंतिम विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया है ।

2.6 बैंक की विदेशी शाखा को ''गैर समाकलित विदेशी परिचालन'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

क) विदेशी संचालनों के सभी आस्तियों और देयताओं, मौद्रिक और गैर–मौद्रिक दोनों, को अंतिम विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया ।

ख) आय और व्यय का परिवर्तन त्रैमासिक औसत विनिमय दरों पर किया गया ।

ग) ए.एस. 11 के अनुसार किए गए परिवर्तन से हुए परिणामी विनिमय अंतर को, विदेशी परिचालन के निवल निवेश का निपटान होने तक ''विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि'' में जमा किया गया ।

3.0 निवेश

3.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार भारत में निवेश निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाते हैं ।

I. परिपक्वता तक धारित
II. विक्रय के लिए उपलब्ध
III. व्यापार के लिए धारित

प्रत्येक वर्ग को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया:

क) सरकारी प्रतिभूतियां ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
ग) शेयर घ) डिबेंचर और बध पत्र
ङ) अनुषंगी च) अन्य

3.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया जाता है।

SCHEDULE – 17
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 2010-2011

1.0 ACCOUNTING CONVENTIONS

The accompanying financial statements are prepared following the 'Going Concern' concept on historical cost basis and conform to the statutory provisions including the RBI guidelines and the applicable accounting standards and prevailing practices of the countries concerned, except wherever otherwise stated.

2.0 TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE

2.1 Exchange rates as notified by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) are adopted.

2.2 All foreign currency transactions involving forex liabilities are recorded by applying weekly average rate (WAR) published by FEDAI whereas all forex assets are recorded at on going market rates.

2.3 All the monetary assets & liabilities are reported at the end of the year at FEDAI closing exchange rate and the resultant profit / loss is taken to revenue.

2.4 Outstanding Forward Exchange Contracts are reported at the exchange rates notified for specified maturities and at interpolated rates for contracts of "in between maturities".

2.5 Contingent liabilities on account of Guarantees, Letters of Credit, Acceptances, Endorsements and other obligations are translated at closing exchange rates.

2.6 Foreign Branch of the Bank is classified as "Non-Integral Foreign Operation"

a) All assets & liabilities of the foreign operations, both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities are translated at closing exchange rates.
b) Income and Expenditure are translated at quarterly average exchange rates.
c) The resulting exchange difference arising from translation as per AS-11 is accumulated in a "Foreign Currency Translation Reserve" until disposal of net investment of the foreign operation.

3.0 INVESTMENTS

3.1 In accordance with guidelines of RBI, investments in India are classified into:

I. Held to Maturity
II. Available for Sale
III. Held for Trading

Each category is further classified into:

a) Government Securities b) Other Approved Securities
c) Shares d) Debentures & Bonds
e) Subsidiaries f) Others.

3.2 Investments are valued in accordance with RBI guidelines.

3.2.1 परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अधीन निवेश का मूल्यांकन अर्जन लागत के आधार पर किया जाता है, सिवाय उस मामले के जब उसका अर्जन प्रीमियम पर किया जाए तब इस मामले में प्रीमियम का परिशोधन सीधी रेखा पद्धति का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति की शेष अवधि तक किया जाता है ।

3.2.2 विक्रय के लिए उपलब्ध श्रेणी के अधीन धारित निवेश का मूल्य निर्धारण लागत या बाज़ार मूल्य इनमें जो कम हो, के आधार पर किया जाता है । अलग-अलग शेयरों का मूल्य निर्धारण किया जाता है और तुलन-पत्र में निवेश के वर्गीकरण के अनुसार मूल्यह्रास/मूल्यवृद्धि का समुच्चयन श्रेणीवार किया जाता है । शुद्ध मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया जाता है और शुद्ध मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, पर ध्यान नहीं दिया जाता है ।

3.2.3 व्यापार के लिए धारित श्रेणी के अधीन, निवेश बाज़ार के लिए चिह्नित किए गए हैं और परिणामी मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास का संकलन तुलन पत्र के वर्गीकरण के अनुसार प्रवर्ग वार किया जाता है । शुद्ध मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया जाता है और शुद्ध मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, पर ध्यान नहीं दिया जाता है ।

3.2.4 मूल्य निर्धारण के प्रयोजन के लिए –

i) लागत का संदर्भ अर्जन की वास्तविक लागत/प्रचलित लागत से है जहाँ कहीं लागू होता हो

ii) बाज़ार मूल्य का संदर्भ, शेयर बाजार/भाव, एस.जी.एल. खाता लेन-देन, भा.रि.बैं./एफ.आई.एम.एम.डी.ए./पी.डी.ए.आइ. नवीनतम उपलब्ध मूल्य सूची से है और ऐसे कोटेशन के अभाव में :

क) सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण, एफ.आइ. एम.एम.डी.ए./पी.डी.ए.आइ. की कीमतों/परिपक्वता पर प्रतिलाभ (वाइ.टी.एम.) दरों के आधार पर, भा.रि.बैं. द्वारा यथानिर्दिष्ट समुचित कीमत-लागत अंतर के साथ किया जाएगा।

ख) डिबेंचरों/बंधपत्रों का मूल्य निर्धारण, पी.डी.ए.आइ./एफ.आइ.एम.एम.डी.ए. द्वारा यथा निर्दिष्ट समुचित कीमत - लागत अंतर के साथ वाइ.टी.एम. आधार पर किया जाएगा।

ग) तिजोरी बिल, आर.आई.डी.एफ. वाणिज्यिक पत्र और वित्तीय संस्थाओं में स्थित सावधि धन का मूल्य निर्धारण लागत के आधार पर किया जाता है ।

घ) अधिमान्य शेयरों का मूल्य निर्धारण वाइ.टी.एम. आधार पर किया जाएगा।

ङ) ईक्विटी शेयरों का मूल्य निर्धारण अंतिम सौदा मूल्य पर या जहाँ भाव उपलब्ध नहीं है वहाँ अद्यतन तुलन पत्र के अनुसार विश्लेषित मूल्य (पुनर्मूल्यन रिज़र्व पर ध्यान दिए बिना) पर किया जाएगा।

च) क्षे.ग्रा. बैंकों में किए गए निवेशों का मूल्य निर्धारण रखाव लागत के आधार पर किया गया है (यानी बही मूल्य) ।

छ) प्रतिभूतिकरण कंपनी (एस.सी.)/पुनर्निर्माण कंपनी (आर.सी.) द्वारा जारी की गयी प्रतिभूति रसीदों का मूल्य निर्धारण भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समय-समय पर निर्धारित गैर एस.एल.आर. लिखतों में किए निदेश पर लागू होनेवाले मानदण्डों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है।

ज) जोखिम पूंजी निधियों (वी.सी.एफ.) की यूनिटों का मूल्य निर्धारण वी.सी.एफ. द्वारा, अपने 18 महीने से अनधिक पुराने वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए एन.ए.वी. पर किया गया।

झ) म्यूच्युअल फंड में इकाइयों का मूल्य निर्धारण पुनः खरीदी मूल्य या निवल आस्ति मूल्य, इनमें जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है ।

3.2.1 Investments under Held to Maturity are valued at cost of acquisition, except where it is acquired at premium in which case the premium is amortised over the remaining period of maturity using Straight Line Method.

3.2.2 Investments held under Available for Sale category are valued at cost or market value, whichever is lower. Individual scripts are valued and depreciation / appreciation is aggregated category-wise as per the classification of investments in the Balance Sheet. Net depreciation is provided for and net appreciation, if any, is ignored.

3.2.3 Investments under Held for Trading category are marked to market and the resultant appreciation/ depreciation is aggregated category-wise as per Balance Sheet classification. Net depreciation is provided for and net appreciation, if any, is ignored.

3.2.4 For the purpose of valuation –

I. Cost refers to actual cost of acquisition / carrying cost, wherever applicable.

II. Market value refers to latest available price from the trades / quotes on the stock exchanges, SGL account transactions, price list of RBI / FIMMDA / PDAI as such:

a) Government Securities and Other Approved Securities are valued on the basis of Prices / Yield to Maturity (YTM) rates of FIMMDA / PDAI with appropriate spreads as prescribed by RBI.

b) Debentures / Bonds are valued on YTM basis with appropriate spreads as prescribed by PDAI / FIMMDA.

c) Treasury Bills, RIDF, Commercial Papers and Certificate of Deposits are valued at cost.

d) Preference Shares are valued on YTM basis.

e) Equity Shares are valued at last traded prices and where the shares are not quoted on stock exchanges, the unquoted shares are valued at breakup value (without considering 'revaluation reserves', if any) as per the latest available balance sheet.

f) Investment in RRBs is valued at carrying cost (i.e. book value).

g) Security Receipts issued by Securitisation Companies (SC)/Reconstruction Company (RC) are valued/classified as per the norms applicable to investment in Non-SLR instruments as prescribed by RBI from time-to-time.

h) Units of Venture Capital Funds (VCF) are valued at NAV shown by the VCF in its financial statements not older than 18 months.

i) Units in mutual fund are valued at repurchase price or Net Asset Value, whichever is lower.

3.2.5 निवेशों का वर्गीकरण उनके निष्पादन और भा.रि.बैं. के दिशा निदेशों के अनुसार, अग्रिमों पर लागू होनेवाले आइ.आर.ए.सी. मानदंडों के अनुसार किए गए प्रावधान के आधार पर किया गया। अनुत्पादक निवेशों पर किये गये प्रावधान का समंजन अन्य अर्जक निवेशों से संबंधित मूल्यवृद्धि के प्रति नहीं किया गया।

3.3 परिपक्वता के लिए धारित श्रेणी में प्रतिभूतियों के विक्रय/निपटान संबंधी अनुलाभ, यदि कोई हो, लाभ हानि लेखे के जरिए पूंजी रिज़र्व को लाया जाता है ।

3.4 एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण इस तरह से अंतरित प्रतिभूतियों पर मूल्यह्रास, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान करने के पश्चात किया जाता है ।

3.5 विदेशी शाखा में अस्थायी दर वाले नोट तथा उधार संबद्ध नोटवाले निवेशों को 'बिक्री के लिए उपलब्ध' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उनका मूल्य निर्धारण, अंकित मूल्य या बाजार मूल्य, इनमें जो भी कम हो, पर किया गया। इन निवेशों को त्रैमासिक अंतरालों में बाजार के लिए अंकित किया गया है और जहाँ इन निवेशों का मूल्य नाममात्र मूल्य से कम हुआ है वहाँ, इस संबंध में, तुलन-पत्र में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया गया है और इसके लिए लाभ व हानि लेखे में प्रभार अंकित किया गया है।

3.6 अभिदानों पर प्राप्त प्रोत्साहन राशि को प्रतिभूतियों की लागत से कटौती की जाती है । प्रतिभूतियों के अभिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली/कमीशन/स्टांप शुल्क को राजस्व व्यय माना जाएगा।

4.0 व्युत्पन्न

4.1 व्युत्पन्न लेन-देन के लिए दिए गये ऋण की निगरानी चालू ऋण मंजूरी पद्धति पर की जाती है।

4.2 अप्रतिभूत प्रतिरक्षा लेन-देनों को सौदा लेन-देन समझा जाएगा और उन्हें परिपक्वता की तारीख तक चालू रखा जाएगा।

4.3 व्युत्पन्न लेन-देनों को प्रतिरक्षा और अप्रतिरक्षा लेन-देनों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और उनका उचित मूल्य पर आंका जाएगा।

4.4 पारस्परिक आधार पर किए गए लेन-देन तथा आस्तियों एवं देयताओं पर जोखिम प्रतिरक्षा हेतु किए गए लेन-देनों का मूल्य निर्धारण तथा लेखाकरण ब्याज उपचयन के आधार पर किया जाएगा ।

4.5 मार्केट मेकिंग लेन-देनों का लेखांकन पाक्षिक अंतरालों में बाजार के लिए अंकित आधार पर किया जाएगा जब कि प्रतिरक्षा लेन-देनों का लेखांकन उपचयन के आधार पर किया जाएगा।

4.6 खरीद के समय प्रदत्त प्रीमियम, यदि कोई हो, को लेन-देन की अवशिष्ट अवधि पर परिशोधित किया जाएगा और परिपक्वता के बाद लाभ को हिसाब में लिया जाएगा और मितिकाटे को अग्रिमों से प्राप्त आय लेखे में रखा जाएगा और परिपक्वता पर उसे लाभ व हानि लेखे में विनियोग किया जाएगा।

5.0 अग्रिम

5.1 अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और ऐसे अग्रिमों से हुई हानियों के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। विदेशी शाखा के मामले में, आस्तियों का वर्गीकरण तथा हानि का प्रावधान, स्थानीय अपेक्षाओं या भा.रि.बैं. के विवेकपूर्ण मानदण्डों, इनमें जो भी अधिक कड़ा हो, के अनुसार किया जाता है।

3.2.5 Investments are also categorised based on their performance and provisions are made as per IRAC norms applicable to advances as per RBI guidelines. Provision made on non-performing investments is not set off against the appreciation in respect of other performing investments.

3.3. Gain, if any, on sale / disposal of securities in the Held to Maturity category is taken to Capital Reserve through the Profit and Loss Account.

3.4. Transfer of securities from one category to another is effected after providing for depreciation, if any, on the securities so transferred.

3.5 Floating Rate Note and Credit Linked Note investments at Foreign Branch are classified as Available For Sale and are valued at nominal value or market value, whichever is lower. These investments are marked to market at quarterly intervals and where the value of these investments is lower than the nominal value, a provision for depreciation is created in the Balance Sheet and a charge is recognized in the Profit and Loss Account.

3.6 Incentive received on subscriptions is deducted from the cost of securities. Brokerage/commission/stamp duty paid in connection with acquisition of securities is treated as revenue expenses.

4.0 DERIVATIVES

4.1 The credit exposures for derivative transactions are monitored on Current Credit Exposure method.

4.2 The naked hedging transactions are considered as a trading transaction and allowed to run till maturity.

4.3 Derivative transactions are classified into hedge and non-hedge and measured at fair value.

4.4 The transactions covered on back-to-back basis and the transactions undertaken to hedge the risk on assets and liabilities are valued and accounted on interest accrual basis.

4.5 Market making transactions are accounted on marked-to-market basis at fortnightly intervals, while hedging transactions are accounted for on accrual basis.

4.6 Premium at the time of purchase if any is amortized over the residual period of the transactions and profit is booked on maturity. Discount is held in Income Received in Advance account and appropriated to P&L account on maturity.

5.0 ADVANCES

5.1 Advances are classified into Performing and Non-Performing Assets and provisions for loan losses on such advances are made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India from time-to-time. In respect of foreign branch, asset classification and provisioning for loan losses are made as per local requirements or as per RBI prudential norms, whichever is more stringent.

5.2 अग्रिमों का उल्लेख अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर किया जाता है सिवाय उन मानक अग्रिमों के लिए किए गए सामान्य प्रावधानों के मामले में, जिन्हें ''अन्य देयताओं और प्रावधान'' में शामिल किया गया है ।

6.0 परिसर और अन्य अचल आस्तियां

6.1 परिसर और अन्य अचल आस्तियों को, मूल्यह्रास को घटाने के बाद परंपरागत लागत और/या पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर दर्शाया गया है । परिसरों का पुनर्मूल्यांकन, अनुमोदित मूल्यांककों द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित मूल्य पर हर पाँच वर्ष में किया जाता है । ऐसे पुनर्मूल्यांकन पर प्राप्त होनेवाली राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में जमा किया गया है ।

6.2 परिसर पर मूल्यह्रास का प्रावधान सम्मिश्र लागत पर किया गया है, जहाँ जमीन की लागत को अलग नहीं किया जा सकता है । पुनर्मूल्यांकित राशि पर अतिरिक्त मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में समायोजित किया गया है ।

6.3 परिवर्धन सहित अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान अन्यथा उल्लिखित के सिवाय निम्नलिखित दरों पर ह्रासमान शेष प्रणाली के आधार पर वार्षिक रूप से किया जाता है:

क)	परिसर	
	i) बैंक के स्वामित्ववाले (पूर्ण स्वामित्व वाले/पट्टे पर लिए गए)	5%
	ii) पट्टे पर लिये गये परिसरों के संबंध में पूंजीगत व्यय	
	– जहाँ पट्टे की अवधि निर्दिष्ट नहीं है	10%
	– जहाँ पट्टे की अवधि निर्दिष्ट है	पट्टे की शेष अवधि पर परिशोधित
ख)	अन्य आस्तियाँ	
	i) फर्नीचर	10%
	ii) उपस्कर, टाइपराइटर, अन्य उपकरण, यू.पी.एस. जनरेटर आदि	15%
	iii) वाहन	20%
	iv) इलेक्ट्रानिक उपकरण	40%
	v) कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर (सीधी रेखा पद्धति)	33.33%

6.4 अचल आस्तियों में जोड़ी गयी आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान, पूरे वर्ष के लिए किया जाता है, सिवाय कंप्यूटर उपकरण तथा परिचालन साफ्टवेयर के मामले में, जहाँ मूल्यह्रास का प्रावधान यथानुपातिक आधार पर किया जाता है । उनके निपटान करने के वर्ष में आस्तियों पर कोई मूल्यह्रास नहीं किया गया है।

7.0 सेवानिवृत्ति लाभ

7.1 कर्मचारी जिन्होंने भविष्य निधि के लिए विकल्प दिए हैं, उनके मामले में भविष्य निधि न्यास को सांविधिक अंशदान किया जाता है और अन्य कर्मचारी जिन्होंने पेन्शन के लिए विकल्प दिए हैं उनके संबंध में पेन्शन निधि को अंशदान वास्तविक मूल्य के आधार पर किया जाता है ।

7.2 उपदान निधि न्यास को अंशदान वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है ।

7.3 छुट्टी नकदीकरण सुविधा की देयता को वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार उपचय आधार पर उपलब्ध कराया जाता हैं ।

5.2 Advances are stated net of provisions made for Non-Performing Assets except general provisions for Standard Advances, Provision held for sold assets which have been included in 'Other Liabilities and Provisions'.

6.0 PREMISES AND OTHER FIXED ASSETS

6.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost and/or revaluation value less accumulated depreciation. The premises are revalued every five years at value determined based on the appraisal by approved valuers. Surplus arising at such revaluation is credited to Revaluation Reserve.

6.2 Depreciation on premises has been provided on composite cost wherever cost of land cannot be segregated. Additional depreciation on revalued amount is adjusted to the Revaluation Reserve.

6.3 Depreciation on other fixed assets, including additions, is provided for on the basis of written down value, except as otherwise stated, at the following rates:

a)	<u>PREMISES:</u>	
	i) Bank owned (freehold/leasehold)	5%
	ii) Capital Expenditure on premises taken on lease	
	– where lease period is not specified	10%
	– where lease period is specified	amortised over the residual Period of lease.
b)	<u>OTHER ASSETS:</u>	
	i) Furniture	10%
	ii) Fixtures, typewriters, other equipments, UPS, generators, etc.	15%
	iii) Vehicles	20%
	iv) Electronic equipments	40%
	v) Computers & Operating Software (Straight Line Method)	33.33%

6.4 Depreciation on additions to fixed assets is provided for the whole year except on additions to computers and operating software, which is on pro-rata basis. No depreciation is provided on the assets in the year of their disposal.

7.0 RETIREMENT BENEFITS

7.1 Statutory contribution is made to Provident Fund Trust in respect of employees who have opted for Provident Fund. For others who have opted for pension scheme, contribution to Pension Fund Trust is made based on actuarial valuation.

7.2 Contribution to Gratuity Fund Trust is based on actuarial valuation.

7.3 Liability towards leave encashment is provided on accrual basis as per actuarial valuation

8.0 **राजस्व का निर्धारण**

क) राजस्व और व्यय का हिसाब सामान्यतः उपचय के आधार पर किया जाता है, सिवाय म्यूच्युअल फंड संव्यवहारों पर शुल्क/कमीशन के गैर बैंकिंग आस्तियों पर आय, लॉकर किराया, परिपक्व जमाराशियाँ/अतिदेय बिलों पर ब्याज/कर वापसी अनर्जक आस्तियों से आय, दावा दायर खातों पर विधिक व्यय जिनका लेखाकरण नकदी आधार पर किया गया है।

ख) जब शेयरों पर लाभांश की घोषणा की जाती है तब उस से प्राप्त आय का लेखाकरण उपचय आधार पर किया जाता है और लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है।

ग) अतिदेय जमाराशियों पर ब्याज को नवीकरण के समय पर हिसाब में लिया जाता है। परिपक्व जमाराशियों के मामले में भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रावधान किया गया है ।

घ) प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय पर खंडित अवधि का ब्याज भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार राजस्व मद माना जाता है।

ङ) एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर, बांड निर्गम, क्रेडिट कार्ड एवं बीमा उत्पादों के फ्रैन्चाइज को राजस्व में प्रभारित कर दिया जाता है।

च) आयातित सोने के सिक्कों की बिक्री से प्राप्त आय का लेखाकरण, सिक्कों की बिक्री पूरी होने के बाद अन्य आय के रूप में किया जाता है।

9.0 आय कर

9.1 चालू कर का निर्धारण आय कर अधिनियम, 1961 के आधार पर किया जाता है।

9.2 कर योग्य आय और लेखाकरण आय के बीच समय का अंतर होने की वजह से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं का अभिनिर्धारण आइ.सी.ए.आइ. द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानक 22 के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों से संबंधित विवेकपूर्ण मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

10.0 देश जोखिम प्रबंधन

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार देश जोखिम प्रबंधन नीति अपनाई है।

11.0 सोने के सिक्के

आयातित सोने के सिक्कों के स्टॉक का मूल्य निर्धारण, लागत पर या बाज़ार मूल्य, इनमें जो भी कम हो, पर किया गया है।

12.0 निवल लाभ

निवल लाभ का निर्धारण 'प्रावधानों और आकस्मिकताओं' के अधीन निम्नलिखित मदों को हिसाब में लेने के पश्चात् किया गया है:

– आय कर और संपत्ति कर के लिए प्रावधान
– अनर्जक अग्रिमों और निवेशों के लिए प्रावधान/अपलेखन
– मानक आस्तियों के प्रावधान
– निवेश पर मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास के लिए समायोजन
– आकस्मिकताओं को अंतरण
– अन्य सामान्य और आवश्यक प्रावधान

8.0 REVENUE RECOGNITION

a) Revenue and expenses are generally accounted for on accrual basis except in respect of fees/commission on transactions with Mutual Funds, income on non-banking assets, locker rent, interest on overdue bills/tax refunds, income from non-performing assets and legal expenses on suit filed accounts which are accounted on cash basis.

b) Income from dividend on shares is accounted on accrual basis when the same is declared and the right to receive the dividend is established.

c) Interest on overdue deposits is accounted for at the time of renewal. In respect of matured deposits provision has been made as per the RBI guidelines.

d) The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue as per RBI guidelines.

e) Expenditure in respect of application software, bonds issue, franchises of credit card and insurance products are charged off to revenue.

f) Income from consignment sale of imported gold coins is accounted for as other income after the sale is complete.

9. TAXES ON INCOME

9.1 Current tax is determined as per the provisions of the Income tax Act, 1961.

9.2 Deferred tax assets and liabilities arising on account of timing differences between taxable and accounting income, is recognized keeping in view, the consideration of prudence in respect of deferred tax assets in accordance with the Accounting Standard 22 issued by ICAI.

10. COUNTRY RISK MANAGEMENT

The bank has adopted the Country Risk Management policy in accordance with the RBI guidelines.

11. GOLD COINS

Stock of imported gold coins is valued at cost or market price, whichever is lower.

12. NET PROFIT

Net Profit is arrived at after accounting for the following under "Provisions & Contingencies":

– Provision for Income Tax and Wealth Tax
– Provision/Write off of Non-Performing Advances and Investments
– Provision on Standard Assets
– Adjustment for appreciation/depreciation on Investments
– Transfer to Contingencies
– Other usual and necessary provisions.

अनुसूची –18 लेखा संबंधी टिप्पणियाँ –2010-2011

1. **पूंजी**

विवरण	31-03-2011	31-03-2010
i) जोखिम भारित आस्ति (सी आर ए आर) की तुलना में पूँजी का अनुपात (%) बासेल – II	13.04	12.70
ii) सी.आर.ए.आर. प्रथम चरण की पूंजी (%)	9.31	8.24
iii) सी.आर.ए.आर. द्वितीय चरण की पूंजी (%)	3.73	4.46
iv) भारत सरकार के शेयरधारण की प्रतिशतता	69.47	66.47
v) द्वितीय चरण की पूंजी के रूप में जुटाई गई गौण ऋण राशि (रु. करोड़)	1925.00	2025.00

नोट: बासेल–I मानदण्डों के अनुसार, दि. 31-03-2011 को मूल कंपनी की पूंजी पर्याप्तता अनुपात 11.20% और दि.31-03-2010 को 11.20% था ।

2. **निवेश** (₹ करोड़ों में)

विवरण	31-03-2011	31-03-2010
(1) **निवेश का मूल्य**		
(i) निवेश का सकल मूल्य		
(क) भारत में	34954.25	32778.36
(ख) भारत के बाहर	156.40	314.96
(ii) मूल्यह्रास और एन.पी.ए. के लिए प्रावधान		
(क) भारत में	17.68	58.00
(ख) भारत के बाहर	25.35	24.77
(iii) निवेश का निवल मूल्य		
(क) भारत में	34936.57	32720.36
(ख) भारत के बाहर	131.05	290.19
(2) **निवेश के मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधान का संचलन**		
प्रारंभिक शेषराशि	82.77	146.60
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	7.00	15.51
घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन/पुनरांकन	46.74	79.34
इतिशेष	43.03	82.77

क) **रेपो लेन–देन** (₹ करोड़ों में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	दि. 31-03-2011 को इतिशेष
रेपोज के अधीन बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ	200.00	4000.00	848.63	NIL
रिवर्स रेपोज के अधीन खरीदी गई प्रतिभूतियाँ	200.00	3000.00	52.33	NIL

ख) **दि. 31-03-2011 को गैर एस.एल.आर. निवेशों के जारीकर्तावार संरचना**
(₹ करोड़ों में)

क्रम सं.	जारीकर्ता	रकम	प्राइवेट नियोजन की मात्रा	''निम्न निवेश श्रेणी'' प्रतिभूतियों की मात्रा	अनिर्धारित प्रतिभूतियों की मात्रा	''असूचीबद्ध'' प्रतिभूतियों की मात्रा
1	2	3	4	5	6	7
1.	सा.क्षे.उ.	84.03	71.91	0.00	1.00	1.00
2.	वित्तीय संस्थाएँ	714.37	689.80	0.00	1.13	25.69
3.	बैंक	3051.56	3035.06	0.00	0.00	0.00
4.	निजी कंपनी	738.05	559.86	53.51	50.52	149.21
5.	सहयोगी संस्थाएँ/ संयुक्त उद्यम	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00
6.	अन्य	143.10	143.10	0.00	0.00	0.00
7.	घटाएँ: मूल्यह्रास के प्रति रखा गया प्रावधान	42.95	0.00	2.50	22.69	25.35
8.	कुल (1 से 6 घटाएँ 7)	4721.76	4533.33	51.01	29.96	150.55

नोट: (1) स्तंभ 3 के अंतर्गत जोड का मिलान तुलन पत्र की अनुसूची में निम्नलिखित श्रेणियों के अधीन शामिल किए गए कुल निवेश के साथ होना चाहिए:
(क) शेयर
(ख) डिबेंचर और बंधपत्र
(ग) सहायक संस्थाएं/संयुक्त उद्यम
(घ) अन्य
(2) कॉलम 4,5,6 और 7 के अंतर्गत रिपोर्ट की गई राशि परस्पर अनन्य नहीं है।

SCHEDULE – 18 NOTES ON ACCOUNTS – 2010-2011

1. **CAPITAL**

Particulars	31-03-2011	31-03-2010
i) Capital to Risk Assets Ratio (CRAR) (%) Basel II	13.04	12.70
ii) CRAR - Tier I Capital (%)	9.31	8.24
iii) CRAR - Tier II Capital (%)	3.73	4.46
iv) Percentage of the shareholding of the Government of India	69.47	66.47
v) Amount of subordinated debt raised as Tier-II capital (₹ Crore)	1925.00	2025.00

Note: The Capital Adequacy Ratio of the Bank as on 31-03-2011 as per Basel I norms is 11.20% and as on 31-3-2010 was 11.20%.

2. **INVESTMENTS** (₹ in crore)

Particulars	31-03-2011	31-03-2010
(1) **Value of Investments**		
(i) Gross Value of Investments		
(a) In India	34954.25	32778.36
(b) Outside India	156.40	314.96
(ii) Provisions for Depreciation and NPA		
(a) In India	17.68	58.00
(b) Outside India	25.35	24.77
(iii) Net Value of Investments		
(a) In India	34936.57	32720.36
(b) Outside India	131.05	290.19
(2) **Movement of provisions held towards depreciation on investments**		
Opening balance	82.77	146.60
Add: Provisions made during the year	7.00	15.51
Less: Write-off/write-back of excess provisions during the year	46.74	79.34
Closing balance	43.03	82.77

a) **Repo Transactions** (₹ in crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Closing Balance as on 31-03-2011
Securities sold under Repos	200.00	4000.00	848.63	NIL
Securities purchased under Reverse Repos	200.00	3000.00	52.33	NIL

b) **Issuer composition of Non-SLR investments as on 31-03-2011** (₹ in crore)

Sl. No.	Issuer	Amount	Extent of private placement	Extent of "Below Investment grade" securities	Extent of "Unrated" securities	Extent of "Unlisted" securities
1	2	3	4	5	6	7
1.	PSUs	84.03	71.91	0.00	1.00	1.00
2.	Financial Institutions	714.37	689.80	0.00	1.13	25.69
3.	Banks	3051.56	3035.06	0.00	0.00	0.00
4.	Private Corporates	738.05	559.86	53.51	50.52	149.21
5.	Subsidiaries/ Joint Ventures	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00
6.	Others	143.10	143.10	0.00	0.00	0.00
7.	Less: Provision held towards depreciation	42.95	0.00	2.50	22.69	25.35
8.	TOTAL (1 to 6 minus 7)	4721.76	4533.33	51.01	29.96	150.55

Note: (1) Total under column 3 should tally with the total Investments included under the following categories in Schedule 8 to the Balance Sheet.:
(a) Shares
(b) Debentures and bonds
(c) Subsidiaries /Joint ventures
(d) OTHERS
(2) Amount reported under columns 4,5,6, and 7 above may not be mutually exclusive.

ग) **अनर्जक गैर एस.एल.आर. निवेश**

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31-03-11			31-03-10		
	देशी	लंदन	कुल	देशी	लंदन	कुल
अथशेष	15.02	22.42	37.44	60.57	22.42	82.99
वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00	0.00	0.00	5.19	0.00	5.19
वर्ष के दौरान कटौती	0.14	0.00	0.14	50.74	0.00	50.74
इति शेष	14.88	22.30*	37.18	15.02	22.42	37.44
रखे गए कुल प्रावधान	14.88	22.30	37.18	11.33	6.92	18.25

नोट: *निवेश के रुपया मूल्यांकन में जो कमी हुई है उसका कारण यू.एस. डॉलर/आइ.एन.आर. दरों में उतार-चढ़ाव से है।

3. **व्युत्पन्न**

3.अ. **वायदा दर करार/ब्याज दरों की अदला-बदली/ विदेशी मुद्रा की अदला-बदली**

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31-03-11	31-03-10
i) अदला-बदली करार का कल्पित मूल-धन	247.50	269.40
ii) यदि करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में प्रति पार्टी विफल होती हैं तो, उठाई जाने वाली हानि	24.07	0.00
iii) अदला-बदली में प्रवेश होने पर मूल कंपनी द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	0.00	0.00
iv) अदला-बदली से उठनेवाले ऋण जोखिम का केन्द्रीकरण	0.00	0.00
v) अदला-बदली बही का उचित मूल्य	3.13	0.00

* बैंकिंग क्षेत्र के अलावा, मूल कंपनी ने केवल एक ही पार्टी के पास निवेश किया जो एक पावर परियोजना है।

वायदा दर करार (₹ करोड़ों में)

विवरण	31-03-11	31-03-10
i) अदला-बदली करार का कल्पित मूल-धन	1256.65	1640.67
ii) यदि करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में प्रति पार्टी विफल होती हैं तो, उठाई जाने वाली हानि	(1.17)	(8.44)
iii) अदला-बदली में प्रवेश होने पर मूल कंपनी द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	0.00	0.00
iv) अदला-बदली से उठनेवाले ऋण जोखिम का केन्द्रीकरण*	NIL	NIL
v) अदला-बदली बही का उचित मूल्य	(1.14)	(0.78)

नोट: किए गए सभी एफ.आर.ए. को तुलनपत्र के अंतर की पूर्ति के लिए किया गया है।

3.आ. **विनिमय व्यापारिक व्युत्पन्न – मुद्रा वायदे**

- बैंक विनिमय पर यू.एस.डॉलर/भारतीय रुपयों में मुद्रा वायदे का स्वामित्व व्यापार करता है। दि. 31-03-2011 की स्थिति के अनुसार मुद्रा वायदे के अंतर्गत कोई बकाया नहीं है।
- विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न शून्य है। बैंक विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न में लेनन-देन नहीं कर रहा है।

3.इ. **व्युत्पन्नों (डेरिवेटिव) में जोखिम निवेशों का प्रकटीकरण**

(क) **गुणात्मक प्रकटीकरण**

बैंक अपने तुलन पत्र में आस्तियों और देयताओं की प्रतिरक्षा और व्यापार/बाजार को सक्रिय बनाने के उद्देश्य से व्युत्पन्न लेन-देन कर रहा है। बैंक, बैंक और बैंकेतर काऊंटर पार्टियों के साथ एफ.आर.ए., ब्याज दर स्वैप, करेंसी स्वैप तथा करेंसी विकल्प जैसे व्युत्पन्न लेन-देन कर रहा है। बैंक विनिमय दर मुद्रा वायदे का स्वामित्व व्यापार भी करता है।

- बैंक के पास संमिश्र व्युत्पन्न के अंतर्गत कोई निवेश नहीं है और नहीं उनके पास न्यून-ब्याजदर वाली आस्तियों के अंतर्गत कोई प्रत्यक्ष निवेश है ।
- व्युत्पन्न लेन-देन करने के लिए बैंक के पास अच्छी खासी नीति है जो बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है।
- बैंक ने न तो किसी लेखे का क्रिस्टलीकरण और अपलेखन किया है और न ही व्युत्पन्न लेन-देन से कोई हानि उठाई है ।

c) **Non-performing Non-SLR Investments**

(₹ in crore)

Particulars	31-03-11			31-03-10		
	Domestic	London	Total	Domestic	London	Total
Opening balance	15.02	22.42	37.44	60.57	22.42	82.99
Additions during the year	0.00	0.00	0.00	5.19	0.00	5.19
Reduction during the year	0.14	0.00	0.14	50.74	0.00	50.74
Closing balance	14.88	22.30*	37.18	15.02	22.42	37.44
Total provisions held	14.88	22.30	37.18	11.33	6.92	18.25

Note: *Reduction in rupee valuation of Investments is due to fluctuation in USD/INR rates.

3. DERIVATIVES

3. A. **Forward Rate Agreements / Interest Rate Swap/Cross Currency Swaps**

Currency Swap (₹ in crore)

Items	31-03-11	31-03-10
i) The notional principal of the swap agreements	247.50	269.40
ii) Losses which would be incurred if the counterparties fail to fulfil their obligations under the agreements	24.07	0.00
iii) Collateral required by the bank upon entering the swap	0.00	0.00
iv) Concentration of credit risk arising from the swaps	0.00	0.00
v) The fair value of the swap book	3.13	0.00

* Apart from the banking sector, the exposure is with only one party, which is into power projects.

Forward Rate Agreements (₹ in crore)

Items	31-03-11	31-03-10
i) The notional principal of the swap agreements	1256.65	1640.67
ii) Losses which would be incurred if the counterparties fail to fulfil their obligations under the agreements	(1.17)	(8.44)
iii) Collateral required by the bank upon entering the swap	0.00	0.00
iv) Concentration of credit risk arising from the swaps	NIL	NIL
v) The fair value of the swap book	(1.14)	(0.78)

Note: All FRA's undertaken are against Banks to hedge Balance sheet gaps.

3. B. **Exchange Traded Derivatives – Currency Futures**

- The Bank undertakes proprietary trading in Currency Futures in USD/INR on the Exchanges. There are no outstanding contracts under Currency Futures as on 31-3-2011.
- Exchange traded Interest Rate derivatives is NIL. The bank is not dealing in exchange traded interest rate derivatives.

3. C. **Disclosures on Risk Exposure in Derivatives**

a) **Qualitative Disclosure**

The Bank is undertaking derivative transactions for hedging risks on its balance sheet as well as for trading/ market-making purposes. Bank is undertaking derivative transactions like FRAs, Interest rate swaps, Currency swaps and Currency Options, with bank and Non-bank Counter parties. The bank is also undertaking proprietary trading in Currency Futures on the Exchange.

- Bank is not having any exposure in complex derivatives nor has it any direct exposure to the sub-prime assets.
- The Bank has a well laid-down policy for undertaking derivative transactions approved by its Board.
- The Bank has not crystallised and written off any account nor incurred any loss on account of undertaking derivative transactions.

- ब्याज संबंधी विवाद को रोकने तथा जोखिम की मात्रा को कम करने के उद्देश्य से फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस और बैक ऑफिस को अलग-अलग कर दिया गया। मिड ऑफिस, नैगम कार्यालय, बेंगलूर में स्थित जोखिम प्रबंधन और अनुप्रवर्तन विभाग को सीधे रिपोर्ट करता है।
- गैर बैंक ग्राहक सहित काउँटर पार्टियों की ऋण जोखिम का मूल्यांकन निर्धारित सीमा/सीमाओं के साथ उचित रीति से किया जाता है।
- ऋण जोखिम की निगरानी काउँटर पार्टी निवेश सीमाएं निर्धारित करने, देश विशेष को ऋण देने में निहित जोखिम निर्धारित करने और सी.सी.आई.एल./ सी.एल.एस. के माध्यम से निपटान संबंधी जोखिम को कम करने के द्वारा की जाती है ।
- मुद्रा वायदे से बैंक के लिए कोई ऋण जोखिम नहीं है, क्योंकि एक्स्चेंज कंपनियाँ भुगतान की गारंटी देती है ।
- विदेशी मुद्रा अदला-बदली को 10 वर्षों तक की अवधि के लिए किया गया जिसमें कोई जोखिम के बिना उसी प्रकार के समर्थक लेन-देन और गैर-बैंक कंपनी ग्राहकों के लिए 50 मिलियन यू.एस. डॉलर की राशि शामिल की गई है।
- केवल उन गैर-बैंक प्रति पार्टी के लिए करेंसी स्वैप लेन-देन किया गया। जिनका श्रेणी निर्धारण सिंड-01 से सिंड-03 है ।
- पिछली निष्पादन श्रेणी के अंतर्गत वायदा संविदा को सिंड-01- सिंड-04 के अंतिम निर्धारण के साथ तथा भा.रि. बैंक मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार ही ग्राहकों के लिए बुक किया जाता है।
- मूल धन और ब्याज समर्थक लेन-देन दोनों को करेंसी स्वैप में शामिल किया गया। इस प्रकार कोई लागत को शामिल किए बिना विनिमय दर जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम दोनों को प्रतिरक्षा प्रदान किया गया।
- संचालनों को, काऊंटर पार्टी बैंकों और बैंकेतर ग्राहकों के साथ निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीमाओं के भीतर किया जाता है। गैर बैंक ग्राहकों के साथ लेन-देनों को पृष्ठाधान रक्षा के आधार पर बाज़ार जोखिम उठाए बिना किया जाता है।
- व्युत्पन्न लेन-देन के लिए चालू उधार निवेश पद्धति के आधार पर ऋण पर निगरानी रखता है।
- भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार काऊँटर पार्टी बैंक और गैर-बैंक ग्राहक के साथ आई.एस.डी.ए. करार निष्पादित/विनिमय किया गया है।
- मिड ऑफिस, व्यापार लेन-देन से उत्पन्न होनेवाली जोखिम का स्वतंत्र रूप से आंकन करता है।
- संचालनों को निदेशक मंडल द्वारा संस्वीकृत समग्र पूरक सीमा के भीतर किया जाता है।
- प्रतिरक्षा हेतु किया गया कोई भी लेन-देन, यदि असुरक्षित हो जाता है तो उसे व्यापार लेन-देन समझा जाएगा और उसे परिपक्वता तक चालू रखा जाएगा ।
- लेन-देनों को प्रतिरक्षा या गैर-प्रतिरक्षा लेन-देनों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, उसे उचित मूल्य पर आंका जाएगा।
- समर्थन आधार पर किए गए लेन-देन और बैंक की आस्तियों एवं देयताओं से संबंधित जोखिमों की प्रतिरक्षा हेतु किए गए लेन-देनों का मूल्य निर्धारण ब्याज उपचय आधार पर किया जाएगा और उसे तदनुसार लेखाबद्ध किया जाएगा ।
- खरीद के समय प्रदत्त प्रीमियम, यदि कोई हो, का परिशोधन लेन-देन की अवशिष्ट अवधि पर किया जाएगा । परिपक्व होने पर लाभ दर्ज किया जाएगा। बट्टा घटक को, अग्रिमों से प्राप्त आय लेखे में रखा जाएगा और परिपक्व होने पर उसे लाभ व हानि लेखे में विनियोग किया जाएगा ।
- प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु किए गए उन सभी लेन-देनों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है, जो असुरक्षित हो जाते हैं और बाज़ार के लिए अंकित हानि हो जाती है ।
- उन निवल निधीकृत देशी ऋणों के लिए प्रावधान किया गया है जहाँ ऋण राशि बैंक की आस्तियों के 1% या उस से अधिक है ।
- विपणन उद्देश्य हेतु किए गए लेन-देनों को पाक्षिक आधार पर बाजार के लिए अंकित किया जाता है और प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु रखे गए लेन-देनों को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है ।
- मंजूरी की शर्तों के अनुसार संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ भी प्राप्त की जाती हैं।
- बैंक की लंदन शाखा, एफ.आर.ए. और आई.आर.एस. को केवल प्रतिरक्षा उद्देश्य के लिए करती है और ब्याज का लेखाकरण उपचय आधार पर करती है।
- 83.82% व्युत्पन्न, एक वर्ष से कम अवधि के अंतर्गत आते हैं।

- The segregation of front Office, Mid Office and Back Office is ensured to avoid conflict of interest and to mitigate the degree of risk. The Mid Office is directly reporting to Risk Management and Monitoring Department at Corporate Office, Bangalore.
- Credit risk of counter parties, including non-bank clients is properly appraised and limits fixed.
- Credit risk is monitored by setting counterparty exposure limits, setting country risk exposure and mitigating settlement risk through CCIL/CLS.
- Currency Futures have no credit risk for the Bank as the exchanges guarantee payment.
- Cross-currency swaps are undertaken upto a period of 10 years, covering the same back-to-back without any open position and upto an amount of USD 50 Mio for non-bank clients.
- Currency swaps are undertaken for non-bank clients with ratings SYND 01 to SYND 03 only.
- Forward contracts under past performance category are booked for clients with rating SYND 01- SYND 04 only and on complying with RBI guidelines.
- Cover currency swaps are undertaken both principal and interest back-to-back thus hedging both exchange rate risk and interest rate risk without involvement of any outlays.
- The transactions with our counter-party banks and non-bank counterparty are undertaken within the limits approved by the Board. The transactions with non-bank counterparty are done on a back-to-back covered basis without assuming any market risk.
- Credit exposures for derivative transactions are monitored on the basis of current credit exposure Method.
- ISDA agreements are executed / exchanged with every counterparty bank and non-bank clients as per RBI guidelines.
- Midoffice measures and monitors the risk arising out of trading deals independently.
- The transactions are undertaken within the overall Aggregate Gap Limits sanctioned by the Board.
- Any transaction undertaken for hedging purpose, if it becomes naked, is treated as a trading transaction and allowed to run till maturity.
- The transactions are separately classified as hedge or non-hedge transactions and measured at fair value.
- The transactions covered on back-to-back basis and the transactions undertaken to hedge the risks on Bank's assets and liabilities are valued as per the valuation prescribed and Interest is accounted on accrual basis.
- Premium at the time of purchase, if any, is amortized over the residual period of the transaction. Profit is recognised on maturity. Discount is held in Income Received in Advance account and appropriated to P&L account on maturity.
- Adequate provision is made for transactions undertaken for hedging purpose, which become naked resulting in mark-to-market losses.
- Provision is also made for net funded country exposures, where the exposure is 1% or more of the Bank's assets.
- Transactions for market making purposes are marked-to-market at fortnightly intervals and those for hedging purposes are accounted for, on accrual basis.
- Collaterals are also obtained depending on the terms of sanction.
- Bank's branch at London is undertaking FRAs and IRS for hedging purpose only and accounting interest on accrual basis.
- 83.82 % of Derivatives fall under the short tenure of less than one year.

ख) **दि. 31-03-2011 को मात्रात्मक निवेश** (₹ करोड़ों में)

क्रम सं.	विवरण	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
1.	**व्युत्पन्न (काल्पनिक मूल राशि)**		
	क) प्रतिरक्षा के लिए	123.75	1256.65
	ख) व्यापार के लिए	123.75	NIL
2.	**बाजार स्थितियों को अंकित**		
	क) आस्तियाँ (+)	24.07	0.03
	ख) देयताएँ (–)	20.93	(1.17)
3.	ऋण विनिवेश	61.19	6.31
4.	**ब्याज दरों में 1% परिवर्तन होने से होनेवाला प्रभाव**		
	(100* पीवी 01)		
	क) प्रतिरक्षा व्युत्पन्नों पर	4.03	3.83
	ख) व्यापार व्युत्पन्नों पर	4.03	NIL
5.	**वर्ष के दौरान पाया गया 100* पीवी 01 का अधिकतम एवं न्यूनतम**		
	क) प्रतिरक्षा पर		
	न्यूनतम	–	–
	अधिकतम	–	–
	ख) व्यापार पर		
	न्यूनतम	NIL	NIL
	अधिकतम	NIL	NIL

4. **आस्ति गुणवत्ता**

क) **अनर्जक आस्ति** (₹ करोड़ों में)

विवरण	31-03-2011	31-03-2010
(i) निवल अग्रिमों की निवल अनर्जक आस्ति (%)	0.97	1.07
(ii) सकल अनुत्पादक आस्तियों का संचलन		
क) प्रारंभिक शेष राशि	2006.82	1594.54
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन (नई अनर्जक आस्तियाँ)	1592.97	1491.52
ग) वर्ष के दौरान कटौती	1000.82	1079.24
घ) इतिशेष (क–ख)	2598.97	2006.82
(iii) निवल अनुत्पादक आस्तियों का संचलन		
क) प्रारंभिक शेषराशि	963.20	631.77
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	864.86	960.96
ग) वर्ष के दौरान कटौती	797.22	629.53
घ) इतिशेष	1030.84	963.20
(iv) अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों का संचलन (मानक आस्तियों के लिए किए प्रावधानों को छोड़कर)		
क) प्रारंभिक शेषराशि	997.16	926.04
ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	905.92	530.56
ग) अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन/पुनरांकन	401.75	459.44
घ) इतिशेष	1501.33	997.16

ख) **सेक्टरवार अनर्जक आस्तियाँ**

क्रम सं.	सेक्टर	उक्त क्षेत्र के अंतर्गत कुल अग्रिमों की तुलना में एन.पी.ए. की प्रतिशतता
1.	कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप	2.05
2.	उद्योग (अत्यंत लघु, और लघु, मध्यम और बड़े उद्योग)	2.31
3.	सेवा	5.13
4.	वैयक्तिक ऋण	3.14

b) **Quantitative Exposures as on 31-03-2011**

(₹ in crore)

Sl . No.	Particular	Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives
1.	**Derivatives (Notional Principal Amount)**		
	a) For Hedging	123.75	1256.65
	b) For Trading	123.75	NIL
2.	**Marked To Market Positions**		
	a) Asset (+)	24.07	0.03
	b) Liability (–)	20.93	(1.17)
3.	**Credit Exposure**	61.19	6.31
4.	**Likely impact of 1% change in interest rates** (100*PV01)		
	a) For Hedging	4.03	3.83
	b) For Trading	4.03	NIL
5.	**Maximum & Minimum of 100*PV01 observed during year**		
	a) For Hedging		
	Minimum	–	–
	Maximum	–	–
	b) For Trading		
	Minimum	NIL	NIL
	Maximum	NIL	NIL

4. ASSET QUALITY

a) **Non-Performing Assets** (₹. in crore)

Particulars	31-03-2011	31-03-2010
(i) Net NPA to Net Advances (%)	0.97	1.07
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
a. Opening balance	2006.82	1594.54
b. Additions (Fresh NPAs) during the year	1592.97	1491.52
c. Reductions during the year	1000.82	1079.24
d. Closing balance (A–B)	2598.97	2006.82
(iii) Movement of Net NPAs		
a. Opening balance	963.20	631.77
b. Additions during the year	864.86	960.96
c. Reductions during the year	797.22	629.53
d. Closing balance	1030.84	963.20
(iv) Movement of Provisions for NPAs (excluding provision on Standard Assets)		
a. Opening balance	997.16	926.04
b. Provisions made during the year	905.92	530.56
c. Write off/write back of excess provisions	401.75	459.44
d. Closing balance	1501.33	997.16

b) **Sector-wise NPAs**

Sl. No.	**Sector**	Percentage of NPAs to Total Advances in that sector
1.	Agriculture & allied activities	2.05
2.	Industry (Micro & Small, Medium and Large)	2.31
3.	Services	5.13
4.	Personal Loans	3.14

ग) **प्रतिभूतीकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों को बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों के विवरण**

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31-03-11	31-03-10
(i) खातों की संख्या	1	NIL
(ii) प्रतिभूतीकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों को बिक्री किए गए खातों के कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर)	0.93	NIL
(iii) कुल प्रतिलाभ	1.13	NIL
(iv) पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिलाभ	NIL	NIL
(v) निवल बही मूल्य के प्रति कुल लाभ/हानि	0.20	NIL

घ) **खरीदी गयी/विक्रय की गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्यौरे:** शून्य (पिछले वर्ष: शून्य)

ङ) **मानक आस्तियों पर प्रावधान** (₹ करोड़ों में)

विवरण	31-03-11	31-03-10
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	420.44	395.89

5. **कारोबार अनुपात**

विवरण	31-03-2011	31-03-2010
(i) कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याज आय की प्रतिशतता (%)	8.29%	7.72%
(ii) कार्यशील निधियों की तुलना में अब्याजी आय की प्रतिशतता (%)	0.66%	0.90%
(iii) कार्यशील निधियों की तुलना में परिचालन लाभ की प्रतिशतता (%)	1.99%	1.44%
(iv) आस्तियों पर प्रतिलाभ (%)	0.76%	0.62%
(v) प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशि +अग्रिम) (रु. लाख में)	875.44	746.84
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ (रु. लाख में)	3.99	3.18

c) **Details of financial assets sold to Securitisation/ Reconstruction Company for Asset Reconstruction**

(₹ in crore)

Particulars	31-03-11	31-03-10
(i) No. of accounts	1	NIL
(ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to Securitisation Company/Reconstruction Company	0.93	NIL
(iii) Aggregate consideration	1.13	NIL
(iv) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	NIL	NIL
(v) Aggregate gain over net book value.	0.20	NIL

d) **Details of non-performing financial assets purchased/ sold: Nil (Previous Year: Nil)**

e) **Provisions on Standard Asset** (₹ in crore)

Particulars	31-03-11	31-03-10
Provisions towards Standard Assets	420.44	395.89

5. BUSINESS RATIOS

Particulars	31-03-2011	31-03-2010
(i) Interest Income as a percentage to Working Funds (%)	8.29%	7.72%
(ii) Non-interest income as a percentage to Working Funds (%)	0.66%	0.90%
(iii) Operating Profit as a percentage to Working Funds (%)	1.99%	1.44%
(iv) Return on Assets (%)	0.76%	0.62%
(v) Business (Deposits plus advances) per employee (Rs. in Lacs)	875.44	746.84
(vi) Profit per employee (Rs. in Lacs)	3.99	3.18

6. आस्तियों और देयताओं के कुछ मदों का परिपक्वता पैटर्न/MATURITY PATTERN OF CERTAIN ITEMS OF ASSETS AND LIABILITIES AS ON 31-03-2011

(₹ in crore)

ऋण और अग्रिम, निवेश, जमाराशि और उधार का परिपक्व पैटर्न/THE MATURITY PATTERN OF LOANS & ADVANCES, INVESTMENTS, DEPOSITS AND BORROWINGS (भा.रि.बैं. द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न परिपक्वता बजेट के अंतर्गत)/(UNDER VARIOUS MATURITY BUCKETS PRESCRIBED BY THE RESERVE BANK OF INDIA)											
अवशिष्ट परिपक्वता Residual Maturity	1 दिन 1 day	2-7 दिन 2-7 day	8-14 दिन 8-14 days	15-28 दिन 15-28 days	29 दिनों से और 3 महीने तक 29 days-3 months	3-6 महीने 3-6 months	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक >6 months to 1 year	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक >1 year to 3 years	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक >3 years to 5 years	5 वर्ष से अधिक >5 years	कुल Total
1 ऋण और अग्रिम की परिपक्वता पैटर्न Maturity Pattern of Loans & Advances	2689.09	3190.17	1883.86	1267.52	8943.33	6172.28	9507.35	43123.84	14067.90	15936.58	106781.92
2 निवेश की परिपक्वता पैटर्न Maturity Pattern of Investments	0.00	1880.02	248.73	173.38	673.36	165.91	246.33	3166.78	4982.17	23530.94	35067.62
3 जमाराशियों की परिपक्वता पैटर्न Maturity Pattern of Deposits	935.80	5228.45	2223.09	3374.33	16614.38	16060.15	25517.42	60266.53	3972.32	1403.60	135596.08
4 उधार राशियों की परिपक्वता पैटर्न Maturity Pattern of Borrowings	2.11	156.08	0.00	0.00	543.86	2010.68	694.20	2351.73	1544.35	2112.69	9415.71
5 ** विदेशि मुद्रा आस्तियां (लंदन+आइडी) Foreign Currency Assets	681.47	2425.99	1019.51	845.43	2352.66	1867.05	317.98	1011.63	1154.04	428.78	12104.54
6 ** विदेशि मुद्रा देयताएँ (लंदन+आइडी) Foreign Currency Liabilities	76.22	1921.10	771.03	1007.39	2741.17	2087.47	1442.66	831.85	1.72	0.00	10880.61

** उपर्युक्त मद सं. 5 और 6 को उक्त मद सं 1 से 4 के संबंधित शीर्षों में शामिल किया गया है । Item No. 5 & 6 above are included in respective heads in item No. 1 to 4 above.

नोट: उपर्युक्त तालिका की मद सं. 5 और 6 लंदन और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग दोनों विदेशी मुद्राओं में आंकी गयी आस्तियां/देयताएं है और ये संबंधित लेखा शीर्ष के अधीन मद संख्या 1 से 4 में दिए गए लेखा शीर्ष के हिस्से बनते हैं।

Note: Item No. 5 & 6 of above table are assets/liabilities denominated in foreign currencies of both London and International Division and these form part of the respective heads given in item numbers 1 to 4.

7. **निवेश**

क. **स्थावर संपदा क्षेत्र में निवेश** (₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.11	31.03.10
स्थावर संपदा श्रेत्र को ऋण		
क) प्रत्यक्ष निवेश	11206.50	11321.68
(i) आवासीय बंधक – उधारकर्ता द्वारा निवास करनेवाली या किए जाने वाली या किराए पर दी गई आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्ण रूप से रक्षित उधार;	8346.21	8763.15
इनमें से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के अंतर्गत शामिल करने हेतु पात्र वैयक्तिक आवास ऋण	6332.06	6380.20
(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा (निधि आधारित और गैर निधि आधारित) वाणिज्यिक स्थावर संपदा (कार्यालय भवन खुदरा स्थान, बहु–उद्देशीय वाणिज्यिक भवन, बहु–पारिवारिक आवासीय भवन, बहु–किरायेदार वाणिज्यिक भवन, औद्योगिक या माल गोदाम स्थान, होटल, भूमि अभिग्रहण, विकास एवं निर्माण, आदि) पर बंधक द्वारा रक्षित उधार। निवेश में गैर–निधि आधारित (एन.एफ.बी.) सीमाएँ भी शामिल होंगी; * लंदन शाखा से संबंधित ₹ 22.50 करोड़ के सी.आर.ई. निवेश भी शामिल हैं।	2427.94*	2558.53
(iii) गैा सी.आर.ई. को अन्य प्रत्यक्ष ऋण	432.35	0.00
(iv) बंधक समर्थित जमानत एम.बी.एस. में निवेश और अन्य प्रतिभूतीकृत निवेश – क.आवासीय ख.वाणिज्यिक स्थावर संपदा	0.00	0.00
ख) परोक्ष निवेश राष्ट्रीय आवास बैंक (एन एच बी) और आवास वित्त कंपनियों (एच एफ सी) पर निधि आधारित तथा गैर–निधि आधारित निवेश	2842.89	3359.68

ख. **पूंजी बाजार में निवेश** (₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.11	31.03.10
(i) ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बंध पत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में किए गए प्रत्यक्ष निवेश जिनकी निधियों को नैगम ऋण में निवेश नहीं किया गया है	114.94	102.81
(ii) शेयरों/बंध पत्रों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर या ईक्विटी शेयरों (आई.पी.ओ./ई.एस.ओ.पी.एस. सहित) परिवर्तनीय बंध पत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में और ईक्विटी उन्मुख निवेश करने हेतु बेजमानती आधार पर व्यक्तियों को दिए गए अग्रिम	0.16	0.48
(iii) अन्य उद्देश्यों के लिए दिए गए ऋण जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है ।	0.00	0.00
(iv) किसी अन्य उद्देश्य के लिए उस सीमा तक दिए गए अग्रिम जो शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा रक्षित हो, यानी, जहां शेयरों/परिवर्तनीय बंध पत्रों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों से भिन्न प्राथमिकता प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतया रक्षित नहीं करती है।	0.00	135.13
(v) स्टॉक ब्रोकरों को दिए गए जमानती और या बेज़मानती अग्रिम और स्टाक ब्रोकरों तथा शेयर विपणनकर्ताओं की ओर से जारी की गयी गारंटियां	26.45	4.46
(vi) शेयरों/बंध पत्रों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की ज़मानत पर या संसाधनों को जुटाने के उद्देश्य से नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान की पूर्ति के लिए बेजमानती आधार पर कंपनी को दिए गए ऋण	1223.21	785.72

7. EXPOSURES

A. **Exposure to Real Estate Sector**

(₹. in crore)

Particulars	31.03.11	31.03.10
Exposure to Real Estate Sector		
a) Direct Exposure	11206.50	11321.68
(i) Residential Mortgages Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	8346.21	8763.15
Out of the above, individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances	6332.06	6380.20
(ii) Commercial Real Estate (Fund-based & non-fund based) Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse spaces, hotels, land acquisition, development and construction etc.) Exposure would also include non-fund based limits. * includes CRE exposure of ₹ 22.50 crores pertaining to London Branch.	2427.94*	2558.53
(iii) Any other Direct Exposure to Non CRE	432.35	0.00
(iv) Investment in Mortgaged Backed Securities (MBS) and other securitised exposure a. Residential b. Commercial Real Estate	0.00	0.00
b) Indirect Exposure Fund-based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	2842.89	3359.68

B. **Exposure to Capital Market**

Particulars	31.03.11	31.03.10
(i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds, the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	114.94	102.81
(ii) Advances against shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds.	0.16	0.48
(iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds are taken as primary security	0.00	0.00
(iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/units of equity-oriented mutual funds does not fully cover the advances.	0.00	135.13
(v) Secured and unsecured advances to Stockbrokers and guarantees issued on behalf of Stock brokers and Market Makers.	26.45	4.46
(vi) Loans sanctioned to Corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting Promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	1223.21	785.72

(vii) प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह/निर्गमों के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरक ऋण	0.00	0.00
(viii) शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों के प्राथमिक निर्गमों के संबंध में मूल कंपनी द्वारा उठायी गयी हामीदारी प्रतिबद्धता	0.00	0.00
(ix) मार्जिन व्यापार के लिए स्टाकब्रोकरों को दी गयी वित्तीय सहायता	0.00	0.00
(x) जोखिम पूंजी को दिए गए सभी ऋण (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	171.87	98.78
पूंजी बाजार में किए गए कुल निवेश	1536.63	1127.38

ग. **जोखिम श्रेणी–वार देशी निवेश** (₹ करोड़ों में)

जोखिम संवर्ग	31मार्च 2011 को निवेश (निवल)	31मार्च 2011 को धारित प्रावधान	31मार्च 2010 को निवेश (निवल)	31मार्च 2010 को धारित प्रावधान
नगण्य	2046.60	–	285.44	–
कम	2036.05	–	4253.49	2.47
मध्यम कम	30.49	–	–	–
मध्यम	5.80	–	561.19	–
मध्यम अधिक	1.98	–	–	–
अत्यधिक	–	–	22.55	–
प्रतिबंधित	1.45	–	–	–
ऋणेतर	–	–	42.66	–
कुल	4122.37	–	5165.33	2.47

घ. **बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) में अध्याहरण के ब्यौरे**

बैंक ने किसी भी ग्रूप खातों से संबंधित विवेकपूर्ण ऋण सीमाओं मे अध्याहरण नहीं किया है। तथापि निम्नलिखित एकल उधारकर्ता खातों के संबंध में निर्दिष्ट पूंजीगत निधियों 15% की उधार सीमा का अध्याहरण किया गया है।

(₹ करोड़ों में)

क्रम सं.	उधारकर्ता का नाम	दि.31-03-2011 की स्थिति के अनुसार उधार	पूंजीगत निधियों की प्रतिशतता (%)	अध्याहरण की तारीख	अध्याहरण की तारीख तक उधार	अध्याहरण की तारीख को पूंजीगत निधियों की प्रतिशतता (%)
1.	सिडबी	1219.03	12.66	26-03-2010	1718.90	18.54
2.	आईएफसीआई	1424.56	14.79	24-09-2010	1624.56	17.56
3.	एच.डी.एफ.सी.	1800.00	18.70	24-12-2010	1800.00	19.46

ङ. **जमाराशियों का संकेन्द्रन** (₹ करोड़ों में)

20 बड़े जमाकर्ताओं को कुल जमाराशियाँ	19,762
बैंक के कुल जमाराशियों में 20 बड़े जमाकर्ताओं की प्रतिशतता	14.57%

च. **अग्रिमों का संकेन्द्रन** (₹ करोड़ों में)

20 बड़े जमाकर्ताओं को कुल अग्रिम	21.930
बैंक के कुल अग्रिमों में 20 बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों की प्रतिशतता	18.37%

छ. **उधार का संकेन्द्रन** (₹ करोड़ों में)

20 बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के कुल उधार	22,101
उधारकर्ताओं/ग्राहकों को मूल कंपनी द्वारा दिए गए उधार में 20 बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के उधार की प्रतिशतता	17.83%

ज. **अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रन** (₹ करोड़ों में)

चार बड़े एन.पी.ए. खातों के कुल उधार	211.47

(vii) Bridge loans to Companies against expected equity flows/issues.	0.00	0.00
(viii) Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issues of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds.	0.00	0.00
(ix) Finance to Stockbrokers for margin trading	0.00	0.00
(x) All exposure to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	171.87	98.78
Total Exposure to Capital Market	1536.63	1127.38

C. **Risk Category-wise Country-wise Exposure**

(₹ in crore)

Risk Category	Exposure (net) as at 31st March 2011	Provision held as at 31st March 2011	Exposure (net) as at 31st March 2010	Provision held as at 31st March 2010
Insignificant	2046.60	–	285.44	–
Low	2036.05	–	4253.49	2.47
Moderately Low	30.49	–	–	–
Moderate	5.80	–	561.19	–
Moderately High	1.98	–	–	–
High	–	–	22.55	–
Very High/ Restricted	1.45	–	–	–
Off-credit	–	–	42.66	–
Total	4122.37	–	5165.33	2.47

D. **Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank**

The Bank has not exceeded the prudential credit exposure limits in respect of any group accounts. However, in respect of the following single borrower accounts, the exposure ceiling of 15% of capital funds stipulated has been exceeded:

[₹ in crore]

Sl. No.	Name of the borrower	Exposure as on 31-03-2011	% to Capital funds	Date of exceeding	Exposure as on date of exceeding	% to Capital funds as on exceeding
1	SIDBI	1219.03	12.66	26-03-2010	1718.90	18.54
2	IFCI	1424.56	14.79	24-09-2010	1624.56	17.56
3	HDFC	1800.00	18.70	24-12-2010	1800.00	19.46

E. **Concentration of Deposits** (₹ in crore)

Total Deposits of twenty largest depositors	19,762
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank	14.57%

F. **Concentration of Advances** (₹ in crore)

Total Advances to twenty largest borrowers	21.930
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank	18.37%

G. **Concentration of Exposures** (₹ in crore)

Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	22,101
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	17.83%

H. **Concentration of NPAs** (₹ in crore)

Total Exposure to top four NPA accounts	211.47

8. **विविध**

क) वर्ष के दौरान आय कर के लिए किए गए प्रावधान की राशि

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.11	31.03.10
आय कर	237.47	360.71

ख) वर्ष के दौरान भा.रि.बैं. द्वारा बैंक पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है ।

9. **लेखाकरण मानकों के अनुसार प्रकटीकरण (ए एस)**

भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आई सी ए आई) द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानकों (जहाँ तक लागू हो) के अनुसार निम्नलिखित प्रकटन किए गए हैं:

i) **उक्त अवधि के लिए निवल लाभ व हानि, पिछली अवधि की मदें और लेखाकरण नीति में परिवर्तन (ए.एस. 5):**

क) लंदन शाखा में अस्थिर दर वाले नोट और ऋण संबद्ध नोट में किए गए निवेश को बिक्री के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उनका मूल्य निर्धारण अंकित मूल्य पर या बाजार मूल्य, इनमें जो भी कम हो, पर किया गया है। एफ. आर.एन. का मूल्य निर्धारण जारीकर्ता मूल्य के आधार पर किया गया और सी.एल. एन. का मूल्य निर्धारण एफ.आइ.एम.एम.डी.ए. स्प्रेड के आधार पर किय गया। इसके परिणाम स्वरूप, इन निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए ₹25.35 करोड़ का प्रावधान रखा गया।

ii) **विदेशी विनिमय दरों में होनेवाले परिवर्तनों का प्रभाव (एएस 11)**

वर्ष की निवल हानि में, ₹1.72 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2.94 करोड़ लाभ) जो एफ.एक्स. आस्तियों और देयताओं के एएस 11 मूल्यांकन के कारण हुए विनिमय अंतर के अंतर्गत दर्ज किये गये लाभ है।

विनियामक निदेशों के अनुसार, फोरेक्स आस्तियों और देयताओं से संबंधित लेखाकरण प्रक्रिया (ए.एस. 11) का पालन किया गया ताकि तुलन–पत्र में इसका उचित और सही स्पष्टीकरण किया जा सके।

iii) **कर्मचारी लाभ (एएस 15)**

मूल कंपनी ने संशोधित लेखाकरण मानक 15 का अनुपालन किया और तदनुसार 31-3-2007 के दौरान ₹ 298.68 करोड़ की राशि को अंतर्वर्ती देयता के रूप में गणना में लिया गया। कुल अंतर्वर्ती देयताओं में से, मूल कंपनी ने ₹ 59.74 करोड़ (1/5) को चालू वर्ष के लाभ व हानि लेखे को प्रभारित किया और बाकी बची रकम ₹59.74 करोड़ (पिछले वर्ष 119.48 करोड़) को अगले वर्ष के दौरान प्रावधान किया जाएगा।

भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंक ने कर्मचारियों से संबंधित पेंशन और उपदान के संबंध में ₹726.90 करोड़ की बढ़ाई गई देयता का 1/5 अंश का परिशोधन किया, जिससे आगे ले जायी गयी परिशोधित देयता ₹581.52 करोड़ हो गयी है। पुनः, बैंक ने भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार सेवा निवृत्त/सेवा से निकाले गए कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त पेंशन के प्रति वर्ष के दौरान ₹364 करोड़ के राशि का भी आमेलन किया गया।

परिनिश्चित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य की प्रारंभिक शेष और इतिशेष का समाधान और वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रत्येक मद पर पड़ने वाले प्रभाव निम्नवत् है:

8. MISCELLANEOUS

a) Amount of provisions made for income tax during the year.

(₹ in crore)

Particulars	31.03.11	31.03.10
Income Tax	237.47	360.71

b) During the year no penalty was imposed by RBI on the Bank.

9. DISCLOSURE IN TERMS OF ACCOUNTING STANDARDS (AS)

The disclosures under Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) (to the extent applicable) are given below:

i) Net profit or loss for the period, prior period items and changes in accounting policy (AS 5)

a) Investment in Floating Rate Note and Credit Linked Note Investments held in London branch are classified as available for sale and are valued at nominal value or market value whichever is lower. FRNs are valued based on issuer's value and the CLNs are valued based on FIMMDA spread. Consequently the provision for depreciation on these investments is at ₹25.35 crore.

ii) Effect of changes in Foreign Exchange Rate (AS 11):

The net loss for the year includes an amount of ₹ 1.72 crores (₹ 2.94 crores profit for the previous year) being the profit booked under difference in exchange on account of AS 11 valuation of FX assets & Liabilities.

In terms of regulatory directives, Accounting procedure (AS 11) in respect of Forex Assets and Liabilities have been implemented to ensure a fair and true disclosure of the value of the same in the Balance Sheet.

iii) Employee Benefits (AS 15)

Bank has complied with the revised Accounting Standard 15 and accordingly a sum of ₹298.68 crores has been considered as transitional liability as on 31-3-2007. Out of total transitional liability, the Bank has charged ₹59.74 crores (one fifth) to the current year's profit and loss account and the balance amount of ₹59.74 crores (previous year ₹119.48 crores) will be provided in the next year.

In accordance with the RBI guidelines, the bank has amortised 1/5th of the enhanced liability of ₹ 726.90 crores in respect of pension and gratuity relating to continuing employees resulting in carry forward of unamortised liability of ₹ 581.52 crores. Further the bank has also absorbed an amount of ₹ 364 crores during the year towards the additional pension liability for retired/separated employees as per the RBI guidelines.

A reconciliation of Opening and Closing Balances of the present value of the defined benefit obligation and the effects during the period attributable to each of the following is as under :

(₹ करोड़ों में)

परिनिश्चित लाभ के ब्यौरे	पेंशन	उपदान	साधिकार छुट्टी
प्रारंभिक शेष राशि	1709.68	563.78	168.06
ब्याज लागत	134.00	43.66	13.67
पिछली सेवा के लागत	0.00	51.91	0.00
चालू सेवा लागत	543.25	33.78	3.92
प्रदत्त लाभ	266.45	100.27	14.57
बीमांकिक (लाभ)/ दायित्व पर हानि	1580.87	308.38	40.68
इति शेष	3701.35	901.23	211.75

लाभ व हानि लेख विवरण में अभिनिर्धारित कुल व्यय:

(₹ करोड़ों में)

परिनिश्चित लाभ के ब्यौरे	पेंशन	उपदान	साधिकार छुट्टी
चालू सेवा लागत	543.25	33.78	3.92
ब्याज लागत	134.00	43.66	13.67
निवल बीमांकिक(लाभ)/ अवधि के दौरान अभिनिर्धारित हानि	617.20	297.60	39.45
लाभ व हानि विवरण में अभिनिर्धारित व्यय	1158.02	379.02	42.75

तुलन पत्र दिनांक के प्रयुक्त मुख्य बीमांकिक अनुमान:

परिनिश्चित लाभ के ब्यौरे	पेंशन	उपदान	साधिकार छुट्टी
बट्टा दर	8.5	8.5	8.5
भावी लागत/वेतन के वृद्धि	4	4	4
ह्रास दर	प्रति हज़ार रुपये के लिए 10 प्र.व.	प्रति हज़ार रुपये के लिए 10 प्र.व.	प्रति हज़ार रुपये के लिए 10 प्र.व.
योजनाबद्ध आस्तियों पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	8.5%	8.5%	–

चालू अवधि के लिए परिनिश्चित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य :

(₹ करोड़ों में)

	31-03-2011
पेंशन	3701.35
उपदान	901.23
साधिकार आवकाश	211.75

विश्लेषण के बाद देयताओं में निम्नलिखित कमी/(अधिशेष) पायी गयी:

(₹ करोड़ों में)

	31-03-2011
पेंशन	733.97
उपदान	41.52
साधिकार आवकाश	2.04

(₹ In crores)

Defined Benefits details	Pension	Gratuity	Privilege Leave
Opening Balance	1709.68	563.78	168.06
Interest Cost	134.00	43.66	13.67
Past Service Cost	0.00	51.91	0.00
Current Service Cost	543.25	33.78	3.92
Benefit Paid	266.45	100.27	14.57
Actuarial (Gain) / Loss on Obligation	1580.87	308.38	40.68
Closing Balance	3701.35	901.23	211.75

Total Expenses recognized in the statement of Profit and Loss :

(₹ in crores)

Defined Benefits details	Pension	Gratuity	Privilege Leave
Current Service Cost	543.25	33.78	3.92
Interest Cost	134.00	43.66	13.67
Net Actuarial (Gain) / Loss recognized in the period	617.20	297.60	39.45
Expenses recognized in the statement of Profit and Loss	1158.02	379.02	42.75

The principal actuarial assumptions used at the balance sheet date:

Defined Benefits	Pension	Gratuity	Privilege Leave
Discount Rate	8.5	8.5	8.5
Future Cost / Salary increase	4	4	4
Attrition Rate	10 per thousand p.a.	10 per thousand p.a.	10 per thousand p.a.
Expected rate of return on planned assets	8.5%	8.5%	–

The present value of defined benefit obligations for the current period :

(₹ in crores)

	31-03-2011
Pension	3701.35
Gratuity	901.23
Privilege Leave	211.75

After analysis following deficit / (surplus) in liabilities have been observed :

(₹ in crores)

	31-03-2011
Pension	733.97
Gratuity	41.52
Privilege Leave	2.04

iv) **खण्डवार रिपोर्टिंग (एएस 17)/Segment Reporting (AS 17)**

((₹ करोड़ों में)/Rs. in crore)

भाग–क कारोबार खण्ड/Part-A Business Segments	**समाप्त तिमाही/Quarter ended 31-03-2011 लेखा परीक्षित/Audited**	समाप्त तिमाही/Quarter ended 31-03-2010 लेखा परीक्षित/Audited	**समाप्त वर्ष/ Year ended 31-03-2011 लेखा परीक्षित/Audited**	समाप्त वर्ष/ Year ended 31-03-2010 लेखा परीक्षित/Audited
खण्डवार राजस्व/Segment Revenue				
a) नैगम/थोक बैंकिंग परिचालन/Corporate/Wholesale Banking Operations	1725	1586	5911	4714
b) रिटेल बैंकिंग परिचालन/Retail Banking Operations	995	525	3788	3496
c) कोष बैंकिंग/Treasury Operations	507	543	2259	2714
d) अन्य बैंकिंग परिचालन/Other Banking Operations	189	88	408	291
कुल/Total	**3416**	**2742**	**12366**	**11215**
शुद्ध बिक्री/परिचालन से प्राप्त आय/Net Sales/Income from operation	**3416**	**2742**	**12366**	**11215**
खण्डवार परिणाम (लाभ)/Segment Results (Profit)				
a) नैगम/थोक बैंकिंग परिचालन/Corporate/Wholesale Banking Operations	306	234	1058	614
b) रिटेल बैंकिंग परिचालन/Retail Banking Operations	153	146	936	748
c) कोष बैंकिंग/Treasury Operations	119	98	465	254
d) अन्य बैंकिंग परिचालन/Other Banking Operations	94	74	291	258
कुल (परिचालन लाभ)/Total (Operating Profit):	**672**	**552**	**2750**	**1874**
घटाएं /Less:				
अन्य अनाबंटित व्यय/Other Un-allocated Expenditure	353	263	1464	700
कर से कुल लाभ/Total Profit Before Tax:	**319**	**289**	**1286**	**1174**
परिचालन लाभ/Operating Profit	**672**	**552**	**2750**	**1874**
आय कर/Income tax	30	121	238	361
प्रावधान और आकस्मिक व्यय/Provisions & Contingencies	353	263	1464	700
निवल लाभ/Net Profit	**289**	**168**	**1048**	**813**
प्रयुक्त पूंजी/Capital employed:				
खंडवार आस्तियाँ/खंडवार देयताएं/(Segment Assets-Segment Liabilities)				
a) नैगम/थोक बैंकिंग परिचालन/Corporate / Wholesale Banking Operations	2055	1619	2055	1619
b) खुदरा बैंकिंग परिचालन/Retail Banking Operations	1720	1133	1720	1133
c) कोष परिचालन/Treasury Operations	2414	2029	2414	2029
d) अन्य बैंकिंग परिचालन/Other Banking Operations	169	144	169	144
e) अनाबंटित आस्तियाँ/Unallocated assets	693	702	693	702
कुल प्रयुक्त पूंजी/Total Capital Emloyed	**7051**	**5627**	**7051**	**5627**

नोट/Note: भौगोलिक रूप से खण्डवार प्रकटीकरण की ज़रूरत नहीं है क्योंकि विदेशी शाखा के परिचालन निर्दिष्ट मानदण्ड से कम है/Geographical segment disclosure is not required to be made since the operation from foreign branch is less than the prescribed norms.

v) **संगत पार्टी प्रकटीकरण (ए एस 18)**

संगत पार्टियों के नाम और उनके संबंध

क) **अनुषंगी:**

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड

ख) **सहायक संस्थाएं:**

गुडगाँव ग्रामीण बैंक
नार्थ मलबार ग्रामीण बैंक
प्रथमा बैंक
आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक
कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक

ग) **प्रमुख प्रबंधक वर्ग के कर्मचारी:**

श्री बसंत सेठ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री वी के नागर	कार्यपालक निदेशक
श्री रवि चटर्जी	कार्यपालक निदेशक

संगत पार्टी लेन–देन (लाख रुपयों में)

प्रबंधकवर्ग के प्रमुख कर्मचारी	पदनाम	वेतन और परिलब्धियाँ
श्री बसंत सेठ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	17.49
श्री वी के नागर	कार्यपालक निदेशक	17.37
श्री आर रामचन्द्रन	कार्यपालक निदेशक	10.37
श्री रवि चटर्जी*	कार्यपालक निदेशक	6.59

* दि.31-08-2010 को श्री आर रामचंद्रन की सेवा निवृत्ति के बाद श्री रवि चटर्जी ने दि.1-09-2010 से कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार संभाला ।

ए.एस. 18 के पैरा 9 के अनुसार अनुषंगी और सहायक संस्थाओं के लेन–देन प्रकट नहीं किए गए हैं ।

vi) **समेकित वित्तीय विवरण (एएस 21)**

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष का समेकित वित्तीय विवरणों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए समेकित वित्तीय विवरण ए.एस. 21 के अनुसार बैंक की अनुषंगी संस्था मेसर्स सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है।

vii) **आय कर का लेखाकरण (एएस 22)**

बैंक ने ए एस 22 की अपेक्षाओं का पालन किया है । अचल आस्तियों पर उक्त वर्ष के लिए मूल्यह्रास पर आस्थगित कर आस्तियों (डी.टी.ए.) के प्रति ₹3.84 करोड़ का समायोजन करने के बाद दि. 31-03-2011 की स्थिति के अनुसार आस्थगित कर देयता (डी.टी.एल.) की निवल शेषराशि ₹2.09 करोड़ रही (दि. 31-03-2010 को ₹5.93 करोड़) । बैंक ने कर्मचारी लाभ संबंधी देयताओं (भुगतान क्रिस्टलीकरण के बाद देय) तथा विवेकाधिकार के कारण से हुई पूंजीगत हानि के लिए किए गए प्रावधान पर डी.टी.ए. की पहचान नहीं की है ।

10. **अन्य प्रकटीकरण**

क) **प्रावधान और आकस्मिक व्यय**

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31-03-11	31-03-10
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	38.74	(44.63)
एन.पी.ए. के लिए प्रावधान	929.04	530.56
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	24.55	0.00
आय कर/एफ.बी.टी. आदि के लिए प्रावधान	237.47	360.71
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण	52.24	5.45
अन्य	419.79	208.29
कुल	1701.83	1060.38

v) Related Party Disclosures (AS 18)

Names of Related Parties and their relationship:

a) **Subsidiary:**

Syndbank Services Limited

b) **Associates:**

Gurgaon Grameena Bank
North Malabar Grameena Bank
Prathama Bank
Andhra Pragathi Grameena Bank
Karnataka Vikas Grameena Bank

c) **Key Management Personnel:**

Sri Basant Seth	Chairman and Managing Director
Sri V K Nagar	Executive Director
Sri Ravi Chatterjee	Executive Director

Related Party Transactions (₹ in lakhs)

Key Management Personnel	Designation	Salary and emoluments
Sri Basant Seth	Chairman & Managing Director	17.49
Sri V K Nagar	Executive Director	17.37
Sri R Ramachandran	Executive Director	10.37
Sri Ravi Chatterjee*	Executive Director	6.59

* Sri R Ramachandran has retired on 31-08-10 and Sri Ravi Chatterjee took over as Executive Director from 01-09-10.

Transactions with Subsidiary and Associates have not been disclosed in terms of Para 9 of AS 18.

vi) Consolidated Financial Statements (AS 21)

The consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2011 have been prepared in accordance with the AS 21 and on the basis of the audited financial statements of the subsidiary of the Bank, M/s Syndbank Services Ltd.

vii) Accounting for Taxes on Income (AS 22)

The Bank has complied with the requirements of AS 22. The net balance of Deferred Tax Liability (DTL) as on 31-03-2011 stood at ₹2.09 crore (₹5.93 crore as on 31-03-2010) after adjusting a sum of ₹3.84 crore towards Deferred Tax Assets (DTA) for the year on depreciation on fixed asset. Further bank has not recognised DTA on provision made for employee benefit liabilities (allowable upon payment/crystallisation) and capital loss out of prudence.

10. OTHER DISCLOSURES

a) **Provisions and Contingencies** (₹ in crores)

Particulars	31-03-11	31-03-10
Provision for depreciation on investment	38.74	(44.63)
Provision towards NPA	929.04	530.56
Provision towards Standard Assets	24.55	0.00
Provision towards Income tax, Wealth tax, FBT, etc.	237.47	360.71
Bad Debts written off	52.24	5.45
Others	419.79	208.29
Total	1701.83	1060.38

ख) **अस्थायी प्रावधान के संचलन निम्नप्रस्तुत है:**

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31-03-11	31-03-10
क) अस्थायी प्रावधान लेखे में प्रारंभिक शेष	306.63	306.63
ख) लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधान की राशि	Nil	Nil
ग) लेखा वर्ष के दौरान किए गए आहरण की राशि	Nil	Nil
घ) अस्थायी प्रावधान लेखे में इतिशेष	306.63	306.63

ग) **आरक्षित निधियों में किए गए आहरण**
बैंक ने वर्ष के दौरान आरक्षित निधियों से कोई आहरण नहीं किया है ।

घ) **ग्राहक से प्राप्त शिकायतों की स्थिति**
ग्राहकों की शिकायतें

1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	205
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	3402
3.	वर्ष के दौरान निवारण की गयी शिकायतों की सं.	3323
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	284

बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय

1.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की सं.	1
2.	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की सं.	18
3.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं.	18
4.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की सं.	1

ङ) **अनर्जक आस्तियों का संचलन**

(करोड़ रुपयों में)

दि. 1 अप्रैल 2010 को कुल अनर्जक आस्तियां	2006.82
वर्ष के दौरान संवर्धन (नई अनर्जक आस्तियां)	1592.97
उप-जोड (क)	3599.79
घटाईए	
i) स्तरोन्नयन	108.56
ii) वसूलियां (स्तरोन्नत खातों से की गयी वसूलियों को छोड़कर)	541.66
iii) अपलेखन	350.60
उप-जोड़ (ख)	1000.82
दि. 31 मार्च 2011 को कुल अनर्जक आस्तियां (क-ख)	2598.97

च) **विदेशी आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियां और राजस्व** (करोड़ रुपयों में)

विवरण	**रकम**
कुल आस्तियां	11051.75
कुल अनर्जक आस्तियां	32.24
कुल राजस्व	285.18

छ) **अचल आस्तियाँ**

i) बैंक के कुछ परिसरों के मामले में अधिकारों के हस्तांतरण संबंधी प्रलेखन औपचारिकताएँ अभी पूरी की जानी हैं। फिर भी प्राप्त की गई कानूनी राय के अनुसार अपने स्वत्वाधिकार को प्रमाणित करने के प्रलेख मूल कंपनी के पास हैं।

ज) **निवेश**

एच.टी.एम. श्रेणी में रखी गयी शून्य खर्च की प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त लाभ को लाभ व हानि लेखे में लिया गया और तदनंतर पूंजीगत आरक्षित निधि लेखे में विनियोग किया गया।

एच.टी.एम. श्रेणी की प्रतिभूतियों पर ₹60.77 करोड (पिछले वर्ष ₹80.88 करोड) के परिशोधन प्रभार को लाभ व हानि लेखे में नामे डाला गया और उसे भा.रि.बैं. के मास्टर परिपत्र के अनुसार अनुसूची-13, अर्जित ब्याज मद सं. II के अंतर्गत कटौती के रूप में दर्शाया गया है।

b) **The movement of Floating Provision is furnished below:**

(₹ in crores)

Particulars	31-03-11	31-03-10
(a) Opening Balance in the floating provision account	306.63	306.63
(b) The quantum of floating provisions made in the accounting year	Nil	Nil
(c) Amount of draw down made during the accounting year	Nil	Nil
(d) Closing Balance in the floating provision account	306.63	306.63

c) **Draw down from reserves**

The Bank has not made any draw down from the Reserves during the year.

d) **Status of Customer Complaints**

Customer Complaints

1.	No. of complaints pending at the beginning of the year	205
2.	No. of complaints received during the year	3402
3.	No. of complaints redressed during the year	3323
4.	No. of complaints pending at the end of the year	284

Awards passed by the Banking Ombudsman

1.	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	1
2.	No. of awards passed by the Banking Ombudsman during the year	18
3.	No. of awards implemented during the year	18
4.	No. of unimplemented Awards at the end of the year	1

e) **Movement of NPAs** (₹ in crores)

Gross NPAs as on 1st April, 2010	2006.82
Additions (Fresh NPAs) during the year	1592.97
Sub-total (A)	3599.79
Less	
(i) Upgradations	108.56
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	541.66
(iii) Write-offs	350.60
Sub-total (B)	1000.82
Gross NPAs as on 31st March, 2011 (A–B)	2598.97

f) **Overseas Assets, NPAs and Revenue** (₹ in crore)

Particulars	Amount
Total Assets	11051.75
Total NPAs	32.24
Total Revenue	285.18

g) **Fixed Assets**

In respect of certain premises of the Bank, documentation formalities as to transfer of title are yet to be completed. However the Bank holds documents to prove its title as per the legal opinions obtained.

h) **Investments**

Profit on account of sale of securities from HTM category amounting to NIL has been taken to Profit and Loss Account and thereafter appropriated towards Capital Reserve Account.

The amortization charges of ₹60.77 crore (previous year ₹80.88 crore) on the HTM category of securities is debited to Profit and Loss Account and reflected in Schedule-13, Interest Earned: Item II – Income on Investments as a deduction as per RBI Master Circular.

झ) **बंधपत्र/पूंजी जारी करने से संबंधित ब्यौरे**

वर्ष के दौरान बैंक ने भारत सरकार को अधिमानी आधार पर सेबी आइ.सी.डी.आर. विनियमावली के विनिमय 76(1) के अनुसार ₹113.35 (रुपये एक सौ तेरह और पैंतीस पैसे मात्र) की प्रीमियम दर प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्यवाले कुल ₹632.99 करोड़ के 5.13 करोड़ ईक्विटी शेयर आबंटित किया।

ञ) **कवरेज अनुपात हेतु प्रावधान:**

वि. वर्ष 2010-11 के लिए कवरेज अनुपात का अनुपात 77.18% है ।

ट) **अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग, मुंबई और शाखाओं द्वारा हमारी लंदन शाखा के पक्ष में जारी किए गए सहूलियत पत्र:**

बैंक ने यू.के. के एफ.एस.ए. (वित्तीय सेवाएं प्राधिकरण) को पुष्टि की है कि एफ.एस.ए. यू.के. की नयी चलनिधि प्रणाली के अंतर्गत लंदन शाखा के ''संपूर्ण चलनिधि संशोधन'' के लिए किए गए आवेदन के संबंध में अपनी लंदन शाखा को हमेशा चलनिधि संसाधन उपलब्ध कराएगा ।

अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग, मुंबई ने, निदेशक मंडल/भा.रि.बैं. के अनुमोदन से बैंक की लंदन शाखा के पक्ष में यू.एस.डॉलर 75 मिलियन का सहूलियत पत्र जारी किया ।

वित्तिय वर्ष 2010-11 के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग द्वारा हमारी लंदन शाखा के साथ बाजार संबद्ध दरों पर जो दैनिक बकाया निवेश किया है, वह यू.एस. डॉलर 75 मिलियन के लिए जारी किए गए सहूलियत पत्र के अनुसार तयशुदा न्यूनतम स्तर से अधिक है। इसलिए यू.एस. डॉलर 75 मिलियन की राशि को तुलन पत्र की तारीख को आकस्मिक देयता के रूप में नहीं दर्शाया गया है । दि. 31-03-2011 की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग द्वारा लंदन शाखा के पास रखी गयी कुल जमाराशि यू.एस.डॉलर 166.02 मिलियन है।

ठ) **नैगम ग्राहकों को क्रेता उधार सुविधा के उद्देश्य से शाखाओं द्वारा जारी किए गए सहूलियत पत्र**

शाखाओं ने अपने नैगम ग्राहकों को क्रेता के साख पत्र ऋण प्रदान करने के लिए दि. 31-03-2011 के स्थिति के अनुसार ₹483.17 करोड़ के सहूलियत पत्र जारी किया है।

नैगम ग्राहकों को क्रेता के साख पत्र पर ऋण प्रदान करने के लिए शाखाओं द्वारा विभिन्न अन्य बैंको के पक्ष में जारी किए गए सहूलियत पत्र की राशि ₹92.39 करोड़ है और दि. 31-03-2011 की स्थिति के अनुसार हमारी शाखाओं और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग, मुंबई द्वारा जारी किए गए सहूलियत पत्र की सकल बकाया राशि यू.एस. डालर 129.06 मिलियन (₹575.56 करोड़) है।

सहूलियत पत्र जारी करते समय उसकी गुणवत्ता, साख श्रेणी निर्धारण/वैश्विक श्रेणी निर्धारण, प्रतिभूति, संपार्श्विक प्रतिभूति तथा अंतर्निहित संपर्क संस्थाओं को गणना में लिया गया है, इसलिए सहूलियत पत्रों के कारण से हुए वित्तीय प्रभाव उतना महत्वपूर्ण नहीं है ।

i) **Details of Bonds/Capital Issue**

During the year, bank has allotted 5.13 crore equity shares of face value of ₹10/- each for cash at premium of ₹113.35 (Rupees one hundred thirteen and paisa thirty five only) determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations aggregating to ₹632.99 crore on preferential basis to Government of India.

j) **Provision Coverage Ratio:**

The provision coverage ratio for the financial Year 2010-11 is 77.18%.

k) **Letters of Comfort issued in favour of overseas branch at LONDON by International Division, Mumbai & Branches**

The Bank has given a confirmation to FSA (Financial Services Authority) of U.K. that it will make available liquidity resources at all times to its London branch (if needed) in connection with application made for "Whole form liquidity modification" of the London branch under the new liquidity regime of FSA U.K.

International Division Mumbai issued Letter of Comfort amounting to US$ 75 Mio in favour of London branch with the approval of Board of Directors / Reserve Bank of India.

During the financial year 2010-11, the daily outstanding placements made at market related rates by International Division with London branch stands above the minimum undertaken level, as per the Letter of Comfort issued for US$ 75 Mio. Hence, the amount of Letter of Comfort for US$ 75 Mio will not appear as a Contingent Liability as on Balance Sheet date. Total Deposit of US$ 166.02 Mio placed by International Division with London branch as on 31-03-2011.

l) **Letter of Comfort issued by branches for the purpose of buyers credit facility to corporate clients**

Branches have issued Letters of Comfort on behalf of their corporate customers in favour of London branch for providing Buyers credit to the extent of ₹483.17 crores as on 31-03-2011.

Letter of Comfort issued by the branches for the purpose of providing buyers credit facility to the Corporate clients, in favour of various other banks is ₹92.39 crores and the outstanding gross amount of Letter of comfort issued by our branches and International Division, Mumbai as at 31-03-2011 stands at US$ 129.06 Mio (₹575.56 crores).

The financial impact on account of letters of comfort issued may not be significant when the quality of Letters of Comfort, Credit Ratings / World Rankings, Securities, Collaterals and Counter Guarantees available of / from the underlying reference entities are taken into account.

ढ़) **दि.31-03-2011 की स्थिति के अनुसार पुन: संरचित खातों के ब्यौरे**

(करोड़ रुपयों में)

पुन: संरचित खातों के विवरण					
		सी.डी.आर. तंत्र	एस.एम.ई. पुन: संरचना	अन्य	कुल
पुन:संरचित मानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की सं.	9	4477	74730	79216
	बकाया राशि	303.39	439.87	3258.97	4002.23
	घाटा (उचित मूल्य में हुए ह्रास)	20.10	26.36	61.70	108.16
पुन:संरचित अवमानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की सं.	–	465	2248	2713
	बकाया राशि	–	54.41	116.25	170.66
	घाटा (उचित मूल्य में हुए ह्रास)	–	0.72	7.70	8.42
पुन:संरचित संदिग्ध अग्रिम	उधारकर्ताओं की सं.	2	487	2401	2890
	बकाया राशि	25.80	24.20	305.57	355.57
	घाटा (उचित मूल्य में हुए ह्रास)	1.57	0.89	3.34	5.80
कुल	उधारकर्ताओं की सं.	11	5429	79379	84819
	बकाया राशि	329.19	518.48	3680.79	4528.46
	घाटा (उचित मूल्य में हुए ह्रास)	21.67	27.97	72.74	122.38

ण) **तुलन–पत्र से इतर प्रायोजित एस.पी.वी. (लेखाकरण मानदण्ड के अनुसार जिनको समेकित करना है)**

प्रायोजित एस.पी.वी. का नाम	
घरेलू	विदेशी
शून्य	शून्य

थ) **वर्ष 2010-2011 के दौरान बैंक के बीमा कारोबार पर आर्जित आय ₹704.88 लाख है जो पिछले वर्ष ₹1551.94 लाख थी।**

द) **उन अग्रिमों जिनके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां प्राप्त की गयी है:**

क) उन अग्रिमों की कुल रकम जिनके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां, जैसी हक पर प्रभार, लाइसेंस, प्राधिकार इत्यादि को परियोजना (बुनियादी सुविधा परियोजना सहित) के संबंध में संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में प्रभारित किया गया है उसकी राशि ₹170 करोड़ है। ऐसी अमूर्त संपार्श्विक प्रतिभूतियों के अनुमानित मूल्य ₹524.52 करोड़ हैं।

ध) **पिछले वर्ष के आंकड़े**

पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए, जहां आवश्यक पाया गया है वहां उन्हें चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप पुनर्वर्गीकृत किया गया है ।

m) **Details of Restructured Accounts as at 31-03-11**

(₹ in crores)

Particulars of Accounts Restructured					
		CDR Mechanism	SME Restructuring	Others	Total
Standard Advances restructured	No. of borrowers	9	4477	74730	79216
	Amount outstanding	303.39	439.87	3258.97	4002.23
	Sacrifice (diminution in the fair value)	20.10	26.36	61.70	108.16
Sub-Standard Advances restructured	No. of borrowers	–	465	2248	2713
	Amount outstanding	–	54.41	116.25	170.66
	Sacrifice (diminution in the fair value)	–	0.72	7.70	8.42
Doubtful advances restructured	No. of borrowers	2	487	2401	2890
	Amount outstanding	25.80	24.20	305.57	355.57
	Sacrifice (diminution in the fair value)	1.57	0.89	3.34	5.80
Total	No. of borrowers	11	5429	79379	84819
	Amount outstanding	329.19	518.48	3680.79	4528.46
	Sacrifice (diminution in the fair value)	21.67	27.97	72.74	122.38

n) **Off-balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)**

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

o) **Income earned on the bank assurance business during the year 2010-11 is ₹704.88 lakhs against ₹1551.94 lakhs in previous year.**

p) **Amount of advance for which, intangible securities has been taken :**

Total Amount of advances for which intangible securities, such as charge over the rights, licences, authorizations, etc., charged as collateral in respect of projects (including infrastructure projects) is ₹170.00 crores. Estimated value of such intangible collaterals is ₹524.52 crores.

q) **Previous year figures**

Previous year figures have been regrouped / rearranged wherever considered necessary to conform to the current year's classification.

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2011

(₹ हजारों में/₹ 000s)

		31-03-2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2011	31-03-2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2010
	परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह **CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
	वर्ष के दौरान अग्रिमों, निवेशों आदि से प्राप्त ब्याज Interest received during the year from Advances, Investments etc.	**11450,85,89**	10047,17,62
	अन्य आय/Other Income	**915,11,70**	1167,46,00
	घटाइए/LESS:		
	वर्ष के दौरान जमा, उधार राशियों आदि पर प्रदत्त ब्याज Interest paid during the year on Deposits, Borrowings etc.	**6770,56,14**	7012,68,67
	परिचालन व्यय तथा प्रावधान और आकस्मिक व्यय Operating Expenses and Provision & Contingencies	**4012,79,70**	2736,17,03
	आय पर कर/Taxes on income	**237,47,23**	360,71,31
	जोड़िए/ADD:		
	मूल्यह्रास/Depreciation	**70,96,26**	88,17,48
I.	**परिचालनों से अर्जित नकदी लाभ** (परिचालन आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व) **CASH PROFIT GENERATED FROM OPERATIONS** (Prior to changes in operating Assets & Liabilities)	**1416,10,78**	1193,24,09
II.	**परिचालन आस्तियों और देयताओं से नकदी प्रवाह** **CASH FLOW FROM OPERATING ASSETS AND LIABILITIES**		
	देयताओं में वृद्धि/(कमी)/Increase/(Decrease) in Liabilities		
	ग्राहकों और बैंकों से प्राप्त जमाराशियाँ/Deposits from Customer & Banks	**18570,28,62**	1140,65,40
	बैंकों और अन्य संस्थाओं से उधार राशियाँ Borrowings from Banks & Other Institutions	**(2545,04,44)**	6364,51,12
	अन्य देयताएँ आदि (पिछले वर्षों में व्यय के लिए किए गए अतिरिक्त प्रावधान के प्रतिलेखन सहित) Other Liabilities etc. (including write back of excess provision for exp. made in the earlier years)	**(107,71,99)**	96,48,98
	आस्तियों में कमी/(वृद्धि)/Decrease/(Increase) in Assets		
	अग्रिम/Advances	**(16375,56,07)**	(8874,09,04)
	निवेश/Investments	**(2056,68,68)**	(2473,69,96)
	अन्य आस्तियां/Other Assets	**167,50,13**	841,35,10
क. A.	**परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (I+II)** **NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (I+II)**	**(931,11,65)**	(1711,54,31)
	निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह/CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
	अचल आस्तियों पर/On Fixed Assets	**(69,29,02)**	(61,25,84)
	प्रक्रियाधीन कार्य पर/On Work in progress	**(3,26,09)**	2,91,91
ख. B.	**निवेश कार्यकलापों से निवल नकदी उपलब्धता** **NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**	**(72,55,11)**	(58,33,93)
	वित्तीयन कार्यकलापों से नकदी उपलब्धता **CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
	पूंजी जारी करना/Issue of Capital	**633,00,00**	0
	प्रदत्त लाभांश/Dividend Paid	**0**	21
	गौण ऋण (चरण I और चरण II की पूँजी) Subordinated debts (Tier I and Tier II capital)	**(100,00,00)**	394,00,00
	चरण I और चरण II की पूंजी पर ब्याज/Interest on Tier I and Tier II Capital	**(297,53,47)**	(294,67,96)
ग. C.	**वित्तीयन कार्यकलापों से निवल नकदी उपलब्धता** **NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**	**235,46,53**	99,32,25
	वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह (क+ख+ग) **TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR (A+B+C)** नकदी प्रवाह में वृद्धि/(कमी)/Increase/(Decrease) in Cash Flow	**(768,20,23)**	(1670,55,99)

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2011

(₹ हजारों में/₹ 000s)

		31-03-2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2011		31-03-2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2010	
I.	**वर्ष के प्रारंभ में शेष** **Balances at the Beginning of the Year**				
	भा.रि.बैंक के पास नकदी और शेषराशि Cash & Balances with the R.B.I.	**7189,12,35**		12543,23,31	
	बैंकों के पास शेषराशि और मांग पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call	**5544,72,94**	**12733,85,29**	1861,17,97	14404,41,28
II.	**वर्ष के अंत में शेष** **Balances at the end of the Year**				
	भा.रि.बैंक के पास नकदी और शेषराशि Cash & Balances with the R.B.I.	**10443,11,63**		7189,12,35	
	बैंकों के पास शेषराशि और मांग पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call	**1522,53,43**	**11965,65,06**	5544,72,94	12733,85,29
III.	**वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह** **TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR** नकदी प्रवाह में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in Cash Flow		**(768,20,23)**		(1670,55,99)

एस के अबरोल/S K ABROL
महा प्रबंधक (लेखा)/GENERAL MANAGER (ACCOUNTS)

वी. के. नागर/V. K. NAGAR
कार्यपालक निदेशक/EXECUTIVE DIRECTOR

रवि चटर्जी/RAVI CHATTERJEE
कार्यपालक निदेशक/EXECUTIVE DIRECTOR

बसंत सेठ/BASANT SETH
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र/Auditors' Certificate

हम, सिंडिकेट बैंक के अधोहस्ताक्षरकर्ता सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों ने, बैंक के 31-03-2011 को समाप्त हुए वर्ष के उपर्युक्त नकदी उपलब्धता विवरण का सत्यापन किया है। यह विवरण स्टॉक एक्स्चेंजों के साथ सूचीकरण करार के खंड 32 की अपेक्षा के अनुसार तैयार किया गया है और यह तत्संबंधी लाभ और हानि लेखे और भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत हमारी तद्दिनांकित रिपोर्ट में शामिल बैंक के तुलन पत्र पर आधारित है और उससे मेल खाता है।

We, the undersigned Statutory Central Auditors of the SyndicateBank, have verified the above Cash Flow Statement of the Bank for the year ended 31-03-2011. The Statement has been prepared in accordance with the requirements of Clause 32 of the Listing Agreement with the Stock Exchanges and is based on and in agreement with the corresponding Profit and Loss Account and Balance Sheet of the Bank covered by our Report of even date to the President of India.

कृते **मेसर्स एन सी मित्रा एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार
For **M/s N C Mitra & Co.**
Chartered Accountants
(पं. सं./Regn. No.: 306027 इ/E)

(गौरब मित्रा)
साझेदार
(Gourab Mitra)
Partner
सदस्यता सं./Membership No.: 061661

कृते **मेसर्स जैन एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
For **M/s Jain & Associates**
Chartered Accountants
(पं. सं./Regn. No.: 001361एन/N)

(एस सी पाठक)
साझेदार
(S C Pathak)
Partner
सदस्यता सं./Membership No.: 010194

कृते **मेसर्स प्रकाश चंद्र जैन एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार
For **M/s Prakash Chandra Jain & Co.**
Chartered Accountants
(पं. सं./Regn. No.: 002438C)

(पी सी नलवाया)
साझेदार
(P C Nalwaya)
Partner
सदस्यता सं./Membership No.: 033710

कृते **मेसर्स एस सोनी एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
For **M/s S Sonny Associates**
Chartered Accountants
(पं. सं./Regn. No.: 003935 एस /S)

(एस सुंदर)
साझेदार
(S Sundar)
Partner
सदस्यता सं./Membership No.: 023425

कृते **मेसर्स आर. वेन्दर गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
For **M/s R. Vender Gupta & Associates**
Chartered Accountants
(पं.सं./Regn. No.: 002614 एन/N)

(राघवेंदर गुप्ता)
साझेदार
(Raghvender Gupta)
Partner
सदस्यता सं./Membership No.: 081544

कृते **ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार
For **Thakur Vaidyanath Aiyar & Co.**
Chartered Accountants
(पं. सं./Regn. No.: 000038 एन/N)

(के एन गुप्ता)
साझेदार
(K N Gupta)
Partner
सदस्यता सं./Membership No.: 009169

स्थान/Place: बेंगलूर/Bangalore
दिनांक/Date: 12-05-2011

लेखा–परीक्षकों की समेकित रिपोर्ट

सेवा में

सिंडिकेट बैंक का निदेशक मंडल

1. हमने 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार सिंडिकेट बैंक के समेकित संलग्न तुलन पत्र और उससे उपाबद्ध, उस तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ व हानि लेखे तथा समेकित नकदी उपलब्धता विवरण की लेखा–परीक्षा की है । ये वित्तीय विवरण बैंक के प्रबंधकवर्ग की जिम्मेदारी है । हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा–परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत प्रस्तुत करना है ।

2. हमने अपना लेखा–परीक्षा कार्य भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा–परीक्षा मानकों के अनुसार किया है । इन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी लेखा–परीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं और निष्पादित करें कि समुचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जाएं कि वित्तीय विवरणों में विषय–वस्तु संबंधी कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है । लेखा–परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में दिखाई गयी राशियों और प्रकट की गई बातों के समर्थन में दिए गए साक्ष्य की परीक्षण के तौर पर जांच की जाती है । लेखा–परीक्षा के अंतर्गत प्रबंधन–तंत्र द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों तथा प्रमुख आकलनों का निर्धारण तथा प्रस्तुत किए गए समग्र वित्तीय विवरण का मूल्यांकन भी किया जाता है । हमें विश्वास है कि हमारा लेखा–परीक्षा कार्य हमारे अभिमत के लिए उचित आधार है ।

3. हमने सहायक कंपनी यानि, सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा नहीं की है । उनके वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा उनके अपने लेखा परीक्षकों द्वारा अलग से करवाई गयी है जिनकी रिपोर्टें हमें प्रस्तुत की गयीं हैं और राय पूर्णतया उनके लेखा परीक्षकों द्वारा दी गयी रिपोर्टों के आधार पर है ।

4. हमारी राय को विशेषित किए बिना, हम वित्तीय विवरण के नोट सं. 9(iii) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, उनके दि. 9.02.2011 के परिपत्र के माध्यम ए.एस. 15 के उपबंधों को लागू करने के संबंध में दी गयी छूट के अनुसरण में ₹581.52 करोड़ की सीमा तक बैंक की पेंशन और उपदान देयताओं के आस्थगन के बारे में उल्लेख किया गया है।

5. हम रिपोर्ट करते हैं कि बैंक के प्रबंधन–तंत्र द्वारा तैयार किए गए समेकित वित्तीय विवरण लेखाकरण मानक 21 की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं । ''समेकित वित्तीय विवरण'' भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए अनुसार हैं ।

CONSOLIDATED AUDITORS' REPORT

To

The Board of Directors of Syndicate Bank

1. We have audited the attached Consolidated Balance Sheet of Syndicate Bank as at 31st March, 2011 and also the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement annexed thereto for the year ended on that date. These financial statements are the responsibility of the Bank's Management. Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on our audit.

2. We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

3. We did not audit the financial statements of the subsidiary i.e. SyndBank Services Limited. Their financial statements have been audited separately by their auditor, whose reports have been furnished to us and the opinion is based solely on the reports of their auditor.

4. Without qualifying our opinion, we draw attention to note no. 9(iii) to the financial statements, which describes deferment of Pension and Gratuity liability of the bank to the extent of ₹ 581.52 crores pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India vide circular dated, February 9, 2011 to public sector banks from application of the provisions of AS 15.

5. We report that the consolidated financial statements have been prepared by the Bank management in accordance with the requirement of Accounting Standards 21,"Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- समेकित तुलन-पत्र तथा उसके साथ पठित महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ तथा उस से उपाबद्ध टिप्पणी एक पूर्ण और सही तुलन-पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरणों को शामिल किया गया है और उसे उचित रीति से तैयार किया गया है ताकि वह दि. 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार बैंक के कार्यकलाप की स्थिति का सही और वास्तविक चित्र दर्शा सके ।

- समेकित लाभ व हानि लेखे के साथ पठित महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ तथा उससे संबंधित टिप्पणी, दि. 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष की सही लाभ शेष दर्शाती है ।

- समेकित नकदी उपलब्धता विवरण, दि. 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी उपलब्धता का सही और वास्तविक चित्र दर्शाता है ।

We report that:

- The Consolidated Balance Sheet read with Significant Accounting Policies and the Notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars and is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the affairs of the Bank as at 31st March 2011
- The Consolidated Profit and Loss Account, read with Significant Accounting Policies and the Notes thereon shows a true balance of Profit for the year ended 31st March 2011 and
- The Consolidated Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flow for the year ended 31st March 2011.

कृते **मेसर्स एन. सी. मित्रा एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार
(पंजीकरण सं. 306027 ई)
गौरब मित्रा
साझेदार
सदस्यता सं.: 061661

कृते **मेसर्स जैन एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
(पंजीकरण सं. 0001361 एन)
एस सी पाठक
साझेदार
सदस्यता सं.: 010194

कृते **मेसर्स प्रकाश चन्द्र जैन एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार
(पंजीकरण सं. 002438 सी)
पी सी नलवाया
साझेदार
सदस्यता सं.: 033710

कृते **मेसर्स एस सोनी एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
(पंजीकरण सं.: 003935 एस)
एस सुन्दर
साझेदार
सदस्यता सं.: 023425

कृते **मेसर्स आर. वेन्दर गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
(पंजीकरण सं. 002614 एन)
राघवेन्दर गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं.: 081544

कृते **मेसर्स ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कं**
सनदी लेखाकार
(पंजीकरण सं. 000038 एन)
के एन गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं.: 009169

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 12-05-2011

For N C Mitra & Co.
Chartered Accountants
(Regd. No.: 306027E)
Gourab Mitra
Partner
Membership No.: 061661

For Jain & Associates
Chartered Accountants
(Regd. No.: 001361N)
S C Pathak
Partner
Membership No.: 010194

For Prakash Chandra Jain & Co.
Chartered Accountants
(Regd. No.: 002438C)
P C Nalwaya
Partner
Membership No.: 033710

For S Sonny Associates
Chartered Accountants
(Regd. No.: 003935S)
S Sundar
Partner
Membership No.: 023425

For R. Vender Gupta & Associates
Chartered Accountants
(Regd. No.: 002614N)
Raghvender Gupta
Partner
Membership No.: 081544

For Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co.
Chartered Accountants
(Regd. No.: 000038N)
K N Gupta
Partner
Membership No.: 009169

Place : Bangalore
Date : 12-05-2011

31 मार्च, 2011 को समेकित तुलन–पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2011

(₹ हजारों में/ ₹ in thousands)

	अनुसूची सं. Schedule No.	As on दि. 31-03-2011 को	As on दि. 31-03-2010 को
पूंजी और देयताएँ CAPITAL & LIABILITIES			
पूंजी/Capital	1	**573,28,57**	521,96,83
आरक्षित निधि और अधिशेष/Reserves and Surplus	2	**6480,41,14**	5107,10,97
जमाराशियाँ/Deposits	3	**135593,13,51**	117023,69,97
उधार/Borrowings	4	**9527,64,32**	12172,68,76
अन्य देयताएँ और प्रावधान/Other Liabilities and Provisions	5	**4364,10,86**	4225,29,58
योग/TOTAL		**156538,58,40**	139050,76,11
आस्तियाँ/ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और शेषराशियाँ Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**10443,11,63**	7189,12,35
बैंकों में शेषराशियाँ और माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	**1522,53,43**	5544,72,94
निवेश/Investments	8	**35067,36,56**	33010,67,88
अग्रिम/Advances	9	**106781,92,02**	90406,35,95
अचल आस्तियाँ/Fixed Assets	10	**692,75,62**	701,46,98
अन्य आस्तियाँ/Other Assets	11	**2030,89,14**	2198,40,01
योग/TOTAL		**156538,58,40**	139050,76,11
आकस्मिक देयताएँ/Contingent Liabilities	12	**52397,70,30**	52747,32,56
वसूली के लिए बिल/Bills for Collection		**2236,76,10**	2097,70,40
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ/Significant Accounting Policies	17		
खातों के बारे में टिप्पणी/Notes on Accounts	18		

बसंत सेठ *अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक*
वी. के. नागर *कार्यपालक निदेशक*
रवि चटर्जी *कार्यपालक निदेशक*
एच प्रदीप राव *निदेशक*
ए एस राव *निदेशक*
रमेश एल अडिगे *निदेशक*
एआर नागप्पन *निदेशक*
बी. एस. सूरी *निदेशक*
डी एस पूंजा *निदेशक*
नरेन्द्र एल दवे *निदेशक*
एस के अबरोल *महा प्रबंधक (लेखा)*

Basant Seth *Chairman & Managing Director*
V. K. Nagar *Executive Director*
Ravi Chatterjee *Executive Director*
H Pradeep Rao *Director*
A S Rao *Director*
Ramesh L Adige *Director*
AR Nagappan *Director*
B. S. Suri *Director*
D S Punja *Director*
Narendra L Dave Director
S K Abrol *General Manager (Accounts)*

स्थान : बेंगलूर
तारीख : 12-05-2011

Place : Bangalore
Date : 12-05-2011

दि. 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि लेखा
CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2011

(₹ हजारों में/ ₹ in thousands)

	अनुसूची सं. Schedule No.	समाप्त वर्ष Year Ended दि. 31-03-2011 को	समाप्त वर्ष Year Ended दि. 31-03-2010 को
I. **आय/INCOME**			
अर्जित ब्याज/Interest Earned	13	**11450,85,89**	10047,17,62
अन्य आय/Other Income	14	**915,13,97**	1167,47,67
योग/TOTAL		**12365,99,86**	11214,65,29
II. **व्यय/EXPENDITURE**			
व्ययगत ब्याज/Interest Expended	15	**7067,93,17**	7307,23,71
परिचालन व्यय/Operating Expenses	16	**2547,05,04**	2032,28,86
प्रावधान और आकस्मिकताएँ/Provision and Contingencies		**1702,24,26**	1060,86,48
योग/TOTAL		**11317,22,47**	10400,39,05
III. **लाभ/हानि/PROFIT / LOSS**			
वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/Net Profit for the year		**1048,77,39**	814,26,24
आगे लाया गया लाभ/हानि(–)/Profit / Loss (–) brought forward		**0**	0
योग/TOTAL		**1048,77,39**	814,26,24
IV. **विनियोजन/APPROPRIATIONS**			
A. सांविधिक आरक्षित निधि को अंतरण/Transfer to Staturory Reserves		**261,98,64**	203,32,95
B. राजस्व आरक्षित निधि/Revenue Reserves		**430,26,13**	245,57,02
C. आरक्षित पूंजी/Capital Reserves		**0**	77,78,43
D. सामान्य आरक्षित/General Reserve		**0**	4,98,02
E. विशेष निधि आयकर अधिनियम की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत Special Reserves u/s 36(1) (viii) of Income Tax Act		**110,00,00**	100,00,00
F. प्रस्तावित अंतिम लाभांश (₹ 34.41 करोड़ के लाभांश कर सहित, पिछले वर्ष ₹ 26.01 करोड़) Proposed Final Dividend (inclusive of Dividend Tax of ₹ 34.41 cr., previous year 26.01 cr.)		**246,52,62**	182,59,82
H. तुलन–पत्र को अग्रेनीत शेषराशि/Balance carried over to the Balance Sheet		**0**	0
योग/TOTAL		**1048,77,39**	814,26,24
प्रति शेयर अर्जन/Earnings per Share (₹)		**20.04**	15.60
महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां/Significant Accounting Policies	17		
लेखा संबंधी टिप्पणियां/Notes on Accounts	18		

कृते मेसर्स एन सी मित्रा एण्ड कंपनी	**कृते मेसर्स जैन एण्ड एसोसिएट्स**	**कृते मेसर्स प्रकाश चंद्र जैन एण्ड कंपनी**	**For N C Mitra & Co.**	**For Jain & Associates**	**For Prakash Chandra Jain & Co.**
सनदी लेखाकार	*सनदी लेखाकार*	*सनदी लेखाकार*	*Chartered Accountants*	*Chartered Accountants*	*Chartered Accountants*
(पं. सं.: 306027 ई)	(पं. सं.: 0001361 एन)	(पं. सं.: 002438C)	(Regn. No.306027E)	(Regn. No.0001361N)	(Regn. No. 002438C)
गौरब मित्रा	**एस सी पाठक**	**पी सी नलवाया**	**Gourab Mitra**	**S C Pathak**	**P C Nalwaya**
साझेदार	*साझेदार*	*साझेदार*	*Partner*	*Partner*	*Partner*
सदस्यता सं.: 061661	सदस्यता सं.: 010194	सदस्यता सं.: 033710	Membership No. : 061661	Membership No.: 010194	Membership No.: 033710
कृते मेसर्स एस सोनी एसोसिएट्स	**कृते मेसर्स आर. वेन्दर गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स**	**कृते ठाकूर वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कंपनी**	**For S Sonny Associates**	**For R. Vender Gupta & Associates**	**For Thakur Vaidyanath Aiyar & Co.**
सनदी लेखाकार	*सनदी लेखाकार*	*सनदी लेखाकार*	*Chartered Accountants*	*Chartered Accountants*	*Chartered Accountants*
(पं. सं.: 003935 एस)	(पं. सं.: 002614 एन)	(पं. सं.: 000038 एन)	(Regn. No. 003935S)	(Regn. No. 002614N)	(Reg. No. 000038N)
एस सुंदर	**राघवेंदर गुप्ता**	**के एन गुप्ता**	**S Sundar**	**Raghvender Gupta**	**K N Gupta**
साझेदार	*साझेदार*	*साझेदार*	*Partner*	*Partner*	*Partner*
सदस्यता सं.: 023425	सदस्यता सं.: 081544	सदस्यता सं.: 009169	Membership No.: 023425	Membership No.: 081544	Membership No.: 009169

अनुसूची – 1 : पूँजी
SCHEDULE – 1 : CAPITAL

(₹ हजारों में/ ₹ in thousands)

	As on दि. 31-03-2011 को	As on दि. 31-03-2010 को
प्राधिकृत पूँजी 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10 AUTHORISED CAPITAL: 300,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10 each	**3000,00,00**	3000,00,00
I. **निर्गत, अभिदत्त और प्रदत्त मांगी गई पूँजी**/ISSUED, SUBSCRIBED, CALLED & PAID UP CAPITAL		
अथशेष/Opening Balance	**521,96,83**	521,96,83
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additional during the year	**51,31,74**	0
(केन्द्रीय सरकार को जारी किए गए प्रत्येक ₹ 10 के 5,13,17,389 ईक्विटी शेयर और पूंजी में वृद्धि करने के बाद केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित कुल शेयरों की सं. 39,82,85,671 हैं) (5,13,17,389 Equity Shares of ₹ 10/- each issued to the Central Government and after infusion the total number of shares held by Central Government is 39,82,85,671)	**573,28,57**	521,96,83
II. बेमीयादी गैर–संचयी अधिमान्य शेयर (पी.एन.सी.पी.एस.) Perpetual Non-Cumulative Preference Share (PNCPS)	**0.00**	0.00
योग/TOTAL	**573,28,57**	521,96,83

अनुसूची – 2 : आरक्षित निधि और अधिशेष
SCHEDULE – 2 : RESERVES AND SURPLUS

	As on दि. 31-03-2011 को		As on दि. 31-3-2010 को	
I. **सांविधिक आरक्षित निधि/Statutory Reserves**				
अथशेष/Opening Balance	**1482,98,05**		1279,65,10	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**261,98,64**	**1744,96,69**	203,32,95	1482,98,05
II. **आरक्षित पूंजी/Capital Reserves**				
अथशेष/Opening Balance	**132,79,54**		55,01,11	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**0**	**132,79,54**	77,78,43	132,79,54
III. **शेयर प्रीमियम/Share Premium**				
अथशेष/Opening Balance	**200,00,00**		200,00,00	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**581,68,26**	**781,68,26**	0	200,00,00
IV. **पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि/Revaluation Reserves**				
अथशेष/Opening Balance	**404,19,00**		414,95,02	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**0**		0	
	404,19,00		414,95,02	
वर्ष के दौरान कटौती/Deduction during the year	**10,29,35**	**393,89,65**	10,76,02	404,19,00
V. **सामान्य आरक्षित निधि/General Reserves**				
अथशेष/Opening Balance	**581,16,40**		576,18,38	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**0**	**581,16,40**	4,98,02	581,16,40
VI. **राजस्व और अन्य आरक्षित निधि** **Revenue and Other Reserves**				
अथशेष/Opening Balance	**2065,48,33**		1819,91,31	
जोड़ें : लाभ व हानि लेख से शेष का अंतरण				
Add: Transfer of Balance from Profit & Loss Account	**430,26,13**		245,57,02	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती/Less: Deductions during the Year	**0**	**2495,74,46**	0	2065,48,33
VII. **विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि** **Foreign Currency Tanslation Reserve**				
अथशेष/Opening Balance	**49,65**		3,42,81	
जोड़ें/(घटाएं) : वर्ष के दौरान समायोजन				
Add/(Less): Adjustments during the year	**–33,51**	**16,14**	– 2,93,16	49,65
VIII. **आय कर अधिनियम1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशिष्ट अधिशेष/ Special Reserve u/s 36 (1)(viii) of the Income Tax Act, 1961**				
अथशेष/Opening Balance	**240,00,00**		140,00,00	
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन				
Add: Additions during the year	**110,00,00**	**350,00,00**	100,00,00	240,00,00
IX. **लाभ–हानि लेखे में शेष/Balance in Profit and Loss Account**		**0**		0
योग/TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		**6480,41,14**		5107,10,97

अनुसूची – 3: जमाराशियाँ
SCHEDULE – 3: DEPOSITS

(₹ हजारों में/ ₹ in thousands)

		As on दि. 31-03-2011 को	As on दि. 31-03-2010 को
क./A. I.	**मांग जमाराशियाँ/Demand Deposits**		
	i) बैंकों से/From Banks	**216,68,03**	472,22,65
	ii) अन्यों से/From Others	**10521,98,10**	9713,81,31
II.	**बचत बैंक जमाराशियाँ/Savings Bank Deposits**	**31206,55,29**	26364,68,25
III.	**सावधि जमाराशियाँ/Term Deposits**		
	i) बैंकों से/From Banks	**13593,52,96**	17042,98,73
	ii) अन्यों से/From Others	**80054,39,13**	63429,99,03
	योग/TOTAL (I+II+III)	**135593,13,51**	117023,69,97
ख./B.	i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ/Deposits of Branches in India	**126793,30,47**	109686,31,10
	ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ/Deposits of Branches outside India	**8799,83,04**	7337,38,87
	योग/TOTAL	**135593,13,51**	117023,69,97

अनुसूची – 4 : उधार
SCHEDULE – 4 : BORROWINGS

I.	**भारत में उधार/Borrowings in India**		
i)	भारतीय रिज़र्व बैंक/Reserve Bank of India	**0**	0
ii)	अन्य बैंक/Other Banks	**767,76,14**	2612,25,00
iii)	अन्य संस्थाएँ और एजेन्सियाँ/Other Institutions and Agencies	**3783,84,87**	4662,21,43
iv)	नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आइ.पी.डी.आई)/Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	**773,00,00**	773,00,00
v)	बंधपत्र /डिबेंचरो के रूप में जारी किए गए सम्मिश्र ऋण पूंजी लिखत/Hybrid debt capital instruments issued as bonds/debentures	**0**	0
vi)	प्रतिदेय संचयी अधिमान्य शेयर (पी.सी.पी.एस.)/Redeemable Cumulative Preference shares (PCPS)	**0**	0
vii)	प्रतिदेय गैर–संचयी अधिमान्य शेयर (पी.एन.सी.पी.एस.)/Redeemable Non-Cumulative Preference shares (PNCPS)	**0**	0
viii)	प्रतिदेय संचयी अधिमान्य शेयर (आर.सी.पी.एस.)/Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)	**0**	0
ix)	गौण ऋण/Subordinated Debt	**2744,70,00**	2844,70,00
	योग/TOTAL	**8069,31,01**	10892,16,43
II.	**भारत के बाहर उधार/Borrowings outside India**	**1458,33,31**	1280,52,33
	योग/TOTAL (I + II)	**9527,64,32**	12172,68,76

अनुसूची – 5 : अन्य देयताएँ और प्रावधान
SCHEDULE – 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

I.	देय बिल/Bills Payable	**904,11,05**	1225,37,79
II.	अंतर–कार्यालय समायोजन (निवल)/Inter-Office Adjustments (Net)	**130,39,21**	0
III.	उपचित ब्याज/Interest Accrued	**657,04,78**	577,02,76
IV.	मानक आस्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान Contingent Provision against Standard Assets	**420,44,16**	395,89,14
V.	अन्य (प्रावधान सहित)/Others (including provisions)	**2252,11,66**	2026,99,89
	योग/TOTAL (I + II + III + IV + V)	**4364,10,86**	4225,29,58

अनुसूची – 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेषराशि
SCHEDULE – 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ हजारों में/ ₹ in thousands)

		As on दि. 31-03-2011 को	As on दि. 31-03-2010 को
I.	रोकड़ शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	**306,82,58**	369,66,92
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि Balances with Reserve Bank of India		
	चालू खाते में/In Current Account	**10136,29,05**	6819,45,43
	अन्य खातों में/In Other Accounts	**0**	0
	योग/TOTAL (I + II)	**10443,11,63**	7189,12,35

अनुसूची – 7: बैंकों के पास शेषराशि और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि
SCHEDULE – 7: BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

I.	**भारत में/In India**		
	i) बैंकों के पास शेषराशि/Balances with Banks		
	क)/a) चालू खातों में/in Current Accounts	**52,39,13**	134,53,19
	ख)/b) अन्य जमा खातों में/in other Deposit Accounts	**58,91,56**	57,76
	ii) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि/Money at Call and Short Notice		
	क)/a) बैंकों के पास/with banks	**119,66,25**	4841,73,32
	ख)/b) अन्य संस्थाओं के पास/with other institutions	**0**	0
	योग/TOTAL	**230,96,94**	4976,84,27
II.	**भारत के बाहर/Outside India**		
	क)/a) चालू खातों में/in Current Accounts	**50,65,05**	20,10,06
	ख)/b) अन्य जमा खातों में/in other Deposit Accounts	**1240,91,44**	547,78,61
	ग)/c) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि/Money at Call and Short Notice	**0**	0
	योग/Total	**1291,56,49**	567,88,67
	योग/TOTAL (I + II)	**1522,53,43**	5544,72,94

अनुसूची – 8: निवेश
SCHEDULE – 8 : INVESTMENTS

I.	**भारत में निवेश (सकल)/Investments in India (Gross)**	**34953,99,64**	32778,48,81
	घटाएं: मूल्यह्रास/एन.पी.आई. के लिए प्रावधान/Less: Provision for depreciation / NPI	**17,68,31**	58,00,21
		34936,31,33	32720,48,60
	सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government securities	**30302,48,54**	28286,29,78
	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ/Other approved securities	**43,35,89**	69,06,92
	शेयर/Shares	**180,78,43**	147,95,86
	डिबेंचर और बंध पत्र/Debentures and Bonds	**1646,25,86**	1777,94,30
	अनुषंगी और/या संयुक्त संस्थाएं/Subsidiaries and/or Associates	**33,34,83**	33,34,83
	अन्य/Others	**2730,07,78**	2405,86,91
	योग/ TOTAL	**34936,31,33**	32720,48,60
II.	**भारत के बाहर निवेश (सकल)/Investments outside India (Gross)**	**156,40,30**	314,95,87
	घटाएं: मूल्यह्रास के लिए प्रावधान/Less: Provision for depreciation	**25,35,07**	24,76,59
	शुद्ध निवेश/Net Investments	**131,05,23**	290,19,28
	योग/TOTAL (I+II)	**35067,36,56**	33010,67,88

अनुसूची – 9 : अग्रिम
SCHEDULE – 9 : ADVANCES

(₹ हजारों में/ ₹ in thousands)

		As on दि. 31-03-2011 को	As on दि. 31-03-2010 को
क./A.	i) खरीदे और भुनाए गए बिल/Bills purchased and discounted	**1509,25,93**	1164,28,86
	ii) ऋण, नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रदेय ऋण Loans, Cash credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	**54797,57,77**	20920,00,45
	iii) मीयादी ऋण/Term Loans	**50475,08,32**	68322,06,64
	योग/Total	**106781,92,02**	90406,35,95
ख./B	i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत/Secured by tangible assets	**66289,15,90**	58148,72,69
	ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित/Covered by Bank/Government Guarantees	**12657,22,76**	9403,26,33
	iii) अरक्षित/Unsecured	**27835,53,36**	22854,36,93
	योग/Total	**106781,92,02**	90406,35,95
ग./C.	I) **भारत में अग्रिम**/Advances in India		
	i) प्राथमिकता प्राप्त श्रेत्र/Priority Sector	**32175,89,10**	31085,62,74
	ii) सार्वजनिक क्षेत्रक/Public Sector	**11045,68,37**	9158,10,84
	iii) बैंक/Banks	**4084,12,14**	1639,58,76
	iv) अन्य/Others	**48670,62,84**	39673,67,68
	योग/Total	**95976,32,45**	81557,00,02
	II) **भारत के बाहर के अग्रिम/Advances outside of India**		
	i) बैंकों से देय/Due from Banks	**7482,08,76**	6012,28,82
	ii) अन्यों से देय/Due from others		
	क)/a) खरीदे गए और बट्टागत बिल/Bills Purchased and Discounted	**181,13,49**	277,70,24
	ख)/b) सिंडिकेटेड ऋण/Syndicated Loans	**2482,81,30**	1987,71,14
	ग)/c) अन्य/Others	**659,56,02**	571,65,73
	योग/Total	**10805,59,57**	8849,35,93
	योग/Total (ग. I + ग. II) (C.I + C. II)	**106781,92,02**	90406,35,95

अनुसूची – 10 : अचल आस्तियाँ
SCHEDULE – 10 : FIXED ASSETS

I.	**परिसर/Premises**		
	पिछले वर्ष के 31मार्च के अनुसार लागत/पुनर्मूल्यन पर At cost/revaluation as on 31st March of preceding year	**546,98,71**	538,76,32
	जोड़े : वर्ष के दौरान परिवर्धन/Add: Additions during the year	**13,43,35**	10,84,85
	घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियाँ/समायोजन/Less: Deductions/Adjustments during the year	**2,52,37**	2,62,46
		557,89,69	546,98,71
	घटाएं : अब तक मूल्यह्रास/Less: Depreciation to date	**73,23,20**	59,36,81
	योग/Total	**484,66,49**	487,61,90
II.	प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य/Capital work in progress	**15,69,09**	18,95,18
III.	**अन्य अचल आस्तियाँ/Other Fixed Assets**		
	पिछले वर्ष के मार्च 31की लागत पर/At cost as on 31st March of preceding year	**732,34,42**	686,36,11
	जोड़िएं : वर्ष के दौरान परिवर्धन/Add: Additions during the year	**68,46,61**	57,93,82
	घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियाँ/Less: Deductions during the year	**10,80,48**	11,95,51
		790,00,55	732,34,42
	घटाएं : अब तक मूल्यह्रास/Less: Depreciation to date	**597,60,51**	537,44,52
	योग/Total	**192,40,04**	194,89,90
	योग/TOTAL (I+II+III)	**692,75,62**	701,46,98

अनुसूची – 11: अन्य आस्तियाँ
SCHEDULE – 11: OTHER ASSETS

(₹ हजारों में/ ₹ in thousands)

	As on दि. 31-3-2011 को	As on दि. 31-3-2010 को
I. अंतर–कार्यालय समायोजन (निवल)/Inter-Office Adjustments (Net)	**0**	110,37,68
II. उपचित ब्याज/Interest accrued	**626,29,32**	598,29,93
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधान घटाकर) Tax paid in advance/tax deducted at source (net of provisions)	**791,98,60**	598,53,08
IV. लेखन सामग्री व स्टांप/Stationery and Stamps	**10,07,49**	10,32,22
V. दावों की चुकौती में अर्जित गैर–बैंकिंग आस्तियाँ (मूल्यह्रास घटाकर) Non-banking assets acquired in satisfaction of claims (Net of Depreciation)	**3,79**	3,94
VI. अन्य/Others	**602,49,94**	880,83,16
योग/TOTAL	**2030,89,14**	2198,40,01

अनुसूची – 12 : आकस्मिक देयताएँ
SCHEDULE – 12 : CONTINGENT LIABILITIES

I. बैंक के विरुद्ध किए गये दावे जो ऋणों के रूप में अभिस्वीकृत नहीं हैं Claims against the bank not acknowledged as debts	**78,35,07**	79,25,77
II. अंशत: प्रदत्त निवेशों के प्रति देयता/जोखिम निधि Liability for partly paid Investments/venture fund	**73,14,64**	34,11,06
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं से संबंधित देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	**39410,86,45**	42117,03,47
IV. ग्राहकों की ओर से दी गयी गारंटियाँ/Guarantee given on behalf of constituents		
क)/a) भारत में/In India	**6934,30,07**	6422,01,83
ख)/b) भारत के बाहर/Outside of India	**55,84**	4,17,68
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	**3212,97,53**	2895,53,29
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है Other items for which bank is contingently liable		
I) उन संविदाओं की अनुमाति रकम जिनको पूंजीगत लेखे में निष्पादित किया जाता है और जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है। Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital accounts not provided for	**17,29,47**	5,04,66
II) अन्य/Others	**2670,21,23**	1190,14,80
योग/TOTAL	**52397,70,30**	52747,32,56

अनुसूची – 13: अर्जित ब्याज
SCHEDULE – 13: INTEREST EARNED

I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा Interest/Discount on Advances/Bills	**9197,23,65**	7697,22,23
II. निवेशों पर आय/Income on investments	**2268,49,47**	2348,90,17
घटाएँ : निवेशों के पुनर्मूल्यन में से हुई हानि Less: Loss on revaluation of investments	**(60,77,42)**	(80,88,06)
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशियों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter bank funds	**10,72,41**	50,95,44
IV. अन्य/Others	**35,17,78**	30,97,84
योग/TOTAL	**11450,85,89**	10047,17,62

अनुसूची – 14 : अन्य आय
SCHEDULE – 14 : OTHER INCOME

(₹ हजारों में/ ₹ in thousands)

		Year Ended दि. 31-03-2011 को	Year Ended दि. 31-03-2010 को
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली/Commission, Exchange and Brokerage	**442,23,05**	363,00,48
II.	निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ/Profit on sale of investments	**35,23,89**	388,85,61
	घटाएँ: निवेशों की बिक्री से हुई हानि/Less: Loss on sale of investments	**–**	–
III.	जमीन, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ Profit on sale of land, buildings & other assets	**17,93**	23,33
	घटाएँ: जमीन, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से हुई हानि Less: Loss on sale of land, buildings & other assets	**– 45,58**	– 25,71
IV.	विनिमय लेनदेन पर लाभ/Profit on exchange transactions	**97,91,98**	68,42,39
	घटाएँ/Less: विनिमय लेनदेन पर हुई हानि/Loss on exchange transactions	**– 2,43**	– 25,81
V.	लाभांश इत्यादि के माध्यम से प्राप्त आय/Income earned by way of dividend	**5,40,51**	5,96,06
VI.	विविध आय/Miscellaneous Income	**334,64,62**	341,51,32
	योग/TOTAL	**915,13,97**	1167,47,67

अनुसूची – 15: व्ययगत ब्याज
SCHEDULE – 15: INTEREST EXPENDED

I.	जमाराशियों पर ब्याज/Interest on Deposits	**6193,13,41**	6780,69,21
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधार पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/Inter Bank borrowings	**111,28,69**	10,93,96
III.	अन्य/Others	**763,51,07**	515,60,54
	योग/TOTAL	**7067,93,17**	7307,23,71

अनुसूची – 16 : परिचालन व्यय
SCHEDULE –16 : OPERATING EXPENSES

I.	कर्मचारियों को संदाय और उनके लिए प्रावधान/Payments to and provisions for Employees	**1774,10,73**	1338,27,07
II.	किराया, कर और बिजली/Rent, Taxes and Lighting	**147,85,95**	133,59,59
III.	मुद्रण और लेखन सामग्री/Printing and Stationery	**14,13,04**	15,86,78
IV.	विज्ञापन और प्रचार/Advertisement and Publicity	**18,64,13**	17,37,03
V.	बैंक की संपत्तियों पर मूल्यह्रास/Depreciation on Bank's Property	**70,97,41**	88,19,07
VI.	निदेशकों का शुल्क, भत्ते और खर्च/Directors' Fees, Allowances and Expenses	**43,65**	74,29
VII.	लेखा परीक्षकों का शुल्क और खर्च (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors)	**20,39,17**	20,23,45
VIII.	विधि प्रभार/Law Charges	**7,68,06**	8,68,02
IX.	डाक व्यय, तार, दूरभाष आदि/Postage, Telegrams, Telephones etc.	**18,31,74**	18,94,92
X.	मरम्मत और अनुरक्षण/Repairs and Maintenance	**62,85,63**	48,58,78
XI.	बीमा/Insurance	**104,83,81**	105,11,91
XII.	अन्य व्यय/Other Expenditure*	**306,81,72**	236,67,95
	योग/TOTAL	**2547,05,04**	2032,28,86
*	पिग्मी एजेंटों की कमीशन शामिल है /Includes Pigmy Agents Commission	**51,77,15**	45,82,03

अनुसूची – 17
समेकित महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ 2010-2011

1.0 **लेखाकरण प्रथा**

संलग्न वित्तीय विवरण 'लाभकारी कारोबार वाला संस्थान सिद्धांत' का पालन करते हुए सामान्यतः परंपरागत लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं और ये अन्यथा सूचित मामलों को छोड़कर सांविधिक उपबंधों भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा प्रचलित लेखाकरण नामकों और क्रियाविधियों के अनुसार है।

2.0 **विदेशी मुद्रा संबंधी लेन–देन**

2.1 भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित विनिमयदारों को अपनाया गया है ।

2.2 फॉरैक्स देयता युक्त सभी विदेशी मुद्रा लेन–देनों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा घोषित साप्ताहिक औसत दर (डब्ल्यू. ए.आर.) लागू करते हुए अभिलेखित किया गया है। जबकि सभी फॉरैक्स आस्तियों को प्रचलित बाज़ार दरों पर अभिलेखित किया गया है।

2.3 सभी मौद्रिक आस्तियों और देयताओं को वर्ष के अंत में भा.वि.मु. व्या. सं. द्वारा निर्धारित अंतिम विनिमय दर पर रिपोर्ट किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को राजस्व के रूप में लिया गया है ।

2.4 बकाया वायदा विनिमय संविदाओं को, विनिर्दिष्ट परिपक्वता के लिए अधिसूचित विनिमय दरों तथा ''बीच की परिपक्वताओं'' वाले संविदाओं के लिए अंतर्वेशित दरों पर रिपोर्ट किया गया है ।

2.5 गारंटियों, साख पत्रों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों तथा अन्य दायित्वों से संबंधित आकस्मिक देयताओं को अंतिम विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया है ।

2.6 मूल कंपनी की विदेशी शाखा को 'गैर समाकलित विदेशी परिचालन' के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

क) विदेशी संचालनों के सभी आस्तियों और देयताओं, मौद्रिक और गैर–मौद्रिक दोनों, को अंतिम विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया ।

ख) आय और व्यय का परिवर्तन त्रैमासिक औसत विनिमय दरों पर किया गया ।

ग) ए.एस. 11 के अनुसार किए गए परिवर्तन से हुए परिणामी विनिमय अंतर को, विदेशी परिचालन के निवल निवेश का निपटान होने तक ''विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि'' में जमा किया गया ।

3.0 **निवेश**

3.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार भारत में निवेश निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाते हैं ।

I. परिपक्वता तक धारित
II. विक्रय के लिए उपलब्ध
III. व्यापार के लिए धारित

प्रत्येक वर्ग को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया:

क) सरकारी प्रतिभूतियां ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
ग) शेयर घ) डिबेंचर और बंध पत्र
ङ) अनुषंगी च) अन्य

3.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया जाता है।

SCHEDULE – 17
CONSOLIDATED SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 2010-2011

1.0 ACCOUNTING CONVENTIONS

The accompanying financial statements are prepared following the 'Going Concern' concept on historical cost basis and conform to the statutory provisions including the RBI guidelines and the applicable accounting standards and prevailing practices of the countries concerned, except wherever otherwise stated.

2.0 TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE

2.1 Exchange rates as notified by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) are adopted.

2.2 All foreign currency transactions involving forex liabilities are recorded by applying Weekly Average Rate (WAR) published by FEDAI whereas all forex assets are recorded at on going market rates.

2.3 All the monetary assets & liabilities are reported at the end of the year at FEDAI closing exchange rate and the resultant profit / loss is taken to revenue.

2.4 Outstanding Forward Exchange Contracts are reported at the exchange rates notified for specified maturities and at interpolated rates for contracts of "in between maturities".

2.5 Contingent liabilities on account of Guarantees, Letters of Credit, Acceptances, Endorsements and other obligations are translated at closing exchange rates.

2.6 Foreign Branch of the Parent Company is classified as "Non-Integral Foreign Operation".

a) All assets & liabilities of the foreign operations, both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities are translated at closing exchange rates.
b) Income and Expenditure are translated at quarterly average exchange rates.
c) The resulting exchange difference arising from translation as per AS-11 is accumulated in a "Foreign Currency Translation Reserve" until disposal of net investment of the foreign operation.

3.0 INVESTMENTS

3.1 In accordance with guidelines of RBI, investments in India are classified into:

I. Held to Maturity
II. Available for Sale
III. Held for Trading

Each category is further classified into:

a) Government Securities b) Other Approved Securities
c) Shares d) Debentures & Bonds
e) Subsidiaries f) Others.

3.2 Investments are valued in accordance with RBI guidelines.

3.2.1 परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अधीन निवेश का मूल्यांकन अर्जन लागत के आधार पर किया जाता है, सिवाय उस मामले के जब उसका अर्जन प्रीमियम पर किया जाए तब इस मामले में प्रीमियम का परिशोधन सीधी लाइन पद्धति का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति की शेष अवधि तक किया जाता है ।

3.2.2 विक्रय के लिए उपलब्ध श्रेणी के अधीन धारित निवेश का मूल्य निर्धारण लागत या बाज़ार मूल्य इनमें जो कम हो, के आधार पर किया जाता है । अलग-अलग शेयरों का मूल्य निर्धारण किया जाता है और तुलन-पत्र में निवेश के वर्गीकरण के अनुसार मूल्यह्रास/मूल्यवृद्धि का समुच्चयन श्रेणीवार किया जाता है । शुद्ध मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया जाता है और शुद्ध मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, पर ध्यान नहीं दिया जाता है ।

3.2.3 व्यापार के लिए धारित श्रेणी के अधीन, निवेश बाज़ार के लिए चिह्नित किए गए हैं और परिणामी मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास का संकलन तुलन पत्र के वर्गीकरण के अनुसार प्रवर्ग वार किया जाता है । शुद्ध मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया जाता है और शुद्ध मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, पर ध्यान नहीं दिया जाता है ।

3.2.4 मूल्य निर्धारण के प्रयोजन के लिए –

i) लागत का संदर्भ अर्जन की वास्तविक लागत/प्रचलित लागत से है जहाँ कहीं लागू होता हो

ii) बाज़ार मूल्य का संदर्भ, शेयर बाजार/भाव, एस.जी.एल. खाता लेन-देन, भा.रि.बैं./एफ.आई.एम.एम.डी.ए./पी.डी.ए.आइ. नवीनतम उपलब्ध मूल्य सूची से है और ऐसे कोटेशन के अभाव में :

क) सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण, एफ.आइ.एम.एम.डी.ए./पी.डी.ए.आइ. की कीमतों/परिपक्वता पर प्रतिलाभ (वाइ.टी.एम.) दरों के आधार पर, भा.रि.बैं. द्वारा यथानिर्दिष्ट समुचित कीम त-लागत अंतर के साथ किया जाएगा।

ख) डिबेंचरों/बंधपत्रों का मूल्य निर्धारण, पी.डी.ए.आइ./एफ.आइ.एम.एम.डी.ए. द्वारा यथा निर्दिष्ट समुचित कीमत - लागत अंतर के साथ वाइ.टी.एम. आधार पर किया जाएगा।

ग) तिजोरी बिल, आर.आई.डी.एफ. वाणिज्यिक पत्र और वित्तीय संस्थाओं में स्थित सावधि धन का मूल्य निर्धारण लागत के आधार पर किया जाता है ।

घ) अधिमान्य शेयरों का मूल्य निर्धारण वाइ.टी.एम. आधार पर किया जाएगा।

ङ) ईक्विटी शेयरों का मूल्य निर्धारण अंतिम सौदा मूल्य पर या जहाँ भाव उपलब्ध नहीं है वहाँ अद्यतन तुलन पत्र के अनुसार विश्लेषित मूल्य (पुनर्मूल्यन रिज़र्व पर ध्यान दिए बिना) पर किया जाएगा।

च) क्षे.ग्रा. बैंकों में किए गए निवेशों का मूल्य निर्धारण रखाव लागत के आधार पर किया गया है (यानी बही मूल्य)।

छ) प्रतिभूतिकरण कंपनी (एस.सी.)/पुनर्निर्माण कंपनी (आर. सी.) द्वारा जारी की गयी प्रतिभूति रसीदों का मूल्य निर्धारण वर्गीकरण भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समय-समय पर निर्धारित गैर एस एल आर लिखतों में किए गए निवेश पर लागू होनेवाले मानदण्डों के अनुसार किया जाता है।

ज) जोखिम पूंजी निधियों (वी.सी.एफ.) की यूनिटों का मूल्य निर्धारण वी.सी.एफ. द्वारा, अपने 18 महीने से अनधिक पुराने वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए एन.ए.वी. पर किया गया।

3.2.1 Investments under Held to Maturity are valued at cost of acquisition, except where it is acquired at premium in which case the premium is amortised over the remaining period of maturity using Straight Line Method.

3.2.2 Investments held under Available for Sale category are valued at cost or market value, whichever is lower. Individual scripts are valued and depreciation / appreciation is aggregated category-wise as per the classification of investments in the Balance Sheet. Net depreciation is provided for and net appreciation, if any, is ignored.

3.2.3 Investments under Held for Trading category are marked to market and the resultant appreciation/depreciation is aggregated category-wise as per Balance Sheet classification. Net depreciation is provided for and net appreciation, if any, is ignored.

3.2.4 For the purpose of valuation –

I. Cost refers to actual cost of acquisition / carrying cost, wherever applicable.

II. Market value refers to latest available price from the trades / quotes on the stock exchanges, SGL account transactions, price list of RBI / FIMMDA / PDAI as such:

a) Government Securities and Other Approved Securities are valued on the basis of prices / Yield to Maturity (YTM) rates of FIMMDA / PDAI with appropriate spreads as prescribed by RBI.

b) Debentures / Bonds are valued on YTM basis with appropriate spreads as prescribed by PDAI / FIMMDA.

c) Treasury Bills, RIDF, Commercial Papers and Certificate of Deposits are valued at cost.

d) Preference Shares are valued on YTM basis.

e) Equity Shares are valued at last traded prices and where the shares are not quoted on stock exchanges, the unquoted shares are valued at breakup value (without considering 'revaluation reserves', if any) as per the latest available Balance Sheet.

f) Investment in RRBs is valued at carrying cost (i.e. book value)

g) Security Receipts issued by Securitisation Companies (SC)/Reconstruction Company (RC) are valued/classified as per the norms applicable to investment in Non SLR instruments as prescribed by RBI from time to time.

h) Units of Venture Capital Funds (VCF) are valued at NAV shown by the VCF in its financial statements not older than 18 months.

झ) म्यूच्युअल फंड में इकाइयों का मूल्य निर्धारण पुनः खरीदी मूल्य या निवल आस्ति मूल्य, इनमें जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है ।

3.2.5 निवेशों का वर्गीकरण उनके निष्पादन और भा.रि.बैं. के दिशा निदेशों के अनुसार, अग्रिमों पर लागू होनेवाले आइ.आर.ए.सी. मानदंडों के अनुसार किए गए प्रावधान के आधार पर किया गया। अनुत्पादक निवेशों पर किये गये प्रावधान का समंजन अन्य अर्जक निवेशों से संबंधित मूल्यवृद्धि के प्रति नहीं किया गया।

3.3 परिपक्वता के लिए धारित श्रेणी में प्रतिभूतियों के विक्रय/निपटान संबंधी अनुलाभ, यदि कोई हो, लाभ हानि लेखे के जरिए पूंजी रिज़र्व को लाया जाता है ।

3.4 एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण इस तरह से अंतरित प्रतिभूतियों पर मूल्यह्रास, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान करने के पश्चात किया जाता है ।

3.5 विदेशी शाखा में अस्थायी दर वाले नोट तथा उधार संबद्ध नोटवाले निवेशों को 'बिक्री के लिए उपलब्ध' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उनका मूल्य निर्धारण, अंकित मूल्य या बाजार मूल्य, इनमें जो भी कम हो, पर किया गया। इन निवेशों को त्रैमासिक अंतरालों में बाजार के लिए अंकित किया गया है और जहाँ इन निवेशों का मूल्य नाममात्र के मूल्य से कम हुआ है वहाँ, इस संबंध में, तुलन-पत्र में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया गया है और इसके लिए लाभ व हानि लेखे में प्रभार अंकित किया गया है।

3.6 अभिदानों पर प्राप्त प्रोत्साहन राशि को प्रतिभूतियों की लागत से कटौती की जाती है । प्रतिभूतियों के अभिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली/कमीशन/स्टांप शुल्क को राजस्व व्यय माना जाएगा ।

4.0 व्युत्पन्न

4.1 व्युत्पन्न लेन-देन के लिए दिए गये ऋण की निगरानी चालू ऋण मंजूरी पद्धति पर की जाती है।

4.2 अप्रतिभूत प्रतिरक्षा लेन-देनों को सौदा लेन-देन समझा जाएगा और उन्हें परिपक्वता की तारीख तक चालू रखा जाएगा।

4.3 व्युत्पन्न लेन-देनों को प्रतिरक्षा और अप्रतिरक्षा लेन-देनों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और उनका उचित मूल्य पर आंका जाएगा।

4.4 पारस्परिक आधार पर किए गए लेन-देन तथा आस्तियों एवं देयताओं पर जोखिम प्रतिरक्षा हेतु किए गए लेन-देनों का मूल्य निर्धारण तथा लेखाकरण ब्याज उपचयन के आधार पर किया जाएगा ।

4.5 मार्केट मेकिंग लेन-देनों का लेखांकन पाक्षिक अंतरालों में बाजार के लिए अंकित आधार पर किया जाएगा जब कि प्रतिरक्षा लेन-देनों का लेखांकन उपचयन के आधार पर किया जाएगा।

4.6 खरीद के समय प्रदत्त प्रीमियम, यदि कोई हो, को लेन-देन की अवशिष्ट अवधि पर परिशोधित किया जाएगा और परिपक्वता के बाद लाभ को हिसाब में लिया जाएगा और मितिकाटे को अग्रिमों से प्राप्त आय लेखे में रखा जाएगा और परिपक्वता पर उसे लाभ व हानि लेखे में विनियोग किया जाएगा।

5.0 अग्रिम

5.1 अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और ऐसे अग्रिमों से हुई हानियों के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। विदेशी शाखा के मामले में, आस्तियों का वर्गीकरण तथा हानि का प्रावधान, स्थानीय अपेक्षाओं या भा.रि.बैं.

i) Units in mutual fund are valued at repurchase price or Net Asset Value, whichever is lower.

3.2.5 Investments are also categorised based on their performance and provisions are made as per IRAC norms applicable to advances as per RBI guidelines. Provision made on non-performing investments is not set off against the appreciation in respect of other performing investments.

3.3 Gain, if any, on sale / disposal of securities in the Held to Maturity category is taken to Capital Reserve through the Profit and Loss Account.

3.4 Transfer of securities from one category to another is effected after providing for depreciation, if any, on the securities so transferred.

3.5 Floating Rate Note and Credit Linked Note investments at Foreign Branch are classified as Available For Sale and are valued at nominal value or market value, whichever is lower. These investments are marked to market at quarterly intervals and where the value of these investments is lower than the nominal value, a provision for depreciation is created in the Balance Sheet and a charge is recognized in the Profit and Loss Account.

3.6 Incentive received on subscriptions is deducted from the cost of securities. Brokerage/commission/stamp duty paid in connection with acquisition of securities is treated as revenue expenses.

4.0 DERIVATIVES

4.1 The credit exposures for derivative transactions are monitored on Current Credit Exposure method.

4.2 The naked hedging transactions are considered as a trading transaction and allowed to run till maturity.

4.3 Derivative transactions are classified into hedge and non-hedge and measured at fair value.

4.4 The transactions covered on back-to-back basis and the transactions undertaken to hedge the risk on assets and liabilities are valued and accounted on interest accrual basis.

4.5 Market making transactions are accounted on marked-to-market basis at fortnightly intervals, while hedging transactions are accounted for on accrual basis.

4.6 Premium at the time of purchase if any is amortized over the residual period of the transactions and profit is booked on maturity. Discount is held in Income Received in Advance account and appropriated to P&L account on maturity.

5.0 ADVANCES

5.1 Advances are classified into Performing and Non Performing Assets and provisions for loan losses on such advances are made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India from time to time. In respect of foreign branch, asset classification and provisioning for loan losses are made as per

के विवेकपूर्ण मानदण्डों, इनमें जो भी अधिक कड़ा हो, के अनुसार किया जाता है।

5.2 अग्रिमों का उल्लेख अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर किया जाता है सिवाय उन मानक अग्रिमों के लिए किए गए सामान्य प्रावधानों के मामले में, जिन्हें ''अन्य देयताओं और प्रावधान'' में शामिल किया गया है ।

6.0 परिसर और अन्य अचल आस्तियां

6.1 परिसर और अन्य अचल आस्तियों को, मूल्यह्रास को घटाने के बाद परंपरागत लागत और / या पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर दर्शाया गया है। परिसरों का पुनर्मूल्यांकन, अनुमोदित मूल्यांककों द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित मूल्य पर हर पाँच वर्ष में किया जाता है। ऐसे पुनर्मूल्यांकन पर प्राप्त होनेवाली राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में जमा किया गया है।

6.2 परिसर पर मूल्यह्रास का प्रावधान सम्मिश्र लागत पर किया गया है, जहाँ जमीन की लागत को अलग नहीं किया जा सकता है। पुनर्मूल्यांकित राशि पर अतिरिक्त मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में समायोजित किया गया है।

6.3 परिवर्धन सहित अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान अन्यथा उल्लिखित के सिवाय निम्नलिखित दरों पर ह्रासमान शेष प्रणाली के आधार पर वार्षिक रूप से किया जाता है :

क) परिसर

i) मूल कंपनी के स्वामित्ववाले (पूर्ण स्वामित्व वाले/पट्टे पर लिए गए)	5%
ii) पट्टे पर लिये गये परिसरों के संबंध में पूंजीगत व्यय	
– जहाँ पट्टे की अवधि निर्दिष्ट नहीं है	10%
– जहाँ पट्टे की अवधि निर्दिष्ट है	पट्टे की शेष अवधि पर परिशोधित

ख) अन्य आस्तियाँ

i) फर्नीचर	10%
ii) उपस्कर, टाइपराइटर, अन्य उपकरण, यू.पी.एस., जनरेटर आदि	15%
iii) वाहन	20%
iv) इलेक्ट्रानिक उपकरण	40%
v) कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर (सीधी रेखा पद्धति)	33.33%

6.4 अचल आस्तियों में जोड़ी गयी आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान, पूरे वर्ष के लिए किया जाता है, सिवाय कंप्यूटर उपकरण तथा परिचालन साफ्टवेयर के मामले में, जहाँ मूल्यह्रास का प्रावधान यथानुपातिक आधार पर किया जाता है। उनके निपटान करने के वर्ष में आस्तियों पर कोई मूल्यह्रास नहीं किया गया है।

7.0 सेवानिवृत्ति लाभ

7.1 कर्मचारी जिन्होंने भविष्य निधि के लिए विकल्प दिए हैं, उनके मामले में भविष्य निधि न्यास को सांविधिक अंशदान किया जाता है और अन्य कर्मचारी जिन्होंने पेन्शन के लिए विकल्प दिए हैं उनके संबंध में पेन्शन निधि को अंशदान वास्तविक मूल्य के आधार पर किया जाता है।

7.2 उपदान निधि न्यास को अंशदान वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

local requirements or as per RBI prudential norms, whichever is more stringent.

5.2 Advances are stated net of provisions made for Non Performing Assets except general provisions for Standard Advances, Provision held for sold assets which have been included in 'Other Liabilities and Provisions'.

6.0 PREMISES AND OTHER FIXED ASSETS

6.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost and/or revaluation value less accumulated depreciation. The premises are revalued every five years at value determined based on the appraisal by approved valuers. Surplus arising at such revaluation is credited to Revaluation Reserve.

6.2 Depreciation on premises has been provided on composite cost wherever cost of land cannot be segregated. Additional depreciation on revalued amount is adjusted to the Revaluation Reserve.

6.3 Depreciation on other fixed assets, including additions, is provided for on the basis of written down value, except as otherwise stated, at the following rates:

a) PREMISES:

i) Bank owned (freehold/leasehold)	5%
ii) Capital Expenditure on premises taken on lease	
– where lease period is not specified	10%
– where lease period is specified	amortised over the residual Period of lease.

b) OTHER ASSETS:

i) Furniture	10%
ii) Fixtures, typewriters, other equipments, UPS, generators, etc.	15%
iii) Vehicles	20%
iv) Electronic equipments	40%
v) Computers & Operating Software (Straight Line Method)	33.33%

6.4 Depreciation on additions to fixed assets is provided for the whole year except on additions to computers and operating software, which is on pro-rata basis. No depreciation is provided on the assets in the year of their disposal.

7.0 RETIREMENT BENEFITS

7.1 Statutory contribution is made to Provident Fund Trust in respect of employees who have opted for Provident Fund. For others who have opted for pension scheme, contribution to Pension Fund Trust is made based on actuarial valuation.

7.2 Contribution to Gratuity Fund Trust is based on actuarial valuation.

7.3 छुट्टी नकदीकरण सुविधा की देयता को वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार उपचय आधार पर उपलब्ध कराया जाता है ।

8.0 **राजस्व का निर्धारण**

क) राजस्व और व्यय का हिसाब सामान्यतः उपचय के आधार पर किया जाता है, सिवाय म्यूच्युअल फंड संव्यवहारों पर शुल्क/कमीशन के, गैर बैंकिंग आस्तियों पर आय, लॉकर किराया, परिपक्व जमाराशियाँ/अतिदेय बिलों पर ब्याज/कर वापसी अनर्जक आस्तियों से आय, दावा दायर खातों पर विधिक व्यय जिनका लेखाकरण नकदी आधार पर किया गया है।

ख) जब शेयरों पर लाभांश की घोषणा की जाती है तब उस से प्राप्त आय का लेखाकरण उपचय आधार पर किया जाता है और लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है।

ग) अतिदेय जमाराशियों पर ब्याज को नवीकरण के समय पर हिसाब में लिया जाता है। परिपक्व जमाराशियों के मामले में भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रावधान किया गया है ।

घ) प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय पर खंडित अवधि का ब्याज भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार राजस्व मद माना जाता है।

ङ) एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर, बांड निर्गम, क्रेडिट कार्ड एवं बीमा उत्पादों के फ्रैन्चाइज को राजस्व में प्रभारित कर दिया जाता है।

च) आयातित सोने के सिक्कों की बिक्री से प्राप्त आय का लेखाकरण, सिक्कों की बिक्री पूरी होने के बाद अन्य आय के रूप में किया जाता है।

9.0 **आय कर**

9.1 चालू कर का निर्धारण आय कर अधिनियम, 1961 के आधार पर किया जाता है।

9.2 कर योग्य आय और लेखाकरण आय के बीच समय का अंतर होने की वजह से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं का अभिनिर्धारण आइ.सी.ए.आइ. द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानक 22 के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों से संबंधित विवेकपूर्ण मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

10.0 **देश जोखिम प्रबंधन**

मूल कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार देश जोखिम प्रबंधन नीति अपनाई है।

11.0 **सोने के सिक्के**

आयातित सोने के सिक्कों के स्टॉक का मूल्य निर्धारण, लागत पर या बाज़ार मूल्य, इनमें जो भी कम हो, पर किया गया है।

12.0 **निवल लाभ**

निवल लाभ का निर्धारण 'प्रावधानों और आकस्मिकताओं' के अधीन निम्नलिखित मदों को हिसाब में लेने के पश्चात् किया गया है:

- आय कर और संपत्ति कर के लिए प्रावधान
- अनर्जक अग्रिमों और निवेशों के लिए प्रावधान/अपलेखन
- मानक आस्तियों के प्रावधान
- निवेश पर मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास के लिए समायोजन
- आकस्मिकताओं को अंतरण
- अन्य सामान्य और आवश्यक प्रावधान

7.3 Liability towards leave encashment is provided on accrual basis as per actuarial valuation.

8.0 REVENUE RECOGNITION

a) Revenue and expenses are generally accounted for on accrual basis except in respect of fees/commission on transactions with Mutual Funds, income on non-banking assets, locker rent, interest on overdue bills/tax refunds, income from non-performing assets and legal expenses on suit filed accounts which are accounted on cash basis.

b) Income from dividend on shares is accounted on accrual basis when the same is declared and the right to receive the dividend is established.

c) Interest on overdue deposits is accounted for at the time of renewal. In respect of matured deposits provision has been made as per the RBI guidelines.

d) The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue as per RBI guidelines.

e) Expenditure in respect of application software, bonds issue, franchises of credit card and insurance products are charged off to revenue.

f) Income from consignment sale of imported gold coins is accounted for as other income after the sale is complete.

9.0 TAXES ON INCOME

9.1 Current tax is determined as per the provisions of the Income Tax Act, 1961.

9.2 Deferred tax assets and liabilities arising on account of timing differences between taxable and accounting income, is recognized keeping in view, the consideration of prudence in respect of deferred tax assets in accordance with the Accounting Standard 22 issued by ICAI.

10.0 COUNTRY RISK MANAGEMENT

The Parent Company has adopted the Country Risk Management policy in accordance with the RBI guidelines.

11.0 GOLD COINS

Stock of imported gold coins is valued at cost or market price, whichever is lower.

12.0 NET PROFIT

Net Profit is arrived at after accounting for the following under "Provisions & Contingencies":

- Provision for Income tax and Wealth tax
- Provision/Write off of Non-Performing Advances and Investments
- Provision on Standard Assets
- Adjustment for appreciation/depreciation on Investments
- Transfer to Contingencies
- Other usual and necessary provisions.

अनुसूची –18 लेखा संबंधी टिप्पणियाँ –2010-2011

1. **पूंजी**

विवरण	**31-03-2011**	31-03-2010
i) जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूँजी का अनुपात (%) बासेल – II	**13.04**	12.70
ii) सी.आर.ए.आर. प्रथम चरण की पूंजी (%)	**9.31**	8.24
iii) सी.आर.ए.आर. द्वितीय चरण की पूंजी (%)	**3.73**	4.46
iv) भारत सरकार के शेयरधारण की प्रतिशतता	**69.47**	66.47
v) द्वितीय चरण की पूंजी के रूप में जुटाई गई गौण ऋण राशि (रु. करोड़)	**1925.00**	2025.00

नोट: बासेल–I मानदण्डों के अनुसार, दि. 31-03-2011 को मूल कंपनी की पूंजी पर्याप्तता अनुपात 11.20% और दि.31-03-2010 को 11.20% था ।

2. **निवेश** (₹ करोड़ों में)

विवरण	**31-03-11**	31-03-10
(1) **निवेश का मूल्य**		
(i) निवेश का सकल मूल्य		
(क) भारत में	**34954.25**	32778.36
(ख) भारत के बाहर	**156.40**	314.96
(ii) मूल्यह्रास और एन.पी.ए. के लिए प्रावधान		
(क) भारत में	**17.68**	58.00
(ख) भारत के बाहर	**25.35**	24.77
(iii) निवेश का निवल मूल्य		
(क) भारत में	**34936.57**	32720.36
(ख) भारत के बाहर	**131.05**	290.19
(2) **निवेश के मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधान का संचलन**		
प्रारंभिक शेषराशि	**82.77**	146.60
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**7.00**	15.51
घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन/पुनरांकन	**46.74**	79.34
इतिशेष	**43.03**	82.77

क) **रेपो लेन–देन** (₹ करोड़ों में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	दि. 31-03-2011 को इतिशेष
रेपोज के अधीन बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ	200.00	4000.00	848.63	NIL
रिवर्स रेपोज के अधीन खरीदी गई प्रतिभूतियाँ	200.00	3000.00	52.33	NIL

ख) **दि. 31-03-2011 को गैर एस.एल.आर. निवेशों के जारीकर्तावार संरचना**

(₹ करोड़ों में)

क्रम सं.	जारीकर्ता	रकम	प्राइवेट नियोजन की मात्रा	''निम्न निवेश श्रेणी'' प्रतिभूतियों की मात्रा	अनिर्धारित प्रतिभूतियों की मात्रा	''असूचीबद्ध'' प्रतिभूतियों की मात्रा
1	2	3	4	5	6	7
1.	सा.क्षे.उ.	84.03	71.91	0.00	1.00	1.00
2.	वित्तीय संस्थाएँ	714.37	689.80	0.00	1.13	25.69
3.	बैंक	3051.56	3035.06	0.00	0.00	0.00
4.	निजी कंपनी	738.05	559.86	53.51	50.52	149.21
5.	सहयोगी संस्थाएँ/ संयुक्त उद्यम	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00
6.	अन्य	143.10	143.10	0.00	0.00	0.00
7.	घटाएँ: मूल्यह्रास के प्रति रखा गया प्रावधान	42.95	0.00	2.50	22.69	25.35
8.	कुल (1 से 6 घटाएँ 7)	4721.76	4533.33	51.01	29.96	150.55

नोट: (1) स्तंभ 3 के अंतर्गत जोड़ का मिलान तुलन पत्र की अनुसूची में निम्नलिखित श्रेणियों के अधीन शामिल किए गए कुल निवेश के साथ होना चाहिए:
(क) शेयर
(ख) डिबेंचर और बंधपत्र
(ग) सहायक संस्थाएं/संयुक्त उद्यम
(घ) अन्य

(2) कॉलम 4,5,6 और 7 के अंतर्गत रिपोर्ट की गई राशि परस्पर अनन्य नहीं है।

SCHEDULE – 18 CONSOLIDATED NOTES ON ACCOUNTS – 2010-2011

1. **CAPITAL**

Particulars	**31-03-2011**	31-03-2010
i) Capital to Risk Assets Ratio (CRAR) (%) Basel II	**13.04**	12.70
ii) CRAR - Tier I Capital (%)	**9.31**	8.24
iii) CRAR - Tier II Capital (%)	**3.73**	4.46
iv) Percentage of the shareholding of the Government of India	**69.47**	66.47
v) Amount of subordinated debt raised as Tier-II capital (₹ Crore)	**1925.00**	2025.00

Note: The Capital Adequacy Ratio of the Parent Company as on 31-03-2011 as per Basel I norms is 11.20% and as on 31-3-2010 was 11.20%.

2. **INVESTMENTS** (₹ in Crore)

Particulars	**31-03-11**	31-03-10
(1) **Value of Investments**		
(i) Gross Value of Investments		
(a) In India	**34954.25**	32778.36
(b) Outside India	**156.40**	314.96
(ii) Provisions for Depreciation and NPA		
(a) In India	**17.68**	58.00
(b) Outside India	**25.35**	24.77
(iii) Net Value of Investments		
(a) In India	**34936.57**	32720.36
(b) Outside India	**131.05**	290.19
(2) **Movement of provisions held towards depreciation on investments**		
Opening balance	**82.77**	146.60
Add:Provisions made during the year	**7.00**	15.51
Less:Write-off/write-back of excess provisions during the year	**46.74**	79.34
Closing balance	**43.03**	82.77

a) **Repo Transactions** (₹ in Crore)

Particulars	**Minimum outstanding during the year**	**Maximum outstanding during the year**	**Daily Average outstanding during the year**	**Closing Balance as on 31-03-2011**
Securities sold under Repos	200.00	4000.00	848.63	NIL
Securities purchased under Reverse Repos	200.00	3000.00	52.33	NIL

b) **Issuer composition of Non-SLR investments as on 31-03-2011** (₹ in Crore)

Sl. No.	**Issuer**	**Amount**	**Extent of private placement**	**Extent of "Below Investment grade" securities**	**Extent of "Unrated" securities**	**Extent of "Unlisted" securities**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	PSUs	84.03	71.91	0.00	1.00	1.00
2.	Financial Institutions	714.37	689.80	0.00	1.13	25.69
3.	Banks	3051.56	3035.06	0.00	0.00	0.00
4.	Private Corporates	738.05	559.86	53.51	50.52	149.21
5.	Subsidiaries/ Joint Ventures	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00
6.	Others	143.10	143.10	0.00	0.00	0.00
7.	Less: Provision held towards depreciation	42.95	0.00	2.50	22.69	25.35
8.	TOTAL (1 to 6 minus 7)	4721.76	4533.33	51.01	29.96	150.55

Note: (1) Total under column 3 should tally with the total Investments included under the following categories in Schedule 8 to the Balance Sheet.:
(a) Shares
(b) Debentures and bonds
(c) Subsidiaries /Joint ventures
(d) Others

(2) Amount reported under columns 4,5,6, and 7 above may not be mutually exclusive.

ग) **अनर्जक गैर एस.एल.आर. निवेश**

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	31-03-11			31-03-10		
	देशी	लंदन	कुल	देशी	लंदन	कुल
अथशेष	**15.02**	**22.42**	**37.44**	60.57	22.42	82.99
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**0.00**	**0.00**	**0.00**	5.19	0.00	5.19
वर्ष के दौरान कटौती	**0.14**	**0.00**	**0.14**	50.74	0.00	50.74
इति शेष	**14.88**	**22.30***	**37.18**	15.02	22.42	37.44
रखे गए कुल प्रावधान	**14.88**	**22.30**	**37.18**	11.33	6.92	18.25

नोट: *निवेश के रुपया मूल्यांकन में जो कमी हुई है उसका कारण यू.एस. डॉलर/आइ.एन.आर. दरों में उतार-चढ़ाव से है।

3. **व्युत्पन्न**

3अ. **वायदा दर करार/ब्याज दरों की अदला-बदली/ विदेशी मुद्रा की अदला-बदली**

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	31-03-11	31-03-10
i) अदला-बदली करार का कल्पित मूल-धन	**247.50**	269.40
ii) यदि करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में प्रति पार्टी विफल होती हैं तो, उठाई जाने वाली हानि	**24.07**	0.00
iii) अदला-बदली में प्रवेश होने पर मूल कंपनी द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	**0.00**	0.00
iv) अदला-बदली से उठनेवाले ऋण जोखिम का केन्द्रीकरण*	**0.00**	0.00
v) अदला-बदली बही का उचित मूल्य	**3.13**	0.00

* बैंकिंग क्षेत्र के अलावा, मूल कंपनी ने केवल एक ही पार्टी के पास निवेश किया जो एक पावर परियोजना है।

वायदा दर करार

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	31-03-11	31-03-10
i) अदला-बदली करार का कल्पित मूल-धन	**1256.65**	1640.67
ii) यदि करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में प्रति पार्टी विफल होती हैं तो, उठाई जाने वाली हानि	**(1.17)**	(8.44)
iii) अदला-बदली में प्रवेश होने पर मूल कंपनी द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	**0.00**	0.00
iv) अदला-बदली से उठनेवाले ऋण जोखिम का केन्द्रीकरण*	**NIL**	NIL
v) अदला-बदली बही का उचित मूल्य	**(1.14)**	(0.78)

नोट: किए गए सभी एफ.आर.ए. को तुलनपत्र के अंतर की पूर्ति के लिए किया गया है।

3आ. **विनिमय व्यापारिक व्युत्पन्न – मुद्रा वायदे**

- मूल कंपनी विनिमय पर यू.एस.डॉलर/भारतीय रुपयों में मुद्रा वायदे का स्वामित्व व्यापार करता है। दि. 31-03-2011 की स्थिति के अनुसार मुद्रा वायदे के अंतर्गत कोई बकाया नहीं है।
- विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न शून्य है। मूल कंपनी विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न में लेन-देन नहीं कर रही है।

3इ. **व्युत्पन्नों (डेरिवेटिव) में जोखिम निवेशों का प्रकटीकरण**

(क) **गुणात्मक प्रकटीकरण**

मूल कंपनी अपने तुलन पत्र में आस्तियों और देयताओं की प्रतिरक्षा और व्यापार/बाजार को सक्रिय बनाने के उद्देश्य से व्युत्पन्न लेन-देन कर रहा है। बैंक, मूल कंपनी और बैंकेतर काऊंटर पार्टियों के साथ एफ.आर.ए., ब्याज दर स्वैप, करेंसी स्वैप तथा करेंसी विकल्प जैसे व्युत्पन्न लेन-देन कर रहा है। मूल कंपनी विनिमय दर मुद्रा वायदे का स्वामित्व व्यापार भी करती है।

- मूल कंपनी के पास संमिश्र व्युत्पन्न के अंतर्गत न कोई निवेश नहीं है और न ही उनके पास न्यून-ब्याजदर वाली आस्तियों के अंतर्गत कोई प्रत्यक्ष निवेश है ।

c) **Non-performing Non-SLR Investments**

(₹ in Crore)

Particulars	31-03-11			31-03-10		
	Domestic	London	Total	Domestic	London	Total
Opening balance	**15.02**	**22.42**	**37.44**	60.57	22.42	82.99
Additions during the year	**0.00**	**0.00**	**0.00**	5.19	0.00	5.19
Reduction during the year	**0.14**	**0.00**	**0.14**	50.74	0.00	50.74
Closing balance	**14.88**	**22.30***	**37.18**	15.02	22.42	37.44
Total provisions held	**14.88**	**22.30**	**37.18**	11.33	6.92	18.25

Note: *Reduction in rupee valuation of Investments is due to fluctuation in USD/INR rates.

3. **DERIVATIVES**

3A. **Forward Rate Agreements / Interest Rate Swap/Cross Currency Swaps:**

Currency Swap

(₹ in Crore)

Items	31-03-11	31-03-10
i) The notional principal of the swap agreements	**247.50**	269.40
ii) Losses which would be incurred if the counterparties fail to fulfil their obligations under the agreements	**24.07**	0.00
iii) Collateral required by the Parent Company upon entering the swap	**0.00**	0.00
iv) Concentration of credit risk arising from the swaps*	**0.00**	0.00
v) The fair value of the swap book	**3.13**	0.00

* Apart from the banking sector, we have exposures with only one party, which is into power projects.

Forward Rate Agreements

(₹ in Crore)

Items	31-03-11	31-03-10
i) The notional principal of the swap agreements	**1256.65**	1640.67
ii) Losses which would be incurred if the counterparties fail to fulfil their obligations under the agreements	**(1.17)**	(8.44)
iii) Collateral required by the Parent Company upon entering the swap	**0.00**	0.00
iv) Concentration of credit risk arising from the swaps	**NIL**	NIL
v) The fair value of the swap book	**(1.14)**	(0.78)

Note: All FRA's undertaken are against Banks to hedge Balance Sheet gaps.

3B. **Exchange Traded Derivatives – Currency Futures**

- The Parent Company undertakes proprietary trading in Currency Futures in USD/INR on the Exchanges. There are no outstanding contracts under Currency Futures as on 31-3-2011.
- Exchange traded Interest Rate derivatives is NIL .The Parent Company is not dealing in exchange traded interest rate derivatives.

3C. **Disclosures on Risk Exposure in Derivatives**

a) Qualitative Disclosure

The Parent Company is undertaking derivative transactions for hedging risks on its Balance Sheet as well as for trading/market-making purposes. Parent Company is undertaking derivative transactions like FRAs, Interest rate swaps, Currency swaps and Currency Options, with bank and Non-bank Counter parties. The Parent Company is also undertaking proprietary trading in Currency Futures on the Exchange.

- Parent Company is not having any exposure in complex derivatives nor has it any direct exposure to the sub-prime assets.

- व्युत्पन्न लेन-देन करने के लिए मूल कंपनी के पास अच्छी खासी नीति है जो मूल कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है।
- मूल कंपनी ने न तो किसी लेखे का क्रिस्टलीकरण और अपलेखन किया है और न ही व्युत्पन्न लेन-देन से कोई हानि उठाई है ।
- ब्याज संबंधी विवाद को रोकने तथा जोखिम की मात्रा को कम करने के उद्देश्य से फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस और मूल कंपनी ऑफिस को अलग-अलग कर दिया गया। मिड ऑफिस, नैगम कार्यालय, बेंगलूर में स्थित जोखिम प्रबंधन और अनुप्रवर्तन विभाग को सीधे रिपोर्ट करता है।
- गैर बैंक ग्राहक सहित काउँटर पार्टियों की ऋण जोखिम का मूल्यांकन निर्धारित सीमा/सीमाओं के साथ उचित रीति से किया जाता है।
- ऋण जोखिम की निगरानी काउँटर पार्टी निवेश सीमाएं निर्धारित करने, देश विशेष को ऋण देने में निहित जोखिम निर्धारित करने और सी.सी.आई.एल./ सी.एल.एस. के माध्यम से निपटान संबंधी जोखिम को कम करने के द्वारा की जाती है ।
- मुद्रा वायदे से मूल कंपनी के लिए कोई ऋण जोखिम नहीं है, क्योंकि एक्स्चेंज कंपनियाँ भुगतान की गारंटी देती है ।
- विदेशी मुद्रा अदला-बदली को 10 वर्षों तक की अवधि के लिए किया गया जिसमें कोई जोखिम के बिना उसी प्रकार के समर्थक लेन-देन और गैर-बैंक कंपनी ग्राहकों के लिए 50 मिलियन यू.एस. डॉलर की राशि शामिल की गई है।
- केवल उन गैर-बैंक प्रति पार्टी के लिए करेंसी स्वैप लेन-देन किया गया। जिनका श्रेणी निर्धारण सिंड-01 से सिंड-03 है ।
- पिछली निष्पादन श्रेणी के अंतर्गत वायदा संविदा को सिंड-01- सिंड-04 के अंतिम निर्धारण के साथ तथा भा.रि. बैंक मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार ही ग्राहकों के लिए बुक किया जाता है।
- मूल धन और ब्याज समर्थक लेन-देन दोनों को करेंसी स्वैप में शामिल किया गया। इस प्रकार कोई लागत को शामिल किए बिना विनिमय दर जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम दोनों को प्रतिरक्षा प्रदान किया गया।
- संचालनों को, काऊंटर पार्टी बैंकों और बैंकेतर ग्राहकों के साथ निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीमाओं के भीतर किया जाता है। गैर बैंक ग्राहकों के साथ लेन-देनों को पृष्ठाधान रक्षा के आधार पर बाज़ार जोखिम उठाए बिना किया जाता है।
- व्युत्पन्न लेन-देन के लिए चालू उधार निवेश पद्धति के आधार पर ऋण पर निगरानी रखता है।
- भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार काऊँटर पार्टी बैंक और गैर-बैंक ग्राहक के साथ आई.एस.डी.ए. करार निष्पादित/विनिमय किया गया है।
- मिड ऑफिस, व्यापार लेन-देन से उत्पन्न होनेवाली जोखिम का स्वतंत्र रूप से आंकन करता है।
- संचालनों को निदेशक मंडल द्वारा संस्वीकृत समग्र पूरक सीमा के भीतर किया जाता है।
- प्रतिरक्षा हेतु किया गया कोई भी लेन-देन, यदि असुरक्षित हो जाता है तो उसे व्यापार लेन-देन समझा जाएगा और उसे परिपक्वता तक चालू रखा जाएगा ।
- लेन-देनों को प्रतिरक्षा या गैर-प्रतिरक्षा लेन-देनों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, उसे उचित मूल्य पर आंका जाएगा।
- समर्थन आधार पर किए गए लेन-देन और मूल कंपनी की आस्तियों एवं देयताओं से संबंधित जोखिमों की प्रतिरक्षा हेतु किए गए लेन-देनों का मूल्य निर्धारण ब्याज उपचय आधार पर किया जाएगा और उसे तदनुसार लेखाबद्ध किया जाएगा ।
- खरीद के समय प्रदत्त प्रीमियम, यदि कोई हो, का परिशोधन लेन-देन की अवशिष्ट अवधि पर किया जाएगा । परिपक्व होने पर लाभ दर्ज किया जाएगा। बट्टा घटक को, अग्रिमों से प्राप्त आय लेखे में रखा जाएगा और परिपक्व होने पर उसे लाभ व हानि लेखे में विनियोग किया जाएगा ।
- प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु किए गए उन सभी लेन-देनों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है, जो असुरक्षित हो जाते हैं और बाज़ार के लिए अंकित हानि हो जाती है ।
- उन निवल निधीकृत देशी ऋणों के लिए प्रावधान किया गया है जहाँ ऋण राशि मूल कंपनी की आस्तियों के 1% या उस से अधिक है ।

- The Parent Company has a well laid-down policy for undertaking derivative transactions approved by its Board.
- The Parent Company has not crystallised and written off any account nor incurred any loss on account of undertaking derivative transactions.
- The segregation of front Office, Mid Office and Back office is ensured to avoid conflict of interest and to mitigate the degree of risk. The Mid Office is directly reporting to Risk Management and Monitoring Department at Corporate Office, Bangalore.
- Credit risk of counter parties, including non-bank clients is properly appraised and limits fixed.
- Credit risk is monitored by setting counterparty exposure limits, setting country risk exposure and mitigating settlement risk through CCIL/CLS.
- Currency Futures have no credit risk for the Parent Company as the exchanges guarantee payment.
- Cross-currency swaps are undertaken upto a period of 10 years, covering the same back-to-back without any open position and upto an amount of USD 50 Mio for non-bank clients.
- Currency swaps are undertaken for non-bank clients with ratings SYND 01 to SYND 03 only.
- Forward contracts under past performance category are booked for clients with rating SYND 01- SYND 04 only and on complying with RBI guidelines.
- Cover currency swaps are undertaken both principal and interest back-to-back thus hedging both exchange rate risk and interest rate risk without involvement of any outlays.
- The transactions with our counter-party banks and non-bank counterparty are undertaken within the limits approved by the Board. The transactions with non-bank counterparty are done on a back-to-back covered basis without assuming any market risk.
- Credit exposures for derivative transactions are monitored on the basis of current credit exposure method.
- ISDA agreements are executed / exchanged with every counter party bank and non-bank clients as per RBI guidelines.
- Mid-office measures and monitors the risk arising out of trading deals independently.
- The transactions are undertaken within the overall Aggregate Gap Limits sanctioned by the Board.
- Any transaction undertaken for hedging purpose, if it becomes naked, is treated as a trading transaction and allowed to run till maturity.
- The transactions are separately classified as hedge or non-hedge transactions and measured at fair value.
- The transactions covered on back-to-back basis and the transactions undertaken to hedge the risks on Parent Company's assets and liabilities are valued as per the valuation prescribed and Interest is accounted on accrual basis.
- Premium at the time of purchase, if any, is amortized over the residual period of the transaction. Profit is recognised on maturity. Discount is held in Income Received in Advance account and appropriated to P&L account on maturity.
- Adequate provision is made for transactions undertaken for hedging purpose, which become naked resulting in mark-to-market losses.
- Provision is also made for net funded country exposures, where the exposure is 1% or more of the Parent Company's assets.

- विपणन उद्देश्य हेतु किए गए लेन-देनों को पाक्षिक आधार पर बाजार के लिए अंकित किया जाता है और प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु रखे गए लेन-देनों को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है ।
- मंजूरी की शर्तों के अनुसार संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ भी प्राप्त की जाती हैं।
- मूल कंपनी की लंदन शाखा, एफ.आर.ए. और आई.आर.एस. को केवल प्रतिरक्षा उद्देश्य के लिए करती है और ब्याज का लेखाकरण उपचय आधार पर करती है।
- 83.82% व्युत्पन्न, एक वर्ष से कम अवधि के अंतर्गत आते हैं।

ख) **दि. 31-03-2011 को मात्रात्मक निवेश** (₹ करोड़ों में)

क्रम सं.	विवरण	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
1.	**व्युत्पन्न (काल्पनिक मूल राशि)**		
	क) प्रतिरक्षा के लिए	123.75	1256.65
	ख) व्यापार के लिए	123.75	NIL
2.	**बाजार स्थितियों को अंकित**		
	क) आस्तियाँ (+)	24.07	0.03
	ख) देयताएँ (–)	20.93	(1.17)
3.	ऋण विनिवेश	61.19	6.31
4.	**ब्याज दरों में 1% परिवर्तन होने से होनेवाला प्रभाव**		
	(100* पीवी 01)		
	क) प्रतिरक्षा व्युत्पन्नों पर	4.03	3.83
	ख) व्यापार व्युत्पन्नों पर	4.03	NIL
5.	**वर्ष के दौरान पाया गया 100* पीवी 01 का अधिकतम एवं न्यूनतम**		
	क) प्रतिरक्षा पर		
	न्यूनतम	–	–
	अधिकतम	–	–
	ख) व्यापार पर		
	न्यूनतम	NIL	NIL
	अधिकतम	NIL	NIL

4. **आस्ति गुणवत्ता**

क) **अनर्जक आस्ति** (₹ करोड़ों में)

विवरण	**31-03-2011**	31-03-2010
(i) निवल अग्रिमों की निवल अनर्जक आस्ति (%)	**0.97**	1.07
(ii) सकल अनुत्पादक आस्तियों का संचलन		
क) प्रारंभिक शेष राशि	**2006.82**	1594.54
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन (नई अनर्जक आस्तियाँ)	**1592.97**	1491.52
ग) वर्ष के दौरान कटौती	**1000.82**	1079.24
घ) इतिशेष	**2598.97**	2006.82
(iii) निवल अनुत्पादक आस्तियों का संचलन		
क) प्रारंभिक शेषराशि	**963.20**	631.77
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	**864.86**	960.96
ग) वर्ष के दौरान कटौती	**797.22**	629.53
घ) इतिशेष (क-क)	**1030.84**	963.20
(iv) अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों का संचलन (मानक आस्तियों के लिए किए प्रावधानों को छोड़कर)		
क) प्रारंभिक शेषराशि	**997.16**	926.04
ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**905.92**	530.56
ग) अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन/पुनरांकन	**401.75**	459.44
घ) इतिशेष	**1501.33**	997.16

ख) **सेक्टरवार अनर्जक आस्तियाँ**

क्रम सं.	सेक्टर	उक्त क्षेत्र के अंतर्गत कुल अग्रिमों की तुलना में एन.पी.ए. की प्रतिशतता
1.	कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप	2.05
2.	उद्योग (अत्यंत लघु, और लघु, मध्यम और बड़े उद्योग)	2.31
3.	सेवा	5.13
4.	वैयक्तिक ऋण	3.14

- Transactions for market making purposes are marked-to-market at fortnightly intervals and those for hedging purposes are accounted for, on accrual basis.
- Collaterals are also obtained depending on the terms of sanction.
- Parent Company's branch at London is undertaking FRAs and IRS for hedging purpose only and accounting interest on accrual basis.
- 83.82 % of Derivatives fall under the short tenure of less than one year.

b) Quantitative Exposures as on 31-03-2011

(₹ in Crore)

Sl . No.	**Particular**	**Currency Derivatives**	**Interest Rate Derivatives**
1.	Derivatives (Notional Principal Amount)		
	a) For Hedging	123.75	1256.65
	b) For Trading	123.75	NIL
2.	Marked To Market Positions		
	a) Asset (+)	24.07	0.03
	b) Liability (–)	20.93	(1.17)
3.	Credit Exposure	61.19	6.31
4.	Likely impact of 1% change in interest rates (100*PV01)		
	a) For Hedging	4.03	3.83
	b) For Trading	4.03	NIL
5.	Maximum & Minimum of 100*PV01 observed during year		
	a) For Hedging		
	Minimum	–	–
	Maximum	–	–
	b) For Trading		
	Minimum	NIL	NIL
	Maximum	NIL	NIL

4. **ASSET QUALITY**

a) **Non-Performing Assets** (₹ in Crore)

Particulars	**31-03-2011**	31-03-2010
(i) Net NPA to Net Advances (%)	**0.97**	1.07
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
a. Opening balance	**2006.82**	1594.54
b. Additions (Fresh NPAs) during the year	**1592.97**	1491.52
c. Reductions during the year	**1000.82**	1079.24
d. Closing balance (A–B)	**2598.97**	2006.82
(iii) Movement of Net NPAs		
a. Opening balance	**963.20**	631.77
b. Additions during the year	**864.86**	960.96
c. Reductions during the year	**797.22**	629.53
d. Closing balance	**1030.84**	963.20
(iv) Movement of Provisions for NPAs (excluding provision on Standard Assets)		
a. Opening balance	**997.16**	926.04
b. Provisions made during the year	**905.92**	530.56
c. Write off/write back of excess provisions	**401.75**	459.44
d. Closing balance	**1501.33**	997.16

b) **Sector-wise NPAs**

Sl. No.	**Sector**	**Percentage of NPAs to Total Advances in that sector**
1.	Agriculture & allied activities	2.05
2.	Industry (Micro & small, Medium and Large)	2.31
3.	Services	5.13
4.	Personal Loans	3.14

ग) **प्रतिभूतीकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों को बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों के विवरण**

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31-03-11	31-03-10
(i) खातों की संख्या	**1**	NIL
(ii) प्रतिभूतीकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों को बिक्री किए गए खातों के कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर)	**0.93**	NIL
(iii) कुल प्रतिलाभ	**1.13**	NIL
(iv) पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिलाभ	**NIL**	NIL
(v) निवल बही मूल्य के प्रति कुल लाभ/हानि	**0.20**	NIL

घ) **खरीदी गयी/विक्रय की गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्यौरे:** शून्य (पिछले वर्ष: शून्य)

ङ) **मानक आस्तियों पर प्रावधान** (₹ करोड़ों में)

विवरण	31-03-11	31-03-10
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	**420.44**	395.89

5. **कारोबार अनुपात**

विवरण	31-03-2011	31-03-2010
(i) कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याज आय की प्रतिशतता (%)	**8.29%**	7.72%
(ii) कार्यशील निधियों की तुलना में अब्याजी आय की प्रतिशतता (%)	**0.66%**	0.90%
(iii) कार्यशील निधियों की तुलना में परिचालन लाभ की प्रतिशतता (%)	**1.99%**	1.44%
(iv) आस्तियों पर प्रतिलाभ (%)	**0.76%**	0.62%
(v) प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशि +अग्रिम) (₹ लाख में)	**875.44**	746.84
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में)	**3.99**	3.18

c) **Details of financial assets sold to Securitisation/ Reconstruction Company for Asset Reconstruction**

(₹ in Crore)

Particulars	31-03-11	31-03-10
(i) No. of accounts	**1**	NIL
(ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to Securitisation Company/Reconstruction Company	**0.93**	NIL
(iii) Aggregate consideration	**1.13**	NIL
(iv) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	**NIL**	NIL
(v) Aggregate gain over net book value	**0.20**	NIL

d) **Details of non-performing financial assets purchased/sold: Nil (Previous Year: Nil)**

e) **Provisions on Standard Asset** (₹ in Crore)

Particulars	31-03-11	31-03-10
Provisions towards Standard Assets	**420.44**	395.89

5. **BUSINESS RATIOS**

Particulars	31-03-2011	31-03-2010
(i) Interest Income as a percentage to Working Funds (%)	**8.29%**	7.72%
(ii) Non-interest income as a percentage to Working Funds (%)	**0.66%**	0.90%
(iii) Operating Profit as a percentage to Working Funds (%)	**1.99%**	1.44%
(iv) Return on Assets (%)	**0.76%**	0.62%
(v) Business (Deposits plus advances) per employee (₹ in Lacs)	**875.44**	746.84
(vi) Profit per employee (₹ in Lacs)	**3.99**	3.18

6. **दि. 31-03-2011 के स्थिति की अनुसार आस्तियों और देयताओं के कुछ मदों का परिपक्वता पैटर्न/ MATURITY PATTERN OF CERTAIN ITEMS OF ASSETS AND LIABILITIES AS ON 31-03-2011** (₹ करोड़ों में/₹ in Crore)

ऋण और अग्रिम, निवेश, जमाराशि और उधार का परिपक्व पैटर्न/THE MATURITY PATTERN OF LOANS & ADVANCES, INVESTMENTS, DEPOSITS AND BORROWINGS (भा.रि.बैं. द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न परिपक्वता बजेट के अंतर्गत)/(UNDER VARIOUS MATURITY BUCKETS PRESCRIBED BY THE RESERVE BANK OF INDIA)

अवशिष्ट परिपक्वता Residual Maturity	1 दिन 1 day	2-7 दिन 2-7 day	8-14 दिन 8-14 days	15-28 दिन 15-28 days	29 दिनों से और 3 महीने तक 29 days-3 months	3-6 महीने 3 - 6 months	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक >6 months to 1 year	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक >1 year to 3 years	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक >3 years to 5 years	5 वर्ष से अधिक >5 years	कुल Total
1. ऋण और अग्रिम की परिपक्वता पैटर्न Maturity Pattern of Loans & Advances	2689.09	3190.17	1883.86	1267.52	8943.33	6172.28	9507.35	43123.84	14067.90	15936.58	106781.92
2. निवेश की परिपक्वता पैटर्न Maturity Pattern of Investments	0.00	1880.02	248.73	173.38	673.36	165.91	246.33	3166.78	4982.17	23530.94	35067.62
3. जमाराशियों की परिपक्वता पैटर्न Maturity Pattern of Deposits	935.80	5228.45	2223.09	3374.33	16614.38	16060.15	25517.42	60266.53	3972.32	1403.60	135596.08
4. उधार राशियों की परिपक्वता पैटर्न Maturity Pattern of Borrowings	2.11	156.08	0.00	0.00	543.86	2010.68	694.20	2351.73	1544.35	2112.69	9415.71
5. ** विदेशि मुद्रा आस्तियां (लंदन+आइडी) Foreign Currency Assets	681.47	2425.99	1019.51	845.43	2352.66	1867.05	317.98	1011.63	1154.04	428.78	12104.54
6. ** विदेशि मुद्रा देयताएँ (लंदन+आइडी) Foreign Currency Liabilities	76.22	1921.10	771.03	1007.39	2741.17	2087.47	1442.66	831.85	1.72	0.00	10880.61

** उपर्युक्त मद सं. 5 और 6 को उक्त मद सं 1 से 4 के संबंधित शीर्षों में शामिल किया गया है । Item No. 5 & 6 above are included in respective heads in item No. 1 to 4 above.

नोट: उपर्युक्त तालिका की मद सं. 5 और 6 लंदन और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग दोनों विदेशी मुद्राओं में आंकी गयी आस्तियां/देयताएं है और ये संबंधित लेखा शीर्ष के अधीन मद संख्या 1 से 4 में दिए गए लेखा शीर्ष के हिस्से बनते हैं।

Note: Item No. 5 & 6 of above table are assets/liabilities denominated in foreign currencies of both London and International Division and these form part of the respective heads given in item numbers 1 to 4.

7. **निवेश**

क. **स्थावर संपदा क्षेत्र में निवेश** (₹ करोड़ों में)

विवरण	**31.03.11**	31.03.10
स्थावर संपदा श्रेत्र को ऋण		
क) प्रत्यक्ष निवेश	**11206.50**	11321.68
(i) आवासीय बंधक – उधारकर्ता द्वारा निवास करनेवाली या किए जाने वाली या किराए पर दी गई आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्ण रूप से रक्षित उधार;	**8346.21**	8763.15
इनमें से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के अंतर्गत शामिल करने हेतु पात्र वैयक्तिक आवास ऋण	**6332.06**	6380.20
(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा (निधि आधारित और गैर निधि आधारित) वाणिज्यिक स्थावर संपदा (कार्यालय भवन खुदरा स्थान, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक भवन, बहु-पारिवारिक आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक भवन, औद्योगिक या माल गोदाम स्थान, होटल, भूमि अभिग्रहण, विकास एवं निर्माण, आदि) पर बंधक द्वारा रक्षित उधार। निवेश में गैर-निधि आधारित (एन.एफ.बी.) सीमाएँ भी शामिल होंगी; * लंदन शाखा से संबंधित ₹ 22.50 करोड़ के सी.आर.ई. निवेश भी शामिल हैं।	**2427.94***	2558.53
(iii) गैर सी.आर.ई. को अन्य प्रत्यक्ष ऋण	**432.35**	0.00
(iv) बंधक समर्थित जमानत (एम.बी.एस.) में निवेश और अन्य प्रतिभूतीकृत निवेश – क.आवासीय ख.वाणिज्यिक स्थावर संपदा	**0.00**	0.00
ख) परोक्ष निवेश राष्ट्रीय आवास बैंक (एन एच बी) और आवास वित्त कंपनियों (एच एफ सी) पर निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित निवेश	**2842.89**	3359.68

ख. **पूंजी बाजार में निवेश**

(i) ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बंध पत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में किए गए प्रत्यक्ष निवेश जिनकी निधियों को नैगम ऋण में निवेश नहीं किया गया है	**114.94**	102.81
(ii) शेयरों/बंध पत्रों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर या ईक्विटी शेयरों (आई.पी.ओ./ई.एस.ओ.पी.एस. सहित) परिवर्तनीय बंध पत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में और ईक्विटी उन्मुख निवेश करने हेतु बेजमानती आधार पर व्यक्तियों को दिए गए अग्रिम	**0.16**	0.48
(iii) अन्य उद्देश्यों के लिए दिए गए ऋण जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है ।	**0.00**	0.00
(iv) किसी अन्य उद्देश्य के लिए उस सीमा तक दिए गए अग्रिम जो शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा रक्षित हो, यानी, जहां शेयरों/परिवर्तनीय बंध पत्रों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों से भिन्न प्राथमिकता प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतया रक्षित नहीं करती है।	**0.00**	135.13
(v) स्टॉक ब्रोकरों को दिए गए जमानती और या बेज़मानती अग्रिम और स्टाक ब्रोकरों तथा शेयर विपणनकर्ताओं की ओर से जारी की गयी गारंटियां	**26.45**	4.46
(vi) शेयरों/बंध पत्रों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की ज़मानत पर या संसाधनों को जुटाने के उद्देश्य से नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान की पूर्ति के लिए बेजमानती आधार पर कंपनी को दिए गए ऋण	**1223.21**	785.72

7. **EXPOSURES**

A. **Exposure to Real Estate Sector**

(₹ in Crore)

Particulars	**31-03-11**	31-03-10
Exposure to Real Estate Sector		
a) Direct Exposure	**11206.50**	11321.68
(i) Residential Mortgages Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	**8346.21**	8763.15
Out of the above, individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances	**6332.06**	6380.20
(ii) Commercial Real Estate (Fund-based & non-fund based) Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse spaces, hotels, land acquisition, development and construction etc.) Exposure would also include non-fund based limits. * includes CRE exposure of ₹ 22.50 crores pertaining to London Branch.	**2427.94***	2558.53
(iii) Any other Direct Exposure to Non CRE	**432.35**	0.00
(iv) Investment in Mortgaged Backed Securities (MBS) and other securitised exposure a. Residential b. Commercial Real Estate	**0.00**	0.00
b) Indirect Exposure Fund-based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	**2842.89**	3359.68

B. **Exposure to Capital Market**

(i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds, the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	**114.94**	102.81
(ii) Advances against shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds.	**0.16**	0.48
(iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds are taken as primary security	**0.00**	0.00
(iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/units of equity-oriented mutual funds does not fully cover the advances	**0.00**	135.13
(v) Secured and unsecured advances to Stockbrokers and guarantees issued on behalf of Stock brokers and Market Makers	**26.45**	4.46
(vi) Loans sanctioned to Corporates against the security of shares/ bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting Promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	**1223.21**	785.72

(vii)	प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह/निर्गमों के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरक ऋण	**0.00**	0.00
(viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों के प्राथमिक निर्गमों के संबंध में मूल कंपनी द्वारा उठायी गयी हामीदारी प्रतिबद्धता	**0.00**	0.00
(ix)	मार्जिन व्यापार के लिए स्टाकब्रोकरों को दी गयी वित्तीय सहायता	**0.00**	0.00
(x)	जोखिम पूंजी को दिए गए सभी ऋण (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	**171.87**	98.78
पूंजी बाजार में किए गए कुल निवेश		**1536.63**	1127.38

ग. **जोखिम श्रेणी–वार देशी निवेश** (₹ करोड़ों में)

जोखिम संवर्ग	**31मार्च 2011 को निवेश (निवल)**	**31मार्च 2011 को धारित प्रावधान**	31मार्च 2010 को निवेश (निवल)	31मार्च 2010 को धारित प्रावधान
नगण्य	**2046.60**	–	285.44	–
कम	**2036.05**	–	4253.49	2.47
मध्यम कम	**30.49**	–	–	–
मध्यम	**5.80**	–	561.19	–
मध्यम अधिक	**1.98**	–	–	–
अत्यधिक	–	–	22.55	–
प्रतिबंधित	**1.45**	–	–	–
ऋणेतर	–	–	42.66	–
कुल	**4122.37**	–	5165.33	2.47

घ. **मूल कंपनी द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) में अध्याहरण के ब्यौरे**

मूल कंपनी ने किसी भी ग्रूप खातों से संबंधित विवेकपूर्ण ऋण सीमाओं मे अध्याहरण नहीं किया है। तथापि निम्नलिखित एकल उधारकर्ता खातों के संबंध में निर्दिष्ट पूंजीगत निधियों के 15% की उधार सीमा का अध्याहरण किया गया है।

(₹ करोड़ों में)

क्रम सं.	उधारकर्ता का नाम	दि.**31-03-2011** की स्थिति के अनुसार उधार	पूंजीगत निधियों की प्रतिशतता (%)	अध्याहरण की तारीख	अध्याहरण की तारीख तक उधार	अध्याहरण की तारीख को पूंजीगत निधियों की प्रतिशतता (%)
1.	सिडबी	1219.03	12.66	26-03-2010	1718.90	18.54
2.	आईएफसीआई	1424.56	14.79	24-09-2010	1624.56	17.56
3.	एच.डी.एफ.सी.	1800.00	18.70	24-12-2010	1800.00	19.46

ङ. **जमाराशियों का संकेन्द्रण** (₹ करोड़ों में)

20 बड़े जमाकर्ताओं को कुल जमाराशियाँ	19,762
मूल कंपनी के कुल जमाराशियों में 20 बड़े जमाकर्ताओं की प्रतिशतता	14.57%

च. **अग्रिमों का संकेन्द्रण** (₹ करोड़ों में)

20 बड़े जमाकर्ताओं की कुल अग्रिम	21.930
मूल कंपनी की कुल अग्रिमों में 20 बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों की प्रतिशतता	18.37%

छ. **उधार का संकेन्द्रण** (₹ करोड़ों में)

20 बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के कुल उधार	22,101
उधारकर्ताओं/ग्राहकों को मूल कंपनी द्वारा दिए गए उधार में 20 बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के उधार की प्रतिशतता	17.83%

ज. **अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण** (₹ करोड़ों में)

चार बड़े एन.पी.ए. खातों के कुल उधार	211.47

(vii)	Bridge loans to Companies against expected equity flows/issues.	**0.00**	0.00
(viii)	Underwriting commitments taken up by the Parent Company in respect of primary issues of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds.	**0.00**	0.00
(ix)	Finance to Stockbrokers for margin trading	**0.00**	0.00
(x)	All exposure to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	**171.87**	98.78
Total Exposure to Capital Market		**1536.63**	1127.38

C. **Risk Category wise Country wise Exposure**

(₹ in Crore)

Risk Category	**Exposure (net) as at 31st March 2011**	**Provision held as at 31st March 2011**	**Exposure (net) as at 31st March 2010**	**Provision held as at 31st March 2010**
Insignificant	**2046.60**	–	285.44	–
Low	**2036.05**	–	4253.49	2.47
Moderately Low	**30.49**	–	–	–
Moderate	**5.80**	–	561.19	–
Moderately High	**1.98**	–	–	–
High	–	–	22.55	–
Very High/Restricted	**1.45**	–	–	–
Off-credit	–	–	42.66	–
Total	**4122.37**	–	**5165.33**	**2.47**

D. **Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Parent Company**

The Parent Company has not exceeded the prudential credit exposure limits in respect of any group accounts. However, in respect of the following single borrower accounts, the exposure ceiling of 15% of capital funds stipulated has been exceeded:

(₹ in Crore)

Sl. No.	**Name of the borrower**	**Exposure as on 31-03-2011**	**% to Capital funds**	**Date of exceeding**	**Exposure as on date of exceeding**	**% to Capital funds as on exceeding**
1.	SIDBI	1219.03	12.66	26-03-2010	1718.90	18.54
2.	IFCI	1424.56	14.79	24-09-2010	1624.56	17.56
3.	HDFC	1800.00	18.70	24-12-2010	1800.00	19.46

E. **Concentration of Deposits** (₹ in Crore)

Total Deposits of twenty largest depositors	19,762
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Parent Company	14.57%

F. **Concentration of Advances** (₹ in Crore)

Total Advances to twenty largest borrowers	21,930
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Parent Company	18.37%

G. **Concentration of Exposures** (₹ in Crore)

Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	22,101
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of theParent Company on borrowers/customers	17.83%

H. **Concentration of NPAs** (₹ in Crore)

Total Exposure to top four NPA accounts	211.47

8. **विविध**

क) वर्ष के दौरान आय कर के लिए किए गए प्रावधान की राशि

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	31-03-11	31-03-10
आय कर	**237.47**	360.71

ख) वर्ष के दौरान भा.रि.बैं. द्वारा मूल कंपनी पर कोई जुल्माना नहीं लगाया गया है ।

9. **लेखाकरण मानकों के अनुसार प्रकटीकरण (ए एस)**

भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आई सी ए आई) द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानकों (जहाँ तक लागू हो) के अनुसार निम्नलिखित प्रकटन किए गए हैं:

i) **उक्त अवधि के लिए निवल लाभ व हानि, पिछली अवधि की मदें और लेखाकरण नीति में परिवर्तन (ए.एस. 5):**

क) लंदन शाखा में अस्थिर दर वाले नोट और ऋण संबद्ध नोट में किए गए निवेश को बिक्री के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उनका मूल्य निर्धारण अंकित मूल्य पर या बाजार मूल्य, इनमें जो भी कम हो, पर किया गया है। एफ. आर.एन. का मूल्य निर्धारण जारीकर्ता मूल्य के आधार पर किया गया और सी.एल. एन. का मूल्य निर्धारण एफ.आइ.एम.एम.डी.ए. स्प्रेड के आधार पर किय गया। इसके परिणाम स्वरूप, इन निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए ₹25.35 करोड़ का प्रावधान रखा गया।

ii) **विदेशी विनिमय दरों में होनेवाले परिवर्तनों का प्रभाव (एएस 11)**

वर्ष की निवल हानि में, ₹1.72 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2.94 करोड़ लाभ) जो एफ.एक्स. आस्तियों और देयताओं के एएस 11 मूल्यांकन के कारण हुए विनिमय अंतर के अंतर्गत दर्ज किये गये लाभ है।

विनियामक निदेशों के अनुसार, फोरेक्स आस्तियों और देयताओं से संबंधित लेखाकरण प्रक्रिया (ए.एस. 11) का पालन किया गया ताकि तुलन-पत्र में इसका उचित और सही स्पष्टीकरण किया जा सके।

iii) **कर्मचारी लाभ (एएस 15)**

मूल कंपनी ने संशोधित लेखाकरण मानक 15 का अनुपालन किया और तदनुसार 31-3-2007 के दौरान ₹ 298.68 करोड़ की राशि को अंतर्वर्ती देयता के रूप में गणना में लिया गया। कुल अंतर्वर्ती देयताओं में से, मूल कंपनी ने ₹ 59.74 करोड़ (1/5) को चालू वर्ष के लाभ व हानि लेखे को प्रभारित किया और बाकी बची रकम ₹59.74 करोड़ (पिछले वर्ष 119.48 करोड़) को अगले वर्ष के दौरान प्रावधान किया जाएगा।

भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार मूल कंपनी ने कर्मचारियों से संबंधित पेंशन और उपदान के संबंध में ₹726.90 करोड़ की बढ़ाई गई देयता का 1/5 अंश का परिशोधन किया, जिससे आगे ले जायी गयी परिशेधित देयता ₹581.52 करोड़ हो गयी है। पुनः, मूल कंपनी ने भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार सेवा निवृत्त/सेवा से निकाले गए कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त पेंशन के प्रति वर्ष के दौरान ₹364 करोड़ के राशि का भी आमेलन किया।

परिनिश्चित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य की प्रारंभिक शेष और इतिशेष का समाधान और वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रत्येक मद पर पड़ने वाले प्रभाव निम्नवत् है:

8. MISCELLANEOUS

a) Amount of provisions made for income tax during the year

(₹ in Crore)

Particulars	31-03-11	31-03-10
Income Tax	237.47	360.71

b) During the year no penalty was imposed by RBI on the Parent Company.

9. DISCLOSURE IN TERMS OF ACCOUNTING STANDARDS (AS)

The disclosures under Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) (to the extent applicable) are given below:

i) Net profit or loss for the period, prior period items and changes in accounting policy (AS 5)

a) Investment in Floating Rate Note and Credit Linked Note Investments held in London branch are classified as available for sale and are valued at nominal value or market value whichever is lower. FRNs are valued based on issuer's value and the CLNs are valued based on FIMMDA spread. Consequently the provision for depreciation on these investments is at ₹25.35 crore.

ii) Effect of changes in Foreign Exchange Rate (AS 11):

The net loss for the year includes an amount of ₹ 1.72 crores (₹ 2.94 crores profit for the previous year) being the profit booked under difference in exchange on account of AS 11 valuation of FX assets & Liabilities.

In terms of regulatory directives, Accounting procedure (AS 11) in respect of Forex Assets and Liabilities have been implemented to ensure a fair and true disclosure of the value of the same in the Balance Sheet.

iii) Employee Benefits (AS 15)

Parent Company has complied with the revised Accounting Standard 15 and accordingly a sum of ₹ 298.68 crores has been considered as transitional liability as on 31-3-2007. Out of total transitional liability, the Parent Company has charged ₹ 59.74 crores (one fifth) to the current year's profit and loss account and the balance amount of ₹59.74 crores (previous year ₹119.48 crores) will be provided in the next year.

In accordance with the RBI guidelines, the Parent Company has amortised 1/5th of the enhanced liability of ₹ 726.90 crores in respect of pension and gratuity relating to continuing employees resulting in carry forward of unamortised liability of ₹ 581.52 crores. Further the Parent Company has also absorbed an amount of ₹ 364 crores during the year towards the additional pension liability for retired/separated employees as per the RBI guidelines.

A reconciliation of Opening and Closing Balances of the present value of the defined benefit obligation and the effects during the period attributable to each of the following is as under :

(₹ करोड़ों में)

परिनिश्चित लाभ के ब्यौरे	पेंशन	उपदान	साधिकार छुट्टी
प्रारंभिक शेष राशि	1709.68	563.78	168.06
ब्याज लागत	134.00	43.66	13.67
पिछली सेवा की लागत	0.00	51.91	0.00
चालू सेवा की लागत	543.25	33.78	3.92
प्रदत्त लाभ	266.45	100.27	14.57
बीमांकिक (लाभ)/ दायित्व पर हानि	1580.87	308.38	40.68
इति शेष	3701.35	901.23	211.75

लाभ व हानि लेखा विवरण में अभिनिर्धारित कुल व्यय:

(₹ करोड़ों में)

परिनिश्चित लाभ के ब्योरे	पेंशन	उपदान	साधिकार छुट्टी
चालू सेवा लागत	543.25	33.78	3.92
ब्याज लागत	134.00	43.66	13.67
निवल बीमांकिक(लाभ)/ अवधि के दौरान अभिनिर्धारित हानि	617.20	297.60	39.45
लाभ व हानि विवरण में अभिनिर्धारित व्यय	1158.02	379.02	42.75

तुलन पत्र दिनांक को प्रयुक्त मुख्य बीमांकिक अनुमान:

परिनिश्चित लाभ के ब्यौरे	पेंशन	उपदान	साधिकार छुट्टी
बट्टा दर	8.5	8.5	8.5
भावी लागत/वेतन के वृद्धि	4	4	4
ह्रास दर	प्रति हज़ार रुपये के लिए 10 प्र.व.	प्रति हज़ार रुपये के लिए 10 प्र.व.	प्रति हज़ार रुपये के लिए 10 प्र.व.
योजनाबद्ध आस्तियों पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	8.5%	8.5%	–

चालू अवधि के लिए परिनिश्चित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य:

(₹ करोड़ों में)

	31-03-2011
पेंशन	3701.35
उपदान	901.23
दीर्घावधि क्षतिपूरित अनुपस्थिति	211.75

विश्लेषण के बाद देयताओं में निम्नलिखित कमी/(अधिशेष) पायी गयी:

(₹ करोड़ों में)

	31-03-2011
पेंशन	733.97
उपदान	41.52
दीर्घावधि क्षतिपूरित अनुपस्थित	2.04

(₹ in Crore)

Defined Benefits details	Pension	Gratuity	Privilege Leave
Opening Balance	1709.68	563.78	168.06
Interest Cost	134.00	43.66	13.67
Past Service Cost	0.00	51.91	0.00
Current Service Cost	543.25	33.78	3.92
Benefit Paid	266.45	100.27	14.57
Actuarial (Gain) / Loss on Obligation	1580.87	308.38	40.68
Closing Balance	3701.35	901.23	211.75

Total Expenses recognized in the statement of Profit and Loss :

(₹ in Crore)

Defined Benefits details	Pension	Gratuity	Privilege Leave
Current Service Cost	543.25	33.78	3.92
Interest Cost	134.00	43.66	13.67
Net Actuarial (Gain) / Loss recognized in the period	617.20	297.60	39.45
Expenses recognized in the statement of Profit and Loss	1158.02	379.02	42.75

The principal actuarial assumptions used at the Balance Sheet date :

Defined Benefits	Pension	Gratuity	Privilege Leave
Discount Rate	8.5	8.5	8.5
Future Cost / Salary increase	4	4	4
Attrition Rate	10 per thousand p.a.	10 per thousand p.a.	10 per thousand p.a.
Expected rate of return on planned assets	8.5%	8.5%	–

The present value of defined benefit obligations for the current period :

(₹ in Crore)

	31-03-2011
Pension	3701.35
Gratuity	901.23
Long Term Compensated absence	211.75

After analysis following deficit / (surplus) in liabilities have been observed :

(₹ in Crore)

	31-03-2011
Pension	733.97
Gratuity	41.52
Long Term Compensated absence	2.04

iv) खण्डवार रिपोर्टिंग (एएस 17)/Segment Reporting (AS 17)

(₹ करोड़ों में/₹ in Crore)

भाग–'क' कारोबार खण्ड/Part-A Business Segments	**समाप्त तिमाही/Quarter ended 31-03-2011 लेखा परीक्षित/Audited**	समाप्त तिमाही/Quarter ended 31-03-2010 लेखा परीक्षित/Audited	**समाप्त वर्ष/ Year ended 31-03-2011 लेखा परीक्षित/Audited**	समाप्त वर्ष/ Year ended 31-03-2010 लेखा परीक्षित/Audited
खण्डवार राजस्व/Segment Revenue				
a) नैगम/थोक बैंकिंग परिचालन/Corporate/Wholesale Banking Operations	**1725**	1586	**5911**	4714
b) रिटेल बैंकिंग परिचालन/Retail Banking Operations	**995**	525	**3788**	3496
c) कोष बैंकिंग/Treasury Operations	**507**	543	**2259**	2714
d) अन्य बैंकिंग परिचालन/Other Banking Operations	**189**	88	**408**	291
कुल/Total	**3416**	**2742**	**12366**	**11215**
शुद्ध बिक्री/परिचालन से प्राप्त आय/Net Sales/Income from operation	**3416**	**2742**	**12366**	**11215**
खण्डवार परिणाम (लाभ)/Segment Results (Profit)				
a) नैगम/थोक बैंकिंग परिचालन/Corporate/Wholesale Banking Operations	**306**	234	**1058**	614
b) रिटेल बैंकिंग परिचालन/Retail Banking Operations	**153**	146	**936**	748
c) कोष बैंकिंग/Treasury Operations	**119**	98	**465**	254
d) अन्य बैंकिंग परिचालन/Other Banking Operations	**94**	74	**292**	259
कुल (परिचालन लाभ)/Total (Operating Profit):	**672**	**552**	**2751**	**1875**
घटाएं /Less:				
अन्य अनाबंटित व्यय/Other Un-allocated Expenditure	**353**	263	**1464**	700
कर से कुल लाभ/Total Profit Before Tax:	**319**	**289**	**1287**	**1175**
परिचालन लाभ/Operating Profit	**672**	**552**	**2751**	**1875**
आय कर/Income tax	**30**	121	**238**	361
प्रावधान और आकस्मिक व्यय/Provisions & Contingencies	**353**	263	**1464**	700
निवल लाभ/Net Profit	**289**	**168**	**1049**	**814**
प्रयुक्त पूंजी/Capital employed:				
खंडवार आस्तियाँ/खंडवार देयताएं/(Segment Assets-Segment Liabilities)				
a) नैगम/थोक बैंकिंग परिचालन/Corporate / Wholesale Banking Operations	**2055**	1619	**2055**	1619
b) खुदरा बैंकिंग परिचालन/Retail Banking Operations	**1720**	1133	**1720**	1133
c) कोष परिचालन/Treasury Operations	**2414**	2029	**2414**	2029
d) अन्य बैंकिंग परिचालन/Other Banking Operations	**169**	144	**169**	144
e) अनाबंटित आस्तियाँ/Unallocated assets	**693**	702	**696**	704
कुल प्रयुक्त पूंजी/Total Capital Employed	**7051**	**5627**	**7054**	**5629**

नोट/Note: भौगोलिक रूप से खण्डवार प्रकटीकरण की ज़रूरत नहीं है क्योंकि विदेशी शाखा के परिचालन निर्दिष्ट मानदण्ड से कम है/Geographical segment disclosure is not required to be made since the operation from foreign branch is less than the prescribed norms.

v) **संगत पार्टी प्रकटीकरण (ए एस 18)**

संगत पार्टियों के नाम और उनके संबंध

क) **अनुषंगी:**

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड

ख) **सहायक संस्थाएं:**

गुडगाँव ग्रामीण बैंक
नार्थ मलबार ग्रामीण बैंक
प्रथमा बैंक
आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक
कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक

ग) **प्रमुख प्रबंधक वर्ग के कर्मचारी:**

श्री बसंत सेठ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री वी. के. नागर	कार्यपालक निदेशक
श्री रवि चटर्जी	कार्यपालक निदेशक

संगत पार्टी लेन–देन

(₹ करोड़ों में)

प्रबंधकवर्ग के प्रमुख कर्मचारी	पदनाम	वेतन और परिलब्धियाँ
श्री बसंत सेठ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	17.49
श्री वी. के. नागर	कार्यपालक निदेशक	17.37
श्री आर. रामचन्द्रन	कार्यपालक निदेशक	10.37
श्री रवि चटर्जी*	कार्यपालक निदेशक	6.59

* दि.31-08-2010 को श्री आर रामचंद्रन की सेवा निवृत्ति के बाद श्री रवि चटर्जी ने दि.1-09-2010 से कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार संभाला ।

ए. एस. 18 के पैरा 9 के अनुसार अनुषंगी और सहायक संस्थाओं के लेन–देन प्रकट नहीं किए गए हैं ।

vi) **समेकित वित्तीय विवरण (एएस 21)**

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष का समेकित वित्तीय विवरणों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए समेकित वित्तीय विवरण ए.एस. 21 के अनुसार मूल कंपनी की अनुषंगी संस्था मेसर्स सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है।

vii) **आय कर का लेखाकरण (एएस 22)**

मूल कंपनी ने ए एस 22 की अपेक्षाओं का पालन किया है । अचल आस्तियों पर उक्त वर्ष के लिए मूल्यह्रास पर आस्थगित कर आस्तियों (डी.टी.ए.) के प्रति ₹3.84 करोड़ का समायोजन करने के बाद दि. 31-03-2011 की स्थिति के अनुसार आस्तगित कर देयता (डी.टी.एल.) की निवल शेषराशि ₹2.09 करोड़ रही (दि. 31-03-2010 को ₹5.93 करोड़)। मूल कंपनी ने कर्मचारी लाभ संबंधी देयताओं (भुगतान क्रिस्टलीकरण के बाद देय) तथा विवेकाधिकार के कारण से हुई पूंजीगत हानि के लिए किए गए प्रावधान पर डी.टी.ए. की पहचान नहीं की है ।

10. **अन्य प्रकटीकरण**

क) **प्रावधान और आकस्मिक व्यय**

(₹ करोड़ों में)

विवरण	**31-03-11**	31-03-10
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	**38.74**	(44.63)
एन.पी.ए. के लिए प्रावधान	**929.04**	530.56
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	**24.55**	0.00
आय कर/एफ.बी.टी. आदि के लिए प्रावधान	**237.47**	360.71
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण	**52.24**	5.45
अन्य	**419.79**	208.29
कुल	**1701.83**	1060.38

v) Related Party Disclosures (AS 18)

Names of Related Parties and their relationship:

a) **Subsidiary:**

Syndbank Services Limited

b) **Associates:**

Gurgaon Grameena Bank
North Malabar Grameena Bank
Prathama Bank
Andhra Pragathi Grameena Bank
Karnataka Vikas Grameena Bank

c) **Key Management Personnel:**

Sri Basant Seth	Chairman and Managing Director
Sri V. K. Nagar	Executive Director
Sri Ravi Chatterjee	Executive Director

Related Party Transactions (₹ in Lakhs)

Key Management Personnel	Designation	Salary and emoluments
Sri Basant Seth	Chairman & Managing Director	17.49
Sri. V. K. Nagar	Executive Director	17.37
Sri R. Ramachandran	Executive Director	10.37
Sri Ravi Chatterjee*	Executive Director	6.59

* Sri R Ramachandran has retired on 31-08-10 and Sri Ravi Chatterjee took over as Executive Director from 01-09-10.

Transactions with Subsidiary and Associates have not been disclosed in terms of Para 9 of AS 18.

vi) Consolidated Financial Statements (AS 21)

The consolidated financial statements for the year ended 31st March 2011 have been prepared in accordance with the AS 21 and on the basis of the audited financial statements of the subsidiary of the Parent Company, M/s Syndbank Services Ltd.

vii) Accounting for Taxes on Income (AS 22)

The Parent Company has complied with the requirements of AS 22. The net balance of Deferred Tax Liability (DTL) as on 31-03-2011 stood at ₹ 2.09 crore (₹ 5.93 crore as on 31.03.2010) after adjusting a sum of ₹ 3.84 crore towards Deferred Tax Assets (DTA) for the year on depreciation on fixed asset. Further Parent Company has not recognised DTA on provision made for employee benefit liabilities (allowable upon payment/crystallisation) and capital loss out of prudence.

10. **OTHER DISCLOSURES**

a) **Provisions and Contingencies** (₹ in Crore)

Particulars	**31-03-11**	**31-03-10**
Provision for depreciation on investment	**38.74**	(44.63)
Provision towards NPA	**929.04**	530.56
Provision towards Standard Assets	**24.55**	0.00
Provision towards Income tax, Wealth tax, FBT, etc.	**237.47**	360.71
Bad Debts written off	**52.24**	5.45
Others	**419.79**	208.29
Total	**1701.83**	1060.38

ख) **अस्थायी प्रावधान के संचलन निम्नप्रस्तुत है:**

(₹ करोड़ों में)

विवरण	**31-03-11**	31-03-10
क) अस्थायी प्रावधान लेखे में प्रारंभिक शेष	**306.63**	306.63
ख) लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधान की राशि	**Nil**	Nil
ग) लेखा वर्ष के दौरान किए गए आहरण की राशि	**Nil**	Nil
घ) अस्थायी प्रावधान लेखे में इतिशेष	**306.63**	306.63

ग) **आरक्षित निधियों में किए गए आहरण**

मूल कंपनी ने वर्ष के दौरान आरक्षित निधियों से कोई आहरण नहीं किया है ।

घ) **ग्राहक से प्राप्त शिकायतों की स्थिति**
ग्राहकों की शिकायतें

1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	205
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	3402
3.	वर्ष के दौरान निवारण की गयी शिकायतों की सं.	3323
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	284

बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय

1.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की सं.	1
2.	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की सं.	18
3.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं.	18
4.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की सं.	1

ङ) **अनर्जक आस्तियों का संचलन** (₹ करोड़ों में)

दि. 1 अप्रैल 2010 को कुल अनर्जक आस्तियां	2006.82
वर्ष के दौरान संवर्धन (नई अनर्जक आस्तियां)	1592.97
उप-जोड (क)	3599.79
घटाईए	
i) स्तरोन्नयन	108.56
ii) वसूलियां (स्तरोन्नत खातों से की गयी वसूलियों को छोड़कर)	541.66
iii) अपलेखन	350.60
उप-जोड़ (ख)	1000.82
दि. 31 मार्च 2011 को कुल अनर्जक आस्तियां (क-ख)	2598.97

च) **विदेशी आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियां और राजस्व** (₹ करोड़ों में)

विवरण	रकम
कुल आस्तियां	11051.75
कुल अनर्जक आस्तियां	32.24
कुल राजस्व	285.18

छ) **अचल आस्तियाँ**

i) मूल कंपनी के कुछ परिसरों के मामले में अधिकारों के हस्तांतरण संबंधी प्रलेखन औपचारिकताएँ अभी पूरी की जानी हैं। फिर भी प्राप्त की गई कानूनी राय के अनुसार अपने स्वत्वाधिकार को प्रमाणित करने के प्रलेख मूल कंपनी के पास हैं।

ज) **निवेश**

एच.टी.एम. श्रेणी में रखी गयी शून्य खर्च की प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त लाभ को लाभ व हानि लेखे में लिया गया और तदनंतर पूंजीगत आरक्षित निधि लेखे में विनियोग किया गया।

एच.टी.एम. श्रेणी की प्रतिभूतियों पर ₹60.77 करोड (पिछले वर्ष ₹80.88 करोड) के परिशोधन प्रभार को लाभ व हानि लेखे में नामे डाला गया और उसे भा.रि.बैं. के मास्टर परिपत्र के अनुसार अनुसूची-13, अर्जित ब्याज मद सं. II के अंतर्गत कटौती के रूप में दर्शाया गया है।

b) **The movement of Floating Provision is furnished below:**

(₹ in Crore)

Particulars	**31-03-11**	**31-03-10**
(a) Opening Balance in the floating provision account	**306.63**	306.63
(b) The quantum of floating provisions made in the accounting year	**Nil**	Nil
(c) Amount of draw down made during the accounting year	**Nil**	Nil
(d) Closing Balance in the floating provision account	**306.63**	306.63

c) **Draw down from reserves**

The Parent Company has not made any draw down from the Reserves during the year.

d) **Status of Customer Complaints**
Customer Complaints

1.	No. of complaints pending at the beginning of the year	205
2.	No. of complaints received during the year	3402
3.	No. of complaints redressed during the year	3323
4.	No. of complaints pending at the end of the year	284

Awards passed by the Banking Ombudsman

1.	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	1
2.	No. of awards passed by the Banking Ombudsman during the year	18
3.	No. of awards implemented during the year	18
4.	No. of unimplemented Awards at the end of the year	1

e) **Movement of NPAs** (₹ in Crore)

Gross NPAs as on 1st April, 2010	2006.82
Additions (Fresh NPAs) during the year	1592.97
Sub total (A)	3599.79
Less	
(i) Up gradations	108.56
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	541.66
(iii) Write-offs	350.60
Sub total (B)	1000.82
Gross NPAs as on 31st March, 2011 (A–B)	2598.97

f) **Overseas Assets, NPAs and Revenue** (₹ in Crore)

Particulars	Amount
Total Assets	11051.75
Total NPAs/NPIs	32.24
Total Revenue	285.18

g) Fixed assets

In respect of certain premises of the Parent Company, documentation formalities as to transfer of title are yet to be completed. However the Parent Company holds documents to prove its title as per the legal opinions obtained.

h) Investments

Profit on account of sale of securities from HTM category amounting to NIL has been taken to Profit and Loss Account and thereafter appropriated towards Capital Reserve Account.

The amortization charges of ₹ 60.77 crore (previous year ₹ 80.88 crore) on the HTM category of securities is debited to Profit and Loss Account and reflected in Schedule-13, Interest Earned :Item II – Income on Investments as a deduction as per RBI Master Circular.

झ) **बंधपत्र/पूंजी जारी करने से संबंधित ब्यौरे**

वर्ष के दौरान मूल कंपनी ने भारत सरकार को अधिमानी आधार पर 'सेबी' आइ.सी.डी.आर. विनियमावली के विनिमय 76(1) के अनुसार ₹113.35 (रुपये एक सौ तेरह और पैंतीस पैसे मात्र) की प्रीमियम दर प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्यवाले कुल ₹632.99 करोड़ के 5.13 करोड़ ईक्विटी शेयर आबंटित किया।

ञ) **कवरेज अनुपात हेतु प्रावधान:**

वि. वर्ष 2010-11 के लिए कवरेज अनुपात का अनुपात 77.18% है ।

ट) **अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग, मुंबई और शाखाओं द्वारा हमारी लंदन शाखा के पक्ष में जारी किए गए सहूलियत पत्र:**

मूल कंपनी ने यू.के. के एफ.एस.ए. (वित्तीय सेवाएं प्राधिकरण) को पुष्टि की है कि एफ. एस.ए. यू.के. की नई चलनिधि प्रणाली के अंतर्गत लंदन शाखा के ''संपूर्ण चलनिधि संशोधन'' के लिए किए गए आवेदन के संबंध में अपनी लंदन शाखा को हमेशा चलनिधि संसाधन उपलब्ध कराएगा ।

अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग, मुंबई ने निदेशक मंडल/भा.रि.बैं. के अनुमोदन से बैंक की लंदन शाखा के पक्ष में यू.एस.डॉलर 75 मिलियन का सहूलियत पत्र जारी किया ।

वित्तिय वर्ष 2010-11 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग द्वारा हमारी लंदन शाखा के साथ बाजार संबद्ध दरों पर जो दैनिक बकाया निवेश किया है, वह यू.एस. डॉलर 75 मिलियन के लिए जारी किए गए सहूलियत पत्र के अनुसार तयशुदा न्यूनतम स्तर से अधिक है। इसलिए यू.एस. डॉलर 75 मिलियन की राशि को तुलन पत्र की तारीख को आकस्मिक देयता के रूप में नहीं दर्शाया गया है । दि. 31-03-2011 की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग द्वारा लंदन शाखा के पास रखी गयी कुल जमाराशि यू.एस.डॉलर 166.02 मिलियन है।

ठ) **नैगम ग्राहकों को क्रेता उधार सुविधा के उद्देश्य से शाखाओं द्वारा जारी किए गए सहूलियत पत्र**

शाखाओं ने अपने नैगम ग्राहकों को क्रेता के साख पत्र ऋण प्रदान करने के लिए दि. 31-03-2011 के स्थिति के अनुसार ₹483.17 करोड़ के सहूलियत पत्र जारी किया है।

नैगम ग्राहकों ने क्रेता के साख पत्र पर ऋण प्रदान करने के लिए शाखाओं द्वारा विभिन्न अन्य बैंको के पक्ष में जारी किए गए सहूलियत पत्र की राशि ₹92.39 करोड़ है और दि. 31-03-2011 की स्थिति के अनुसार हमारी शाखाओं और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग, मुंबई द्वारा जारी किए गए सहूलियत पत्र की सकल बकाया राशि यू.एस. डालर 129.06 मिलियन (₹575.56 करोड़) है।

सहूलियत पत्र जारी करते समय उसकी गुणवत्ता, साख श्रेणी निर्धारण/वैश्विक श्रेणी निर्धारण, प्रतिभूति, संपार्श्विक प्रतिभूति तथा अंतर्निहित संपर्क संस्थाओं को गणना में लिया गया है, इसलिए, सहूलियत पत्रों के कारण से हुए वित्तीय प्रभाव उतना महत्वपूर्ण नहीं है।

i) Details of Bonds/Capital Issue

During the year, the Parent Company has allotted 5.13 crore equity shares of face value of ₹ 10/- each for cash at premium of ₹ 113.35(Rupees one hundred thirteen and paisa thirty five only) determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations aggregating to ₹ 632.99 crore on preferential basis to Government of India.

j) Provision Coverage Ratio:

The provision coverage ratio for the financial Year 2010-11 is 77.18%

k) Letters of Comfort issued in favour of overseas branch at LONDON by International Division, Mumbai & Branches.

The Parent Company has given a confirmation to FSA (Financial services Authority) of U.K. that it will make available liquidity resources at all times to its London branch (if needed) in connection with application made for " Whole form liquidity modification" of the London branch under the new liquidity regime of FSA U.K.

International Division Mumbai issued Letter of Comfort amounting to US$ 75 Mio in favour of London branch with the approval of Board of Directors / Reserve Bank of India.

During the financial year 2010-11, the daily outstanding placements made at market related rates by International Division with London branch stands above the minimum undertaken level, as per the Letter of Comfort issued for USD 75 Mio. Hence, the amount of Letter of Comfort for USD 75 Mio will not appear as a Contingent Liability as on Balance Sheet date. Total Deposit of USD 166.02 Mio placed by International Division with London branch as on 31-03-2011.

l) Letter of comfort issued by branches for the purpose of buyers credit facility to corporate clients.

Branches have issued Letters of Comfort on behalf of their Corporate customers in favour of London branch for providing buyers credit to the extent of ₹ 483.17 crores as on 31-03-2011.

Letter of Comfort issued by the branches for the purpose of providing buyers credit facility to the Corporate clients, in favour of various other banks is ₹ 92.39 crores and the outstanding gross amount of Letter of comfort issued by our branches and International Division, Mumbai as at 31-03-2011 stands at USD 129.06 Mio (₹ 575.56 crores).

The financial impact on account of letters of comfort issued may not be significant when the quality of Letters of Comfort, Credit Ratings / World Rankings, Securities, Collaterals and Counter Guarantees available of / from the underlying reference entities are taken into account.

ढ़) **दि.31-03-2011 की स्थिति के अनुसार पुन: संरचित खातों के ब्यौरे**

(₹ करोड़ों में)

पुन: संरचित खातों के विवरण					
		सी.डी.आर. तंत्र	एस.एम.ई. पुन: संरचना	अन्य	कुल
पुन:संरचित मानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की सं.	9	4477	74730	79216
	बकाया राशि	303.39	439.87	3258.97	4002.23
	घाटा (उचित मूल्य में हुए ह्रास)	20.10	26.36	61.70	108.16
पुन:संरचित अवमानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की सं.	–	465	2248	2713
	बकाया राशि	–	54.41	116.25	170.66
	घाटा (उचित मूल्य में हुए ह्रास)	–	0.72	7.70	8.42
पुन:संरचित संदिग्ध अग्रिम	उधारकर्ताओं की सं.	2	487	2401	2890
	बकाया राशि	25.80	24.20	305.57	355.57
	घाटा (उचित मूल्य में हुए ह्रास)	1.57	0.89	3.34	5.80
कुल	उधारकर्ताओं की सं.	11	5429	79379	84819
	बकाया राशि	329.19	518.48	3680.79	4528.46
	घाटा (उचित मूल्य में हुए ह्रास)	21.67	27.97	72.74	122.38

m) Details of Restructured Accounts as at 31-03-11

(₹ in Crore)

Particulars of Accounts Restructured					
		CDR Mechanism	SME Restructuring	Others	Total
Standard Advances restructured	No. of borrowers	9	4477	74730	79216
	Amount outstanding	303.39	439.87	3258.97	4002.23
	Sacrifice (diminution in the fair value)	20.10	26.36	61.70	108.16
Sub-Standard Advances restructured	No. of borrowers	–	465	2248	2713
	Amount outstanding	–	54.41	116.25	170.66
	Sacrifice (diminution in the fair value)	–	0.72	7.70	8.42
Doubtful advances restructured	No. of borrowers	2	487	2401	2890
	Amount outstanding	25.80	24.20	305.57	355.57
	Sacrifice (diminution in the fair value)	1.57	0.89	3.34	5.80
Total	No. of borrowers	11	5429	79379	84819
	Amount outstanding	329.19	518.48	3680.79	4528.46
	Sacrifice (diminution in the fair value)	21.67	27.97	72.74	122.38

ण) **तुलन–पत्र से इतर प्रायोजित एस.पी.वी. (लेखाकरण मानदण्ड के अनुसार जिनको समेकित करना है)**

प्रायोजित एस.पी.वी. का नाम	
घरेलू	विदेशी
शून्य	शून्य

n) Off-balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

थ) **वर्ष 2010-2011 के दौरान मूल कंपनी के बीमा कारोबार पर अर्जित आय ₹704.88 लाख है जो पिछले वर्ष ₹1551.94 लाख थी।**

o) Income earned on the Parent Company assurance business during the year 2010-11 is ₹ 704.88 lakhs against ₹ 1551.94 lakhs in previous year.

द) **उन अग्रिमों जिनके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां प्राप्त की गयी है:**

क) उन अग्रिमों की कुल रकम जिनके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां, जैसे हक पर प्रभार, लाइसेंस, प्राधिकार इत्यादि को परियोजना (बुनियादी सुविधा परियोजना सहित) के संबंध में संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में प्रभारित किया गया है – उसकी राशि ₹170 करोड़ है। ऐसी अमूर्त संपार्श्विक प्रतिभूतियों के अनुमानित मूल्य ₹524.52 करोड़ हैं।

p) Amount of advance for which, intangible securities has been taken :

Total Amount of advances for which intangible securities, such as charge over the rights, licences, authorizations, etc., charged as collateral in respect of projects (including infrastructure projects) is ₹ 170.00 crores.Estimated value of such intangible collaterals is ₹ 524.52 crores.

ध) **पिछले वर्ष के आंकड़े**

पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए, जहां आवश्यक पाया गया है वहां उन्हें चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप पुनर्वर्गीकृत किया गया है ।

q) Previous year figures

Previous year figures have been regrouped / rearranged wherever considered necessary to conform to the current year's classification.

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का विवरण
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2011

(₹ हजारों में/ ₹ in thousands)

		31-03-2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2011	31-03-2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2010
	परिचालन गतिविधियों से नकदी उपलब्धता		
	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
	वर्ष के दौरान अग्रिमों, निवेशों आदि से प्राप्त ब्याज Interest received during the year from Advances, Investments etc.	**11450,85,89**	10047,17,62
	अन्य आय/Other Income	**915,13,97**	1167,47,67
	घटाइए/Less:		
	वर्ष के दौरान जमा, उधार राशियों आदि पर प्रदत्त ब्याज Interest paid during the year on Deposits, Borrowings etc.	**6770,39,70**	7012,55,75
	परिचालन व्यय तथा प्रावधान और आकस्मिक व्यय Operating Expenses and Provision & Contingencies	**4011,74,54**	2734,88,80
	आय पर कर/Taxes on income	**237,88,27**	361,19,70
	जोड़िए/Add:		
	मूल्यह्रास/Depreciation	**70,97,41**	88,19,07
I.	**परिचालनों से उत्पन्न नकदी लाभ** (परिचालन आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व) **CASH PROFIT GENERATED FROM OPERATIONS** (Prior to changes in operating Assets & Liabilities)	**1416,94,76**	1194,20,11
II.	**परिचालन आस्तियों और देयताओं से नकदी उपलब्धता** **CASH FLOW FROM OPERATING ASSETS AND LIABILITIES**		
	देयताओं में वृद्धि/(कमी)/Increase/(Decrease) in Liabilities		
	ग्राहकों और बैंकों से प्राप्त जमाराशियाँ/Deposits from Customer & Banks	**18569,43,54**	1139,70,92
	बैंकों और अन्य संस्थाओं से उधार राशियाँ Borrowings from Banks & Other Institutions	**(2545,04,44)**	6364,51,12
	अन्य देयताएँ आदि (पिछले वर्षों में व्यय के लिए किए गए अतिरिक्त प्रावधान के प्रतिलेखन सहित) Other Liabilities etc. (including write back of excess provision for exp. made in the earlier years)	**(107,71,34)**	96,51,25
	आस्तियों में कमी/(वृद्धि)/Decrease/(Increase) in Assets		
	अग्रिम/Advances	**(16375,56,07)**	(8874,09,04)
	निवेश/Investments	**(2056,68,68)**	(2473,69,96)
	अन्य आस्तियां/Other Assets	**167,50,87**	841,31,53
क.	**परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी उपलब्धता (I+II)**		
A.	**NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (I+II)**	**(931,11,36)**	(1711,54,07)
	निवेश गतिविधियों से नकदी उपलब्धता/CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
	अचल आस्तियों पर/On Fixed Assets	**(69,29,31)**	(61,26,08)
	प्रक्रियाधीन कार्य पर/On Work in progress	**(3,26,09)**	2,91,91
ख.	**निवेश गतिविधियों से निवल नकदी उपलब्धता**		
B.	**NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**	**(72,55,40)**	(58,34,17)
	वित्तीयन गतिविधियों से नकदी उपलब्धता		
	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
	लाभांश/Issue of Capital	**633,00,00**	0
	प्रदत्त लाभांश/Dividend Paid	**0**	21
	गौण ऋण (चरण I और चरण II की पूँजी)		
	Subordinated debts (Tier I and Tier II capital)	**(100,00,00)**	394,00,00
	चरण I और चरण II की पूंजी पर ब्याज/Interest on Tier I and Tier II Capital	**(297,53,47)**	(294,67,96)
ग.	**वित्तीयन गतिविधियों से निवल नकदी उपलब्धता**		
C.	**NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**	**235,46,53**	99,32,25
	वर्ष के दौरान कुल नकदी उपलब्धता (क+ख+ग) **TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR (A+B+C)** **नकदी उपलब्धता में वृद्धि/(कमी)/Increase/(Decrease) in Cash Flow**	**(768,20,23)**	(1670,55,99)

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का विवरण
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2011

(₹ हजारों में/ ₹ in thousands)

		31-03-2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2011		31-03-2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2010	
I.	**वर्ष के प्रारंभ में शेष** **Balances at the Beginning of the Year**				
	भा.रि.बैंक के पास नकदी और शेष Cash & Balances with the R.B.I.	**7189,12,35**		12543,23,31	
	बैंकों के पास शेष और मांग पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call	**5544,72,94**	**12733,85,29**	1861,17,97	14404,41,28
II.	**वर्ष के अंत में शेष** **Balances at the end of the Year**				
	भा.रि.बैंक के पास नकदी और शेष Cash & Balances with the R.B.I.	**10443,11,63**		7189,12,35	
	बैंकों के पास शेष और मांग पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call	**1522,53,43**	**11965,65,06**	5544,72,94	12733,85,29
III.	**वर्ष के दौरान कुल नकदी उपलब्धता** **TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR**		**(768,20,23)**		(1670,55,99)
	नकदी उपलब्धता में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in Cash Flow				

एस के अबरोल/S K ABROL
महा प्रबंधक (लेखा)/GENERAL MANAGER (ACCOUNTS)

वी. के. नागर/V. K. NAGAR
कार्यपालक निदेशक/EXECUTIVE DIRECTOR

रवी जटर्जी/RAVI CHATTERJEE
कार्यपालक निदेशक/EXECUTIVE DIRECTOR

बसंत सेठ/BASANT SETH
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र/Auditors' Certificate

हम, सिंडिकेट बैंक के अधोहस्ताक्षरकर्ता सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों ने, बैंक के 31-03-2011 को समाप्त हुए वर्ष के उपर्युक्त नकदी उपलब्धता विवरण का सत्यापन किया है। यह विवरण स्टॉक एक्स्चेंजों के साथ सूचीकरण करार के खंड 32 की अपेक्षा के अनुसार तैयार किया गया है और यह तत्संबंधी लाभ और हानि लेखे और भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत हमारी तद्दिनांकित रिपोर्ट में शामिल बैंक के तुलन पत्र पर आधारित है और उससे मेल खाता है।

We, the undersigned Statutory Central Auditors of the SyndicateBank, have verified the above Cash Flow Statement of the Bank, for the year ended 31-03-2011. The Statement has been prepared in accordance with the requirements of Clause 32 of the Listing Agreement with the Stock Exchanges and is based on and in agreement with the corresponding Profit and Loss Account and Balance Sheet of the Bank covered by our Report of even date to the President of India.

कृते **मेसर्स एन सी मित्रा एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार
For **M/s N C Mitra & Co.**
Chartered Accountants
(पं. सं./Regn. No.: 306027 ई/E)

(गौरब मित्रा)
साझेदार
(Gourab Mitra)
Partner
सदस्यता सं./Membership No.: 061661

कृते **मेसर्स जैन एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
For **M/s Jain & Associates**
Chartered Accountants
(पं. सं./Regn. No.: 0001361एन/N)

(एस सी पाठक)
साझेदार
(S C Pathak)
Partner
सदस्यता सं./Membership No.: 010194

कृते **मेसर्स प्रकाश चंद्र जैन एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार
For **M/s Prakash Chandra Jain & Co.**
Chartered Accountants
(पं. सं./Regn. No.: 002438C)

(पी सी नलवाया)
साझेदार
(P C Nalwaya)
Partner
सदस्यता सं./Membership No.: 033710

कृते **मेसर्स एस सोनी एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
For **M/s S Sonny Associates**
Chartered Accountants
(पं. सं./Regn. No.: 003935 एस/S)

(एस सुंदर)
साझेदार
(S Sundar)
Partner
सदस्यता सं./Membership No.: 023425

कृते **मेसर्स आर. वेन्दर गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
For **M/s R. Vender Gupta & Associates**
Chartered Accountants
(पं. सं./Regn. No.: 002614 एन /N)

(राघवेंदर गुप्ता)
साझेदार
(Raghvender Gupta)
Partner
सदस्यता सं./Membership No.: 081544

कृते **ठाकुर वैद्यानाथा अय्यर एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार
For **Thakur Vaidyanath Aiyar & Co.**
Chartered Accountants
(पं. सं./Regn. No.: 000038 एन /N)

(के एन गुप्ता)
साझेदार
(K N Gupta)
Partner
सदस्यता सं./Membership No.: 009169

स्थान/Place: बेंगलूर/Bangalore
दिनांक/Date: 12-05-2011

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल
लेखा–परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड के सदस्य:

1. हमने, 31 मार्च, 2011 के **सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, मणिपाल** के संलग्न तुलन–पत्र और उससे उपाबद्ध, उक्त तारीख को समाप्त अवधि की लाभ व हानि लेखे तथा नकदी प्रवाह विवरण की लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधक वर्ग की प्रमुख जिम्मेदारी है । हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा–परीक्षा के अनुसार वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है ।

2. हमने अपनी लेखा परीक्षा कार्य भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किया है । इन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी लेखा परीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं और निष्पादित करें कि समुचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जाएं कि वित्तीय विवरणों में विषय–वस्तु संबंधी कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है । लेखापरीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में दिखाई गयी राशियों और प्रकट की गई बातों के समर्थन में दिए गए साक्ष्य की परीक्षण के तौर पर जांच की जाती है । लेखा–परीक्षा के अंतर्गत प्रबंध–तंत्र द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों तथा प्रमुख आकलनों का निर्धारण तथा प्रस्तुत किए गए समग्र वित्तीय विवरण का मूल्यांकन भी किया जाता है । हमें विश्वास है कि हमारा लेखा परीक्षा कार्य हमारे अभिमत के लिए उचित आधार है ।

3. भारत के कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 की उप–धारा 4 (क) की शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2003, कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) (संशोधन) आदेश 2004 (आदेश के साथ) द्वारा यथा संशोधित और कंपनी की बहियों और अभिलेखों की ऐसी जाँच जिसे हम उचित समझते हैं, के आधार पर और हमको प्रस्तुत सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार हम उक्त आदेश के अनुच्छेद 4 और 5 में विनिर्दिष्ट विषयों के विवरण इसके साथ संलग्न कर रहे हैं ।

4. उपर्युक्त अनुच्छेद (3) में संदर्भित अनुबंध में दी गयी हमारी टिप्पणी के सिलसिले में हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

   i) हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त की हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थी ।

   ii) कंपनी की लेखा बहियों की जांच करने पर यह पता चला है कि कंपनी ने बहियों का विधिवत् रख–रखाव किया है ।

   iii) इस रिपोर्ट में दर्शाए गए तुलन–पत्र एवं लाभ व हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण, लेखा–बहियों के साथ मेल खाते हैं ।

   iv) हमारी राय में, इस रिपोर्ट में दर्शाए गए तुलन–पत्र, लाभ व हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उप–धारा (3 ग) में संदर्भित लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं ।

   v) दि. 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार निदेशकों से प्राप्त और निदेशक मंडल द्वारा अभिलेख में लिए गए लिखित अभ्यावेदनों के

SyndBank Services Limited
Registered Office: Manipal
AUDITOR'S REPORT

TO THE MEMBERS OF **SYNDBANK SERVICES LTD.**

1. We have audited the attached Balance Sheet of **SYNDBANK SERVICES LIMITED,** as at 31st March, 2011 and also the Profit and Loss Account & Cash Flow Statement of the Company for the year ended on that date annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the Company's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

3. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2003 as amended by the companies (Auditor's Report) (Amendment) Order, 2004 (together the 'Order') issued by the Central Government of India in terms of sub-section (4A) of the Section 227 of the Companies Act, 1956, of India (the 'Act') and on the basis of such checks of the books and records of the company as we considered appropriate and according to information and explanations given to us, we give in the annexure a statement on the matters specified in paragraphs 4 & 5 of the Order.

4. Further to our comments in the Annexure referred to in paragraph (3) above, we state that:

   i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

   ii) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company, so far as appears from our examination of those books.

   iii) The Balance Sheet, Profit and Loss account & Cash Flow Statement referred to in this report are in agreement with the books of account.

   iv) In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and the Cash Flow statement dealt with by this report comply with the Accounting Standards referred to in sub-section (3C) of Section 211 of the Companies Act. 1956.

   v) On the basis of the written representations received from the Directors, as on 31st March, 2011 and taken on record by the Board of

आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि दि. 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार किसी भी निदेशक को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 की उप धारा (1) के खण्ड (जी) की शर्तों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त करने से अनर्ह नहीं ठहराया गया है।

vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरणों तथा उस पर दी गयी और उसके साथ संलग्न की गयी टिप्पणियां कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत अपेक्षित जानकारी देती है और भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार एक सही और सत्य चित्र दर्शाती है:

i) तुलन-पत्र के मामले में, 31 मार्च, 2011 के अनुसार कंपनी के कार्य संचालन।

ii) लाभ व हानि लेखे के संबंध में उक्त तारीख को समाप्त अवधि के लिए कंपनी का लाभ।

iii) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के नकदी प्रवाह।

कृते **शब्बीर एण्ड गणेश**
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन. : 009033S

ह/-
(सी ए गणेश वाइ.)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 207231

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 20-04-2011

Directors, we report that none of the Directors are disqualified as on 31st March, 2011 from being appointed as a director in terms of clause (g) of sub-section (1) of section 274 of the Companies Act, 1956.

vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements together with the notes thereon and attached thereto give the information required by the Companies Act, 1956, in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

i) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2011;

ii) in the case of the Profit and Loss Account, of the profit of the Company for the year ended on that date.

iii) In the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows of the company for the year ended on that date.

For **Shabbir and Ganesh**
Chartered Accountants
FRN: 009033S

Sd/-
(CA Ganesh Y.)
Partner
Membership No. 207231

Place: Bangalore
Date : 20-04-2011

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से संबंधित अनुबंध:
संदर्भ: सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड

उक्त दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुच्छेद 3 के संदर्भ में

i) (क) कंपनी ने उचित अभिलेखों का रख-रखाव किया है, जिसमें उन्होंने अचल संपत्तियों के परिमाणात्मक ब्यौरे एवं अवस्थिति समेत संपूर्ण विवरण दर्शाया है।

(ख) हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम तैयार किया है जिसके जरिये कंपनी की सभी आस्तियों का सत्यापन किया जाएगा, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार तथा उसकी आस्तियों की दृष्टि से समुचित है । हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, वर्ष के दौरान सत्यापन करने पर बही-अभिलेखों के संबंध में कोई भी महत्त्वपूर्ण विसंगति नहीं पायी गयी है।

(ग) अचल संपत्तियों के पर्याप्त भाग का निपटान नहीं किया गया है ।

ii) कंपनी कोई माल सूची नहीं रखती है, इसलिए अनुच्छेद 4 (ii) (क) से (ग) लागू नहीं होता।

iii) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने किसी कंपनी फर्म और कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के तहत रखी जानेवाली पंजी में शामिल अन्य पार्टियों को कोई ऋण मंजूर नहीं किया है, चाहे जमानती हो या बेजमानती। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 4 (iii) (क) से (घ) लागू नहीं होता।

iv) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने किसी भी कंपनी फर्म और कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के तहत रखी जानेवाली पंजी में शामिल अन्य पार्टियों को कोई ऋण, चाहे वे जमानती हो या बेजमानती, उपलब्ध नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 4 (iii) (ङ) से (छ) लागू नहीं होते।

v) हमारी राय में और हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के पास एक ऐसी पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है जो कंपनी के आकार तथा अचल आस्तियों की खरीद एवं सेवाओं की बिक्री के संबंध में उसके कारोबार के स्वरूप के अनुरूप है। हमारी लेखा परीक्षा के दौरान हमने, कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कोई महत्वपूर्ण कमज़ोरी नहीं पायी है।

vi) हमारी राय में और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया गया है जिसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अनुसार रजिस्टर में दर्ज करने की आवश्यकता हो।

vii) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित वर्ष के दौरान जनता से कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है। इसलिए कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 58 क और 58 क क के उपबंध एवं तद्ंतर्गत नियम कंपनी पर लागू नहीं होंगे।

viii) हमारी राय में कंपनी के पास आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है जो इसके कारोबार के आकार और स्वरूप के अनुरूप है।

ix) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के परिचालन के संबंध में, केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209(1) (घ) के अंतर्गत लागत अभिलेख रखने की शर्त नहीं लगाई है।

x) क) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी, भविष्य निधि, आय कर, सेवा कर, उपकर सहित सभी अविवादित देय राशियों एवं उस पर लागू होनेवाली अन्य सांविधिक देय राशियों को उचित प्राधिकारियों के पास सामान्यत: नियमित रूप से जमा की है।

Annexure to the Auditor's Report:

Re: SYNDBANK SERVICES LIMITED

Referred to in paragraph 3 of our report of even date.

i) (a) The company has maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of its fixed assets.

(b) According to the information and explanations given to us, the Company has formulated a regular programme of verification by which all the assets of the Company shall be verified, which in our opinion, is reasonable having regard to the size of the Company and nature of its assets. To the best of our knowledge, no material discrepancies were noticed on verification conducted during the year as compared with the book records.

(c) There was no disposal of a substantial part of fixed assets.

ii) The Company does not have any Inventory and hence paragraph 4(ii)(a) to (c) are not applicable.

iii) According to the information and explanations given to us, the Company has not granted any loans, secured or unsecured, to any Company, firm and other parties covered in the register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956. Accordingly, paragraph 4 (iii) (a) to (d) of the order are not applicable.

iv) According to the information and explanations given to us, the Company has not taken any loans, secured or unsecured, from any Company, firm and other parties covered in the register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956. Accordingly, paragraph 4 (iii) (e) to (g) of the order are not applicable.

v) In our opinion and according to the information and explanations given to us, there exists an adequate internal control system commensurate with the size of the company and the nature of its business with regard to purchases of fixed assets and with regard to the sale of services. During the course of our audit, we have not observed any major weakness in the internal control system of the Company.

vi) In our opinion and according to the explanations given to us, there is no transaction that needs to be entered into the register in pursuant of Section 301 of the Companies Act, 1956.

vii) According to the information and explanations given to us, the Company has not accepted deposits from the public during the year covered by our audit report. Therefore the provisions of Section 58A and 58AA of the Companies Act, 1956 and rules there under are not applicable to the company.

viii) In our opinion, the company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business.

ix) According to the information and explanations given to us, the Central Government has not prescribed maintenance of cost records under Section 209(1)(d) of the Companies Act, 1956 with regard to the company's operation.

x) a) According to the information and explanations provided to us, the Company is generally regular in depositing with appropriate authorities undisputed statutory dues including provident fund, income tax, service tax, cess and other statutory dues, applicable to it.

ख) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार आय कर, सेवा कर के संबंध में देय कोई भी अविवादित राशि दि. 31 मार्च, 2011 को, उनके देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक अवधि तक बकाया नहीं थी।

ग) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों की अनुसार उन आय कर, सेवा कर और उपकर कोई भी राशि देय नहीं है जिन्हें किसी विवाद के कारण से जमा नहीं किया गया हो।

xi) कंपनी के पास कोई संचित हानि नहीं है और हमारी लेखा परीक्षा से संबंधित वित्तीय वर्ष तथा तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को कोई नकदी हानि नहीं हुई है।

xii) हमारी राय में और हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने वित्तीय संस्थाओं, बैंकों या डिबेंचर धारकों को देय-राशि की चुकौती में चूक नहीं की है।

xiii) हमारी राय में और हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों की गिरवी पर कोई ऋण और अग्रिम मंजूर नहीं किया है।

xiv) हमारी राय में, कंपनी एक चिट फंड, या निधि/पारस्परिक लाभ निधि/ सोसाइटी नहीं है। इसलिए कंपनी पर आदेश का खण्ड 4 (xiii) लागू नहीं होता है ।

xv) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों और डिबेंचरों में लेन-देन नहीं कर रही है। इसलिए आदेश का खण्ड 4 (xiv) कंपनी पर लागू नहीं होता।

xvi) कंपनी ने अन्यों द्वारा लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

xvii) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई मीयादी ऋण नहीं लिया है।

xviii) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के तुलन-पत्र की समग्र जाँच करने पर हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अल्पावधि आधार पर जुटाई गयी निधियों का दीर्घावधि निवेश के लिए उपयोग नहीं किया है।

xix) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखी गयी पंजी में शामिल पार्टियों और कंपनियों को शेयरों का अधिमान्य आबंटन नहीं किया है।

xx) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने हमारी रिपोर्ट से संबंधित अवधि के दौरान कोई जमानती डिबेंचर जारी नहीं किया है। तदनुसार कंपनी पर आदेश का खण्ड (xix) लागू नहीं होता।

xxi) हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित अवधि के दौरान कंपनी ने सार्वजनिक निर्गम के जरिए कोई धनराशि नहीं जुटाई है।

xxii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार और हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा से संबंधित अवधि के दौरान कंपनी पर या द्वारा कोई धोखाधड़ी का मामला नहीं पाया गया है या रिपोर्ट नहीं की गयी है।

कृते **शब्बीर एण्ड गणेश**
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन. : 009033S

ह/-
(सीए गणेश वाइ.)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 207231

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 20-04-2011

b) According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of Income tax, Service tax were in arrears, as at 31st March, 2011 for a period of more than six months from the date they became payable.

c) According to the information and explanations given to us, there are no dues of Income tax, Service tax and cess which have not been deposited on account of any dispute.

xi) The company does not have accumulated losses and has not incurred cash losses during the financial year covered by our audit and the immediately preceding financial year.

xii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not defaulted in repayment of dues to financial institutions, banks or debentures holders.

xiii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not granted loans and advances on the basis of security by way of pledge of shares, debentures and other securities.

xiv) In our opinion, the Company is not a chit fund or a nidhi/mutual benefit fund/society. Therefore, the provisions of clause 4(xiii) of the Order are not applicable to the Company.

xv) According to the information and explanations given to us, the Company is not dealing in shares, securities and debentures. Therefore, the provisions of clause 4(xiv) of the Order are not applicable to the Company.

xvi) The Company has not given any guarantee in connection with loans taken by others.

xvii) The Company has not obtained any term loans during the year.

xviii) According to the information and explanations given to us and on an overall examination of the balance sheet of the company, we report that no funds raised on short term basis have been used for long term investment.

xix) According to the information and explanations given to us, the Company has not made any preferential allotment of shares to parties and companies covered in the register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956.

xx) According to the information and explanations given to us, the Company has not issued any secured debentures during the period covered by our report. Accordingly, the provisions of clause (xix) of the Order are not applicable to the Company.

xxi) During the period covered by our audit report, the Company has not raised any money by way of public issue.

xxii) To the best of our knowledge and belief and according to the information and explanations given to us, no fraud on or by the Company has been noticed or reported during the course of our audit.

For **Shabbir and Ganesh**
Chartered Accountants
FRN: 009033S

Sd/-
(CA Ganesh Y.)
Partner
Membership No.: 207231

Place: Bangalore
Date : 20-04-2011

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेट बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of Syndicate Bank)

31 मार्च, 2011 का तुलन पत्र/BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2011

(रकम रुपयों में/Amount in ₹)

ब्यौरे/Particulars	अ. सं. Sch. No.	As at दि. 31-03-2011 को	As at दि. 31-03-2010 को
I. **निधियों का स्रोत: SOURCES OF FUNDS**			
1. **शेयरधारकों की निधि/Shareholders Funds:**			
क/a) शेयर पूँजी/Share Capital	1	**2,500,000**	2,500,000
ख/b) आरक्षित निधि और अधिशेष/Reserves & Surplus	2	**28,568,520**	20,285,385
2. **ऋण संबंधी निधि/Loan Funds**		**–**	–
कुल/TOTAL		**31,068,520**	22,785,385
II. **निधियों का अनुप्रयोग/APPLICATION OF FUNDS**			
1. **अचल आस्तियाँ/Fixed Assets**	3		
क/a) सकल ब्लॉक/Gross Block		**1,316,963**	1,287,386
ख/b) घटाएं: मूल्यह्रास/Less: Depreciation		**1,038,533**	923,646
ग/c) निवल ब्लॉक/Net Block		**278,430**	363,740
2. **आस्थगित कर आस्तियां/Deferred Tax Asset**		**256,030**	236,844
3. **चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम Current Assets, Loans and Advances**	4		
क/a) विविध देनदार/Sundry Debtors		**1,489,631**	1,484,950
ख/b) नकद और बैंक शेष राशि/Cash and Bank Balances		**29,020,893**	20,638,007
ग/c) अन्य चालू आस्तियां/Other Current Assets		**439,654**	311,794
घ/d) ऋण और अग्रिम/Loans and Advances		**1,561,780**	1,181,269
		32,511,958	23,616,020
घटाएं: चालू देयताएं और प्रावधान/Less: Current Liabilities & Provisions	5		
क/a) चालू देयताएं/Current Liabilities		**1,252,014**	946,123
ख/b) प्रावधान/Provisions		**725,883**	485,095
		1,977,897	1,431,218
निवल चालू आस्तियां/Net Current Assets		**30,534,060**	22,184,801
कुल/TOTAL		**31,068,520**	22,785,385
लेखा संबंधी टिप्पणियां/Notes on Accounts	10		
इसमें उल्लिखित अनुसूचियां तुलन पत्र का अभिन्न भाग है। Schedules referred to herein forms an integral part of Balance Sheet			

कृते सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड/For Syndbank Services Ltd.

ह/Sd/
(बसंत सेठ/Basant Seth)
अध्यक्ष/Chairman

ह/Sd/
(वी. के. नागर/V. K. Nagar)
उपाध्यक्ष/Vice Chairman

ह/Sd/
(आइ. विजय कुमार/I. Vijay Kumar)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(टी. मुरलीधरन/T. Muralidharan)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(जी. ए. शेणै/G. A. Shenai)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(डी. के. कुंडू/D. K. Kundu)
प्रबंध निदेशक/Managing Director

तारीख/Date : 20-04-2011
स्थान/Place : बेंगलूर/Bangalore

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते शब्बीर और गणेश
सनदी लेखाकार – एफ.आर.एन.: 009033S
As per our report of even date
For SHABBIR AND GANESH
Chartered Accountants
FRN: 009033S

ह/Sd/
(सीए गणेश वाइ./CA Ganesh Y.)
साझेदार, सदस्यता सं./Partner, M. No. 207231

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेट बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of Syndicate Bank)

दि. 31-03-2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31-03-2011

(रकम रुपयों में/Amount in ₹)

ब्यौरे/Particulars	अ. सं. Sch. No.	**2010-11**	2009-10
I. **आय/INCOME:**			
सेवा राजस्व/Service Revenue	6	**23,737,217**	23,676,201
अन्य आय/Other Income	7	**1,643,898**	1,291,960
कुल/Total		**25,381,115**	24,968,161
II. **व्यय/EXPENDITURE :**			
वेतन और भत्ते/Salary & Allowances	8	**7,931,111**	5,058,266
परिचालन व्यय/Operational Expenses	9	**4,948,520**	5,467,855
मूल्यह्रास/Depreciation	3	**114,887**	159,222
कुल/Total		**12,994,518**	10,685,343
कर से पहले लाभ/Profit Before Tax		**12,386,597**	14,282,818
कराधान के लिए प्रावधान/Provision for taxation			
– चालू कर/Current Tax		**4,122,648**	4,874,041
– आस्थगित कर/Deferred Tax		**(19,186)**	(34,969)
कर के बाद लाभ/Profit After Tax		**8,283,135**	9,443,746
पिछले वर्ष से आगे लाया गया लाभ/Profit brought forward from Previous Year		**14,841,010**	6,341,639
विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ/Profit Available for Appropriation		**23,124,145**	15,785,385
विनियोजन/Appropriations			
सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण/Transfer to General Reserve		**828,314**	944,375
तुलन पत्र को अग्रेनीत शेष राशि/Balance carried to Balance Sheet		**22,295,831**	14,841,010
ईपीएस–मूल और ह्रासमान (अंकित मूल्य ₹ 10/-) EPS - Basic and Diluted (Face Value of ₹ 10/-)		**33.13**	37.77
लेखा संबंधी टिप्पणियां/Notes to Accounts	10		
उसमें उल्लिखित अनुसूचियां, लाभ व हानी लेखे का भाग बनती हैं Schedules referred to herein forms an integral part of Profit and Loss Account			

कृते सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड/For Syndbank Services Ltd.

ह/Sd/
(बसंत सेठ/Basant Seth)
अध्यक्ष/Chairman

ह/Sd/
(वी. के. नागर/V. K. Nagar)
उपाध्यक्ष/Vice Chairman

ह/Sd/
(आइ. विजय कुमार/I. Vijay Kumar)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(टी. मुरलीधरन/T. Muralidharan)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(जी. ए. शेणै/G. A. Shenai)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(डी. के. कुंडू/D. K. Kundu)
प्रबंध निदेशक/Managing Director

तारीख/Date : 20-04-2011
स्थान/Place : बेंगलूर/Bangalore

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते शब्बीर और गणेश
सनदी लेखाकार – एफ.आर.एन.: 009033S
As per our report of even date
For SHABBIR AND GANESH
Chartered Accountants
FRN: 009033S

ह/Sd/
(सीए गणेश वाइ./CA Ganesh Y.)
साझेदार, सदस्यता सं./ Partner, M. No. 207231

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेट बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of Syndicate Bank)

अनुसूचियां जो तुलन पत्र का भाग बनती हैं

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(रकम रुपयों में/Amount in ₹)

ब्यौरे/Particulars		As at दि. 31-03-2011 को	As at दि. 31-03-2010 को
अनुसूची सं. 1 – Schedule No. 1: शेयर पूंजी/SHARE CAPITAL			
प्राधिकृत/Authorised :			
1,00,00,000 ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10/1,00,00,000 Equity Shares of ₹10 each			
(पी.वाइ. 1,00,00,000 ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10/P.Y. 1,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10 each)		**100,000,000**	100,000,000
निर्गत, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी/Issued, subscribed and paid up Capital			
2,50,000 ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10 पूर्णतया प्रदत्त/2,50,000 Equity Shares of ₹ 10 each fully paid			
(पी.वाइ. 250,000 ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10 पूर्णतया प्रदत्त			
P.Y. 250,000 Equity Shares of ₹ 10 each fully paid)			
उपर्युक्त सभी शेयर सिंडिकेट बैंक द्वारा धारित है/All the above shares are held by SyndicateBank		**2,500,000**	2,500,000
कुल/Total		**2,500,000**	2,500,000
अनुसूची सं. 2 – Schedule No. 2 : आरक्षित निधि और अधिशेष/Reserves & Surplus			
सामान्य आरक्षित निधि/General Reserve:			
प्रारंभिक शेष राशि/Opening balance		**5,444,375**	4,500,000
लाभ व हानि लेखे से अंतरित/Transfer from Profit and Loss Account		**828,314**	944,375
कुल/Total		**6,272,689**	5,444,375
अधिशेष/Surplus			
लाभ व हानि लेखा/Balance in Profit and Loss Account		**22,295,831**	14,841,010
		28,568,520	20,285,385
अनुसूची सं. 4 – Schedule No. 4			
चालू आस्तियाँ, ऋण और अग्रिम/CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES			
(बेजमानती, शोध्य समझे गए और छह महीने से कम अवधि)			
(Unsecured, considered good and less than six months)			
क/a) विविध देनदार/Sundry Debtors			
सिंडिकेट बैंक/Syndicate Bank		**1,463,729**	1,484,950
अन्य/Others		**25,902**	–
कुल/Total	A	**1,489,631**	1,484,950
ख/b) नकदी और बैंक शेषराशि/Cash and Bank Balances			
हाथ में नकदी/Cash in Hand		–	–
अनुसूचित बैंकों के पास शेषराशि/Balances with Scheduled Banks:			
सावधि जमाराशि में/In Term Deposit		**27,500,000**	20,000,000
चालू खाते में – सिंडिकेट बैंक – चालू खाता – CA 11687 In Current A/c - SyndicateBank – CA 11687		**1,520,893**	638,007
कुल/Total	B	**29,020,893**	20,638,007
ग/c) अन्य चालू आस्तियां /Other Current Assets			
जमाराशियों पर उपचित ब्याज/Interest Accrued on Deposits		**436,781**	311,794
प्राप्य सेनवैट जमा/Cenvat Credit Receivables		**2,873**	–
कुल/Total	C	**439,654**	311,794
B. **ऋण और अग्रिम/LOANS AND ADVANCES**			
घ/d) ऋण और अग्रिम (बेजमानती, शोध्य समझे गए) Loans & Advances (Unsecured, Considered good)			
नकदी में या वस्तु के रूप में वसूली योग्य या मूल्य के लिए प्राप्त होनेवाले अग्रिम Advances recoverable in cash or in kind or for value to be received			
कर्मचारियों का त्योहार अग्रिम/Staff Festival Advance		**231,050**	176,280
दूरभाष जमाराशि/Telephone deposit		**2,000**	3,000
कर्मचारी आवास जमा/Staff House Deposit		**58,500**	–
पूर्वदत्त ए.एम.सी. प्रभार/Prepaid AMC Charges		**3,220**	8,691
अग्रिम आय कर/टी.डी.एस.– प्रावधान घटाकर/Advance Income Tax/TDS-Net of Provisions		**1,267,010**	993,298
कुल/Total	D	**1,561,780**	1,181,269

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेट बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of Syndicate Bank)

(रकम रुपयों में/Amount in ₹)

अनुसूची सं. 3 – Schedule No. 3 : अचल आस्तियाँ और मूल्यह्रास/Fixed Assets and Depreciation

ब्यौरे/Particulars	सकल खण्ड/Gross Block			मूल्यह्रास खण्ड/Depreciation Block					निवल खण्ड/Net Block	
	दि. 01-04-2010 को शेष राशि Balance as on 01-04-2010	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the Year	**दि. 31-03-2011 को शेष राशि Balance as on 31-03-2011**	दि. 01-04-2010 को प्रारंभिक शेष Opening Balance as on 01-04-2010	मूल्यह्रास की दर Depn. Rate (%)	वर्ष के लिए परिवर्धन Additions for the Year	वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions for the Year	दि. 31-03-2011 को शेष राशि Balance as on 31-03-2011	दि. 31-03-2010 को मूल्यह्रसित मूल्य WDV as on 31-03-2010	**दि. 31-03-2011 को मूल्यह्रासित मूल्य WDV as on 31-03-2011**
मूर्त आस्तियाँ: Tangible assets: फर्नीचर/Furniture	87,214	–	**87,214**	42,808	18.10%	8,037	–	50,845	44,406	**36,369**
विद्युत जुडनार Electrical fittings	23,000	1,450	**24,450**	10,366	13.91%	3,207	–	13,573	12,634	**10,877**
कंप्यूटर और पेरिफरल्स Computer & Peripherals	639,612	28,127	**667,739**	502,992	40.00%	61,211	–	564,203	136,620	**103,536**
मोबाइल फोन्स Mobile Phones	9,900	–	**9,900**	3,597	13.91%	877	–	4,474	6,303	**5,426**
वैक्यूम क्लीनर Vacuum Cleaner	7,790	–	**7,790**	722	13.91%	983	–	1,705	7,068	**6,085**
मोटर कार/Motor car	519,870	–	**519,870**	363,161	25.89%	40,572	–	403,733	156,709	**116,137**
कुल/Total	**1,287,386**	**29,577**	**1,316,963**	**923,646**		**114,887**	–	**1,038,533**	**363,740**	**278,430**
पिछले वर्ष Previous Year	1,266,896	20,490	**1,287,386**	767,867		159,222	3,443	923,646	499,029	**363,740**

स्थान/Place : बेंगलूर/Bangalore
तारीख/Date : 20-04-2011

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेट बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of Syndicate Bank)

अनुसूचियां जो तुलन पत्र का भाग बनती हैं

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(रकम रुपयों में/Amount in ₹)

ब्यौरे/Particulars		As at दि. 31-03-2011 को	As at दि. 31-03-2010 को
अनुसूची सं. 5 – Schedule No. 5 : चालू देयताएं और प्रावधान/CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS			
क/a) **चालू देयताएं/Current Liabilities**			
व्ययों के लिए लेनदार/Creditors for Expenses			
समाचार पत्र/News papers		**1,292**	1,200
वाहन व्यय/Conveyance		**7,975**	5,230
भोजन भत्ते/Lunch Allowances		**2,800**	2,000
मनोरंजन/Entertainment		**8,125**	6,650
मोटर कार का रख–रखाव/Motor car maintenance		**17,600**	10,575
कर्मचारी क्वार्टर्स की सफाई पर व्यय/Staff Quarter's Cleaning Expenses		**1,550**	2,400
कर्मचारी क्वार्टर्स किराया/Staff Quarter's Rent		**10,100**	–
एस.एम.एस. प्रभार/SMS charges		**1,200**	–
दूरभाष व्यय/Telephone expenses		**7,800**	10,000
व्यावसायिक प्रभार/Professional charges		**5,515**	10,500
मुद्रण और लेखन सामग्री/Printing & Stationery		**–**	1,100
आंतरिक लेखा परीक्षा का शुल्क/Internal Audit Fees		**16,545**	16,545
लेखा परीक्षा व्यय/Audit Expenses		**9,000**	11,000
देय सेवा कर/Service tax payable		**141,671**	141,228
देय टी.डी.एस./TDS Payable		**42,200**	22,100
देय कर लेखा परीक्षा शुल्क/Tax Audit fees payable		**22,060**	16,545
देय लेखा परीक्षा शुल्क/Audit Fees Payable		**22,060**	16,545
सिंडिकेट बैंक – (भविष्य निधि और पेंशन निधि अंशदान के लिए) Syndicate Bank – (For PF & Pension fund contribution)		**934,521**	672,505
कुल चालू देयताएं/Total Current Liabilities:	**क/A**	**1,252,014**	946,123
ख/b) **प्रावधान/Provisions**			
उपदान के लिए प्रावधान/Provision for Gratuity		**542,327**	357,083
सा.छु. के नकदीकरण के लिए प्रावधान/Provision for PL Encashment		**183,556**	128,012
कुल प्रावधान/Total Provisions:	**ख/B**	**725,883**	485,095
कुल/Total	**क/A +ख/B**	**1,977,897**	1,431,218

अनुसूचियाँ जो लाभ व हानि लेखे का भाग बनती हैं

SCHEDULES FORMING PART OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(रकम रुपयों में/Amount in ₹)

ब्यौरे/Particulars	2010 – 11	2009 – 10
अनुसूची सं. 6 – Schedule No. 6 : सेवा राजस्व/SERVICE REVENUE		
हार्डवेयर परीक्षण प्रभार/Hardware Testing Charges	**2,674,110**	1,128,365
अनियमित रिटेल ऋणों की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सेवा प्रभार Service Charges for follow-up of Irregular Retail Loans	**14,645,660**	14,864,537
मेलर प्रेषण राजस्व/Mailer Dispatch Revenue	**2,612,602**	586,755
कार्ड वैयक्तीकरण आय/Card Personalisation Income	**3,064,402**	6,746,186
क्रेडिट कार्ड की अनुवर्ती कार्रवाई से प्राप्त आय/Credit Card Follow up Income	**224,738**	131,398
ई–फाइलिंग से प्राप्त आय/E-filing Income	**89,566**	1,200
सर्वेक्षण और सत्यापन से प्राप्त आय/Survey and Verification Income	**–**	100,000
सी.एम.एस.–एस.एम.एस. से प्राप्त आय/CMS-SMS Income	**32,906**	117,760
कर्नाटक राज्य पेंशन डाटाबेस निर्माण से प्राप्त आय/Karnataka State Pensions Database Buildup Income	**240,000**	–
प्रथमा बैंक निष्क्रिय लेखा रख–रखाव से प्राप्त आय/Prathama Bank Dormant A/c Maintenance Income	**57,437**	–
विविध सेवा से प्राप्त आय/Miscellaneous Service Income	**95,796**	–
कुल/Total	**23,737,217**	23,676,201

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेट बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of Syndicate Bank)

अनुसूचियाँ जो लाभ व हानि लेखे का भाग बनती हैं

SCHEDULES FORMING PART OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(रकम रुपयों में/Amount in ₹)

ब्यौरे/Particulars	As at दि. 31-03-2011 को	As at दि. 31-03-2010 को
अनुसूची सं. 7 – Schedule No. 7: अन्य आय/OTHER INCOME		
बैंक ब्याज (टीडीएस : ₹ 163928/- (गत वर्ष ₹ 137345/-)	**1,639,279**	1,291,710
Bank Interest (TDS : ₹ 163928/- (P Y: ₹ 137345/-)		
विविध आय/Miscellaneous Income	**4,619**	250
कुल/Total	**1,643,898**	1,291,960
अनुसूची सं. 8 – Schedule No. 8 : वेतन और भत्ते/SALARY AND ALLOWANCES		
कर्मचारियों का वेतन/Staff Salaries	**6,814,546**	4,139,886
पेंशन/भविष्य निधि और अन्य निधियों को अंशदान/Contribution to Pension/Provident & Other Funds	**262,016**	186,464
उपदान और छुट्टी का नकदीकरण/Gratuity & Leave Encashment	**240,788**	272,607
अन्य भत्ते और परिलब्धियां/Other Allowances & Perquisites	**613,761**	459,310
कुल/Total	**7,931,111**	5,058,266
अनुसूची सं. 9 – Schedule No. 9 : परिचालन संबंधी व्यय/OPERATIONAL EXPENSES		
कार्ड वैयक्तीकरण आय/Card Personalisation Expenses	**1,838,750**	4,121,576
क्रेडिट कार्ड अनुवर्ती कार्रवाई प्रभार/Credit Card Follow Up charges	**25,779**	14,105
ई. फाइलिंग प्रभार/E-Filing Charges	**846**	180
कर्नाटक पेंशन डाटाबेस निर्माण प्रभार/Karnataka Pension Database buildup charges	**5,932**	-
मेलर प्रेषण व्यय/Mailer Despatch Expense	**1,069,197**	-
प्रथमा बैंक निष्क्रिय लेखा रख–रखाव प्रभार/Prathama Dormant A/c Maintenance expense	**4,615**	-
खुदरा ऋण अनुवर्ती कार्रवाई व्यय /Retail Loan Follow up Expense	**703,253**	-
दूरभाष प्रभार और एस.एम.एस./Telephone Charges & SMS	**118,322**	182,141
पंजीकरण और नवीकरण/Registration & Renewals	**8,000**	15,595
फाइलिंग शुल्क/Filing Fees	**4,130**	4,718
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक/Auditor's Remuneration:		
• लेखा परीक्षा शुल्क/Audit Fees	**20,515**	16,545
• कर लेखा परीक्षा शुल्क/Tax Audit Fees	**20,515**	16,545
• लेखा परीक्षा व्यय/Audit Expenses	**17,152**	22,655
व्यावसायिक प्रभार अनुपालन और अन्य/Professional Charges for Compliance & Others	**18,368**	10,500
निदेशकों की बैठक का शुल्क/Director's Sitting Fees	**12,000**	15,000
यात्रा व्यय/Travelling Expenses	**26,384**	20,730
वाहन रख–रखाव व्यय/Vehicle Maintenance Expenses	**115,398**	91,096
कार बीमा/Car Insurance	**4,773**	6,065
वेबसाइट डेवलपमेंट प्रभार/Website Development Charges	**8,320**	36,930
मुद्रण और लेखन सामग्री/Printing and Stationery	**87,809**	86,168
विराम और वाहन व्यय/Halting & Conveyance	**149,634**	139,621
कार्यालय का किराया/Office Rent	**243,600**	243,600
आंकडा प्रविष्टि प्रभार/Data Entry Charges	**162,147**	198,732
कंप्यूटर का रख–रखाव/Computer Maintenance	**124,707**	47,745
विविध व्यय/Miscellaneous Expenses	**23,022**	37,425
आंतरिक लेखा परीक्षकों का शुल्क/Internal Auditor's Fees	**15,000**	16,545
विद्युत प्रभार/Electricity Charges	**36,000**	36,000
मनोरंजन व्यय/Entertainment Expenses	**2,843**	4,752
बट्टे खाते डाली गयी अचल संपत्तियां (मोबाइल)/Fixed Assets Written Off (Mobile)	**–**	2,757
डाक व्यय/Postal Charges	**72,052**	64,555
बैठक और सम्मेलन व्यय/Meeting and Conference Expenses	**9,457**	15,575
कुल/Total	**4,948,520**	5,467,855

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेट बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of Syndicate Bank)

अनुसूचियां जो तुलन पत्र का भाग बनती हैं

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

अनुसूची 10 – लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

1. **महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ**

क. वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

इस वित्तीय विवरण को प्रायोज्य अधिदेशात्मक लेखा मानकों तथा कंपनी अधिनियम 1956 के संगत उपबंधों के अनुसार उपचय आधार पर परंपरागत लागत के अंतर्गत तैयार किया गया है ।

ख. राजस्व की पहचान

i) कारोबार प्रक्रिया बाह्यनियोजन (बी.पी.ओ.) सेवाओं से प्राप्त राजस्व की पहचान, समय एवं सामग्री, निर्दिष्ट मूल्य और यूनिट मूल्य संविदाओं पर की गयी है । समय एवं सामग्री, यूनिट मूल्य संविदा से प्राप्त राजस्व की पहचान, प्रदान की गयी संगत सेवाओं के रूप में की गयी है । नियत कीमत संविदाओं से प्राप्त राजस्व की पहचान आनुपातिक समापन पद्धति तथा समापन के स्तर निर्धारित करने की संविदागत लागत के अनुसार की गयी है।

ii) सेवा की पहचान, सेवा कर घटाने के बाद की जाती है ।

iii) ब्याज आय की पहचान, बकाया राशि तथा लागू होनेवाली दर की गणना में लेकर समय अनुपात के आधार पर की गयी है ।

ग. अचल आस्तियाँ

अचल आस्तियों का मूल्यांकन संचित मूल्यह्रास को घटाने के बाद अभिग्रहण की परंपरागत लागत पर किया गया है ।

कंपनी अचल आस्तियों के अभिग्रहण से संबंधित सभी प्रत्यक्ष लागतों का पूंजीकरण करती है ।

घ. मूल्यह्रास

i) अचल संपत्ति पर मूल्यह्रास को, कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में दी गयी दरों और उसमें यथा निर्दिष्ट रीति के अनुसार अवलेखित मूल्य पद्धति पर प्रावधान किया गया है।

ii) आस्तियों में किए गए परिवर्धन पर मूल्यह्रास का प्रावधान उनके अभिगृहण की तारीख को प्रचलित दरों पर समानुपातिक आधार पर किया गया है।

ङ. आस्तियों की हानि

आस्तियों की रखाव राशि की समीक्षा प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को की जाती है । यदि किसी आंतरिक/बाहरी घटकों के आधार पर हानि का संकेत मिलता है तो, जब कभी आस्तियों की रखाव रकम उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो हानि की पहचान की जाती है। वसूली योग्य राशि, आस्तियों के निवल बिक्री मूल्य और प्रयुक्त मूल्य से अधिक है ।

च. कराधान

कर व्यय में, चालू और आस्थगित कर शामिल हैं ।

चालू कर का आंकन भारतीय आय कर अधिनियम के अनुसार कर प्राधिकारियों को भुगतान की जानेवाली रकम पर किया जाता है । आस्थगित आय करों की पहचान, आय के वित्तीय विवरण के निर्धारण तथा कर उद्देश्य हेतु उनकी पहचान करने के बीच के समय अंतर के लिए लगाए जाने वाले भावी कर के परिणामों के लिए की जाती है। कर की दरों में हुए परिवर्तन के कारण से आस्थगित कर आस्ति तथा देयताओं पर पड़नेवाले प्रभाव की पहचान, तुलन–पत्र की तारीख तक लागू कर की दरों और लागू किए गए या वास्तविक रूप से लागू किए गए कर संबंधी कानूनों का प्रयोग करते हुए आय लेखे में की गयी है । आस्थगित कर आस्तियों की केवल उस सीमा तक पहचान की गयी और आगे ले जाया गया है जिस पर यह यथोचित रूप से निश्चित हो कि पर्याप्त मात्रा में भावी कर योग्य आय उपलब्ध हो जिसके लिए ऐसी आस्थगित कर आस्तियाँ प्राप्त की जा सके ।

पिछले वर्ष की आस्थगित कर आस्तियों को उस सीमा तक पुनर्निर्धारित किया गया और पहचान की गयी जिस से भावी कर योग्य आय उपलब्ध है, जिसके प्रति आस्थगित कर आस्तियाँ प्राप्त हो सके ।

Schedule No. 10 – NOTES TO ACCOUNTS

1. **Significant Accounting Policies:**

A. Basis of Preparation of Financial Statements

The financial statements are prepared under the historical cost convention on accrual basis in accordance with the applicable mandatory Accounting Standards and the relevant provisions of the Companies Act, 1956.

B. Revenue Recognition

i) Revenue from Business Process Outsourcing (BPO) services are recognized on time and material, fixed price and unit priced contracts. Revenue on time and material, unit priced contracts is recognized as the related services are rendered. Revenue from fixed price contracts is recognized as per the proportionate completion method with contract cost determining the degree of Completion.

ii) Services are recognized net of Service Tax.

iii) Interest income is recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable.

C. Fixed Assets

Fixed Assets are stated at historical cost of acquisition less accumulated depreciation.

The company capitalizes all direct costs relating to the acquisition of the fixed assets.

D. Depreciation

i) Depreciation on fixed assets has been provided on Written Down Value method at the rates and in the manner prescribed in the Schedule XIV to the Companies Act, 1956.

ii) Depreciation on the additions to the assets is provided on pro-rata basis, at their respective rates with reference to the date of acquisition.

E. Impairment of Assets

The carrying amount of assets are reviewed at each Balance Sheet date. If there is any indication of impairment based on internal/external factors, an impairment is recognized whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use.

F. Taxation

Tax expense comprises of current and deferred tax.

Current tax is measured at the amount expected to be paid to the tax authorities in accordance with the Indian Income Tax Act. Deferred income taxes are recognized for the future tax consequences attributable to timing differences between the financial statement determination of income and their recognition for tax purposes. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in the tax rates are recognized in income using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date. Deferred tax assets are recognized and carried forward only to the extent that there is a reasonable certainty that sufficient future taxable incomes will be available against which such deferred tax assets can be realized.

Unrecognized deferred tax assets of earlier year are reassessed and recognized to the extent that future taxable income will be available against which deferred tax assets can be realized.

छ. खण्डवार रिपोर्टिंग

कंपनी, मुख्यतः सिंडिकेट बैंक को बाह्य नियोजन सेवा प्रदान करनेवाली कंपनी के रूप में कार्य कर रहा है। कंपनी, हार्डवेयर परीक्षण, रिटेल ऋण पर अनुवर्ती कार्रवाई, डाक प्रेषण, कार्ड वैयक्तीकरण सेवाएं, विभिन्न प्रकार के ग्राहक संबंधी आंकडों का संग्रहण तथा बैंकिंग परिचालनों से संबंधित अन्य सेवाएं प्रदान करती है ।

इन सभी सेवाओं में समान प्रकार की जोखिम और प्रतिलाभ शामिल हैं। इसलिए पहचान की गयी एक ही रिपोर्ट योग्य खण्ड है, यानी, सिंडिकेट बैंक को बाह्य नियोजन सेवा प्रदान करना । कोई रिपोर्ट योग्य भौगोलिक खण्ड नहीं है ।

ज. कर्मचारी लाभ

कंपनी के सभी कर्मचारी सिंडिकेट बैंक के स्थायी कर्मचारी है और वे प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं । सभी कर्मचारी लाभ-भविष्य निधि में सांविधिक अंशदान, पेंशन निधि, उपदान निधि और छुट्टी के नकदीकरण से संबंधित देयता का प्रावधान सिंडिकेट बैंक द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर किया गया है ।

झ. आकस्मिक देयताएं

कोई आकस्मिक देयताएं नहीं है ।

ञ. प्रावधान

प्रावधानों की पहचान तभी किया जाता है जब पिछले परिणामों के कारण से वर्तमान दायित्व शामिल होता है और यह संभव है कि उस दायित्व के निपटान हेतु संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसके लिए विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सके । प्रावधानों को उसके वर्तमान मूल्य पर बट्टा नहीं किया गया है और उसका निर्धारण तुलन-पत्र की तारीख को दायित्व के निपटान करने के लिए अपेक्षित प्रबंधन प्राक्कलन के आधार पर किया गया है । इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को की जाती है । मौजूदा प्रबंधन प्राक्कलन को दर्शाने के लिए उसका समायोजन किया जाता है ।

ट. प्राक्कलनों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी, सामान्यत: स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप की गयी है जो प्रबंधक वर्ग को उन प्राक्कलनों तथा पूर्वानुमानों के लिए अपेक्षित है जो वित्तीय विवरणों की तारीख तथा आलोच्य वर्ष के अंत में परिचालन संबंधी परिणामों को प्रभावित करता है । ये प्राक्कलन चालू परिणामों और कार्रवाइयों के संबंध में प्रबंधक वर्ग की सर्वोत्तम जानकारी पर आधारित होने के बावजूद वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकता है ।

ठ. प्रति शेयर अर्जन

मूल प्रतिशेयर अर्जन का परिकलन, उक्त अवधि के दौरान बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का प्रयोग करते हुए किया गया है । हटाया गया प्रति शेयर अर्जन का परिकलन, ईक्विटी की भारित औसत संख्या तथा उक्त अवधि के दौरान बकाया ह्रासमान ईक्विटी के बराबर शेयरों का प्रयोग करते हुए किया जाएगा, सिवाय उन मामलों में जहाँ परिणाम ह्रासमान हो ।

2. **निदेशकों को पारिश्रमिक**

G. Segment Reporting

The company operates as an outsourcing service provider mainly to Syndicate Bank. The company provides services of Hardware testing, Retail loan follow-up, Mailer dispatch, Card Personalisation services, creating various customer database and other services facilitating banking operations.

All these services have similar risk and returns. Thus, there is only one identified reportable segment that is outsourcing service to Syndicate bank. There is no reportable geographical segment either.

H. Employee Benefits

All the staff of the company are permanent employees of Syndicate Bank and are on deputation to the company. All the employee benefits - statutory contributions to Provident Fund, Pension Fund, Gratuity Fund and Liability towards Leave Encashment are provided based on information given by Syndicate Bank.

I. Contingent Liabilities

There are no contingent liabilities.

J. Provisions

Provisions are recognized when there is present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions are not discounted to its present value and are determined based on management estimate required to settle the obligation at the Balance Sheet date. These are reviewed at each Balance Sheet date and adjusted to reflect the current management estimates.

K. Use of Estimates

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities at the date of the financial statements and the results of operations during the reporting year end. Although these estimates are based upon management's best knowledge of current events and actions, actual results could differ from these estimates.

L. Earnings per Share

Basic earnings per share are computed using the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per share are computed using the weighted average number of equity and dilutive equity equivalent shares outstanding during the period except where the results would be anti-dilutive.

2. **Remuneration to Directors**

विवरण/Particulars	**31-03-2011**	31-03-2010
वेतन और अन्य नियत भत्ते/Salary & other fixed Allowances	**1,016,715**	544,621
सेवा निवृत्ति लाभ के प्रति अंशदान/Contribution for Retirement benefits	**47,388**	31,056
अनुलाभ और प्रतिपूर्तियां/Perquisites & Reimbursements	**124,641**	187,585
निदेशकों के बैठक शुल्क/Directors sitting fees	**12,000**	15,000
कुल/Total	**1,200,744**	778,262

3. **संगत पार्टि प्रकटीकरण/Related Party Disclosures:**

नियंत्रक कंपनी/Holding Company	सिंडिकेट बैंक/Syndicate Bank
प्रमुख प्रबंधक वर्ग के कर्मचारी Key Management Personnel	डी. के. कुंडू – प्रबंध निदेशक दि. 24-01-2011 से/D. K. Kundu – Managing Director from 24-01-2011 (आर. के. खुराना – प्रबंध निदेशक: वर्ष में कुछ अवधि के लिए – दि. 24-01-2011 तक) (R. K. Khurana – Managing Director; Part of the year – upto 24-01-2011)
नियंत्रक कंपनी की प्रायोजित संस्थाएं Sponsored Entities of Holding Company	• आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक/Andhra Pragathi Grameena Bank • गुडगाँव ग्रामीण बैंक/Gurgaon Grameena Bank • नार्थ मलबार ग्रामीण बैंक/North Malabar Grameena Bank • कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक/Karnataka Vikas Grameena Bank • प्रथमा बैंक/Prathama Bank

लेन–देन के ब्यौरे/Details of transactions	**नियंत्रक कंपनी Holding Company**		**प्रमुख प्रबंधक वर्ग के कर्मचारी Key Management Personnel**		**नियंत्रक कंपनी की प्रायोजित संस्थाएं Sponsored Entities of Holding Company**	
	31-03-11	31-03-10	**31-03-11**	31-03-10	**31-03-11**	31-03-10
सेवा प्रदान करना/Rendering of Services	**23,237,992**	23,229,301	**–**	–	**499,225.00**	379,100.00
पारिश्रमिक/Remuneration	–	–	**1,188,744**	763,262	–	–
ब्याज/Interest	**1,639,279**	1,291,710				
कार्यालय किराया और बिजली Office Rent & Lighting	**279,600**	279,600				
देय प्रेषण रकम/Amount payable	**934,521**	672,505				
प्राप्य रकम/Amount Receivable	**1,463,729**	1,484,950			26451.00	

4. अग्रिम आय कर में प्रावधान घटाया गया है ।/Advance Income Tax is net of Provisions.

5. **अनुसूची VI के भाग II खण्ड (3) (ii) (ग) के अनुसार परिमाणात्मक सूचना/Quantitative information pursuant to Clause(3)(ii)(c) of Part II of Schedule VI:**

विवरण/Particulars	**31-03-2011**		31-03-2010	
	यूनिटें/Units (Pieces)	**₹**	यूनिटें/Units (Pieces)	₹
हार्डवेयर परीक्षण प्रभार/Hardware testing charges	**5,465**	**2,674,110**	1,318	1,128,365
रिटेल ऋण की अनुवर्ती कार्रवाई (नोटिसें, एस.एम.एस., दूरभाष कॉल)/Retail loan follow up (Notices, SMS & Tele calls)	**2,254,360**	**14,870,398**	2,293,941	14,995,935
मेलर प्रेषण आय/Mailer Dispatch Revenue	**269,212**	**2,612,602**	130,390	586,755
कार्ड प्रेषण वैयक्तीकरण आय/Card Personalisation Income	**680,539**	**3,064,402**	1,117,096	6,746,186
कर्नाटक राज्य पेंशन डाटाबेस निर्माण से प्राप्त आय Karnataka State Pensions Database Buildup Income	**1,000**	**40,000**	–	–
प्रथमा बैंक निष्क्रिय लेखा रख–रखाव से प्राप्त आय Prathama Bank Dormant A/c Maintenance Income	**8,822**	**22,055**	–	–

6. विविध देनदार, ऋण और अग्रिम एवं विविध लेनदार के आंकडे पुष्टीकरण और समाधान के अधीन है ।
Sundry Debtors, Loans and Advances and Sundry Creditors are subject to confirmation and reconciliation.

7. निदेशक मंडल की राय में, सभी चालू आस्तियाँ, ऋण और अग्रिम पूर्णतया वसूली योग्य है ।
In the opinion of the board all the current assets, loans & advances are fully realisable.

8. **आस्थगित कर आस्ति में निम्नलिखित शामिल है/The deferred tax Asset comprises the following:**

विवरण/Particulars	**31-03-2011**	31-03-2010
आस्थगित कर आस्ति/Deferred Tax Asset		
अपलेखित प्रारंभिक व्यय/Preliminary Expenses w/off	**–**	60,681
उपदान और छुट्टी का नकदीकरण/Gratuity & Leave Encashment	**235,513**	161,136
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास/Depreciation of Fixed Assets	**20,517**	15,026
आस्थगित कर देयता/Deferred Tax Liability		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास/Depreciation of Fixed Assets	**–**	–
निवल आस्थगित कर आस्ति/Net Deferred Tax Asset	**256,030**	236,843

9. **प्रति शेयर अर्जन विवरण/Earnings per share**

विवरण/Particulars	**31-03-2011**	31-03-2010
ईक्विटी शेयरों का नाममात्र मूल्य/Nominal value of Equity Shares	**10.00**	10.00
कर के बाद लाभ/Profit After Tax	**8,283,135**	9,443,746
वर्ष के दौरान बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या/Weighted average number of Equity shares outstanding during the year	**250,000**	250,000
मूल और कम किए गए प्रति शेयर अर्जन/Basic and Diluted earnings per share	**33.13**	37.77

10. अत्यंत लघु, लघु और मध्यम उद्यमों की बकाया देय राशि: शून्य (पिछला वर्ष: शून्य)।/Outstanding dues to Micro, Small & Medium Enterprises: NIL (P.Y.: NIL).

11. जहाँ कहीं आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकडों का पुन: परिकलन, पुन: वर्गीकरण और पुन: श्रेणीकरण किया गया है।/The previous year's figures have been reworked, regrouped, rearranged and reclassified wherever necessary.

अनुसूची 1 से 10 लेखों का अभिन्न भाग बनती हैं।/Schedules 1 to 10 form an integral part of accounts

---

कृते सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड/For Syndbank Services Ltd.

ह/Sd/
(बसंत सेठ/Basant Seth)
अध्यक्ष/Chairman

ह/Sd/
(वी. के. नागर/V. K. Nagar)
उपाध्यक्ष/Vice Chairman

ह/Sd/
(आइ. विजय कुमार/I. Vijay Kumar)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(टी. मुरलीधरन/T. Muralidharan)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(जी. ए. शेणै/G. A. Shenai)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(डी. के. कुंडू/D. K. Kundu)
प्रबंध निदेशक/Managing Director

तारीख/Date : 20-04-2011
स्थान/Place : बेंगलूर/Bangalore

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते शब्बीर और गणेश
सनदी लेखाकार – एफ.आर.एन.: 009033S
As per our report of even date
For SHABBIR AND GANESH
Chartered Accountants
FRN: 009033S

ह/Sd/
(सीए गणेश वाइ./CA Ganesh Y.)
साझेदार, सदस्यता सं./Partner, M. No. 207231

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेट बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of Syndicate Bank)

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग IV के अनुसार विवरण

Statement Pursuant to Part IV of Schedule VI of the Companies Act, 1956

(रकम रुपयों में/Amount in ₹)

I.	**पंजीकरण के ब्यौरे/Registration details**	यू/U72300 के ए/KA2006 ओकेसीओ/OKCO38305		
	राज्य कूट/State Code	08		
	तुलन पत्र की तारीख/Balance Sheet Date :	31-03-2011		
II.	**वर्ष के दौरान जुटाई गई पूँजी/Capital raised during the year**			
	सार्वजनिक निर्गम/Public Issue	0.00	अधिकार निर्गम/Right Issue	0.00
	बोनस निर्गम/Bonus Issue	0.00	निजी तौर पर शेयर आबंटन/Private Placement	0.00
III.	**निधियों का संग्रहण और विनियोजन की स्थिति Position of Mobilisation and Deployment of Funds**			
	कुल देयताएँ/Total Liabilities	31,068.52	कुल आस्तियाँ/Total Assets	31,068.52
	निधियों का स्रोत/Sources of Funds :			
	प्रदत्त पूँजी/Paid up Capital	2,500.00	आरक्षित निधि और अधिशेष/Reserves & Surplus	28,568.52
	जमानती ऋण/Secured Loans	0.00	बेजमानती ऋण/Unsecured Loans	0.00
	निधियों का अनुप्रयोग/Application of Funds :			
	निवल अचल आस्तियाँ/Net Fixed Assets	278.43	निवेश/Investments	0.00
	विविध व्यय/Misc. Expenditure	0.00	संचित हानि/Accumulated losses	0.00
	निवल चालू आस्तियाँ/Net Current Assets	30,534.06	आस्थगित कर आस्ति/Deferred tax Asset	256.03
IV.	**कंपनी का निष्पादन/Performance of the Company**			
	आय/Income	25,381.12	व्यय/Expenditure	12,994.52
	कर से पहले लाभ/Profit before Tax	12,386.60	कर के बाद लाभ/Profit after Tax	8,283.14
	प्रति शेयर अर्जन (रुपये में)/Earnings per share ₹	33.13	लाभांश की दर/Dividend rate %	0.00
V.	**कंपनी के तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं के सामान्य नाम Generic names of three principal products/ services of the company**			
	मद कूट सं (आइ.टी.सी. कूट)/Item Code No. (ITC Code)	लागू नहीं/N A		
	उत्पाद के ब्यौरे/Product description	सेवाएँ/Services		

कृते सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड/For Syndbank Services Ltd.

ह/Sd/
(बसंत सेठ/Basant Seth)
अध्यक्ष/Chairman

ह/Sd/
(वी. के. नागर/V. K. Nagar)
उपाध्यक्ष/Vice Chairman

ह/Sd/
(आइ. विजय कुमार/I. Vijay Kumar)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(टी. मुरलीधरन/T. Muralidharan)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(जी. ए. शेणै/G. A. Shenai)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(डी. के. कुंडू/D. K. Kundu)
प्रबंध निदेशक/Managing Director

तारीख/Date : 20-04-2011
स्थान/Place : बेंगलूर/Bangalore

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेट बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of Syndicate Bank)

दि. 31-03-2011 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31-03-2011

(रकम रुपयों में/Amount in ₹)

ब्यौरे/Particulars	**2010 – 11**	2009 – 10
परिचालन क्रियाकलापों से नकदी उपलब्धता/CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
कराधान से पहले निवल लाभ और असाधारण मदें	**12,386,597**	14,282,818
Net Profit before tax & extraordinary items:		
समायोजन:/Adjustment for :		
मूल्यह्रास/Depreciation	**114,887**	159,222
बट्टे खाते डाली गयी अचल संपत्तियां/Fixed Assets Written Off	**–**	2,757
उपदान के लिए प्रावधान/Gratuity Provision	**185,244**	151,141
सा.छु. के नकदीकरण हेतु प्रावधान/PL Encashment Provision	**55,544**	121,466
ब्याज आय/Interest Income	**(1,639,279)**	(1,291,710)
कार्यशील पूंजी के परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ/Operating Profit Before Working Capital Changes	**11,102,993**	13,425,694
विविध देनदार/Sundry Debtors	**(4,681)**	63,395
अन्य चालू आस्तियां/Other Current Assets	**(127,860)**	(22,567)
ऋण और अग्रिम/Loans & Advances	**(106,800)**	339,978
चालू देयताएं/Current Liabilities	**305,891**	224,269
परिचालन से सृजित नकद/Cash Generated from Operations	**11,169,544**	14,030,769
प्रदत्त कर (आय कर और एफ.बी.टी.)/Taxes paid (Income Tax and FBT)	**(4,396,361)**	(5,871,226)
असाधारण मदों के पहले नकदी प्रवाह/Cash Flow Before Extraordinary Items	**6,773,183**	8,159,543
असाधारण मदें/Extraordinary Items	**–**	–
परिचालन क्रियाकलापों से निवल नकद/Net Cash from Operating Activities	**6,773,183**	8,159,543
निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह/Cash Flow From Investing Activities		
अचल आस्तियों की खरीद/Purchase of Fixed Assets	**(29,577)**	(26,690)
प्राप्त ब्याज/Interest Received	**1,639,279**	1,291,710
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकद/Net Cash from Investing Activities	**1,609,702**	1,265,020
वित्तीयन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह/Cash Flow from Financing Activities		
सावधि जमाराशि की जमानत पर ऋण/Loan Against FD	**–**	100,000
चुकाये गए ऋण/Loan Repaid	**–**	(100,000)
शेयर पूंजी जारी करने से प्राप्त आगम राशि/Proceeds from Issuance of Share Capital	**–**	–
वित्तीयन कार्यकलापो से प्राप्त निवल नकद/Net Cash from Financing Activities	**–**	–
नकद और नकदी स्वरूप की आस्तियों में निवल वृद्धि/Net Increase In Cash & Cash Equivalents	**8,382,886**	9,424,564
वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी के समतुल्य मदें	**20,638,007**	11,213,444
Cash & Cash Equivalents at the beginning of the year		
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी के समतुल्य मदें/Cash & Cash Equivalents at the end of the year	**29,020,893**	20,638,007
नोट: नकदी प्रवाह विवरण को नकदी प्रवाह विवरणों से संबंधित लेखाकरण मानक – 3 में निर्धारित ''परोक्ष पद्धति'' के अंतर्गत तैयार किया गया है, जो कंपनी अधिनियम 1956 कि धारा 211 कि उप–धारा (3ग) के अंतर्गत अधिसूचित है। **Note:** The Cash Flow Statement has been prepared under the "Indirect Method" as set out in Accounting Standard-3 on Cash Flow Statements, notified under sub-section (3C) of Section 211 of the Companies Act, 1956.		

कृते सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड/For Syndbank Services Ltd.

ह/Sd/
(बसंत सेठ/Basant Seth)
अध्यक्ष/Chairman

ह/Sd/
(वी. के. नागर/V. K. Nagar)
उपाध्यक्ष/Vice Chairman

ह/Sd/
(आइ. विजय कुमार/I. Vijay Kumar)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(टी. मुरलीधरन/T. Muralidharan)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(जी. ए. शेणै/G. A. Shenai)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(डी. के. कुंडू/D. K. Kundu)
प्रबंध निदेशक/Managing Director

तारीख/Date : 20-04-2011
स्थान/Place : बेंगलूर/Bangalore

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते शब्बीर और गणेश
सनदी लेखाकार – एफ.आर.एन.: 009033S
As per our report of even date
For SHABBIR AND GANESH
Chartered Accountants
FRN: 009033S

ह/Sd/
(सीए गणेश वाइ./CA Ganesh Y.)
साझेदार, सदस्यता सं./Partner, M. No. 207231

सिंडिकेटबैंक
SyndicateBank
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

प्रिय शेयरधारक,

विषय: ई.सी.एस. (जमा) के माध्यम से लाभांश का भुगतान/खाते में सीधा जमा।

1. कभी-कभी शेयरधारकों को डाक के जरिए वारंटों के प्रेषण द्वारा लाभांश के भुगतान की मौजूदा प्रणाली के अधीन निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
   क) प्रेषण में हानि
   ख) तृतीय पक्ष द्वारा कपटपूर्ण भुनाई
   ग) डाक में देरी
2. इन समस्याओं से बचने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने लाभांशों/ब्याज इत्यादि के भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ई सी एस) की शुरूआत की है, जो शेयरधारकों के लिए उनके बैंक खातों में लाभांशों की समयोचित सीधे जमा सुनिश्चित करता है।
3. आगे, भारतीय प्रतिभूति और एक्स्चेंज बोर्ड (सेबी) ने निदेश दिया है कि लाभांशों के वितरण के लिए ईसीएस सुविधा अनिवार्य है।
4. ई सी एस के अधीन शेयरधारक सदस्य के बैंक खाते में लाभांश की रकम जमा की जाएगी। भुगतान का अनुदेश शाखा के जरिए इलेक्ट्रानिक रूप से समाशोधन प्राधिकारी (भारतीय रिजर्व बैंक) को जारी किया जाएगा तथा समाशोधन प्राधिकारी उस शाखा को जमा सूचना प्रेषित करेगा जहाँ शेयरधारक सदस्य ने अपना खाता रखा है । संबंधित शाखा खाते में रकम जमा करेगी तथा जमा प्रविष्टि को पासबुक/ खाता विवरण में ई सी एस के रूप में सूचित करेगी। इस व्यवहार को कार्यान्वित करने के बाद बैंक शेयरधारक सदस्य को सीधे एक सूचना पत्र जारी करेगा।
5. संप्रति, यह सुविधा कुछ विशिष्ट केन्द्रों में स्थित बैंकों में खाता रखनेवाले शेयरधारकों को उपलब्ध है और भा.रि.बैं. इस सुविधा को अन्य केन्द्रों में भी शुरू करनेवाला है। विशेष रूप से ई सी एस सुविधा प्राप्त करने के लिए, शेयरधारक सदस्य के लिए नया बैंक खाता खोलना आवश्यक नहीं है। क्योंकि शेयरधारक सदस्य के किसी भी मौजूदा बैंक खाते में रकम जमा की जाएगी।
6. **हमने लाभांशों के भुगतान के लिए यह सुविधा शुरू की है और आप से अनुरोध करते हैं कि आप अपने स्वयं के हित में यह सुविधा उपलब्ध करें। कृपया यह नोट करें कि यह केवल भुगतान का एक अतिरिक्त प्रकार है और यह वैकल्पिक है।**
7. कृपया नोट करें कि यदि आपने बैंक विवरण का कोई अधिदेश, निर्देश, वारंटों के अग्रभाग पर मुद्रित कराने हेतु पहले प्रस्तुत किया है तो उसे निरस्त समझा जाएगा और ई सी एस अधिदेश दर्ज किया जाएगा यदि आपने ई सी एस के लिए विकल्प दिया है।
8. **हम एतद्द्वारा एक ई सी एस अधिदेश फार्म संलग्न कर रहे हैं और आपसे अनुरोध है कि अपने बैंक खाते का पूरा ब्यौरा उसमें प्रस्तुत करें जहाँ लाभांश की रकम जमा की जानी है। अधिदेश फार्म में दी जाने वाली सूचना सही, पूर्ण होनी चाहिए और बेहतर होगा यदि वह आपके बैंक द्वारा प्रमाणित की गई हो (अनिवार्य नहीं)। कृपया अपने बैंक द्वारा जारी एक चेक की फोटो प्रति या रद्द किया गया कोरा चेक संलग्न करें ताकि चेक के निचले हिस्से में सूचित एम आई सी आर कूट पंक्ति (कोड लाईन) की यथातथ्यता सत्यापित की जा सके।**
9. **सिंडिकेट बैंक की सभी शाखाएं सी.बी.एस. (कोर बैंकिंग सोल्यूशन) परिवेश में कार्य कर रहीं है । हमारे पास बचत बैंक/चालू खाता/ओवरड्राफ्ट खाता रखने वाले निवेशकों से अनुरोध है कि वे संलग्न बैंक अधिदेश में अपनी 14 अकों वाली खाता संख्या प्रस्तुत करें ताकि लाभांश को सीधे उनके खाते में जमा किया जा सके।**
10. कृपया ई सी एस फार्म को विधिवत भर कर सीधे हमारे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजंट अर्थात **मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड,** यूनिट: सिंडिकेटबैंक, प्लॉट सं. 17 से 24, विट्ठलराव नगर, माधापुर, हैदराबाद – 500 081 को अग्रेषित करें।
11. आपके द्वारा दी गई सूचना गुप्त रखी जाएगी और केवल भविष्य में लाभांश वारंटों पर कार्रवाई के उद्देश्य से ही इस सूचना का उपयोग किया जाएगा।

भवदीय,
रवि
(आर. रवि)
कंपनी सचिव

दिनांक: 27-05-2011

Dear Shareholder,

Sub.: Payment of Dividend through ECS (Credit) /Direct Credit to the account.

1. At times, the Shareholders may face the following problems under the present system of payment of dividend by mailing of warrants, through post.
   a) Loss in transit
   b) Fraudulent encashment by third parties
   c) Postal delay
2. To avoid these problems, the Reserve Bank of India has introduced the Electronic Clearing Service (ECS) for payment of dividend/ interest etc. that ensures the shareholders timely credit of dividends directly into their Bank Account.
3. Further, the Securities & Exchange Board of India (SEBI) has directed that the use of ECS facility for distribution of dividend is mandatory.
4. Under ECS, the Bank Account of the Shareholder member would be credited with the dividend amount. Payment instructions would be issued electronically through the branch to the Clearing Authority (RBI) and the Clearing Authority would supply credit reports to the branch at which the shareholder member maintains the account. The concerned branch will credit the amount to the account and indicates the credit entry as ECS in the Pass Book / Statement of Account. The Bank would be issuing an advice directly to the shareholder member after the transaction is effected.
5. This facility is presently available to shareholders having Bank Account with all Banks at certain specified centres and RBI is proposing to extend this facility to other centres as well. The shareholder member need not open any new Bank Account specially for availing ECS facility, as credit will be given to any existing Bank Account of the shareholder member.
6. **This facility has been introduced for payment of Dividends and we would request you to avail this facility in your own interest. Please note that this is only an additional mode of payment and is optional.**
7. Kindly note that if any mandate instructions of Bank particulars for printing on the face of warrants have been furnished earlier by you, the same will stand cancelled and the ECS mandate will be taken on record, in case you opt for ECS.
8. **The 'ECS Mandate Form' is annexed and we request you to furnish the details of your Bank Account, where the dividend is to be credited. The information to be supplied in the Mandate should be accurate, complete and it would be better (not compulsory) if certified by your Bank. Please attach a photocopy of a cheque or a blank cancelled cheque issued by your Bank for verifying the accuracy of the MICR Code Line indicated at the bottom of the cheque.**
9. **All the branches of Syndicate Bank are operating under CBS (Core Banking Solutions) environment. The investors maintaining their Savings Bank/ Current/ Overdraft accounts with us are requested to provide us their 14 digit account number in the Bank Mandate (annexed) for DIRECT CREDIT of dividend to their accounts.**
10. Kindly send the ECS Form/ Bank Mandate duly filled, directly to our Registrars and Share Transfer Agents viz. **M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd. UNIT: Syndicate Bank,** Plot No. 17 to 24, Vithal Rao Nagar, Madhapur, Hyderabad – 500 081.
11. The information provided by you will be kept confidential and would be utilised only for the purpose of remitting the future dividend payments.

Yours faithfully,

(R. RAVI)
COMPANY SECRETARY

Date: 27-05-2011

सिंडिकेटबैंक
SyndicateBank
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (क्रेडिट)
ईक्विटी शेयरों पर लाभांश के भुगतान के लिए ई सी एस अधिदेश फार्म
ELECTRONIC CLEARING SERVICE (CREDIT)
ECS MANDATE FORM FOR PAYMENT OF DIVIDEND ON EQUITY SHARES

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
यूनिट : सिंडिकेट बैंक
प्लॉट सं. 17 से 24
विट्ठलराव नगर, माधापुर
हैदराबाद – 500 081

M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd.
Unit : SyndicateBank
Plot No. 17 to 24
Vithalrao Nagar, Madhapur
Hyderabad – 500 081

1. प्रथम शेयरधारक का नाम (बड़े अक्षरों में)
   First Shareholder's Name (IN BLOCK LETTERS) :

2. पता/Address :

3. शेयरधारक की फोलियो संख्या/Shareholder's Folio No. :

4. बैंक खाते का विवरण/Particulars of Bank Account :

   क) बैंक का नाम
   A) Bank Name :

   ख) शाखा का नाम तथा शहर (पिन कूट)
   B) Branch Name & City (Pin Code) :

   ग) खाता संख्या (चेक बुक पर जो लिखा गया है)
   C) Account No. (as appearing on the cheque book) :

   घ) खाते का प्रकार (कृपया सही का निशान लगाएं)
   D) Account Type (Please tick) : ब.बैं. SB ☐ चालू Current ☐ नकदी उधार Cash Credit ☐

   (बचत बैंक खाता, चालू खाता या नकदी उधार)
   (SB Account, Current A/c or Cash Credit) :

   ङ) बैंक खाते का खाता बही पन्ना (यदि चेक बुक पर दिया गया है)
   E) Ledger Folio No. of the Bank A/c
   (If appearing on the Cheque Book) :

   च) बैंक द्वारा जारी किये गए एम आई सी आर चेक पर दिया हुआ बैंक तथा शाखा की 9 अंकवाली कूट संख्या
   F) 9-Digit Code No. of the Bank & Branch appearing on the MICR Cheque issued by the Bank : ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

कूट संख्याओं की शुद्धता सत्यापित करने के लिए कृपया अपने बैंक द्वारा जारी किए गए अपने उपर्युक्त खाते से संबंधित चेक पन्ने की एक फोटोप्रति या एक कोरा निरस्त चेक संलग्न करें ।

Please attach a photocopy of the 'Cheque Leaf' or a blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your above account for verifying the accuracy of the code numbers.

घोषणा DECLARATION

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण पूर्ण एवं सही हैं । अपूर्ण या गलत सूचना के कारण यदि लेनदेन में विलंब होता है या सम्पन्न ही नहीं किया जाता है तो मैं सिंडिकेटबैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराऊँगा/ ठहराऊँगी ।

I, hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I would not hold SyndicateBank responsible.

स्थान/Place:

दिनांक/Date:

प्रथम शेयरधारक के हस्ताक्षर
Signature of the First Shareholder

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर प्रस्तुत विवरण हमारे अभिलेखों के अनुसार सही हैं ।
Certified that the particulars furnished above are correct as per our records.

स्थान/Place:

दिनांक/Date:

संबंधित बैंक के प्रबंधक के हस्ताक्षर
Signature of the Manager of Bank Concerned

टिप्पणी: शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी फोलियो संख्या का उल्लेख अवश्य करें ।
NOTE : Shareholders are requested to furnish their Folio No. without fail.

सिंडिकेटबैंक
SyndicateBank
विश्वसनीय, मैत्रीपूर्ण Faithful, Friendly
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरे जाने एवं हस्ताक्षर करने के लिए)

पंजीकृत फोलियो (यदि बेकागजीकृत नहीं है)
डी पी आई डी व ग्राहक आई डी (यदि बेकागजीकृत है)

मैं/हम ..... निवासी .....

जिला ..... राज्य ..... सिंडिकेटबैंक, मणिपाल के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा

श्री/श्रीमती ..... निवासी .....

जिला ..... राज्य ..... को, अथवा इनके न होने पर,

श्री/श्रीमती ..... निवासी .....

जिला ..... राज्य ..... को सिंडिकेटबैंक के शेयरधारकों की 25 जून, 2011 को सिंडिकेटबैंक के स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल में पूर्वाह्न 11.30 बजे होनेवाली वार्षिक आम बैठक और उसके बाद स्थगित अन्य किसी बैठक में मुझे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से वोट देने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं।

वर्ष 2011 के ..... माह के ..... दिन को हस्ताक्षरित

कृपया ₹ 1/- का राजस्व टिकट लगाएं

....

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर प्रथम नामित/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

मुख्तारी (प्रॉक्सी) फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुतीकरण हेतु अनुदेश:

1. मुख्तारी लिखत तभी वैध होगा जब
   क) व्यक्तिगत शेयरधारक सदस्य के मामले में वह उसके द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् उसके/उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए ।
   ख) संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक सदस्य द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके/उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए ।
   ग) किसी कंपनी निकाय के मामले में वह उसके अधिकारी द्वारा अथवा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए ।
2. मुख्तारी लिखत पर शेयरधारक सदस्य के विधिवत् हस्ताक्षर होने चाहिए । किन्तु शेयरधारक सदस्य किसी कारणवश अपना नाम लिखने में असमर्थ है और अगर वह उस पर अंगूठा निशान अंकित करता है तो जज, मजिस्ट्रेट या आश्वासनों का रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या सिंडिकेट बैंक के अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए ।
3. मुख्तारी के साथ
   क) मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत उस पर हस्ताक्षर किए गए या
   ख) नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार की प्रति वार्षिक आम बैठक की तारीख से **चार दिन** पहले अर्थात् **20-06-2011** को कार्य समय के दौरान या उससे पहले प्र.का. सिंडिकेट बैंक नैगम सूचना केन्द्र, सिंडिकेट बैंक, प्रधान कार्यालय, मणिपाल – 576 104 में जमा किए जाने चाहिए ।
4. कोई भी मुख्तारी तब तक वैध नहीं होगी जब तक वह विधिवत् स्टाम्पित न हों ।
   - बैंक में जमा की गई मुख्तारी लिखत अंतिम तथा अप्रतिसंहरणीय होगी ।
   - यदि मुख्तारी लिखत वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के लिए हों तो एक से अधिक फार्म निष्पादित न किए जाए ।
   - जिस शेयरधारक ने मुख्तारी लिखत निष्पादित की है वह उस लिखत से संबंधित वार्षिक सामान्य बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा जिससे वह लिखत संबंधित हों।
   - सिंडिकेटबैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या मुख्तारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

विश्वसनीय. मैत्रीपूर्ण Faithful. Friendly

भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio (If not dematerialised)	
DP ID & Client ID (If dematerialised)	

I/We .... resident(s) of .... in the district of .... in the State of .... being a shareholder/ shareholder(s) of SyndicateBank, Manipal, hereby appoint Shri/Smt. .... resident of .... in the district of .... in the State of .... **OR** failing him/her, Shri/Smt. .... resident of .... in the district of .... in the state of .... as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the Annual General Meeting of the shareholders of SyndicateBank to be held on 25th June, 2011 at 11.30 a.m. at SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal and at any adjournment thereof.

Signed this .... day of .... 2011.

Please Affix ₹ 1/- Revenue Stamp

.... Signature of Proxy

.... Signature of First named/Sole Shareholder

Name :
Address :

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless
   a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
   b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
   c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of SyndicateBank.
3. The proxy together with
   a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
   b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Syndicate Bank with Corporate Information Centre, Manipal – 576 104 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank on **20-06-2011.**
4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
   1. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
   2. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
   3. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
   4. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Syndicate Bank.

सिंडिकेटबैंक
SyndicateBank
विश्वसनीय. मैत्रीपूर्ण Faithful. Friendly
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

फॉर्म 2 बी

(नियम 4 सीसीसी एवं 5 डी देखें)

नामांकन प्रपत्र

(उन व्यक्तियों द्वारा भरा जाए जो अकेले या संयुक्त रूप से आवेदन कर रहे हैं)

मैं/हम .....और.....

और ..... जो सिंडिकेट बैंक के फोलियो नं. .....के अन्तर्गत शेयरधारक हूँ /हैं एतद्द्वारा निम्न व्यक्ति(यों) को नामित करता हूँ /करते हैं, जिन्हें मेरी अथवा हमारी मृत्यु होने पर शेयरों के मामले में अंतरण और/ अथवा देय रकम के बारे में सभी अधिकार होंगे ।

नामिती का नाम और पता

नाम : _____

पता : _____

_____

जन्म तिथि* (* यदि नामिती नाबालिग हो)

**नामिती नाबालिग, जिसका संरक्षक _____

नाम और पता _____

_____

** (यदि लागू नहीं है तो काट दीजिए)

हस्ताक्षर : .....

नाम : .....

पता : .....

.....

दिनांक :

हस्ताक्षर : .....

नाम : .....

पता : .....

दिनांक:

गवाह का पता, नाम और हस्ताक्षर

नाम और पता	दिनांक सहित हस्ताक्षर
1. _____	_____
2. _____	_____

अनुदेश:

1. नामांकन केवल वे लोग कर सकते हैं जो अपने ही नाम पर या संयुक्त रूप से शेयर के लिए आवेदन करते हैं/शेयर रखते हैं। सोसाइटी, न्यास, संस्था, नैगम, साझेदार फर्म, अविभाजित हिंदू परिवार का कर्ता, मुख्तारनामा रखने वाला जैसै गैर व्यक्ति नामित नहीं हो सकते हैं । यदि शेयर संयुक्त रूप से रखे जाते हैं, तो सभी संयुक्त धारक नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। नमूने के लिए जगह दी गयी है । यदि कई संयुक्त धारक हैं तो अधिक पन्ने लगाये जा सकते हैं, जिस पर शेयर धारक व गवाह हस्ताक्षर करेंगे ।
2. नाबालिग को नामित किया जा सकता है, और उस स्थिति में तब उसके संरक्षक का नाम व पता धारक द्वारा दिया जाए ।
3. सोसायटी, न्यास, संस्था, नैगम, साझीदार फर्म, अविभाजित हिंदू परिवार का कर्ता, मुख्तारनामा रखने वाला जैसे गैर व्यक्ति नामित नहीं हो सकते हैं । एक अनिवासी भारतीय प्रत्यावर्तनीय आधार पर नामिति हो सकता है ।
4. शेयर के अंतरण पर नामांकन समाप्त हो जाएगा ।
5. नामिती के पक्ष में शेयरों के अंतरण उसके कानूनी वारिस के प्रति बैंक का वैध उन्मोचन होगा।
6. नामांकन/नामांकन प्रपत्र के बारे में दी जानेवाली सूचना बैंक/रजिस्ट्रार एवं बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास दो प्रतियों में भरी जाए जो उसकी एक प्रति शेयरधार को वापस लौटा देंगे।

कार्यालय उपयोग हेतु

क्र. सं. ..... नामांकन प्रपत्र दिनांक ..... को प्राप्त किया

पंजीकरण सं. ..... दिनांक: .....

टिप्पणी: .....

.....

सिंडिकेटबैंक
SyndicateBank
विश्वसनीय. मैत्रीपूर्ण Faithful. Friendly
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

FORM 2B

(See rules 4 CCC and 5 D)

NOMINATION FORM

(To be filled in by individual(s) applying singly or jointly)

I/We ..... and ..... and ..... the holder(s) of shares under the Folio No. ..... of SyndicateBank wish to make a nomination and do hereby nominate the following person(s) in whom all rights of transfer and/or amount payable in respect of shares shall vest in the event of my or our death.

Name and Address of Nominee

Name : _____

Address : _____

_____

Date of Birth* (* To be furnished in case the nominee is a minor)

**The Nominee is a minor whose guardian is _____

Name and Address: _____

_____

(** To be deleted if not applicable)

Signature : .....

Name : .....

Address : .....

.....

Date :

Signature : .....

Name : .....

Address : .....

Date:

Address, name and signature of witnesses :

Name and Address	Signature with date
1. _____	
_____	_____
2. _____	
_____	_____

Instructions:

1. The Nomination can be made by individuals only applying/ holding shares on their own behalf singly or jointly. Non-individuals including society, trust, body corporate, partnership firm, Karta of Hindu undivided family, holder of power of attorney cannot nominate. If the shares are held jointly, all joint holders will have to sign the nomination form. Space is provided as a specimen, if there are more joint holders more sheets can be added for signatures of holders of shares and witness.
2. A minor can be nominated by a holder of shares and in that event the name and address of the guardian shall be given by the holder.
3. The nominee shall not be a trust, society, body corporate, partnership firm, Karta of Hindu undivided family or a power of attorney holder. A non-resident Indian can be a nominee on repatriable basis.
4. Nomination stands rescinded upon transfer of shares.
5. Transfer of shares in favour of a nominee shall be a valid discharge by the BANK against the legal heir.
6. The intimation regarding nomination /nomination form shall be filed in duplicate with Bank/Registrar & Share Transfer Agents of the Bank who will return one copy thereof to the shareholder.

FOR OFFICE USE

SL.NO. ..... NOMINATION FORM RECEIVED ON .....
REGISTRATION NO. ..... DATE: .....
REMARKS: .....
.....

सिंडिकेटबैंक
SyndicateBank
विश्वसनीय, मैत्रीपूर्ण
Faithful, Friendly
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

उपस्थिति पर्ची

(बैठक के स्थान पर प्रवेश करते समय प्रस्तुत की जाए)

दिनांक : 25 जून, 2011

समय : प्रात: 11.30 बजे

स्थान : सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल

बैंक की 12वीं वार्षिक आम बैठक में मैं एतद्द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूँ

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	
पंजीकृत फोलियो	**डीपी आइडी:**
	ग्राहक आइडी:
(यदि बेकागजीकृत नहीं हो)	(यदि बेकागजीकृत हो)
शेयरधारक का नाम	
शेयरों की संख्या	

सिंडिकेटबैंक
SyndicateBank
विश्वसनीय, मैत्रीपूर्ण
Faithful, Friendly
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

प्रवेश पत्र

(बैठक के अंत तक रखा जाए)

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	
पंजीकृत फोलियो	**डीपी आइडी:**
	ग्राहक आइडी:
(यदि बेकागजीकृत नहीं हो)	(यदि बेकागजीकृत हो)
शेयरधारक का नाम	
शेयरों की संख्या	

शेयरधारक/प्रॉक्सी या शेयरधारकों के प्रतिनिधि से अनुरोध किया जाता है कि वे बैठक के स्थान पर प्रवेश करते समय, उपर्युक्त उपस्थिति-पर्ची, जिस पर बैंक के पास पंजीकृत उनके नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप विधिवत् हस्ताक्षर किए गये हों, तथा प्रवेश-पत्र प्रस्तुत करें। आवश्यकता पड़ने पर, उपर्युक्त का सत्यापन/परीक्षण किया जाएगा। किन्हीं भी परिस्थितियों में बैठक के प्रवेश द्वार पर अनुलिपि उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी।

ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry to the Venue)

Date : 25th June, 2011

Time : 11.30 a.m.

Place : SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal

I hereby record my presence at the 12th Annual General Meeting of the Bank.

Signature of the Shareholder/ Proxy/ Representative present	
Regd. Folio	**DP ID**
	Client ID
(If not dematerialised)	(If dematerialised)
Name of the Shareholder	
Number of Shares	

ENTRY PASS

(to be retained throughout the meeting)

Signature of the Shareholder/Proxy/ Representative present	
Regd. Folio	**DP ID**
	Client ID
(If not dematerialised)	(If dematerialised)
Name of the Shareholder	
Number of Shares	

Shareholders / Proxy or Authorised Representative of shareholders are requested to produce the above Attendance Slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, alongwith the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance Slip will be issued at the entrance to the meeting.

सिंडिकेटबैंक
SyndicateBank
विश्वसनीय, मैत्रीपूर्ण
Faithful, Friendly
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

सभी शेयरधारकों से अपील

प्रिय शेयरधारक,

संदर्भ: अप्रदत्त लाभांश

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 (दि. 16-10-2006 से लागू) की शर्तों के अनुसार उन लाभांश जो अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरित करने की तारीख से 7 वर्ष की अवधि तक बैंक के पास अदत्त रह जाते हैं उनको कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी की उप–धारा (1) के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना है।

उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करते हुए ऐसी सभी धनराशियों जो सात वर्ष की अवधि के लिए अप्रदत्त या अदावी रहती है उन्हें दि. 16-10-2013 से निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाएगा ।

बैंक वर्ष 2000 से हर वर्ष लाभांश की घोषणा करता रहा है । **जिन शेयरधारकों ने वर्ष 1999-2000, 2000-01, 2001-02, 2002-03, के लिए लाभांश वारंट, वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के लिए अंतरिम/अंतिम लाभांश वारंटों को भुनाया हो उनसे अनुरोध है कि वे अपने अप्रदत्त लाभांशों का दावा करने के लिए बैंक के निवेशक संपर्क केन्द्र, नैगम कार्यालय, बेंगलूर से संपर्क करें।**

भवदीय,

रवि

(आर. रवि)

कंपनी सचिव

दिनांक: 27-05-2011

AN APPEAL TO ALL SHAREHOLDERS

Dear Shareholder,

Re: Unpaid Dividends

In terms of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006 (which has come into force from 16-10-2006), the dividends remaining unpaid with the Bank for a period of 7 years from the date of transfer to Unpaid Dividend account, are liable to be transferred to Investor Education and Protection Fund established under sub-section (1) of Section 205C of the Companies Act, 1956.

In compliance of the above guidelines, all such monies remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund, commencing from 16-10-2013.

The Bank has a track record of declaring dividends every year since the year 2000. **Such of those shareholders, who have not encashed their Dividend Warrants for the year(s) 1999-2000, 2000-01 2001-02, 2002-03, Interim/Final Dividend Warrants 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-2009 and 2009-2010 are requested to approach Investor Relations Centre of the Bank at Corporate Office, Bengaluru for assistance in claiming their unpaid dividends.**

Yours faithfully,

(R. RAVI)

Company Secretary

Date: 27-05-2011

सिंडिकेटबैंक
SyndicateBank
विश्वसनीय, मैत्रीपूर्ण Faithful. Friendly
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

प्रिय शेयरधारक,

विषय: नैगम अभिशासन में पर्यावरण संरक्षण पहल: बिना कागज के

नैगम कार्य मंत्रालय (मंत्रालय) ने कंपनियों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा पेपरलेस अनुपालन अपनाकर नैगम अभिशासन में पर्यावरण संरक्षण पहल (ग्रीन इनीशिएटिव) लागू करने का निर्णय लिया है। हाल ही में, उक्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए परिपत्र सं. 17/2011 दि. 21-04-2011 और 18/2011 दि. 29-4-2011 के अनुसार कंपनिया अब अपने शेयरधारकों को विभिन्न नोटिसें/दस्तावेजों (वार्षिक आम बैठक से संबंधित बुलावा पत्र, लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, निदेशकों की रिपोर्ट इत्यादि) को उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज सकती हैं।

समाज के हित की दृष्टि से यह एक अनूठी पहल है। इस से कागज की खपत बहुत कम होगी और आम जनता के लिए हरा-भरा पर्यावरण प्रदान करने के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं।

बैंक के प्रत्येक शेयरधारक के लिए यह एक सुनहरा अवसर है क्योंकि वह बैंक की नैगम सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संसूचना प्राप्त करने के लिए केवल आपको अपना ई-मेल आइ. डी. बैंक के पास पंजीकृत कराना होगा।

ई-मेल संसूचना के लिए पंजीकरण करने से मिलनेवाले लाभ:

- संसूचना तत्काल प्राप्त होगी।
- कागज की खपत कम होगी और पेड़ों को बचाया जा सकता है।
- डाक प्रेषण के दौरान दस्तावेज के गुम होने से बचा जा सकता है।

यदि आप कोई अन्य ई-मेल आइ.डी. पंजीकृत करवाना चाहते हैं तो, कृपया उसे अपने डी.पी. में अद्यतन कराएं। (यदि उसका शेयर इलेक्ट्रॉनिक फार्म में है) यदि अपके शेयर कागज़ी फार्म में है तो मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर (प्राईवेट) लिमिटेड के पास तत्काल अद्यतन करवाएं।

कृपया नोट करें कि यदि आप सभी संसूचनाओं को कागज़ी रूप में ही प्राप्त करना चाहते हैं तो, बैंक उसे आपको नि:शुल्क उपलब्ध कराएगी।

आइए, हम इस पर्यावरण संरक्षण पहल में सहभागी (ग्रीन इनीशिएटिव) बनें।

शुभकामनाओं सहित।

भवदीय,

रवि

(आर. रवि)

कंपनी सचिव

दिनांक: 27-05-2011

Dear Shareholder,

RE: Green Initiative in Corporate Governance: Go Paperless

The Ministry of Corporate Affairs ("Ministry") has taken a "Green Initiative in Corporate Governance" by allowing paperless compliances by companies through electronic mode. In accordance with the recent Circular bearing No.17/2011 dated 21-04-2011 and 18/2011 dated 29-04-2011 issued by the Ministry, companies can now send various notices/documents (including notice calling Annual General Meeting, Audited Financial Statements, Directors' Report, Auditors' Report etc.) to their shareholders through electronic mode, to the registered e-mail addresses of the shareholders.

It is a welcome move for the society at large, as this will reduce paper consumption to a great extent and allow public at large to contribute towards a greener environment.

This is also a golden opportunity for every shareholder of the Bank to contribute to the Corporate Social Responsibility initiative of the Bank. All you have to do is to register your e-mail id with the Bank to receive communication through electronic mode.

ADVANTAGES OF REGISTERING FOR E-COMMUNICATION

- Receive communication promptly
- Reduce paper consumption and save trees
- Avoid loss of document in postal transit

In case you desire to have a different e-mail id to be registered, please update the same in your DP (if you are holding shares in electronic form) and with M/s Karvy Computershare (P) Ltd., (if you are holding shares in physical form) immediately.

Kindly note that if you still wish to get a physical copy of all the communications, the Bank undertakes to provide the same at no extra cost to you.

Let's be part of this 'Green Initiative'.

With warm regards.

Yours faithfully,

(R. RAVI)

COMPANY SECRETARY

27-05-2011

लाभांश अधिदेश पत्र
(शेयरों को कागज़ी रूप में रखनेवाले और सिंडिकेटबैंक में खाता रखनेवाले शेयरधारकों के लिए)

सेवा में
निवेशक संबंध केन्द्र
सिंडिकेट बैंक, नैगम कार्यालय
II क्रॉस, गांधीनगर
बेंगलूर – 560 009

विषय: लाभांश को सीधे जमा करने हेतु अधिदेश

मेरे/हमारे ईक्विटी शेयरों पर देय लाभांश राशि को सिंडिकेटबैंक में रखे गए मेरे /हमारे निम्नलिखित खाते में जमा करने के लिए मैं/हम आपको प्राधिकृत करता/करती हूँ/करते हैं।

1. फोलियों सं.: एस वाइ एन
2. एकल/प्रथम शेयरधारक का नाम और पता .....
   .....
   .....
3. दूरभाष सं.: .....
4. ई-मेल आई डी: .....
5. बैंक खाते के ब्यौरे:
   शाखा का नाम:
   बी आइ सी:
   खाता सं.:
   खाताधारक का नाम:

मैं/हम एतद्द्वारा घोषित करता/करती हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण सही और पूर्ण है। सूचना अपूर्ण या गलत होने की वजह से यदि लेन-देन में विलंब होता है तो मैं/हम बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराऊँगा/ठहराऊँगी/ठहराएंगे।

भवदीय,

एकल/प्रथम शेयरधारक के हस्ताक्षर

दिनांक:

अनुलग्नक:
1. एकल/प्रथम शेयरधारक के पैन कार्ड को स्वयं साक्ष्यांकित प्रति।
2. अद्यतन पते के सबूत की स्व-साक्ष्यांकित प्रति ।
3. बैंक खाते से संबंधित चेक पन्ने की प्रति/मिरत चेक पन्ना ।

DIVIDEND MANDATE FORM
(ONLY FOR SHAREHOLDERS HOLDING SHARES IN PHYSICAL FORM AND HAVING AN ACCOUNT WITH SYNDICATEBANK)

To
Investor Relations Centre,
SyndicateBank Corporate Office,
Second Cross, Gandhinagar,
Bangalore – 560 009.

Dear Sir,

Sub: Mandate for direct credit of Dividend.

I / We hereby authorise you to credit the amount of Dividend on my / our equity shares directly to my / our account with SyndicateBank, as per the following particulars:

1. Folio No.: SYN……

2. Name & Address of the Sole / First Shareholder:…….....
   ……..
   ……

3. Phone No.: ……

4. E-mail ID: ……

5. Details of the Bank Account:

   Name of the Branch:

   BIC:

   Account No.:

   Name of the Account Holder:

I / We hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed because of incomplete or incorrect information, I / We will not hold the Bank responsible.

Yours faithfully,

SIGNATURE OF THE SOLE / FIRST SHAREHOLDER

Date:

Enclosures:
1. Self-attested copy of PAN Card of the sole / first shareholder.
2. Self-attested copy of latest address proof.
3. Copy of / Cancelled Cheque Leaf of the Bank Account.

सिंडिकेटबैंक
SyndicateBank
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

नैगम कार्यालय : गाधीनगर, बेंगलूर – 560 009

निवेशक संबंध केन्द्र

दूरभाष : 22283030, फैक्स : 22268717, ई–मेल : inrc@syndicatebank.co.in

देखें हमारा वेबसाइट: www.syndicatebank.in टॉल फ्री सं. : 1800 425 6655

शिकायत पंजीकरण फॉर्म

दिनांक :

1) **शेयरधारक का नाम व पता**

_____

_____

_____

2) **दूरभाष सं./ई–मेल आइडी** _____

3) **फोलियो सं/डी.पी.आइ.डी. और ग्राहक आइ.डी. के ब्यौरे:** _____

4) **बैंक अधिदेश :**

मेरे बैंक खाता संख्या संबंधी विवरण निम्नवत् हैं :

बैंक का नाम :

शाखा :

खाता सं. :

एम.आइ.सी.आर. कूट :

5) **शिकायत का स्वरूप :** _____

शेयरधारक के हस्ताक्षर

सिंडिकेटबैंक
SyndicateBank
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

CORPORATE OFFICE: GANDHINAGAR: BENGALURU – 560 009

INVESTOR RELATIONS CENTRE

Ph: 22283030, Fax: 22268717, E-mail: inrc@syndicatebank.co.in

Visit us at: www.syndicatebank.in Toll Free No.1800 425 6655

GRIEVANCE REGISTRATION FORM

Date:

1) **Name & Address of the shareholder**

_____

_____

_____

2) **Phone No./E-Mail ID:** _____

3) **Folio No./DPID & Client ID particulars:** _____

4) **Bank Mandate:**
Details of my Bank account number are as under:

Name of the Bank

Branch

Account No.

MICR Code.

5) **Nature of Grievance :** _____

SIGNATURE OF THE SHAREHOLDER

उन केंद्रों की सूची जहाँ लाभांश जमा करने की सुविधा उपलब्ध है
List of Centers where ECS Facility for credit of Dividend is available

क्र.सं. केन्द्र का नाम Sl. No. Name of the Centre	क्र.सं. केन्द्र का नाम Sl. No. Name of the Centre
भा. रि. बैं. केन्द्र/RBI CENTRES	
1 अहमदाबाद/Ahmedabad	9 जयपुर/Jaipur
2 बेंगलूरू/BENGALURU	10 कानपुर/Kanpur
3 भुवनेश्वर/Bhubaneshwar	11 मुंबई/Mumbai
4 कोलकाता/Kolkata	12 नागपुर/Nagpur
5 चंडीगढ़/Chandigarh	13 नई दिल्ली/New Delhi
6 चेन्नइ/Chennai	14 पटना/Patna
7 गुवाहाटी/Guwahati	15 तिरुवनंतपुरम/Thiruvananthapuram
8 हैदराबाद/Hyderabad	
अन्य केन्द्र/OTHER CENTRES	
1 आगरा Agra	34 लखनऊ Lucknow
2 इलाहाबाद Allahabad	35 लुधियाना Ludhiana
3 अमृतसर Amritsar	36 मदुरै Madurai
4 औरंगाबाद Aurangabad	37 मंड्या Mandya
5 बड़ौदा Baroda	38 मंगलूर Mangalore
6 बेलगाम Belgaum	39 मैसूर Mysore
7 भिलवाड़ा Bhilwara	40 नेल्लूर Nellore
8 भोपाल Bhopal	41 नासिक Nashik
9 बर्दवान Burdwan	42 पणजी Panaji
10 कोयंबत्तूर Coimbatore	43 पाँडिचेरी Pondicherry
11 कटक Cuttack	44 पुणे Pune
12 दावणगेरे Davangere	45 रायचूर Raichur
13 देहरादून Dehradun	46 रायपुर Raipur
14 दुर्गापुर Durgapur	47 राजकोट Rajkot
15 ईरोड़ Erode	48 राँची Ranchi
16 गदग Gadag	49 सेलम Salem
17 गोरखपुर Gorakhpur	50 शिलाँग Shillong
18 गुलबर्गा Gulbarga	51 शिमला Shimla
19 ग्वालियर Gwalior	52 शिमोगा Shimoga
20 हासन Hassan	53 शोलापुर Sholapur
21 हल्दिया Haldia	54 सिलिगुड़ी Siliguri
22 हुबळी Hubli	55 सूरत Surat
23 इंदौर Indore	56 तिरुपूर Tirupur
24 जबलपुर Jabalpur	57 तिरुपति Tirupati
25 जालंधर Jalandhar	58 त्रिचूर Trichur
26 जम्मू Jammu	59 तिरुची Trichy
27 जामनगर Jamnagar	60 तुमकूर Tumkur
28 जमशेदपुर Jamshedpur	61 उदयपुर Udaipur
29 जोधपुर Jodhpur	62 उडुपि Udupi
30 काकिनाडा Kakinada	63 वाराणसी Varanasi
31 कोच्ची/एर्णाकुलम Kochi / Ernakulam	64 विजयवाड़ा Vijaywada
32 कोल्हापुर Kolhapur	65 विशाखापट्टनम Visakhapatnam
33 कोषिकोड़ Kozhikode	

This Page is Left Blank

This Page is Left Blank

Permitted to post on Prepayment of postage in cash in Mail Business Center, Manipal - 576104 under P. M. G. S. K. Region, Bangalore - 560001. Vide licence No. KT/SK/BD/2/262000/2011 - 12/27-05-2011 to 28-05-2011 with postage of ₹19/- (Rupees Nineteen only).

प्रधान कार्यालय : मणिपाल - 576 104, भारत
नैगम कार्यालय : गांधी नगर, बेंगलूर - 560 009, भारत
Head Office: Manipal - 576 104, India
Corporate Office: Gandhinagar, Bangalore - 560 009, India
www.syndicatebank.in
Toll Free Voice Mail No.: 1800 425 66 55